

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2026 सत्र

मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 2026

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा डोंगरगढ़ हेतु भवन का निर्माण

[सहकारिता]

1. (*क्र. 1103) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा डोंगरगढ़ के प्रस्ताव के आधार पर पंजीयक, सहकारी संस्थायें द्वारा दिनांक 24.08.2023 को भवन निर्माण की अनुमति दी गई? यदि हां तो कितनी राशि स्वीकृत की गयी? (ख) क्या इस संबंध में पूर्व विधानसभा प्रश्न के उत्तर में भूमि पर अतिक्रमण होना बताया गया था ? यदि हां तो क्या उक्त भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया गया ? यदि नहीं तो कब तक अतिक्रमण मुक्त कराकर भवन निर्माण कराया जावेगा? (ग) क्या वर्तमान में बैंक किराया के भवन में संचालित किया जा रहा है? यदि हां तो मासिक किराया कितना है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी हां। राशि रूपये 39.00 लाख की स्वीकृति दी गई। (ख) जी हां, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव द्वारा भूमि उपयुक्त प्रतीत नहीं होने एवं वर्तमान में उक्त भूमि में अतिक्रमण होने के कारण शाखा भवन निर्माण हेतु अन्यत्र भूमि आबंटित करने हेतु कलेक्टर, जिला राजनांदगांव से मांग किया गया है। भूमि आवंटन होने पर भवन निर्माण कार्य कराया जायेगा। (ग) जी हां। मासिक किराया राशि रूपये 19,400/- है।

बिगड़े वनों की सुधार की योजना

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

2. (*क्र. 122) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) वनमंडल कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 से 30 जनवरी, 2026 तक किन-किन परिक्षेत्र में कितनी-कितनी लागत से बिगड़े वनों की सुधार योजना के अंतर्गत कितने-कितने पौधे कितने-कितने रकबा में, किस-किस प्रजाति के लगाए गए हैं? वर्षवार, वन परिक्षेत्रवार, स्वीकृत राशि एवम् व्यय राशि की जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांक (क) की अवधि में रोपे गये कितने प्रतिशत पौधे सुरक्षित हैं? वर्षवार, वन परिक्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वनमंडल कटघोरा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 से 30 जनवरी

2026 तक बिगड़े वनों की सुधार योजना के अंतर्गत कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया है। अतः जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

फिटनेस, परमिट एवं ओवरलोडिंग संबंधी प्रकरणों पर कार्यवाही

[परिवहन]

3. (*क्र. 1565) श्री ओंकार साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में कितने व्यावसायिक वाहनों को बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं? जिला-वार विवरण दें? (ख) उक्त अवधि में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की ओवरलोडिंग, बिना परमिट संचालन एवं बिना बीमा पाए जाने पर कितने प्रकरण बनाए गए तथा कितनी राशि वसूल की गई?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) निरंक। बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उक्त अवधि में ओवरलोडिंग, बिना परमिट संचालन एवं बिना बीमा पाये जाने पर 77810 प्रकरण बनाये गये हैं तथा उनसे रूपये 42,79,05,300/- की वसूली की गई है।

जिला कांकेर में गोदावरी इस्पात कंपनी लिमिटेड को आयरन ओर खनन की अनुमति

[खनिज साधन]

4. (*क्र. 1592) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला कांकेर के आरीडोंगरी में गोदावरी इस्पात कंपनी लिमिटेड को पूर्व में आयरन ओर खनन के लिए कितनी जमीन शासन द्वारा प्रदान की गई थी एवं वर्तमान में उक्त कंपनी को किस नियम/शर्तों के आधार पर 74.08 हेक्टेयर जमीन उत्खनन के लिए प्रदाय की गई है ? जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार उक्त जमीन खनन के लिए किस प्रकार की निविदा प्रक्रिया अपनाई गई थी ? खनन की जाँच के लिए किस एजेंसी को नियुक्त किया गया था ? (ग) जनसुनवाई के दौरान किस प्रकार का वाद विषय संज्ञान में आया था तथा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण दें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला कांकेर, तहसील भानुप्रतापपुर, ग्राम कच्चे-आरीडोंगरी में मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड को रकबा 138.96 हेक्टेयर क्षेत्र पर लौह अयस्क खनिपट्टा स्वीकृत है। वर्तमान में उक्त कंपनी को 74.05 हेक्टेयर जमीन खनन के लिए प्रदान नहीं की गई है अपितु वैज्ञानिक पद्धति से वेस्ट मटेरियल डम्प किये जाने हेतु खनिपट्टा क्षेत्र से लगकर स्थित गैर-खनिजयुक्त 74.05 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को खनिपट्टा में शामिल करने हेतु खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 21.03.2025 द्वारा सशर्त आशय पत्र (Letter of Intent) जारी किया गया है। (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार गैर-खनिजयुक्त 74.05 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र पर खनन की अनुमति नहीं दी गई है अपितु वैज्ञानिक पद्धति से वेस्ट मटेरियल डम्प किये जाने हेतु खनिपट्टा क्षेत्र से लगकर अतिरिक्त क्षेत्र को खनिपट्टा में शामिल करने हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) जनसुनवाई के दौरान जन सामान्य द्वारा क्षेत्र के विकास, स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार, खनिज परिवहन में भागीदारी, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, मूलभूत सुविधाओं का विकास, अप्रेंटिस को बढ़ावा, सड़कों का संधारण, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षकों-स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति एवं लाल पानी की समस्या के निराकरण के संबंध में प्रस्तुत विचार/सुझाव/आपत्तियों पर परियोजना प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जवाब संकलित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को प्रेषित किया गया है।

National Herald समाचार पत्र एवं Navsrijan Magazine को दिए गए विज्ञापनों हेतु प्रदाय राशि
[जनसंपर्क]

5. (*क्र. 1635) श्रीमती रेणुका सिंह सरूता : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा (i) National Herald समाचार पत्र तथा (ii) Navsrijan Magazine को विज्ञापन मद में वर्षवार कितनी-कितनी राशि प्रदान/भुगतान की गई है? (ख) National Herald समाचार पत्र एवं Navsrijan Magazine का मुख्यालय/प्रकाशन स्थल कहाँ स्थित है? इन दोनों मीडिया संस्थानों के स्वामी/प्रबंधनकर्ता (Owner / Trust / Company) कौन हैं? क्या ये संस्थान छत्तीसगढ़ राज्य से प्रकाशित/संचालित होते हैं या किसी अन्य राज्य से?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक छत्तीसगढ़ शासन के जनसम्पर्क विभाग द्वारा (i) National Herald समाचार पत्र को विज्ञापन मद में वर्षवार भुगतान निम्नानुसार है:-
(राशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	भुगतान की गई राशि
2019-20	0.34
2020-21	0.58
2021-22	0.68
2022-23	1.28
2023-24	1.36
2024-25	निरंक
2025-26	निरंक

(ii) Navsrijan Magazine को उक्त अवधि में भुगतान नहीं किया गया है। (ख) National Herald के तात्कालिक मीडिया प्रबंधनकर्ता श्री पवन कुमार बंसल है। इसका प्रकाशन स्थल दिल्ली है। Navsrijan Magazine के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विधानसभा क्षेत्र धरसीवा में संचालित केशरों की जांच

[खनिज साधन]

6. (*क्र. 1513) श्री अनुज शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत दिनांक 11-02-2026 की स्थिति में कितने-कितने केशर किन-किन ग्रामों में किनके-किनके द्वारा संचालित किये जा रहे हैं? विकासखण्डवार संचालकों के नाम सहित विवरण प्रदान करें? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार कौन-कौन से केशर उत्खननपट्टा खदान क्षेत्र भीतर एवं कौन-कौन से केशर भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त कर संचालित किये जा रहे हैं? (ग) प्रश्नांक 'क' अनुसार उत्खननपट्टा खदान क्षेत्र भीतर संचालित केशरों की जांच विभाग द्वारा कब-कब और किन-किन अधिकारियों के द्वारा की गई? क्या जांच में किसी प्रकार की अनियमितता प्राप्त हुई ? यदि हां तो क्या ? यदि नहीं तो खनन हेतु तय सीमा का आंकलन एवं भण्डारण की जांच में क्या प्रतिवेदन दिये गये?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत दिनांक 11.02.2026 की स्थिति में संचालित केशरों की ग्रामवार, विकासखण्डवार एवं संचालनकर्ता की जानकारी संलग्न 'प्रपत्र-अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार स्वीकृत उत्खननपट्टा क्षेत्र के भीतर एवं केशर भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त कर संचालित केशरों की जानकारी संलग्न 'प्रपत्र-अ' के कॉलम नंबर-8 पर दर्शित है। (ग) प्रश्नांक 'क' अनुसार उत्खननपट्टा खदान क्षेत्र के भीतर संचालित केशरों की खनिज विभाग द्वारा किये गए जांच की तिथि, जांचकर्ता अधिकारी, पायी गई अनियमितता की जानकारी संलग्न 'प्रपत्र-ब' अनुसार है। [संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण करने वालों पर कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

7. (*क्र. 1614) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों एवं नगरीय निकायों की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण किये जाने के कितने शिकायती आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं या विभाग के संज्ञान में आये हैं? विकासखण्डवार ग्राम/नगर के नाम सहित खसरा, रकबा व अतिक्रमणकर्ता के नाम व पता सहित जानकारी देवें? (ख) कण्डिका 'क' की अवधि में मान. न्यायालय के द्वारा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अवैध कब्जा/अतिक्रमण/अवैध निर्माण आदि का निर्णय पारित किये जाने के परिणामस्वरूप इसके परिपालन में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित राजस्व न्यायालयों के द्वारा किन-किन अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने के संबंध में वारंट जारी किया गया है तथा इनमें से किन-किन अतिक्रमणकारियों पर बेदखली की कार्यवाही कर शासकीय भूमि को उनसे कब्जामुक्त कराया गया है एवं किन-किन पर किन कारणों से अभी तक बेदखली की कार्रवाई नहीं की गयी है? नाम, पता सहित खसरा व रकबा की जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) बालोद जिला में प्रश्नाधीन अवधि में संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों एवं नगरीय निकायों की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण किये जाने के संबंध में तहसील बालोद में कुल 22 प्रकरण दर्ज किये गये है जिसमें 21 प्रकरण ग्रामीण क्षेत्र एवं 01 प्रकरण नगरीय क्षेत्र के दर्ज किये गये है। तहसील गुरूर के अंतर्गत कुल 238 प्रकरण में से 75 प्रकरण ग्रामीण क्षेत्र एवं 163 प्रकरण नगरीय क्षेत्र के है। इस तरह संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 260 अतिक्रमण प्रकरण दर्ज किया गया है। विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - दो" \]](#)

आपदा प्रबंधन मद से नगरीय निकायों को आंबटन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

8. (*क्र. 1263) श्री राजेश मूणत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) आपदा प्रबंधन मद में कैलेण्डर वर्ष 2024, 2025 तथा 2026 में 31/01/2026 तक कितने जिलों में आपदा से निपटने के लिए कितना आंबटन आपदा प्रबंधन मद में उपलब्ध कराया गया है? जिला वार विवरण दें? (ख) नगरीय क्षेत्रों में कौन-कौन से नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत को कैलेण्डर वर्ष 2024, 2025 तथा 2026 में 31/01/2026 तक कितना-कितना आंबटन आपदा प्रबंधन मद में उपलब्ध कराया गया है? विवरण देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में आपदा से निपटने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से जारी की गई राशि की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) नगरीय निकायों को राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से वर्ष 2024 एवं 2025 में कोई राशि आंबटित नहीं की गई है। वर्ष 2026 में नगर पालिक निगम धमतरी को रूपये 290.23 लाख तथा नगर पालिक परिषद सुकमा को रूपये 31.15 लाख का आंबटन जारी किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीन" \]](#)

शासकीय नवीन महाविद्यालय तेंदुकोना जिला महासमुंद हेतु भवन निर्माण

[उच्च शिक्षा]

9. (*क्र. 1575) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश के महासमुंद जिला अंतर्गत भवनविहीन शासकीय नवीन महाविद्यालय तेंदुकोना हेतु वर्ष 2022-23 में नवीन

भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित व स्वीकृत राशि क्या थी? स्वीकृति का मद व उस पर की गई कार्यवाही बताएं? **(ख)** उक्त नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु 31 जनवरी, 2026 की स्थिति में क्या-क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार बताएं? वर्तमान में शासकीय नवीन महाविद्यालय तेंदुकोना, जिला-महासमुंद के भवन निर्माण की भौतिक स्थिति, कार्य पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारंभ कारण सहित बताएं? **(ग)** शासकीय नवीन महाविद्यालय तेंदुकोना जिला महासमुंद के महाविद्यालय भवन निर्माण की पूर्णता हेतु कब तक कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** प्रदेश के महासमुंद जिला अंतर्गत भवनविहीन शासकीय नवीन महाविद्यालय तेंदुकोना के लिए वर्ष 2022-23 में नवीन भवन निर्माण हेतु प्रावधानित राशि रू. 125.00 लाख व स्वीकृत राशि रू. 465.84 लाख थी। उक्त स्वीकृति नाबार्ड पोषित योजनांतर्गत मद में की गई थी। की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। वर्तमान में शासकीय नवीन महाविद्यालय तेंदुकोना, जिला- महासमुंद के भवन निर्माण की भौतिक स्थिति, कार्य पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारंभ होने का कारण नाबार्ड द्वारा राशि स्वीकृत न होना है। **(ग)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चार" \]](#)

सरगुजा जिले के गन्ना खरीदी केंद्र से किसानों को प्रदत्त सुविधायें एवं शक्कर का उत्पादन

[सहकारिता]

10. (*क्र. 1611) श्री प्रबोध मिंज : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** शक्कर कारखाना केरता, जिला सरगुजा अंतर्गत गन्ना उत्पादन के लिए एवं किसानों हेतु क्या-क्या सुविधा दी जा रही है? विकासखंडवार वर्ष 2023 से 2026 दिनांक 31.01.2026 तक की जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** सत्र 2022 से 2026 (31.01.2026 तक) तक किस-किस विकासखंड से कितनी मात्रा में गन्ना खरीदी की गई है? **(ग)** सत्र 2022 से 2026 (31.01.2026 तक) तक उक्त कारखाना से कितनी मात्रा में शक्कर उत्पादन किया गया, कितना मुनाफा/नुकसान हुआ की वर्षवार राशि सहित जानकारी दें ? **(घ)** उक्त कारखाना द्वारा ग्राम रघुनाथपुर विकासखण्ड लुण्ड्रा जिला सरगुजा में गन्ना खरीदी केंद्र कब से कब तक संचालित था? प्रत्येक वर्ष में कितना कितना गन्ना खरीदा गया, की जानकारी एवं उक्त केंद्र को बंद करने का कारण बतावें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** शक्कर कारखाना केरता, जिला सरगुजा अंतर्गत गन्ना उत्पादन के लिये एवं किसानों हेतु उन्नतशील गन्ना बीज उधार (ब्याज रहित), वैज्ञानिक विधि से गन्ना खेती की जानकारी/प्रशिक्षण, रियायती दर पर प्रेसमड (खाद), गन्ना प्रोत्साहन राशि, शेरधारक गन्ना किसानों को रियायती दर पर शक्कर एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल द्वारा कारखाना परिसर में संचालित दाल-भात केन्द्र में गन्ना कृषकों को रियायती दर (रू. 5.00 प्रति थाली) पर भोजन उपलब्ध कराने की सुविधा दी जा रही है। शेष प्रश्नांश की जानकारी **प्रपत्र-‘अ’** में **संलग्न** है। **(ख)** जानकारी **प्रपत्र-‘ब’** में **संलग्न** है। **(ग)** जानकारी **प्रपत्र-‘स’** में **संलग्न** है। **(घ)** उक्त कारखाना द्वारा ग्राम रघुनाथपुर विकासखण्ड लुण्ड्रा जिला सरगुजा में गन्ना खरीदी केंद्र वर्ष 2012 से वर्ष 2019 तक संचालित था। गन्ना खरीदी की जानकारी **प्रपत्र-‘द’** में **संलग्न** है। उक्त केन्द्र को शासन द्वारा गठित अध्ययन भ्रमण दल के प्रतिवेदन के आधार पर कारखाने की लाभप्रदता में वृद्धि करने के उद्देश्य से बंद किया गया।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच" \]](#)

वन्य जीवों की मृत्यु के कारण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

11. (*क्र. 1641) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** माह दिसंबर, 2023 से जनवरी, 2026 की अवधि में कहां-कहां, कब-कब तथा किन-किन कारणों से बाघों तथा

हाथियों की मृत्यु हुई? उनकी आयु भी बताएं? **(ख)** उक्त अवधि में अन्य प्रजाति के कितने वन्य जीवों की अस्वाभाविक मृत्यु हुई, प्रजातिवार, वनमंडलवार बताएं? **(ग)** बिजली के करेंट तथा अवैध शिकार से हुई मृत्यु का विवरण दें? इन प्रकरणों में की गई कार्यवाहियों का विवरण भी बताएं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** दिसम्बर 2023 से जनवरी, 2026 की अवधि में 09 बाघों एवं 38 हाथियों की मृत्यु हुई है। विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- अ (बाघ) एवं प्रपत्र- ब (हाथी) अनुसार है। **(ख)** दिसम्बर 2023 से जनवरी, 2026 की अवधि में अन्य प्रजाति के 562 वन्यजीवों की अस्वाभाविक मृत्यु हुई है। विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- स (बाघ एवं हाथी को छोड़कर अन्य वन्यप्राणी) अनुसार है। **(ग)** उक्त अवधि में बिजली के करेंट तथा अवैध शिकार से हुई वन्यप्राणी मृत्यु की जानकारी तथा की गई कार्यवाहियों का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- द अनुसार है।

उद्योग एवं खदानों के खनन कार्य हेतु पेड़ कटाई की अनुमति

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

12. (*क्र. 448) श्री देवेन्द्र यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या प्रदेश में वर्ष 2022 से 31.01.2026 तक उद्योग एवं खदानों के खनन कार्य के लिए पेड़ काटने की अनुमति दी गयी है? यदि हां, तो किन-किन स्थानों में कितने पेड़ काटने के लिए अनुमति दी गई है? जिला, स्थान, सहित जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नानुसार उक्त उद्योग एवं खदान मालिकों द्वारा कितने पेड़ काटने की अनुमति ली गई है एवं कितने पेड़ काटे गए हैं ? जिलेवार जानकारी दीजिए? **(ग)** पेड़ काटे जाने के बाद किन-किन स्थानों में पेड़ लगाए गए हैं? स्थान सहित जानकारी दीजिए?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** हाँ, प्रदेश में वर्ष 2022 से 31.01.2026 तक उद्योग एवं खदानों के खनन कार्य के लिए पेड़ काटने की अनुमति दी गयी है। पेड़ काटने की अनुमति का विवरण जिलावार, स्थानवार जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है। **(ख)** उद्योग एवं खदान मालिकों द्वारा 2,33,237 नग पेड़ काटने की अनुमति ली गई है एवं 1,95,292 नग पेड़ काटे गए हैं, जिसकी जिलेवार जानकारी संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है। **(ग)** पेड़ काटे जाने के बाद पेड़ लगाये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण जानकारी निरंक है। उद्योग एवं खदानों के खनन के व्यपवर्तन प्रकरणों में व्यपवर्तित क्षेत्र के एवज में प्रतिपूरक वनीकरण के माध्यम से पौधे लगाये जाते हैं, न कि काटे गये पेड़ों के एवज में।

[संलग्न "परिशिष्ट - छ:"]

किसानों की अधिग्रहीत एवं प्रभावित भूमि का लंबित मुआवजा

[जल संसाधन]

13. (*क्र. 1302) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या कोटा विधानसभा क्षेत्र में 31.01.2026 की अवधि तक हुये बांध, नहर, एनीकट, स्टापडेम एवं अन्य जल संसाधन परियोजनाओं के निर्माण में किसानों की अधिग्रहीत एवं प्रभावित भूमि का मुआवजा प्रदान किया जाना लंबित है? अगर हाँ, तो परियोजना का नाम, वर्ष, ग्राम का नाम, किसानों की संख्या एवं राशि का विवरण दें ? **(ख)** उक्त मुआवजा राशि किन-किन कारणों से लंबित है? कब से लंबित है और किस स्तर पर लंबित है? परियोजनावार जानकारी क्या है? **(ग)** किसानों को कब तक लंबित मुआवजा का भुगतान किया जायेगा?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जी हाँ, कोटा विधानसभा क्षेत्र में 31.01.2026 की अवधि तक हुये बांध, नहर, एनीकट, स्टापडेम एवं अन्य संसाधन परियोजनाओं के निर्माण में किसानों की अधिग्रहित एवं प्रभावित

भूमि का मुआवजा प्रदान किया जाना लंबित है। परियोजना का नाम, वर्ष, ग्राम का नाम, किसानों की संख्या एवं राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** मुआवजा राशि किन किन कारणों से लंबित है, कब से लंबित है और किस स्तर पर लंबित है कि परियोजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** किसानों को लंबित मुआवजा का भुगतान भू-अर्जन प्रकरणों में अवार्ड की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् किया जावेगा। जिन प्रकरणों में अवार्ड के उपरांत मुआवजा राशि लंबित है की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सात" \]](#)

प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हाथी प्रभावित ग्रामों में मोबाइल नेटवर्क एवं इंटरनेट की सुविधा

[इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी]

14. (*क्र. 1082) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने हाथी प्रभावित ग्रामों में मोबाइल नेटवर्क एवं इंटरनेट सेवा फेल्टोर की स्थिति बनी रहती है? कृपया ग्रामवार जानकारी दें? उक्त के निराकरण हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? **(ख)** क्या सरकार हाथी प्रभावित एवं वनांचल ग्रामों में सुदृढ़ नेटवर्क व्यवस्था, अतिरिक्त मोबाइल टावर/सैटेलाइट नेटवर्क स्थापित करने हेतु कोई विशेष कार्ययोजना बना रही है? यदि हाँ, तो उसकी समय-सीमा क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर अंतर्गत कुल 204 ग्राम है एवं वन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार 204 में से 127 ग्राम हाथी प्रभावित है । दूरसंचार विभाग भारत सरकार से प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर के कुल 127 हाथी प्रभावित ग्रामों में से 124 ग्रामों में मोबाइल कवरेज की उपलब्धता है । शेष 03 ग्रामों में से 2 ग्रामों में डिजिटल भारत निधि (DBN) योजनांतर्गत मोबाइल टावर स्थापित किये जाने का कार्य प्रगतिरत है एवं 1 ग्राम में मोबाइल टावर लगाये जाने हेतु दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की ओर पत्र प्रेषित किया जा चुका है । (ग्रामवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है (ख)** प्रश्नांश **(क)** में लेखानुसार सुदृढ़ नेटवर्क व्यवस्था हेतु अतिरिक्त मोबाइल टावर लगाये जाने हेतु दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की ओर स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - आठ" \]](#)

निम्न दाब के विद्युत कनेक्शनों को जारी करने के पूर्व टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता

[ऊर्जा]

15. (*क्र. 970) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या कार्यपालक निदेशक (संचा/ संधा) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड, रायपुर के द्वारा नवीन निम्न दाब घरेलू/ गैर घरेलू कनेक्शन को जारी करने के पूर्व टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है? यदि हां तो क्यों? **(ख)** क्या अप्रशिक्षित व्यक्ति से कार्य संपादित न हो तथा उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता की बहाली करेंगे? नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जी हां, कार्यपालक निदेशक (संचा./ संधा.) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड रायपुर के द्वारा जारी दिशा निर्देश में सभी स्थायी नवीन निम्नदाब घरेलू, गैर घरेलू एवं अन्य कनेक्शनों को जारी करने के पूर्व टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत आपूर्ति संहिता (द्वितीय संशोधन) 2018 में विद्युत आपूर्ति संहिता की कंडिका 4.8 के प्रावधानों को संशोधित करते हुए निम्नदाब विद्युत कनेक्शनों में कनेक्शन जारी करने के

पूर्व टेस्ट रिपोर्ट लिए जाने के प्रावधान को लाईसेंसी द्वारा मांगे जाने पर दिए जाना संशोधित किया गया है, जिसके परिपालन में कार्यपालक निदेशक (संचा./संधा.) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी लिमिटेड रायपुर द्वारा निर्देश जारी किए गये। **(ख)** जी नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत आपूर्ति संहिता की कंडिका 4.8 के संशोधित प्रावधान में सर्विस लाईन बिछाने का कार्य स्वयं उपभोक्ता द्वारा अधिकृत लाईसेंसी विद्युत ठेकेदार का चयन कर उसके माध्यम से कराए जाने के प्रावधान को यथावत रखा गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए कनेक्शन जारी करने के पूर्व टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता की बहाली आवश्यक नहीं है।

आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से मृतक के परिजनों को राहत राशि का वितरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

16. (*क्र. 368) श्री आशा राम नेताम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जिलावार आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई? इन घटनाओं से पीड़ित परिवारों को अब तक कितनी राहत राशि वितरित की गई है? **(ख)** भविष्य में ऐसी घटनाओं से जनहानि रोकने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से निवारक उपाय किए जाने हेतु कदम उठाये जायेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** छत्तीसगढ़ राज्य में प्रश्नाधीन अवधि में बिजली गिरने से हुई मृत्यु एवं पीड़ित परिवारों को दी गई आर्थिक अनुदान सहायता राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में जिला जांजगीर-चांपा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर तथा सूरजपुर में आकाशीय बिजली से सुरक्षा हेतु परियोजना (एमपीएलएस) की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - नौ" \]](#)

चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित परिवारों का पुनः स्थापन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

17. (*क्र. 307) श्री विनायक गोयल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विकासखंड लोहण्डीगुड़ा, दरभा, तोकापाल, बास्तानार में अगस्त, 2025 में आई अतिवृष्टि से हुई क्षति से कितने परिवार प्रभावित हुए एवं कितने पहुंच मार्ग, पुलिया क्षतिग्रस्त हुए? **(ख)** क्या प्रभावितों को शासन द्वारा पुनःस्थापित किया गया? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** प्रभावित ग्रामों में किस-किस विभाग के कितने सड़क एवं पुल पुलिया की क्षति हुई है? क्या उनकी मरम्मत की गयी है? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी? जानकारी ग्रामवार देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** बस्तर जिले के चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के विकास खण्डों में माह अगस्त 2025 में हुए अतिवृष्टि से 1296 परिवार प्रभावित हुए एवं 72 पहुंच मार्ग तथा 35 पुलिया क्षतिग्रस्त हुए हैं। **(ख)** प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में अस्थाई रूप से रखा गया था। स्थिति सामान्य होने पर प्रभावित परिवार अपने-अपने घर लौट गये। अतः उक्त परिवारों को पुनःस्थापित किये जाने की आवश्यकता नहीं हुई। **(ग)** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 47, लोक निर्माण विभाग उत्तर बस्तर संभाग -1 के 06. लोक निर्माण विभाग उत्तर बस्तर संभाग-2 के 49, लोक निर्माण विभाग सेतु के 04 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.) के 01 सड़क एवं एवं पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त क्षतिग्रस्त हुई है। अस्थाई रूप से मरम्मत कराकर आवागमन चालू किया गया है। मरम्मत हेतु प्रस्तावित कार्यों की ग्रामवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - दस" \]](#)

श्री गुरूगद्दी धाम एवं सतनाम विकास समिति, पताढी तहसील कोरबा को भूमि का आबंटन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

18. (*क्र. 10) श्री फूलसिंह राठिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या श्री गुरूगद्दी धाम एवं सतनाम विकास समिति, पताढी द्वारा प.ह.नं. 29 तहसील व जिला कोरबा के खसरा नं. 725/1/क रकबा 1.50 एकड़ भू-आबंटन के लिए पंचायत प्रस्ताव सहित मांग की गयी थी? यदि हां, तो आज तक भू-आबंटन क्यों नहीं किया गया? **(ख)** क्या भू-आबंटन के लिए कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के द्वारा पत्र क्रमांक/1573/अनु.वि.अधि./ भू-बंटन/2022/कोरबा, दिनांक 26/09/2022 भू-आबंटन हेतु स्थल निरीक्षण की अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय/अति.तह./कोरबा ज्ञापन क्रमांक/Q/वाचक/अति.तह./2023 कोरबा, दिनांक 20/03/2023 भूमि आबंटन के लिए अपना-अपना अभिमत व अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए दिनांक 19/04/2023 तय की गई थी, जिसके लिए महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. कोरबा/वन मंडल अधिकारी, खनिज अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप संचालक, कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि., कार्यपालन यंत्री कोरबा, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत, पताढी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया? यदि हां, तो जनवरी, 2026 तक भू-आबंटन क्यों नहीं किया गया? **(ग)** क्या इसके संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 4-94/सात-1/2023, नवा रायपुर, दिनांक 06.10.2023 को भू-भाटक की राशि निर्धारण करने एवं सामुदायिक भवन व कार्यक्रमों के लिए पट्टा आबंटन करने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गयी थी परन्तु आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** जी हां। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-4-94/सात-1/2023 दिनांक 06.10.2023 द्वारा आवेदक संस्था को सामुदायिक भवन एवं कार्यक्रमों के लिए ग्राम पताढी प.ह.नं. 29 तहसील व जिला कोरबा स्थित ख.नं. 725/1/क में से रकबा 1.50 एकड़/0.607 हे. भूमि आबंटित किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है। **(ख)** आवेदक संस्था को भूमि आबंटन किये जाने के संबंध में किसी भी विभाग द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। नियमानुसार भूमि आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान गई है। प्रकरण आवेदक संस्था द्वारा प्रब्याजी एवं भू-भाटक राशि जमा कराये जाने हेतु प्रक्रियाधीन है। **(ग)** आवेदक संस्था को भूमि आबंटन हेतु स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरांत संस्था द्वारा निःशुल्क आबंटन की मांग किये जाने के कारण प्रकरण विचाराधीन रहा। वर्तमान में आबंटित भूमि के एवज में प्रब्याजि एवं वार्षिक भू-भाटक तथा अन्य उपकरणों की गणना कर राशि जमा करने हेतु मांग पत्र जारी किया गया है। आवेदक संस्था द्वारा उक्त राशि जमा किये जाने के पश्चात भू-बंटन की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पेसा नियम लागू होने के पश्चात संयुक्त वन प्रबंधन समिति का विघटन

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

19. (*क्र. 778) श्री जनक ध्रुव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह सत्य है कि छत्तीसगढ़ पेसा नियम, 2022 के नियम 17(5) के अनुसार संयुक्त वन प्रबंधन समिति, जो कि एक गैर वैधानिक समिति है, का विघटन पेसा नियम के लागू होने के बाद 8 अगस्त, 2022 के बाद कर लिया जाना था? अगर हाँ, तो संयुक्त वन प्रबंधन समिति का विघटन कब तक कर लिया जाएगा और उनके खातों में जमा राशि का स्थानांतरण ग्राम सभा के खातों में कब तक कर लिया जाएगा?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : छत्तीसगढ़ पेसा नियम, 2022 के नियम 17(5) में उक्त नियम के लागू होने के पश्चात् वर्तमान में गठित सभी समानांतर समितियों को समाप्त किये जाने का प्रावधान है तथा भविष्य में अन्य कोई भी समानांतर समिति ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा की स्थायी समितियों के अधीन गठित की जा सकेगी। राष्ट्रीय

वन नीति 1988 में यह प्रतिपादित किया गया है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु स्थानीय जनता का सहयोग लिया जाये। इस अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं संस्कृति विभाग के संकल्प पत्र दिनांक 22.02.2001 द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन हेतु समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। उक्त विषय पर समुचित कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति के समक्ष विचाराधीन है। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जायेगी।

छत्तीसगढ़ में "भू-जल संरक्षण विकास कार्य" संपादित अंतर्गत कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

20. (*क्र. 1568) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में वन मंडलवार "भू-जल संरक्षण विकास कार्य" के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य कराए जाते हैं तथा उक्त योजना की रूपरेखा, उद्देश्य एवं स्वीकृत मानक संचालन प्रक्रिया क्या है? बतावें? **(ख)** विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वनमंडल को इस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई तथा उसके विरुद्ध कितने कार्य संपादित किए गए ? वनमंडलवार विवरण प्रदान करें ? **(ग)** इन कार्यों के परिणामों का आंकलन एवं लेखांकन किस प्रकार किया जाता है तथा क्या विभागीय मूल्यांकन के अनुसार इन योजनाओं से वास्तविक रूप से भू-जल स्तर में संरक्षण /वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो संबंधित अध्ययन/प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण दें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :**(क)** छत्तीसगढ़ राज्य के वनमंडलों में "भू-जल संरक्षण विकास कार्य के अंतर्गत एकांतर समोच्च खंती, लगातार समोच्च खंती, मिट्टी की समोच्च मेड़, पत्थर का समोच्च मेड़, जल अवशोषण तालाब, गिरी पड़ी लकड़ी से निर्मित अवरोध बांध, मिट्टी नाली बंधान, लूज पत्थर अवरोध बांध, गेबियन संरचना, लघु परकोलेशन तालाब, परकोलेशन तालाब, कांक्रीट डाईक, मिट्टी डाईक, चेकडेम, स्टाप डेम, मिट्टी की बांध आदि कार्य कराया जाता है। कार्य की रूपरेखा यह है कि वनक्षेत्रों में भू-जल संरक्षण विकास कार्य हेतु सर्वप्रथम नालों का चिन्हांकन किया जाए और जलग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव, वनक्षेत्र का घनत्व, कम भूमिगत जल जैसे मानकों के आधार पर जलग्रहण क्षेत्र का चयन किया जाए । तत्पश्चात जी.आई.एस. पद्धति से चयनित नाले को शिखर से घाटी की ओर जलग्रहण क्षेत्र को चिन्हित करते हुये विभिन्न संरचनाओं के निर्माण का चयन किया जाए । उद्देश्य है कि वन क्षेत्रों में कराए जाने वाले भू-जल संरक्षण कार्यों से वनों में मिट्टी के कटाव में कमी हो । वनक्षेत्रों में भू-जल स्तर में वृद्धि होने के कारण वनों के पुनरोत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ वन्यप्राणियों हेतु वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध रहे । मानक संचालन प्रक्रिया यह है कि चयनित ग्राम पंचायतों में जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण सहभागी समीक्षा (पी.आर.ए.) के आयोजन से भू-जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत विभिन्न जल संरचनाओं का चयन किया जाता है। आधारभूत सर्वेक्षण/बैचमार्क का निर्धारण एवं ग्रामों के चयन उपरांत चयनित नालों का बेसलाईन सर्वे किया जाता है, जिसमें सभी बिंदुओं को शामिल किया जाकर कार्य पूर्ण होने के उपरांत परिणामों का मापन किया जाता है। भू-जल संरक्षण विकास कार्य हेतु चयनित प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार किया जाता है। निर्माण हेतु चयनित कार्य स्थल में शिखर से घाटी के जलग्रहण क्षेत्र में भूमि क्षमता श्रेणीकरण के आधार पर भू-जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कराया जाता है। वन क्षेत्रों में निर्मित किये जाने वाले संरचनाओं का वित्तीय पोषण वन विभाग के विभागीय एवं कैम्पा मद से किया जाता है । जितनी भी संरचनाएं निर्मित की जाती है, उनका आगामी वर्षों में उपयोग एवं रखरखाव हेतु भी किया जाता है। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के कार्यों हेतु जी.आई.एस. तकनीकी का उपयोग किया जाता है।**(ख)** विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वन मंडल को इस मद में आवंटित की गई राशि तथा उसके विरुद्ध किए गए कार्य का वनमंडलवार **विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।(ग)** भू-जल संरक्षण संरचनाओं का लेखांकन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में प्रचलित विभागीय प्रक्रिया के अनुरूप कराया जाता है। भू-जल संरक्षण संरचनाओं के परिणामों का आंकलन क्षेत्र

निरीक्षण एवं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से रिमोट सेन्सिंग द्वारा किया जाता है। यह कार्य नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेंसी हैदराबाद एवं छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में भू-जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत निर्मित किये गये संरचनाओं से वास्तविक रूप से भू-जल स्तर में वृद्धि का आंकलन नहीं कराया गया है।

परिवहन जाँच चौकियों पर ओवरलोडिंग, कर अपवंचना एवं अवैध परिवहन पर कार्यवाही

[परिवहन]

21. (*क्र. 1630) श्री संदीप साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्तमान में राज्य के कितने जाँच चौकियों पर स्वचालित तकनीकी वजन मशीन (Weigh-in-Motion System), एएनपीआर कैमरा (Automatic Number Plate Recognition), सीसीटीवी निगरानी, ई-चालान एवं ऑनलाइन भुगतान प्रणाली संचालित हैं? कृपया जिला-वार जानकारी दें ? किन-किन जाँच चौकियों पर तकनीकी वजन मशीनें स्थापित हैं तथा कितनी मशीनें विगत तीन वर्षों से अनुपयोगी / खराब पड़ी हैं? **(ख)** क्या तकनीकी वजन मशीनों के अभाव अथवा खराब होने के कारण हस्तचालित वजन प्रणाली अपनाई जा रही है? यदि हाँ, तो इससे विगत तीन वर्षों में अनुमानित राजस्व हानि कितनी हुई तथा जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** वर्तमान में कोई भी स्वचालित तकनीकी वजन मशीन (वेइट इन मोशन सिस्टम) संचालित नहीं है। परिवहन जाँच चौकियों में एएनपीआर कैमरा की जिलावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। परिवहन चौकियों में सीसीटीवी निगरानी संचालित नहीं है। ई-चालान एवं ऑनलाइन भुगतान प्रणाली संचालित है शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह" \]](#)

बीजापुर जिले में डी.एम.एफ. मद से स्वीकृत कार्य

[खनिज साधन]

22. (*क्र. 1505) श्री विक्रम मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बीजापुर जिले को वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में जिला खनिज संस्थान (डी.एम.एफ.) मद से कितनी राशि प्राप्त हुई है? कितने कार्यों में कितनी राशि खर्च की गई है? जानकारी वर्षवार देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार कौन-कौन से विभाग को कितनी राशि कितने कार्यों के लिए दी गई है? विभागवार वर्षवार जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' अनुसार बीजापुर जिले में वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 तक डी.एम.एफ. की शासी परिषद की बैठक किस-किस दिनांक को आयोजित की गई है? डी.एम.एफ. शासी परिषद के पदाधिकारी कौन-कौन हैं? उक्त बैठक में कौन-कौन पदाधिकारी उपस्थित रहे? वर्षवार विवरण देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** एवं **(ख)** की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"अ"** एवं **"ब"** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- "स" एवं "द"** अनुसार है।

सामरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विद्युत पंप कनेक्शन की संख्या

[ऊर्जा]

23. (*क्र. 829) श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** सामरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में विद्युत पंप कनेक्शनों की कुल संख्या कितनी है? **(ख)** वर्ष 2024 से जनवरी, 2026 तक कृषि कार्य हेतु सिंचाई के लिए नवीन विद्युत पंप कनेक्शन प्राप्त करने हेतु कितने कृषकों द्वारा

आवेदन (फॉर्म) भरे गए हैं एवं कितने आवेदकों द्वारा निर्धारित राशि जमा की जा चुकी है? उक्त आवेदनों पर अब तक कितने विद्युत पंप कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं? शेष आवेदकों को विद्युत पंप कनेक्शन कब तक प्रदान किए जाएंगे तथा इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) सामरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में 3097 स्थायी एवं 3925 अस्थायी, इस प्रकार कुल 7022 कृषि सिंचाई पंपों के कनेक्शन विद्यमान है। (ख) सामरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 01.01.2024 से 31.01.2026 तक अस्थायी कनेक्शन हेतु प्राप्त सभी 2182 आवेदनों पर भुगतान उपरांत कनेक्शन प्रदाय कर दिया गया है तथा स्थायी कनेक्शन हेतु प्राप्त 976 आवेदनों में से 4 आवेदन निरस्त किए गए एवं शेष 972 कनेक्शन हेतु उपभोक्ताओं के द्वारा निर्धारित राशि के भुगतान उपरांत 375 स्थायी कनेक्शन प्रदाय किये जा चुके हैं तथा शेष 597 पंप कनेक्शन के कार्य लक्ष्य में शामिल है जिन्हें शीघ्र पूर्ण किए जाने के प्रयास रहेंगे।

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जन शिकायतों की प्राप्ति एवं उनका समयबद्ध निवारण

[जन शिकायत निवारण]

24. (*क्र. 422) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित कितनी जन शिकायतें प्राप्त हुई हैं? कितनी शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है तथा कितनी शिकायतें लंबित हैं? (ख) लंबित शिकायतों के निराकरण में विलंब के क्या कारण हैं तथा इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या शासन द्वारा जन शिकायतों के समयबद्ध एवं पारदर्शी निवारण हेतु कोई ऑनलाइन/ऑफलाइन व्यवस्था (जन शिकायत पोर्टल, हेल्पलाइन आदि) लागू की गई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? (घ) भविष्य में जन शिकायतों के त्वरित निवारण सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विभागों से कुल 1042 जन शिकायतें/आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें से 1033 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है तथा 09 शिकायतें लंबित हैं। (ख) तकनीकी प्रक्रियाधीन कारणों से शिकायतें लंबित हैं। जन शिकायतों के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने एवं उसकी समीक्षा सुनिश्चित की जा रही है। (ग) जी हाँ। जन शिकायतों के समयबद्ध एवं पारदर्शी निराकरण हेतु जन शिकायत निवारण विभाग द्वारा ऑनलाइन पार्टल-जनशिकायत.सीजी.एनआईसी.इन है। (घ) भविष्य में जन शिकायतों के त्वरित निवारण सुनिश्चित करने हेतु शासन स्तर से समय-समय पर शासन के समस्त विभागों एवं जिलों में नियुक्त नोडल अधिकारियों को लोक अर्जियों के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण कर उन्हें संबंधित पोर्टल पर आनलाइन अपलोड करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

जिला कबीरधाम अंतर्गत वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण एवं वन अपराध के दर्ज प्रकरण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

25. (*क्र. 1570) श्रीमती भावना बोहरा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला-कबीरधाम अंतर्गत वन परिक्षेत्र पंडरिया के बदौरा बीट में वर्ष 2025 के दौरान संरक्षित वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण एवं पौधों को उखाड़ने की कितनी घटनाएं सामने आई हैं? (ख) उक्त मामले में अब तक कितने व्यक्तियों के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा संरक्षित वन भूमि पर हुए नुकसान का आकलन कर दोषियों से क्षतिपूर्ति वसूलने अथवा पुनः पौधरोपण कराने की कोई कार्रवाई प्रस्तावित है? (ग) क्या विभाग

द्वारा इस क्षेत्र में भविष्य में अवैध अतिक्रमण एवं वन अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कोई विशेष कार्ययोजना अथवा निगरानी व्यवस्था लागू की गई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को जिला कबीरधाम अंतर्गत हस्तान्तरित वन क्षेत्र के वन परिक्षेत्र पंडरिया के बदोरा बीट में वर्ष 2025 के दौरान संरक्षित वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण एवं पौधों को उखाड़ने की 03 घटनायें सामने आईं। (ख) उक्त मामले में 04 व्यक्तियों के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज किये हैं तथा संबंधित वन भूमि पर किये गये वृक्षारोपण में रोपित सागौन रूटशूट को उखाड़ कर नष्ट करने से हुए नुकसान का आंकलन कर दोषियों से क्षतिपूर्ति राशि रू. 1,99,190/- शासकीय कोषालय में जमा करने बाबत निर्देशित किया गया है किन्तु आरोपियों द्वारा राशि जमा करने से मना किया गया जिसके परिणाम स्वरूप चारों आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए दिनांक 10.10.2025 को माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पंडरिया के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा वन अपराध की गंभीरता को देखते हुए चारों आरोपियों को जमानत देने से इन्कार किया गया एवं जेल दाखिल आदेश किया गया। वर्तमान में उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है। (ग) विभाग द्वारा इस क्षेत्र में भविष्य में अवैध अतिक्रमण एवं वन अपराध की पुनरावृत्ति रोकने हेतु निम्नांकित व्यवस्था की गई है:-

1. वन अमले द्वारा नियमित रूप से मासिक बीट निरीक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है एवं घटित वन अपराधों पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
2. क्षेत्र में निरंतर गश्ती हेतु विशेष गश्ती दल का गठन किया गया है।
3. संवेदनशील वन क्षेत्रों में सहायक परियोजना क्षेत्रपाल, वन रक्षकों एवं सुरक्षा श्रमिकों द्वारा सतत गश्ती की जा रही है ताकि वन अपराधों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
4. समीपस्थ ग्रामवासियों की बैठक लेकर वन क्षेत्र में अतिक्रमण न करने की समझाईश दी जाती है।

भाग-2**नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर****जिला दन्तेवाड़ा के कृषि भूमि में सिंचाई का प्रतिशत**

[जल संसाधन]

1. (क्र. 61) श्री चैतराम अटामी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला दन्तेवाड़ा में कुल कृषि भूमि में से कितने प्रतिशत क्षेत्र में वर्तमान में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? शेष क्षेत्र को सिंचाई सुविधा से जोड़ने हेतु कौन-कौन सी योजनाएँ स्वीकृत हैं? **(ख)** दन्तेवाड़ा जिले में जल संसाधन विभाग की कितनी लघु, मध्यम अथवा वृहद सिंचाई परियोजनाएँ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण नहीं हो पाई हैं ? इन परियोजनाओं में देरी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर क्या कार्रवाई की गई है? **(ग)** दन्तेवाड़ा जिले में कितनी नहरें, स्टॉपडैम एवं अन्य जल संरचनाएँ वर्तमान में क्षतिग्रस्त अथवा अनुपयोगी अवस्था में हैं? इनके सुधार एवं पुनर्जीवन हेतु कब तक कार्य प्रारंभ किया जाएगा? **(घ)** दन्तेवाड़ा जिले में भू-जल स्तर में विगत पाँच वर्षों में क्या परिवर्तन दर्ज किया गया है ? जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने हेतु विभाग द्वारा क्या विशेष अभियान संचालित किए जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जिला-दन्तेवाड़ा में कुल कृषि भूमि के 8.81 प्रतिशत में सिंचाई क्षमता निर्मित है। शेष क्षेत्र में से 3021 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा से जोड़ने हेतु 04 जलाशय योजना, 02 व्यपवर्तन योजना, 02 एनीकट कुल 08 निर्माण कार्य स्वीकृत है। योजनाओं की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** दन्तेवाड़ा जिले में जल संसाधन विभाग की 07 लघु सिंचाई योजनाओं में कृषकों द्वारा भू-अर्जन का विरोध, क्षेत्र संवेदनशील होने के कारण एवं वन प्रकरण में समय लगने के कारण योजना निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं हो पाई है। उक्त कारणों से इन परियोजनाओं में देरी के लिए संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार उत्तरदायी नहीं है। **(ग)** दन्तेवाड़ा जिले के अंतर्गत अतिवृष्टि के कारण 01 योजना क्षतिग्रस्त/अनुपयोगी अवस्था में है, जिसके सुधार एवं पुनर्जीवन का कार्य प्रगतिरत है। **(घ)** दन्तेवाड़ा जिले भू-जल स्तर में विगत 05 वर्षों में अवलोकन कुपो के माध्यम से लिए गये भू-जल स्तर में औसत 0.35 मीटर तथा विगत 02 वर्षों में पीजोमीटर के माध्यम से लिए गये भू-जल स्तर में औसत 1.20 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। दन्तेवाड़ा जिले में जलशक्ति जन भागीदारी अभियान-1 के अंतर्गत 31-05-2025 तक 1347 तथा जलशक्ति जन भागीदारी अभियान-2 के अंतर्गत 01.06.2025 से 17.02.2026 तक 1203 जल संरक्षण हेतु छोटी संरचनाओं का निर्माण किया गया है एवं कार्य निरंतर जारी है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत बांध व स्टॉप डेम एवं नहर का मरम्मत

[जल संसाधन]

2. (क्र. 129) श्री फूलसिंह राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ऐसे कौन-कौन सी बांध एवं स्टॉप डेम हैं, जहां से सिंचाई के लिए नहर बनाया गया है और जिससे कृषकों के फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो रहा है ? ऐसे कितने नहर हैं, जो अनुपयोगी है ? जिसका मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है, मरम्मत कब तक करायेगे? **(ख)** क्षेत्र

में ऐसे कितने स्टॉप डेम है, जहां से सिंचाई के लिए नहर बनायी गयी है, और जो अभी तक अधूरी है ? इस हेतु इसका जिम्मेदार कौन है और क्या कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 09 बांध (जलाशय) एवं 06 व्यपवर्तन योजनाएं निर्मित हैं, जहां से सिंचाई के लिए नहर बनाया गया है और कृषकों को फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** कोई भी नहर अनुपयोगी नहीं है। (ख) क्षेत्र में 07 एनीकट/स्टॉपडेम निर्मित है, किसी भी स्टॉपडेम/एनीकट में सिंचाई के लिये नहर का प्रावधान नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह" \]](#)

प्रदेश में न्यूज चैनलों/टी.वी. चैनलों को विज्ञापन हेतु इम्पैनलमेन्ट

[जनसंपर्क]

3. (क्र. 175) डॉ. चरण दास महंत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कितने टी.वी. न्यूज चैनलों को विज्ञापन हेतु जनसम्पर्क संचालनालय /छ.ग. संवाद में इम्पैनलमेन्ट किया गया है? क्या वर्ष 2024-25 व 2025-26 में प्रादेशिक समाचार प्रसारित करने वाले राज्य के बाहर के टी.वी. न्यूज चैनल को भी भुगतान किया गया है? यदि हां तो किस-किस फर्म को कितना-कितना भुगतान किया गया है? सम्पूर्ण जानकारी बतावें? (ख) टी.वी. न्यूज चैनलों को जन सम्पर्क संचालनालय /छ.ग. संवाद में इम्पैनल करने की पूरी प्रक्रिया/नियम की जानकारी दें? क्या छ.ग. संवाद में बिना इम्पैनलमेन्ट के भी न्यूज चैनलों को विज्ञापन भुगतान किए जाने का प्रावधान है? यदि हां तो किस नियम के तहत बतावें? शासन की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हेतु विज्ञापन नीति क्या है? (ग) छ.ग. संवाद/जन सम्पर्क संचालनालय के माध्यम से प्रशंश 'क' के अनुसार जनवरी, 2024 से फरवरी, 2026 तक कितनी-कितनी राशि किस-किस न्यूज चैनल को भुगतान की गई ? न्यूज चैनल/फर्म के नाम पता एवं भुगतान राशि की जानकारी बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रदेश में 115 न्यूज चैनलों को इम्पैनलमेंट किया गया है, फर्म का नाम, पता तथा तिथि की सूची **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार** है। प्रादेशिक समाचार प्रसारित करने वाले राज्य के बाहर के टी.वी.न्यूज चैनल को भी भुगतान किया गया है। फर्म एवं भुगतान की सूची **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब अनुसार** है। (ख) टी.वी.न्यूज चैनलों को जनसम्पर्क संचालनालय/छ.ग. संवाद में इम्पैनल करने की पूरी प्रक्रिया/नियम की जानकारी विज्ञापन नियमावली 2019 के कंडिका-33 में उल्लेखित है। छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग की विज्ञापन नियमावली 2019 की कंडिका-32 एवं 33 के तहत विज्ञापन प्राप्त करने के मापदण्ड के तहत पात्रता रखने पर विज्ञापन प्रदाय किया जा सकता है।(ग)छ.ग. संवाद/जनसम्पर्क संचालनालय के माध्यम से प्रशंश "क" के अनुसार जनवरी 2024 से फरवरी 2026 तक न्यूज चैनल/फर्मों को किए गए भुगतान एवं उनके नाम, पता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र स अनुसार** है।

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बिजली कनेक्शन, ट्रांसफार्मर स्थापना एवं लाईन विस्तार के प्रकरण

[ऊर्जा]

4. (क्र. 314) श्री ललित चंद्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बिजली कनेक्शन, ट्रांसफार्मर स्थापना एवं लाईन विस्तार (घरेलू, कृषि एवं कॉमर्शियल) के कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया है? कितने लंबित हैं? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जायेगा? विगत 03 वर्षों की ग्रामवार वर्षवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायत, नगर निगम क्षेत्रों में नई बसाहट में विद्युत आपूर्ति किस नियम के अनुसार प्रदाय किया जाता है?

कितने दिनों में विद्युत कनेक्शन दिया जाता है? (ग) प्रश्नांक 'ख' अनुसार विद्युत पोल हटाने, पोल टूटने एवं बिजली लाईन स्थानांतरित करने के कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया है? कितने लंबित हैं? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जायेगा? (घ) क्या अनु.जाति, अनु. जनजाति एवं अपिव के हितग्राहियों को घरेलू नवीन विद्युत कनेक्शन एवं पोल शिफ्टिंग के शुल्क में छूट का प्रावधान है? यदि हां, तो जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में बिजली कनेक्शन, ट्रांसफार्मर स्थापना एवं लाईन विस्तार (घरेलू, कृषि एवं कमर्शियल) के 5108 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें 4786 आवेदनों का निराकरण किया गया, 136 आवेदन निरस्त किये गये एवं 186 आवेदन लंबित है। लंबित प्रकरणों की संभावित निराकरण अवधि सहित ग्रामवार, वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार** है। (ख) ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायत, नगर निगम क्षेत्रों में नई बसाहट में विद्युत आपूर्ति माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक अयोग द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अनुसार प्रदाय किया जाता है, जिसमें विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की समय-सीमा का प्रावधान कंडिका 4.58 में उल्लेखित है, जो कि **संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है। (ग) प्रश्नांक 'ख' अनुसार विगत तीन वर्षों में विद्युत पोल हटाने, बिजली लाईन स्थानांतरित करने के कुल 9 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें 8 प्रकरणों का निराकरण किया गया। 1 प्रकरण लंबित है जिसका कार्य 31 मार्च 2026 तक पूर्ण करने के प्रयास रहेंगे। जानकारी **संलग्न प्रपत्र "द" अनुसार** है। (घ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अपिव के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सर्वे सूची 2011 में शामिल हितग्राहियों को नवीन बी.पी.एल. (घरेलू) विद्युत कनेक्शन निःशुल्क दिये जाने का प्रावधान है एवं पोल शिफ्टिंग के शुल्क में छूट का कोई प्रावधान नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह" \]](#)

केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक शाखा अमोड़ा का प्रारंभ

[सहकारिता]

5. (क्र. 369) श्री आशा राम नेताम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) ग्राम अमोड़ा विकास खंड नरहरपुर में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा में किसानों के लिए लेनदेन की सुविधा कब से प्रारंभ की जावेगी? (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा ग्राम अमोड़ा का भवन कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) ग्राम अमोड़ा विकासखण्ड नरहरपुर में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा खोलने हेतु बैंक के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति व लाईसेंस प्राप्त होने के उपरांत किसानों के लिए लेनदेन की सुविधा प्रारम्भ की जावेगी। (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा ग्राम अमोड़ा का भवन निर्माण पूर्णता के स्तर पर है। जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम निसदा अंतर्गत स्वीकृत चूना पत्थर खदानों की लीज अविध

[खनिज साधन]

6. (क्र. 404) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) ग्राम निसदा, जिला रायपुर अंतर्गत चूना पत्थर खनन हेतु चिह्नांकित व्यक्तियों/संस्था/फर्म को कब से कब तक की अवधि के लिए पर्यावरण NOC प्राप्त है? (ख) विभाग के अभिलेख अनुसार ग्राम निसदा अंतर्गत खसरा नम्बर 1334, 1338, 1340, 1342, 1344, 1345 व 1350 अंतर्गत चूना पत्थर का कितना रिजर्व अनुमानित है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) ग्राम निसदा, जिला रायपुर अंतर्गत चूना पत्थर एवं फर्शीपत्थर के खनन हेतु स्वीकृत उत्खनिपट्टों की संस्थान/फर्मवार पर्यावरण स्वीकृति की जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र-अ'** अनुसार

है। **(ख)** विभाग द्वारा खसरा नंबरवार खनिजों के भू-वैज्ञानिक रिजर्व का आंकलन नहीं किया जाता है। खसरा नंबर 1334 एवं 1350 में कोई उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है तथापि ग्राम निसदा के खसरा नम्बर 1338, 1340, 1342, 1344 व 1345 में स्वीकृत उत्खनिपट्टों के रकबा में अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार खनिज चूनापत्थर एवं फर्शीपत्थर के अनुमानित भू-वैज्ञानिक रिजर्व की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के कॉलम-06 अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "]

धार्मिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोक न्यास की भूमि पर मूरूम व चूना पत्थर खनन की अनुमति

[खनिज साधन]

7. (क्र. 406) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ में लोक न्यास की भूमि पर मूरूम व चूना पत्थर के खनन कार्य हेतु भूमि लीज व खनन अनुमति प्रदाय किए जाने के क्या नियम/प्रक्रिया हैं? लीज प्राप्त करने व खनन कार्य प्रारंभ किए जाने से पूर्व किन-किन विभागों/कार्यालयों से अनुमति/अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है? **(ख)** रायपुर जिला अंतर्गत धार्मिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए पंजीकृत लोक न्यासों में से कौन-कौन से न्यास की कितनी-कितनी भूमि पर मूरूम व चूना पत्थर के खनन तथा क्रशर प्लांट की स्थापना के लिए किन-किन व्यक्तियों/संस्था/फर्म/कंपनी को कितने वर्षों की लीज, अनुमति व अनापत्ति प्रदान की गयी है? कृपया वर्षवार व ट्रस्टवार, खसरा-रकबा की जानकारी दें? **(ग)** किन-किन स्थानों पर किन-किन व्यक्तियों/संस्था/फर्म/कंपनी द्वारा, लोक न्यास की भूमि पर, बिना विधिवत लीज, अनुमति व अनापत्ति के मूरूम व चूना पत्थर का खनन कार्य किया जा रहा है तथा क्रशर प्लांट स्थापित किया गया है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** किसी भी प्रकार की भूमि पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में गौण खनिज चूनापत्थर का उत्खनिपट्टा/मूरूम परिवहन की अनुमति दिया जाना प्रावधानित है। उत्खनिपट्टा स्वीकृति व खनन कार्य प्रारंभ किए जाने हेतु राजस्व/पर्यावरण विभाग तथा आवेदित क्षेत्र वन भूमि होने की दशा में वन विभाग से जांच प्रतिवेदन/अनापत्ति प्राप्त किया जाता है। **(ख)** रायपुर जिला अंतर्गत धार्मिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए पंजीकृत लोक न्यासों की किसी भूमि पर मूरूम परिवहन की अनुमति प्रदाय नहीं की गई है। तथापि गौण खनिज चूनापत्थर के 02 उत्खनिपट्टा स्वीकृत है जिसकी विस्तृत जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है। पंजीकृत लोक न्यासों की भूमि पर क्रशर प्लांट की स्थापना की अनुज्ञा प्रदान नहीं किया गया है। **(ग)** लोक न्यास की भूमि पर बिना विधिवत अनुमति/अनापत्ति के मूरूम व गौण खनिज चूनापत्थर कोई खनन हेतु अनुमति प्रदान नहीं किया जा रहा है और न ही क्रशर प्लांट स्थापित किया गया है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

गौण खनिज के रॉयल्टी क्लियरेंस के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

8. (क्र. 687) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत 03 वर्षों में कांकेर, भानुप्रतापपुर पूर्व एवं पश्चिम, केशकाल एवं कोंडागांव वन मण्डल में कराए गए निर्माण कार्य में गौण खनिज के रॉयल्टी क्लियरेंस के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? वन मण्डल अनुसार शिकायतकर्ता की जानकारी सहित शिकायतों का विवरण एवं निराकरण की जानकारी प्रदान करेंगे। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त शिकायतों में उक्त वन मंडलों में गौण खनिज में कितनी राशि की रॉयल्टी जमा करनी थी एवं कितनी राशि की रॉयल्टी जमा की गई है ? **(ग)** क्या उक्त अवधि में डीएफओ द्वारा बिना रॉयल्टी क्लियरेंस लिए ठेकेदार को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है, अगर हां तो किस आधार पर इसके कारण

शासन को कितनी क्षति हुई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? (घ) क्या इन शिकायतों में कितने डीएफओ स्तर के अधिकारी की शिकायत की गई है कहां-कहां के डीएफओ की और इस पर क्या जांच की गई है? अगर जांच लंबित है तो क्यों लंबित है कब तक पूरी कर ली जाएगी ? अगर जांच पूरी कर ली और किसे दोषी पाया गया है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) विगत 03 वर्षों में कांकेर, केशकाल एवं कोंडागांव वनमंडल में गौण खनिज के रॉयल्टी क्लियरेंस के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पूर्व भानुप्रतापपुर, एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल में कराए गए निर्माण कार्य में गौण खनिज के रॉयल्टी क्लियरेंस के संबंध में 03 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 2023-24 में पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल में प्राप्त शिकायत को मुख्य वन संरक्षक, (सतर्कता/शिकायत) के पत्र क्रमांक 1334 दिनांक 21.03.2025 द्वारा नस्तीबद्ध किया गया है तथा 2024-25 में प्राप्त 02 शिकायतें (पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल की 01 एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर की 01) प्रक्रियाधीन है। प्राप्त शिकायतों एवं निराकरण का **विवरण संलग्न "प्रपत्र-अ" में दर्शित है।** (ख) प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त शिकायतों में गौण खनिज के देय रॉयल्टी एवं जमा रॉयल्टी राशि का **विवरण संलग्न "प्रपत्र-ब" में दर्शित है।** (ग) **विस्तृत विवरण संलग्न "प्रपत्र-स" में दर्शित है।** ठेकेदारों को रॉयल्टी क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु वनमंडलाधिकारियों के द्वारा पत्राचार किया जा रहा है। प्रश्नांकित अवधि में शासन को शेष देय रॉयल्टी की राशि रूपये 66.85 लाख है, जिसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है। (घ) शिकायतों में 02 डी.एफ.ओ. स्तर के अधिकारी (वनमंडलाधिकारी-पूर्व भानुप्रतापपुर एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर) शामिल हैं। इन शिकायतों पर की गई जांच की कार्यवाही एवं पूर्ण **विवरण संलग्न "प्रपत्र-अ" में दर्शित है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

राष्ट्रीय राजमार्ग भारत माला परियोजना अंतर्गत भू अर्जन में प्राप्त शिकायतों की जांच

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

9. (क्र. 688) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) राजस्व एवं आपदा प्रबंधन-राष्ट्रीय राजमार्ग भारत माला परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित सड़क छत्तीसगढ़ के भू अर्जन की कार्यवाही के संबंध में विगत एक वर्षों में क्या शासन द्वारा जिलों से जांच करवाई गई है? अगर हां तो किन-किन बिंदुओं पर जांच कराई गई है ? क्या किसी जिले में इन बिंदुओं पर जांच प्रतिवेदन में भ्रष्टाचार या अनियमितता पाई गई है ? अगर हां तो इस पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर क्या कार्रवाही की गई है ? अगर कार्रवाही लंबित है तो किस स्तर पर और क्यों लंबित है ? (ख) क्या रायपुर जिले के भारतमाला परियोजना के भू अर्जन में किए गए जांच में कोई ऐसे अधिकारी या कर्मचारी शामिल थे जो अन्य जिले के भारतमाला संबंधी भू अर्जन में हुए अनियमितता या भ्रष्टाचार के समय पदस्थ थे ? अगर हां तो किस आधार पर उन्हें जांच समिति में रखा गया ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जी हां, संभागायुक्तों से जांच कराई गई है। जांच के बिन्दु निम्नानुसार है:- (1) मूल खसरे को केवल अधिक मुआवजा प्राप्त करने के प्रयोजनों से छोटा-छोटा भूखण्डों में विभाजित कर मुआवजा प्रकरण तैयार किया जाना। (2) भू-अर्जन हेतु आशय पत्र प्राप्ति दिनांक के उपरांत मूल भूमि के हस्तांतरण, बंटवारा, व्यपवर्तन, नवीन निर्माण, इत्यादि मुआवजा हेतु सम्मिलित किया जाना। (3) अधिक मुआवजा प्राप्त करने हेतु पूर्व दिनांक से फर्जी नामांतरण, बंटवारा प्रकरण तैयार कर मुआवजा स्वीकृत किया जाना। (4) मुआवजा पत्रक तैयार करते समय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का सही विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाना। (5) अन्य किसी भी बिन्दु जिन पर जांच आवश्यक समझी जाए। उपरोक्त बिन्दुओं पर कराई गई जांच में पाए गये अनियमितता की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। इससे संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों पर

ई.ओ.डब्ल्यू में अपराध क्रमांक 30/2025 धारा-7 (सी), 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, (यथा संशोधित) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 एवं 220, 467, 468, 471, 409, 120बी भा.द.वि. पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।विस्तृत जानकारी **संलग्न प्रपत्र - अ एवं प्रपत्र - ब** में है। **(ख)** जी नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टारह"]

पेसा कानून में गौण वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभा को प्रदाय

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

10. (क्र. 779) श्री जनक ध्रुव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह सत्य है पेसा कानून, 1996 से असंगत कानून अगर 1997 तक नहीं सुधारे गए थे तो वह उसके बाद से समाप्त माने गए हैं? अगर हाँ, तो पेसा कानून में गौण वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभा को दिए जाने के बाद क्या छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964, जिसके माध्यम से तेंदूपत्ता को राष्ट्रीयकृत वनोपज घोषित किया गया है, अब निरस्त माना जाएगा? इस कानून को कब तक निरस्त कर लिया जाएगा?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : जी हाँ। भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 1996 को अधिसूचित पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 5 में उल्लेख है कि - "इस अधिनियम द्वारा किये गये अपवादों और उपांतरणों सहित संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुये भी, उस तारीख के ठीक पूर्व, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो ऐसे अपवादों और उपांतरणों सहित भाग 9 के उपबंधों से असंगत है, जब तक किसी सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरस्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है तब तक प्रवृत्त बना रहेगा।" वन अधिकार अधिनियम तथा पेसा अधिनियम के अनुरूप लघु वनोपज के व्यापार एवं विकास को समरूप बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आदेश दिनांक 19.11.2025 द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।उक्त समिति को छत्तीसगढ़ तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 तथा छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित करने हेतु दायित्व दिया गया है। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण किया जाकर कार्रवाई की जायेगी।

राज्य में जारी रिक्त पदों पर पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर का पालन

[सामान्य प्रशासन]

11. (क्र. 971) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विभिन्न शासकीय विभागों में जारी पदोन्नति की प्रक्रिया में क्या आरक्षण रोस्टर का पालन किया जा रहा है? यदि हाँ तो कृपया जानकारी देंगे । **(ख)** यदि नहीं तो इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है और इसे कब तक लागू किया जाएगा ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(ख)** पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किये जाने के विरुद्ध मान. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांकWP(PIL) 91/2019एवं WP(S) No. 9778/2019 में पारित **अंतिम निर्णय दिनांक 16.04.2024** के विरुद्ध **छ.ग. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रिजर्व केटेगरी ऑफिसर्स एम्प्लाय एसोसिएशन छत्तीसगढ़** द्वारा मान. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में **SLP (Civil) Diary No. 5555/2025** दायर की गई है, जो मान. उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली में विचाराधीन होने के कारण, पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

खनन की सीमा के साथ क्षेत्रफल बढ़ाए जाने का आदेश

[खनिज साधन]

12. (क्र. 974) श्री देवेन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जिला कांकेर अंतर्गत आरी डोंगरी लौह अयस्क खदान जिसकी क्षेत्रफल सीमा 138 हेक्टेयर है, क्या उसमें खनन की तय सीमा बढ़ाने के साथ क्षेत्रफल बढ़ाए जाने का आदेश दिया गया है? जानकारी दीजिए। **(ख)** क्या प्रश्न **(क)** अनुसार विस्तार हेतु केन्द्र को प्रस्ताव भेजा गया है? यदि हां, तो क्षेत्रफल बढ़ाए जाने के क्या नियम है? **(ग)** प्रश्न **(ख)** अनुसार क्षेत्रफल का विस्तार किस नियम के अंतर्गत किया गया है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जिला कांकेर अंतर्गत ग्राम कच्चे-आरीडोंगरी में मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड को रकबा 138.968 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृत है जिसमें पर्यावरण विभाग द्वारा 2.35 मिलियन टन/प्रतिवर्ष से 6.0 मिलियन टन/प्रतिवर्ष खनन हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी किया गया है। खनन हेतु क्षेत्रफल को बढ़ाये जाने का आदेश नहीं दिया गया है अपितु वैज्ञानिक पद्धति से वेस्ट मटेरियल डम्प किये जाने हेतु खनिपट्टा क्षेत्र से लगकर स्थित गैर-खनिजयुक्त 74.05 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को खनिपट्टा में शामिल करने हेतु खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 21.03.2025 द्वारा सशर्त आशय पत्र (Letter of Intent) जारी किया गया है। **(ख)** जी हाँ। खनिपट्टा क्षेत्र से लगकर स्थित गैर-खनिजयुक्त क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति से वेस्ट मटेरियल डम्प संबंधी उपयोग हेतु खनिज साधन विभाग के पत्र दिनांक 14.08.2024 द्वारा भारत सरकार, खान मंत्रालय को खनिपट्टा में शामिल करने के संबंध में मार्गदर्शन हेतु लेख किया गया है जिस पर भारत सरकार, खान मंत्रालय के द्वारा पत्र दिनांक 28.11.2024 के माध्यम से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-3(कग), 6(1)**(ग)** सहपठित खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम-57, एवं खान अधिनियम 1952 की धारा 2(1)(ज) में विहित प्रावधानों के तहत खनिज विकास के हित में गैर-खनिजयुक्त क्षेत्र को खनिपट्टा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु राज्य शासन की अधिकारिता संबंधी स्पष्टीकरण जारी किया गया है। **(ग)** जानकारी प्रश्नांश **(ख)** अनुसार है।

वन विकास निगम के अंतर्गत स्वीकृत कार्य एवं व्यय राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

13. (क्र. 995) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन मंडल कटघोरा से कुल कितने हेक्टेयर भूमि को वन विकास निगम को किस-किस प्रयोजन हेतु अधिकृत किया गया है, प्रयोजन का निर्धारित मापदंड क्या है? वर्ष 2022-23 से 30 जनवरी 2026 तक वन विकास निगम के अधिनस्थ भूमि का किये जा रहे उपयोग अंतर्गत किन-किन कार्यों के लिए कितनी कितनी राशि प्राप्त हुई है? परिक्षेत्र का नाम कक्ष क्रमांक/कम्पार्टमेंट सहित जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार क्या उक्त अवधि में वन विकास निगम के तहत निर्धारित मापदंड के विपरीत कोई कार्य करते पाया गया है? इस अवधि में किसी प्रकार का निरीक्षण किया गया? निरीक्षण दरम्यान क्या क्या विसंगतियाँ पाई गईं और क्या कार्यवाही की गयी?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन मण्डल कटघोरा से कुल 2762.298 हेक्टेयर वन भूमि वन विकास निगम के परियोजना मण्डल कोटा बिलासपुर को उच्च श्रेणी के

बहुमूल्य एवं बहुउद्देश्यीय प्रयोग वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण करके वनों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु हस्तान्तरित किया गया है। हस्तान्तरित वन क्षेत्रों में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृत कार्यआयोजना के प्रावधानों/ मापदण्डों के अनुसार कार्य कराया जाता है। वर्ष 2022-23 से जनवरी 2026 तक किये गये कार्यों की जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-अ एवं ब" में दर्शित है**। मुनारा निर्माण के लिये राशि कैम्पा मद से प्राप्त हुई थी। शेष राशि का व्यय निगम मद से किया गया है। **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार उक्त अवधि में वन विकास निगम के तहत निर्धारित मापदण्ड के विपरीत कोई कार्य करते हुए नहीं पाया गया है। इस अवधि में क्षेत्रीय महाप्रबंधक, मण्डल प्रबंधक, उप मण्डल प्रबंधक एवं परियोजना परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा वन भ्रमण कर निरीक्षण किया गया है तथा निरीक्षण दरम्यान किसी प्रकार की विसंगतियां नहीं पायी गई है। अतः कार्यवाही नहीं की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उत्रीस" \]](#)

प्रदेश मे शोधपीठ के संचालन के नियम/निर्देश एवं प्राप्त अनुदान

[उच्च शिक्षा]

14. (क्र. 1039) श्री अजय चंद्राकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 31 जनवरी, 2026 की स्थिति में प्रदेश के कौन-कौन से राजकीय विश्वविद्यालयों में शोधपीठ संचालित हैं? इन शोधपीठ के संचालन के नियम/निर्देश क्या हैं ? शोधपीठ के संचालन के लिए शासन/विश्वविद्यालय द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? इन शोधपीठों में अध्यक्ष कौन-कौन है और किस शोधपीठ में कब से अध्यक्ष के पद रिक्त हैं? इन शोधपीठों के लिए अध्यक्षों/सदस्यों के लिए क्या शैक्षणिक योग्यतायें निर्धारित की गई हैं व इन्हें क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं तथा इसके अंतर्गत सेटअप के अनुसार कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं उसमें कितने भरे/रिक्त हैं? इन शोधपीठों में विगत 02 वर्षों में कितने कार्यक्रम /गतिविधियां की गई, वर्षवार बतायें? **(ख)** विगत 2 वर्षों में कितने विषयों में शोध किये गये तथा कितने सेमिनार, किस-किस शोधपीठ द्वारा कराये गये ? जानकारी वर्षवार बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** (i) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.) (ii) कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.) (iii) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)। जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-‘अ’, प्रपत्र-‘ब’, प्रपत्र-‘स’, प्रपत्र-‘द’, प्रपत्र ‘इ’ एवं प्रपत्र ‘फ’** अनुसार है। जानकारी निरंक है। **(ख)** जानकारी निरंक है।

गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव को आवंटित भूमि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

15. (क्र. 1056) श्री अजय चंद्राकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मालवीय नगर दुर्ग (जिला-दुर्ग) अंतर्गत संस्था, दुर्ग जिला गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव को कितने वर्षों के लिये, कितना भू-खंड, किस दर (भू-भाटक एवं प्रब्याजी) पर सरकार द्वारा किस वर्ष में दी गयी? **(ख)** उक्त आवंटित भूमि का नवीनीकरण कितनी अवधि के दौरान कराया जाना था और कब-कब, नवीनीकरण कराया गया? कितनी राशि का भुगतान शासन को किया गया? उक्त सहकारी समिति द्वारा किन-किन वर्षों की कितनी भू-भाटक अदायगी शेष है और उसकी कितनी प्रब्याजी राशि बकाया है? **(ग)** क्या प्रश्नांक **(क)** उक्त समिति के विरूद्ध शिकायत शासन को शिकायत प्राप्त हुयी है? यदि हां तो शिकायत के विषय क्या हैं? उसकी जांच किनके द्वारा कब की गयी और क्या जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हुई? यदि दोषी पाया गया तो किन-किन दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही अब तक की गयी?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) दुर्ग जिला गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित राजनांदगांव को दुर्ग नग नगर स्थित भूमि रकबा 4.74 एकड़ भूमि को प्रीमियम 83,570.00 रु. एवं वार्षिक भू-भाटक 4179.00 रु. पर 30 वर्षों के लिये राज्य शासन द्वारा वर्ष 1990 में आबंटन की स्वीकृति दी गई थी। उक्त भूमि का संस्था को अग्रिम आधिपत्य आयुक्त रायपुर संभाग के आदेश दिनांक 28/01/1961 के अनुसार दिया गया था। तदनुसार प्रब्याजी एवं भू-भाटक वर्ष 1961-62 से (ब्याज सहित) देय था। (ख) शासन के स्वीकृति आदेश एवं निष्पादित पट्टा के परिप्रेक्ष्य में पट्टे की भूमि का नवीनीकरण 30 वर्ष पश्चात् किया जाना था। राज्य शासन के आदेश दिनांक 20/06/2022 के अनुसार संस्था का आबंटित भूमि का पट्टा नवीनीकरण 31 मार्च 2051 तक की अवधि हेतु किया गया है। समिति द्वारा पट्टा निष्पादन के समय पूर्व की बकाया राशि सहित कुल राशि- 50,88,868.00रु. राजकोष में चालान के माध्यम से जमा किया गया। वर्तमान में उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा प्रब्याजी एवं भू-भाटक की कोई भी राशि भुगतान हेतु शेष नहीं है। शेष जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) जी हां। राज्य शासन को उक्त समिति द्वारा शासकीय नजूल भूमि पर अवैध निर्माण करने, शासन को राजस्व की क्षति पहुँचाने तथा समिति द्वारा अवैध रूप से भूमि विक्रय किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उपरोक्त शिकायत के संबंध में जांच हेतु अपर कलेक्टर दुर्ग की अध्यक्षता में जांच समिति दिनांक 25.10.2024 को गठित की गई है। जाँच प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बीस"]

अर्जुनी वन मंडल (सोनाखान) में हाथियों द्वारा जन-हानि एवं फसल क्षति

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

16. (क्र. 1083) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या विगत 6 महीनों में अर्जुनी वन मंडल के सोनाखान क्षेत्र में हाथियों के दल द्वारा लगातार फसलों और घरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है? (ख) उक्त अवधि में कुल कितने किसानों की फसल बर्बाद हुई है और कितने ग्रामीणों के घर तोड़े गए हैं? ग्रामवार सूची दें। (ग) प्रभावित ग्रामीणों को अब तक कितनी मुआवजा राशि वितरित की गई है और कितने प्रकरण वर्तमान में लंबित हैं? (घ) हाथियों को रिहायशी इलाकों से दूर रखने के लिए विभाग द्वारा 'गजराज प्रोजेक्ट' जैसी क्या ठोस कार्रवाई की जा रही है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बलौदाबाजार वनमण्डल के अंतर्गत अर्जुनी एवं सोनाखान वन परिक्षेत्र में प्रश्रावधि में हाथियों के दल द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है तथा मकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है।(ख) प्रश्रावधि में अर्जुनी एवं सोनाखान वन परिक्षेत्र में कुल 15 कृषकों की फसल क्षति हुई है एवं किसी भी ग्रामीण की मकान क्षति नहीं हुई है। फसल क्षति की ग्रामवार सूची संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है।(ग) फसल क्षति के प्रकरणों में प्रभावित ग्रामीणों को कुल राशि रूपये 1,27,170/- का मुआवजा वितरित किया गया है। वर्तमान में मुआवजा भुगतान हेतु कोई प्रकरण लंबित नहीं है।(घ) हाथियों को रिहायशी इलाकों से दूर रखने के लिए विभाग द्वारा प्रोजेक्ट एलीफेंट योजना, हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास योजनायें चलायी जा रही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नए ट्रासफार्मर/सब स्टेशन की क्षमता का विस्तार

[ऊर्जा]

17. (क्र. 1105) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 31.01.2026 तक कितने नए अतिरिक्त ट्रासफार्मर स्थापना अतिरिक्त पोल, सब स्टेशनों का क्षमता विस्तार एवं विद्युत उप केंद्र स्वीकृत हुए हैं? इनमें से कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण व निरस्त हुए हैं? अपूर्ण के कारण क्या हैं? विवरण दें। (ख) प्रश्न (क) अनुसार उक्त अवधि तक

कितने ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं? खराब ट्रांसफार्मर के विरुद्ध कितने ट्रांसफार्मर बदल कर नये स्थापित किये गये हैं? कितने कि.मी.क्षतिग्रस्त तारों को बदल कर नये तार लगाए गये हैं तथा कितने क्षतिग्रस्त तारों के बदले नया तार लगाया जाना शेष है एवं कब तक किए जावेंगे समयावधि बतावें। विद्युत उपकेन्द्रों के अंतर्गत कितने ग्रामों में कितने नये ट्रांसफार्मर स्थापना की आवश्यकता एवं मांग प्राप्त हुई? विवरण देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 31.01.2026 तक नये अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापना के 41 कार्य, 960 नये अतिरिक्त पोल, 4 सब स्टेशन क्षमता विस्तार एवं 2 नये विद्युत उपकेन्द्र के कार्य स्वीकृत हुए हैं। जिनमें अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापना के 29 कार्य, अतिरिक्त पोल के 485, सब स्टेशन क्षमता विस्तार के 2 कार्य एवं नये विद्युत उपकेन्द्र के 2 कार्य पूर्ण हुए हैं। अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापना के 11 कार्य, अतिरिक्त पोल के 475 कार्य एवं सब स्टेशन क्षमता विस्तार के 2 कार्य अपूर्ण हैं, सभी अपूर्ण कार्य दिसम्बर 2026 तक पूर्ण किये जाने के प्रयास है। स्वीकृत कार्यों में से निरस्त की जानकारी निरंक है। **(ख)** मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 31.01.2026 तक 1089 ट्रांसफार्मर खराब हुए, सभी खराब ट्रांसफार्मरों को बदल दिया गया है, 64.67 किलोमीटर क्षतिग्रस्त तारों को बदलकर नये केबल तार लगायी गई है, क्षतिग्रस्त तारों के बदले जाने हेतु शेष कार्यों की जानकारी निरंक है। उत्तरांश **(क)** में से 40 ग्रामों में नये ट्रांसफार्मर स्थापना की आवश्यकता/मांग प्राप्त हुई। जिनमें से 29 ग्रामों में नये ट्रांसफार्मर स्थापित करने का कार्य पूर्ण किया है। शेष 11 ग्रामों में नये ट्रांसफार्मर स्थापना का कार्य प्रगतिरत है। जिन्हें दिसम्बर 2026 तक किये जाने के प्रयास है। विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है।

पूर्व सैनिकों को जिला बिलासपुर में आबंटित शासकीय भूमि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

18. (क्र. 1151) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** भारतीय सेना से कितने वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात पूर्व सैनिक को शासकीय भूमि आबंटन की पात्रता होती है? पूर्व सैनिक को भूमि प्राप्त करने हेतु क्या-क्या पात्रता होनी चाहिए? **(ख)** बिलासपुर जिले में 16/02/2026 तक कितने पूर्व सैनिकों को भूमि का आबंटन प्राप्त हुआ है? **(ग)** प्रश्नांक "ख" के उत्तर में पूर्व सैनिक का नाम, पदस्थ सेवा का नाम, पूर्ण की गई सेवा अवधि का विवरण एवं आबंटित शासकीय भूमि का रकबा, ग्राम एवं तहसील का विवरण क्या है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 2242-16-41-79-सात-2-शाखा-2 दिनांक 07-11-1979 यथा संशोधित परिपत्र क्रमांक 1590-353-83- सात-शाखा-2 भोपाल दिनांक 09-08-1983 तथा संशोधित परिपत्र क्रमांक 16-14-सात-2 ए-86 भोपाल दिनांक 20-10-1989 के अनुसार पात्रता अनुरूप भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय भूमि आबंटन की कार्यवाही की गयी है। वर्तमान में राजस्व पुस्तक परिपत्र में सुरक्षा सेवा से निवृत्त तथा भूतपूर्व सैनिकों को दुकान आबंटित करने का व युद्ध में मृत सैनिक परिवारों और विकलांग सैनिकों को आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि आबंटन में रियायत के प्रावधान हैं। **(ख)** बिलासपुर जिला के अंतर्गत दिनांक 16.02.2026 तक कुल 28 भूतपूर्व सैनिक को भूमि आबंटन हुआ है। जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	अनुविभाग का नाम	कुल आबंटन
1	बिल्हा	06
2	बिलासपुर	07
3	तखतपुर	03

4	कोटा	01
5	मस्तुरी	11
योग		28

(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]

वनमण्डल के शहरी/ग्रामीण वनभूमि पर अवैध कटाई/अवैध कब्जा

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

19. (क्र. 1153) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2023 से 31.01.2026 तक वनमण्डल राजनांदगांव व केसीजी में मेरे विधानसभा क्षेत्र डोंगरगढ़ में शहरी / ग्रामीण में वन परिक्षेत्रवार कितने हेक्टेयर वनभूमि पर पेड़ों की अवैध कटाई कर, कितने हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध प्लाटिंग / कब्जा व अवैध सड़कों का निर्माण किया गया है? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) क्या उक्त अवधि में वनभूमि पर अवैध कब्जा किए जाने के शिकायत प्राप्त हुई तो कोई प्रकरण बना है? यदि बना है, तो कब से किनके द्वारा कितने हेक्टेयर वनभूमि पर कब्जा किया गया है? इसमें उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार, विकासखण्डवार, ग्रामवार, शहरी वार्डवार जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) दुर्ग वृत्त के राजनांदगांव एवं खैरागढ़ (केसीजी) वनमंडल अंतर्गत वर्ष 2023 से 31.01.2026 तक विधानसभा क्षेत्र डोंगरगढ़ में शहरी/ग्रामीण में वनभूमि पर पेड़ों की अवैध कटाई कर वनक्षेत्रों की भूमि पर अवैध प्लाटिंग/कब्जा व अवैध सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है। (ख) राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत उक्त अवधि में वनभूमि पर वर्ष 2025 में अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में 03 शिकायत प्राप्त हुई है, किन्तु 02 शिकायतें निराधार होने के कारण कोई प्रकरण नहीं बना है तथा 01 प्रकरण को नस्तीबद्ध किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित किया गया है एवं खैरागढ़ वनमंडल के खैरागढ़ परिक्षेत्र अंतर्गत वनभूमि पर अवैध कब्जा किये जाने संबंधी 01 शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी जाँच हेतु परिक्षेत्र अधिकारी खैरागढ़ को निर्देशित किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार अतिक्रमक श्री अमृतलाल वर्मा, निवासी ग्राम-सांकरा द्वारा उनकी निजी भूमि से लगी लगभग 02 डिसमिल वनभूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया जाना पाया गया। संबंधित को आवश्यक समझाईश देकर वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। विवरण वर्षवार, विकासखण्डवार, ग्रामवार, शहरी वार्डवार **जानकारी संलग्न 'प्रपत्र' में दर्शित है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"]

जिला महासमुंद के विकासखंड बसना अंतर्गत ग्राम पंचायत खेमड़ा के भूमि को बेचने की शिकायत

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

20. (क्र. 1161) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या जिला महासमुंद विकासखंड बसना अंतर्गत ग्राम पंचायत खेमड़ा के शासकीय भूमि, कोटवारी भूमि, व झाकर भूमि को बेचने व पटवारी द्वारा अपने परिवार के नाम पर दर्ज करने की शिकायत प्राप्त हुई है? (ख) अगर हाँ, तो सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी के ऊपर क्या कार्यवाही की गई है, अगर नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जी नहीं । (ख) प्रश्नांस "क" के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

जिला महासमुंद अंतर्गत विकासखंड बसना के बस स्टैंड के पास लीज पर दी गई जमीन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

21. (क्र. 1163) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला महासमुंद अंतर्गत विकासखंड बसना के बस स्टैंड बसना के पास खसरा नंबर 125/4 रकबा 10332 वर्ग फिट जमीन शासन द्वारा किसे और कब कितने वर्षों की लीज पर दी गई थी? **(ख)** क्या उक्त जमीन को बेचने की अनुमति शासन द्वारा लेकर बेची गई है, अगर हाँ, तो कब, व किस नियम के तहत अनुमति दी गई है? **(ग)** क्या उक्त जमीन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है, अगर हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है, अगर नहीं तो क्यों? कारण सहित बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :**(क)** जिला महासमुंद अंतर्गत विकासखण्ड बसना के नगर बसना के बस स्टैण्ड के समीप की भूमि ख.नं. 125/4 का टुकड़ा रकबा 10332 वर्गफीट (0.0960 हे.) भूमि मेनोनाईट कलिसिया चर्च जगदीशपुर तहसील बसना के नाम पर राजस्व अभिलेखों में क्रय के आधार पर पूर्व से भूमिस्वामी हक में दर्ज रहा है। ख.नं. 125/4/ग/5 रकबा 1386 वर्गफीट भूमि मेनोनाईट कलिसिया चर्च को मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्र. 3656/82/सात/सा(बो) भोपाल, दिनांक 31.03.1983 के अनुसार 30 वर्षों हेतु स्थायी लीज पर प्रदाय की गई है। **(ख)** जी नहीं। प्रश्नाधीन भूमि ख.नं. 125/4 का टुकड़ा रकबा 10332 वर्गफीट (0.0960 हे.) राजस्व अभिलेखों में परिवर्तित भूमि दर्ज है। उक्त भूमि के क्रय-विक्रय हेतु शासन/कलेक्टर से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। **(ग)** जी नहीं। प्रश्नाधीन भूमि नं. 125/4 रकबा 10332 वर्गफीट (0.0960 हे.) परिवर्तित भूमि के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।

बजट में शामिल अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यों की अद्यतन स्थिति

[जल संसाधन]

22. (क्र. 1200) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जल संसाधन विभाग द्वारा बजट वर्ष 2024-25 व 2025-26 में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से कार्यों को शामिल किया गया था? उक्त कार्यों की वर्तमान अद्यतन स्थिति क्या है? वर्षवार, कार्यवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अवधि में शामिल कार्यों की पूर्णता पश्चात् किन-किन गावों के कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा? कार्यवार जानकारी प्रदान करें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जल संसाधन विभाग द्वारा बजट वर्ष 2024-25 व 2025-26 में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में शामिल किये गये कार्यों, उनकी वर्तमान अद्यतन स्थिति की वर्षवार, कार्यवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अवधि में शामिल कार्यों की पूर्णता पश्चात् किन-किन गावों में कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा की कार्यवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस" \]](#)

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत/रिक्त पद

[उच्च शिक्षा]

23. (क्र. 1202) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश में संचालित शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी, एवं सहायक ग्रेड-1 के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पद भरे हुए एवं कितने पद रिक्त हैं? जानकारी दें? **(ख)** रिक्त पदों पर भर्ती की क्या कार्य योजना हैं? कब तक भर्ती पूर्ण कर ली

जावेगी? जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रदेश में विगत दो वर्षों में कितने नवीन महाविद्यालय की स्थापना की गई है? जांजगीर-चाम्पा जिले में कहां-कहां नवीन महाविद्यालय स्थापना प्रस्तावित हैं? जानकारी प्रदान करें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :(क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) प्राध्यापक के 595 पद तथा सहायक प्राध्यापक के 15 विषयों हेतु 625 पद, ग्रंथपाल 50 पद एवं क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) विगत दो वर्षों में 08 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। जांजगीर चांपा जिला में सलखन, बोडसरा एवं पहरिया में नवीन महाविद्यालय स्थापना प्रस्तावित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]

रीवैड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत कृत कार्य

[ऊर्जा]

24. (क्र. 1214) श्री दलेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कवर्धा जिला के वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक रीवैड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत जिले में 31.01.2025 तक कितने कार्यों का लक्ष्य निर्धारित है एवं उक्त योजना की लागत क्या है? लक्ष्य के अनुरूप कितने प्रतिशत कार्य कब-कब पूर्ण किये जाने थे एवं योजना में घटकवार कौन-कौन से कार्यों को समय में पूर्ण किया गया है एवं समय में पूर्ण नहीं होने का क्या कारण है? समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने वाले किन-किन फर्म/ठेकेदारों पर क्या कार्यवाही की गयी है? घटकवार एवं एजेंसियों को किये गये भुगतान एवं पेनाल्टी की वर्षवार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक रीवैड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत कवर्धा जिले में किये जाने वाले कार्यों हेतु दिनांक 31.01.2025 तक पृथक लक्ष्य निर्धारित नहीं था, अपितु योजना में कवर्धा जिले के लिए समाहित सभी कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य दिनांक 20.07.2025 निर्धारित था। कवर्धा जिले हेतु उक्त योजना की कुल लागत रूपये 376.10 करोड़ है। समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने वाले एजेंसी मेसर्स केबकॉन इंडिया लिमिटेड, कोलकाता से निविदा की शर्तों के अनुरूप पेनाल्टी काटी गई है। घटकवार पूर्ण कार्य व शेष कार्य की जानकारी **संलग्न प्रपत्र- "अ"** एवं एजेंसी को किये गए भुगतान एवं पेनाल्टी की वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र- "ब"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

सागौन काष्ठ का चिरान एवं उपयोग करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

25. (क्र. 1215) श्री दलेश्वर साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या दुर्ग वनमंडल क्षेत्रांतर्गत डौडी परिक्षेत्र के बिटेझर बीट/सिवनी/पुसडवाडा में काष्ठगार परिसर में बिना हेमरिंग/आवश्यक दस्तावेज एवं बिना अनुमति के सागौन काष्ठ का चिरान एवं उपयोग करने के संबंध में कोई शिकायत पर जांच की जा रही है? यदि हाँ तो जांच में क्या पाया गया एवं किन-किन अधिकारी कर्मचारियों एवं अन्य पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? उक्त कार्य में कौन-कौन सी सरकारी वाहन का उपयोग करना पाया गया है? जांच उड़नदस्ता तातद में कौन-कौन अधिकारी शामिल थे एवं उनके द्वारा किन-किन व्यक्तियों एवं फर्म पर क्या क्या कार्यवाही की गयी है जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : दुर्ग वनमण्डल क्षेत्र अंतर्गत डौण्डी परिक्षेत्र नहीं आता है जबकि बालोद वनमंडल अंतर्गत डौण्डी परिक्षेत्र आता है। बालोद वनमंडल अंतर्गत डौण्डी परिक्षेत्र के बिटेझर बीट/सिवनी तथा काष्ठागार परिसर में बिना हेमरिंग/आवश्यक दस्तावेज एवं बिना अनुमति के सागौन काष्ठ का चिरान एवं उपयोग करने के संबंध में शिकायत मिली है। इस शिकायत की जाँच हो गई है। शिकायत की जाँच, उपवनमंडलाधिकारी बालोद के द्वारा की जाकर उनके पत्र दिनांक 03.02.2026 द्वारा वनमण्डलाधिकारी बालोद को उपलब्ध कराया गया है। इस शिकायत की जाँच में बालोद काष्ठागार परिसर में 28 नग सागौन लट्टा = 1.248 घ.मी. पाया गया। उक्त लट्टे सड़क किनारे जड़ से उखड़े सागौन के पेड़ों के थे, जो बिटेझर परिसर के कक्ष क्रमांक आर.एफ.164 से बिना दस्तावेज/बिना हेमरिंग के परिवहन किये गये थे। परिक्षेत्र अधिकारी डौण्डी द्वारा चोरी होने की आशंका से वन रक्षक बिटेझर को मौखिक निर्देश दिया जाकर परिवहन कराया गया। उक्त लट्टे काष्ठागार बालोद के परिसर में सुरक्षित रूप से रखे गये हैं। जाँच उपरांत उक्त काष्ठ को बिना दस्तावेज/बिना हेमरिंग के परिवहन कराया जाना पाया गया जिसके कारण संबंधित वन अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई। प्रकरण में जिम्मेदार एक परिसर रक्षक को निलंबित कर दिया गया है। दो वनपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी डौण्डी के विरुद्ध नियमानुसार कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जड़ से उखड़े लकड़ी के परिवहन के लिये डौण्डी परिक्षेत्र को आबंटित शासकीय वाहन ट्रक सी.जी. 02-5342 का उपयोग किया गया। लकड़ी के परिवहन में त्रुटि हुई है। सागौन काष्ठ का चिरान एवं उपयोग करने के संबंध में प्राप्त शिकायत की जाँच में श्री शिव शक्ति टिम्बर बालोद एवं कृष्णा साँ मिल बालोद में किसी भी प्रकार की अवैध काष्ठ या चिरान प्राप्त नहीं हुआ परंतु बालोद सिवनी स्थित विश्वकर्मा फर्नीचर मार्ट में 44 नग चिरान = 0.057 घ.मी. सागौन चिरान संदिग्ध पाया गया, जिस पर परिसर रक्षक पी.ओ.आर. क्रमांक-58/04 दिनांक 16.01.2026 दर्ज कर सहायक परिक्षेत्र अधिकारी डौण्डी द्वारा विवेचना की जा रही है। वन परिक्षेत्र अधिकारी डौण्डी ने विवेचना में बताया है कि उक्त काष्ठ को फर्नीचर बनवाने के लिये वन परिक्षेत्र अधिकारी डौण्डी के द्वारा तिगाला साँ मिल, मालीघोरी से काष्ठ क्रय किया गया था। परिक्षेत्र अधिकारी डौण्डी ने क्रय किए गए चिरान का बिल तथा टी.पी. विभाग को प्रस्तुत किया है जिसके परीक्षण उपरांत उपरोक्तानुसार दर्ज पी.ओ.आर. पर निर्णय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जाँच में राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम की ओर से श्री संदीप सिंह (स.व.सं.) एवं उनके सहयोगी दल के सदस्य, जांचकर्ता अधिकारी उपवनमंडलाधिकारी बालोद श्री किशोरी लाल साहू, वनपाल, श्री राजेश उपाध्याय वनमंडल स्तरीय उड़नदस्ता दल के सदस्य शामिल थे। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम के द्वारा की गई जाँच के अनुक्रम में की गई कार्यवाही अलग नहीं है बल्कि उपरोक्तानुसार ही है। प्रश्न में उल्लेखित पुसडवाड़ा एक बीट है, जो उक्त विधान सभा प्रश्न में उल्लेखित शिकायत से संबंधित नहीं है। अतः यहाँ उड़नदस्ता अथवा जाँच अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है।

जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अंतर्गत किसानों को कर्ज वितरण एवं धान खरीदी

[सहकारिता]

26. (क्र. 1265) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अंतर्गत संचालित आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के द्वारा जनवरी, 2025 से 10.02.2026 तक किसानों को कितनी कर्ज राशि का वितरण किया गया था? जानकारी देवें? **(ख)** लिंगिंग के जरिए कितने किसानों का कर्ज जमा किया गया? लिंगिंग पश्चात कर्ज की राशि शेष है या नहीं? यदि शेष है, तो इसके क्या कारण हैं? जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** जिलांतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति भर्तीटोला धान उपार्जन केंद्र में दिनांक 29 एवं 30 जनवरी 2026 को कितना धान क्रय किया गया? जानकारी देवें? क्या किसानों के पास सत्यापित कुल धान की खरीदी की गयी? यदि नहीं तो क्यों? जानकारी देवें? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार जिलांतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति भर्तीटोला धान उपार्जन केंद्र अंतर्गत कितने किसानों

के अवैध धान संग्रहण एवं परिवहन के प्रकरण दर्ज किये गये? किसान के नाम एवं जब्त धान की मात्रा सहित जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी अंतर्गत संचालित आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के द्वारा जनवरी 2025 से 10.02.2026 तक किसानों को राशि रू. 12,946.91 लाख कर्ज वितरण किया गया है। (ख) लिंगिग के जरिए 37,376 किसानों से कर्ज की वसूली की गई है। जिन ऋणी किसानों के द्वारा धान विक्रय नहीं किया गया, उनसे लिंगिग से वसूली नहीं होने के कारण कर्ज की राशि शेष है। (ग) प्रश्नांश (क) जिलांतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति भरीटोला धान उपार्जन केंद्र में दिनांक 29 जनवरी, 2026 को 79 किसानों द्वारा 353.48 मे.टन एवं 30 जनवरी 2026 को 150 किसानों द्वारा 484.24 मे.टन धान विक्रय किया गया है। सत्यापन उपरांत कृषको को जारी टोकन अनुसार उपार्जन केन्द्र में लाये गये सम्पूर्ण मानक धान की खरीदी की गई। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) जिलांतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति भरीटोला धान उपार्जन केंद्र अंतर्गत एक किसान, नागसूराम उसारे से 120 क्विंटल अवैध धान जप्त किया गया।

छ.ग. प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारण में अनियमितता

[उच्च शिक्षा]

27. (क्र. 1268) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश के किन-किन निजी विश्वविद्यालयों में अपने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस, प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति से निर्धारित कराई गई है? विश्वविद्यालयवार जानकारी देवें ? (ख) किन-किन विश्वविद्यालयों ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस ए.एफ.आर.सी. से तय नहीं कराई गई है? उसकी सूची सहित जानकारी देवें। (ग) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 9 जुलाई 2024 को दिये गये दिशा निर्देशों में किन-किन निर्देशों का पालन अभी नहीं किया गया है? और क्यों? जानकारी देवें। (घ) महामहिम माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2025 को दिये गये दिशा-निर्देशों में किन-किन निर्देशों का पालन अभी तक नहीं किया गया है? और क्यों? जानकारी देवें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) समस्त दिशा निर्देशों का पालन किया गया। (घ) दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

जल संसाधन विभाग द्वारा खारून नदी में बने वियर की उंचाई बढ़ाना

[जल संसाधन]

28. (क्र. 1276) श्री राजेश मूणत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायपुर के चिनारी/पीहर नाला में नाला में स्थित वियर की उंचाई कम होने के कारण नाले के गंदे पानी को नदी में जाने से रोकने के लिए तथा एन.जी.टी. के आदेश के आलोक में तथा मिशन क्लीन खारून अभियान के मद्दे नजर जल संसाधन विभाग द्वारा चिनारी/पीहर नाला में स्थित वियर की उंचाई कब तक बढ़ा दी जायेगी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : रायपुर के चिंगरी/पीहर नाला के गंदे पानी को नदी में जाने से रोकने के लिए जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वर्तमान में कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है।

सहकारी बैंकों की शिकायतें एवं स्वतः संज्ञान में गबन एवं वित्तीय अनियमितता

[सहकारिता]

29. (क्र. 1281) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या जनवरी, 2024 से दिनांक 31.01.2026 तक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मार्यादित अंतर्गत अम्बिकापुर, बरमकेला शाखा सहित अन्य किन-किन सहकारी बैंकों की शिकायतें एवं स्वतः संज्ञान में गबन एवं वित्तीय अनियमितता के मामले आये हैं ? जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार किस-किस प्रकार की अनियमितता, किसके द्वारा की गई व कितनी राशि की अनियमितता के मामले/प्रकरण प्रकाश में आये हैं एवं इन पर क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें ? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** अनुसार मामलों को रोकने हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कदम/प्रक्रिया की गई व की जा रही है? जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जी हां। जानकारी **प्रपत्र- 'अ'** में **संलग्न** है। **(ख)** जानकारी **प्रपत्र- 'ब'** में **संलग्न** है। **(ग)** सहकारी बैंकों में गबन / वित्तीय अनियमितता / धोखाधड़ी के मामलों को रोकने हेतु विभाग द्वारा बैंकों की आंतरिक जांच एवं नियंत्रण प्रणाली में सुधार हेतु नाबार्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों यथा-नियमित निगरानी, निरीक्षण, मजबूत एम.आई.एस., सी.बी. एस. में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, संदिग्ध लेन-देन संभावना या शिकायत पर त्वरित प्रभावी कार्यवाही, स्टॉफ का आवधिक रोटेशन, जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना एवं दोषी सेवायुक्तों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंकों को निर्देशित किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टाईस" \]](#)

विभाग के अधीनस्थ कार्यालय एवं शासकीय महाविद्यालय द्वारा सामग्री क्रय हेतु आमंत्रित निविदा

[उच्च शिक्षा]

30. (क्र. 1282) श्री धरमलाल कौशिक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या जनवरी, 2025 से दिनांक 31.01.2026 तक रायपुर, बस्तर एवं बिलासपुर संभाग के जिलों में स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय एवं शासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा सामग्री क्रय करने व सेवा प्राप्त करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई? यदि हाँ तो कौन-कौन सी निविदा जेम पोर्टल(GeM) के अतिरिक्त अन्य किस माध्यम/प्रकार/पद्धति से जारी की गई तथा कब-कब, किसको व किस दर पर स्वीकृत की गई है? जेम के अतिरिक्त अन्य माध्यम/प्रकार से निविदा आमंत्रित करने स्वीकृति किस अधिकारी द्वारा कब व किस नियमों के आधार दी गई है? पदवार व नामवार तथा निविदावार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अवधि में उक्त संस्थाओं द्वारा कब-कब ईओआई(EoI) किन-किन कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत उल्लेखित किन-किन नियमों के आधार पर आमंत्रित व स्वीकृत की गई है? यदि ईओआई(EoI) का प्रावधान भण्डार क्रय नियम में नहीं है तो किस आधार पर आमंत्रित की गई है? ईओआई वार जानकारी देवें? **(ग)** इन उपरोक्त निविदाओं पर कब, किसके द्वारा, किस संबंध में एवं किसको शिकायत की गई तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई, दोषी कौन पाया गया? शिकायतवार जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** जी हां, जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र - 'अ'** अनुसार है। **(ख)** शेष प्रश्नांश उदभूत नहीं होता। **(ग)** जेम पोर्टल के अतिरिक्त अन्य माध्यम से की गई निविदा के माध्यम से किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा जेम पोर्टल के माध्यम से की गई निविदा में प्राप्त शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। तत् संबंध में जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र - 'ब'** अनुसार है।

प्रदेश में नजूल भू- स्वामियों से भू-भाटक वसूली हेतु नियम एवं शर्तें

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

31. (क्र. 1337) श्री भोलाराम साहू (श्री इन्द्रशाह मंडावी) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में नजूल भू- स्वामियों से भू-भाटक वसूली करने हेतु क्या-क्या नियम शर्तें हैं ? क्या राजस्व द्वारा एफ-4-47/सात-1/2013 दिनांक 12.02.2015 के द्वारा भू-भाटक वसूली के लिए मार्गदर्शिका जारी की गई है ? यदि हां, तो कब-कब एवं क्या-क्या आदेश जारी किया गया है की जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" में उल्लेखित आदेश क्रमांक अनुसार कंडिका (2) की उप कंडिका (2.1) में नजूल भूमि स्वामियों द्वारा भू-भाटक निर्धारण मानक दर की वसूली का क्या-क्या प्रावधान किया गया है ? जानकारी आदेश क्रमांक सहित दें ? **(ग)** क्या प्रश्नांक "क" अनुसार दुर्ग संभाग हेतु भू-स्वामियों से भू-भाटक वसूली हेतु पृथक से आदेश जारी किया गया है ? यदि हाँ तो आदेश जारी करने हेतु किन-किन नियम शर्तों का पालन किया गया है एवं क्या-क्या आदेश जारी किया गया है, जानकारी आदेश क्रमांक सहित दिनांकवार, जिलेवार दें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** नजूल भूमि के भू-भाटक के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार-1 की कंडिका-30 में निर्देश दिये गये हैं, जिसके अनुसार आबंटिती द्वारा पट्टा निष्पादन दिनांक के पश्चात के 01 अप्रैल की तारीख से अथवा आबंटिती द्वारा भूमि का कब्जा लिये जाने के दिनांक से, जो भी पहले हो, से भू-भाटक लिये जाने का निर्देश है। विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी 2020 में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण हेतु दरों को अधिसूचित किया गया है। विभागीय अधिसूचना दिनांक 12.02.2015 में नजूल भूमि के नवीनीकरण एवं पट्टा आबंटन प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। **(ख)** विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ4-43/सात-1/2013, दिनांक 12.02.2015 की कंडिका 2.1 में नगरीय क्षेत्र में शामिल ग्रामों की नजूल भूमि का पट्टा आबंटन के प्रकरणों में वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण मानक दर पर चालू वर्ष से किये जाने का निर्देश है। यदि किसी मामले में भू-धारक के द्वारा भूस्वामी होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में भू-धारक से प्रीमियम अथवा भू-भाटक नहीं लिये जाने का निर्देश है। **(ग)** जी नहीं।

बांस कूप व काष्ठ कूप की कटाई एवं परिवहन

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

32. (क्र. 1339) श्री भोलाराम साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2021 से 31.01.2026 तक राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिले में बांस कूप व काष्ठ कूप में कितने स्थानों में कितनी मात्रा में कटाई की गई ? कटाई उपरांत परिवहन हेतु क्या व्यवस्था की गई तथा परिवहन हेतु निविदा कब-कब आमंत्रित की गई ? निविदा में चयनित होने वाले परिवहनकर्ता का नाम पता तथा कितने एवं किस प्रकार के वाहनों का प्रयोग परिवहन हेतु किया गया, की जानकारी संख्यावार, स्थलवार, परिक्षेत्रवार, वर्षवार दें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : वर्ष 2021 से 31.01.2026 तक राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों के अंतर्गत काष्ठ कूपों में 549 स्थानों में 77,430.275 घ. मी. मात्रा में व बांस कूपों में 199 स्थानों में 33,717.574 नोशनल टन (नो. टन) मात्रा में कटाई की गई। एक नोशनल टन में 2400 रनिंग मीटर बांस होता है। बांस कूपों व काष्ठ कूपों से संबंधित परिवहन एवं परिवहन से जुड़े अन्य सभी मुद्दों पर प्रश्न द्वारा चाही गई समस्त जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'क', 'ख', 'ग', 'घ', 'च', 'छ', 'ज' व 'झ' अनुसार है।

जल संसाधन विभाग में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या

[जल संसाधन]

33. (क्र. 1351) श्री कवासी लखमा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कितने कर्मचारी/अधिकारी अर्द्धवार्षिकी आयु पूर्ण कर पुनः संविदा में पदस्थ होकर कार्यरत हैं ? नाम,पदनाम, कार्यालय का नाम सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें? **(ख)** संविदा भर्ती नियम की शर्तें क्या है ? प्रश्नांश 'क' के अनुसार संविदा में कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी कब से कार्यरत हैं ? किस रिक्त पद के विरूद्ध कार्यरत हैं ? क्या रिक्त पद भरने हेतु विभागीय पदोन्नति नहीं की गई ? कारण सहित विवरण देवें? **(ग)** क्या वित्त विभाग के स्थायी वित्त निर्देश क्रमांक 24/2025 दिनांक 21.07.2025 में कार्यालय प्रमुख तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं दायित्व नियमित अधिकारी को सौपने के निर्देश हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा बनाई गई विधि प्रक्रिया का उल्लंघन किन कारणों से किया जा रहा है ? विवरण बतावें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 17 अधिकारी/कर्मचारी संविदा पर नियुक्त है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 17 जनवरी 2013 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 का नियमन राजपत्र में दिनांक 31 दिसम्बर 2012 एवं संशोधन अधिसूचना दिनांक 03 जनवरी 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार शर्तें उल्लेखित है। जिस संवर्ग के पद रिक्त है, उसी संवर्ग के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा नियुक्ति प्रदान की गई है। शेष **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** विभाग में समय-समय पर पदोन्नति प्रदान की गई है। इसके उपरांत भी पदों की रिक्तता निर्मित हुई। **(ग)** छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमांक ESTB-102(1)/314/2025, दिनांक 07.01.2026 के द्वारा श्री इन्द्रजीत उइके, प्रमुख अभियंता (संविदा नियुक्त), जल संसाधन विभाग को संविदा वृद्धि के साथ-साथ वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार आवश्यक स्वीकृति के उपरांत दिये गये हैं। अतः किसी भी विधि प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस" \]](#)

राजस्व सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त त्रुटि का सुधार

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

34. (क्र. 1491) श्री बघेल लखेश्वर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बस्तर के किन-किन तहसीलों के किन-किन राजस्व निरीक्षक मंडल क्षेत्रों के कौन-कौन से पंचायत हल्कों में बंदोबस्त त्रुटि होने के कारण राजस्व सर्वेक्षण का कार्य होना है? यह कार्य कब प्रारंभ किया गया तथा इसे पूर्ण करने हेतु क्या समय-सीमा तय की गई है? **(ख)** क्या प्रश्न "क" के परिप्रेक्ष्य में दी जा रही जानकारी के अतिरिक्त अन्य पंचायत हल्के भी हैं, जहां बंदोबस्त त्रुटि का सुधार होना है? यदि हां, तो स्पष्ट करें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** जिला बस्तर के विभिन्न तहसीलों के राजस्व ग्रामों में बंदोबस्त त्रुटि होने के कारण राजस्व सर्वेक्षण कार्य की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। उक्त ग्रामों के राजस्व सर्वेक्षण हेतु दिनांक 17.10.2016, 01.07.2019, 23.05.2022 को अधिसूचना जारी किया गया। इसमें से तहसील बकावण्ड अंतर्गत 02 ग्राम कोसमी एवं तुगापाल का राजस्व सर्वेक्षण पूर्ण हो गया है। तहसील जगदलपुर अंतर्गत ग्राम नगरनार एवं तहसील तोकापाल अंतर्गत ग्राम धरमाउर के राजस्व सर्वेक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है। शेष ग्रामों का जियो-रिफ्रेसिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन ग्रामों का राजस्व सर्वेक्षण का कार्य शीघ्र संपादित किया जायेगा। **(ख)** जी नहीं, जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीस" \]](#)

कोसारटेडा जलाशय एवं उद्वहन सिंचाई योजना से सिंचाई व पेयजल व्यवस्था

[जल संसाधन]

35. (क्र. 1493) श्री बघेल लखेश्वर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कोसारटेडा जलाशय एवं उद्वहन सिंचाई योजना से वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की स्थिति में कितने ग्रामों के कितने हेक्टेयर कृषि भूमि एवं कितने ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था हो रही थी? कृपया वर्षवार जानकारी दें? **(ख)** क्या कोसारटेडा जलाशय एवं उद्वहन सिंचाई योजना में मरम्मत कार्य व आवश्यक सुधार नहीं होने के कारण सिंचाई कार्य व पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है? स्थिति स्पष्ट करें? **(ग)** कोसारटेडा जलाशय एवं उद्वहन सिंचाई योजना में मरम्मत व सुधार कार्य हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि की वर्ष 2022-23 से 2025-26 की स्थिति में बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** कोसारटेडा जलाशय एवं उद्वहन सिंचाई योजना से वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 48 ग्रामों के 10012 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई क्षमता सृजित है एवं 30 ग्रामों में पेयजल हेतु आवश्यक जल 1.60 मि.घ.मी. वार्षिक प्रदाय किया गया है। वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** जी हाँ, योजना में मरम्मत कार्य एवं आवश्यक सुधार नहीं होने के कारण नहरों की वास्तविक सिंचाई क्षमता प्रभावित हुई है। सिंचाई की कमी की पूर्ति हेतु 04 उद्वहन योजनाओं के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु लगभग राशि रू. 2100.00 लाख का प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विभाग में प्रक्रियाधीन है। पेयजल व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई है एवं वार्षिक आबंटित शतप्रतिशत जल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को, कोसारटेडा जलाशय से निरंतर उपलब्ध कराया जा रहा है। **(ग)** कोसारटेडा जलाशय एवं उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत मरम्मत एवं आवश्यक सुधार कार्यों हेतु अनुरक्षण मद अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की अवधि में कुल प्रावधानित राशि रू. 317.00 लाख एवं वास्तविक व्यय राशि रू. 260.45 लाख है। वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस" \]](#)

विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पद

[उच्च शिक्षा]

36. (क्र. 1514) श्री अनुज शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालयों में कर्मचारियों/अध्यापकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितने पद रिक्त हैं? वर्तमान में शासन द्वारा उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार इन महाविद्यालयों में किन-किन संकायों/विषयों का अध्यापन/संचालन किया जा रहा है तथा क्या इन संकायों हेतु निर्धारित विषय विशेषज्ञों के पदों पर नियमित शिक्षक/प्रोफेसर अपनी सेवाये दे रहे हैं ? यदि हां तो पदनाम एवं विषयवार विवरण प्रदान करें? और यदि नहीं तो किस प्रकार से संकायों में शिक्षा का कार्य किया जा रहा है? **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या इन महाविद्यालयों द्वारा नवीन संकाय चालू किये जाने हेतु विभाग से मांग की गई है ? यदि हां तो किन-किन विषयों/संकायों की और इस मांग की पूर्णता हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र - 'अ'** अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'ब'** अनुसार है। जी हां। रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं द्वारा संकाय अनुसार शिक्षा का कार्य किया जा रहा है। **(ग)** जी हाँ। विधान सभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा द्वारा नवीन संकाय चालू किये जाने हेतु ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। शासकीय नवीन महाविद्यालय खरोरा में स्नातक बी.ए. इतिहास, पी.जी.डी.सी.ए., बी.एस.सी.,

जीव विज्ञान स्नातक, बी.ए. समाज शास्त्र नवीन संकाय प्रारंभ करने ज्ञापन प्राप्त हुआ है कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस" \]](#)

महासमुंद वन मंडल को एएनआर मद एवं आरडीबीएफ मद से प्राप्त राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

37. (क्र. 1519) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2020-21 से लेकर दिनांक 30 जनवरी, 2026 तक एएनआर (असिस्टेड नेचुरल रीजेनरेशन) योजना एवं आरडीबीएफ मद अंतर्गत वन मंडल महासमुंद को कितनी राशि प्राप्त हुई है ? प्राप्त राशि कितने कार्यों में खर्च की गई है ? स्वीकृत राशि, व्यय राशि की जानकारी वर्षवार, वन परिक्षेत्रवार उपलब्ध कराएं ? **(ख)** क्या प्रश्न क में उल्लेखित अवधि के दौरान ANR एवं RDBF कार्यों में अनियमितता पाई गई थी ? यदि हाँ, तो क्या-क्या कमियाँ पाई गई थी और सम्बन्धित अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ? **(ग)** क्या उक्त कार्यों में अनियमितता के बाद वन विभाग द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों से वसूली की कार्रवाई की गई थी ? यदि हाँ, तो किस-किस स्तर के अधिकारी-कर्मचारी से कितनी-कितनी राशि वसूली योग्य पाई गई थी और अब तक कितनी राशि वसूल की जा चुकी है? वसूली नहीं होने के क्या कारण हैं और वसूली हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** वर्ष 2020-21 से लेकर दिनांक 30 जनवरी, 2026 तक एएनआर एवं आरडीबीएफ मद अंतर्गत वनमंडल महासमुंद को राशि रूपये 72,92,84,024/- प्राप्त हुई। प्राप्त राशि से 148 कार्यों में रूपये 57,92,84,563/- खर्च की गई। स्वीकृत एवं व्यय राशि की वर्षवार, वन परिक्षेत्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है ।** **(ख)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित अवधि के दौरान केवल एएनआर कार्यों में अनियमितता पाई गई है । एएनआर कार्यों में क्षेत्र में कराए गए कार्य, प्राकलन में स्वीकृत कार्यों की राशि के अनुरूप नहीं पाए गए हैं । संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है ।** **(ग)** एएनआर कार्यों में अनियमितता पाई जाने के बाद वन विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा **प्रपत्र ब में दर्शित** स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली के लिए आरोप पत्र अथवा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है । अभी तक कोई भी राशि की वसूली नहीं हुई है । आरोप पत्र/कारण बताओं सूचना पत्र के निराकरण के आधार पर वसूली निर्धारित होगी ।

जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले के अंतर्गत संचालित उद्योगों से प्राप्त रायल्टी

[खनिज साधन]

38. (क्र. 1523) श्री बालेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले के अंतर्गत स्टोन क्रेशर, कोल डिपो और ईट भट्टे उद्योग संचालन के लिए कब-कब किस नाम से लाइसेंस जारी की गई है? कृपया जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार संचालित उद्योगों से वित्तीय वर्ष 2022 -23 से 11-02-26 तक की स्थिति में कितनी रायल्टी शासन को प्राप्त हुई है? कृपया उद्योग अनुसार जानकारी दें ? **(ग)** प्रश्नांक "क" और "ख" के अनुसार प्राप्त रायल्टी से स्थानीय स्तर पर कौन-कौन से विकास एवं निर्माण कार्य कराए गए हैं उद्योगवार कार्य एवं राशि सहित जानकारी दें? **(घ)** प्रश्नांक "क," "ख" और "ग" के अनुसार प्राप्त रायल्टी से किए गए विकास एवं निर्माण कार्यों में गड़बड़ी को लेकर कब-कब किनसे शिकायत प्राप्त हुई है? शिकायत के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है? कृपया जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जिला जांजगीर-चांपा और सक्ती अंतर्गत स्वीकृत स्टोन क्रेशर एवं

कोयला भण्डारण अनुज्ञप्ति की जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है तथा जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले में कोई भी ईट-भट्टे हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत नहीं है। **(ख)** स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञप्तियों से विभाग का कोई रायल्टी राशि प्राप्त नहीं होती है, अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ग)** एवं **(घ)** चूंकि भण्डारण अनुज्ञप्तियों से विभाग को कोई रायल्टी राशि प्राप्त नहीं होती अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस" \]](#)

तांदुला जल संसाधन विभाग दुर्ग को वार्षिक संधारण हेतु बजट का प्रावधान

[जल संसाधन]

39. (क्र. 1524) डॉ. चरण दास महंत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में तान्दुला जल संसाधन संभाग दुर्ग के अंतर्गत वृहद्/मध्यम/लघु निर्माण एवं अनुरक्षण मद में वार्षिक संधारण हेतु कितना बजट प्रावधान था? कितना आबंटन जारी हुआ? वर्षवार कार्य का नाम राशि सहित बतावें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई? तकनीकी स्वीकृति कितने राशि की, किस अधिकारी द्वारा कब-कब जारी की गई? कार्य कराने की पद्धति क्या अपनाई गई? कितने कार्य पूर्ण हुए? कितने प्रगतिरत हैं ? कार्य का नाम, राशि सहित वर्षवार बतावें? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के अनुसार कार्यों हेतु प्राप्त न्यूनतम दरों एवं वर्तमान प्रचलित दरों में अंतर हो तो कारण बतावें? निर्माण कार्यों का निरीक्षण किस-किस वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया? कितनी राशि व्यय हुई? कितनी शेष है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** वर्ष 2024-25 में तान्दुला जल संसाधन संभाग दुर्ग के अंतर्गत वृहद्, मध्यम एवं लघु निर्माण तथा अनुरक्षण मद में वार्षिक संधारण हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार बजट प्रावधान किया गया, जिसके विरूद्ध आवश्यक आबंटन जारी किया गया:- 1. योजना मद (अ) वृहद् मद अंतर्गत तान्दुला परियोजना के अंतर्गत रू. 5000.00 लाख का बजट प्रावधान था, एवं राशि रू. 4425.00 लाख का आबंटन जारी किया गया। (ब) मध्यम मद अंतर्गत राशि रू. 500.00 लाख का बजट प्रावधान था, एवं राशि रू. 350.00 लाख का आबंटन जारी किया गया। (स) लघु मद के अंतर्गत तान्दुला जल संसाधन संभाग को राज्य के सभी लघु योजनाओं के लिये किये गये राशि रू. 71000.00 लाख के बजट प्रावधान में से राशि रू. 6160.30 लाख का आबंटन जारी किया गया। 2. अनुरक्षण मद (अ) वृहद् अनुरक्षण मद अंतर्गत अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रू. 165.00 लाख का बजट प्रावधान था, एवं राशि रू. 165.00 लाख का जारी किया गया। (ब) मध्यम अनुरक्षण मद अंतर्गत अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रू. 37.75 लाख का बजट प्रावधान था, एवं राशि रू. 37.75 लाख का आबंटन जारी किया गया। (स) लघु मद के अंतर्गत अनुरक्षण कार्य हेतु तान्दुला जल संसाधन संभाग को राज्य के सभी लघु योजनाओं के लिये किये गये राशि रू. 2090.80 लाख के बजट प्रावधान में से राशि रू. 90.00 लाख का आबंटन जारी किया गया। वर्ष 2025-26 में तान्दुला जल संसाधन संभाग दुर्ग के अंतर्गत वृहद्, मध्यम एवं लघु निर्माण तथा अनुरक्षण मद में वार्षिक संधारण हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार बजट प्रावधान किया गया, जिसके विरूद्ध आवश्यक आबंटन जारी किया गया:- 1. योजना मद (अ) वृहद् मद अंतर्गत तान्दुला परियोजना के अंतर्गत सम्पूर्ण निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 4000.00 लाख का बजट प्रावधान था, एवं राशि रू. 2000.00 लाख का आबंटन जारी किया गया। (ब) मध्यम मद अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 500.00 लाख का बजट प्रावधान था, एवं रू. 500.00 लाख का आबंटन जारी किया गया। (स) लघु मद के अंतर्गत तान्दुला जल संसाधन संभाग को राज्य के सभी लघु योजनाओं के लिये किये गये राशि रू. 59700.00 लाख के बजट प्रावधान में से राशि रू. 2600.00 लाख का आबंटन जारी किया गया। 2. अनुरक्षण मद (अ) वृहद् अनुरक्षण मद अंतर्गत अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रू. 390.00 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके एवं रू. 390.00 लाख का आबंटन जारी किया गया। (ब) मध्यम अनुरक्षण मद अंतर्गत अनुरक्षण कार्य हेत राशि रू. 100.50 लाख का बजट प्रावधान था, एवं राशि रू. 100.50 लाख का आबंटन जारी किया गया। (स) लघु मद के अंतर्गत अनुरक्षण कार्य

हेतु तांदुला जल संसाधन संभाग को राज्य के सभी लघु योजनाओं के लिये किये गये राशि रू. 5300.00 लाख के बजट प्रावधान में से राशि रू. 164.00 लाख का आबंटन जारी किया गया। वर्षवार स्वीकृत कार्यों के नाम एवं स्वीकृत राशि की विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार वर्ष 2024-25 में 01 प्रशासकीय स्वीकृति वृहद् योजना में, 01 प्रशासकीय स्वीकृति मध्यम योजना में, 02 प्रशासकीय स्वीकृतियां लघु योजना मद में स्वीकृति प्रदान की गई है एवं 2024-25 में 56 स्वीकृतियां वृहद् अनुरक्षण मद में, 5 मध्यम अनुरक्षण मद में, 20 लघु अनुरक्षण मद में जारी की गई है। वर्ष 2025-26 में वृहद् एवं मध्यम योजनाओं हेतु कोई भी प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं हुई। लघु योजना मद में 06 प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। 151 स्वीकृतियां वृहद् अनुरक्षण मद में, 16 मध्यम अनुरक्षण मद में, 55 लघु अनुरक्षण मद में जारी की गई है। उक्त कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति संबंधित सक्षम तकनीकी अधिकारियों (कार्यपालन अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता) द्वारा प्रचलित वित्तीय एवं तकनीकी प्रावधानों के अंतर्गत समय-समय पर प्रदान की गई। तकनीकी स्वीकृति की राशि, स्वीकृत प्रदाता अधिकारी का नाम एवं स्वीकृत दिनांक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** निर्माण कार्यों का निष्पादन राज्य शासन की ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर किया गया है। अनुरक्षण कार्य विभागीय पीस-वर्क पद्धति से स्वीकृत दरों पर संपादित कराए गये है। योजना मद के 07 कार्य प्रगतिरत है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है** एवं 303 अनुरक्षण कार्य पूर्ण किए जा चुके है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** जी हाँ, प्रश्नांश 'ख' के अनुसार कार्यों हेतु प्राप्त न्यूनतम दर एवं वर्तमान प्रचलित दरों में अंतर है। यह अंतर निविदाकारों के प्रतिस्पर्धा के कारण है। निर्माण कार्यों का निरीक्षण किस-किस वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया है कि **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।** व्यय एवं शेष राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।**

महासमुंद जिले में संचालित सोलर पावर प्लांट

[ऊर्जा]

40. (क्र. 1532) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महासमुंद जिला में 25 मेगावाट से अधिक के सोलर पावर प्लांट किन-किन जगहों पर हैं ? विवरण देवें? **(ख)** क्या महासमुंद जिले में 25 मेगावाट के प्लांट के लिये भूमि सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई है ? यदि हां, तो विवरण देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** महासमुंद जिले में 25 मेगावाट से अधिक के सोलर पावर प्लांट 02 जगहों पर स्थापित हैं। विवरण **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** हां, महासमुंद जिले में 25 मेगावाट के प्लांट के लिये एक इकाई मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड को भूमि सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई है। विवरण **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस" \]](#)

हसदेव अरण्य में वन भूमि डाइवर्जन की अनुशंसा

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

41. (क्र. 1536) श्री भूपेश बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** हसदेव अरण्य के सघन वनों में लगभग 6 लाख पेड़ों की कटाई हेतु डाइवर्जन की अनुशंसा किस आधार पर की गई? क्या उक्त अनुशंसा वर्ष 2022 में विधानसभा द्वारा पारित संकल्प का उल्लंघन है? **(ख)** क्या तेंदूपत्ता संग्रहण दर ₹4000 से बढ़ाकर ₹5500 करने के बावजूद संग्रहण लक्ष्य में कमी आई? यदि हां तो क्यों?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** हसदेव अरण्य के वनों में लगभग 6 लाख पेड़ों की कटाई हेतु डाइवर्जन की अनुशंसा नहीं की गई है, बल्कि हसदेव अरण्य कोल फील्ड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केते एक्सटेंशन

कोयला खदान के वनभूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। इस प्रस्ताव में आवेदक संस्थान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, जयपुर है। प्रस्ताव में व्यपवर्तन हेतु आवेदित 1742.60 हेक्टेयर वनक्षेत्र में लगभग 4,48,874 वृक्ष प्रभावित हो रहें हैं। उक्त अनुशंसा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 तथा इसके अंतर्गत आने वाले नियम तथा प्रावधानों का पालन करते हुए की गई है। (ख) तेन्दूपत्ता संग्रहण दर को 4000 ₹. प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 ₹. प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। राज्य में प्राथमिक वनोंपज सहकारी समितियों द्वारा फड़ों पर सभी संग्राहकों से मानक गुणवत्ता/आकार के समस्त उपलब्ध पत्तों का क्रय किया जाता है प्रतिवर्ष संग्रहित मात्रा में मौसम, उत्पादन आदि के आधार पर परिवर्तन होता है।

कैम्पा मद, वनाधिकार पट्टे एवं वन क्षेत्रों में विकास कार्यों की स्थिति

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

42. (क्र. 1537) श्री भूपेश बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जनवरी, 2024 से अब तक मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों के अंतर्गत 'कैम्पा' मद से कुल कितनी राशि व्यय की गई है? क्या निर्मित संरचनाओं में से 40% से अधिक पहली बारिश में ही क्षतिग्रस्त या अनुपयोगी हो गई हैं? हां तो क्या कार्यवाही की गई?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जनवरी, 2024 से अब तक मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों के अंतर्गत 'कैम्पा' मद से कुल राशि ₹. 149.69 करोड़ व्यय की गई है। निर्मित संरचनाओं में से 40% से अधिक पहली बारिश में ही क्षतिग्रस्त या अनुपयोगी नहीं हुई है। चूंकि निर्मित संरचनाओं में से 40% से अधिक पहली बारिश में क्षतिग्रस्त या अनुपयोगी नहीं हुई है, अतः की गई कार्यवाही की जानकारी इस संबंध में 'निरंक' है।

रायगढ़ जिले में रेत का उत्खनन एवं भंडारण

[खनिज साधन]

43. (क्र. 1540) श्री उमेश पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिलान्तर्गत रेत उत्खनन हेतु कितने घाट की अनुमति है और 11-02-2026 तक कितना और कहाँ रेत उत्खनन और भंडारण किया गया है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्तमान में कोई रेत खदान संचालित नहीं है। अपितु नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) पश्चात् 15 रेत खदानों के लिए आशय पत्र जारी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 11.02.2026 तक पूर्व में संचालित उसरौट रेत खदान से 19,950 घन मीटर खनिज रेत का उत्पादन/प्रेषण किया गया है। रायगढ़ जिला में दिनांक 11.02.2026 की स्थिति में खनिज रेत के भण्डारण हेतु 04 अस्थाई भण्डारण अनुज्ञापत्र स्वीकृत हैं, जिसकी जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस" \]](#)

रायगढ़ जिला अंतर्गत स्मार्ट मीटर की संख्या एवं गलत बिल की शिकायतें

[ऊर्जा]

44. (क्र. 1541) श्री उमेश पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिला अंतर्गत कितने घरों में स्मार्ट मीटर लगा है ? कितने शेष हैं ? क्या अधिक बिल या गलत मीटर संबंधी उपभोक्ताओं की शिकायत के मामले प्राप्त हुए हैं ? क्या स्मार्ट मीटर में अधिक बिल संबंधी मामला प्राप्त हुआ है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : रायगढ़ जिला अंतर्गत दिनांक 19.02.2026 की स्थिति में कुल 76 हजार 986 घरों में स्मार्ट मीटर लगाया गया है। 97 हजार 657 घरों में स्मार्ट मीटर लगाना जाना शेष है। अधिक बिल

संबंधित 292 शिकायतें प्राप्त हुई है एवं गलत मीटर से संबंधित शिकायत निरंक है। अधिक बिल से संबंधित सभी 292 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। स्मार्ट मीटर में अधिक बिल से संबंधित 07 शिकायतें प्राप्त हुई, जाँच में सभी 07 स्मार्ट मीटर सही पाये गये एवं स्मार्ट मीटर में दर्ज खपत भी सही पायी गयी। इसके अतिरिक्त स्मार्ट मीटर में अन्य समस्याओं से संबंधित प्राप्त 202 शिकायतों का निराकरण भी किया जा चुका है।

जिला जांजगीर-चांपा व सक्ती में स्थापित डोलोमाइट/चूना पत्थर की खदानें

[खनिज साधन]

45. (क्र. 1546) श्री बालेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जांजगीर-चांपा व सक्ती में वर्ष 2022-23 से 11.02.2026 तक कहां-कहां पर डोलोमाइट एवं चूना पत्थर की खदान स्थापित है? विकासखण्डवार बतायें? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार उपरोक्त खदानों से कितनी-कितनी रॉयल्टी तीन वित्तीय वर्ष में विभाग को प्राप्त हुई है, बतायें? **(ग)** क्या उक्त खदानों से प्रदूषण फैलने की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है, बतायें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जिला जांजगीर-चांपा व सक्ती में वर्ष 2022-23 से 11.02.2026 तक डोलोमाइट एवं चूनापत्थर की खदान की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"अ"** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"ब"** अनुसार है। **(ग)** जी हाँ, जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"स"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

धान खरीदी पर बोरा भराई के लिए किसानों द्वारा हमालों को भुगतान

[सहकारिता]

46. (क्र. 1554) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केन्द्रों में बोरा भराई आदि के लिए हमाली चार्ज का भुगतान करने के लिए क्या प्रावधान है? निर्धारित दरें क्या-क्या है? **(ख)** क्या शासकीय धान खरीदी केन्द्रों पर कृषकों द्वारा हमालों को बोरा भराई चार्ज का भुगतान किया गया है? यदि हां तो किन दरों से? **(ग)** खरीदी केन्द्रों पर मंडी लेबर चार्ज के विषय में निदेश कब-कब तथा क्या-क्या जारी किये गए? उनकी प्रतियां भी उपलब्ध कराएं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केन्द्रों में बोरा भराई आदि के लिए हमाली चार्ज का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक व्यय (मंडी लेबर चार्ज) अंतर्गत, प्रासंगिक व्यय (मंडी लेबर चार्ज) की कार्यवार निर्धारित दरें निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य	दर प्रति क्विंटल (राशि रू. में)
1.	बोरा भराई	5.00
2.	तौल	5.75
3.	सिलाई	1.40
4.	लेबलिंग	3.15
5.	लोडिंग	6.75
कुल		22.05

(ख) धान खरीदी केन्द्रों पर किसानों के द्वारा हमालों को बोरा भराई चार्ज का भुगतान किया जाना संज्ञान में नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मंडी लेबर चार्ज के संबंध में दिनांक 04/12/2025 को जारी निर्देश 'प्रपत्र' में संलग्न है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"]

शहरी रोपणी, जोरा, रायपुर वनमंडल की ऑडिट आपत्तियों पर कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

47. (क्र. 1557) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** शहरी रोपणी, जोरा, रायपुर वनमंडल के 2020-21 से 2023-24 तक के वित्तीय विवरणों का आडिट कब हुआ? आडिट करवाने में असाधारण विलम्ब का कारण क्या है, इसके लिए कौन-कौन उत्तरदायी है? इस अवधि में रोपणी के प्रभारी के बतौर कौन-कौन, कब से कब तक, पदस्थ रहे? **(ख)** आडिट रिपोर्ट में क्या-क्या आपत्तियां वर्णित हैं? इन आपत्तियों के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** वर्ष 2025-26 में उक्त रोपणी में ग्रीन नेट लगाने पर कितना व्यय किया गया और ग्रीन नेट का माप तथा स्पेशिफिकेशन क्या है? किस प्रक्रिया से किससे क्रय किया गया था तथा किस अधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है? **(घ)** शहरी रोपणी जोरा में क्या गिस्ट चैंबर चालू हालत में है? यदि नहीं तो कब से और क्यों बंद है? 2025-26 में जनवरी, 2026 तक इसके मेंटेनेन्स पर कब-कब, कितना-कितना व्यय किया गया है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** शहरी रोपणी जोरा, रायपुर वनमंडल के 2020-21 से 2023-24 तक के वित्तीय विवरणों का ऑडिट दिनांक 18.12.2024 को पूर्ण हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-24 के आडिट कार्य दिसम्बर 2024 में हो जाने के कारण कोई विलंब नहीं हुआ। वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के आडिट कार्य में क्रमशः लगभग 02 वर्ष 09 माह, 01 वर्ष 09 माह एवं 09 माह का विलंब हुआ है। उक्त विलंब के लिए उस अवधि में पदस्थ अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने हेतु उनसे स्पष्टीकरण मांगने की कार्यवाही की गई है। उक्त अवधि में रोपणी के प्रभारी के बतौर पदस्थ रहे कर्मचारी का **विवरण संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है।** **(ख)** वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के ऑडिट रिपोर्ट में कोई आपत्ति का लेख नहीं है। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई है। **(ग)** वर्ष 2025-26 में जोरा रोपणी में ग्रीन नेट लगाने का कार्य नहीं किये जाने के कारण कोई व्यय नहीं किया गया। अतः शेष प्रश्न की जानकारी निरंक है। **(घ)** शहरी रोपणी जोरा में मिस्ट चैंबर चालू हालत में नहीं है। मिस्ट चैंबर खराबी के कारण वर्ष 2014 से बंद है। वर्ष 2025-26 में जनवरी 2026 तक इसके मेंटेनेन्स पर कोई भी व्यय भारित नहीं किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस" \]](#)

धान रिवाल्विंग खाता से राशि गबन करने शिकायत की जांच एवं कार्यवाही

[सहकारिता]

48. (क्र. 1558) श्री रामकुमार यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि दिनांक 14.07.2025 के तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 122) में बताया गया था कि जांच प्रतिवेदन के आधार पर सेवा सहकारी समिति के दोषी पाये गये तत्कालीन संस्था प्रबंधक श्री मनोज कुमार पटेल को निलंबित किया गया है तथा शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर, शाखा-चन्द्रपुर द्वारा श्री मनोज कुमार पटेल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी, थाना-चन्द्रपुर को पत्र प्रस्तुत किया गया है? इसके साथ ही संस्था को हुई आर्थिक क्षति के संबंध में सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला-सक्ती द्वारा विशेष अंकेक्षण हेतु टीम का गठन किया गया है ? **(ख)** क्या धान रिवाल्विंग खाता से राशि गबन करने के मामले में विषयानुसार उक्त संस्था प्रबंधक अमलडीहा विकास खंड उभरा, जिला सक्ती पटेल के साथ तत्कालीन शाखा प्रबंधक, सहकारी केन्द्रीय बैंक, उभरा, जिला सक्ती का भी नाम था ? यदि हां तो विवरण दें? **(ड़)** प्रश्नांक "क" एवं "ख" अनुसार तत्कालीन शाखा प्रबंधक, सहकारी केन्द्रीय बैंक, उभरा, जिला सक्ती के उपर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण दें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जी हां। **(ख)** धान रिवाल्विंग खाता से राशि गबन करने संबंधी शिकायत

में तत्कालीन संस्था प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मर्यादित, अमलडीहा विकास खंड डभरा, जिला सक्ती श्री मनोज कुमार पटेल के साथ तत्कालीन शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर, शाखा-डभरा, जिला सक्ती श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय का भी नाम था। उक्त शिकायत के जांच प्रतिवेदन में तत्कालीन शाखा प्रबंधक, शाखा-डभरा श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय की संलिप्तता प्रमाणित नहीं पायी गयी। (ड) प्रश्नांश 'क' अनुसार विशेष अंकेक्षण प्रक्रियाधीन है। प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन शाखा प्रबंधक, शाखा-डभरा श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय की संलिप्तता प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

49. (क्र. 1572) श्रीमती भावना बोहरा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत राज्य में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु भारत सरकार से धनराशि प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों में वर्षवार कितनी राशि प्राप्त हुई? जिलेवार जानकारी दीजिए ? **(ख)** जिला कबीरधाम में उपरोक्त प्राप्त धनराशि में से अब तक कितनी राशि व्यय की गई है तथा यह राशि किन-किन मदों में खर्च की गई है? वर्षवार जानकारी देवें ? **(ग)** वर्तमान में जिला कबीरधाम में उक्त योजना के अंतर्गत कितनी राशि शेष है? वर्षवार जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** जी हाँ। केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु भारत सरकार से रूपये 3324.30 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। शेष वर्षों हेतु कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। भारत सरकार द्वारा जिलेवार राशि आबंटित नहीं की गई है। **(ख)** जिला कबीरधाम हेतु कोई राशि व्यय नहीं की गई है। वर्षवार जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है। **(ग)** जिला जिला कबीरधाम को कोई राशि आबंटित नहीं करने के कारण शेष राशि की जानकारी वर्षवार देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश में जनसंपर्क विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार/विज्ञापन में हुई व्यय राशि

[जनसंपर्क]

50. (क्र. 1577) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन पर किए गए व्यय की जानकारी (वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26) वर्षवार, मदवार बताएं? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के विज्ञापन व्यय से संबंधी अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? वर्षवार, मदवार बताएं ? उन पर क्या-क्या कार्रवाई की गई? **(ग)** प्रदेश में शासन की योजनाओं व अन्य प्रचार-प्रसार विज्ञापन व्यय में पारदर्शिता लाने, अनियमितता रोकने तथा अनावश्यक व्यय में नियंत्रण हेतु शासन की क्या कार्य योजना है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** प्रदेश में छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन पर किए गए व्यय की जानकारी वर्षवार, मदवार निम्नानुसार है:-

क्र. वर्ष	मद	व्यय राशि (रूपए में)
1 2023-24	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	1,56,53,09,780
	प्रिंट मीडिया	1,45,34,26,663
	डिजिटल मीडिया	65,24,91,250
	सोशल मीडिया	12,06,845
	क्षेत्र प्रचार (होर्डिंग्स)	75,98,65,312

	विशेष अवसर पर प्रचार-प्रसार (होर्डिंग्स)	1,60,80,618
	आदिवासी उपयोजना (होर्डिंग्स)	8,84,64,699
	कुल	4,53,68,45,167
	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	70,90,40,917
	प्रिंट मीडिया	67,95,91,182
	डिजिटल मीडिया	15,67,22,540
2	2024-25 सोशल मीडिया	निरंक
	क्षेत्र प्रचार (होर्डिंग्स)	55,89,44,446
	विशेष अवसर पर प्रचार-प्रसार (होर्डिंग्स)	निरंक
	आदिवासी उपयोजना (होर्डिंग्स)	3,40,48,974
	कुल	2,13,83,48,059
	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	40,76,25,742
	प्रिंट मीडिया	84,29,99,052
	डिजिटल मीडिया	25,45,15,974
3	2025-26 सोशल मीडिया	37,08,445
	क्षेत्र प्रचार (होर्डिंग्स)	22,13,27,812
	विशेष अवसर पर प्रचार-प्रसार (होर्डिंग्स)	निरंक
	आदिवासी उपयोजना (होर्डिंग्स)	निरंक
	कुल	1,73,01,77,025

(ख) निरंक (ग) (1) विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण में कम लागत में अधिकतम पहुंच को प्राथमिकता दी जा रही है। (2) आवश्यकतानुसार विज्ञापन का प्रसारण/प्रकाशन किया जा रहा है। (3) क्षेत्र प्रचार में निविदा आमंत्रण का न्यूनतम दरों पर कार्य निष्पादन। (4) प्रदेश में शासन के योजनाओं व अन्य प्रचार-प्रसार विज्ञापन व्यय में पारदर्शिता लाने, अनियमितता रोकने तथा अनावश्यक व्यय में नियंत्रण हेतु इम्प्रेसन, व्यूज एवं रीच पैरामीटर के आधार पर विज्ञापन दिए जाने की कार्ययोजना है। (5) प्रदेश में शासन के योजनाओं व अन्य प्रचार-प्रसार विज्ञापन व्यय में पारदर्शिता लाने, अनियमितता रोकने तथा अनावश्यक व्यय में नियंत्रण हेतु वेबसाइट यूजर्स संख्या एवं उपयोगिता के आधार पर विज्ञापन दिए जाने की कार्ययोजना है।

जिला रायगढ़ में जिला खनिज न्यास मद में प्राप्त आबंटन

[खनिज साधन]

51. (क्र. 1579) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला रायगढ़ को वर्ष 2024 से जनवरी, 2026 तक जिला खनिज न्यास मद में कितना आबंटन प्राप्त हुआ है ? आबंटित राशि से किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? वर्षवार, कार्यवार जानकारी दें ? **(ख)** कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? कितने पूर्ण हैं ? कितने अपूर्ण हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जिला रायगढ़ को वर्ष 2024 से जनवरी 2026 तक जिला खनिज न्यास मद में कुल राशि 131 करोड़ 74 लाख 68 हजार रूपये प्राप्त हुआ है। प्रश्रुंकित अवधि में स्वीकृत कार्यों एवं स्वीकृत राशि की जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र" अनुसार है। **(ख)** जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र" अनुसार है।

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोयला भंडारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति

[खनिज साधन]

52. (क्र. 1582) श्री धर्मजीत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खनिज (खनिज, खनन परिवहन तथा भंडारण), नियम 2009 के तहत तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने कोयला भंडारण अनुज्ञप्ति किन-किन स्थानों पर, कितनी-कितनी मात्रा हेतु एवं कितनी अवधि के लिए स्वीकृत है एवं

वर्तमान में उनके संचालन की क्या स्थिति है? **(ख)** कंडिका "क" के अनुसार स्वीकृत कोयला भंडारण अनुज्ञप्तियों की वर्ष 2025-26 में कब-कब जांच की गई तथा अनियमितता पाये जाने पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या कंडिका "क" के अनुसार सभी कोयला भंडारण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पर्यावरण विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर संचालित किया जा रहा है? उनकी वैधता की अवधि कब तक है? **(घ)** कंडिका "ग" के अंतर्गत क्या अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा पर्यावरण विभाग की शर्तों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं? क्या उक्त संबंध में जांच पर्यावरण विभाग द्वारा की गई है? यदि हां तो विवरण देवें तथा अनियमितता पाये जाने पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। **(ग)** जी हाँ। पर्यावरण वैधता की जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" के कॉलम नम्बर 08 पर दर्शित है। **(घ)** क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर (छ.ग.) के कार्यालयीन दल के निरीक्षण के दौरान संचालित उद्योगों (स्टोरेज ऑफ कोल) द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत जारी जल एवं वायु सम्मति/सम्मति नवीनीकरण में निहित शर्तों का सामान्यतः पालन किया जाना पाया गया। कार्यालय द्वारा किये गये जांच तथा की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"स"** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस" \]](#)

नेमीचंद जैन मथुरावाले चैरिटी ट्रस्ट एण्ड रिसर्च सेंटर, बिलासपुर को शासन द्वारा प्रदत्त भूमि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

53. (क्र. 1583) श्री धर्मजीत सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या ग्राम पेण्डारी, राजस्व निरीक्षक मंडल पेण्डारी, तहसील सकरी, जिला बिलासपुर अंतर्गत नेमीचंद जैन मथुरावाले चैरिटी ट्रस्ट एण्ड रिसर्च सेंटर, बिलासपुर नाम की संस्था कार्यरत है? **(ख)** कंडिका "क" की संस्था के पास उनकी स्वयं की कितनी निजी भूमि है ? कितनी भूमि संस्था के द्वारा स्वयं खरीदी गई है एवं इस संस्था के द्वारा कितनी-कितनी भूमि शासन द्वारा तबादले के माध्यम से कहां-कहां कितने रकबे की जमीन प्राप्त की गई है? विस्तृत विवरण देवें? **(ग)** कंडिका "क" की संस्था को शासन द्वारा तबादले में किस उद्देश्य के लिए जमीन दी गई है? **(घ)** कंडिका "क" के अंतर्गत पूछे गए संस्था का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है एवं शासन द्वारा तबादले में दी गई जमीन का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** जिला बिलासपुर के अनुविभाग तखतपुर अंतर्गत तहसीलदार सकरी के मौकानिरीक्षण में नेमीचंद जैन मथुरावाले चैरिटी ट्रस्ट अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर लिखा हुआ गेट निर्मित है परंतु संस्थान बंदपाया गया। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** संस्था को शासन द्वारा भूमि केंसर हाँस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर हेतु दिया गया था। **(घ)** संस्था का भवनवर्तमान में बंद पाया गया। संस्था के नाम से दर्ज भूमि के अंश भाग में भवन का निर्माण किया गया है। लगभग 7 एकड़ भूमि में पपीता का पौधा रोपण किया गया है। शेष भूमि रिक्त पाया गया।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस" \]](#)

वन विभाग द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संचालित योजना

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

54. (क्र. 1587) सुश्री लता उसेंडी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वन विभाग द्वारा राज्य में कितने वन्यजीव गलियारों की पहचान की गई है ? उनका संरक्षण एवं संवर्धन कौन सी योजना के

माध्यम से कराया जा रहा है ? विगत 3 वर्षों में उक्त हेतु कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है ? विभाग द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटान हेतु क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं एवं उक्त हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है एवं विगत 3 वर्षों में कितनी राशि का व्यय किया गया है ? सम्पूर्ण जानकारी देवें? **(ख)** बस्तर संभाग अंतर्गत कितने वेटलैंड संरक्षित क्षेत्र का चयन किया गया है एवं उनकी वर्तमान स्थिति जिलेवार बतावें? उनके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विभाग की क्या कार्ययोजना है एवं उक्त हेतु शासन द्वारा कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी तथा वेटलैंड संरक्षण हेतु मॉनिटरिंग हेतु क्या प्रावधान है ? जानकारी देवें? **(ग)** कोंडागांव जिले में विगत 2 वर्षों में विभाग अंतर्गत कितना आबंटन कितने कार्यों हेतु प्राप्त हुआ है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व्याघ्र एवं हाथी परियोजना विभाग नई दिल्ली द्वारा 09 एलीफेंट एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा 06 टायगर कुल 15 गलियारों (कॉरीडोर) की पहचान की गयी है। विगत 3 वर्षों में गलियारों (कॉरीडोर) के संरक्षण एवं संवर्धन के नाम से कोई राशि आबंटित नहीं की गयी है, परंतु विभाग द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने हेतु किये गये कार्य की सूची **संलग्न प्रपत्र-अ** पर है। विगत 3 वर्षों में राशि रू. 16049.61 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रू. 15234.71 लाख व्यय किया गया। **विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब में दर्शित है।** **(ख)** स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (SAC) के एटलस 2021 में उपलब्ध ऑकड़ों के अनुसार बस्तर संभाग अंतर्गत 1027 वेटलैंड का जिलेवार विवरण **संलग्न प्रपत्र-स में दर्शित है।** बस्तर संभाग के समस्त जिलों में जैवविविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 5-5 वेटलैंड का ब्रीफ डाक्यूमेंट एवं हेल्थ कार्ड तैयार कराया गया है। इन वेटलैंड के संरक्षण हेतु इनके डिमारकेशन के लिए बाउंड्री पिल्लर स्थापना का कार्य कराया जा रहा है। बस्तर संभाग में प्राथमिकता के आधार पर जैवविविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वेटलैंड का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान (IMP) तैयार होने के उपरांत बजट मांग का आंकलन संभव होगा। वेटलैंड के संरक्षण की मॉनीटरिंग हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र/एफ 9-55/2016/1/5 दिनांक 21.03.2023 के द्वारा जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला वेटलैंड समिति गठित है। **(ग)** कोंडागांव जिले में विगत 2 वर्षों में 12219 कार्यों हेतु रू. 11307.84 लाख आबंटित किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस" \]](#)

जिला बालोद मे खरीफ फसल (धान) में हुए नुकसान पर मुआवजा राशि का प्रदाय

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

55. (क्र. 1593) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- खरीफ वर्ष 2025-26 में धान की फसल में अतिवृष्टि तथा कीट प्रकोप से हुए नुकसान पर विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर जिला-बालोद के कितने किसानों को फसल नुकसान के एवज में कितनी-कितनी राशि कितने किसानों को प्रदाय की गई है ? तहसीलवार जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : जिला बालोद में खरीफ वर्ष 2025-26 में धान की फसल में अतिवृष्टि तथा कीट प्रकोप से हुई क्षति पर दी गई आर्थिक अनुदान सहायता राशि का तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि रुपए मे)			
क्रं.	तहसील का नाम	किसानों की संख्या	दी गई आर्थिक अनुदान सहायता
1	2	3	4
1	बालोद	0	0.00

2	गुरुर	6	17,725.00
3	डोडीलोहारा	5	1,16,620.00
4	गुण्डरदेही	0	0.00
5	डोण्डी	12	61,115.00
6	अर्जुन्दा	0	0.00
योग		23	1,95,460.00

फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

56. (क्र. 1598) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024 तथा 2025 में क्या विभाग द्वारा फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था? यदि हां तो कितने पदों हेतु विज्ञापन कब जारी किया गया? उक्त विज्ञापन में कितने-कितने पद किन-किन वन मंडलों हेतु भर्ती किया जाना था? कुल कितने अभ्यर्थियों ने विज्ञापित पद के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया? **(ख)** प्रश्नांश "क" के पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया कब से कब तक चली? इस हेतु क्या-क्या मापदंड/नियम/शर्तें निर्धारित थी? क्या शारीरिक परीक्षा की माप मशीन द्वारा किया जाना निर्धारित था? क्या शारीरिक परीक्षा की माप मशीन और मैनुअल दोनों तरीके से किया गया? यदि हां तो अभ्यर्थियों हेतु भिन्न-भिन्न मापदण्ड क्यों अपनाये गये? मशीन द्वारा माप हेतु किस एजेंसी / फर्म का चयन किस आधार पर किया गया? **(ग)** प्रश्नांश "क" की भर्ती प्रक्रिया में कितने परीक्षार्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लिया तथा इस हेतु शारीरिक माप लेने वाली कंपनी को कितना भुगतान किया गया? **(घ)** क्या माप हेतु चयनित कंपनी/फर्म के विरुद्ध तथा भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता/भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां तो कितनी शिकायत प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** वर्ष 2023 तथा 2024 में विभाग द्वारा वनरक्षक की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। वनरक्षक के 1484 पदों हेतु विज्ञापन मई-2023 में जारी किया गया था तथा जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाये थे, उन्हें एक और अवसर प्रदान करते हुये जून-2024 में पुनः विज्ञापन जारी किया गया। उक्त विज्ञापन में भर्ती हेतु वनमण्डलवार पद संख्या की **जानकारी प्रपत्र अनुसार है।** 1484 विज्ञापित पदों के विरुद्ध कुल 4,36,072 अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रस्तुत किया गया।**(ख)** वनरक्षक के विज्ञापित 1484 पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया दिनांक 16.11.2024 से 20.12.2024 तक एवं 28.10.2025 से 14.11.2025 तक चली। इस हेतु अनुमोदित वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया के अनुसार शारीरिक मापजोख, 200 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लम्बीकूद, गोलाफेंक स्पर्धाएं निर्धारित था। हाँ, शारीरिक परीक्षा की माप मशीन द्वारा किया जाना निर्धारित था। शारीरिक परीक्षा की माप केवल मशीन से किया गया है। अतः अभ्यर्थियों हेतु भिन्न भिन्न मापदण्ड अपनाये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। मशीन द्वारा माप हेतु टाईमिंग टेक्नोलॉजिस् हैदराबाद की एजेंसी/फर्म का चयन, खुली निविदा पध्दति से न्यूनतम दर के आधार पर किया गया।**(ग)** वनरक्षक के 1484 पदों की भर्ती प्रक्रिया में दिनांक 16.11.2024 से 20.12.2024 तक की अवधि में 1,51,593 परीक्षार्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लिया तथा दिनांक 28.10.2025 से 14.11.2025 तक की अवधि में लम्बीकूद स्पर्धा को पुनः मशीन से कराये जाने पर 11,823 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। इस हेतु शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा लेने वाली कंपनी टाईमिंग टेक्नोलॉजिस् हैदराबाद को राशि रूपये 272.48 लाख (दो करोड़ बहत्तर लाख अड़तालीस हजार) भुगतान किया गया।**(घ)** हाँ। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता/भ्रष्टाचार किए जाने की 11 शिकायत प्राप्त हुई है। जिसमें से 02 शिकायतों को नस्तीबध्द किया गया, एवं शेष पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"]

बिलासपुर जिले में अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकार निधि मद में स्वीकृत कार्य

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

57. (क्र. 1599) श्री सुशांत शुक्ला : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर जिले में अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 11/02/2026 तक कौन-कौन से कार्य , कितनी-कितनी लागत के कहाँ-कहाँ स्वीकृत किए गए हैं ? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के स्वीकृत कार्यों की पूर्ण, प्रगतिरत, अपूर्ण तथा अप्रारंभ की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रदान करें ? अपूर्ण/ प्रगतिरत कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? **(ग)** प्रश्नांश "क" के स्वीकृत कार्यों में अनियमितता की कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या -क्या कार्यवाही हुई ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** बिलासपुर जिले में अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 11.02.2026 तक स्वीकृत कार्यों की विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 41 कार्यों में से 09 कार्य अप्रारंभ एवं राशि का उपयोग नहीं होने के कारण राशि समर्पित की गई । **(ख)** जानकारी कंडिका (क) के **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** स्वीकृत कार्यों में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस" \]](#)

रायपुर से व्हाया बलौदाबाजार जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ तक प्रस्तावित फोर लेन सड़क हेतु भू-अर्जन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

58. (क्र. 1603) श्री इंद्र साव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जिला-रायपुर से व्हाया बलौदाबाजार जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ तक फोर लेन सड़क की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है ? यदि हां तो सड़क निर्माण के लिए जिला-रायपुर से व्हाया बलौदाबाजार जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ तक कितनी भूमि का भू-अर्जन/अधिग्रहण कर लिया गया है ? फोर लेन सड़क निर्माण के लिए कहां-कहां एवं किस स्थान ग्राम एवं नगर पंचायत की भूमि को अधिग्रहित किया गया है ? ग्राम पंचायत/नगर पंचायत का नाम विकासखण्डवार तथा जिलावार जानकारी उपलब्ध कराएं ? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार फोर लेन सड़क जिला-रायपुर से बलौदाबाजार होते हुए जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ तक किन-किन ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायतों से होकर जा रही है ? उन स्थानों का नाम बताएं ? क्या फोर लेन सड़क निर्माण के लिए इन स्थानों पर भूमि अधिग्रहण एवं भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है ? यदि हां तो किन-किन स्थानों पर भू-अर्जन एवं भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है ? जानकारी दें ? **(ग)** क्या फोर लेन सड़क निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण एवं भू-अर्जन के लिए विभाग द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं अथवा नहीं ? यदि आदेश जारी किए जा चुके हैं तो इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा जिला रायपुर से व्हाया बलौदाबाजार जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ तक फोरलेन करने हेतु वार्षिक योजना 2024-25 में शामिल किया गया है। वर्तमान में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का कार्य प्रगति पर है। भूमि अर्जन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा (3ए) अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** जानकारी **प्रपत्र** अनुसार संलग्न है। फोर लेन निर्माण हेतु भूमि अर्जन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा (3ए) अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** जी हां, कलेक्टर (भू-अर्जन) शाखा, जिला-रायपुर, जिला- बलौदाबाजार एवं जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) (CALA) की नियुक्ति

आदेश जारी किया गया है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 अंतर्गत भू-अर्जन धारा (3ए) की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"]

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोटवारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

59. (क्र. 1606) श्री मोतीलाल साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या रायपुर ग्रामीण अंतर्गत ग्राम-टिकरापारा रा0नि0 रायपुर -दो, तहसील व जिला- रायपुर के खसरा क्रमांक 601 कुल रकबा 1.0030 हेक्टेयर शासकीय अभिलेख में किसके नाम से दर्ज है ? **(ख)** क्या उक्त खसरा क्रमांक 601 कुल रकबा 1.0030 में अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** जिला रायपुर के तहसील रायपुर अंतर्गत ग्राम टिकरापारा प.ह.नं. 70 रा.नि.मं. (पुराना-2) नया-11 स्थित भूमि खसरा नंबर 601 रकबा 1.0030 हे. भूमि खातेदार बुधियारिन बाई बेवा सुखीदास मानिकपुरी ग्राम नौकर कोटवार के नाम पर दर्ज है। **(ख)** जी हां, प्रश्नांक 'क' के उत्तर में दर्शित भूमि के संबंध में हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार रायपुर में अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जिला रायपुर अंतर्गत परिवहन विभाग के फिटनेस सेंटर के संचालन हेतु किया गया अनुबंध

[परिवहन]

60. (क्र. 1607) श्री मोतीलाल साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायपुर अंतर्गत परिवहन विभाग के फिटनेस सेंटर, रावांभाठा को किस-किस फर्म/कंपनी को अनुबंधित कर कार्य दिया गया है ? उक्त संबंध में अनुबंधित नियम व शर्तों की जानकारी दें ? **(ख)** उक्त फर्म/कंपनी की अनुबंधित समय-सीमा का विवरण दें ? **(ग)** फिटनेस सेंटर, रावांभाठा में विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिये फिटनेस हेतु निर्धारित शुल्क विवरण के संबंध में जानकारी दें ? **(घ)** क्या उक्त निर्धारित शुल्क से अधिक की वसूली की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो की गई कार्यवाही की जानकारी दें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जिला रायपुर अंतर्गत विभाग के फिटनेस सेंटर, रावांभाठा को मेसर्स रोविंग आई सिस्टम को अनुबंधित कर कार्य दिया गया है। अनुबंधित नियम एवं शर्तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -अ अनुसार है। **(ख)** मेसर्स रोविंग आई सिस्टम को अनुबंध दिनांक से 10 वर्ष तक के लिए अनुबंधित किया गया है। **(ग)** भारत सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। **(घ)** जी हाँ शिकायत प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत पर जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर फिटनेस सेंटर रावांभाठा के विरूद्ध अनियमितता पाये जाने पर निलंबन एवं अर्थदण्ड का कार्यवाही की गई है।

प्रदेश में संचालित वन विद्यालयों के निर्धारित सेटअप एवं उन्हें स्वीकृत राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

61. (क्र. 1615) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 10 फरवरी, 2026 की स्थिति में वन विभाग के अंतर्गत प्रदेश में कितने वन विद्यालय कहीं-कहीं संचालित हैं? इन वन विद्यालयों के लिए निर्धारित सेटअप एवं वर्तमान में कार्यरत व रिक्त पद की जानकारी दें। **(ख)** वित्तीय

वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 में दिनांक 10 फरवरी, 2026 तक प्रदेश में संचालित किन-किन वन विद्यालयों के लिए कब-कब कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई एवं उनके द्वारा किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है? वर्षवार, मदवार जानकारी दें। (ग) कण्डिका 'ख' की अवधि में संचालित किन-किन वन विद्यालयों में कितने वन रक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है? वर्षवार जानकारी दें।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) प्रश्नावधि में वन विभाग अंतर्गत 03 वन विद्यालय हैं जो महासमुंद, सक्ती एवं जगदलपुर में संचालित हैं। उक्त वन विद्यालयों के लिये स्वीकृत सेटअप एवं वर्तमान में कार्यरत व रिक्त पदों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"अ" अनुसार है। (ख)** वित्तीय वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 में दिनांक 10 फरवरी, 2026 तक प्रदेश में संचालित वन विद्यालयों के लिए स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि की वर्षवार, मदवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"ब" अनुसार है। (ग)** कण्डिका "ख" की अवधि में विभाग में संचालित वन विद्यालयों में वनरक्षकों को दिये गये प्रशिक्षण की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"स" अनुसार है।**

बालोद जिले में सागौन चोरी के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

62. (क्र. 1618) श्रीमती अनिला भंडिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बालोद जिले में बीते दो वर्षों में सागौन चोरी के कितने मामले दर्ज हुए, कितनी लकड़ी जब्त हुई और कितने तस्करों पर वास्तविक कार्यवाही हुई, विवरण दें ? जनवरी 2026 में हुए कथित सागौन घोटाले की उड़नदस्ता जांच की रिपोर्ट प्रति उपलब्ध करायें। इस मामले में अब तक कितने वन विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस या सस्पेंशन दिया गया? (ख) वन अपराधों की रोकथाम के लिए बालोद जिले में कितने "वन अपराध अभियोजन सेल" सक्रिय हैं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बालोद जिले में बालोद वनमण्डल अंतर्गत बीते 02 वर्षों में (जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक) सागौन चोरी के कुल 16 मामले दर्ज हुए। प्रकरणों में काष्ठ 9.574 घ.मी., बल्ली 66 नग लकड़ी जप्त हुई। 14 तस्करों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। **विवरण पुस्तकालय में रखे 'प्रपत्र-अ' अनुसार है।** जनवरी 2026 में हुए कथित सागौन घोटाले की उड़नदस्ता जांच की **रिपोर्ट प्रति पुस्तकालय में रखे 'प्रपत्र-ब' अनुसार है।** इस मामले में अब तक वन विभाग के 02 वनपाल को माह फरवरी, 2026 में कारण बताओ सूचना जारी की गई है एवं 01 वनरक्षक को दिनांक 18/02/2026 को निलंबित किया गया है। 101 वनक्षेत्रपाल के विरुद्ध कारण बताओ सूचना जारी करने का प्रस्ताव वन मुख्यालय को प्राप्त हुआ है, जो परीक्षण में है। (ख) बालोद वनमंडल अंतर्गत वन अपराधों की रोकथाम के लिये कोई "वन अपराध अभियोजन सेल" सक्रिय नहीं है।

पत्रकारों की सुरक्षा हेतु विशेष कानून लागू करने पर विचार

[जनसंपर्क]

63. (क्र. 1628) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा हेतु कोई विशेष कानून अथवा ठोस व्यवस्था वर्तमान में लागू है? यदि नहीं, तो क्या सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने पर विचार कर रही है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) हां, छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मि सुरक्षा अधिनियम 2023 लागू है। शेष प्रश्नों के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता।

बाढ़ आपदा मद से जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्रांगत स्वीकृत कार्य

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

64. (क्र. 1632) श्री ब्यास कश्यप : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह तथ्य सही है कि वर्ष 2024- 25 एवं 2025-26 के दौरान जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ आपदा मद अंतर्गत कार्य स्वीकृति हेतु जिला प्रशासन द्वारा प्रस्ताव भेजे गए थे? यदि हां, तो प्रस्तावों को अस्वीकृति/लंबित रखने के कारण क्या हैं? **(ख)** क्या विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का स्वतः संज्ञान लेकर सर्वे/आंकलन कराया गया? जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** जी हाँ। दिनांक 02.09.2025 को कलेक्टर जांजगीर-चांपा के द्वारा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृति हेतु 8 कार्यों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वर्ष 2024-25 में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को राज्य कार्यपालिक समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाता रखा जाता है, समिति से अनुमोदन उपरान्त ही कार्य स्वीकृत किया जाता है। वर्तमान स्थिति में उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन राज्य कार्यपालिक समिति से नहीं हुआ है।

(ख) जी नहीं।

विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना का संचालन

[उच्च शिक्षा]

65. (क्र. 1633) श्री ब्यास कश्यप : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना संचालित हो रही है? **(ख)** क्या राष्ट्रीय सेवा योजना में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति, वेतन भत्ते एवं सेवा निवृत्ति के उपरांत पेंशन की राशि का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है? यदि हां तो राज्य के कितने कर्मचारियों को जो राष्ट्रीय सेवा योजना से सेवानिवृत्त हुए हैं, को भुगतान किया जा रहा है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना है। प्रदेश के 06 राजकीय विश्वविद्यालयों (पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़) के साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय एवं गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के माध्यम से संचालित है।

(ख) जी हाँ पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के 01 कर्मचारी श्री भगवान सिंह राजपूत, सेवानिवृत्ति तिथि 30.04.2022 से विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

टीवी चैनलों को दिए गए विज्ञापन का भुगतान

[जनसंपर्क]

66. (क्र. 1636) श्रीमती रेणुका सिंह सरूता : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा टीवी चैनलों में विज्ञापन प्रसारण हेतु वर्ष-वार कुल कितनी राशि व्यय की गई है? **(ख)** उपरोक्त अवधि में जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य स्तरीय (State Level) समाचार चैनलों तथा राष्ट्रीय स्तर (National Level) के समाचार चैनलों को वर्ष-वार किस-किस चैनल को, कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? भुगतान का वर्षवार पृथक-पृथक विवरण दें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा चैनलों को विज्ञापन प्रसारण का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	भुगतान की गई राशि
2019-20	31,35,72,185
2020-21	35,66,96,101
2021-22	37,96,53,652
2022-23	67,76,68,455
2023-24	1,56,53,09,780
2024-25	70,90,40,917
2025-26 (जनवरी 2026 तक)	40,76,25,742

(ख) राज्य स्तरीय (State Level) समाचार चैनलों तथा राष्ट्रीय स्तर (National Level) के समाचार चैनलों को भुगतान निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	स्टेट लेवल	नेशनल लेवल	भुगतान की गई राशि
2019-20	21,52,62,388	9,83,09,797	31,35,72,185
2020-21	24,39,97,012	11,26,99,089	35,66,96,101
2021-22	24,37,35,235	13,59,18,417	37,96,53,652
2022-23	42,25,13,547	25,51,54,908	67,76,68,455
2023-24	87,29,60,467	69,23,49,313	1,56,53,09,780
2024-25	45,96,04,440	24,94,36,477	70,90,40,917
2025-26 (जनवरी 2026 तक)	26,23,48,508	14,52,77,234	40,76,25,742

समाचार चैनलों को भुगतान की गई राशि का वर्षवार विवरण **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र** अनुसार है ।

इंदिरा निकुंज रोपणी माना (रायपुर) में महिला स्वसहायता समूह का संचालन

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

67. (क्र. 1642) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वनमंडल रायपुर अंतर्गत इंदिरा निकुंज रोपणी, माना में कुंवारादेव स्वसहायता समूह का संचालन किया जाना जांच में पाया गया है? यदि हां तो कौन-कौन उत्तरदायी पाए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? **(ख)** कुंवारादेव महिला स्वसहायता समूह को कब-कब, कितना-कितना भुगतान किन-किन प्रयोजनों के लिए किया गया? क्या इस समूह की नस्ति कार्यालय से गायब है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** हाँ, रायपुर वनमंडल अंतर्गत इंदिरा निकुंज रोपणी माना में कुंवारादेव महिला स्व-सहायता समूह का संचालन जाँच में पाया गया है। उक्त समूह के संचालन किये जाने के संबंध में तथ्यों को छिपाने तथा गलत जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये है। 1. श्री लोकनाथ पटेल, वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल रायपुर। 2. श्री विश्वनाथ मुखर्जी, संयुक्त वनमंडलाधिकारी, रायपुर वनमंडल। 3. श्री सतीश मिश्रा, परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र रायपुर, रायपुर वनमंडल। 4. श्री तेजा सिंह साहू, वनपाल एवं नर्सरी प्रभारी माना, वन परिक्षेत्र रायपुर। 5. श्री अविनाश वाल्दे, सहायक ग्रेड-02, कैम्पा प्रभारी, रायपुर वनमंडल। 6. श्री प्रदीप तिवारी, सहायक ग्रेड-2, व्यय प्रभारी, रायपुर वनमंडल। 7. श्री अजीत डडसेना, सहायक ग्रेड-3, वन परिक्षेत्र कार्यालय रायपुर, रायपुर वनमंडल। उक्त के संबंध में की गई कार्यवाही:- अवर सचिव छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्र./ ESTB-1024(1)/292/2025-IFS दिनांक 15.07.2025 एवं पत्र क्र./ ESTB-1024(2)/295/2025-FOREST दिनांक

28.05.2025 द्वारा दो अधिकारियों क्रमशः श्री लोकनाथ पटेल, वनमंडलाधिकारी रायपुर एवं श्री विश्वनाथ मुखर्जी, संयुक्त वनमंडलाधिकारी रायपुर को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। शेष अधिकारी/कर्मचारी हेतु वनमंडलाधिकारी धमतरी एवं संलग्नाधिकारी धमतरी द्वारा विभागीय जांच की जा रही है। विभागीय जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उत्तरदायी पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी **(ख)** रायपुर वनमंडल द्वारा नवम्बर 2019 से फरवरी 2025 तक विभागीय मद में राशि रू. 15329995/- एवं कैम्पा मद में राशि रू. 598054/- का पौधा, गोबर खाद एवं वर्मी कम्पोस्ट क्रय के भुगतान की कुल राशि रू. 1,59,28,049/- कुंवारा देव महिला स्व सहायता समूह को किया गया है। विस्तृत **जानकारी संलग्न 'प्रपत्र' में दर्शित है**। कुंवारा देव महिला स्व-सहायता समूह के मार्च, 2024 की स्थिति में आडिट अंकेक्षण रिपोर्ट वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध है। उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रमाणक, केशबुक, लेखा जोखा आदि रिपोर्ट कुंवारादेव महिला स्व सहायता समूह से मांगे जाने पर उनके द्वारा गुम होने की जानकारी दी गई एवं तत्संबंध में समूह द्वारा दिनांक 27.02.2025 को गुमशुदा हो जाने की रिपोर्ट माना कैम्प थाना में की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस" \]](#)

डी.बी. पावर लिमिटेड ग्राम बाड़ादरहा द्वारा भूमि पर कब्जा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

68. (क्र. 1692) श्री रामकुमार यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत ग्राम बाड़ादरहा, तहसील डभरा, जिला जांजगीर-चाम्पा (नवीन जिला सक्ती) की भूमि के संबंध में क्या माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक SA No. 590/2024 में आदेश दिनांक 04.02.2026 में श्री जगदीश एवं अन्य के पक्ष में आदेश पारित हुआ है ? यदि हाँ तो विवरण देंगे। **(ख)** माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा आदेश पारित किए जाने के बावजूद, उक्त भूमि पर डी.बी. पावर लिमिटेड ग्राम बाड़ादरहा द्वारा कब्जा बनाए रखा गया है? यदि हां तो सरकार द्वारा उक्त भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिग्रहित कर उचित मुआवजा एवं पुनर्वास लाभ प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? विस्तृत विवरण देंगे।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** जी हां। उक्त प्रकरण का विवरण **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी हां। वादभूमि पर वर्तमान स्थिति में डी.बी. पावर लिमिटेड ग्राम बाड़ादरहा का कब्जा है। उक्त भूमि के संबंध में वर्तमान में भू-अर्जन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस" \]](#)

बेलमुंडी हाई स्कूल के भूमि पर कब्जे का प्रयास

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

69. (क्र. 1755) श्री धर्मजीत सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलमुंडी में स्थित शासकीय हाई स्कूल का भवन शासकीय भूमि पर निर्मित है? यदि हां, तो कौन सा खसरा नंबर है? **(ख)** क्या उक्त भूमि को कुछ व्यक्तियों द्वारा अपना निजी कब्जा बताकर विद्यालय की भूमि को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है? यदि हाँ, तो शासन को इस संबंध में कब से और कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और अब तक उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** क्या शासन द्वारा कंडिका "क" के हाई स्कूल की भूमि का सीमांकन कराते हुए शासकीय हाई स्कूल की भूमि को कब्जा कब तक मुक्त कराएगी ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** जी हां। शासकीय भूमि खसरा नंबर 372/1 पर निर्मित है। **(ख)** प्राचार्य

शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बेलमुंडी द्वारा कलेक्टर को विद्यालय भवन के आस-पास की भूमि में अतिक्रमण के संबंध में दिनांक 02.04.2025 को पत्र दिया गया है। उक्त संबंध में न्यायालय नायब तहसीलदार, सकरी में अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जांच एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सीमांकन एवं कब्जामुक्त के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 01, 02, 03 एवं 04 हेतु भूमि पट्टा का वितरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

70. (क्र. 1758) श्री धर्मजीत सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या बिलासपुर नगर निगम अंतर्गत वार्ड क्रमांक 01, 02, 03 एवं 04 में गरीब एवं पात्र हितग्राहियों को भूमि पट्टा वितरण करने हेतु पट्टे तैयार किए गए हैं? यदि हाँ, तो कब और कितने पट्टे तैयार किए गए? वार्डवार विवरण देवें? **(ख)** कंडिका "क" के अंतर्गत अब तक कितने पट्टों का वितरण किया जा चुका है तथा कितने पट्टे फरवरी, 2026 तक वितरण हेतु लंबित हैं? वार्डवार विवरण देवें? **(ग)** कंडिका "ख" के अंतर्गत लंबित भूमि पट्टों का कब तक वितरण किया जाएगा?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** बिलासपुर नगर निगम अंतर्गत वार्ड क्रमांक 01, 02, 03 एवं 04 में हितग्राहियों को भूमि पट्टा वितरण करने हेतु वर्ष 2023 में कुल 2235 (वन अधिकार पत्र 1449 एवं राजीव गांधी आश्रय योजना पट्टा 786) पट्टा/वन अधिकारपत्र तैयार किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

वार्ड क्रमांक	वर्ष	कुल तैयार वन अधिकारपत्र/पट्टा	योजना/मद
1 सकरी	2023	506	वन अधिकार पत्र
2 सकरी	2023	187	राजीव गांधी आश्रय योजना
3 उस्लापुर	2023	233	वन अधिकार पत्र
		0	राजीव गांधी आश्रय योजना
4 घुरू	2023	0	वन अधिकार पत्र
		599	राजीव गांधी आश्रय योजना
5 अमेरी	2023	710	वन अधिकार पत्र
		0	राजीव गांधी आश्रय योजना

(ख) प्रश्नांश **(क)** परिप्रेक्ष्य में जानकारी निम्नानुसार है:-

वार्ड क्रमांक	कुल पट्टा	वितरित पट्टा	शेष पट्टा
1 सकरी	506	330	176
2 सकरी	187	0	187
3 उस्लापुर	233	0	233
4 घुरू	599	20	579
5 अमेरी	710	612	88

(ग) आयुक्त भू-अभिलेख छ0ग0 नवा रायपुर अटल नगर का पत्र दिनांक 06.08.2024 द्वारा जारी निर्देश के परिप्रेक्ष्य में छ0ग0 नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 तथा उसके अधीन बने नियमों के तहत वितरित पट्टों की जांच प्रक्रियाधीन है। जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

एसीबी/ईओडब्लू को प्राप्त प्रकरण एवं कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

71. (क्र. 1936) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** एसीबी/ईओडब्लू को 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2025 तक कुल कितने प्रकरण प्राप्त हुये?

कितनों पर एफआईआर हुआ? कितने मामलों पर कोर्ट में चालान पेश हुआ तथा कितने मामले अनवेषण पर हैं?(ख)क्या शिकायत अथवा शासन द्वारा एसीबी/ईओडब्लू को दिये जाने वाले मामलों के अन्वेषण/कार्यवाही/एफ आई आर करने की कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित है? यदि नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) एसीबी/ईओडब्लू को 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2025 तक कुल 5502 प्रकरण प्राप्त हुये है। 258 प्रकरणों पर एफआईआर हुआ। 173 प्रकरणों में कोर्ट में चालान पेश हुआ तथा 46 मामले अनवेषण पर लंबित है। (ख) जी नहीं, शिकायत अथवा शासन द्वारा एसीबी/ईओडब्लू को दिये जाने वाले मामलों के अन्वेषण/कार्यवाही/एफआईआर करने की कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं है। क्योंकि शिकायतों में शासन/विभागों से धारा-17(क) भ्र.नि.अधि. यथासंशोधित 2018 के तहत पूर्वानुमोदन/तथ्यात्मक प्रतिवेदन/आवश्यक जानकारी प्राप्त होने के उपरांत ब्यूरो में शिकायतों के जांच/सत्यापन में संज्ञेय अपराध घटित किये जाने के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्राप्त होने पर एफआईआर./अपराध पंजीबद्ध किया जाता है।

नदी, नाला, तालाब एवं कुआं के संरक्षण, संवर्धन, पुनरोद्धार एवं जीर्णोद्धार हेतु किए गए कार्य

[जल संसाधन]

72. (क्र. 1984) श्री धर्मजीत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या नदी, नाला, तालाब एवं कुआं के संरक्षण, संवर्धन, पुनरोद्धार एवं जीर्णोद्धार के लिए शासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है? हां, तो कौन-कौन से योजना के तहत क्या-क्या कार्य किया जा रहा है? (ख) कंडिका "क" के तहत वर्ष 2024 से 31 जनवरी, 2026 तक बिलासपुर जिला अंतर्गत कितने-कितने नदी, नाला, तालाब एवं कुआं में अवैध कब्जा एवं प्रयोजन बदलकर अवैध निर्माण/कब्जा की शिकायतें प्राप्त हुई है अथवा संज्ञान में आया है? (ग) कंडिका "ख" के कितने अवैध निर्माण/कब्जा की शिकायतें अथवा संज्ञान के मामले में कार्यवाही कर मुक्त कराया गया है एवं कितने लंबित हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी हाँ, नदी, नाला एवं तालाब संरक्षण, संवर्धन, पुनरोद्धार एवं जीर्णोद्धार के लिए विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कौन-कौन से योजना के तहत क्या-क्या कार्य किया जा रहा है की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। कुआ के संरक्षण, संवर्धन, पुनरोद्धार एवं जीर्णोद्धार कार्य विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। (ख) कंडिका "क" के तहत वर्ष 2024 से 31 जनवरी, 2026 तक बिलासपुर जिला अंतर्गत नदी, नाला, तालाब एवं कुआं में अवैध कब्जा एवं प्रयोजन बदलकर अवैध निर्माण/कब्जा की कोई भी शिकायत विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। (ग) कंडिका "ख" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस"]

भाग-3**अतारांकित प्रश्नोत्तर****पंजीकृत सहकारी समिति की कार्यवाही प्रक्रिया**

[सहकारिता]

1. (क्र. 20) श्री ललित चंद्राकर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में पंजीकृत सहकारी समिति की कार्यवाही प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करवाने की कार्यवाही प्रक्रिया हेतु लागू अधिनियम, नियम एवं शासनादेश की प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार पंजीकृत सहकारी बैंकों से जानकारी लेने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होता है अथवा नहीं ? यदि हाँ तो प्राधिकृत अधिकारी का नाम पदनाम सहित पूर्ण विवरण दें। **(ग)** प्रश्नांक 'ख' अनुसार यदि नहीं है तो इसके कारण के विधिक आधार की जानकारी दें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** प्रदेश में पंजीकृत सहकारी समितियों की कार्यवाही प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के प्रावधान की प्रति **संलग्न प्रपत्र** में है। **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार पंजीकृत सहकारी बैंकों से जानकारी लेने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू नहीं होता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित ही नहीं होता है। **(ग)** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ज) के अनुसार पंजीकृत सहकारी बैंक, लोक प्राधिकारी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस" \]](#)

जिला गरियाबंद के वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के बजट में शामिल कार्य

[जल संसाधन]

2. (क्र. 39) श्री रोहित साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला गरियाबंद हेतु जल संसाधन विभाग के बजट वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में शामिल कार्यों की संख्या की जानकारी, वर्ष वार एवं विधानसभा वार कितनी है? कितने कार्यों की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजे गए? **(ख)** शामिल कार्यों में से कितने कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा शेष कार्यों की स्वीकृति न होने के क्या कारण है? जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जिला गरियाबंद हेतु जल संसाधन विभाग के बजट वर्ष 2024-25 में राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 53 कार्य एवं बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 34 कार्य, कुल 87 कार्य शामिल है एवं वर्ष 2025-26 में राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 11 कार्य एवं बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 24 कार्य, कुल 35 कार्य शामिल है। बजट वर्ष 2024-25 में शामिल 29 कार्यों का तथा वर्ष 2025-26 में शामिल 12 कार्यों का डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को भेजे गए है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार बजट वर्ष 2024-25 में शामिल 87 कार्यों में से 12 कार्यों तथा बजट वर्ष 2025-26 में शामिल 35 कार्यों में से 06 कार्यों की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई है। शेष कार्यों के स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विभाग अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है।

छत्तीसगढ़ शासन की जनसंपर्क विज्ञापन नीति

[जनसंपर्क]

3. (क्र. 315) श्री ललित चंद्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में विज्ञापन देने के लिए किस अधिनियम, नियम का विधि निर्देश तथा शासकीय आदेश व निर्देशों का पालन कर, विज्ञापन दिया जाता है? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार यदि हां तो सभी अधिनियम नियम आदेश निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें । **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार नहीं तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए जा रहे विज्ञापन कार्यवाही प्रक्रिया का विवरण दें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में विज्ञापन नियमावली-2019 दिनांक 23 जुलाई 2019 एवं संशोधित विज्ञापन नियमावली 13 अगस्त 2020, 17 मई 2023, 01 अगस्त 2023 तथा 5 सितंबर 2023 के तहत विज्ञापन जारी किया जाता है। **(ख)** नियमावली की प्रति पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है । **(ग)** निरंक।

ओवरलोड राखड़ के परिवहन में कार्यवाही

[परिवहन]

4. (क्र. 363) श्री फूलसिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** 1 जनवरी, 2025 से दिनांक 31.01.2026 तक कोरबा, जांजगीर में ओवरलोड राख परिवहन के कितने प्रकरणों में कार्यवाही की गई है ? वाहनों के अतिरिक्त उक्त संबंधित प्रतिष्ठान जहां से ओवरलोड राख का परिवहन किया जा रहा है, उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी ? क्या एन.टी.पी.सी बालको प्लांट में वेब्रिज की स्थापना के बाद भी ओवरलोड राख परिवहन हो रहा है, यदि हां तो क्या एन.टी.पी.सी. बालको प्लांट में पहले से मौजूद वेब्रिज की जांचकर उस पर कार्यवाही करेंगे ? **(ख)** ग्राम पंचायत ढोंगदरहा में बड़े झाड़ के जंगल में राख डालने की अनुमति क्या अनुविभागीय अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आती है, या वनमंडल अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में? यदि वनमंडल क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा अनुमति दी गई है, तो उस पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** परिवहन विभाग द्वारा प्रश्नांकित अवधि तक कोरबा, जांजगीर में ओवरलोड राख परिवहन के 29 वाहनों पर कार्यवाही की गई है। एन.टी.पी.सी बालको परिवहन विभाग के अधीन नहीं है शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जिला कलेक्टर कोरबा से प्राप्त **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास"]

DMF मद की राशि का व्यय

[खनिज साधन]

5. (क्र. 397) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला रायपुर अंतर्गत जिला खनिज न्यास निधि (DMF) में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान कुल कितनी राशि उपलब्ध थी? कृपया वर्षवार विवरण दें। **(ख)** उक्त अवधि में उपलब्ध DMF राशि में से जिला रायपुर के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? कृपया वर्षवार एवं विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** रायपुर जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में

48 करोड़ 77 लाख 88 हजार, 2023-24 में 29 करोड़ 17 लाख 22 हजार एवं 2024-25 में 39 करोड़ 41 लाख 59 हजार रूपये की राशि उपलब्ध था। **(ख)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पचास " \]](#)

कोरबा जिला में रेत खदानों की संख्या एवं अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की प्राप्त शिकायत [खनिज साधन]

6. (क्र. 641) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) कोरबा जिला में वर्तमान में संचालित वैध रेत खदानों की कुल संख्या उनका भौगोलिक रकबा, स्वीकृत खनन मात्रा, भंडारण लाइसेंस प्राप्त इकाइयों का विवरण इकाईवार/तहसीलवार/ग्राम पंचायतवार एवं पर्यावरणीय स्वीकृति की स्थिति की जानकारी देवें? **(ख)** कोरबा जिला में इस वित्तीय वर्ष में की गई अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की कुल संख्या कितनी है एवं इस पर क्या कार्यवाही की गई, जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :**(क)** कोरबा जिले में कुल 18 रेत खदानें संचालित है, जानकारी संलग्न प्रपत्र- "अ" अनुसार है तथा कुल 08 रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत है, जानकारी संलग्न प्रपत्र- "ब" अनुसार है। **(ख)** कोरबा जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 (माह जनवरी 2026 तक) अवैध उत्खनन के 21, अवैध परिवहन के 264 एवं अवैध भण्डारण के 10 प्रकरण दर्ज किया जाकर कुल 73 लाख 73 हजार 12 रूपये समझौता राशि वसूल किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन" \]](#)

अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों की कृषि/गैर कृषि भूमि के विक्रय/लीज की प्रदत्त अनुमति [राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

7. (क्र. 677) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ में गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों की कृषि भूमि/गैर कृषि (व्यपवर्तित) भूमि के विक्रय/लीज की अनुमति हेतु क्या नियम/प्रक्रिया है? किन-किन शर्तों के तहत किन-किन अधिकारियों के द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है? **(ख)** रायपुर जिला अंतर्गत वर्ष 2022 से 2025 के मध्य अनुसूचित जाति वर्ग के किन किन व्यक्तियों को, किन किन ग्रामों की, कितनी कितनी भूमि (खसरा व रकबा) को विक्रय/लीज किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी? **(ग)** कृपया अनुमति प्रदानकर्ता अधिकारियों के पद की जानकारी भी दें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :**(क)** छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत गैर अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों की कृषि भूमि/गैर कृषि (व्यपवर्तित) भूमि के विक्रय/लीज की अनुमति दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण अनुमति की आवश्यकता नहीं है।**(ख)** प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(ग)** प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सिहावा विधानसभा अन्तर्गत अवैध मुरूम खनन एवं परिवहन के दर्ज प्रकरण [खनिज साधन]

8. (क्र. 740) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2023-24 से 31.01.2026 की अवधि में कौन-कौन से ग्राम पंचायत द्वारा मुरूम उत्खनन एवं परिवहन हेतु पट्टा स्वीकृति प्रदान की गयी है ? पंचायतवार जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" अवधि में अवैध मुरूम उत्खनन एवं परिवहन हेतु कितने प्रकरण विभाग द्वारा दर्ज किए गए एवं कितनी-कितनी राशि चालान से शासन के खाते में हस्तांतरित की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) ग्राम पंचायत द्वारा मुरूम उत्खनन एवं परिवहन हेतु पट्टा स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। अपितु छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के तहत सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2023-24 से 31.01.2026 तक तालाब गहरीकरण से प्राप्त मुरूम परिवहन की अनुमति दी गई है। **जानकारी "प्रपत्र" अनुसार है।** (ख) सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रशांश "क" अवधि में अवैध मुरूम उत्खनन का 02 प्रकरण दर्ज किया जाकर 01 लाख 65 हजार रूपये समझौता राशि के रूप में वसूल किया गया है। सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत अवैध मुरूम परिवहन की जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बावन" \]](#)

धमतरी जिले अन्तर्गत ओव्हरलोड परिवहन के दर्ज प्रकरण

[परिवहन]

9. (क्र. 741) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) धमतरी जिले अन्तर्गत वर्ष 2023-24 से 31.01.2026 की अवधि तक ओव्हरलोड परिवहन करते हुए कितने वाहनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किये गये है ? जानकारी देवें ? (ख) संबंधितों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? जुर्माने के अतिरिक्त दण्ड के और क्या प्रावधान हैं ? जानकारी बतावें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) धमतरी जिले में प्रशांकित अवधि में 230 वाहन पर ओव्हरलोड का प्रकरण दर्ज किया गया है। (ख) मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधान के तहत संबंधितों के विरुद्ध शमन शुल्क वसूली की कार्यवाही की गई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन" \]](#)

लेमरू ऐलीफेंट रीजर्व की वर्तमान स्थिति

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

10. (क्र. 755) श्री फूलसिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- लेमरू ऐलीफेंट रीजर्व की वर्तमान स्थिति क्या है और हाथियों को गांव एवं रिहायशी इलाकों से दूर रखने के लिए सौर बाड़ा (सोलर फेंसिंग) या अन्य तकनीक के उपयोग की क्या स्थिति है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : लेमरू हाथी रीजर्व की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 को जारी हुई, जिसमें कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़ एवं सरगुजा वनमण्डलों के 1995.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है। लेमरू हाथी रीजर्व अंतर्गत हाथियों को गांव एवं रिहायशी इलाकों से दूर रखने के लिए सौर बाड़ा (सोलर फेंसिंग) का उपयोग नहीं किया गया है। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में एलर्ट सिस्टम, हाथी ट्रैकिंग दल के माध्यम से हाथियों को रोकने प्रचार-प्रसार किया जाता है। हाथियों के रहवास के विकास का कार्य किया जा रहा है। ड्रोन का भी हाथियों की निगरानी में उपयोग किया जा रहा है। विषय विशेषज्ञों से विमर्श कर हाथी दलों के व्यवहार का अध्ययन कर हाथी-मानव द्वंद को कम करने के उपाय किए जाते हैं।

शहीद राजीव पांडेय शासकीय महाविद्यालय भाठागांव, रायपुर में अन्य विषय का प्रारंभ

[उच्च शिक्षा]

11. (क्र. 963) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या फरवरी, 2024 में विधानसभा में प्रस्तुत बजट में उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत शहीद राजीव पांडेय शासकीय महाविद्यालय भाठागांव, रायपुर में एम.काम. उपाधि एव बी.ए. में इतिहास विषय प्रारंभ करने हेतु प्रावधान किया गया था? यदि हां तो क्या अब तक उक्त महाविद्यालय में सत्र 2025-26 तक ये उपाधि और विषय प्रारंभ नहीं

किए गये हैं। यदि हां तो क्या उक्त महाविद्यालय में प्रावधानित उपाधि और विषय में अध्ययन-अध्यापन आगामी शिक्षा सत्र से प्रारंभ करेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : जी हां। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से स्वीकृत निर्माण कार्य

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

12. (क्र. 975) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से वर्ष 2023 -24 से लेकर 31/01/2026 तक कितने और कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए ? स्वीकृत राशि सहित जानकारी देंगे ? (ख) स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से वर्ष 2023-24 से 31.01.2026 तक कुल 10 निर्माण कार्य स्वीकृत हुये है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।(ख) स्वीकृत कार्यों में से 09 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 01 कार्य अप्रारंभ है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

मस्तूरी विकासखंड अंतर्गत धान खरीदी केंद्रों में केंद्र प्रभारी सहित कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

[सहकारिता]

13. (क्र. 988) श्री दिलीप लहरिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सत्य है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान बिलासपुर जिले के अंतर्गत संचालित समस्त धान खरीदी केंद्रों/सेवा सहकारी समितियों में केंद्र प्रभारी सहित अनेक श्रेणियों के कर्मचारी कार्यरत हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो कृपया खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में बिलासपुर जिले के प्रत्येक धान खरीदी केंद्र/समिति का नाम एवं स्थान, केंद्र प्रभारी का नाम,पदनाम केंद्र पर कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का विवरण दें? **(ग)** क्या कुछ धान खरीदी केंद्रों पर स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों को कार्य में लगाया गया है? यदि हाँ, तो उक्त कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हैं तथा क्या उनकी नियुक्ति शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप की गई है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी हाँ। (ख) खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 मे बिलासपुर जिला अंतर्गत धान खरीदी केन्द्र/समिति का नाम एवं स्थान, केन्द्र प्रभारी का नाम, पदनाम, केन्द्र पर कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का विवरण **पुस्तकालय में रखे जाने हेतु प्रपत्र** में है। (ग) धान खरीदी केन्द्रों के लिए कोई स्टाफिंग पैटर्न स्वीकृत नहीं है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

कोरबा जिला में जिला खनिज न्यास संस्थान निधि से प्राप्त राशि

[खनिज साधन]

14. (क्र. 996) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) कोरबा जिला खनिज न्यास संस्थान निधि में वर्ष 2023-24 से 30 जनवरी, 2026 तक किन-किन संस्थाओं के माध्यम से प्रति वर्ष कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? उक्त अवधि में न्यास को प्राप्त राशि के विरुद्ध कार्यों की स्वीकृति हेतु शासी परिषद की कितनी बैठक की गयी और कितने कार्यों का बैठक में अनुमोदन किया गया ? वर्षवार, विकासखंडवार अनुमोदित कार्यों की जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार प्राप्त राशि को व्यय

किये जाने हेतु निर्धारित मापदंड क्या है? जानकारी उपलब्ध करावें? यदि शासन के निर्देशानुसार समय-समय पर न्यास नियमों में किसी प्रकार का आंशिक संशोधन किया गया है तो जानकारी उपलब्ध करावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) कोरबा जिला खनिज न्यास संस्थान निधि में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से राशि प्राप्त नहीं होती है। अपितु मुख्य एवं गौण खनिज से प्राप्त रॉयल्टी के आधार पर अंशदान के रूप में राशि प्राप्त होने के पश्चात् न्यास निधि में राशि हस्तांतरित की जाती है। वर्षवार हस्तांतरित राशि की जानकारी “पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ” अनुसार है। वर्ष 2023-24 से 30 जनवरी 2026 तक शासी परिषद की कुल 06 बैठक किये गये, स्वीकृति कार्यों की वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी “पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब” अनुसार है। (ख) खनिज न्यास नियम-2015 यथा संशोधित 2025 के प्रावधानों के आधार पर ही प्राप्त राशि को व्यय किया जाता है। प्रश्नांकित अवधि में खनिज न्यास नियमों में किये गये संशोधन की प्रतियां “पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स” अनुसार है।

शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित प्लेसमेंट सेल से छात्रों को प्रशिक्षण

[उच्च शिक्षा]

15. (क्र. 1043) श्री अजय चंद्राकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ के कितने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्लेसमेंट सेल स्थापित हैं? इन प्लेसमेंट सेल द्वारा विगत 03 वर्ष में कितने छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया है? छात्रों को क्या-क्या सुविधायें देने का प्रावधान है और क्या-क्या सुविधायें विगत तीन वर्ष में दी जा रही हैं? वर्षवार अलग-अलग बतायें? (ख) उक्त कौन-कौन से शैक्षणिक संस्थानों में, कब-कब, कौन-कौन सी कंपनियां को प्लेसमेंट के लिये बुलाया गया और उनमें से कौन-कौन सी कंपनियां इन संस्थानों में आयी और कितने छात्रों को, कितनी पैकेज तक का रोजगार दिया गया?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) छत्तीसगढ़ के कुल 343 शैक्षणिक संस्थानों में से 199 में प्लेसमेंट सेल स्थापित है। इन प्लेसमेंट सेल द्वारा विगत 03 वर्षों में कुल 23,721 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। जानकारी पुस्तकालय प्रपत्र-‘अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र- ‘ब’ अनुसार है।

राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि एवं राज्य आपदा मोचन निधि की राशि का उपयोग

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

16. (क्र. 1045) श्री अजय चंद्राकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि एवं राज्य आपदा मोचन निधि की राशि का उपयोग के संबंध में क्या-क्या नियम-निर्देश हैं? किन-किन कार्यों के लिये व्यय किये जाने का नियम है? अलग-अलग बतायें? (ख) प्रश्नांक (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया था? क्या उसमें केन्द्र सरकार द्वारा राशि प्रदाय की जाती है और यदि प्रदाय की जाती है तो अलग से बताये तथा कितनी-कितनी राशि, कितने कार्यों में व्यय की गयी? कितनी राशि व्यय नहीं कर पायें? उसका कारण क्या था? वर्षवार, निधिवार अलग-अलग बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद से भविष्य में आने वाले आपदा से होने वाली क्षति को कम करने के लिए व्यय करने का नियम है एवं राज्य आपदा मोचन निधि से प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त अवसंरचना की मरम्मत व पुनरूद्धार करने तथा प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति पर प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक अनुदान सहायता देने का प्रावधान है। राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक कार्य तथा राज्य आपदा मोचन निधि से प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त अवसंरचना की मरम्मत व पुनरूद्धार करने तथा प्राकृतिक आपदा एवं नैसर्गिक विपत्तियों से मृत्यु, फसल क्षति,

मकान क्षति, पशु हानि आदि होने पर आर्थिक अनुदान सहायता पर व्यय करने का प्रावधान है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** उक्त मदों में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 75 प्रतिशत राशि प्रदाय की जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

प्रदेश में खरीफ एवं रबी फसल का उत्पादन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

17. (क्र. 1057) श्री अजय चंद्राकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में 31 जनवरी, 2026 की स्थिति में कितने हेक्टेयर/एकड़ कृषि योग्य भूमि है? कितने सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र हैं? वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक खरीफ एवं रबी फसल का रकबा (हेक्टेयर/एकड़ में) एवं कुल उत्पादन व औसतन प्रति एकड़ उत्पादन (मेट्रिक टन/क्विंटल में) कितना-कितना रहा है? फसलवार, वर्षवार, जिलावार अलग-अलग बतायें? **(ख)** छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद से कृषि योग्य कितने हेक्टेयर की भूमि का डायवर्सन, किन-किन क्षेत्रों के उपयोग के लिये किया गया? 17.02.2026 तक कृषि योग्य भूमि में कितने हेक्टेयर/एकड़ की कमी आयी है या बढ़ी है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति का अनुपात

[सामान्य प्रशासन]

18. (क्र. 1093) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्तमान में छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर के कितने पद रिक्त हैं? **(ख)** क्या डिप्टी कलेक्टर की पद पूर्ति सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से की जाती है? अगर हाँ, तो तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर में पदोन्नत करने हेतु कितना अनुपात लिया जाता है? **(ग)** पूर्व में कितने तहसीलदार को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया और कब किया गया? कुल पद के विरुद्ध कितने अनुपात में किया गया? **(घ)** क्या डिप्टी कलेक्टर पद की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती एवं तहसीलदार से पदोन्नति करने का 50/50 का अनुपात लागू किया गया है अथवा 50/50 अनुपात में किए जाने हेतु कोई कार्यवाही/प्रस्ताव की जा लंबित है, अगर है तो किस स्तर पर लंबित है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) वर्तमान में छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर के कुल 42 पद रिक्त हैं। **(ख)** जी हाँ। तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर में पदोन्नत करने हेतु 40 प्रतिशत का अनुपात लिया जाता है। **(ग)** पूर्व में 2001 से 2025 तक कुल 336 अधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है। कुल पद के विरुद्ध वर्ष 2001 से 2020 तक 50/50 तथा वर्ष 2021 से 2025 तक 60/40 अनुपात में पदोन्नत किया गया है। **(घ)** जी हाँ। सीधी भर्ती एवं तहसीलदार से पदोन्नति करने का 50/50 का अनुपात किये जाने हेतु अधिसूचना दिनांक 20.02.2026 जारी किया गया है।

शासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत /कार्यरत/ रिक्त पद

[उच्च शिक्षा]

19. (क्र. 1110) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में कुल कितने कहां-कहां पर शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं? क्या महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित हैं? संचालित महाविद्यालयों के किन-किन संवर्ग के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत हैं एवं कितने रिक्त हैं? **(ख)** महाविद्यालयों के लिए स्वयं के भवन का निर्माण एवं

रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है एवं कब तक पूर्ति की जावेगी, समयावधि बतावें? विधानसभा में स्वीकृत किये गये नये महाविद्यालय ग्राम कंतेली में भवन का निर्माण एवं सेटअप की स्वीकृति हेतु दिनांक 31.01.2026 तक क्या कार्यवाही की गई एवं कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। कंतेली में नवीन महाविद्यालय के भवन निर्माण एवं सेटअप स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन" \]](#)

बाड़ एवं आपदा प्रबंधन/पर्यावरण एवं अधोसंरचना तथा राहत एवं न्यूनीकरण मद अंतर्गत प्रस्तावित कार्य

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

20. (क्र. 1134) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) स्थानीय विधायक द्वारा विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में वर्ष 2023 से दिनांक 31.01.2026 तक बाड़ एवं आपदा प्रबंधन / पर्यावरण एवं अधोसंरचना तथा राहत एवं न्यूनीकरण मद से किस-किस प्रकार के किन-किन कार्यों हेतु किस-किस दिनांक को प्रस्ताव प्रेषित किया गया? (ख) स्थानीय विधायक के प्रस्ताव अनुसार अब तक किस-किस प्रकार के कितनी राशि के कितने कार्य स्वीकृत किये गये? स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण तथा अपूर्ण हैं? कार्यवार राशिवार जानकारी दें। शेष लंबित प्रस्ताव की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी, समयावधि बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला मुंगेली के मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्राधीन अवधि में अधोसंरचना एवं पर्यावरण उपकर निधि से 49 कार्य हेतु दिनांक 02.08.2024 तथा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से 13 कार्य हेतु दिनांक 13.06.2025 को प्रस्ताव प्राप्त हुये। कार्यों की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) पर्यावरण अधोसंरचना मद से 16 कार्य रूपये 96.00 लाख तथा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से 11 कार्य रूपये 150.00 लाख के स्वीकृत किये गये हैं। कार्यवार, राशिवार, पूर्ण एवं अपूर्ण की जानकारी संलग्न प्रपत्र - ब अनुसार है। शेष लंबित प्रस्तावों के संबंध में समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन" \]](#)

वि.ख. बरमकेला के डभरा व आमाकोनी ग्राम पंचायत को बरमकेला तहसील में शामिल करने का आदेश

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

21. (क्र. 1139) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या विधानसभा क्षेत्र सारंगढ़ के बरमकेला विकास खण्ड अंतर्गत डभरा ग्राम पंचायत एवं आमकोनी ग्राम पंचायत को सरिया तहसील से बरमकेला तहसील में जोड़ने हेतु आदेश जारी हो गया है? यदि हां, तो आज दिनांक तक दोनों ग्राम पंचायत के निवासियों का कामकाज सरिया तहसील से ही क्यों किया जा रहा है? उपरोक्त दोनों पंचायत के लोगों को बरमकेला तहसील कार्यालय द्वारा कब तक कामकाज का लाभ मिलेगा? कृपया जानकारी दें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : विधानसभा क्षेत्र सारंगढ़ के बरमकेला विकासखण्ड अंतर्गत डभरा ग्राम पंचायत एवं आमाकोनी ग्राम पंचायत को सरिया तहसील से बरमकेला तहसील में जोड़ने हेतु कार्यालय कलेक्टर जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के अधिसूचना क्रमांक 563 दिनांक 08.10.2025 के द्वारा आदेश जारी किया जा चुका

है, जिससे उक्त ग्राम पंचायतों के कुल 07 ग्रामों (1. डभरा 2. भंवरपुर 3. आमाकोनी बड़े 4. आमाकोनी छोटे 5. भकुरा 6. जामजोरी 7. डड़ाईडीह) को सरिया तहसील से बरमकेला तहसील में जोड़ लिया गया है। मैपिंग कार्य उपरांत दिनांक 19.02.2026 से उक्त ग्राम पंचायतों के समस्त ग्रामों का राजस्व संबंधित समस्त कार्य बरमकेला तहसील कार्यालय में संपादित किया जा रहा है।

जिला राजनांदगांव व केसीजी में ओवरलोड/भारीवाहन की जांच

[परिवहन]

22. (क्र. 1152) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2022 से जनवरी, 2026 तक क्या जिला राजनांदगांव व केसीजी में ओवरलोड गाड़ियां / भारी वाहन टोल बचाने के लिए अवैध तरीके से शहरी आबादी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? क्या उक्त के रोकथाम के लिये क्या आरटीओ, पेट्रोलिंग वाहन के द्वारा जांच हेतु पेट्रोलिंग की जाती है? यदि नहीं तो क्यों? क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त से खराब सड़कों की मरम्मत व नवनिर्माण हेतु शिकायत की गई, वर्षवार जानकारी देवे? **(ख)** उक्त ओवरलोड गाड़ियों को अनाधिकृत रूप से शहरी / आबादी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश से रोकने के लिए कितने जांच चौकी एवं उड़नदस्ता दल गठित किए गए हैं? **(ग)** वर्ष 2022 से जनवरी, 2026 तक उक्त जांच चौकी एवं उड़नदस्ता दल द्वारा कितने ओवरलोड गाड़ियों के उपर चालानी कार्यवाही कर कितने राजस्व राशि की वसूली हुई? वर्षवार पूर्ण जानकारी देवे?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** प्रश्नांश क के संबंध में 02 शिकायत प्राप्त हुई है। जी हां। परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोड, कर अपवंचन तथा मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के विरुद्ध आवश्यकतानुसार एवं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यवाही की जाती है तथा संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खराब सड़कों की मरम्मत व नवनिर्माण हेतु शिकायत नहीं की गई है। **(ख)** परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोड, कर अपवंचन तथा मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के विरुद्ध सभी मार्गों पर कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में 02 परिवहन उड़नदस्ता एवं 01 परिवहन चेकपोस्ट संचालित है। **(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन" \]](#)

वन्य प्राणियों की मृत्यु पर कृत कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

23. (क्र. 1154) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिसम्बर, 2023 से 09 फरवरी, 2026 तक प्रदेश के किन-किन वन्य अभ्यारण्यों में कितने-कितने तथा कौन-कौन से वन्य प्राणियों की मृत्यु हुई है? मृत्यु के कारण सहित विवरण देवे? **(ख)** वन्य प्राणियों की मृत्यु की घटना की जांच हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है और जांच में दोषी पाये जाने पर दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाहियां की गई है वर्षवार पूर्ण जानकारी देवे?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** प्रदेश में दिसम्बर, 2023 से 09 फरवरी 2026 तक वन्य अभ्यारण्यों में कुल 82 वन्यप्राणियों की मृत्यु हुई है। वन्यप्राणियों की मृत्यु के कारण सहित विवरण **पुस्तकालय में रखे 'प्रपत्र' अनुसार है।** **(ख)** अभ्यारण्यों में वन्यप्राणियों की मृत्यु के दर्ज 77 प्रकरणों पर की गई कार्यवाही एवं जांच में दोषी पाये गये दोषियों पर की गई कार्यवाही की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे 'प्रपत्र' अनुसार है।**

बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग द्वारा पौधारोपण हेतु संचालित कार्यक्रम

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

24. (क्र. 1194) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बसना विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2024 से जनवरी 2026 के बीच किए गए पौधारोपण अभियान के अंतर्गत कुल कितने पौधे रोपे गए और वर्तमान में इनका जीवित प्रतिशत कितना है? जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने एवं हरित आवरण बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा कौन-कौन से विशेष कार्यक्रम इस क्षेत्र में संचालित किया जा रहे हैं?**(ख)** बसना विधानसभा क्षेत्र में वनोपज आधारित आजीविका (लघु वनोपज- जैसे तेंदूपत्ता, चार, महुआ, चरौता, हर्षा) के लिए विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं लागू हैं? पिछले तीन वर्षों में इन योजनाओं के तहत कितने ग्रामीण एवं वनाश्रित परिवार लाभान्वित हुए हैं और उन्हें कुल कितना आर्थिक लाभ प्रदान किया गया है? आजीविका बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा नई पहल या मूल्यवर्धन इकाइयां स्थापित करने की क्या योजना है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** बसना विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2024 से जनवरी 2026 के बीच वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत कुल 10,90,000 पौधे रोपित किए गए। वर्तमान में 90.52 प्रतिशत पौधे जीवित हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने एवं हरित आवरण बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा विभागीय, मनरेगा, कैम्पा मद, औषधि पादप बोर्ड और वन विकास निगम के तहत पौधा रोपण, एक पेड़ माँ के नाम, किसान वृक्ष मित्र योजना, हरियाली प्रसार योजना, मुख्य मंत्री बांस विकास योजना के माध्यम से कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। **(ख)** बसना विधानसभा क्षेत्र में रू. 5500 प्रति मानक बोरा की दर पर तेन्दूपत्ता संग्रहण योजना, तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस), चरणपादुका वितरण योजना, संघ संचालित सामूहिक सुरक्षा योजना, प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्रवृत्ति योजना, व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक कोर्स छात्रवृत्ति योजना एवं लघुवनोपज संग्रहण संबंधी कार्यों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू है। उक्त योजनाओं से वनाश्रित परिवार/लाभान्वित हितग्राहियों को प्राप्त आर्थिक लाभ की **जानकारी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है।** न्यूनतम समर्थन मूल्य/समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत क्रय किये गये लघुवनोपज का प्राथमिक प्रसंस्करण प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन अंतर्गत स्थापित वन धन विकास केन्द्र के माध्यम से किया जा रहा है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ" \]](#)

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित मोबाईल टावर

[इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी]

25. (क्र. 1201) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में कितने मोबाईल टावर स्थापित हैं? उनमें से कितने क्रियाशील व कितने बंद हैं? **(ख)** मुख्यमंत्री मोबाईल टावर योजना अंतर्गत जांजगीर-चाम्पा जिले के कितने गांव का चिन्हांकन किया गया है? जिले के कितने गांवों में मोबाईल टावर नहीं हैं? उन गांवों में टावर लाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विधानसभावार जानकारी प्रदान करें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से प्राप्त जानकारी अनुसार अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 77 मोबाइल टावर स्थापित है जिससे विधानसभा अंतर्गत सभी 149 ग्रामों में कुल 77 मोबाइल टावर के माध्यम से मोबाइल कवरेज की उपलब्धता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से प्राप्त जानकारी अनुसार जांजगीर-चाम्पा जिले में कुल 428 ग्रामों को 238 टावर के माध्यम से मोबाइल कवरेज की उपलब्धता है। अतः मुख्यमंत्री टावर योजना अंतर्गत जांजगीर-चाम्पा जिले से किसी ग्राम का चिन्हांकन करने की आवश्यकता नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

(जांजगीर- चाम्पा जिला अंतर्गत विधानसभावार मोबाइल कवरेज की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है)

जांजगीर-चाम्पा जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

26. (क्र. 1203) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चाम्पा जिले के विभिन्न तहसीलों/न्यायालयों में 31/01/2026 की तिथि तक राजस्व प्रकरण जैसे:- नामांतरण, डायवर्जन, सीमांकन, बटांकन, फौती, त्रुटि सुधार, नवीन किसान पुस्तिका का निर्माण/खाता बटांकन व अन्य राजस्व संबंधित कितने प्रकरण लंबित हैं? तहसीलवार जानकारी प्रदान करें। सुशासन तिहार-2025 में राजस्व प्रकरण संबंधित कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे? कितने निराकृत किए गए एवं कितने लंबित हैं? पृथक से जानकारी दें। **(ख)** उक्त लंबित मामलों में से कितने मामले पटवारी या राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित हैं? तहसीलवार जानकारी प्रदान करें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** प्रश्नांश के संबंध में जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ " अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश के संबंध में तहसीलवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - साठ"]

पर्यटन विभाग द्वारा जिला धमतरी में गंगरेल जलाशय में कॉटेज निर्माण हेतु अनुमति

[जल संसाधन]

27. (क्र. 1212) श्री दलेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या पर्यटन विभाग द्वारा जिला धमतरी में गंगरेल जलाशय में कॉटेज निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग के अधीन जमीन लिया गया है ? यदि हां तो कितनी भूमि, किन शर्तों के अधीन कॉटेज बनाने हेतु अनुमति दी गई है? **(ख)** क्या अनुबंध में निहित शर्तों का पालन संबंधित विभाग के द्वारा किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्या कार्यवाही की गई (स) अनुबंध में प्रतिवर्ष कितने राशि का प्रावधान किया गया है? क्या अनुबंध में निहित राशि का भुगतान समय समय पर संबंधित विभाग के द्वारा किया जा रहा है यदि नहीं तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जी नहीं, पर्यटन विभाग द्वारा जिला धमतरी में गंगरेल जलाशय के समीप कॉटेज निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग की जमीन नहीं ली गई है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिप्रक्ष्य में जानकारी निरंक समझी जावे। (स) प्रश्नांश 'क' के परिप्रक्ष्य में जानकारी निरंक समझी जावे।

राजनांदगांव/मोहला मानपुर जिले में सूखानाला/मोंगरा/खातुटोला बैराज के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[जल संसाधन]

28. (क्र. 1213) श्री दलेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- राजनांदगांव/मोहला मानपुर जिले में सूखानाला/मोंगरा/खातुटोला बैराज के अंतर्गत 2023-24 से 2025-26 में 31/01/2026 तक किन-किन कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है ? क्या स्वीकृत कार्य में विभिन्न जलाशय में नहर लाईनिंग का कार्य किया गया है ? यदि हां तो कितनी लंबाई में लाईनिंग कार्य तथा अन्य किन-किन संरचना का निर्माण किया गया है ? स्वीकृत कार्य की बैराजवार, वर्षवार, मदवार, संरचनावार, कार्यवार, दिनांकवार, राशिवार एवं भुगतान की एजेंसीवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : राजनांदगांव/मोहला-मानपुर-अ.चौकी जिले में जल संसाधन बैराज संभाग

डोंगरगांव में सूखानाला/मोंगरा/खातूटोला बैराज के अंतर्गत 2023-24 से 2025-26 में 31/01/2026 तक 15 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। हां, विभिन्न जलाशयों में नहर लाईनिंग का कार्य किया गया है। नहर लाईनिंग की लंबाई, संरचना का निर्माण, स्वीकृत कार्य की बैराजवार, वर्षवार, मदवार, संरचनावार, कार्यवार, दिनांकवार, राशिवार एवं भुगतान की एजेंसीवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ" \]](#)

सर्पदंश/ प्राकृतिक घटनाओं से मृत व्यक्तियों को प्रदत्त मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

29. (क्र. 1246) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** कांकेर जिले में वर्ष 2023 से लेकर के 31/01/2026 तक कुल कितने व्यक्तियों की सर्पदंश/ प्राकृतिक घटनाओं से अकाल मृत्यु हुई है ? वर्षवार विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** अकाल मृत्यु हेतु शासन की ओर से कितनी राशि प्रदाय करने का प्रावधान है ? व 31/01/2026 तक कितने लोगों को कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है ? कितने प्रकरण लंबित हैं, विकास खण्डवार जानकारी प्रदान करें, लंबित प्रकरणों का समाधान कब तक कर लिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में कांकेर जिले में सर्पदंश एवं प्राकृतिक आपदाओं से हुई मृत्यु की वर्षवार एवं विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** मृतक के परिजनों को रूपये 4.00 लाख प्रति व्यक्ति देने का प्रावधान है। संख्या एवं दी गई आर्थिक सहायता राशि का विवरण **संलग्न प्रपत्र** के कॉलम क्रमांक 4 एवं 5 अनुसार है। कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बैसठ" \]](#)

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग अंतर्गत विकास कार्यों की स्वीकृति

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

30. (क्र. 1250) श्री दिलीप लहरिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 में 31 जनवरी, 2026 तक के दौरान मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति हेतु विभिन्न जनप्रतिनिधियों के पत्र प्राप्त हुए हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो किस-किस जनप्रतिनिधि द्वारा कौन-कौन से कार्यों की मांग की गई, कार्य की स्थिति (स्वीकृत/अस्वीकृत/लंबित), कार्यान्वयन एजेंसी का नाम, तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी दें। **(ग)** उक्त अवधि में प्राप्त पत्रों में से कितने पत्रों पर आज दिनांक तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जी हां। **(ख)** जनप्रतिनिधि द्वारा मांग किए गए कार्यों, कार्यों की स्थिति, (स्वीकृत/अस्वीकृत /लंबित) कार्यान्वयन एजेंसी का नाम, तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की **जानकारी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है। (ग)** प्रश्नांकित अवधि में माननीय विधायक श्री दिलीप लहरिया, विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी द्वारा विकास कार्यों की स्वीकृति हेतु 04 पत्र प्राप्त हुए थे। सभी पत्रों पर लिए गए निर्णय की **जानकारी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है।** अतः कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ" \]](#)

स्वामी आत्मानंद (आदर्श) शासकीय अंग्रेजी विद्यालय अटारी का स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उन्नयन
[उच्च शिक्षा]

31. (क्र. 1274) श्री राजेश मूणत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या स्वामी आत्मानंद (आदर्श) शासकीय अंग्रेजी महाविद्यालय अटारी को स्नातक से स्नातकोत्तर का दर्जा प्रदान करने हेतु प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है? हां तो कब तक दर्जा प्रदान किया जायेगा? नहीं तो क्यों? **(ख)** क्या कंडिका "क" के महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र वनस्पति शास्त्र, भौतिकी तथा रसायन की स्नातकोत्तर की कक्षा प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? हां तो उक्त विषय की स्नातकोत्तर कक्षाएं कब तक प्रारंभ की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अवैध प्लाटिंग/कॉलोनी की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

32. (क्र. 1275) श्री राजेश मूणत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर जिले में कैलेण्डर वर्ष 2024 तथा 2025 में कब-कब किसके द्वारा किन-किन बिल्डरों के विरुद्ध अवैध प्लाटिंग/कालोनी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई विवरण दें। **(ख)** किन-किन बिल्डर एवं कालोनाईजर द्वारा किन-किन खसरा व स्थान की किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तन करने हेतु कैलेण्डर वर्ष 2024 तथा 2025 में आवेदन किया गया है? कितने प्रकरणों में परिवर्तन की कार्यवाही की गई विवरण दें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ" \]](#)

विभाग में प्रथम/द्वितीय श्रेणी के स्वीकृत/कार्यरत व रिक्त पद

[जल संसाधन]

33. (क्र. 1283) श्री धरमलाल कौशिक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जल संसाधन विभाग में प्रथम/द्वितीय श्रेणी के कौन-कौन से कितने पद स्वीकृत, भरे व वर्तमान में रिक्त है तथा किन-किन पदों पर संविदा नियुक्ति में रखे/भरे जाने के संबंध में अद्यतन आदेश/निर्देश क्या हैं? जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार विभाग में किन-किन प्रथम/द्वितीय श्रेणी के पदों पर कौन-कौन कब से संविदा पर कब तक के लिए पदस्थ/कार्यरत है? जानकारी देवें ? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** अनुसार किन-किन को आहरण एवं संवितरण का अधिकार कब से, किस आदेश के तहत दिया गया है? इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा क्या निर्देश जारी किये गए हैं ? जानकारी देवें ? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार किन-किन प्रथम श्रेणी अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 2022 से दिनांक 31.01.2026 की स्थिति में किसके द्वारा, क्या एवं किसको शिकायत की गई तथा इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है और किन-किन शिकायतों पर कार्यवाही लंबित है? शिकायतवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम-4 में संविदा नियुक्ति हेतु पद प्रावधानित किए गए हैं। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। **(ग)** जल संसाधन विभाग में संविदा नियुक्त किसी भी अधिकारी को आहरण एवं

संवितरण अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा स्थायी वित्त निर्देश 24/2025 दिनांक 21.07.2025 जारी किये गये हैं। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमांक ESTB-102(1)/314/2025, दिनांक 07.01.2026 के द्वारा श्री इन्द्रजीत उइके, प्रमुख अभियंता (संविदा नियुक्त), जल संसाधन विभाग को संविदा वृद्धि के साथ-साथ वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिये गये हैं। (घ) संविदा नियुक्ति प्राप्त प्रथम श्रेणी अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 2022 से दिनांक 31.01.2026 की स्थिति में लोक आयोग में श्री इन्द्रजीत उइके, प्रमुख अभियंता, श्री एस.व्ही. भागवत, मुख्य अभियंता (प्रबोधन) एवं श्री प्रसून कुमार शर्मा, अधीक्षण अभियंता (प्रशासन) एवं अन्य के विरुद्ध श्रीमती निशा देशमुख 134/जी, रिसाली सेक्टर जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़ एवं अमोल मालुसरे 119/1 सिद्धनाथ वाड़ी गांव वाई जिला-सतारा महाराष्ट्र के द्वारा झूठा शपथ पत्र देने का अपराध करने वाले ठेकेदारों को पदेन प्राधिकार का दुरुपयोग कर विधि विरुद्ध संरक्षण प्रदान करके छत्तीसगढ़ शासन हित को नुकसान पहुंचाने के संबंध में माननीय लोक आयोग छत्तीसगढ़ रायपुर को जिसका प्रकरण क्रमांक 57/2025 है शिकायत की गई है, जो विचाराधीन है। इसके अलावा उक्त दोनों शिकायतकार्ताओं के द्वारा (1) सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन (2) सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, (3) सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (4) सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं (5) सचिव, गृह विभाग (आर्थिक अपराध शाखा) छत्तीसगढ़ शासन को भी उक्त प्रकरण के संबंध में शिकायत की गई है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक ESTB-1024/(1)/357/2025-WRD दिनांक 29.01.2026 के माध्यम से इस शिकायत पर नियमानुसार जांच करवाकर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग को प्रेषित किया गया है, जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। शेष अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैसठ" \]](#)

समाग्री क्रय करने व सेवा प्राप्त करने हेतु निविदा/ईओआई(EoI)

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

34. (क्र. 1284) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सही है कि जनवरी, 2025 से दिनांक 31.01.2026 तक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्या. व वि) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा समाग्री क्रय करने व सेवा प्राप्त करने हेतु निविदा/ईओआई(EoI) आमंत्रित की गई है? यदि हाँ तो कौन-कौन सी निविदा जेम पोर्टल(GeM) के अतिरिक्त अन्य किस माध्यम/प्रकार/पद्धति से जारी की गई तथा कब-कब, किसको व किस दर पर स्वीकृत की गई है? जेम पोर्टल के अतिरिक्त अन्य माध्यम/प्रकार/पद्धति से निविदा/ईओआई(EoI) आमंत्रित करने स्वीकृति किस अधिकारी द्वारा कब व किन नियमों के आधार दी गई है? पदवार व नामवार तथा निविदावार/ईओआईवार जानकारी दें? **(ख)** क्या छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम छत्तीसगढ़ वन विभाग व विभाग के अधीन निगम/मण्डल/आयोग/संस्थाओं पर लागू होता है? यदि हाँ तो इस संबंध में जारी वर्तमान में प्रचलित नियम/आदेश/निर्देश सहित जानकारी दें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** हाँ, यह सही है कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा सामग्री क्रय एवं सेवाएँ प्राप्त करने हेतु निविदा/ई.ओ.आई (EoI) आमंत्रित की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा जेम पोर्टल (Gem) के अतिरिक्त जारी निविदा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ सहित परिशिष्ट-01 से 07 अनुसार है।** **(ख)** छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम छत्तीसगढ़ वन विभाग व विभाग के अधीन निगम/मंडल/ आयोग/संस्थाओं पर भी लागू होता है। वर्तमान में प्रचलित नियम /आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।**

ग्राम मल्दा के कृषकों की अधिग्रहित भूमि के लंबित मुआवजा राशि का भुगतान

[जल संसाधन]

35. (क्र. 1322) श्री बालेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मल्दा, तहसील हसौद, जिला सक्ती में हसौद वितरक नहर निर्माण और मल्दा माईनर के लिए किसानों की कितनी कृषि एवं गैर कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया है? कृषपा, कृषक का नाम, खसरा नंबर एवं रकबा सहित जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार अधिग्रहित की गई भूमि का किस दर से कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया और कितने का भुगतान किया जाना है? कृषपा, जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांक "क", "ख" के अनुसार अधिग्रहित की गई भूमि और उसके लंबित मुआवजा भुगतान हेतु कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवेदन/ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी दें? **(घ)** लंबित मुआवजा की राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मल्दा (मल्दा कला) तहसील हसौद जिला-सक्ती में हसौद वितरक नहर निर्माण के लिए 37 भूमिस्वामियों की 7.66 एकड़ कृषि भूमि तथा मल्दा माईनर नहर निर्माण के लिए 88 भूमिस्वामियों की 19.48 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया है, कृषक का नाम, खसरा नं. एवं रकबा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** नहर निर्माण में गैर कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। **(ख)** अधिग्रहित की गई भूमि का दर एवं मुआवजा राशि का भुगतान की जानकारी एवं लंबित भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** 12 किसानों/खातेदारों को कुल मुआवजा राशि रू. 90898.00 का भुगतान किया जाना शेष है। **(ग)** वर्तमान में कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर को प्राप्त आवेदन पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये उनके पत्र क्र. 10576, दिनांक 15.12.2025 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जांजगीर शाखा नहर उपसंभाग क्र.-03, बिर्वा को प्रेषित किया गया है। जिसकी जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(घ)** संबंधित भू-स्वामियों/कृषकों के आपसी विवाद एवं न्यायालयीन विवाद के निराकरण पश्चात् लंबित मुआवजा राशि का शीघ्र भुगतान किया जा सकेगा। अतः भुगतान करने की समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के आय व्यय व अन्य जानकारी

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

36. (क्र. 1329) श्री जनक ध्रुव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2021-2022 से 31.01.2026 तक आबंटित बजट के विरुद्ध व्यय एवं समर्पण की राशि यदि हो तो कारण सहित (वर्ष वार एवं मदवार) जानकारी प्रदान करें? **(ख)** संस्थान के सेट अप के विरुद्ध दिनांक 31.01.2026 तक कितने वैज्ञानिकों की नियुक्ति की गई एवं आवंटित राशि से वैज्ञानिकों द्वारा राज्यहित में कौन-कौन से अनुसंधान कार्य किये गए हैं (मदवार एवं वर्षवार) जानकारी प्रदान करें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** **जानकारी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है।** **(ख)** संस्थान में सेटअप के विरुद्ध दिनांक 31.01.2026 तक वैज्ञानिकों की नियुक्ति नहीं की गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छैंसठ"]

प्रदेश संचालित तहसीलों में कर्मचारियों के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पद

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

37. (क्र. 1338) श्री भोलाराम साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अंचौकी जिलें अंतर्गत तहसीलदार, नयाब तहसीलदार एवं अन्य

कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? कृपया तहसीलवार पृथक-पृथक जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के स्वीकृत पदों में से कितने कार्यरत हैं, कितने पद रिक्त हैं और रिक्त पद की पूर्ति कब तक की जावेगी ? कृपया तहसीलवार पृथक-पृथक पदवार जानकारी देवें ? **(ग)** क्या तहसील कार्यालय के अधिकारी अथवा कर्मचारियों का अन्य तहसील कार्यालय में संलग्नीकरण किया गया है ? यदि हाँ तो कहाँ पर एवं कब से किया गया है ? कृपया बताएं ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :**(क)** जिला राजनांदगांव अंतर्गत तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 131 एवं जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी अंतर्गत नायब तहसीलदार एवं अन्य कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 103 है। तहसीलवार पदों की पृथक-पृथक जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है।**(ख)** राजनांदगांव अंतर्गत कुल स्वीकृत 131 पदों के विरुद्ध कार्यरत 86 एवं 45 पद रिक्त हैं तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ अंतर्गत कुल स्वीकृत 103 पदों के विरुद्ध 37 कार्यरत एवं 66 पद रिक्त है। रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। तहसीलवार पृथक पृथक जानकारी प्रपत्र 'ब' अनुसार है।**(ग)** कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव द्वारा तहसील कार्यालय छुरिया के कर्मचारी श्री सुरेश रामटेके, सहायक ग्रेड-2 को दिनांक 04-03-2025 से तहसील कार्यालय, राजनांदगांव में कार्य करने आदेशित किया गया है एवं जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी अंतर्गत तहसील कार्यालय के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारियों को अन्य तहसील कार्यालय में संलग्नीकरण नहीं किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ"]

खनिजों के खनन हेतु प्रदत्त अनुमति

[खनिज साधन]

38. (क्र. 1341) श्री भोलाराम साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिलें अंतर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 से 31.01.2026 तक किन-किन खनिजों के खनन हेतु किन-किन संस्था/फर्म को कितनी-कितनी अवधि हेतु कितना-कितना रकबा कब-कब आबंटित किया गया है ? आबंटित भूमि में कितनी-कितनी गहराई तक खनन की अनुमति प्रदान की गई है कि जानकारी फर्म/संस्थाओं के नामपता, खसरा क्रमांक सहित जिलेवार, विकासखण्डवार देवें ? **(ख)** कंडिका "क" में प्रदान की गई अनुमति से अधिक खनन करने पर किन-किन फर्म/संस्था पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? जिलेवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :**(क)** जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांक के परिपेक्ष्य में किसी भी प्रकरण में अनुमति से अधिक गहराई तक खनन नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़सठ"]

वृद्ध, अस्वस्थ एवं गंभीर रूप से बीमार किसान को धान विक्रय के भुगतान हेतु सुविधा

[सहकारिता]

39. (क्र. 1345) श्रीमती गोमती साय : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या सरकार द्वारा वृद्ध एवं गंभीर रूप से बीमार किसानों को प्रतिनिधि/नामांकित व्यक्ति के माध्यम से भुगतान, घर-घर बैंकिंग सेवा, मोबाइल बैंकिंग व विशेष शिविर जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं? यदि हाँ, तो उनका विवरण क्या है तथा अब तक कितने किसानों को इसका लाभ दिया गया है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वृद्ध/बीमार/अक्षम ग्राहकों के द्वारा बैंक खाता

संचालित करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं, विवरण के परिप्रेक्ष्य में निर्देश की प्रति संलग्न प्रपत्र है। उक्त निर्देश में लाभान्वित ग्राहकों का आंकड़े संधारित करने का उल्लेख नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर"]

जिला जशपुर/अम्बिकापुर/रायगढ़ में परिवहन विभाग उड़नदस्ता के माध्यम से जाँच

[परिवहन]

40. (क्र. 1346) श्रीमती गोमती साय : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला जशपुर, अम्बिकापुर एवं रायगढ़ में परिवहन विभाग के उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्काड) द्वारा विगत तीन वर्षों में कितनी जाँच कार्यवाहियाँ की गईं? वर्षवार एवं जिला-वार विवरण प्रदान करें? **(ख)** उक्त जाँचों के दौरान कितने वाहनों पर चालानी/दण्डात्मक कार्यवाही की गई तथा उनसे कितनी शासकीय राजस्व वसूली हुई? वर्षवार एवं जिला-वार जानकारी दे ? **(ग)** क्या उक्त अवधि में उड़नदस्ता दल द्वारा जाँच के नाम पर वाहन चालकों/परिवहन संचालकों से अवैध वसूली किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायतों की संख्या एवं प्राप्त शिकायतों के आधार पर किन अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जाँच/अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई? विवरण दें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर"]

प्रदेश में नदी लिंक परियोजना हेतु प्रावधानित राशि

[जल संसाधन]

41. (क्र. 1358) श्री कवासी लखमा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में नदी लिंक परियोजना (इन्द्रावती-महानदी के लिंक) के लिए कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया है ? किन-किन कार्यों को सम्मिलित किया गया है ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार सर्वेक्षण/ डी.पी.आर.इत्यादि में अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है ? तथा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** वर्तमान में प्रदेश में इन्द्रावती-महानदी लिंक परियोजना के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रू. 40.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। यह राशि लिंक परियोजना के सर्वेक्षण कार्य, जिसकी अनुमानित लागत राशि रू. 9341.00 लाख है, के लिये प्रावधानित है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार परियोजना का सर्वेक्षण/डी.पी.आर. इत्यादि में व्यय राशि शून्य है। परियोजना के सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही विभाग में प्रक्रियाधीन है।

जशपुर विधान सभा क्षेत्र में नामांतरण एवं सीमांकन के लंबित प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

42. (क्र. 1376) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जशपुर विधान सभा क्षेत्र में नामांतरण एवं सीमांकन के कितने प्रकरण समय सीमा बीत जाने के बाद भी लंबित हैं, तहसीलवार विवरण दें। **(ख)** क्या बगीचा वि.ख. अन्तर्गत स्थगन आदेश के बाद भी निर्माण कार्य जारी है ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :**(क)** जिला जशपुर के विधानसभा अंतर्गत तहसील न्यायालयों में अद्यतन

स्थिति में अविवादित नामांतरण के कुल 401 प्रकरण लंबित है जिसमें समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों की संख्या 95 है। विवादित नामांतरण के कुल 105 प्रकरण लंबित है, जिसमें समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों की संख्या 44 है। सीमांकन के कुल 194 प्रकरण लंबित है, जिसमें समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों की संख्या 110 है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार। **(ख)** जी नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर"]

जशपुर जिले में हाथी एवं अन्य वन्यजीवों से जनहानि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

43. (क्र. 1377) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विगत दो वर्षों में जशपुर जिले में हाथी, अन्य वन्यजीवों से जनहानि व फसल क्षति की कितनी घटनाएँ हुई हैं? पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया गया ? भविष्य में रोकथाम हेतु क्या योजना है ? **(ख)** विगत दो वर्षों में जशपुर जिले में कैम्पा मद से किन-किन योजनाओं में कितनी राशि खर्च की गई ? कितने पौधे लगाए गए ? पौधों की जीवितता का प्रतिशत क्या है ? **(ग)** जशपुर विधान सभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में विगड़े वनों की सुधार योजना के तहत कितने वनों में कितने-कितने सी.पी.टी कार्य, कन्टूर निर्माण कार्य, बायरबंड फेन्सिंग कार्य, परकुलेसन टैंक निर्माण कार्य किये गये हैं, वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** विगत दो वर्षों में जशपुर जिले में हाथी एवं अन्य वन्यजीवों से जनहानि व फसल क्षति की जानकारी एवं पीड़ितों को प्रदाय मुआवजा (राशि रू. में) का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	वित्तीय वर्ष	जनहानि		फसल क्षति			योग	
		प्रकरण की संख्या	भुगतान की गई राशि रू. में	प्रकरण की संख्या	रकबा	भुगतान की गई राशि रू. में	कुल संख्या	कुल राशि रू. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2023-2024	19	11400000	1097	2679.117	6245296	1116	17645296
2	2024-2025	15	9000000	1761	572.02	11892382	1776	20892382
योग:		34	20400000	2858	3251.137	18137678	2892	38537678

भविष्य में जंगली हाथियों एवं अन्य वन्यजीवों से जनहानि एवं फसल हानि न हो इस हेतु जशपुर जिले के जशपुर वनमण्डल अंतर्गत उनके रहवास क्षेत्रों में जल एवं चारा की उपलब्धता हेतु रहवास विकास कार्य किया गया है । हाथी मित्रदल का गठन, वन प्रबंधन समितियों को समय-समय पर बैठक लेकर वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु जागरूक किया जाना, जंगली हाथियों के विचरण के समय ग्रामीणों एवं स्थानीय निवासियों को हाथियों से दूर रखने का प्रयास, माईक से प्रचार-प्रसार किया जाकर अलर्ट करने का कार्य, हाथियों से सुरक्षा हेतु "क्या करें क्या ना करें" के पम्पलेट का वितरण जैसे कार्यों को लगातार क्रियान्वयन किया जा रहा है । **(ख)** जशपुर वनमण्डल अन्तर्गत कैम्पा योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य, लेन्टाना उन्मूलन, स्ट्राईक फोर्स वाहन, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य, वन आवासीय परिसर में मूलभूत सुविधा, अग्नि सुरक्षा, नरवा विकास कार्य, चारागाह विकास कार्य, पवित्र उपवनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, बम्बू सेटम कार्य, ईको डेव्हलपमेंट में चौनलिक फेसिंग कार्य, ट्रेप कैमरा क्रय, कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण कार्य, वॉच टॉवर निर्माण कार्य, लैपटॉप क्रय इत्यादि कार्यों में राशि खर्च की गई है। जशपुर वनमण्डल अन्तर्गत विगत 02 वर्षों में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी एवं जीवितता प्रतिशतका विवरण निम्नानुसार है:-

रोपण वर्ष	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	जीवितता प्रतिशत
2023	14000	12700	90.7
2024	0	-	-
	14000	12700	90.7

(ग) जशपुर विधानसभा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में बिगड़े वनों की सुधार योजना के तहत कुल 118 कक्षों में क्षेत्र में आवश्यकतानुसार सी.पी.टी. कार्य, कन्दूर निर्माण कार्य, बारबेड फेसिंग कार्य एवं परकोलेशन टैंक निर्माण कार्य कराया गया है।

क्र. वर्ष	कक्षों की संख्या	रकबा (हे.)	सीपीटी (र.मी.)	कन्दूर ट्रेच निर्माण (नग)	बारबेड फेसिंग (र.मी.)	परकोलेशन टैंक (नग)
1 2022-23	34	1097.71	21081	12386	21458	0
2 2023-24	43	124009	40336	35984	45251	23
3 2024-25	41	1457.69	38252	23557	27838	19
योग:-	118	3795.49	99669	71927	94547	42

राज्य में नवीन विश्वविद्यालय स्थापना की प्रक्रिया

[उच्च शिक्षा]

44. (क्र. 1483) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या राज्य में नवीन विश्वविद्यालय स्थापना हेतु सभी मापदंडों की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात, अनुमति मिलने की समय सीमा निर्धारित की गई है? (ख) प्रश्नांश 'क' अंतर्गत कितने ऐसे प्रकरण हैं, जिन्हें सभी मापदंडों को पूर्ण करने के पश्चात निर्धारित समय सीमा में अनुमति प्रदान नहीं की गई है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अवैध खनिज उत्खनन, अवैध रूप से स्टॉक करने एवं परिवहन के दर्ज प्रकरण

[खनिज साधन]

45. (क्र. 1492) श्री बघेल लखेश्वर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बस्तर संभागांतर्गत जिलों में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 31-01-2026 तक अवैध रूप से खनिज उत्खनन, अवैध स्टॉकिंग एवं परिवहन के कितने प्रकरण पंजीकृत किए गए? जिलावार पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) प्रश्न "क" के परिप्रेक्ष्य में पंजीकृत प्रकरणों में की गई/की जा रही/लंबित कार्यवाही की जानकारी दें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) बस्तर संभागांतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में अवैध खनिज उत्खनन, अवैध भण्डारण एवं परिवहन के दर्ज प्रकरणों की जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में पंजीकृत प्रकरणों पर की गई कार्यवाही तथा लंबित प्रकरणों की जानकारी प्रपत्र के कॉलम नंबर 8,9 एवं 10 पर दर्शित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर"]

प्राकृतिक आपदाओं से हुई जान-माल की हानि एवं क्षतिपूर्ति के लंबित प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

46. (क्र. 1494) श्री बघेल लखेश्वर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला बस्तर में वर्ष 2025-26 में बाढ़, अंधड़, बिजली, आंधी एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किन-किन तहसीलों की किन-

किन ग्राम पंचायतों के पीड़ित व्यक्तियों एवं परिवारों को क्षतिपूर्ति देने संबंधी कितने प्रकरण लंबित हैं? प्रकरण लंबित रहने का कारण एवं उसका निराकरण कब तक कर लिया जाएगा? कृपया बतायें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : प्रश्नाधीन अवधि में जिला बस्तर में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों को आर्थिक अनुदान सहायता दिए जाने हेतु शेष प्रकरणों की तहसीलवार एवं ग्राम पंचायतवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** शेष / लंबित प्रकरण पुलिस जांच प्रतिवेदन, उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र अप्राप्त होने, अन्य जिले से प्राप्त प्रकरणों में पुनः स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तिहत्तर"]

इन्द्रावती टायगर रिजर्व अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

47. (क्र. 1504) श्री विक्रम मंडावी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बीजापुर जिले के वनमण्डल (सा./उ.) एवं इन्द्रावती टायगर रिजर्व अंतर्गत विभिन्न मदों से कितने वृक्षारोपण विगत 04 वर्षों में कराये गये हैं? मदवार वृक्षारोपण की जानकारी बतावें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार वृक्षारोपण में कितनी राशि स्वीकृत की गई थी एवं कितनी राशि का व्यय हुआ? परिक्षेत्रवार जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' अनुसार वृक्षारोपण कराये गये पौधों की क्या स्थिति है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** बीजापुर जिले के बीजापुर वनमण्डल (सामान्य) एवं इन्द्रावती टायगर रिजर्व में विभिन्न मदों में विगत 04 वर्षों में किये गये वृक्षारोपण की वर्षवार, मदवार जानकारी **संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है।** बीजापुर वनमंडल (सामान्य) द्वारा ही उत्पादन संबंधी वानिकी कार्य संपादित किए जाते हैं। **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार वृक्षारोपण में स्वीकृत एवं व्यय राशि की परिक्षेत्रवार जानकारी **संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है।** **(ग)** प्रश्नांश "क" अनुसार वृक्षारोपण कराये गये पौधों की स्थिति **संलग्न "प्रपत्र" के कॉलम 11 तथा 12 पर दर्शित है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - चौहत्तर"]

धरसीवा वि.स. क्षेत्र में कृषि पम्प हेतु स्थाई एवं अस्थायी कनेक्शन हेतु आवेदनों की वर्तमान स्थिति

[ऊर्जा]

48. (क्र. 1512) श्री अनुज शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र धरसीवा हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11-02-2026 अवधि तक कृषि पम्प के स्थाई व अस्थायी कनेक्शन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये? इनमें से कितनों को स्थाई व अस्थायी कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है तथा कितने आवेदन लंबित व निरस्त हुये हैं?विवरण प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक कर लिया जायेगा? **(ग)** प्रश्नांक क अवधि में विभाग द्वारा कृषि पम्प उर्जाकरण हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा कितने की प्राप्ति हो चुकी है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र धरसीवा हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11-02-2026 अवधि तक कृषि पम्प के 54 स्थायी व 240 अस्थायी, इस प्रकार कुल 294 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 18 स्थायी व सभी 240 अस्थायी, इस प्रकार कुल 258 कनेक्शन प्रदाय किया जा चुका है तथा स्थायी कनेक्शन हेतु 36 कृषि पंपों के आवेदन लंबित है। निरस्त किये गये आवेदन निरंक है।**(ख)** उत्तरांश "क" में लंबित 36 स्थायी कृषि पंप के कार्य की समय सीमा निर्धारित समयावधि दिया जाना संभव नहीं है।**(ग)** विधानसभा क्षेत्र धरसीवा

के अंतर्गत कृषि पंप उर्जाकरण वर्ष 2025-26 में कुल 158 नग पंप कनेक्शन के लक्ष्य प्राप्त हुए, जिनमें से 106 नग कृषि पंपों के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। शेष 52 कृषि पंपों के कार्य प्रगतिरत है।

नामांतरण, सीमांकन एवं फौती नामांतरण के प्रकरणों के निराकरण की समयसीमा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

49. (क्र. 1515) श्री अनुज शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)**राज्य शासन द्वारा जमीन के नामांतरण,सीमांकन एवं फौती नामांतरण के प्रकरणों के निराकरण किये जाने की क्या समय सीमा तय की गई है?निर्धारित मापदंड होने के बाद भी तय सीमा में कार्य संपादन नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का नियम है? **(ख)**जिला रायपुर एवं बलौदाबाजार-भाटापारा में 1 जनवरी, 2025 से दिनांक 11-02-26 तक नामांतरण,सीमांकन एवं फौती नामांतरण के कितने -कितने प्रकरण तहसील कार्यालयों/पटवारी कार्यालयों में लंबित हैं तथा अविवादित प्रकरणों को छोड़कर बाकी प्रकरणों को लंबित रखे जाने का क्या कारण है? **(ग)**प्रश्नांक 'ख' अनुसार तय सीमा में अपना कार्य नियमानुसार/सुचारू रूप से नहीं किये जाने तथा अनावश्यक रूप से कार्य रोके जाने की कितनी और किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें विभाग को प्राप्त हुईं और इन पर क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई 2025 अनुसार अविवादित नामांतरण प्रकरणों के निराकरण हेतु 30 कार्य दिवस एवं सीमांकन हेतु 30 कार्य दिवस समय सीमा निर्धारित है । निर्धारित समय सीमा में कार्य संपादन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 अनुसार परिव्यय का अधिरोपण एवं आवेदक को भुगतान किये जाने का प्रावधान है। **(ख)** प्रश्नांस "ख" की जानकारी **प्रपत्र** अनुसार है । **(ग)** कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पचहत्तर" \]](#)

प्रदेश में धान का रकबा तथा उत्पादन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

50. (क्र. 1529) श्री कवासी लखमा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- खरीफ 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 तथा 2025 में धान का उत्पादन कितना-कितना हुआ तथा धान का रकबा कितना-कितना था? जिलावार बताएं ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : प्रश्नांक के संबंध में जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छिहत्तर" \]](#)

राज्य में संचालित शासकीय विश्वविद्यालय/अर्धशासकीय विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय

[उच्च शिक्षा]

51. (क्र. 1534) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राज्य में कुल कितने शासकीय विश्वविद्यालय/अर्धशासकीय विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं एवं इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कितने महाविद्यालय हैं ? विवरण दें? **(ख)** क्या राज्य में संचालित अर्धशासकीय/निजी विश्वविद्यालयों द्वारा सभी विषयों के लिये छात्र-छात्राओं का प्रवेश लिया जाता है किन्तु उनके पास स्वीकृत सभी विषयों के प्रोफेसर नहीं हैं ? यदि हां, तो विवरण दें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अ एवं ब अनुसार है। निजी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कोई महाविद्यालय संबद्ध नहीं है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सतत्तर"]

राज्य सरकार द्वारा विमान/हेलीकॉप्टर व किराये में व्यय राशि

[विमानन]

52. (क्र. 1535) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राज्य सरकार द्वारा 01 जनवरी, 2019 से 30 मार्च, 2023 तक सरकारी हेलीकॉप्टर व विमान के रख-रखाव/मरम्मत व किराया में कितना खर्च किया गया है ? खर्च एवं किराया का विवरण माहवार/वर्ष वार देवें? (ख) किराया में लिये गये विमान/हेलीकॉप्टर का उपयोग किन-किनके द्वारा कब-कब और किन कारणों से किया गया ? विवरण देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) एवं (ख) की जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, ब एवं स" अनुसार है।

प्रदेश में हाथियों की अप्राकृतिक मृत्यु

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

53. (क्र. 1538) श्री भूपेश बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सच है कि छत्तीसगढ़ में देश के मात्र 1% हाथी हैं, लेकिन देश की कुल हाथी-जनित मौतों में राज्य की हिस्सेदारी 15% है? यदि हां तो इसके क्या कारण है? (ख) वर्ष 2024 में 'इलेक्ट्रोक्वशन' (करंट) से हुई 13 हाथियों की मौत के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) विगत 2 वर्षों में हाथी हमलों से हुई फसल क्षति और जनहानि मुआवजे के कितने प्रकरण लंबित हैं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) यह सही नहीं है कि छत्तीसगढ़ में देश के मात्र 1% हाथी हैं। यह भी सही नहीं है कि देश की कुल हाथी जनित मौतों में राज्य की हिस्सेदारी 15 % है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नावधि में विद्युत करंट (इलेक्ट्रोक्वशन) से 13 हाथियों की नहीं बल्कि 10 हाथी की मृत्यु हुई है। हाथी मृत्यु की अपराध में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध वन्यप्राणी अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही कर प्रकरण पर कोर्ट चालान किया गया है। विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है। (ग) विगत 2 वर्षों में हाथी के हमलों से फसल क्षति एवं जनहानि मुआवजे के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अठहत्तर"]

कैम्पा मद के अंतर्गत वृक्षारोपण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

54. (क्र. 1539) श्री भूपेश बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कैम्पा मद से पिछले 2 वर्षों में किए गए वृक्षारोपण का 'सर्वाइवल रेट' क्या है? (ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कैम्पा के वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित ₹694.18 करोड़ के मुकाबले केवल ₹531.78 करोड़ की स्वीकृति क्यों मिली? (ग) उक्त अवधि में मृदा संरक्षण कार्यों के नाम पर खर्च की गई राशि के भौतिक सत्यापन में कितनी विसंगतियां पाई गई हैं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) कैम्पा मद से पिछले 2 वर्षों में किए गए वृक्षारोपण का औसत सर्वाइवल रेट 96 प्रतिशत है। (ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु राशि 694.18 करोड़ ₹. की वार्षिक कार्य योजना का प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय कैम्पा, नई दिल्ली को प्रेषित की गई थी,

जिसके विरुद्ध राशि 537.09 करोड़ रू. की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति की राशि से संबंधित विषय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय कैम्पा से संबंधित है। (ग) उक्त अवधि में मृदा संरक्षण कार्यों के नाम पर खर्च की गई राशि के भौतिक सत्यापन में कोई विसंगतियाँ नहीं पायी गयी है।

प्रदेश में जन शिकायत निवारण हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण

[जन शिकायत निवारण]

55. (क्र. 1542) श्री उमेश पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में जनशिकायत निवारण पोर्टल में वर्ष 2024-25, 2025-26 से 11-02-2026 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने का निराकरण किया गया है ? जिलेवार जानकारी देवें ? निराकरण करने में लंबित होने का कारण क्या है ? बतावें ? (ख) डाक के माध्यम से कितनी शिकायतें/आवेदन प्राप्त हुए हैं ? कितने निराकृत हुए हैं? कितने लंबित हैं? जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रदेश में जन शिकायत निवारण पोर्टल में वर्ष 2024-25, 2025-26 से 11-02-2026 तक की अवधि में 46322 आवेदन प्राप्त हुए और 29808 का निराकरण किया गया है। जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। शेष आवेदन प्रक्रियागत कारणों से लंबित है। (ख) डाक के माध्यम से 21402 शिकायतें/आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 9516 निराकृत तथा 11886 लंबित हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चासी"]

प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वीकृत रिक्त पद

[उच्च शिक्षा]

56. (क्र. 1543) श्री उमेश पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने रिक्त हैं ? संस्थावार और जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) रिक्त पदों को कब तक पूर्ति कर लियी जाएगी ? जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) संस्थावार एवं जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अस्सी"]

धान उपार्जन केन्द्रों में भंडारण क्षमता से अधिक धान पाए जाने की जांच

[सहकारिता]

57. (क्र. 1545) श्री बालेश्वर साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर-चांपा व सक्ती जिले के अंतर्गत संचालित किन-किन उपार्जन केन्द्रों में भंडारण क्षमता से कितनी-कितनी अधिक मात्रा एवं मूल्य के धान पाए गये हैं? कृपया उपार्जन केन्द्र एवं संबंधित सहकारी समिति और निरीक्षण अधिकारी के अनुसार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार प्राप्त गड़बड़ी की जांच किन-किन स्तर के अधिकारियों से करायी गयी है और अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? कृपया जानकारी दें? (ग) प्रश्नांक "क" एवं "ख" के अनुसार प्रकरण की जांच पर कार्यवाही लंबित है तो इसके क्या कारण हैं? कब तक जांच कर कार्यवाही दी जाएगी ? जानकारी दें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला-जांजगीर-चांपा अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्यादित सरहर

अंतर्गत धान उपार्जन केंद्र सरहर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम के भौतिक सत्यापन दिनांक 25.01.2026 में 1082 बोरी, वजन 432.80 क्विंटल स्कंध से अधिक धान पाया गया जिसकी राशि (2369 रू. प्रति क्विंटल के दर से) समर्थन मूल्य पर राशि रू. 10,25,303.00 है। जिला सक्ती अंतर्गत संचालित उपार्जन केन्द्रों में भंडारण क्षमता से अधिक धान नहीं पाया गया है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में, जिला जांजगीर-चांपा के सेवा सहकारी समिति मर्यादित सरहर अंतर्गत धान उपार्जन केंद्र सरहर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है एवं सत्यापन के दौरान अधिक धान पाये जाने पर धान उपार्जन केंद्र प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्राधिकृत अधिकारी को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा एवं भू अभिलेख में हेरफेर

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

58. (क्र. 1548) डॉ. चरण दास महंत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कोरबा जिले के ग्राम कोहड़िया जिला कोरबा स्थित खसरा नं. 625/1 एवं 361/2 का राजस्व अभिलेख में भू-स्वामी का नाम एवं अधिकार अभिलेख में नाम किसका दर्ज है? कब से दर्ज है? क्षेत्रफल कितना है? भूमि का प्रयोजन पूर्व में क्या था? वर्तमान में क्या है? जानकारी दे? **(ख)** क्या उक्त भूमि पर बालको द्वारा अवैध कब्जा किया गया है या बालको के स्वामित्व की जमीन है? यदि स्वामित्व की जमीन है तो क्रय विक्रय नामान्तरण की तिथि बतावें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार क्या भूमि के भू-अभिलेख में कूटरचित प्रविष्टि कराई गई थी? यदि हां तो कौन-कौन राजस्व अधिकारी के प्रमाणीकरण हैं तथा वर्तमान स्थिति क्या है? क्या इस प्रकरण में उच्च अधिकारियों की भूमिका की जांच कराई गई है? जानकारी दे?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** कोरबा जिले के ग्राम कोहड़िया, तहसील कोरबा स्थित भूमि खसरा नंबर 625/1 रकबा 3.8450 हे० वर्तमान राजस्व अभिलेख खसरा पांचसाला में शासकीय भूमि दर्ज है एवं मिसल बंदोबस्त वर्ष 1929-30 तथा अधिकार अभिलेख में उक्त भूमि बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है। भूमि खसरा नंबर 361/2 का विवरण वर्तमान राजस्व अभिलेख खसरा पांचसाला में दर्ज नहीं है। मूल खसरा नंबर 361 रकबा 0.0120 हे० राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है एवं अधिकार अभिलेख में आबादी मद की भूमि है। उक्त भूमि खसरा नंबर 361 का मद (प्रयोजन) मिसल अभिलेख वर्ष 1929-30 के अनुसार आबादी है एवं वर्तमान में भी आबादी है। **(ख)** उक्त भूमि खसरा नंबर 625/1 कुल रकबा 9.50 एकड़ में से 4.32 एकड़ भूमि पर छ०ग० उच्च न्यायालय बिलासपुर के रिट पिटीशन क्रमांक 5328/1996 के आदेश दिनांक 06.02.2009 एवं रिट अपील (C) क्र० 69/2009 आदेश दिनांक 25.02.2010 के अनुसार बालको के आधिपत्य की भूमि माना गया है। शेष भूमि बालको के आधिपत्य में नहीं है। उक्त रिट अपील (C) क्र० 69/2009 आदेश दिनांक 25.02.2010 के संबंध में Special Leave Petition Civil No- 11811 of 2010 माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। खसरा नंबर 361 पर बालको का अवैध कब्जा नहीं है और न ही यह बालको की स्वामित्व के भूमि है। **(ग)** ग्राम कोहड़िया जिला कोरबा स्थित खसरा नंबर 625/1 रकबा 3.845 हे० एवं खसरा नंबर 761/2 रकबा 49.124 हे० में भूमि स्वामी का नाम, भूमि स्वामी संशोधन के माध्यम से बसरा नंबर 560 के अंतर्गत दिनांक 19.11.2022 को तत्कालीन हल्का पटवारी के द्वारा "भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड" के नाम पर सुधार किया गया था। उक्त त्रुटि संज्ञान में आने पर राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी का नाम भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड को विलोपित करते हुए वर्ष 19.11.2022 के पूर्व की स्थिति में तहसीलदार के आदेश दिनांक 13.03.2025 के अनुसार, पूर्ववत छ०ग० शासन बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज किया जा चुका

है। उक्त त्रुटि हेतु तत्कालीन हल्का पटवारी श्री जोगेश्वर कंवर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध कर लघु शास्ति से दंडित किया गया है।

दुर्ग एवं बेमेतरा जिला में अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण निधि से स्वीकृत कार्य

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

59. (क्र. 1551) श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) 1 जनवरी, 2024 से 1 जनवरी, 2026 तक अहिलारा विधानसभा क्षेत्र एवं साजा विधानसभा क्षेत्र में अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण निधि से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुये हैं? राशि सहित बतावें? (ख) क्या स्वीकृत कार्य प्रारंभ हो चुके है ? यदि नहीं तो क्यों? (ग) स्वीकृत कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला बेमेतरा के साजा विधानसभा क्षेत्र एवं जिला दुर्ग के अहिलारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2026 तक अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि से स्वीकृत कार्यों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) अहिलारा विधानसभा क्षेत्र के स्वीकृत 8 कार्यों में से 07 कार्य पूर्ण एवं 01 कार्य अप्रारंभ है, उक्त कार्य की निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। साजा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी स्वीकृत 10 कार्य प्रारंभ हो चुके है। (ग) अहिलारा विधानसभा अंतर्गत 1 अप्रारंभ कार्य की निविदा उपरांत यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा एवं साजा विधानसभा अंतर्गत 07 कार्य पूर्ण तथा 03 कार्य डी.पी.सी. लेबल पर है, शीघ्र कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्यासी " \]](#)

जल संसाधन विभाग में अभियंताओं के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पद

[जल संसाधन]

60. (क्र. 1552) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जल संसाधन विभाग में अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/उप अभियंता के कितने-कितने पद सृजित हैं? कितने पद भरे हैं? कितने रिक्त है? संभागवार विवरण देवें? (ख) कंडिका 'क' के किन-किन अधिकारियों को वर्तमान में उनके मूल पद से उच्च पदों में प्रभार दिया गया है? पदनाम सहित विवरण देवें? (ग) कंडिका 'ख' के किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय एवं आर्थिक अनियमितता की जांच प्रचलन में है या लंबित है? कितने अधिकारियों के विरुद्ध ए.सी.एस./ई.ओ.डब्ल्यू में जांच प्रचलन में है अथवा लंबित है? नाम पद नाम सहित आरोप का भी विवरण देवें? (घ) क्या जांच लंबित रहने के उपरांत पदोन्नति दी जा सकती है? यदि नहीं तो क्या की गई पदोन्नति निरस्त करने की घोषणा की जा सकती है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जल संसाधन विभाग में अधीक्षण अभियंता (सि.) के 30 पद, अधीक्षण अभियंता (वि./यां.) के 03 पद, कार्यपालन अभियंता (सि.) के 111 पद, कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) के 13 पद, सहायक अभियंता (सि.) के 540 पद, सहायक अभियंता (वि./यां.) के 59 पद, उपअभियंता (सि.) के 1893 पद एवं उप अभियंता (वि./यां.) के 173 पद प्रतिनियुक्ति रक्षित पद सहित सृजित है। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) पदोन्नति नियम अनुसार जांच लंबित रहने पर अभ्यर्थी का नाम विचारण क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, परन्तु उनका लिफाफा बंद किया जाकर पदोन्नति प्रदाय नहीं किया जाता है। पदोन्नति निरस्त करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।**

सक्ती जिले में वृक्षारोपण में व्यय राशि

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

61. (क्र. 1559) श्री रामकुमार यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सक्ती जिला अंतर्गत वन विभाग द्वारा अप्रैल, 2024 से 02 फरवरी, 2026 तक कितने स्थानों में वृक्षारोपण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? उक्त वृक्षारोपण वर्तमान में किस स्थिति में हैं तथा वृक्षारोपण हेतु निर्धारित एजेंसी तथा देख-रेख हेतु क्या प्रावधान/मापदण्ड हैं? उक्त कार्य में कितना व्यय हुआ है ? वर्षवार, परिक्षेत्रवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अंतर्गत ऐसे कितने स्थान हैं, जहां पूर्व में भी वृक्षारोपण हेतु स्वीकृति दी गई थी तथा वहां पुनः राशि की स्वीकृति की गई है? वर्षवार, स्थलवार राशि स्वीकृतिवार विवरण देवें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** सक्ती जिला अंतर्गत वन विभाग द्वारा अप्रैल, 2024 से 02 फरवरी, 2026 तक वृक्षारोपण हेतु दी गई स्वीकृति का वर्षवार, परिक्षेत्रवार, स्थलवार, स्वीकृत राशि, व्यय राशि, पौधों की वर्तमान स्थिति, वृक्षारोपण हेतु निर्धारित एजेंसी एवं देखरेख हेतु प्रावधान/मापदण्ड का **विवरण संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है ।****(ख)** प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पूर्व में भी वृक्षारोपण हेतु स्वीकृति दी गई थी तथा वहां पुनः राशि की स्वीकृति की गई है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बयासी" \]](#)

जिला सक्ती में पंजीकृत एवं कार्यरत सहकारी समितियां

[सहकारिता]

62. (क्र. 1560) श्री रामकुमार यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला सक्ती में कुल कितनी सहकारी समितियां पंजीकृत हैं और उनमें से कितनी सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं ? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अंतर्गत जिला सहाकारी केन्द्रीय बैंक (DCCB) द्वारा किसानों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण वितरण की विकासखण्डवार स्थिति क्या है ? **(ग)** क्या विगत अप्रैल, 2024 से 02 फरवरी, 2026 तक जिला सहाकारी केन्द्रीय बैंक (DCCB) अथवा किसी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (PACS) में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** उपरोक्त अवधि में हकारिता विभाग को केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का विवरण क्या है और क्या कोई राशि व्यपगत (lapsed) हुई है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :**(क)** जिला सक्ती में कुल 574 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं और उनमें से 200 समितियां सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। **(ख)** जिला सहाकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर द्वारा किसानों वर्ष 2025-26 में अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण वितरण की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विकासखंड	अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण वितरण (राशि करोड़ में)
1.	जैजैपुर	40.84
2.	सक्ती	46.80
3.	डभरा	46.25
4.	मालखरौदा	47.32

(ग) जी हां, प्रश्नाधीन अवधि में 09 शिकायतें संज्ञान में आयी हैं, जिसकी जानकारी "प्रपत्र" में संलग्न है। **(घ)** केन्द्र सरकार से प्रश्नांकित अवधि में सहकारिता विभाग को प्राप्त राशि के विवरण की जानकारी निम्नानुसार है। कोई राशि व्यपगत (लेप्ड) नहीं हुई है।

क्र. योजना का नाम	प्राप्त राशि (रू. लाख में)
-------------------	----------------------------

1.	डिजिटलईजेशन ऑफ प्राईमरी एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव्ह सोसाइटीज (6639)	1349.22
2.	कम्प्यूटराईजेशन ऑफ स्टेट रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव्ह सोसाइटीज ऑफिस (हार्डवेयर कम्पोनेन्ट (7057))	46.45
3.	कम्प्यूटराईजेशन ऑफ स्टेट रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव्ह सोसाइटीज ऑफिस (सॉफ्टवेयर कम्पोनेन्ट) टीप- NCDC के खाते में प्राप्त।	99.32
योग		1494.99

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरासी"]

मजदूरी भुगतान में अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

63. (क्र. 1563) श्री ओंकार साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जनवरी, 2025 से जनवरी, 2026 तक कांकेर, कोंडागांव एवं धमतरी वनमंडलों की विभिन्न रेंजों में मजदूरी मद की राशि जिन बैंक खातों में अंतरण की गई है, उनके खाताधारकों का विभागीय अभिलेखों से सत्यापन कराया गया है? यदि हाँ, तो सत्यापन की प्रक्रिया एवं वर्तमान स्थिति क्या है? **(ख)** विगत वर्ष 2025 में कांकेर, कोंडागांव एवं धमतरी वनमंडलों की प्रत्येक रेंज में मजदूरी मद अंतर्गत कुल कितनी राशि व्यय की गई? कृपया वनमंडल एवं रेंजवार विवरण दे? **(ग)** क्या मजदूरी भुगतान प्रक्रिया में अनियमितता अथवा राशि के दुरुपयोग संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उन शिकायतों पर की गई जांच एवं दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण दे?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जी हां। जनवरी, 2025 से जनवरी, 2026 तक कांकेर, कोंडागांव एवं धमतरी वनमंडलों की विभिन्न रेंजों में मजदूरी मद की राशि जिन बैंक खातों में अंतरण की गई है, उनके खाताधारकों का विभागीय अभिलेखों से सत्यापन कराया गया है। सत्यापन की प्रक्रिया एवं वर्तमान स्थिति का **विवरण संलग्न प्रपत्र-अ में दर्शित है।** **(ख)** विगत वर्ष 2025 में कांकेर, कोंडागांव एवं धमतरी वनमंडलों की प्रत्येक रेंज में मजदूरी मद अंतर्गत व्यय की गई राशि का वनमंडलवार, रेंजवार **विवरण संलग्न प्रपत्र-ब में दर्शित है।** **(ग)** मजदूरी भुगतान प्रक्रिया में अनियमितता अथवा राशि के दुरुपयोग संबंधी शिकायतें, शिकायतों पर की गई जांच एवं दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का **विवरण संलग्न प्रपत्र-स में दर्शित है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - चौरासी"]

वन विभाग में वायरलेस ऑपरेटर हेतु स्वीकृत एवं कार्यरत पद

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

64. (क्र. 1564) श्री ओंकार साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के वन विभाग में वायरलेस ऑपरेटर के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पदों पर पदस्थापना की गई है? कृपया वनमंडलवार विवरण दें? **(ख)** क्या किसी वायरलेस ऑपरेटर द्वारा फर्जी अथवा संदिग्ध प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने संबंधी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या एवं उनकी जांच की वर्तमान स्थिति बताएं? **(ग)** उक्त शिकायतों के परीक्षण उपरांत यदि किसी वायरलेस ऑपरेटर को दोषी पाया गया है? हाँ तो क्या कार्यवाही की गई?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** छ.ग. वन विभाग में वायरलेस ऑपरेटर के कुल 161 सांख्येत्तर पद स्वीकृत है तथा वर्तमान में 85 वायरलेस ऑपरेटर कार्यरत है। कार्यालयवार / वनमंडलवार पदस्थापना

का विवरण प्रपत्र-'अ' अनुसार है।(ख) जी हाँ, विगत 03 वर्ष में प्राप्त शिकायत की कुल संख्या 01 है, शिकायत की जाँच प्रतिवेदन पर अंतिम निर्णय लिया जाना विचाराधीन है। (ग) जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही विचाराधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चासी"]

महासमुंद विधानसभा क्षेत्र में विद्युत सब स्टेशन ट्रांसफार्मर एवं विद्युत खंभों की मांग एवं स्वीकृति
[ऊर्जा]

65. (क्र. 1566) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) महासमुंद विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023-24 से 11.02.2026 तक किन-किन स्थानों पर नवीन विद्युत सब स्टेशन / ट्रांसफार्मर एवं विद्युत खंभा की मांग प्राप्त हुई है? विकासखंडवार गाँव एवं स्थल के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश "क" की मांग के विरुद्ध कितने विद्युत सब स्टेशन /ट्रांसफार्मर एवं विद्युत खंभे लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई ? स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण एवं कितने किन कारणों से अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे? जानकारी उपलब्ध करावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) महासमुंद विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023-24 से 11.02.2026 तक 01 नग 33/11 के.व्ही. नवीन विद्युत सब-स्टेशन, 38 नग वितरण ट्रांसफार्मर एवं 252 नग विद्युत खंभे की मांग प्राप्त हुई है। विकासखण्डवार, ग्रामवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) उत्तरांश "क" में निहित सभी कार्यों की स्वीकृत प्रदान की जा चुकी है। स्वीकृत कार्यों में से 1 नग 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र, 34 नग वितरण ट्रांसफार्मर एवं 230 नग विद्युत खंभों के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। 4 नग वितरण ट्रांसफार्मर एवं 22 नग विद्युत खंभे लगाने के कार्य अपूर्ण हैं, जिन्हें जून 2026 तक पूर्ण किए जाने के प्रयास हैं। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियासी"]

महासमुंद जिले में अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि मद में स्वीकृत कार्य

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

66. (क्र. 1567) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) महासमुंद जिले में अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 11.02.2026 तक कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी लागत के कहाँ-कहाँ स्वीकृत किए गए हैं? विकासखंडवार जानकारी दे? (ख) प्रश्नांश "क" के स्वीकृत कार्यों की पूर्ण, प्रगतिरत, अपूर्ण तथा अप्रारंभ की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रदान करें? अपूर्ण प्रगतिरत कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश "क" के स्वीकृत कार्यों में अनियमितता की कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई? बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) महासमुंद जिले में अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 11.02.2026 तक स्वीकृत कार्यों की विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख) स्वीकृत कार्यों की पूर्ण, प्रगतिरत, अपूर्ण तथा अप्रारंभ की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।(ग) प्रश्नांश "क" के स्वीकृत कार्यों में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तासी"]

छत्तीसगढ़ में रोडवेज की बंद सेवाओं को पुनः प्रारंभ करने हेतु किए गए प्रयास
[परिवहन]

67. (क्र. 1571) श्रीमती भावना बोहरा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) छत्तीसगढ़ रोडवेज का संचालन कब से बंद है तथा इसे पुनः प्रारंभ करने हेतु शासन द्वारा 11/02/2026 तक क्या-क्या प्रयास किए गए हैं? (ख) निजी बस संचालकों द्वारा निर्धारित मनमाने किराए एवं अनियमित समय-सारिणी की शिकायतों पर नियंत्रण हेतु शासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? कबीरधाम जिले में विगत एक वर्ष में प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्रवाई की विधानसभावार जानकारी दें? (घ) क्या राज्य में सस्ती, सुरक्षित एवं नियमित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पुनः स्थापित करने हेतु विचार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उसकी संभावित समय-सीमा क्या है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 13 दिसम्बर 2002 तक मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम संचालित था। उसके पश्चात राज्य में किसी भी प्रकार के रोडवेज का गठन नहीं किया गया है। पुनः प्रारंभ करने हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई है। (ख) निजी बस संचालकों द्वारा मनमाने किराये एवं अनियमित समय सारणी की शिकायतों पर परिवहन विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। जिले में विगत एक वर्ष में प्राप्त शिकायत एवं कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टासी"]

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भुईया पोर्टल पर फसल प्रविष्टि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

68. (क्र. 1573) श्रीमती भावना बोहरा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्या सभी ग्रामों में भुईया पोर्टल पर फसल प्रविष्टि पूर्ण रूप से दर्ज की गई है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो ग्रामवार अपूर्ण प्रविष्टियों की संख्या एवं कारण बताएं? (ख) यदि भुईया पोर्टल पर फसल प्रविष्टि पूर्ण नहीं है तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री/नामांतरण/राजस्व अभिलेखों में भूमि को एकफसली, द्विफसली, सिंचित अथवा असिंचित श्रेणी में दर्ज करने का आधार क्या निर्धारित किया जा रहा है? (ग) फसल प्रविष्टि में त्रुटि अथवा विलंब होने की स्थिति में किसान को होने वाली क्षति (ऋण, बीमा, मुआवजा, समर्थन मूल्य आदि) से बचाव हेतु शासन द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? (घ) क्या भुईया पोर्टल की फसल प्रविष्टि प्रणाली को पंजीयन विभाग, किसान पंजीयन पोर्टल एवं कृषि विभाग के डेटा से एकीकृत करने हेतु कोई कार्ययोजना प्रस्तावित है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी ग्रामों में भुईया पोर्टल पर फसल प्रविष्टि पूर्ण रूप से दर्ज की गई है। (ख) भुईया पोर्टल पर फसल प्रविष्टि पूर्ण है तथा उक्त प्रविष्टि के आधार पर रजिस्ट्री/नामांतरण/राजस्व अभिलेखों में भूमि को एकफसली, द्विफसली, सिंचित अथवा असिंचित श्रेणी में दर्ज किया जाता है। (ग) फसल प्रविष्टि में त्रुटि अथवा विलंब होने की स्थिति में पटवारी प्रतिवेदन एवं कृषि विभाग के संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर किसानों को क्षति का मुआवजा प्रदान किया जाता है। (घ) जी नहीं

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में रजिस्ट्रार के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पद

[उच्च शिक्षा]

69. (क्र. 1574) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में 31 जनवरी, 2026 की स्थिति में रजिस्ट्रार के स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पदों की जानकारी जिलावार, महाविद्यालयवार बताएं ? **(ख)** 31 जनवरी, 2026 की स्थिति में प्रदेश में 1000 से अधिक छात्र-छात्रा संख्या वाले महाविद्यालयों की जानकारी जिलावार महाविद्यालयवार बताएं ? उक्त में से रजिस्ट्रार पद विहीन महाविद्यालयों की जानकारी जिलावार बताएं ? **(ग)** क्या 1000 से अधिक छात्र-छात्रा संख्या वाले रजिस्ट्रारविहीन महाविद्यालय तथा राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों (रजिस्ट्रार पद विहीन) में रजिस्ट्रार पद सृजन एवं पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी यदि हां तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र- 'अ' अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र- 'ब' अनुसार है। **(ग)** प्रदेश के 61 महाविद्यालयों में जिनमें छात्र-छात्राओं की संख्या 1000 से अधिक है, रजिस्ट्रार के पद सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सृजन एवं पदस्थापना का समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - नवासी"]

प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के चालान की कार्यवाही की प्रक्रिया

[परिवहन]

70. (क्र. 1576) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में वाहनों की जांच हेतु (जनरल थानों) व परिवहन (पुलिस) को प्रदत्त अधिकार/ नियम क्या-क्या है ? चालान की कार्यवाही की क्या प्रक्रिया है ? **(ख)** क्या यह सत्य है कि प्रदेश के अनेक स्थानों पर उक्त जांच में पॉल्यूशन, फिटनेस, बीमा ,लाइसेंस व अन्य कारणों की उचित स्थिति (नियमानुसार पूर्णता) के बावजूद ऑनलाइन चालान की कार्यवाही व ऑनलाइन चालान पटाने हेतु रिमाइंडर भेजा जा रहा है ? यदि हां तो क्या कारण है? यदि नहीं तो क्या अनेक वाहन चालकों द्वारा चालान पश्चात विभाग से संपर्क, निवेदन करने पर चालान राशि में कमी या चालान निरस्त की कार्यवाही की गई ? **(ग)** प्रदेश में वाहनों की जांच व अनेक कारणों से की जा रही कार्यवाही में पारदर्शिता लाने व भ्रष्टाचार रोकने ,मनमानी वसूली रोकने ,शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जी हाँ। वाहनों के नंबर प्लेट स्पष्ट प्रदर्शित नहीं होने एवं अन्य तकनीकी कारणों से चालान जारी हुआ है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रदेश में वाहनों की जांच व अनेक कारणों से की जा रही कार्यवाही में पारदर्शिता लाने व भ्रष्टाचार, मनमानी वसूली रोकने हेतु शासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर एएनपीआर कैमरा, ई-टैक्स, आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन एवं वे-ब्रिज की स्थापना किया गया है जिससे उक्त प्रक्रियाओं में कार्यवाही ऑनलाइन हो सके।

[संलग्न "परिशिष्ट - नब्बे"]

तखतपुर के जे.एम.पी. महाविद्यालय हेतु नवीन भवन निर्माण के प्रस्ताव पर कार्यवाही

[उच्च शिक्षा]

71. (क्र. 1584) श्री धर्मजीत सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या तखतपुर में स्थित जे.एम.पी. महाविद्यालय का पुराना भवन जर्जर हो चुका है? क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा जे.एम.पी. महाविद्यालय के पुराने भवन को डिस्मेंटल योग्य मान लिया गया है ? **(ख)** कंडिका "क" के महाविद्यालय हेतु नवीन भवन निर्माण के लिए क्या शासन के पास प्रस्ताव लंबित है? यदि हां तो कब से और

उस पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) कंडिका "ख" के प्रस्तावित महाविद्यालय हेतु नवीन भवन कब तक स्वीकृत कर लिया जाएगा?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी हाँ। तखतपुर के जे.एम.पी. महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण के प्रस्ताव नवीन मद वर्ष 2026-27 में शामिल किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत पावर ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाईन

[ऊर्जा]

72. (क्र. 1585) श्री धर्मजीत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना (एस टी एन) अंतर्गत वर्ष 2024-25, 2025-26 फेस-2 के तहत तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उस्लापुर, विजयपुर, पोड़ी में 3.15 MVA क्षमता विस्तार हेतु पावर ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाईन स्वीकृत हुआ है? (ख) कंडिका "क" के कार्य कब से स्वीकृत हैं एवं कब तक पूर्ण किये जाने हैं? (ग) कंडिका "क" के कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जी हां, मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उसलापुर, विजयपुर एवं पोड़ी में 3.15 एम.व्ही.ए. क्षमता के 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र एवं विद्युत लाईन कार्य स्वीकृत है। (ख) कंडिका "क" के सभी कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 18.09.2025 की गई है एवं मार्च 2027 तक पूर्ण किए जाने के प्रयास है। (ग) कंडिका "क" के कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है। निविदा उपरांत एजेसी निर्धारित किया जाकर कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

कोंडागांव जिले की तहसीलों का राजस्व सर्वेक्षण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

73. (क्र. 1588) सुश्री लता उसेंड़ी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कोंडागांव जिले के तहसीलों में राजस्व सर्वेक्षण का कार्य अंतिम बार कब कराया गया था? (ख) वर्तमान में जिले अंतर्गत ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें/ ग्राम हैं जो राजस्व सर्वेक्षण न होने के कारण, LGD मैपिंग ना होने की स्थिति में शासकीय विभागों की योजना एवं पंचायती राज अंतर्गत मूलभूत सुविधा लेने से वंचित हैं तथा उनकी प्रतिपूर्ति हेतु क्या शासन की कोई कार्ययोजना है? (ग) कोंडागांव जिले अंतर्गत विभाग द्वारा नगर क्षेत्रों अंतर्गत क्या कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है ? जानकारी देवें? (घ) कोंडागांव विधानसभा अंतर्गत क्या ग्रामवार बसाहट, निस्तारी, खेल मैदान, देवस्थल, सड़क मार्ग, वन हेतु भूमि संरक्षित की गई है ? क्या उक्त का रिकॉर्ड शासन स्तर पर उपलब्ध है ? यदि ना तो उक्त हेतु क्या प्रावधान है एवं सर्वे तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जाएगी ? जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) कोण्डागांव जिले के तहसीलों में राजस्व सर्वेक्षण का कार्य अंतिम बार वर्ष 1924-25 में कराया गया था। (ख) तहसील कोण्डागांव अंतर्गत ग्राम पंचायत कुम्हारपारा है जो वर्तमान में ग्राम पंचायत है परन्तु राजस्व ग्राम अधिसूचित नहीं है। ग्राम पंचायत कुम्हारपारा का LGD मैपिंग नहीं होने की स्थिति में शासकीय विभागों की योजना एवं पंचायती राज अंतर्गत मूलभूत सुविधा लेने से वंचित है। (ग) जी हाँ, कोण्डागांव जिला अंतर्गत निवेश क्षेत्र केशकाल, विश्रामपुर, फरसगांव एवं बड़ेकनेरा का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। (घ) कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामवार बसाहट, निस्तारी, खेल मैदान, देवस्थल, सड़क मार्ग, वन हेतु भूमि पूर्व में संरक्षित की गई है। जिला कोण्डागांव में पुनः सर्वेक्षण हेतु दिनांक 10 मार्च 2023 को

अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें राजस्व सर्वेक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है। उक्त कार्य पूर्ण होने पर उक्त का अद्यतन रिकार्ड तैयार कर संधारित की जावेगी।

कोंडागांव जिले मे स्थापित विद्युत सबस्टेशन से बिजली की आपूर्ति

[ऊर्जा]

74. (क्र. 1589) सुश्री लता उसेंडी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कोंडागांव जिले अंतर्गत वर्षवार जनवरी, 2026 तक कितने यूनिट बिजली की खपत है तथा वर्तमान में जिले में कितने विद्युत सबस्टेशन संचालित हैं तथा उनके द्वारा कितने यूनिट बिजली की सप्लाई की जा रही है? जिले अंतर्गत वर्तमान में कितने नवीन सबस्टेशन प्रस्तावित हैं एवं उनकी अद्यतन स्थिति से अवगत करावें ? **(ख)** कोंडागांव जिले अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कितने किसानों द्वारा स्थाई कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया है एवं कितने किसान ऐसे हैं जिनके द्वारा उक्त हेतु डिमांड राशि जमा करने के बाद भी 11/02/2026 तक कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है ? उन्हें कब तक स्थाई कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा ? जानकारी दें ? **(ग)** वर्तमान में जिले में शासकीय संस्थाओं का कितना विद्युत भुगतान बकाया है तथा क्या शासकीय संस्थाओं में सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत आपूर्ति हेतु शासन की क्या कोई कार्ययोजना है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** कोण्डागांव जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 334.21 मिलियन यूनिट, 2024-25 में 379.78 एवं वर्ष 2025-26 में दिसम्बर 2025 तक 248.58 मिलियन यूनिट बिजली की खपत हुई है। वर्तमान में जिले में 1 नग 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कोण्डागांव (मसोरा) में संचालित है, जिससे माह जनवरी 2026 में 36.78 मिलियन यूनिट बिजली की सप्लाई हुई है एवं 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कोण्डागांव (मसोरा) से जुड़े 15 नग 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों से जनवरी 2026 में 36.81 मिलियन यूनिट तथा कोण्डागांव जिले में ही स्थित अन्य 9 नग 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों (जिनकी आपूर्ति कोण्डागांव जिले के बाहर से हो रही है) से जनवरी 2026 में 8.18 मिलियन यूनिट की विद्युत आपूर्ति हुई है। जिले के अंतर्गत वर्तमान में 1 नग 132/33 के.व्ही. एवं 4 नग 33/11 के.व्ही. सबस्टेशन प्रस्तावित है। उनकी अद्यतन स्थिति की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** कोण्डागांव जिले अंतर्गत विगत 3 वर्षों में स्थायी कनेक्शन हेतु प्राप्त सभी 13.381 किसानों के द्वारा डिमांड राशि का भुगतान किया जा चुका है। उक्त में से लक्षित 7484 कृषि सिंचाई पंपों में से 3692 कृषि सिंचाई पंपों के कार्य पूर्ण किये गये हैं एवं 3792 कृषि सिंचाई पंपों के कार्य दिसम्बर 2026 तक पूर्ण किए जाने के प्रयास रहेंगे। इसके अतिरिक्त शेष 5897 कृषि पंपों का समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

(ग) वर्तमान में कोण्डागांव जिले में शासकीय संस्थाओं का माह जनवरी 2026 की स्थिति में कुल बकाया राशि 17.93 करोड़ रुपये भुगतान हेतु बकाया है। शासकीय संस्थाओं में सौर उर्जा के माध्यम से विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर प्लांट स्थापित करने की कार्य योजना है, जिसकी प्रक्रिया का निर्धारण प्रगति पर है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इनक्यानबे"]

बिना रायल्टी एवं ओवरलोड परिवहन के वाहनों की जांच एवं कार्यवाही

[खनिज साधन]

75. (क्र. 1590) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला-बालोद के गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2024-25 से 11/02/2026 तक बिना रायल्टी एवं ओवरलोड परिवहन के कितने वाहनों पर जाँच एवं क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई है ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी दें ? **(ख)** क्या स्थानीय प्रशासन द्वारा रायल्टी न दिए गए माल की परिवहन गतिविधियों पर नियमित निरीक्षण होता है? जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि तक बिना अभिवहन पारपत्र के वाहनों एवं परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोडिंग वाहनों पर की जांच एवं कार्यवाही की वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।(ख) जी हॉ। खनिज विभाग तथा अन्तर्विभागीय जिला खनिज टास्क फोर्स द्वारा आवश्यकतानुसार सतत् निरीक्षण किया जाता है। बिना अभिवहन पारपत्र खनिजों का परिवहन के प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 में विहित प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार समझौता शुल्क की वसूली अथवा सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बयानबे"]

जिला बिलासपुर में ऑनलाइन नामांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

76. (क्र. 1600) श्री सुशांत शुक्ला : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला बिलासपुर में वर्ष 2024-25 से 11/02/2026 तक ऑनलाइन नामांतरण के कितने आवेदन प्राप्त हुए? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश "क" के प्राप्त आवेदनों में से कितनों का निराकरण कर लिया गया है? कितने किन कारणों से लंबित हैं? कितने प्रकरण खारिज किए गए? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जिला बिलासपुर में वर्ष 2024-25 से 11/02/2026 तक ऑनलाइन नामांतरण के कुल 63771 आवेदन प्राप्त हुए। तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है -

क्र.	विकासखण्ड का नाम	कुल दर्ज
1	बिल्हा	35677
2	मस्तूरी	8729
3	तखतपुर	17065
4	कोटा	2300
योग		63771

(ख) प्रश्नांश "क" के कुल प्राप्त 63771 आवेदनों में से 60752 का निराकरण कर लिया गया है। निराकृत 60752 प्रकरणों में 7980 प्रकरण निरस्त/खारिज के है । 3019 प्रकरण निराकरण हेतु लंबित है । लंबित होने का कारण तथा खारिज प्रकरणों की तहसीलवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरानबे"]

प्रदेश में अधिकारियों / कर्मचारियों की विभागीय जाँच के नियम

[सामान्य प्रशासन]

77. (क्र. 1601) श्री सुशांत शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में अधिकारियों / कर्मचारियों की विभागीय जांच हेतु क्या-क्या नियम निर्धारित हैं? अधिकतम कितने समय में विभागीय जांच पूर्ण किए जाने के नियम हैं? नियम/निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें ? (ख) निर्धारित समयावधि में विभागीय जांच पूर्ण नहीं करने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी, जाँचकर्ता अधिकारी एवं जाँच की वैधानिकता के संबंध में क्या-क्या दिशा निर्देश हैं? दिशा निर्देश/आदेश की प्रति उपलब्ध करावें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम निर्धारित है। विभागीय जांच के प्रकरणों को अधिकतम एक वर्ष के भीतर पूर्ण किये जाने के नियम/निर्देश हैं।

नियम/निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र"** अनुसार है। **(ख)** निर्धारित समयावधि में विभागीय जांच पूर्ण नहीं करने पर, संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारियों, जांचकर्ता अधिकारी एवं जांच की वैधानिकता के विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश हैं। दिशा-निर्देश/आदेश की प्रति, **पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र"** अनुसार है।

रायपुर ग्रामीण वि.स. क्षेत्र अंतर्गत नये ट्रांसफार्मर एवं अस्थाई/स्थाई विद्युत कनेक्शन का प्रदाय
[ऊर्जा]

78. (क्र. 1608) श्री मोतीलाल साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक कितने नये ट्रांसफार्मर एवं अस्थाई/स्थाई विद्युत कनेक्शन तथा खराब एवं जर्जर विद्युत तारों को बदलने हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? **(ख)** प्रश्नांक अनुसार प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध कुल कितने ट्रांसफार्मर/अस्थाई/स्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया है, कितने लंबित हैं ? जानकारी दें। **(ग)** विद्युत करेंट से होने वाली जनहानि एवं अन्य दुर्घटना घटित होने पर क्या विभाग में मुआवजा का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितना ? **(घ)** क्या विभाग द्वारा अव्यवस्थित ट्रांसफार्मर/बाक्स खुले ट्रांसफार्मर को व्यवस्थित किये जाने हेतु नियमित मॉनिटरिंग की जाती है? जानकारी दें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :**(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक 281 नये ट्रांसफार्मर लगाने, 12 हजार 88 अस्थाई कनेक्शन, 27 हजार 517 स्थायी कनेक्शन एवं 168 स्थानों पर खराब एवं जर्जर विद्युत तारों को बदलने हेतु आवेदन प्राप्त हुए।**(ख)** उत्तरांश "क" के अनुसार प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध 276 ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य, 12 हजार 88 अस्थाई कनेक्शन, 27 हजार 162 स्थायी कनेक्शन प्रदान किए गए एवं 168 स्थानों पर खराब एवं जर्जर विद्युत तारों को बदलने का कार्य पूर्ण किया गया। 5 नग ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य, 355 नग स्थायी कनेक्शन प्रदाय करने का कार्य लंबित है।**(ग)** विद्युत करेंट से होने वाली जनहानि एवं अन्य दुर्घटना घटित होने पर विभाग द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है, आर्थिक सहायता राशि का विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(घ)** जी हां, विभाग द्वारा अव्यवस्थित ट्रांसफार्मर / बाक्स खुले ट्रांसफार्मर को व्यवस्थित करने हेतु नियमित मॉनिटरिंग की जाती है एवं यथाशीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौरानबे"]

आपदाओं के तहत जनहानि होने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

79. (क्र. 1609) श्री मोतीलाल साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2025-26 में 31.01.2026 तक सड़क दुर्घटना, तालाब, बांध व स्टापडेम में डूबने से मृत, सर्पदंश से मृत एवं अन्य आपदाओं के तहत जनहानि होने पर कितने व्यक्तियों के परिजनों को कितनी-कितनी क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है ? वर्षवार जानकारी दें। **(ख)** कंडिका **(क)** के अनुसार पीड़ित परिवार के कितने व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति राशि देना शेष है ? जानकारी दें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सड़क दुर्घटना एवं प्राकृतिक आपदा से जनहानि होने पर परिजनों को दी गई आर्थिक सहायता राशि की वर्षवार **जानकारीसंलग्नप्रपत्र अनुसार** है।**(ख)** कंडिका **(क)** के परिप्रेक्ष्य में पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता राशि देना शेष नहीं है। [संलग्न "परिशिष्ट - पंचानबे"]

सरगुजा जिले के सहकारी बैंक की शाखायें एवं खाता धारक

[सहकारिता]

80. (क्र. 1613) श्री प्रबोध मिंज : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सरगुजा जिला सहकारी बैंक के कितनी शाखा हैं, प्रत्येक शाखा में कितने-कितने खाता धारक हैं? नई शाखा प्रारंभ करने की क्या प्रक्रिया है एवं कितने घटक धारक होने की आवश्यकता होती है? **(ख)** भौगोलिक स्थिति/ क्षेत्र की जनसंख्या एवं बैंक खोलने के नियम/शर्तों की जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** सरगुजा जिले के अंतर्गत विकासखंड अंबिकापुर एवं विकासखंड लखनपुर में नई शाखा खोलने की क्या योजना है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : **(क)** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अंबिकापुर में 31 शाखाएं हैं। शाखावार खाता धारकों की संख्या **प्रपत्र-‘अ’** में **संलग्न** है। बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट, 1949 की धारा-23 अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश/परिपत्र के अनुसार संबंधित बैंक द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति एवं लाईसेंस मिलने के पश्चात् शाखा प्रारंभ की जाती है। **(ख)** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा खोलने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश/परिपत्र दिनांक 11 अगस्त, 2022 **प्रपत्र-‘ब’** में **संलग्न** है। **(ग)** सरगुजा जिले के अंतर्गत विकासखंड अंबिकापुर एवं विकासखंड लखनपुर में नई शाखा खोलने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छियानबे" \]](#)

विद्युत विभाग को बिजली बिल के रूप में प्राप्त वर्षवार राशि

[ऊर्जा]

81. (क्र. 1616) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-2026 में दिनांक 10 जनवरी, 2026 तक विद्युत विभाग को प्रदेश के घरेलू एवं व्यावसायिक विद्युत उपभोक्ताओं से बिजली बिल के रूप में कुल कितनी राशि की प्राप्ति हुई है? उक्त वर्षों में समय-समय पर निर्धारित किये गये यूनिट स्लैब एवं प्रति यूनिट बिजली दर की भी जानकारी देवें। **(ख)** दिनांक 10 जनवरी, 2026 तक घरेलू एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु लगाये गये स्मार्ट मीटरों के सही कार्य न करने, अत्यधिक खपत दिखाने एवं अन्य कारणों के संबंध में विभाग को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है एवं विभाग द्वारा इनके निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 10 जनवरी 2026 तक विद्युत विभाग को प्रदेश के घरेलू एवं व्यावसायिक विद्युत उपभोक्ताओं से बिजली बिल के रूप में कुल रु. 16,990 करोड़ 70 लाख की राशि प्राप्त हुई। उक्त वर्षों में समय-समय पर निर्धारित किये गये यूनिट स्लैब एवं प्रति यूनिट बिजली दर की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** दिनांक 10 जनवरी, 2026 तक घरेलू एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु लगाये गये स्मार्ट मीटरों के सही कार्य न करने, अत्यधिक खपत दिखाने एवं अन्य कारणों के संबंध में विभाग को कुल 4 हजार 670 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसका निराकरण किया जा चुका है। विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सन्तानबे" \]](#)

मुरूम व रेत उत्खनन हेतु जारी अनुज्ञा एवं बिल क्लीयरंस प्रमाण-पत्र

[खनिज साधन]

82. (क्र. 1617) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विगत 03 वर्षों में खनिज विभाग द्वारा बालोद जिले के अंतर्गत कहाँ-कहाँ, कितने रकबे पर कितने घन मीटर मुरूम

तथा रेत उत्खनन हेतु किन-किन को कितने समयावधि के लिए अनुज्ञा-पत्र जारी किया गया है तथा रॉयल्टी के रूप में इनसे कितनी राशि प्राप्त हुई है? जानकारी दें। (ख) विगत 03 वर्षों में खनिज विभाग जिला बालोद के द्वारा कितने घन मीटर मुरूम व रेत का बिल क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी किया गया है? विवरण दें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) विगत 03 वर्षों (वर्ष 2023 से 2025 तक) में खनिज विभाग द्वारा बालोद जिले के अंतर्गत मुरूम एवं रेत उत्खनन अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया गया है। अपितु प्रशंश अवधि में रेत उत्खनन हेतु स्वीकृत उत्खननपट्टों एवं प्राप्त रायल्टी राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-“अ” अनुसार है। इसके अतिरिक्त तालाब गहरीकरण एवं खेत समतलीकरण से निकलने वाले मुरूम के परिवहन हेतु जारी अनुमतियों एवं उनसे प्राप्त रायल्टी राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-“ब” अनुसार है। (ख) प्रश्राधीन अवधि में जिला बालोद द्वारा मुरूम हेतु 4,56,881 घनमीटर व रेत हेतु 1,52,867 घनमीटर का रायल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी किया गया है।

वाहनों में “हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट” लगाना

[परिवहन]

83. (क्र. 1619) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला बालोद अंतर्गत 01 अप्रैल 2021 से 31.01.2026 तक कितने वाहनों का आर.टी.ओ. में पंजीयन है? इन पंजीकृत वाहनों में कितने वाहनों में “हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट” लगाया जा चुका है और कितने का लगाया जाना शेष है? विकासखण्डवार जानकारी दें। (ख) ऐसे वाहन जिसमें “हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट” नहीं लगाया जा सका है उसके लिए विभाग द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है? क्या इसके लिए विभाग द्वारा शिविर का आयोजन किया गया है? यदि हां तो कब-कब आयोजन किया गया?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) प्रश्रांकित अवधि में जिला बालोद अन्तर्गत 01 अप्रैल 2021 से 31.01.2026 तक कुल 53,773 वाहन पंजीकृत हुए हैं। जिनका पंजीयन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ ही किया गया है। प्रश्रांकित अवधि में कोई भी वाहन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने हेतु शेष नहीं है। वाहनों का पंजीयन जिलावार किया जाता है। अतः विकासखण्डवार जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ख) ऐसे वाहन जिसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाया जा सका है उसके लिए विभाग द्वारा राज्य स्तर पर 02 कम्पनियों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने हेतु अनुबंधित किया गया है, इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की कार्ययोजना बनाई गई है जिसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का ऑर्डर एवं भुगतान ऑनलाईन माध्यम से, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध, लोगों को जनजागरूक करने का प्रयास, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का प्रचार-प्रसार, जिलावार विभिन्न क्षेत्रों में शिविर का आयोजन, जैसे कार्य किये जा रहे हैं। जी हाँ। शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

खनिज संसाधन से प्राप्त रॉयल्टी व भारी वाहनों से होने वाले क्षति

[खनिज साधन]

84. (क्र. 1620) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) डौण्डी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में स्थित खदानों से शासन को पिछले तीन वर्षों में कितनी रॉयल्टी प्राप्त हुई है? इसमें से कितनी राशि जिला खनिज संस्थान न्यास मद में जमा की गई और उसका कितना प्रतिशत हिस्सा प्रभावित गांवों के विकास पर व्यय हुआ? वर्षवार एवं विकासखण्ड वार विवरण दें? (ख) क्या खनिज परिवहन में लगे भारी वाहनों के ओवरलोडिंग के कारण डौण्डी लोहारा क्षेत्र की मुख्य सड़कें टूट गई व अधिकांशतः जर्जर हो

गई है? पिछले 3 वर्षों में खनिज विभाग द्वारा कितने ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही की गई है और उनसे कितना अर्थदण्ड वसूल किया गया है? वर्षवार बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) डौण्डी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में स्थित खदानों से शासन को विगत तीन वर्षों में प्राप्त रॉयल्टी, अंशदान निधि एवं जिला खनिज संस्थान न्यास मद में जमा राशि की वर्षवार जानकारी एवं प्रभावित गांवों के विकास पर व्यय की विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-"अ"** अनुसार है। (ख) लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार खनिज परिवहन में लगे भारी वाहनों के कारण मुख्य मार्ग का कुछ भाग जर्जर हुआ है जिसकी मरम्मत निकटवर्ती खदान/अनुज्ञाधारी कम्पनी एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं किया जा रहा है। खनिज विभाग ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही हेतु सक्षम विभाग नहीं है। अपितु पिछले 03 वर्षों में परिवहन विभाग के उडनदस्ता, दुर्ग संभाग द्वारा डौण्डीलोहरा क्षेत्र में ओवरलोडिंग वाहनो पर की गयी कार्यवाही एवं वसूल अर्थदंड की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अन्तानबे"]

वन परिक्षेत्र अर्जुनी में हाथी एवं टाइगर की गतिविधियों के कारण विद्युत प्रवाह बंद करना

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

85. (क्र. 1626) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या वन परिक्षेत्र अर्जुनी में हाथी एवं टाइगर की लगातार गतिविधियों के कारण दिनांक 30/01/2026 को विद्युत विभाग, बिलाईगढ़ को पत्र लिखकर सराईपाली, गांजरडीह, सिरमाल, बिलाड़ी, अर्जुनी एवं करमेल ग्रामों में सायं 07:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक विद्युत प्रवाह बंद करने का अनुरोध किया गया है? यदि हाँ, तो उसकी प्रति उपलब्ध करायें। (ख) क्या हाथी एवं टाइगर की नियमित आवाजाही के बावजूद संबंधित ग्रामों में आज तक कोई स्थायी सुरक्षा व्यवस्था (जैसे सोलर फेंसिंग, ट्रेंचिंग, अलर्ट सिस्टम अथवा स्थायी रेस्क्यू टीम) नहीं की गई है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (ग) अर्जुनी वन परिक्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने हेतु अब तक कौन से ठोस उपाय किए गए हैं तथा विद्युत कटौती के स्थान पर स्थायी समाधान कब तक लागू किए जाएंगे?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी हाँ, वन परिक्षेत्र अर्जुनी (बलौदाबाजार वनमण्डल) में हाथियों एवं बाघ (टाईगर) की लगातार गतिविधियों के कारण वन परिक्षेत्र अधिकारी अर्जुनी द्वारा दिनांक 30.01.2026 एवं 01.02.2026 को विद्युत विभाग बिलाईगढ़ को पत्र प्रेषित कर सराईपाली, गांजरडीह, सिरमाल, बिलाड़ी, अर्जुनी एवं करमेल ग्रामों में विद्युत प्रवाह बंद करने हेतु अनुरोध किया गया था। पत्रों की प्रति **संलग्न "प्रपत्र" में दर्शित है।** (ख) बलौदाबाजार वनमण्डल अंतर्गत हाथी एवं टाइगर की नियमित आवाजाही हेतु स्थायी सुरक्षा व्यवस्था के तहत हाथी मित्र दल, (बाघ) टाइगर मानिटरिंग दल एवं गश्ती दल के माध्यम से नियमित मानिटरिंग की जा रही है। अलर्ट सिस्टम के तहत ग्रामीणों का 'गज संकेत' एप्प के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया गया है। इससे हाथियों के आवागमन की सूचना फोन (मोबाईल) में एस.एम.एस. के माध्यम से पहुंच जाती है। स्थायी रेस्क्यू टीम के तहत वनमण्डल स्तर पर हाथी मित्र दल का गठन किया गया है। हाथियों की उपस्थिति अनुसार परिक्षेत्रों में नियमित गश्त किया जाकर आवश्यक समझाईश ग्रामीणों को निरंतर दी जा रही है। (ग) अर्जुनी वन परिक्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार ठोस उपाय किये गये हैं:-1. हाथी मानव संघर्ष को रोकने हेतु वनमंडल स्तर पर मोबाईल आधारित ग्रुप बनाया गया है। जिससे हाथियों की लोकेशन तथा हाथी संबंधी गतिविधियों को ग्रुप में साझा किया जाता है।2. वनमंडल स्तर पर हाथी मित्र दल का गठन किया गया है ताकि उनके द्वारा विभागीय मैदानी अमलों के साथ हाथियों की ट्रैकिंग कर जंगल की ओर भेजा जा सके।3. ग्रामीणों को हाथी विचरण की पूर्ण जानकारी देने हेतु आकाशवाणी कार्यक्रम के माध्यम से हाथियों के आगमन

एवं संभावित विचरण का प्रसारण "हमर हाथी हमर गोठ" प्रतिदिन शाम 5.00 बजे अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ आकाशवाणी केन्द्रों से किया जा रहा है। 4. हाथी को रोकने हेतु 'गज संकेत' ऐप का उपयोग किया जा रहा है। इस ऐप में स्थानीय ग्रामिणों को पंजीकृत किया गया है। हाथी की उपस्थिति होने पर मोबाईल फोन पर सही समय में सचेत रहने सूचित किया जाता है। 5. वनमण्डल स्तरीय टाईगर मानिट्रिंग टीम द्वारा नियमित निगरानी एवं आवश्यक समझाईस दी जा रही है। 6. जिन क्षेत्रों में हाथियों का प्रवास संभावित होता है उन क्षेत्रों में हाथी आगमन की पूर्व सूचना गांवों में मोबाईल एवं माईक (ध्वनी विस्तारक यंत्र) से देकर ग्रामीणों को सचेत किया जाता है। 7. विभाग द्वारा चारागाह, जल स्त्रोंतो का विकास कार्य कराया गया है जिससे हाथी एवं अन्य वन्यप्राणियों को वन क्षेत्र में ही भोजन पानी उपलब्ध हो सकें और उनके रिहायशी एवं आबादी क्षेत्र की ओर विचरण को रोका जा सकें। 8. वन प्रबंधन समिति के सदस्यों की नियमित बैठकें की जाकर ग्रामीणों को वन्यजीवों के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जा रही है। हाथी एवं बाघ (टाईगर) भारतीय वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची वर्ग-एक के वन्यप्राणी है। अत्यधिक आवश्यकता होने की स्थिति में ही विद्युत करेंट से इसके अवैध शिकार को रोकने की दृष्टि से उनके विचरण क्षेत्र में विद्युत प्रवाह को बंद करने अनुरोध किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - निन्यानबे"]

अंतर जिला सीमा पर संचालित स्थायी एवं अस्थायी परिवहन जाँच चौकियाँ

[परिवहन]

86. (क्र. 1631) श्री संदीप साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में क्या जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत एवम अंतर जिला सीमा पर परिवहन विभाग द्वारा स्थायी एवं अस्थायी परिवहन जाँच चौकियाँ संचालित की जा रही हैं? यदि हाँ, तो कृपया जाँच चौकी-वार प्रत्येक जाँच चौकी का नाम एवं सटीक स्थान, स्थायी अथवा अस्थायी, प्रारंभ करने की तिथि, वहाँ पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या की जानकारी दें ? (ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक जाँच चौकी पर कुल कितने वाहनों की जाँच की गई? कितनी राजस्व वसूली (चालान, कर, जुर्माना आदि) की गई ? कितने प्रकरणों में अधिभार/जुर्माना लगाया गया ? वर्षवार जानकारी बताएं ? (ग) कितने ऐसे वाहन पकड़े गये जो कर अपवंचना/ओवरलोडिंग/बिना परिमट संचालित पाए गए? उनसे कितनी वसूली की गई ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। परिवहन जांच चौकी राज्य की सीमा पर स्थापित किया गया है, बलौदाबाजार-भाटापारा क्षेत्र अंतर्गत एवं अंतर जिला सीमा पर निरीक्षण का कार्य परिवहन उड़नदस्ता रायपुर द्वारा किया जाता है। (ख) निरंक। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) परिवहन उड़नदस्ता रायपुर द्वारा औचक निरीक्षक किया गया। की गई कार्यावाही एवं वसूली की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सौ"]

सीतापुर विधानसभा के कॉलेजों में ICT सुविधाएँ, बजट एवं पदों की स्थिति

[उच्च शिक्षा]

87. (क्र. 1640) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और ICT सुविधाओं को विकसित करने के लिए वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में कितना बजट स्वीकृत किया गया है ? (ख) कॉलेजों में राशि स्वीकृति और व्यय में क्या अनियमितताएं पाई गयी हैं? जानकारी प्रदान करें ? (ग) सहायक प्राध्यापक, सहायक ग्रंथपाल, प्रयोगशाला टेकनिशियन भृत्य/चपरासी सहित कितने पद स्वीकृत हैं? कितने भरे गए हैं और कितने

पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर नियमित भर्ती कब तक की जा सकेगी ? कॉलेज के नाम अनुसार जानकारी प्रदान करें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 03 कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और पब्लिक्स सुविधाओं को विकसित करने के लिए वर्ष 2023-24 में राशि रू. 4,00,000 का तथा 2024-25 में राशि रू. 2,30,000 का बजट सूचना प्रौद्योगिकी मद में स्वीकृत किया गया है। (ख) जी नहीं। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - एक सौ एक" \]](#)

सुशासन तिहार 2025-26 में जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में प्राप्त आवेदनों पर कृत कार्यवाही

[सुशासन एवं अभिसरण]

88. (क्र. 1643) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार 2025-26 के अंतर्गत जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? विभागवार प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है? कृपया विभाग का नाम, आवेदन की संख्या एवं आवेदन की प्रकृति सहित विवरण प्रदान करें। (ख) प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन शिकायत/अनियमितता से संबंधित थे? कितने आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है एवं कितने लंबित हैं तथा क्यों? विकासखण्डवार (खैरागढ़, छुईखदान, गंडई) पृथक-पृथक जानकारी दें। (ग) प्राप्त आवेदनों पर शासन/जिला प्रशासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? कितने प्रकरणों में प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति जारी की गई? किन-किन कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ कराया गया? (घ) प्राप्त आवेदन के निराकरण में अनियमितता पाए जाने पर किन अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) सुशासन तिहार 2025-26 के अंतर्गत विभागवार जानकारी संलग्न प्रपत्र (क) अनुसार है। (ख) विभागवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) प्राप्त आवेदनों पर शासन/जिला प्रशासन द्वारा बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। 1241 प्रकरणों में प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। व्यक्तिगत शौचालय के 1239 कार्य, सी.सी. रोड निर्माण के 01 कार्य, तथा नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण के 01 कार्य की स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ कराया गया। (घ) प्राप्त आवेदन के निराकरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है। शेषांश प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। [\[संलग्न "परिशिष्ट - एक सौ दो" \]](#)

ग्राम-वार विद्युत-विहीन व नई विद्युतकृत ग्रामों की जानकारी

[ऊर्जा]

89. (क्र. 1644) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के अंतर्गत आज दिनांक तक पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से विद्युत-विहीन हैं? विकासखंड का नाम, ग्राम का नाम, कुल घरों की संख्या, विद्युतीकृत एवं विद्युत-विहीन घर की संख्या की जानकारी प्रदान करें। (ख) वर्ष 2022 से 31.01.2026 तक जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में किन-किन ग्रामों में पहली बार बिजली आपूर्ति प्रारंभ की गई है? उक्त अवधि में कुल कितने घरों/परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया है? विकासखंडवार एवं ग्रामवार, विकासखंड, ग्राम, योजना का नाम, प्रदत्त घरेलू कनेक्शन, की संख्या की जानकारी प्रदान करें। (ग) जिन ग्रामों में अभी तक बिजली आपूर्ति नहीं हो पाई है, वहाँ विद्युतीकरण न होने के मुख्य कारण क्या हैं? क्या ऐसे ग्रामों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोई स्वीकृत कार्ययोजना, समय-सीमा एवं बजट निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें। (घ) वर्ष 2022 से

31.01.2026 तक जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत एवं व्यय की गई है? यह राशि किन-किन केंद्रीय/राज्य योजनाओं के अंतर्गत व्यय की गई है? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करे।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के अंतर्गत आज दिनांक तक कुल 9 ग्राम पूर्णतः विद्युत विहीन एवं 4 ग्राम आंशिक रूप से विद्युत विहीन है, विकासखण्डवार, ग्रामवार वांछित जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। (ख) वर्ष 2022 से 31.01.2026 तक उक्त जिला के ग्राम-तिरिनखपरी एवं परसाही में पहली बार ग्रिड आधारित विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई है, जिससे उक्त ग्रामों के कुल 35 घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया है। विकासखण्डवार, ग्रामवार वांछित जानकारी **संलग्न प्रपत्र - "ब"** अनुसार है। इसके अतिरिक्त विकासखण्ड छुईखदान के दो ग्राम-सिंगबोरा एवं ग्वालघुड़ी में फरवरी 2026 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई है। (ग) अभी तक 9 ग्रामों, जो सघन वन क्षेत्र में स्थित होने के कारण ग्रिड आधारित विद्युत आपूर्ति नहीं हो पायी है तथा यहां ग्रिड आधारित विद्युतीकरण हेतु वर्तमान में कोई भी कार्य योजना स्वीकृत नहीं है। अतः निर्धारित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वर्ष 2022 से 31.01.2026 तक जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कुल रूपये 55.59 लाख की राशि स्वीकृत की गई एवं रूपये 43.47 लाख की राशि व्यय की गई। उक्त राशि में से रूपये 33.40 लाख की राशि केन्द्र सरकार की पी.एम. जनमन योजना के तहत एवं रूपये 10.07 लाख की राशि राज्य की सामान्य विकास योजना के तहत विकासखंड छुईखदान के अंतर्गत व्यय की गई।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - एक सौ तीन" \]](#)

जगदलपुर विधानसभा अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं

[उच्च शिक्षा]

90. (क्र. 1647) श्री किरण देव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु क्या-क्या मापदंड/नियम निर्धारित हैं ? नियम की प्रति उपलब्ध करावें । (ख) जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने महाविद्यालय कहां -कहां संचालित हैं ? महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या की जानकारी महाविद्यालयवार उपलब्ध करावें। (ग) जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों में किस-किस स्तर के कितने कितने शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय पद स्वीकृत हैं ? पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने कार्यरत हैं एवं कितने रिक्त हैं ? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-ब** अनुसार है। (ग) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-स** अनुसार है। (घ) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-स** अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

बिलाईगढ़ एवं पवनी क्षेत्र में स्वीकृत सहकारी बैंक के संचालन में अनुचित विलंब

[सहकारिता]

91. (क्र. 1675) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि बिलाईगढ़ एवं पवनी क्षेत्र में सहकारी बैंक की स्थापना हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ पूर्व में प्राप्त हो चुकी हैं, इसके बावजूद आज तक बैंक का संचालन प्रारंभ नहीं किया गया है? यदि हाँ, क्यों ? (ख) क्या दिनांक 26 नवंबर, 2024 एवं 11 अप्रैल, 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक से बैंक संचालन हेतु समय-सीमा बढ़ाने के लिए पत्राचार किया गया, जिसे दोनों अवसरों पर अस्वीकार कर दिया गया? यदि हाँ, तो आरबीआई द्वारा समय-सीमा विस्तार से इंकार किए जाने की वास्तविक वजह क्या थी?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :(क) बिलाईगढ़ एवं पवनी में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर की शाखा खोलने की स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुई थी। बैंक में कर्मचारियों की कमी के कारण निर्धारित समय-सीमा में स्वीकृत बैंक शाखाओं को प्रारंभ नहीं किया जा सका। **(ख)** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर द्वारा दिनांक 26 नवंबर, 2024 एवं 11 अप्रैल, 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंक की नवीन शाखा खोलने हेतु दी गई अनुमति की समय-सीमा में 01 वर्ष की वृद्धि करने हेतु अनुरोध किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कारण का उल्लेख किये बिना समय-सीमा वृद्धि के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने बाबत सूचित किया गया।

कृषि भूमि का परिवर्तन किए बिना मोबाइल टॉवर की स्थापना

[इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी]

92. (क्र. 1697) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि को बिना परिवर्तन किये, गैर कृषि कार्य में उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो किस नियम के तहत ? यदि नहीं तो किस नियम के तहत? **(ख)** क्या ग्रामीण क्षेत्र के कृषि भूमि को बिना परिवर्तन के मोबाइल टॉवर की स्थापना की जा सकती है? हाँ तो किस नियम के तहत ? **(ग)** वर्ष 2023-24 से दिनांक 30.10.2025 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मोबाइल टॉवर स्थापित हैं तथा इनमें से कितने टॉवर्स को कृषि भूमि को बिना गैर कृषि भूमि परिवर्तन के संचालित किया जा रहा है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जानकारी एकत्र की जा रही है।

राज्य में शासन द्वारा घोषित/मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

[सामान्य प्रशासन]

93. (क्र. 1902) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में शासन द्वारा घोषित / मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या कितनी है? कृपया जिलेवार नाम सहित सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या शासन स्तर पर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है? यदि हां तो कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? नाम सहित जानकारी दें? **(ग)** क्या राज्य अथवा जिला स्तर पर स्वतंत्र दिवस एवं गणतंत्र दिवस समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के जीवित संतानों / परिजनों को आमंत्रित कर सम्मान किये जाने का कोई प्रावधान है? यदि हां तो उसका विवरण दें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) , (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राज्य में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा भूमि की मांग तथा प्रयोजन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

94. (क्र. 1950) श्री अनुज शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग को राज्य शासन द्वारा कितनी-कितनी भूमि किस-किस उपयोग/प्रयोजन हेतु आबंटित की गई है? वर्षवार/प्रयोजनवार एवं वर्गवार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अवधि में अल्पसंख्यक समुदाय के किस-किस वर्ग के द्वारा कितनी-कितनी भूमि की मांग किस-किस प्रयोजन हेतु की गई है? **(ग)** शासन द्वारा किन-किन शर्तों के अधीन भूमि प्रदाय की जाती है तथा प्रदत्त भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य के लिये ही किया जा रहा है, की जांच करने हेतु शासन द्वारा क्या प्रबंध किये जाते हैं? विवरण दें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) वर्ष 2024- 2025 में पिछड़ा एवं अल्प संख्यक वर्ग को राज्य शासन

द्वारा भूमि आबंटन नहीं किया गया है। वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग - 1) विश्वकर्मा सेवा समिति अंबिकापुर को सामाजिक भवन हेतु अंबिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 2027/14 रकबा 0.25 एकड़ भूमि आबंटन की स्वीकृति दिनांक 22.07.2025 को प्रदान की गई है। 2) आवदेक संस्था छ0ग0 मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज तिल्दा सामाजिक, सांस्कृतिक प्रयोजन हेतु ग्राम तुलसी स्थित भूमि ख.न. 469/1 का भाग रकबा 0.165 हे0 भूमि का आबंटन की स्वीकृति दिनांक 21.11.2025 को प्रदान की गई है। अल्पसंख्यक वर्ग- 1) श्री दिगम्बर जैन चन्द्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट डोंगरगढ़ को धार्मिक प्रयोजन हेतु ग्राम राजकट्टा, चैथना, तहसील डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगांव को खसरा नंबर 38/1 रकबा 5.261 हे0 भूमि आबंटन की स्वीकृति दिनांक 23.07.2025 को प्रदान की गई है। 2) अध्यक्ष, दिगम्बर जैन समाज जगदलपुर को जैन मंदिर निर्माण करने हेतु शीट नंबर 78 प्लाट नंबर 168 रकबा 7500 वर्गफुट भूमि का आबंटन की स्वीकृति दिनांक 29.12.2025 को प्रदान की गई है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** की अवधि में उल्लेखित 02 प्रकरण/प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुयी थी। जिसको विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। **(ग)** राजस्व पुस्तक परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों तथा सामान्य एवं विशेष शर्तों के अधीन भूमि आबंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। राज्य के कलेक्टरों को आबंटित भूमि के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित प्रयोजन में उपयोग के संबंध में जांच/परीक्षण करने के निर्देश हैं।

सेरीखेड़ी जलाशय के पास स्थित प्लांटों पर कार्यवाही

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

95. (क्र. 1951) श्री अनुज शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या राज्य में आद्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के प्रावधान लागू हैं? अगर हां तो इस नियम के तहत प्रावधानों की जानकारी प्रदान करते हुये माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशों का भी विवरण प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' में उल्लेखित आद्रभूमि/वेटलैंड संरक्षण में तालाबों में गंदा पानी छोड़ना तथा निकट में निर्माण कार्य किया जाना प्रतिबंधित होने के बाद भी विधानसभा क्षेत्र धरसीवा स्थित सेरीखेड़ी जलाशय में आसपास स्थित आर.सी.सी.रेडी मिक्स प्लांटों के माध्यम से जलाशय को दूषित किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां तो विभाग द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? **(ग)** प्रश्नांक 'ख' अनुसार दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 17/02/2026 तक इन प्लांटों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों एवं विभाग द्वारा इन पर की गई कार्यवाही का विवरण प्रदान करें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :**(क)** जी हाँ। इसरो द्वारा चिन्हांकित 2.25 हेक्टेयर से अधिक के समस्त वेटलैण्ड पर Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 (आद्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017) के नियम-4 के प्रावधान लागू होंगे। नियम 4 के प्रावधान निम्नानुसार हैं-नियम 4- आद्रभूमियों में क्रियाकलापों पर निर्बंधन -(1) आद्रभूमि का संरक्षण और प्रबंध, आद्रभूमि प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित युक्तियुक्त उपयोग (Wise Use)के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा।(2) आद्रभूमि के भीतर, निम्नलिखित क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात् -1. किसी भी किस्म के अतिक्रमण सहित गैर-आद्रभूमि उपयोग हेतु परिवर्तन ;2. किसी उद्योग को स्थापित करना और विद्यमान उद्योगों का विस्तार करना ;3. निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत आने वाले निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का विनिर्माण या हथालन (handling) या भंडारण या निपटान; परिसंकटमय रसायन के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 या परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों, आनुवांशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं का उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण संबंधी नियम 1989 या परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम 2008 के अंतर्गत आने वाले परिसंकटमय पदार्थ; ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के अंतर्गत आने वाला ई-अपशिष्ट;4. ठोस अपशिष्ट का पाटन; उद्योगों, शहरों, कस्बों, गांवों और अन्य मानव बस्तियों से अशोधित अपशिष्ट और बहिस्रावों का निस्सारण;5. किसी स्थायी प्रकृति का किसी निर्माण सिवाय नाव घाटों के, पचास मीटर के भीतर अन्य नियमों के प्रारंभ की तारीख से पिछले दस वर्षों में प्रेक्षित बाढ़ के औसतन उच्च स्तर से

गणना की जाएगी; और 6. अवैध शिकार। परंतु केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी कार्यकलाप के विलोपन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार कर सकेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 **M.K. Balakrishnan & Ors vs Union Of India & Ors WPC 230/2001** के तहत एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा जारी **OFFICIAL MEMORANDUM** दिनांक 08 मार्च, 2022 में स्पष्ट किया गया है कि इसरो द्वारा चिह्नंकित 2.25 हेक्टेयर से अधिक के समस्त वेटलैण्ड पर **Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017** के नियम-4 के प्रावधान लागू होंगे, चाहे वेटलैण्ड नियम 2017 के अंतर्गत उनका नोटिफिकेशन किया गया हो अथवा नहीं। अतः **SAC Atlas 2021** के अनुसार राज्य में 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के चिह्नित 11,264 वेटलैण्ड्स पर वेटलैण्ड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 के नियम-4 के प्रावधान लागू होंगे। **(ख)** राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को विधानसभा क्षेत्र धरसीवा स्थित सेरीखेडी जलाशय में आसपास स्थित आर.सी.सी. रेडी मिक्स प्लांटो के माध्यम से जलाशय को दूषित किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथापि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में शिकायतें प्राप्त हुई है। इन शिकायतों का विवरण और उन पर की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र** (छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का पत्र दिनांक 27.02.2026) पर संलग्न है। **(ग)** प्रश्नांश " ग " की **जानकारी भी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - एक सौ चार"]

जनसंपर्क/स्वेच्छानुदान की राशि पर स्थानीय विधायकों का अधिकार

[सामान्य प्रशासन]

96. (क्र. 2219) श्री ब्यास कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छ.ग. प्रदेश में एक वित्तीय वर्ष में स्थानीय विधायकों एवं सांसदों को जनसंपर्क/स्वेच्छानुदान मद से कितनी राशि प्रदान की जाती है? **(ख)** जांजगीर-चांपा विधायक की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जनसंपर्क/स्वेच्छानुदान मद से कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? सूची उपलब्ध कराएं? यदि नहीं, तो क्यों? जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :**(क)** माननीय मंत्रिगणों के जनसंपर्क दौरे- पुनरीक्षित अनुदेश अनुसार एक वित्तीय वर्ष में प्रति विधानसभा क्षेत्र की दर से राशि रूपये 10,00,000/- (रूपये दस लाख) का आबंटन जिला कलेक्टर को सौंपा जाता है। उक्त आबंटित राशि में से राशि रूपये 1,25,000/- मान. सांसद की अनुशंसा से एवं शेष राशि जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाती है। मान. विधायकों एवं सांसदों के लिए स्वेच्छानुदान राशि का कोई प्रावधान नहीं है। **(ख)** जानकारी निरंक है।

प्रपत्र- "अ"

स.क्र.	पट्टेदार/ अनुज्ञापिका का नाम एवं पता	खनिज का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	ग्राम का नाम	अवधि	क्रेशर संचालन की स्थिति अन्दर/बाहर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
विकासखण्ड धरसीवा							
उत्खनिपट्टा							
1	श्रीमती पुष्पा बेन पटेल,	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	463/1	2.10 हे०	दोदेकला	14.10.2010 से 13.10.2040	उत्खनिपट्टा क्षेत्र के भीतर
2	श्री जयंती लाल पटेल,	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	17/6,8,9,16 180/1,2, 181/1	1.062 हेक्टर	दोदेकला	27.07.2010 से 26.07.2040	उत्खनिपट्टा क्षेत्र के भीतर
3	मेसर्स आरती इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डकोन लिमि. संचालक श्री राजीव मुंदडा	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	507/1,5,6 508/1,4 521, 522/13,4,5,6 523/2,10,11,1,2	4.663 हेक्टर	दोदेकला	26.06.2023 से 25.06.2053	उत्खनिपट्टा क्षेत्र के भीतर
4	मेसर्स ओसियन स्टोन्स प्रा. लिमि. डायरेक्टर श्री विकास अग्रवाल, निवासी शंकर नगर रायपुर	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	603, 633/4,5, 635, 638	0.850 हेक्टर	दोदेकला	06.04.2009 से 05.04.2039	उत्खनिपट्टा क्षेत्र के भीतर
क्रेशर भण्डारण अनुज्ञप्ति							
5	मेसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर प्रो. श्री टिकम नागवानी रायपुर, तहसील व जिला रायपुर	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	17/14	0.2680 हे. (28800 वर्गफुट)	दोदेकला	22.06.2023 से 21.06.2033	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञप्ति
6	श्री नवजोत सिंग आ. श्री हरजीत सिंग, निवासी - तेलीबांधा रायपुर,	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	569/1	0.498 हेक्टर	पिरदा	17.08.2017 से 16.08.2027	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञप्ति
7	मेसर्स मोहन स्टोन प्रो. श्री गिरधर पटेल निवासी - फाफाडीह रायपुर,	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	266, 267	16408 वर्गफीट	लालपुर	29.07.2017 से 28.07.2027	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञप्ति

स.क्र.	पट्टेदार/ अनुज्ञापिधारी का नाम एवं पता	खनिज का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	ग्राम का नाम	अवधि	क्रेशर संचालन की स्थिति अन्दर/ बाहर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	मेसर्स यश स्टोन क्रेशर प्रो. श्री मनोज साहू निवासी - दोंदेखुर्द, तहसील व जिला रायपुर	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	250/1	1.356 हेक्टर	लालपुर	05.10.2023 से 04.10.2033	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापि
9	मेसर्स विनायक माइनिंग इन्टरप्राइजेस	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	441, 442, 443, 444	0.980 हेक्टेयर	मटिया	10.11.2025 से 09.11.2035	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापि
10	मेसर्स भावना स्टोन प्रो. श्रीमती भावना पटेल निवासी - देवेन्द्र नगर, रायपुर	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	687/1,2,3, 688	1.020 हेक्टर	सेरीखेड़ी	05.08.2019 से 04.08.2029	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापि
11	श्री विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. श्री कैलाश अग्रवाल निवासी गुरुनानक चौक रायपुर	कोयला	373/10, 377/4,5,9,20,21,27 378/2, 379/2	1.050 हे.	देवरी	01.04.2016 से 31.03.2026	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापि
12	श्री दीपक अग्रवाल निवासी डी. 03, बिमल इन्क्लेब बग्गा मशीनरी के पास भनपुरी रायपुर	कोयला	643/3, 643/5	0.243 हे.	देवरी	16.02.2017 से 15.02.2027	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापि
13	रायपुर कोल फीडर ग्राम सोन्झा सिलतरा रायपुर	कोयला	425/1,2	43560 वर्गफूट	सोन्झा	09.09.2025 से 08.09.2035	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापि
14	मेसर्स इन्द्रमणी मिनरल्स प्रा.लि., प्रो. श्री सुनील अग्रवाल निवासी रायपुर	कोयला	1512/2, 1523/46,59,60	207630 वर्गफूट	कुरा	05.10.2025 से 04.10.2035	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापि
15	मारुति कोल एण्ड कार्गो प्रा. लि. डायरेक्टर श्री पुरुषोत्तम सिंघानिया रामसागर पारा जिला रायपुर	कोयला	62/1, 62/2	1.659 हे.	रैता	03.11.2021 से 02.11.2031	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापि

स.क्र.	पट्टेदार/ अनुज्ञापिका का नाम एवं पता	खनिज का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	ग्राम का नाम	अवधि	क्रेशर संचालन की स्थिति अन्दर/बाहर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
विकासखंड तिल्दा							
उत्खनिपट्टा							
1	मेसर्स विश्वभारती मिनरल्स, पार्टनर श्री अनूप अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	468 / 1, 487 / 2, 492 / 1,2, 493 / 2, 467 / 4, 489, 491 / 4,6	2.390 हेक्टर	मूरा	24.11.2009 से 23.11.2039	उत्खनिपट्टा क्षेत्र के भीतर
2	मेसर्स मों महालक्ष्मी स्टोन क्रेशर, प्रो. श्री तरुण अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	664 / 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13 665 / 3,6 659	2.500 हेक्टर	मूरा	22.01.2014 से 21.01.2044	उत्खनिपट्टा क्षेत्र के भीतर
3	श्री अशोक साहू	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	419 / 1	0.728 हे०	बुडेरा	06.01.2005 से 05.01.2035	उत्खनिपट्टा क्षेत्र के भीतर
4	आशापुरा स्टोन क्वारी पार्टनर श्री वाडीलाल पटेल एवं श्री दीपक पटेल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	399 / 1, 404, 405, 406 / 2	1.232 हेक्टर	धनसूली	29.10.2002 से 28.10.2032	उत्खनिपट्टा क्षेत्र के भीतर
5	मेसर्स ताराचंद आहूजा, शिवम सोन क्रेशर	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	290 / 15 290 / 16	4.6 हेक्टर	नक्टी खपरी	27.08.2009 से 26.09.2039	उत्खनिपट्टा क्षेत्र के भीतर
6	श्री आशीष अग्रवाल,	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	531 / 1,2 530 / 4,10 532 / 3 540 / 6,7,8 541 / 2	2.300 हेक्टर	धनसूली	29.05.2010 से 28.05.2040	उत्खनिपट्टा क्षेत्र के भीतर
क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापिका							
7	मेसर्स महामाया स्टोन्स प्रा. लिमि. डायरेक्टर श्री भूपेन्द्र बंसल निवासी - स्टेशन रोड, रायपुर	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	428 / 2	26207 वर्गफीट	धनसूली	06.06.2024 से 05.06.2034	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापिका
8	मेसर्स तिरुपति स्टोन्स द्वारा श्री बलवान चहेरिया निवासी तेलीबांधा रायपुर,	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	543 / 5	1.00 हेक्टर	धनसूली	16.07.2020 से 15.07.2030	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापिका
9	श्रीराम इंटरप्राइजेस प्रो. श्री प्रकाश अडवानी निवासी - विवेकानंद आश्रम के पास रायपुर,	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	619 / 1, 619 / 2, 621 / 1, 621 / 2	0.608 हेक्टर	मूरा	03.11.2016 से 02.11.2026	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापिका

स.क्र.	पट्टेदार/ अनुज्ञापिका का नाम एवं पता	खनिज का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	ग्राम का नाम	अवधि	क्रेशर संचालन की स्थिति अन्दर/ बाहर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	बंसल स्टोन प्रो. श्रीमति पुष्पा अग्रवाल निवासी - शंकर नगर रायपुर,	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	377 / 1, 377 / 2, 389 / 1, 389 / 2, 389 / 4, 389 / 6, 389 / 7	90922 वर्गफुट	मूरा	10.11.2017 से 09.11.2027	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापिका
11	श्रीमती राजश्री वर्मा निवासी - ग्राम तुलसी, जिला रायपुर (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	567 / 1, 575 / 4	0.275 हेक्टर	मूरा	25.06.2018 से 24.06.2028	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापिका
12	मेसर्स आरसन स्टोन क्रषिंग प्लांट प्रो. श्री शरद गोयल पता - ग्राम मूरा, जिला रायपुर	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	635	91476 वर्गफुट	मूरा	01.04.2024 से 31.03.2034	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापिका
13	कपिल मार्डनिंग रिसोर्सेस प्रा. लि. डाय. श्री कपिल अग्रवाल निवासी - देवेन्द्र नगर रायपुर	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	299 / 1	0.373 हेक्टर	मूरा	17.03.2022 से 16.03.2032	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापिका
14	बंसल स्टोन प्रो. श्रीमति पुष्पा अग्रवाल पति श्री अजय अग्रवाल निवासी - शंकर नगर रायपुर	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	377 / 1, 377 / 2, 389 / 1, 389 / 2, 389 / 4, 389 / 6, 389 / 7	90922 वर्गफुट	मूरा	10.11.2017 से 09.11.2027	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापिका
15	मेसर्स रामदूत स्टोन प्रा.लि., डायरेक्टर श्री मोहन अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	516 / 2, 516 / 3, 517, 518, 519 / 4	0.825 हेक्टर	धनसूली	13.01.2026 से 12.01.2036	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापिका
16	मेसर्स श्री महालक्ष्मी लाईम स्टोन्स, प्रो. श्री जितेन्द्र अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	605, 606 / 1,2,3,4	1.064 हेक्टर	धनसूली	18.02.2026 से 17.02.2036	क्रेशर भण्डारण अनुज्ञापिका

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 02-03-2026
17:11:14

प्रपत्र- "ब"

स.क्र.	पट्टेदार/ अनुज्ञापिधारी का नाम एवं पता	जांच की तिथि	जांचकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम	पायी गई अनियमितता	की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती पुष्पा बेन पटेल,	25.02.2026	श्री उमेश कुमार भागर्व एवं सुश्री स्तुति निगम (सहायक खनि अधिकारी)	निरंक	निरंक
2	श्री जयंती लाल पटेल,	14.01.2021	श्री हेलेन्द्र कुमार (खनि निरीक्षक)	निरंक	निरंक
3	मेसर्स आरती इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डकॉन लिमि. संचालक श्री राजीव मुंदडा	09.02.2026	श्री उमेश कुमार भागर्व (सहायक खनि अधिकारी)	निरंक	निरंक
4	मेसर्स ओसियन स्टोन्स प्रा. लिमि. डायरेक्टर श्री विकास अग्रवाल, निवासी शंकर नगर रायपुर	12.01.2026	सुश्री स्तुति निगम (सहायक खनि अधिकारी)	निरंक	निरंक
5	मेसर्स विश्वभारती मिनरल्स, पार्टनर श्री अनूप अग्रवाल	02.08.2018	श्री हेलेन्द्र कुमार (खनि निरीक्षक)	छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम-24(1), 51(1)(क), 51(19) एवं 51(20) का उल्लंघन पाया गया।	छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम-51(26) के तहत 98 हजार 920 रुपये अर्थदण्ड वसूली किया जाकर निराकृत।
6	मेसर्स मों महालक्ष्मी स्टोन क्रशर, प्रो. श्री तरुण अग्रवाल	19.03.2024	श्री जागृत गायकवाड़ (खनि निरीक्षक)	निरंक	निरंक
7	श्री अशोक साहू	28.06.2023	श्री हेलेन्द्र कुमार (खनि निरीक्षक)	छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम-24(1), 51(1)(क), 51(19) एवं 51(20) का उल्लंघन पाया गया।	छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम-51(26) के तहत 30 हजार रुपये अर्थदण्ड वसूली किया जाकर निराकृत।

स.क्र.	पट्टेदार/ अनुज्ञापिधारी का नाम एवं पता	जांच की तिथि	जांचकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम	पायी गई अनियमितता	की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	आशापुरा स्टोन क्वारी पार्टनर श्री वाडीलाल पटेल एवं श्री दीपक पटेल	22.02.2024	श्री देवेन्द्र साहू (खनि निरीक्षक)	निरंक	निरंक
9	मेसर्स ताराचंद आहूजा, शिवम सोन क्रशर	12.07.2023	श्री हेलेन्द्र कुमार (खनि निरीक्षक)	छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम-24(1), 51(1)(क), 51(19) एवं 51(20) का उल्लंघन पाया गया।	छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम-51(26) के तहत 60 हजार रुपये अर्धदण्ड वसूली किया जाकर निराकृत।
10	श्री आशीष अग्रवाल,	06.12.2024	श्री उमेश कुमार भागर्व (सहायक खनि अधिकारी)	छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम-24(1), 51(1)(क), 51(19) एवं 51(20) का उल्लंघन पाया गया।	छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम-51(26) के तहत 90 हजार रुपये अर्धदण्ड वसूली किया जाकर निराकृत।

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 02-03-2026
17:11:52

परिशेष - दो

तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 1614) की जानकारी

क्र.	अतिक्रमणकर्ता का नाम	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	खसरा नंबर	अतिक्रमित रकबा
	तहसील बालोद एवं गुरुर में दिनांक 01.01.2023 से 31.01.2026 तक दर्ज अतिक्रमण प्रकरण की सूची, जिसमें बेदखली आदेश जारी किया गया एवं वाद शूमि अतिक्रमण मुक्त है। (कुल 113 प्रकरण)				
1	शंकरलाल जैन ग्राम झलमला तहसील बालोद जिला बालोद	झलमला	बालोद	1233/1	0.48 हे.
2	नरेन्द्र कौमार्य ग्राम लाटाबोड तहसील बालोद जिला बालोद	लाटाबोड	बालोद	565	0.001 हे.
3	राजेश ग्राम मुजगहन तहसील बालोद जिला बालोद	मुजगहन	बालोद	1031/1	94 वर्ग मी. (0.008 हे.)
4	तेजराज ग्राम मुजगहन तहसील बालोद जिला बालोद	मुजगहन	बालोद	908	507 वर्ग मी. (0.1252 हे.)
5	नरेन्द्र कुमार ग्राम लिमोरा तहसील बालोद जिला बालोद	लिमोरा	बालोद	1115	0.11 हे.
6	पार्वती ग्राम सिक्की तहसील बालोद जिला बालोद	सिक्की	बालोद	419/1	210 वर्गफीट (0.005 हे.)
7	खेमोती ग्राम सिक्की तहसील बालोद जिला बालोद	सिक्की	बालोद	419/1	210 वर्गफीट (0.005 हे.)
8	अमरौतिन बाई ग्राम सिक्की तहसील बालोद जिला बालोद	सिक्की	बालोद	419/1	210 वर्गफीट (0.005 हे.)
9	रामधर एवं अन्य ग्राम बालोद तहसील बालोद जिला बालोद	बालोद	बालोद	198/42	0.1062 हे.
10	पुरुषोत्तम चंद्राकर पिता सुरेश चंद्राकर ग्रामअकतई तहसील पाटन	बस्डी	बालोद	811/1	0.20हे
11	गैदलाल ग्राम जगन्नाथपुर तहसील बालोद	जगन्नाथपुर	बालोद	1116	1.5 हि.(0.008 हे.)
12	पंचराम व अन्य 03 ग्राम देऊरतराई तहसील व जिला बालोद	देऊरतराई	बालोद	2/1	2840 वर्गफीट
13	नकुलराम कुम्हार ग्राम लोण्डी तहसील बालोद जिला बालोद	गोड़पाल	बालोद	401/3	900 वर्गफीट
14	सुरेश कुमार ग्राम टेकापार तहसील बालोद जिला बालोद	लोण्डी	बालोद	548	0.22 हे.
15	धनीराम तहसील बालोद जिला बालोद	टेकापार	बालोद	176	0.012 वर्गफीट
16	सोनीबाई साहू पति अरुण साहू जगन्नाथपुर तहसील बालोद	जगन्नाथपुर	बालोद	628	0.39 हे.
17	चन्द्रमणीराम पिता अग्रहीज, साकिन पलारी, तह.गुरुर, जिला बालोद छ0ग0	पलारी	गुरुर	139	253 वर्गमीटर
18	आनंद राम पिता लेडगा,साकिन पलारी, तह.गुरुर, जिला बालोद छ0ग0	पलारी	गुरुर	139	168.75 वर्गमीटर
19	प्रहलाद पिता लेडगा, साकिन पलारी, तह.गुरुर, जिला बालोद छ0ग0	पलारी	गुरुर	143	0.01 हे.
20	उमैद आ. धनसिंग, साकिन पलारी, तह.गुरुर, जिला बालोद छ0ग0	पलारी	गुरुर	715	2856 वर्गफीट
21	तेजराज पिता मनराखन, साकिन पलारी, तह.गुरुर, जिला बालोद छ0ग0	पलारी	गुरुर	583	2970 वर्गफीट
22	लोकेन्द्र कुमार आ. नमू राम, साकिन पलारी, तह.गुरुर, जिला बालोद छ0ग0	पलारी	गुरुर	803/3	510 वर्गफीट
23	रेखुराम पिता मेघनाथ, साकिन पलारी, तह.गुरुर, जिला बालोद छ0ग0	पलारी	गुरुर	803	1595 वर्गफीट
24	कुन्दन पिता रविन्द्र, साकिन पलारी, तह.गुरुर, जिला बालोद छ0ग0	पलारी	गुरुर	139	3690 वर्गमीटर
25	सुशील आ. विष्णुराम,साकिन पलारी, तह.गुरुर, जिला बालोद छ0ग0	पलारी	गुरुर	803/3	600 वर्गफीट
26	सांभेश पिता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छ0ग0	पलारी	गुरुर	715	6686 वर्गफीट

S. S. S.
अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर.

27	पुनर्बाई पता-साकिन गुरुर तहसील गुरुर जिला बालोद	गुरुर	गुरुर	465	4 वर्गमीटर
28	नंदाराम पता-साकिन गुरुर तहसील गुरुर जिला बालोद	गुरुर	गुरुर	465	24 वर्ग मीटर
29	रामकुमार पिता कार्तिक, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	491	45.5 वर्गमीटर
30	नंदकुमार पिता सखाराम, साकिन बोडरा, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	बोडरा	गुरुर	281	38 वर्गमीटर
31	जोहित राम पिता जगत राम, साकिन बोडरा, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	बोडरा	गुरुर	280	0.20 वर्गमीटर
32	पारख पिता नंदकुमार, साकिन बोडरा, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	बोडरा	गुरुर	281	23 वर्गमीटर
33	शत्रुघन आ. बहुर, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	281	19 वर्गमीटर
34	महेश कुमार आ. नंदू, साकिन बोडरा, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	बोडरा	गुरुर	468	23 वर्गमीटर
35	रामगुलाल पिता रामस्वरूप, साकिन बोडरा, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	बोडरा	गुरुर	452	184 वर्गमीटर
36	जोहित आ. बहुर, साकिन बोडरा, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	बोडरा	गुरुर	280	32 वर्गमीटर
37	लिलेश्वरी पता-साकिन डांडेसरा तहसील गुरुर जिला बालोद छ०ग०	डांडेसरा	गुरुर	343/3	184.36 वर्गमीटर
38	विजय लक्ष्मी पता-साकिन डांडेसरा तहसील गुरुर जिला बालोद छ०ग०	डांडेसरा	गुरुर	411	558 वर्ग मीटर
39	चन्द्रशेखर पिता लतखोर, साकिन पलारी, तह: गुरुर	पलारी	गुरुर	426	25.75 वर्ग मीटर
40	मांती खरे पिता प्यारेलाल, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	893	14.62 वर्गमीटर
41	धनश्याम पिता रैनसिंह, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	893	18.81 वर्गमीटर
42	लोकेश पिता भारत, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	987	95.48 वर्गमीटर
43	शिवनारायण पिता बंशीराम, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	1007	6.80 वर्गमीटर
44	अमोल पिता चेतन, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	56/1	17.10 वर्गमीटर
45	खुबेर पिता मन्नाखन, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	169	6776 वर्गफीट
46	छविल पिता धरकु, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	56/1	94.8 वर्गमीटर
47	राहुल आ. जयप्रकाश, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	426	12.25 वर्गमीटर
48	बृन्गुलाल पिता श्यामलाल, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	426	91 वर्गमीटर
49	कुसुमलता पति बृजलाल, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	426	24.15 वर्गमीटर
50	मुरारी दास पता-ग्राम नवागांव तहसील गुरुर जिला बालोद छ०ग०	नवागांव	गुरुर	536 530	48 वर्ग मी. 67.5 वर्ग मी.
51	पुकेश्वर पिता किस कुमार, साकिन बोडरा, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	बोडरा	गुरुर	468	17 वर्गमीटर
52	बसंत आ. मोती, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	803/3	2100 वर्गफीट
53	संतराम पिता मोतीराम, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	803/3	750 वर्गफीट
54	विजय कुमार पिता नैदलाल, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	139	8.20 वर्गमीटर
55	कुलेश्वर पिता अग्रहित, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	139	175.54 वर्गमीटर
56	सनातन आ. सुखदेव, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	712	960 वर्गफीट
57	दूजराम पिता चंदेराम, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	426	621 वर्गमीटर
58	धरम पिता अग्रहित, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	139	175.5 वर्गमीटर



अनुभाग अधिकारी

 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

59	कृष्णा आ. गरिबा, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	139	88.8 वर्ग मीटर
60	पंचराम पिता विटवल, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	893	63.60 वर्गमीटर
61	हेमल पिता जतीलाल, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	936	504 वर्गमीटर
62	हरीश पिता रामदास, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	155	1178 वर्गमीटर
63	पोषण पिता जतीलाल, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	936	504 वर्गमीटर
64	रामलाल पिता नम्मू, साकिन पलारी, तह: गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	987	21.32 वर्ग मीटर
65	भारत पिता खरहन लाल, साकिन पलारी, तह:गुरुर	पलारी	गुरुर	745	756 वर्गफीट
66	परमा पिता मालदास, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	139	12.3 वर्गमीटर
67	परमानंद पिता मानदास, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	139	64.8 वर्गमीटर
68	धनेन्द्र पिता तिहारू साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	1007	22.50 वर्गमीटर
69	नरसिंह पिता राजकुमार, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	139	20.40 वर्गमीटर
70	पुरानिक पिता केजूराम, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	155	1980 वर्गमीटर
71	अश्वनी पिता सीताराम, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	426	24 वर्गमीटर
72	उद्योराम पिता बिसराम,साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	1007	59 वर्गमीटर
73	सोनूराम आ. हट्टेलाळ, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	712	1120 वर्गफीट
74	सुनील आ. द्वारिका, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	491	30.25 वर्गमीटर
75	दुखु राम पिता ईतवारी, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	712	840 वर्गफीट
76	सोमन पिता भारत, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	139	180.48 वर्गमीटर
77	मुरलीधर आ. फिरताराम, साकिन पलारी, तह:गुरुर	पलारी	गुरुर	67	100 वर्गफीट
78	धरमू पिता द्वारिका, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	56/1	21.60 वर्गमीटर
79	डोमार सिंह आ. अलेन्द्र, साकिन सुरा, तह:गुरुर	सुरा	गुरुर	217	0.007 हे.
80	डोमेन्द्र कुमार पिता हरमन, साकिन पलारी,	पलारी	गुरुर	209	0.009 हे.
81	कन्हैया पिता महेश राम, साकिन पलारी,	पलारी	गुरुर	209	0.011 हे.
82	नरेश पिता रामाधीन, साकिन पलारी, तह: गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	937	172.48 वर्गमीटर
83	अजीत पिता गणेश, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	893	43 वर्गमीटर
84	शैलेश कुमार पिता अभयास, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	929	0.01 हे.
85	बिसीहा राम आ. बिजेलाळ, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	583	1551 वर्गफीट
86	सोनूराम आ. सुखदेव, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	715	2021 वर्गफीट
87	छबिला राम आ. नम्मू, साकिन बोडरा, तह:गुरुर	बोडरा	गुरुर	209	0.004 हे.
88	किरसन राम आ. हरमन, साकिन सुरा, तह:गुरुर	सुरा	गुरुर	209	0.009 हे.
89	डोमेन्द्र आ. तुकाराम, साकिन सुरा, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	सुरा	गुरुर	217	0.006 हे.
90	गंगाराम आ. बलीराम, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	491	48 वर्ग मीटर
91	भेघसिंह पिता भागीरथी, साकिन पलारी, तह: गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	491	404 वर्गमीटर



अनुभाग आधिकारी
गुजरात एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

92	हेमलाल पिता रमेश्वर, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	95	32.45 वर्गमीटर
93	राजेन्द्र आ. रमन्, साकिन पलारी, तह: गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	491	77वर्गमीटर
94	देवेन्द्र कुमार पिता धर्मू, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	95	32.40 वर्गमीटर
95	चन्द्रहास आ. कोन्दाराम, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	491	100 वर्गमीटर
96	केजू आ. किशुन, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	139	194.58 वर्गमीटर
97	मोहन ताल आ. केशव, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	491	53.20 वर्गमीटर
98	तिरिथ राम आ. किसू, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	95	227 वर्गमीटर
99	हीरदास आ. अर्जुन, साकिन पलारी, तह:गुरुर,	पलारी	गुरुर	583	11434.5 वर्गफीट
100	राजकुमार आ. इतवारी, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	491	82.40 वर्गमीटर
101	तिलेश्वर पिता पुरुषोत्तम, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	139	04 वर्गमीटर
102	बालगिस पिता संतुराम, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	139	9.89 वर्गमीटर
103	किशन लाल पिता मोतीराम, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	803/3	1260 वर्गफीट
104	रमजी आ. हिन्धाराम, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	715	4370 वर्गफीट
105	चन्द्रहास आ. बहोरन, साकिन पलारी, तह:गुरुर, जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	583	870 वर्गफीट
106	गुमानसिंह पिता-साकिन - बोड़रा, तह:सील गुरुर, जिला बालोद, छ०ग	बोड़रा	गुरुर	281	20 वर्गमीटर
107	लखन लाल पिता बैसाखू, साकिन डांडेसर, तह:गुरुर	डांडेसर	गुरुर	428	0.02 हे.
108	प्रेमलाल साकिन पलारी	पलारी	गुरुर	987	164.22 वर्ग मीटर
109	रामभाऊ पिता-निवासी ग्राम कोवेरा तहसील गुरुर जिला बालोद छ.ग.	कोवेरा	गुरुर	346	540 वर्गफीट
110	गौतम कुमार पिता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छ०ग०	पलारी	गुरुर	36	7920 वर्गफीट
111	मोहनलाल पिता-ग्राम - पलारी, तहसील - गुरुर/जिला - बालोद/छ०ग	हसदा	गुरुर	398	36 वर्ग मीटर
112	मयूरम पिता-ग्राम - हसदा तह० गुरुर/जिला - बालोद	हसदा	गुरुर	398	4 वर्गमीटर
113	मनोज कुमार पिता-ग्राम - हसदा तह० गुरुर/जिला - बालोद/छ०ग	हसदा	गुरुर	398	28 वर्ग मीटर

तहसील-गुरुर अंतर्गत अतिक्रमण प्रकरण की सूची, जिसमें आदेश पारित किया जा चुका है, बेदखली की कार्यवाही शीघ्र पूरा कर लिया जावेगा। (कुल 111 प्रकरण)

क्र.	अतिक्रमणकर्ता का नाम	ग्राम	तहसील का नाम	ख.नं.	रकबा	किन कारणों से अतिक्रमण नहीं हटाया गया
114	बैनलाल पिता-साकिन बोहारा तहसील गुरुर जिला बालोद छ०ग०	बोहारा	गुरुर	66	15.20 वर्गमीटर	अपीलीय न्यायालय में अपील प्रकरण विचारधीन है अतिक्रमण प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रकरण खारिज किया गया।
115	सठिनकुंवर पिता-साकिन बोहारा तहसील गुरुर जिला बालोद छ०ग०	बोहारा	गुरुर	97	1704 वर्ग फीट	
116	हरिश्च कुमार पिता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पलारी	गुरुर	139	306.90 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु

(Handwritten Signature)

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

117	लीलेश्वर राम साहू पता-साकिन कन्दारपुरी, तहसील गुरुर, जिला बालोद छंगो	कन्दारपुरी	गुरुर	178	177 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
118	दिनारायण पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	पलारी	गुरुर	469	48 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
119	गैदराम पता-साकिन चंदनबिरही, तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	चंदनबिरही	गुरुर	564	0.02 हे.	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
120	रामकुमार पिता अखराम, साकिन पलारी	पलारी	गुरुर	715	1000 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
121	शनेश्वर पता-ग्राम - पलारी/तहसील - गुरुर/जिला - बालोद/छंगो	पलारी	गुरुर	893	85 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
122	किशन लाल पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	पलारी	गुरुर	894	121.9 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
123	शिवनंदन पिता मेहत्तर साकिन पलारी	पलारी	गुरुर	894	33.3 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
124	रोहित कुमार पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पलारी	गुरुर	928	0.01 हे.	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
125	योगेन्द्र कुमार पता-साकिन पलारी, तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	पलारी	गुरुर	937	323.87 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
126	अनुज कुमार अ० सागर साकिन पलारी	पलारी	गुरुर	987	20.58 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
127	जीवन पता-साकिन पलारी, तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	पलारी	गुरुर	1031	507.6 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
128	सुरेन्द्र पता-साकिन पलारी, तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	पलारी	गुरुर	1031	460.25 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
129	गजेन्द्र पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	पलारी	गुरुर	56/1	12.9 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
130	पीलेश्वर कुमार साहू पता-साकिन ओझागहन तहसील गुरुर जिला बालोद	ओझागहन	गुरुर	159	100 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
131	मुकेश पता-साकिन कंवर तहसील गुरुर जिला बालोद	कंवर	गुरुर	1352	12.21 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
132	जितेन्द्र सोनी पता-साकिन कंवर तहसील गुरुर जिला बालोद	कंवर	गुरुर	1408	32.34 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
133	कृपाराम पता-साकिन कंवर तहसील गुरुर जिला बालोद	कंवर	गुरुर	1732	32.24 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
134	अर्जुन पता-साकिन कंवर तहसील गुरुर जिला बालोद	कंवर	गुरुर	1408	42.60 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
135	छा बिवाहा पता-साकिन कंवर तहसील गुरुर जिला बालोद	कंवर	गुरुर	1352	23.37 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
136	नंदकुमार पता-साकिन कंवर तहसील गुरुर जिला बालोद	कंवर	गुरुर	1408	124.00 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
137	बासनबाई पता-साकिन कंवर तहसील गुरुर जिला बालोद	कंवर	गुरुर	1088	57.66 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
138	रामकुमार पता-साकिन कंवर तहसील गुरुर जिला बालोद	कंवर	गुरुर	1776	22.75 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
139	गुलश्री पता-साकिन कंवर तहसील गुरुर जिला बालोद	कंवर	गुरुर	1408	16.50 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
140	गंगाबाई पता-साकिन कंवर तहसील गुरुर जिला बालोद	कंवर	गुरुर	1732	63.80 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
141	लीलाबाई पता-साकिन डांडेसरा तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	डांडेसरा	गुरुर	343/1	134.47 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
142	विमला पता-साकिन डांडेसरा तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	डांडेसरा	गुरुर	428	59.60 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
143	परसराम पता-साकिन डांडेसरा तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	डांडेसरा	गुरुर	425	86.49 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
144	बहुरसिंह पता-साकिन डांडेसरा तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	डांडेसरा	गुरुर	411	90.09 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
145	लुकेश्वर पता-साकिन डोटोपार तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	डोटोपार	गुरुर	389	81 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
146	फारुगम पता-साकिन पड़कीभाट तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	पड़कीभाट	गुरुर	291	104 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
147	उषाबाई पता-साकिन पड़कीभाट तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	पड़कीभाट	गुरुर	291	228 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु

अधुमाना जाचियाना
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

148	विष्णुराम पता-साकिन पडकीभाट तहसील गुरुर जिला बालोद	गुरुर	167/1	676 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
149	संतराम पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	गुरुर	583	520 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
150	भुनेश्वर पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	गुरुर	715	6480 वर्ग मी.	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
151	हिरामन पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	गुरुर	715	1900 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
152	डुपूराम पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	गुरुर	715	2548 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
153	विष्णु पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	गुरुर	20/1.	1417.5 वर्ग फीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
154	जगतसाम पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	गुरुर	20/1	980 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
155	विजय पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	गुरुर	893	648 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
156	भूपेन्द्र कुमार पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद	गुरुर	45	612 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
157	उमेश्वर पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर खिलावन पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद लालचंद पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद	गुरुर	715	1520 वर्गफीट, 1748 वर्गफीट, 1925 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
158	गुलशन, मुकेश, तीरथराम, रमेश पता-साकिन पलारी	गुरुर	590/1	27788.50 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
159	नरेन्द्र कुमार पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	गुरुर	610	2400 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
160	परमेश्वर पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	गुरुर	712	1080 वर्ग फीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
161	बुधारू राम पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	गुरुर	583	9810 वर्ग फीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
162	संतराम पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	गुरुर	712	2600 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
163	संतराम पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	गुरुर	583	2160 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
164	भारत पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद	गुरुर	583	5236 वर्ग फीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
165	अशोक पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद	गुरुर	803/3	700 वर्ग फीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
166	दिवेणी पता-साकिन पलारी, तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	गुरुर	583	195 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
167	जोतिश पता-साकिन पलारी, तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	गुरुर	713	4558 वर्ग फीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
168	बलराम पता-साकिन पलारी, तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	गुरुर	712	2800 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
169	सुखबाई पता-साकिन पलारी, तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	गुरुर	712	1116 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
170	अश्वनीबाई पता-साकिन पलारी, तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	गुरुर	715	4025 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
171	किरण पता-साकिन पलारी, तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	गुरुर	715	6270 वर्ग फीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
172	तेजस्राम पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद	गुरुर	95	1980 वर्गफीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
173	महेश्वर पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद	गुरुर	95	114.24 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
174	श्रीराम पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद	गुरुर	491	91 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
175	तीजुराम पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद	गुरुर	712	6850 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
176	फागूराम पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद	गुरुर	583	2325 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
177	किसुन पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद	गुरुर	491	1320 वर्ग मी.	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु


 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

178	केजूराम पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	139	81.75 वर्ग मी.	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
179	संजय पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	148, 149	0.07 हे.	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
180	संजय पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	146	788 वर्ग फीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
181	राधे पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	95	50.07 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
182	संजय पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	145	17.68 वर्ग मी.	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
183	प्रह्लाद पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	139	72.00 वर्ग मी.	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
184	सुधराम पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	715	210 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
185	शिवकुमार पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	803/3	2895 वर्ग मी.	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
186	भैरुम पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	583	1538 वर्ग फीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
187	नेश कुमार पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	583	408 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
188	दशमत पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	583	195 वर्ग फीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
189	अहमद पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	803/3	1900 वर्ग फीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
190	धमाजी पता-तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	713	322 वर्ग फीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
191	जयदेव पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	1031	155.8 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
192	उमेश पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	1031	52 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
193	भीम पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	56/1	68.8 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
194	परमनंद पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	94	6.09वर्ग फीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
195	ललित पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	712	4410 वर्ग फीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
196	धनश्याम पिता रैनसिंह साकिन पतारी	पतारी	गुरुर	894	165.6 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
197	पवन पिता शदासिंह साकिन पतारी	पतारी	गुरुर	894	249.6 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
198	दीपक कुमार आ दीनुराम साकिन पतारी	पतारी	गुरुर	712	7992 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
199	चन्द्रकुमार पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	894	283.90 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
200	बसंती पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	894	920.70 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
201	रोहित कुमार पता-साकिन- पतारी, तहसील गुरुर जिला बालोद छंग	पतारी	गुरुर	713	688 वर्गफीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
202	छत्रराम पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पतारी	गुरुर	1202/6	3.60 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
203	राजेश पिता प्यरिवाल साकिन पतारी	पतारी	गुरुर	1031	223.20 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
204	रमेश पता-साकिन पतारी, तहसील गुरुर जिला बालोद छंग	पतारी	गुरुर	893	79.56 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
205	नेश पता-साकिन- पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंग	पतारी	गुरुर	56/1	38 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
206	रमाबाई पता-शाम- पतारी, तहसील गुरुर, जिला बालोद, छंग	पतारी	गुरुर	893	55.68 वर्ग मी.	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
207	भूपेन्द्र सिन्हा पता-साकिन पतारी तहसील गुरुर जिला बालोद	बोड़रा	गुरुर	452	100 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
208	कौमल पता-साकिन बोड़रा तहसील गुरुर जिला बालोद	बोड़रा	गुरुर	468	182 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु


अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तिस गढ़

209	सुलेश कुमार पता-साकिन बोडरा, तहसील गुरुर, जिला बालोद छंगो	बोडरा	गुरुर	452	110 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
210	पुष्पाबाई पता-साकिन बोडरा, तहसील गुरुर, जिला बालोद छंगो	बोडरा	गुरुर	467	21 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
211	मदन लाल पता-साकिन बोडरा, तहसील गुरुर, जिला बालोद छंगो	बोडरा	गुरुर	467	80 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
212	रामाधर पता-साकिन बोडरा, तहसील गुरुर, जिला बालोद छंगो	बोडरा	गुरुर	452	36 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
213	दुलारू पता-साकिन बोडरा, तहसील गुरुर, जिला बालोद छंगो	बोडरा	गुरुर	468	17 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
214	लक्ष्मण पता-साकिन बोडरा, तहसील गुरुर, जिला बालोद छंगो	बोडरा	गुरुर	468	41 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
215	तुमनलाल पता-साकिन भिरई तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	भिरई	गुरुर	343	672 वर्ग फीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
216	यशवंत कुमार पता-साकिन मोहारा तहसील गुरुर जिला बालोद	मोहारा	गुरुर	916	68.06 वर्गमीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
217	अमयराम पता-साकिन मोहारा तहसील गुरुर जिला बालोद	मोहारा	गुरुर	916	40.70 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
218	कौमलराम पता-साकिन सरबदा तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	सरबदा	गुरुर	169	1068 वर्ग मी.	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
219	मोहित कुमार पता-साकिन सांगली तहसील गुरुर जिला बालोद	सांगली	गुरुर	478	19.80 वर्ग मीटर	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
220	रामजी पता-साकिन सुरी गुरुर जिला बालोद	सुरी	गुरुर	209	0.005 हे.	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
221	रहन कुमार पता-साकिन सुरी तहसील गुरुर जिला बालोद	सुरी	गुरुर	214, 212	870.26 वर्ग फीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
222	महेन्द्र कुमार पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पलारी	गुरुर	715	210 वर्ग फीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु
223	ईश्वर पता-निवासी ग्राम धोबनपुरी, तहसील गुरुर, जिला बालोद छंगो, घसिया पता-निवासी ग्राम धोबनपुरी, तहसील गुरुर, जिला बालोद छंगो	धोबनपुरी	गुरुर	476	148.50 वर्ग मी. 75.18 वर्ग मी.	अपीलीय न्यायालय में अभील प्रकरण विधायकीन है
224	सुरुराम अ० केरुराम, साकिन पलारी, तहसील गुरुर	पलारी	गुरुर	583	132 वर्ग फीट	बेदखली वारंट के परिपालन हेतु

तहसील बालोद एवं गुरुर अंतर्गत अतिक्रमण प्रकरण, जो न्यायालय में विचाराधीन है। (36 प्रकरण)

क्र.	अतिक्रमणकर्ता का नाम	ग्राम	तहसील का नाम	ख.नं.	रकबा	तंबित का कारण
225	दीपचंद पिता परदू ग्राम जगन्नाथपुर तहसील बालोद	जगन्नाथपुर	बालोद	1092	144 वर्गफीट	उत्तिकामक की उपस्थिति व जवाब हेतु
226	उमराव/अधनूराम ग्राम जगन्नाथपुर तहसील बालोद	जगन्नाथपुर	बालोद	926	360 वर्गफीट	उत्तिकामक की उपस्थिति व जवाब हेतु
227	खामनलाल/दुखूराम ग्राम जगन्नाथपुर तहसील बालोद	जगन्नाथपुर	बालोद	92	700 कड़ी	उत्तिकामक की उपस्थिति व जवाब हेतु
228	टीकन सिंह साहू पिता सेवा ग्राम लिमारा तहसील बालोद जिला बालोद	लिमारा	बालोद	231	1.01 हे.	प्रकरण आदेशार्थ नियत।
229	नेमचंद साहू पिता सेवा ग्राम परसदा तहसील बालोद	परसदा	बालोद	825/2	1089 वर्गफीट	अतिकामक की उपस्थिति व जवाब हेतु
230	नैन्दास बंजारे ग्राम भोइनापार तहसील बालोद	भोइनापार	बालोद	292	2.53 हे.	पटवारी प्रतिवेदन हेतु
231	शीतल पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंगो	पलारी	गुरुर	38	600 वर्गफीट	इत्का पटवारी के स्पष्ट प्रतिवेदन हेतु
232	हेमन्त पता-साकिन कंवर तहसील गुरुर जिला बालोद	कंवर	गुरुर	1732	63.80 वर्गमीटर	इत्का पटवारी के साथ हेतु
233	तीर्थेशकर पता-ग्राम पलारी, तहसील गुरुर, जिला बालोद	पलारी	गुरुर	1031	160 वर्ग मीटर	इत्का पटवारी के साथ हेतु

अनुभाग अधिकारी
रजस्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, उटल नगर

234	साधि पता-ग्राम - पलारी, तहसील - गुरुर, जिला-बालोद, छंग	पलारी	गुरुर	422	0.02 हे.	हल्का पटवारी के साक्ष्य हेतु
235	ईश्वरलाल पता-साकिन सोहपुर तहसील गुरुर जिला बालोद छंग	सोहपुर	गुरुर	144	0.016 हे.	पटवारी के प्रतिपरीक्षण हेतु
236	सुनेश्वर पता-साकिन सोहपुर तहसील गुरुर जिला बालोद छंग	सोहपुर	गुरुर	144	0.008 हे	पटवारी के प्रतिपरीक्षण हेतु
237	डिपेन सिन्हा पता-ग्राम - पलारी/तहसील - गुरुर/जिला - बालोद, छंग	पलारी	गुरुर	56/1	27.3 वर्ग मीटर	पटवारी प्रमाण पत्र हेतु
238	श्यामगिरी गोस्वामी पता-साकिन मिरिंदोला तहसील गुरुर जिला बालोद	मिरिंदोला	गुरुर	910	0.016 हे.	पटवारी साक्ष्य हेतु
239	भोलेश्वर कुमार पता-साकिन सोहपुर तहसील गुरुर जिला बालोद छंग	सोहपुर	गुरुर	301/1	0.05 हे.	पटवारी साक्ष्य हेतु
240	चिन्तामणी पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पलारी	गुरुर	425	884 वर्गमीटर	प्रकरण अवलोकनार्थ।
241	रतार्षी बाई पता-निवासी ग्राम बोरिंदकवा, तहसील गुरुर जिला बालोद	बोरिंदकवा	गुरुर	960	841 वर्ग मी.	प्रकरण अवलोकनार्थ।
242	गजानंद पता-निवासी ग्राम बोरिंदकवा, तहसील गुरुर जिला बालोद	बोहारडीह	गुरुर	43/1	22.50 वर्गमीटर	प्रकरण अवलोकनार्थ।
243	खोमेश्वर पता-ग्राम बोहारडीह, तहसील गुरुर जिला बालोद छंग	बोहारडीह	गुरुर	133 134	222.24 वर्गमीटर	प्रकरण अवलोकनार्थ।
244	दीनदयाल पता-साकिन बोहारा तहसील गुरुर जिला बालोद छंग	मुजगाहन	गुरुर	270	302 वर्गफीट	प्रकरण अवलोकनार्थ।
245	अशोक कुमार पता-साकिन रमतारा तहसील गुरुर जिला बालोद	रमतारा	गुरुर	357/1	198 वर्ग फीट	अनावेदक साक्ष्य हेतु
246	गजेन्द्र कुमार पता-साकिन मुजगाहन, तहसील गुरुर, जिला बालोद छंग	पहेली	गुरुर	20	976.6 वर्गफीट	अनावेदक की उपस्थिति हेतु
247	देवराज तिवारी पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंग	पलारी	गुरुर	41	0.21 हे.	अनावेदक की उपस्थिति हेतु
248	कमलेश पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पलारी	गुरुर	1007	84 वर्ग फीट	अनावेदक की उपस्थिति हेतु
249	गजेन्द्र कुमार पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पलारी	गुरुर	155	2436 वर्ग मीटर	अनावेदक की उपस्थिति हेतु
250	दीपाबाई पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद	पलारी	गुरुर	56/1	24.7 वर्गमीटर	अनावेदक की उपस्थिति हेतु
251	अलख पता-ग्राम - पलारी तहसील - गुरुर/जिला - बालोद/छंग	पलारी	गुरुर	1007	22.26 वर्ग मी.	अनावेदक की उपस्थिति हेतु
252	जयप्रकाश पता-ग्राम - पलारी, तहसील - गुरुर/जिला - बालोद/छंग	पलारी	गुरुर	1007	13.95 वर्ग मी.	अनावेदक की उपस्थिति हेतु
253	ललित पता-ग्राम - पलारी, तहसील - गुरुर/जिला - बालोद/छंग	पलारी	गुरुर	708	0.12 हे.	अनावेदक के जवाब हेतु
254	सोमेश्वर पता-ग्राम - पलारी तहसील - गुरुर/जिला - बालोद/छंग	पलारी	गुरुर	20/1.	81 वर्गमीटर	अनावेदक के जवाब हेतु
255	संतोष कुमार पता-ग्राम - पलारी तहसील - गुरुर/जिला - बालोद/छंग	कंवर	गुरुर	1352	22.36 वर्ग मीटर	अनावेदक साक्ष्य हेतु
256	डोमन पता-साकिन कंवर तहसील गुरुर जिला बालोद	पलारी	गुरुर	43	25875 वर्गफीट	अनावेदक साक्ष्य हेतु
257	हरमल पता-साकिन पलारी तहसील गुरुर जिला बालोद छंग	भिरई	गुरुर	342	1400 वर्ग फीट	अनावेदक साक्ष्य हेतु
258	हिरामन पता-साकिन भिरई तहसील गुरुर जिला बालोद छंग	भूलगडबरी	गुरुर	336/5	0.01 हे.	अनावेदक साक्ष्य हेतु
259	तिलक राम निर्मलकर पता-साकिन भूलगडबरी तहसील गुरुर	सोहपुर	गुरुर	166	39.22 वर्गमीटर	अनावेदक साक्ष्य हेतु
260	लता साहू पता-साकिन सोहपुर तहसील गुरुर जिला बालोद	सोहपुर	गुरुर	673	240 वर्ग मीटर	अनावेदक साक्ष्य हेतु



अनुभाग अधीक्षक,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
मन्त्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

परोशेष्ट - तीन

तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 1263) की जानकारी

प्रपत्र		
विधानसभा तारांकित प्रश्न क. 1263 द्वारा श्री राजेश मूणत मान, सदस्य विधानसभा		
राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से जिलों को आबंटित राशि की जानकारी		
स. क्र.	जिले का नाम	आबंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3
1	रायपुर	870.00
2	भाहसमुंद	263.50
3	धमतरी	345.23
4	गरिगाबंद	389.80
5	बलीदाबाजार	280.00
6	दुर्ग	150.65
7	राजनांदगांव	0.00
8	कबीरधाम	328.61
9	बेमेतरा	0.00
10	बालोद	200.00
11	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	0.00
12	मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी	0.00
13	बिलासपुर	78.00
14	रायगढ़	90.00
15	कोरबा	0.00
16	मुंगेली	200.00
17	जांजगीर - चांपा	39.00
18	सक्ति	0.00
19	सारंगढ़-बिलाईगढ़	230.79
20	गौरीला-पेण्ड्रा-नरवाही	99.95
21	सरगुजा	588.00
22	जशपुर	3410.09
23	कोरिया	0.00
24	बलरामपुर	2905.76
25	सूरजपुर	60.00
26	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	204.30
27	बरतार	609.85
28	दंतेवाड़ा	3003.73
29	कांकर	587.90
30	सुकमा	2632.79
31	बीजापुर	94.90
32	कोंडागांव	228.67
33	नारायणपुर	51.07
	योग	17942.59

परोशेष्ट - चार

प्रपत्र

तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 1575) की जानकारी

उक्त नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु 31 जनवरी, 2026 की स्थिति में की गई कार्यवाही की वर्षवार जानकारी

क्र.	वर्ष	की गई कार्यवाही की स्थिति
1	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2022-23 में भवन निर्माण हेतु नाबार्ड पोषित योजनांतर्गत नवीन मद में राशि रू. 125.00 लाख का प्रावधान किया गया था तथा मानक प्राक्कलन के आधार पर नवीन भवन निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 465.84 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।
2	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24 में भूमि के लिए सीमांकन हुआ। वित्त निर्देश 42/2023 दिनांक 20.12.2023 जारी होने के पूर्व के ऐसे सभी निर्माण कार्य जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो गयी है तथा कार्य प्रारंभ नहीं हुआ के संबंध में प्रकरण वित्त विभाग भेजा गया। किन्तु निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी।
3	वित्तीय वर्ष 2024-25	पुनः वित्त निर्देश 42/2023 के अनुक्रम में प्रकरण वित्त विभाग भेजा गया। उक्त निर्देश के अनुक्रम में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने हेतु दिनांक 10.01.2025 को पुनः स्वीकृति आदेश जारी किया गया।
4	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपरिहार्य कारणों से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने पर पुनः वित्त विभाग को प्रकरण प्रेषित किये जाने पर वित्त विभाग द्वारा प्रकरण को परीक्षित मद में शामिल करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने का परामर्श दिया। जिसके अनुक्रम में शासकीय नवीन महाविद्यालय तेंदुकोना के भवन निर्माण कार्य को राज्य मद में मांग संख्या 67 के अंतर्गत प्रथम अनुपूरक मद में शामिल करते हुए आकस्मिकता निधि से 100 रूपये का टोकन स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में महाविद्यालय के नवीन भवन हेतु भूमि पूजन हो चुका है।


अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

परीशद - पाँच

तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1611) की जानकारी

प्रपत्र-‘अ’

शक्कर कारखाना केरता, जिला सरगुजा अंतर्गत गन्ना उत्पादन के लिये एवं किसानों हेतु दी जा रही सुविधा की जानकारी

1. वर्ष 2023 से 2026 दिनांक 31/01/2026 तक गन्ना बुवाई हेतु कृषकों को उपलब्ध कराए गये उन्नतशील गन्ना बीज उधार (ब्याज रहित) की विकासखंडवार की जानकारी-

क्र.	विकासखंड	खड़ा गन्ना बीज प्रदाय			पौधा गन्ना बीज प्रदाय			कुल राशि (रु.)
		किसानों की संख्या	मात्रा (मी.टन)	राशि (रु.)	किसानों की संख्या	मात्रा (नग)	राशि (रु.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अम्बिकापुर	7	10.394	40,536.60	0	0	0	40,536.60
2	बलरामपुर	5	14.375	56,062.50	5	9,550	47,750	1,03,812.50
3	बतौली	11	12.209	47,615.10	0	0	0	47,615.10
4	भैयाथान	21	39.519	1,54,124.10	0	0	0	1,54,124.10
5	लखनपुर	3	11.370	44,343.00	0	0	0	44,343.00
6	लुण्ड्रा	8	15.890	61,971.00	2	8,000	40,000	1,01,971.00
7	प्रतापपुर	707	1,448.439	56,48,912.10	5	9,000	45,000	56,93,912.10
8	राजपुर	201	400.738	15,62,878.20	0	0	0	15,62,878.20
9	शंकरगढ़	2	1.890	7,371.00	0	0	0	7,371.00
10	सूरजपुर	57	107.925	4,20,907.50	0	0	0	4,20,907.50
11	वाङ्गफनगर	3	3.741	14,589.90	1	700	3,500	18,089.90
कुल योग		1,025	2,066.490	80,59,311.00	13	27,250	1,36,250	81,95,561.00

2. वर्ष 2023 से 2026 दिनांक 31/01/2026 तक रियायती दर (वर्ष 2023 से 2024 तक रु. 600/- प्रति ट्रेक्टर एवं वर्ष 2025 से रु. 800/- प्रति ट्रेक्टर) पर उपलब्ध कराये गये प्रेसमड (खाद) की विकासखंडवार जानकारी -

क्रमांक	विकासखण्ड	कृषक संख्या	कुल ट्राली
1	2	3	4
1	प्रतापपुर	875	1426
2	अम्बिकापुर	62	187
3	वाङ्गफनगर	50	101
4	सूरजपुर	88	323
5	राजपुर	79	167
6	लुण्ड्रा	2	2
कुल योग		1156	2206

3. राज्य शासन द्वारा गन्ना कृषकों को वर्ष 2023 से 2026 दिनांक 31/01/2026 तक प्रदाय गन्ना प्रोत्साहन राशि का विकासखण्डवार जानकारी :-

क्र.	विकासखण्ड	गन्ना प्रोत्साहन राशि (रु.)
1	2	3
1	अम्बिकापुर	89,89,298.79
2	बगीचा	11,990.71
3	बैंकुण्ठपुर	6,994.58
4	बलरामपुर	44,57,983.71
5	बतौली	64,64,203.87
6	भैयाथान	70,64,000.33
7	कुसमी	1,971.10
8	लखनपुर	1,99,679.00
9	लुण्ड्रा	1,14,03,081.57
10	मैनपाट	47,670.67
11	ओडगी	8,52,556.14
12	प्रतापपुर	24,39,94,215.44
13	प्रेमनगर	4,969.74
14	राजपुर	8,67,48,863.26
15	रामानुजगंज	2,55,312.06
16	रामचन्द्रपुर	10,641.41
17	शंकरगढ़	9,52,043.55
18	सीतापुर	2,79,159.77
19	सूरजपुर	6,27,99,795.91
20	उदयपुर	10,36,144.06
21	वाङ्गफनगर	35,59,630.08
योग		43,91,40,205.77

4. गन्ना उत्पादक शेयर धारक कृषकों को वर्ष 2023 से 2026 दिनांक 31.01.2026 तक रियायती दर (रु. 3885/- प्रति किं.व.) पर शक्कर प्रदाय की विकासखण्डवार जानकारी:-

क्रमांक	विकासखण्ड	कृषक संख्या	मात्रा (किं.व.)
1	2	3	4
1	प्रतापपुर	21	10.50
2	अम्बिकापुर	10	5.00
3	वाङ्गफनगर	8	4.00
4	सूरजपुर	11	5.50
5	राजपुर	13	6.50
कुल योग		63	31.50

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

प्रपत्र- 'ब'

सत्र 2022 से 2026 (31/01/2026 तक) तक गन्ना खरीदी की विकासखंडवार जानकारी

क्र.	विकासखंड	गन्ना खरीदी की मात्रा (मी.टन)
1	2	3
1	अम्बिकापुर	16,295.93
2	बगीचा	16.45
3	बैंकुण्ठपुर	9.60
4	बलरामपुर	7,727.73
5	बतौली	10,652.20
6	भैयाथान	14,595.79
7	कुसमी	4.94
8	लखनपुर	365.97
9	लुण्ड्रा	18,451.55
10	मैनपाट	119.65
11	ओडगी	1,546.83
12	प्रतापपुर	4,77,015.78
13	प्रेमनगर	7.89
14	राजपुर	1,56,677.70
15	रामानुजगंज	569.63
16	रामचन्द्रपुर	15.06
17	शंकरगढ़	1,619.86
18	सीतापुर	423.83
19	सूरजपुर	1,16,001.24
20	उदयपुर	1,740.87
21	वाङ्गनगर	5,369.60
	योग	8,29,228.09


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 सहकारिता विभाग

प्रपत्र-‘स’

सत्र 2022 से 2026 (31/01/2026) तक उक्त कारखाना से शक्कर उत्पादन की मात्रा की जानकारी

क्र.	पेराई सत्र	शक्कर उत्पादन की मात्रा (मी.टन)
1	2	3
1	2021-22	26,064
2	2022-23	24,563
3	2023-24	25,345
4	2024-25	19,588
5	2025-26 (31-01-2026 तक)	8,635

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 (31/01/2026) तक उक्त कारखाना के मुनाफा/नुकसान की जानकारी

क्र.	वित्तीय वर्ष	लाभ/हानि (रु.)
1	2	3
1	2021-22	(-) 4,06,05,068.75
2	2022-23	(-) 20,03,52,754.27
3	2023-24	(-) 20,92,23,847.40
4	2024-25	(-) 31,71,40,463.00
5	2025-26 (31-01-2026 तक)	(-) 21,03,00,000.00 (अनुमानित)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

प्रपत्र- 'द'

रघुनाथपुर गन्ना खरीदी केन्द्र में वर्षवार गन्ना खरीदी की जानकारी

क्र.	वर्ष	गन्ने की मात्रा (मी.टन)
1	2	3
1	2012	8,364.15
2	2013	14,835.68
3	2014	62,472.22
4	2015	24,804.66
5	2016	21,136.13
6	2017	17,263.66
7	2018	25,834.97
8	2019	21,349.70


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

परिशेष - छ

तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क. 448) की जानकारी

प्रपत्र-7

वर्ष 2022 से 31.01.2026 तक उद्योग एवं खदानों के खनन कार्य के लिए काटे गये पेड़ों का विवरण

क्र.	वर्ष	जिला	परियोजना का विवरण			काटे जाने हेतु अनुमत पेड़ों की संख्या	काटे गये पेड़ों की संख्या
			परियोजना का नाम	उद्योग अथवा खदान	स्थान का नाम		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वर्ष 2022 से 31.01.2026 तक	कोरबा	दीपका विस्तार परियोजना में दीपका क्षेत्र अंतर्गत कोयला भण्डार हेतु राजस्व भूमि में खड़े वृक्षों के विदोहन	खदान	सिरकी	4758	4758
2		कोरबा	एस.ई.सी.एल. गोवरा द्वारा ग्राम बतारी (नेहरू नगर) के विस्थापन के पुर्नवास हेतु आबंटित भूमि में खड़े वृक्षों का विदोहन	खदान	बतारी	200	200
3		कोरबा	एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र द्वारा ग्राम दुरपा प.ह.न. 35 रा.नि.म. व तहसील दर्री जिला कोरबा पर अर्जित राजस्व भूमि ख.नं. 433/1 पर पुर्नवास/पुर्नस्थापना हेतु	खदान	दुरपा	1561	1561
4		कोरबा	एस.ई.सी.एल. गोवरा द्वारा अर्जित राजस्व भूमि ग्राम जूनाडीह क्षेत्रीय स्टोर के अंदर निर्माणधीन व ईस्ट वेस्ट रेल कॉरीडोर के क्षेत्र में खड़े वृक्षों के विदोहन	खदान	जूनाडीह	1023	1023
5		कोरबा	एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा द्वारा ग्राम जटराज प.ह.न. 34 तहसील दर्री के गृहवासियों को विस्थापन हेतु	खदान	जटराज	809	809
6		कोरबा	एन.टी.पी.सी. कोरबा द्वारा ग्राम गेरवा तहसील दर्री भूमि ख.नं. 21, 22, 23, 24/1 पर मौजूद 350 नग वृक्षों के विदोहन	उद्योग	गेरवा	350	350
7		कोरबा	गेवरा ओपन कास्ट परियोजना	खदान	रलिया, नरईबोध	3022	3022
8		कोरबा	दीपका विस्तार परियोजना के तहत ग्राम मलगांव में अर्जित भूमि में 676 नग विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का विदोहन	खदान	मलगांव	676	676
9		कोरबा	एस.ई.सी.एल. दीपका क्षेत्र द्वारा विस्तार परियोजना के अंतर्गत ग्राम अमगांव भूमि ख.नं. 606 पर 1347 नग वृक्षों का विदोहन	खदान	अमगांव	1347	1347

80

क्र.	वर्ष	जिला	परियोजना का विवरण				काटे जाने हेतु अनुमत पेड़ों की संख्या	काटे गये पेड़ों की संख्या
			परियोजना का नाम	उद्योग अथवा खदान	स्थान का नाम			
1	2	3	4	5	6	7	8	
10	वर्ष 2022 से 31.01.2026 तक	कोरबा	एस्सार पावर ट्रांसमिशन लाईन	उद्योग	जटगा, अम्हवा, सासिन, बेतलो	1012	1012	
11		कोरबा	ताप विद्युत गृह में वायु प्रदूषण कम करने हेतु फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्लांट का निर्माण कार्य	उद्योग	कैदईखार	236	236	
12		कोरबा	एस.ई.सी.एल. दीपका क्षेत्र द्वारा ग्राम सिरकीखुर्द में स्थित वृक्षों की कटाई हेतु	खदान	सिरकीखुर्द	401	401	
13		कोरबा	एन.टी.पी.सी. कोरबा द्वारा ग्राम टांगामार प.ह.न. 28 तह. दर्री जिला कोरबा के खसरा नं. 73, 112 में 742 नग वृक्षों के विदोहन	उद्योग	टांगामार	742	742	
14		कोरबा	कुसमुण्डा ओ.सी. परियोजना के कबीर चौक से के.बी. 2 बैरियर तक मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण हेतु	खदान	गेवरा	143	143	
15		कोरबा	एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र के अर्जित भूमि ग्राम जरहाजेल प.ह.न. 33 तह. दर्री स्थित भूमि में पुनर्स्थापना हेतु वृक्षों के विदोहन	खदान	जरहाजेल	2091	2091	
16		कोरबा	एस.ई.सी.एल. गेवरा द्वारा ग्राम भठौरा में अर्जित भूमि गेवरा ओपन कास्ट का विस्तार (उत्खनन) हे. प्रभावित 239 नग वृक्षों का विदोहन	खदान	भठौरा	239	239	
17		कोरबा	अंबिका ओपन कास्ट परियोजना	खदान	P151, करतला, दमिया, तेन्दूभांठा	540	540	
कोरबा जिला योग:-						19150	19150	

क्र.	वर्ष	जिला	परियोजना का विवरण			काटे जाने हेतु अनुमत पेड़ों की संख्या	काटे गये पेड़ों की संख्या	
			परियोजना का नाम	उद्योग अथवा खदान	स्थान का नाम			
1	2	3	4	5	6	7	8	
18	वर्ष 2022 से 31.01. 2026 तक	रायगढ़	धरमजयगढ़ में मांड नदी पर 8 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना	उद्योग	दमास	526	526	
19		रायगढ़	SECL छाल खुली खदान Seam III 6 MTY	खदान	छाल	35374	35374	
20		रायगढ़	बी.एस. स्पंज प्रा.लिमि.	उद्योग	833 RF, 835 RF	36	36	
21		रायगढ़	गारे पेलमा सेक्टर-IV/6 कोल ब्लॉक, जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमि.	खदान	742 PF एवं राजस्व वनभूमि	6784	6784	
22		रायगढ़	गारे पेलमा सेक्टर-IV/1 कोल ब्लॉक, जिंदल पॉवर लिमि.	खदान	794 PF, 795 PF, एवं राजस्व वनभूमि	19738	7507	
23		रायगढ़	गारे पेलमा सेक्टर-II कोल ब्लॉक, महाराष्ट्रा स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमि.	खदान	732P, 741P, 740P, 744P, 745P एवं राजस्व वनभूमि	3684	1124	
24		रायगढ़	बरौद ओपन कास्ट माईंस, एस.ई.सी.एल.	खदान	1286 PF एवं राजस्व वनभूमि	3383	500	
रायगढ़ जिला योग:-							69525	51851
25	वर्ष 2022 से 31.01. 2026 तक	दत्तेवाड़ा	एन.एम.डी.सी. किरन्दुल कॉम्लेक्स	खदान	निक्षेप क्रमांक-14 एलएल कक्षा क्रमांक 1859	3171	3171	

88

क्र.	वर्ष	जिला	परियोजना का विवरण				काटे जाने हेतु अनुमत पेड़ों की संख्या	काटे गये पेड़ों की संख्या
			परियोजना का नाम	उद्योग अथवा खदान	स्थान का नाम			
1	2	3	4	5	6	7	8	
26	वर्ष 2022 से 31.01. 2026 तक	दन्तेवाड़ा	एन.एम.डी.सी. किरन्दुल कॉम्प्लेक्स	खदान	निक्षेप क्रमांक-14 एन.एम.जेड. कक्षा क्रमांक 1859, 1860	12158	7000	
27		दन्तेवाड़ा	एन.एम.डी.सी. बचेली कॉम्प्लेक्स	खदान	निक्षेप क्रमांक-10 कक्षा क्रमांक 1840, 1841	5945	5200	
28		दन्तेवाड़ा	एन.एम.डी.सी. परियोजना द्वारा स्लरी पाईप लाईन निर्माण के तहत आधारभूत संरचना हेतु।	खदान	किरन्दुल कक्षा क्रमांक 1843	425	110	
दन्तेवाड़ा जिला योग:-								
29	वर्ष 2022 से 31.01. 2026 तक	बीजापुर	कोरंडम उत्खनन	कुचनूर कोरंडम खदान	आर.एफ. 826	341	341	
बीजापुर जिला योग:-								
30	वर्ष 2022 से 31.01. 2026 तक	कांकर	कलवर-नागुर लौह अयस्क परियोजना	खदान	कलवर नागुर	1922	1820	
31		कांकर	ग्राम हाहालददी माईनिंग लीज (कुल रकबा 79.56 हे.)	खदान	हाहालददी	245	245	
32		कांकर	रावघाट लौह अयस्क परियोजना (कुल रकबा 883.220 हे.)	खदान	रावघाट	19130	7887	
कांकर जिला योग:-								
33	वर्ष 2022 से 31.01. 2026 तक	नारायणपुर	ग्राम छोटेडोंगर में लौह अयस्क उत्खनन	खदान	छोटेडोंगर	8273	6723	
34		नारायणपुर	रावघाट लौह अयस्क परियोजना (कुल रकबा 883.220 हे.)	खदान	नारायणपुर अंजरेल	1946	1768	
35		नारायणपुर	रावघाट लौह अयस्क परियोजना (कुल रकबा 883.220 हे.)	खदान	नारायणपुर अंजरेल	10272	9345	
नारायणपुर जिला योग:-								
						20491	17836	

82

क्र.	वर्ष	जिला	परियोजना का विवरण			काटे जाने हेतु अनुमत पेड़ों की संख्या	काटे गये पेड़ों की संख्या
			परियोजना का नाम	उद्योग अथवा खदान	स्थान का नाम		
1	2	3	4	5	6	7	8
36	वर्ष 2022 से 31.01.2026 तक	रायपुर	टेक्सटाईल पार्क हेतु नवीन औद्योगिक क्षेत्र	उद्योग	ग्राम-कुर्या, नवा रायपुर	128	128
रायपुर जिला योग:-							
37	वर्ष 2022 से 31.01.2026 तक	सरगुजा	परसा ईस्ट केते बासेन कोल परियोजना	खदान	परिक्षेत्र उदयपुर	13133	13133
38		सरगुजा	परसा ईस्ट केते बासेन कोल परियोजना	खदान	परिक्षेत्र उदयपुर	7960	7960
39		सरगुजा	परसा कोल परियोजना	खदान	परिक्षेत्र उदयपुर	2081	2081
40		सरगुजा	परसा कोल परियोजना	खदान	परिक्षेत्र उदयपुर	680	680
41		सरगुजा	परसा ईस्ट केते बासेन कोल परियोजना	खदान	परिक्षेत्र उदयपुर	15307	15307
42		सरगुजा	परसा ईस्ट केते बासेन कोल परियोजना	खदान	परिक्षेत्र उदयपुर	10944	10944
43		सरगुजा	परसा ईस्ट केते बासेन कोल परियोजना	खदान	परिक्षेत्र उदयपुर	23836	23783
सरगुजा जिला योग:-							
44	वर्ष 2022 से 31.01.2026 तक	सूरजपुर	परसा कोल परियोजना	खदान	जनार्दनपुर	2356	2356
45		सूरजपुर	परसा कोल परियोजना	खदान	परिक्षेत्र रामानुजनगर	3839	3839
46		सूरजपुर	भास्करपारा कोल खनन परियोजना	खदान	राजस्व वनभूमि, दनौली खुर्द	470	470
सूरजपुर जिला योग:-							
महायोग :-							
						6665	6665
						233237	195292


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

छत्तीसगढ़

परिशेष - सात

तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1302) की जानकारी

प्रपत्र-अ

किसानों के अधिग्रहित एवं प्रभावित भूमि का लंबित मुआवजा

स.क्र.	योजना का नाम	ग्राम का नाम	कृषकों की संख्या	मुआवजा राशि (लाख में)	लंबित वर्ष	मुआवजा राशि लंबित होने का कारण एवं स्तर	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8
जल संसाधन सभाग मरवाही							
1	अरवा उदगम स्थल का विकास एवं जल कुण्ड निर्माण कार्य (0131-82 / 2024-25)	पेण्ड्रा	09	858.73	23.10.2024	परियोजना में प्रारंभिक अधिसूचना धारा-11 का राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक 26.12.2025 उपरान्त धारा-11(2) के अधीन दिनांक 12.01.2026 को दावा आपत्ति हेतु कार्यवाही बैठक का आयोजन किया गया। वर्तमान में उक्त प्रकरण में धारा-15 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	
योग:-							
जल संसाधन सभाग पेण्ड्रा रोड							
1	डांडबछाली जलाशय	डांडबछाली	13	24.08	30.07.16	अवाई पारित की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन।	
2	औरपानी जलाशय	औरपानी	8	8.320	08.06.18	धारा-19 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन।	
3	रतखण्डी व्यपवर्तन	मझवानी	2	2.56	09.03.21	धारा-11 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन।	
4	उपका व्यपवर्तन	उपका	1	9.85	06.10.18	समाजिक समाघात विशेषज्ञ दल की बैठक संपन्न एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन।	
5	बूफा व्यपवर्तन	बूफा	75	167.92	03.07.19	धारा-11 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन।	
6	आमापारा व्यपवर्तन	पोड़ी	13	0	17.05.18	धारा-19 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन।	
7	नवागांव व्यपवर्तन	झिंगटपुर	68	65.36	24.02.21	अवाई पारित की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन।	
8	रैनकोटा जलाशय	कोडार	13	0	17.07.15	धारा-21 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन।	

सं.क्र.	योजना का नाम	ग्राम का नाम	कृषकों की संख्या	मुआवजा राशि (लाख में)	लंबित वर्ष	मुआवजा राशि लंबित होने का कारण एवं स्तर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
9	सल्का नवागांव उद्वहन	पोड़ी	2	1.664	09.07.18	प्रकरण पटवारी संत्यापन एवं स्थल निरीक्षण के लिये बेलागहना तहसील में प्रेषित एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन	
10	सल्का नवागांव उद्वहन	सल्का	2	0	09.07.18	प्रकरण पटवारी संत्यापन एवं स्थल निरीक्षण के लिये बेलागहना तहसील में प्रेषित एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन	
11	खोंगसरा व्यपवर्तन	सोनपुरी	2	0.280	09.07.18	फाईल पटवारी वेंसिफिकेशन हेतु बेलागहना तहसील में जमा एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन	
12	खोंगसरा व्यपवर्तन	अटडडा	4	0.40	09.07.18	फाईल पटवारी वेंसिफिकेशन हेतु बेलागहना तहसील में जमा एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन	
13	खोंगसरा व्यपवर्तन	कौचरा	29	44.72	28.04.18	धारा-11 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोटा के कार्यालय में प्रक्रियाधीन।	
14	पहंदा व्यपवर्तन	कसईबहरा	8	23.055	28.04.18	फाईल पटवारी वेंसिफिकेशन हेतु बेलागहना तहसील में जमा एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन	
15	पहंदा व्यपवर्तन	नगपुरा	13	12.60	28.04.18	फाईल पटवारी वेंसिफिकेशन हेतु बेलागहना तहसील में जमा एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन	
16	तुमाडबरा व्यपवर्तन	खोंगसरा	3	9.984	28.04.18	धारा-21 की प्रक्रिया पूर्ण। अवाई अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन।	
17	कैंदा व्यपवर्तन	कुसुमखेड़ा	13	17.474	18.05.19	सामाजिक समाघात विशेषज्ञ दल का मूल्यांकन रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोटा में प्रक्रियाधीन	
18	कैंदा व्यपवर्तन	कुसुमखेड़ा	8	6.912	02.7.19	पुनः प्रकरण तैयार किया जा रहा है। कार्यपालन अभियंता स्तर पर लंबित है।	
19	कैंदा व्यपवर्तन	विचापपुर	4	28.096	02.7.19	पुनः प्रकरण तैयार किया जा रहा है। कार्यपालन अभियंता स्तर पर लंबित है।	
20	कैंदा व्यपवर्तन	सोडाखुर्द	7	17.28	18.05.19	पुनः प्रकरण तैयार किया जा रहा है। कार्यपालन अभियंता स्तर पर लंबित है।	

सं.क्र.	योजना का नाम	ग्राम का नाम	कृषकों की संख्या	मुआवजा राशि (लाख में)	लबित वर्ष	मुआवजा राशि लबित होने का कारण एवं स्तर	रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8
21	कैदा व्यपवर्तन	सेमरा	36	0	25.09.19	पुनः प्रकरण तैयार किया जा रहा है। कार्यपालन अभियंता स्तर पर लबित है।	
22	सतनाला व्यपवर्तन	छतौना	4	5.952	17.05.18	पुनः प्रकरण तैयार किया जा रहा है। कार्यपालन अभियंता स्तर पर लबित है।	
23	सतनाला व्यपवर्तन	आमामुड़ा	3	8.192	17.05.18	पुनः प्रकरण तैयार किया जा रहा है। कार्यपालन अभियंता स्तर पर लबित है।	
24	सतनाला व्यपवर्तन	परसापानी	1	33.024	17.05.18	पुनः प्रकरण तैयार किया जा रहा है। कार्यपालन अभियंता स्तर पर लबित है।	
25	जैवस व्यपवर्तन	कैनाडाड	10	21.00	15.06.22	पुनः प्रकरण तैयार किया जा रहा है। कार्यपालन अभियंता स्तर पर लबित है।	
26	बरपाली व्य0	बरपाली	17	3.628	19.03.19	ग्राम समा की बैठक संपन्न। धारा-4 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन।	
27	छतौना जलाशय	छतौना	18	18.80	07.06.23	धारा-11 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन।	
28	बानाबेल जलाशय	खैरौली	8	23.68	08.06.18	समाजिक समाघात अध्ययन दल का रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा में प्रक्रियाधीन।	
29	बानाबेल जलाशय	बानाबेल	17	25.40	25.05.18	समाजिक समाघात अध्ययन दल का रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा में प्रक्रियाधीन।	
	योग:-		402	580.231			
खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर							
1	सिलादहा व्यपवर्तन योजना	सिलादहा	11	3.048	2022-23	अनिवार्य भू-अर्जन के तहत धारा-19 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन।	
	योग :-		11	3.048			
जल संसाधन संभाग कोटा							
1	सल्का व्यपवर्तन योजना	अमाली (नहर)	2	6.40	18.07.17	धारा 11 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन।	
2	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना	सखड़ी (नहर)	6	20.80	19.09.22	धारा 11 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन।	

सं.क्र.	योजना का नाम	ग्राम का नाम	कृषकों की संख्या	मुआवजा राशि (लाख में)	लंबित वर्ष	मुआवजा राशि लंबित होने का कारण एवं स्तर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
3	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना	आमामुड़ा (नहर)	4	9.20	-	धारा 19 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन	
4	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना	आमामुड़ा (डुबान)	2	8.32	20.01.21	धारा 07 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन	
5	घौघा जलाशय योजना	मनपहरी	56	56.4	17.04.23	धारा 19 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन	
6	घौघा जलाशय योजना	कोरी	1	33.92	29.09.14	ग्रामसभा की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन	
7	बासाझाल तैदुआ जलाशय योजना	बासाझाल	10	27.04	19.01.23	सामाजिक समाघात की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	
8	अरुपा बैसाझार बैराज परियोजना	अमाली (डुबान)	8	50.72	22.09.23	धारा 19 की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन	
9	लारीपाया व्यपवर्तन योजना	छेरकाबांधा	9	8.16	09.09.24	धारा 11 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	
10	कोटसागर जलाशय योजना पूरक प्रकरण	घोरभाठा	1	0.56	24.09.25	सामाजिक समाघात अनुमोदन हेतु कार्यालय कलेक्टर में प्रक्रियाधीन	
11	बासाझाल व्यपवर्तन योजना	बिरगहनी	1	16.00	02.01.25	सामाजिक समाघात की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) स्तर पर प्रक्रियाधीन	
	योग:-		100	237.52			
	महायोग :-		522	1679.53			

Digitally signed by अवर सचिव
VIDYA BHARTI छत्तीसगढ़ शासन
Date: 02-03-2025 17:24:24

प्रपत्र-ब

कोटा विधानसभा क्षेत्र में अवाई पारित भू-उर्जन प्रकरणों के भुगतान की जानकारी

स.क्र.	योजना का नाम	ग्राम का नाम	प्रकरण क्र.	कृषकों की संख्या	कुल अर्जित रकबा (है. मे)	पारित अवाई की रशि (लाख मे)	कृषकों की संख्या जिनको भुगतान किया गया	भुगतान राशि (लाख मे)	कृषकों की संख्या जिनको भुगतान किया जाना है	भुगतान हेतु शेष राशि (लाख मे)	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जल संसाधन संभाग मरवाही		(01अ-82/2024-25)								
1	अरुणा उदरगम स्थल का विकास एवं जल कुण्ड निर्माण कार्य	पेण्ड्रा									
2	खारां जल संसाधन संभाग बिलासपुर										
1	ताछनपुर व्यपवर्तन योजना	खरगहना	03/अ-82/2010-11	57	13.495	73.59	41	50.18	16	23.41	
		लोमेर	04/अ-82/2010-11	30	4.536	30.87	24	21.9	6	8.97	
		गोबन्द	05/अ-82/2010-11	17	2.891	15.71	12	11.88	5	3.83	
		भाडम	06/अ-82/2010-11	16	3.015	22.39	14	20.87	2	1.52	
		घूटकु	07/अ-82/2010-11	28	2.806	39.52	21	34	7	5.52	
		निरपु	10/अ-82/2010-11	35	3.069	24.18	33	23.61	2	0.57	
			योग:-	183	29.812	206.26	145	162.44	38	43.82	
2	सिलदहा व्यपवर्तन योजना	सिलदहा (मुख्य नहर)	04/अ-82/2011-12	57	7.455	47.76	51	44.91	6	3.25	
		सिलदहा (खान)	05/अ-82/2011-12	19	3.993	53.53	13	53.53	6	5.73	
		कलमीटार	03/अ-82/2011-12	58	6.113	25.26	28	9.68	30	15.58	
			योग:-	134	17.561	126.55	92	108.12	42	24.56	
			कुल योग:-	317	47.373	332.81	237	270.56	80	68.38	
3	जल संसाधन संभाग कोटा										
1	लोरीपारा व्यपवर्तन योजना	छेरकाबाधा	10/अ-82/2020-21	42	2.241	70.29	26	39.66	16	30.63	
2	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना	छतौना	08/अ-82/2018-19	53	13.139	261.82	50	257.34	3	4.48	
			योग:-	95	15.38	332.11	76	297	19	35.11	

निरंक

प्रकरण अर्जित 09 किसानों की भूमि रकबा 1.945 है। जिसमें मांग अनुसार अनुमानित मुआवजा राशि 85872978.00 (आठ करोड़ अट्ठावन लाख बहत्तर हजार नौ सौ अठहत्तर) भू-उर्जन अधिकारी को जमा की जा चुकी है। परियोजना में प्रारंभिक अधिसूचना धारा-11 का राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक 26.12.2025 उपरान्त धारा-11(2) के अर्धीन दि. 12.01.2026 को दावा अपेक्षित हेतु कार्यवाही बैठक का आयोजन किया गया। वर्तमान में उक्त प्रकरण में धारा-15 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अरुणा नैसाधार परियोजना में शामिल होने के कारण विलोपन प्रस्ताव शासन को प्रेषित एवं प्रकरण यथास्थिति लंबित। शासन के निर्देशानुसार किसानों को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

कृषकों द्वारा फौली, नामांतरण एवं उपस्थिति नहीं होने के कारण एवं कृषकों द्वारा मुआवजा हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा करने के उपरान्त भुगतान किया

कृषकों के राजस्व खाते में त्रुटि, फौली एवं नामांतरण नहीं होने के कारण मुआवजा भुगतान लंबित है।

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
अवर सचिव
Date: 02-03-2026 छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
17:24:55

परोशेष्ट - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1082) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिला	विधानसभा क्षेत्र	ब्लाक	ग्राम पंचायत	प्रभावित ग्राम	LGD कोड	ग्राम	ग्राम कोड	मोबाइल टावर की उपलब्धता (हाँ/नहीं)	मोबाइल कवरेज की उपलब्धता (हाँ/नहीं)	किसी परियोजना में सम्मिलित (मोबाइल कवरेज नहीं होने दशा में)
1	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	अमंडोन	नहीं है	130949	अमंडोन	432253	हाँ	हाँ	
2	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	अंजनी	हाथी प्रभावित	295646	अंजनी	432214	हाँ	हाँ	
3	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	भेलकच्छ	हाथी प्रभावित	130957	अरछोका	432186	नहीं	नहीं	4G Saturation
4	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	बदवार	हाथी प्रभावित	130950	बदवार	432194	नहीं	हाँ	
5	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	बगड़ा	हाथी प्रभावित	130951	बगड़ा	432285	हाँ	हाँ	
6	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	बैकोना	नहीं है	130952	बैकोना	432250	नहीं	हाँ	
7	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	बंशीपुर	हाथी प्रभावित	130953	बंशीपुर	432287	हाँ	हाँ	
8	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	बरौल	नहीं है	295649	बरौल	432243	नहीं	हाँ	
9	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	बरबसपुर	हाथी प्रभावित	130954	बरबसपुर	432275	हाँ	हाँ	
10	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	बदवार	हाथी प्रभावित	130950	बरगीडीह	432196	नहीं	हाँ	
11	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	बरपतिया	हाथी प्रभावित	274880	बरपतिया	432192	हाँ	हाँ	
12	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	बतई	हाथी प्रभावित	295643	बतई	432199	नहीं	हाँ	
13	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	भरदा	हाथी प्रभावित	130955	भरदा	432230	हाँ	हाँ	
14	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	भोड़िया	हाथी प्रभावित	130956	भोड़िया	432207	हाँ	हाँ	
15	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	भेलकच्छ	हाथी प्रभावित	130957	भेल कच्छ	432187	नहीं	हाँ	
16	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	घुई	हाथी प्रभावित	130973	भुई	432191	नहीं	हाँ	
17	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	बोजहा	हाथी प्रभावित	130958	बोजहा	432297	हाँ	हाँ	
18	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	बोंगा	हाथी प्रभावित	130959	बोंगा	432195	हाँ	हाँ	
19	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	बुढ़ादांड	हाथी प्रभावित	274878	बुढ़ादांड	432271	नहीं	हाँ	
20	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	चंचीडांड-1	हाथी प्रभावित	130960	चंचीडांड	432204	नहीं	हाँ	
21	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	चंचीडांड-2	नहीं है	295645	चंचीडांड	432262	नहीं	हाँ	
22	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	चंदरपुर	हाथी प्रभावित	130961	चंदरपुर (कोठारी)	432295	हाँ	हाँ	
23	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	चंदौरा	हाथी प्रभावित	130962	चंदौरा	432232	हाँ	हाँ	
24	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	चंद्रेली	हाथी प्रभावित	130963	चंद्राइली	432260	नहीं	हाँ	
25	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	धरमपुर	हाथी प्रभावित	130968	दलदली	432266	नहीं	हाँ	
26	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	डंडकरवा	नहीं है	130964	डंडकरवन	432206	हाँ	हाँ	
27	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	दरहोरा	हाथी प्रभावित	130965	दरहोरा	432233	हाँ	हाँ	
28	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	दावनकरा	नहीं है	130966	दावनकरा	432221	नहीं	हाँ	
29	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	देवरी	हाथी प्रभावित	130967	देवरी	432215	हाँ	हाँ	
30	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	धरमपुर	हाथी प्रभावित	130968	धरमपुर	432280	हाँ	हाँ	
31	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	धौंधा	नहीं है	130969	धौंधा	432200	हाँ	हाँ	
32	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	भेलकच्छ	हाथी प्रभावित	130957	धुरिया	432189	नहीं	हाँ	
33	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	सेमई	नहीं है	274882	दोम्हाट	432240	नहीं	हाँ	
34	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	दुलदुली	हाथी प्रभावित	295642	दुलदुली	432193	हाँ	हाँ	
35	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	बरौल	नहीं है	295649	दुमर खोली	432242	नहीं	हाँ	
36	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	दुरती	नहीं है	130971	दुरती	432223	हाँ	हाँ	
37	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	गणेशपुर	हाथी प्रभावित	295703	गणेशपुर	432276	नहीं	हाँ	
38	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	गौरा	हाथी प्रभावित	130972	गौरा	432284	हाँ	हाँ	
39	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	घाटपंडारी	हाथी प्रभावित	295647	घाट पंडारी	432238	नहीं	हाँ	
40	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	धुमाडांड	हाथी प्रभावित	130970	धुमाडांड	432205	हाँ	हाँ	
41	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	जजावल	हाथी प्रभावित	130980	गिरिया	432213	नहीं	नहीं	दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की ओर पत्र प्रेषित
42	सूजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	गोंडा	नहीं है	130974	गोंडा	432222	हाँ	हाँ	

क्र.	जिला	विधानसभा क्षेत्र	ब्लाक	ग्राम पंचायत	प्रभावित ग्राम	LGD कोड	ग्राम	ग्राम कोड	मोबाइल टावर की उपलब्धता (हाँ/नहीं)	मोबाइल कवरेज की उपलब्धता (हाँ/नहीं)	किसी परियोजना में सम्मिलित (मोबाइल कवरेज नहीं होने दशा में)
43	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	गोरगी	हाथी प्रभावित	130975	गोरगी	432211	हाँ	हाँ	
44	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	गोटगवां	हाथी प्रभावित	130976	गोटगवां	432261	हाँ	हाँ	
45	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	गोवर्धनपुर	नहीं है	295754	गोवर्धनपुर	432202	नहीं	हाँ	
46	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	गोविंदपुर	हाथी प्रभावित	130977	गोविंदपुर	432197	हाँ	हाँ	
47	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	हरिहरपुर	नहीं है	130978	हरिहरपुर	432218	हाँ	हाँ	
48	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	जगनाथपुर	हाथी प्रभावित	130979	जगन्नाथपुर	432278	हाँ	हाँ	
49	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	जजावल	हाथी प्रभावित	130980	जजावल	432212	हाँ	हाँ	
50	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	झिंगाडोहर	हाथी प्रभावित	295707	झिंगाडोहर	432289	नहीं	हाँ	
51	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	कनकनगर	हाथी प्रभावित	130981	कनकनगर	432270	नहीं	हाँ	
52	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	करंजवार	हाथी प्रभावित	295648	करंजवार	432254	हाँ	हाँ	
53	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	करसी	हाथी प्रभावित	130982	करसी	432274	नहीं	हाँ	
54	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	केरता	हाथी प्रभावित	130983	केरता	432283	हाँ	हाँ	
55	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	केवरा	हाथी प्रभावित	130984	केवरा	432227	हाँ	हाँ	
56	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	खड़गवां कला	हाथी प्रभावित	130985	खड़गवां कला	432299	हाँ	हाँ	
57	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	खैराडीह	नहीं है	295695	खैराडीह	432256	नहीं	हाँ	
58	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	खजूरी	नहीं है	130986	खजूरी	432252	हाँ	हाँ	
59	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	खोरमा	नहीं है	130987	खोरमा	432255	हाँ	हाँ	
60	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	खुंशी	नहीं है	130988	खुंशी	432245	नहीं	हाँ	
61	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	कोरधा	हाथी प्रभावित	130989	कोरधा	432288	हाँ	हाँ	
62	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	कोटिया	हाथी प्रभावित	130990	कोटिया	432286	हाँ	हाँ	
63	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	लोलकी	नहीं है	130991	लोलकी	432247	हाँ	हाँ	
64	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	मदननगर	हाथी प्रभावित	130992	मदननगर	432277	नहीं	हाँ	
65	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	मडीदांड	हाथी प्रभावित	295705	मडीदांड	432282	नहीं	हाँ	
66	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	मझगवां	नहीं है	295650	मझगवां	432246	हाँ	हाँ	
67	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	मकनपुर	हाथी प्रभावित	130993	मकनपुर	432273	नहीं	हाँ	
68	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	मनी	नहीं है	130994	मनी	432244	नहीं	हाँ	
69	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	मनपुर	हाथी प्रभावित	130995	मनपुर	432281	नहीं	हाँ	
70	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	मरहटा	नहीं है	130996	मरहटा	432224	नहीं	हाँ	
71	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	मसगा	हाथी प्रभावित	295699	मसगा	432268	हाँ	हाँ	
72	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	मतिगारहा	नहीं है	130997	मतिगारहा	432220	हाँ	हाँ	
73	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	मयापुर (2)	हाथी प्रभावित	130999	मयापुर	432241	हाँ	हाँ	
74	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	मयापुर (1)	नहीं है	130998	मयापुर (मेंदरडांड)	432296	नहीं	हाँ	
75	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	नरोला	हाथी प्रभावित	131000	नरोला	432198	हाँ	हाँ	
76	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	घाटपंडारी	हाथी प्रभावित	295647	नवाधक्की	432210	नहीं	हाँ	
77	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	नवाडीह	हाथी प्रभावित	131001	नवाडीह	432269	नहीं	हाँ	
78	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	पहाड़करवा	नहीं है	131002	पहाड़ करवा	432209	नहीं	हाँ	
79	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	पहिया	नहीं है	131003	पहिया	432239	हाँ	हाँ	
80	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	पकनी	हाथी प्रभावित	131004	पकनी	432216	हाँ	हाँ	
81	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	पलधा	हाथी प्रभावित	131005	पलधा	432231	हाँ	हाँ	
82	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	पमपापुर	हाथी प्रभावित	131006	पमपापुर	432279	हाँ	हाँ	
83	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	पंडिया	हाथी प्रभावित	295773	पंडिया	432264	हाँ	हाँ	
84	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	झिंगाडोहर	हाथी प्रभावित	295707	पंडीडांड	432294	नहीं	हाँ	
85	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	परमेश्वरपुर	नहीं है	131007	परमेश्वरपुर	432217	नहीं	हाँ	
86	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	परवतिपुर	हाथी प्रभावित	295712	परवतिपुर	432228	नहीं	हाँ	
87	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	भेलकच्छ	हाथी प्रभावित	130957	पेंडारी	432188	नहीं	नहीं	4G Saturation
88	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	पेंडारी	हाथी प्रभावित	295701	पेंडारी	432265	हाँ	हाँ	
89	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	सेमरखुर्द	हाथी प्रभावित	131015	पोंडी	432236	हाँ	हाँ	
90	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	रामगवां	नहीं है	295652	रामगवां	432248	नहीं	हाँ	
91	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	रामकोला	हाथी प्रभावित	131008	रामकोला	432190	हाँ	हाँ	
92	सूँजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	रामपुर	नहीं है	131009	रामपुर	432208	हाँ	हाँ	

क्र.	जिला	विधानसभा क्षेत्र	ब्लाक	ग्राम पंचायत	प्रभावित ग्राम	LGD कोड	ग्राम	ग्राम कोड	मोबाइल टावर की उपलब्धता (हाँ/नहीं)	मोबाइल कवरेज की उपलब्धता (हाँ/नहीं)	किसी परियोजना में सम्मिलित (मोबाइल कवरेज नहीं होने दशा में)
93	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	शिवपुर	नहीं है	295651	रामपुर	432251	नहीं	हाँ	
94	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	रेवती	नहीं है	131010	रेवती	432203	हाँ	हाँ	
95	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	सरहरी	हाथी प्रभावित	131012	सरहरी	432235	हाँ	हाँ	
96	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	सत्तीपारा	नहीं है	274885	सत्तीपारा	432225	नहीं	हाँ	
97	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	सौतार	नहीं है	131013	सौतार	432259	नहीं	हाँ	
98	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	सेमई	नहीं है	274882	सेमई	432234	नहीं	हाँ	
99	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	सेमरकला	नहीं है	131014	सेमरा कलां	432258	हाँ	हाँ	
100	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	सेमरखुर्द	हाथी प्रभावित	131015	सेमरा खुर्द	432237	नहीं	हाँ	
101	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	मरहटा	नहीं है	130996	सेंधोपारा	432226	नहीं	हाँ	
102	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	सकलपुर	हाथी प्रभावित	131011	शकलपुर (सेमरिया)	432293	नहीं	हाँ	
103	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	शंकरपुर	हाथी प्रभावित	295708	शंकरपुर (लिपगी)	432290	नहीं	हाँ	
104	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	शिवपुर	नहीं है	295651	शिवपुर	432249	नहीं	हाँ	
105	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	श्यामनगर	नहीं है	131016	श्यामनगर	432292	हाँ	हाँ	
106	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	सिलौटा	नहीं है	131017	सिलौटा	432257	नहीं	हाँ	
107	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	सिलफिली	हाथी प्रभावित	295702	सिलफिली	432272	हाँ	हाँ	
108	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	सिंघरा	हाथी प्रभावित	131018	सिंघरा	432229	हाँ	हाँ	
109	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	सिंगरी	नहीं है	274887	सिंगरी	432219	नहीं	हाँ	
110	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	सोडीहा	नहीं है	131019	सोडीहा	432201	हाँ	हाँ	
111	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	सोंगरा	हाथी प्रभावित	131020	सोंगरा	432291	हाँ	हाँ	
112	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	सोनपुर	हाथी प्रभावित	131021	सोनपुर	432267	नहीं	हाँ	
113	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	सुखदेवपुर	हाथी प्रभावित	295706	सुखदेवपुर	432298	नहीं	हाँ	
114	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापपुर	टुकुडनाड	हाथी प्रभावित	131022	टुकुडांड	432263	हाँ	हाँ	
115	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	असंदीह	हाथी प्रभावित	131463	असंदीह	432082	हाँ	हाँ	
116	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	चरचरी	नहीं है	274827	बभनी	432087	नहीं	हाँ	
117	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	भरुहीबांस	नहीं है	274826	बगैनार	432088	हाँ	हाँ	
118	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	बलांगी	नहीं है	131466	बलांगी	432075	नहीं	हाँ	
119	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	बेबड़ी	नहीं है	295808	बेबड़ी	432074	हाँ	हाँ	
120	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	बेतो	नहीं है	274828	बेतो	432103	हाँ	हाँ	
121	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	भरुहीबांस	नहीं है	274826	भरुही बांस	432085	हाँ	हाँ	
122	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	लांडी	हाथी प्रभावित	131498	बिजाकुरा	432092	नहीं	हाँ	
123	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	चकदेही	नहीं है	295810	चकदेही	432080	नहीं	हाँ	
124	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	चवर्सराय	हाथी प्रभावित	295814	चनवारसराय	432104	नहीं	हाँ	
125	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	गुदारू	नहीं है	131480	चपोता	432078	नहीं	हाँ	
126	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	बभनी	हाथी प्रभावित	131464	चरचरी	432086	हाँ	हाँ	
127	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	शंकरपुर	नहीं है	131522	गवौर	432096	हाँ	हाँ	
128	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	गैना	हाथी प्रभावित	131475	गैना	432099	नहीं	हाँ	

क्र.	जिला	विधानसभा क्षेत्र	ब्लाक	ग्राम पंचायत	प्रभावित ग्राम	LGD कोड	ग्राम	ग्राम कोड	मोबाइल टावर की उपलब्धता (हाँ/नहीं)	मोबाइल कवरेज की उपलब्धता (हाँ/नहीं)	किसी परियोजना में सम्मिलित (मोबाइल कवरेज नहीं होने दशा में)
129	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	गिरवानी	हाथी प्रभावित	131476	गिरवानी	432102	हाँ	हाँ	
130	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	पटेवा	नहीं है	274825	गोबरदाहा	432076	नहीं	हाँ	
131	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	गुदरू	नहीं है	131480	गुदरू	432079	नहीं	हाँ	
132	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	गुरुमुती	हाथी प्रभावित	131481	गुरुमुती	432111	नहीं	हाँ	
133	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	हरदीबहारा	नहीं है	131482	हरदी बहारा	432072	नहीं	हाँ	
134	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	हरिगवां	नहीं है	131483	हरिगवां	432106	हाँ	हाँ	
135	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	जनकपुर	नहीं है	131485	जनकपुर	432089	नहीं	हाँ	
136	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	जवाराही	हाथी प्रभावित	131486	जौराही	432105	नहीं	हाँ	
137	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	झापर	हाथी प्रभावित	131487	झापर	432070	नहीं	हाँ	
138	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	जोगियानी	नहीं है	274824	जोगियानी	432077	हाँ	हाँ	
139	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	कमलपुर	नहीं है	131490	कमलपुर	432083	नहीं	हाँ	
140	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	करमडीहा (B)	हाथी प्रभावित	131491	करमडीहा	432084	हाँ	हाँ	
141	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	झापर	नहीं है	131487	करिमाटी	432069	हाँ	हाँ	
142	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	करीं	हाथी प्रभावित	295820	करीं	432066	नहीं	हाँ	
143	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	केसरी	नहीं है	131493	केसरी	432101	हाँ	हाँ	
144	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	कोगवार	नहीं है	131494	कोगवार	432067	नहीं	हाँ	
145	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	कोटी	हाथी प्रभावित	131496	कोटी	432107	हाँ	हाँ	
146	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	लांडी	हाथी प्रभावित	131498	लंगड़ी	432090	नहीं	हाँ	
147	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	लोधी	हाथी प्रभावित	131499	लोधी	432108	नहीं	हाँ	
148	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	मदनपुर	हाथी प्रभावित	295817	मदनपुर	432116	हाँ	हाँ	
149	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	गुरुमुती	हाथी प्रभावित	131481	मदना	432112	हाँ	हाँ	
150	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	महेवा	हाथी प्रभावित	131500	महेवा	432110	हाँ	हाँ	
151	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	मझौली	नहीं है	274839	मझौली	432073	हाँ	हाँ	
152	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	मुढिया	हाथी प्रभावित	295811	मुढिया	432091	नहीं	हाँ	
153	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	नवगई	हाथी प्रभावित	131505	नवगई	432097	हाँ	हाँ	
154	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	पेंडारी	नहीं है	131511	पेंडारी	432109	हाँ	हाँ	
155	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	पटेवा	नहीं है	274825	पटेवा	432071	हाँ	हाँ	

क्र.	जिला	विधानसभा क्षेत्र	ब्लाक	ग्राम पंचायत	प्रभावित ग्राम	LGD कोड	ग्राम	ग्राम कोड	मोबाइल टावर की उपलब्धता (हाँ/नहीं)	मोबाइल कवरेज की उपलब्धता (हाँ/नहीं)	किसी परियोजना में सम्मिलित (मोबाइल कवरेज नहीं होने दशा में)
156	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	रघुनाथनगर	नहीं है	131514	रघुनाथनगर	432095	हाँ	हाँ	
157	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	रमेशपुर	नहीं है	131516	रमेशपुर	432094	नहीं	हाँ	
158	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	सरना	नहीं है	131520	सरना	432100	हाँ	हाँ	
159	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	शंकरपुर	नहीं है	131522	शंकरपुर	432093	नहीं	हाँ	
160	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	सोनहत	हाथी प्रभावित	131526	सोनहत	432098	नहीं	हाँ	
161	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	तोरफा	हाथी प्रभावित	131530	तोरफा	432081	नहीं	हाँ	
162	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	रघुनाथपुर	तुंगवा	नहीं है	131531	तुंगवा	432068	हाँ	हाँ	
163	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	बैकुंठपुर	हाथी प्रभावित	274833	बैकुंठपुर	432143	हाँ	हाँ	
164	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	बजरा	नहीं है	274829	बजरा	432125	नहीं	हाँ	
165	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	बसंतपुर	नहीं है	131468	बसंतपुर	432130	हाँ	हाँ	
166	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	जमई	हाथी प्रभावित	274831	बसुलापथ	432131	नहीं	हाँ	
167	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	बेलसर	हाथी प्रभावित	131469	बेलसर	432147	नहीं	हाँ	
168	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	करमडीहा (B)	हाथी प्रभावित	131491	बेंगो	432138	नहीं	हाँ	
169	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	भगवानपुर	हाथी प्रभावित	0	भगवानपुर	956176	हाँ	हाँ	
170	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	रूपपुर	हाथी प्रभावित	131519	भोदर	946453	हाँ	हाँ	
171	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	चांदी	नहीं है	295821	चांदी	432146	नहीं	हाँ	
172	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	कुंडी	नहीं है	274830	धनवार	432127	हाँ	हाँ	
173	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	गोबरा	नहीं है	131477	गोबरा	432128	हाँ	हाँ	
174	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	गोंडला	हाथी प्रभावित	131478	गोंडला	432142	नहीं	हाँ	
175	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	गोवर्धनपुर	हाथी प्रभावित	131479	गोवर्धनपुर	432151	नहीं	हाँ	
176	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	पेंडारी	हाथी प्रभावित	131511	इकनारा	432113	हाँ	हाँ	
177	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	जमई	हाथी प्रभावित	274831	जमई	432132	नहीं	हाँ	
178	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	ककनेसा	हाथी प्रभावित	131489	ककनेसा	432120	नहीं	हाँ	
179	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	करमडीहा (K)	नहीं है	131492	करमडीहा	432150	नहीं	हाँ	
180	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	रामनगर	नहीं है	131517	खर्वा	432123	नहीं	हाँ	
181	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	कोल्हुवा	हाथी प्रभावित	131495	कोल्हुआ	432118	हाँ	हाँ	
182	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाड़फनगर	कोत्राही	हाथी प्रभावित	131497	कोत्राही	432134	हाँ	हाँ	

क्र.	जिला	विधानसभा क्षेत्र	ब्लाक	ग्राम पंचायत	प्रभावित ग्राम	LGD कोड	ग्राम	ग्राम कोड	मोबाइल टावर की उपलब्धता (हाँ/नहीं)	मोबाइल कवरेज की उपलब्धता (हाँ/नहीं)	किसी परियोजना में सम्मिलित (मोबाइल कवरेज नहीं होने दशा में)
183	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	कुंडी	हाथी प्रभावित	274830	कुंडी	432129	नहीं	हाँ	
184	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	लमोरी	हाथी प्रभावित	274832	लमोरी	432140	नहीं	हाँ	
185	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	महुली	हाथी प्रभावित	131501	महुली	432148	हाँ	हाँ	
186	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	मेंधारी	हाथी प्रभावित	131502	मेंधारी	432137	हाँ	हाँ	
187	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	मिथिलापुर	हाथी प्रभावित	131503	मिथिलापुर	432119	नहीं	हाँ	
188	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	मुस्कौल	हाथी प्रभावित	131504	मुस्कौल	432141	हाँ	हाँ	
189	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	पशुपतिपुर	हाथी प्रभावित	131510	पशुपतिपुर	432117	हाँ	हाँ	
190	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	पेंडारी	हाथी प्रभावित	131507	पेंडारी	432114	हाँ	हाँ	
191	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	फुलीडुमर	नहीं है	131512	फुलीडुमर	432126	हाँ	हाँ	
192	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	पेंडारी	हाथी प्रभावित	131511	पोखरा	432115	हाँ	हाँ	
193	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	प्रेमनगर	हाथी प्रभावित	131513	प्रेमनगर	432136	हाँ	हाँ	
194	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	राजखेता	हाथी प्रभावित	131515	राजखेता	432135	हाँ	हाँ	
195	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	रामनगर	हाथी प्रभावित	131517	रामनगर	432121	हाँ	हाँ	
196	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	रूपपुर	हाथी प्रभावित	131519	रूपपुर	432133	नहीं	हाँ	
197	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	सरुवत	नहीं है	131521	सरुवत	432124	हाँ	हाँ	
198	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	सरुवत	नहीं है	131521	शांतिपुर	432122	हाँ	हाँ	
199	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	शारदापुर (S)	हाथी प्रभावित	131524	शारदापुर	432149	हाँ	हाँ	
200	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	सुलसुली	हाथी प्रभावित	131527	सुलसुली	432145	हाँ	हाँ	
201	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	गोवर्धनपुर	हाथी प्रभावित	131479	सुरहुल	432152	हाँ	हाँ	
202	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	स्याही	हाथी प्रभावित	131529	स्याही	432139	नहीं	हाँ	
203	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	वीरन्द्रनगर	हाथी प्रभावित	131532	वीरन्द्रनगर	432144	नहीं	हाँ	
204	बलरामपुर-रामानुजगंज	प्रतापपुर	वाङ्गनगर	वाङ्गनगर	हाथी प्रभावित	131532	वाङ्गनगर	956116	हाँ	हाँ	

पॉरिशेष्ट - नों

तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क. 368) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से हुई मृत्यु के संबंध में जानकारी

स. क्र.	जिले का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या	यितरित राशि (रूपये में)
1	रायपुर	9	36,00,000.00
2	माहासमुंद	11	44,00,000.00
3	धमतरी	8	32,00,000.00
4	गरियाबंद	5	20,00,000.00
5	बलौदाबाजार	18	72,00,000.00
6	दुर्ग	6	24,00,000.00
7	राजनांदगांव	8	32,00,000.00
8	कबीरधाम	17	68,00,000.00
9	बेमेतरा	4	16,00,000.00
10	बालोद	6	24,00,000.00
11	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	2	8,00,000.00
12	मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी	3	12,00,000.00
13	बिलासपुर	13	36,00,000.00
14	रायगढ़	13	52,00,000.00
15	कोरबा	26	1,04,00,000.00
16	मुंगेली	10	40,00,000.00
17	जांजगीर - चांपा	18	72,00,000.00
18	सक्ति	4	16,00,000.00
19	सारंगढ़-बिलाईगढ़	8	32,00,000.00
20	गौरीला-पेण्ड्रा-मरवाही	26	1,04,00,000.00
21	सरगुजा	37	1,48,00,000.00
22	जशपुर	26	1,04,00,000.00
23	कोरिया	22	88,00,000.00
24	बलरामपुर	51	2,04,00,000.00
25	सूरजपुर	16	64,00,000.00
26	मनेन्द्रगढ़-घिरमिरी-भरतपुर	9	32,00,000.00
27	बस्तर	13	48,00,000.00
28	दंतेवाड़ा	10	40,00,000.00
29	कांकेर	11	44,00,000.00
30	सुकमा	7	28,00,000.00
31	बीजापुर	5	20,00,000.00
32	कोंडागांव	11	44,00,000.00
33	नारायणपुर	1	4,00,000.00
	योग	434	17,28,00,000.00

ii =

**अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पहुंच मार्ग और पुलिया की जानकारी
(प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना)**

क्र.	विधानरा भा क्षेत्र	विकासखण्ड	क्षतिग्रस्त सड़क का नाम	सड़क/पुलिया क्षतिग्रस्त	क्षति का विवरण	ग्राम का नाम	किये गये सुधार कार्य का विवरण	सुधार कार्य हेतु अनुमानित लागत राशि (लाख में)	रिमार्क
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	बडाजी भादुपारा सुरगुडा रोड 15.00 किमी से भादुपारा	सड़क	सड़क क्षतिग्रस्त	सुरगुडा	आवागमन चालू है	40.00	
2	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	बाजारपारा धराउर से मंदरी वाया डूमरगुडा	सड़क	सड़क एवं सोल्डर क्षतिग्रस्त	डूमरगुडा	आवागमन चालू है	20.00	
3	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	डूमरगुडा से डोगरीपारा	सड़क	सड़क एवं टोवाल क्षतिग्रस्त	डोगरीपारा	एप्रोच रोड आवागमन चालू है	25.00	
4	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	बारसुर रोड आर डी 20.00 किमी से मुण्डीपारा (भेजा)	सड़क	सड़क क्षतिग्रस्त	भेजा	एप्रोच रोड आवागमन चालू है	10.00	
5	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	पानीग्राहीपारा बीता से माहरापारा (करेकोट)	पुलिया	पुलिया क्षतिग्रस्त	करेकोट, सतसपुर	मिट्टी कार्य किया गया।	60.00	
6	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	उसरीबेडा भादुपारा रोड 21 कि.मी. स्कूलपारा	पुलिया	पुलिया क्षतिग्रस्त	स्कूलपारा	आवागमन चालू है	99.00	
7	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	मिचनार से गुमतुमडी	पुलिया	पुलिया क्षतिग्रस्त	गुमतुमडी	कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।	20.00	
8	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	बडेगुमियापाल सिलकझोडी से पटेलपारा	पुलिया	पुलिया एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	पटेलपारा	-	110.00	पीएमजीएसवाय-4 में स्वीकृत (निविदा प्रक्रियाधीन)
9	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	कुधर रोड से पटेलपारा छोटेगुमियापाल	पुलिया	पुलिया एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	छोटेगुमियापाल	-	50.00	
10	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	पटेलपारा सुलेगा से बनियापारा	पुलिया	पुलिया एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	सुलेगा	3 मी. पुलिया निर्माण कार्य प्रगतिपर	30.00	
11	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	लखीबेडा खासपारा से छोटेलापाल 6MX3 Span पुलिया निर्माण	पुलिया	पुलिया क्षतिग्रस्त	लखीबेडा, छोटेलापाल	-	60.00	
12	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	उसरीबेडा बारसुर रोड आर डी 16.00 कि.मी. से पटेलपारा नेगानार	पुलिया	पुलिया क्षतिग्रस्त	नेगानार	एप्रोच रोड आवागमन चालू है	30.00	
13	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	भादुपारा रोड गरदा से पुजारीपारा	पुलिया	पुलिया एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	पुजारीपारा	-	80.00	पीएमजीएसवाय-4 में स्वीकृत (निविदा प्रक्रियाधीन)
14	चित्रकोट	बास्तानार	बडेकिलेपाल से पखनार वाया पालानार रोड	सड़क	सड़क एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	पालानार, पखनार	एप्रोच रोड आवागमन चालू है	60.00	
15	चित्रकोट	बास्तानार	बास्तानार से मुतनपाल	सड़क	सड़क एवं टो-वाल क्षतिग्रस्त	मुतनपाल	आवागमन चालू है	45.00	
16	चित्रकोट	बास्तानार	कोडेनार से अलनार वाया गरदा	सड़क	सड़क एवं पुलिया क्षतिग्रस्त	गरदा, कोडेनार, अलनार	एप्रोच रोड आवागमन चालू है	48.00	वर्तमान में 6 मी. पुलिया का कार्य प्रगतिपर है।
17	चित्रकोट	बास्तानार	बहनपुर से कोरगाली डोकाम मार्ग	सड़क	सड़क क्षतिग्रस्त	डोकाम, बहनपुर, कोरगाली	एप्रोच रोड आवागमन चालू है	60.00	
18	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच.-16 बुल्लीपारा रोड आर.डी.0.70 किमी से बरझेपाल	सड़क	सड़क एवं पाईप कलवर्ट क्षतिग्रस्त	बुल्लीपारा, बरझेपाल	एप्रोच रोड आवागमन चालू है	14.00	
19	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच. 16 आर.डी. 466.80 किमी (मटपारा) से बुल्लीपारा	सड़क	सड़क क्षतिग्रस्त	मटपारा, बुल्लीपारा, पाकलुपारा	आवागमन चालू है	14.00	क्षतिग्रस्त कार्य को सुधार कर लिया गया है।
20	चित्रकोट	बास्तानार	मुतनपाल पटेलपारा से नकटोका	सड़क	सड़क एवं टो-वाल क्षतिग्रस्त	नकटोका	आवागमन चालू है	55.00	क्षतिग्रस्त कार्य को सुधार कर लिया गया है।
21	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच. 16 कि.मी. 459.60 से बांडापारा बडेकिलेपाल	सड़क	सड़क एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	बांडापारा	आवागमन चालू है	70.00	
22	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच.-16 आर.डी. 443.50 किमी से नारोडीपारा बागमुंडी	सड़क	सड़क एवं टो-वाल क्षतिग्रस्त	नारोडीपारा	आवागमन चालू है	40.00	
23	चित्रकोट	बास्तानार	पालानार पटेलपारा से पालानार डोगरीपारा	सड़क	सड़क, पुलिया एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	डोगरीपारा	आवागमन चालू है	80.00	नवीनीकरण कार्य स्वीकृत है।
24	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच.-16 आर.डी. 450.6 किमी डंकापारा बास्तानार व्हाया पांडुपारा	सड़क	सड़क एवं पुलिया क्षतिग्रस्त	पांडुपारा	आवागमन चालू है	90.00	
25	चित्रकोट	बास्तानार	बास्तानार डब्बापारा बडेकाकलूर रोड (आर.डी. 14.80 किमी) से कड़ागोन्दी बडेकाकलूर	सड़क	सड़क एवं पुलिया क्षतिग्रस्त	कड़ागोन्दी	आवागमन चालू है	120.00	सुधार कार्य कर लिया गया है।
26	चित्रकोट	बास्तानार	मुतनपाल से मुसकोन्टा सड़क आर.डी. 1.40 कि.मी.	पुलिया	पुलिया एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	मुसकोन्टा	मिट्टी कार्य किया गया। आवागमन चालू है।	45.00	

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	क्षतिग्रस्त सड़क का नाम	सड़क/पुलिया क्षतिग्रस्त	क्षति का विवरण	ग्राम का नाम	किये गये सुधार कार्य का विवरण	सुधार कार्य हेतु अनुमानित लागत राशि (लाख में)	टिप्पणी
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच.16 नाकापारा लालागुडा रोड आर.डी. 7.3 किमी से सरगीगुडा	पुलिया	पुलिया एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	लालागुडा	एप्रोच रोड आवागमन चालू है	58.00	बजट 2026 में पुलिया स्वीकृत हुई है।
28	चित्रकोट	बास्तानार	तुरंगपुर पटेलपारा से पिरमेटा	पुलिया	पुलिया एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	पिरमेटा, तुरंगपुर, पटेलपारा	-	96.00	
29	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच.-16 रोड 454.80 किमी से परालमेटा	पुलिया	पुलिया एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	परालमेटा, इरपा, भूदुपारा	-	56.00	
30	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच.-16 आर.डी. 448.50 किमी से लामडीपारा बास्तानार	पुलिया	पुलिया एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	लामडीपारा	एप्रोच रोड आवागमन चालू है	26.00	
31	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच.-16 आर.डी. 443.00 किमी से बैसुपारा यहनपुर	पुलिया	पुलिया एवं सड़क क्षतिग्रस्त	यहनपुर, कोरंगली, डोकाम	एप्रोच रोड आवागमन चालू है	45.00	
32	चित्रकोट	बास्तानार	सांगवेल से कोलेगपारा	पुलिया	पुलिया एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	कोलेगपारा	एप्रोच रोड आवागमन चालू है	140.00	
33	चित्रकोट	बास्तानार	बास्तानार से डबबापारा बडेककलुर	पुलिया	पुलिया एवं सड़क क्षतिग्रस्त	डबबापारा	आवागमन चालू है	120.00	
34	चित्रकोट	बास्तानार	बडेकिलेपाल से पवनार याया पालानार रोड 300 मी.	सड़क व पुलिया	पुलिया क्षतिग्रस्त	पालानार	एप्रोच रोड आवागमन चालू है	220.00	बजट 2026 में स्वीकृत है।
35	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच. 16 कि.मी. 459.60 से बांडापारा बडेकिलेपाल	पुलिया	पुलिया एवं सड़क क्षतिग्रस्त	बांडापारा	एप्रोच रोड आवागमन चालू है	220.00	बजट 2026 में स्वीकृत है।
36	चित्रकोट	बास्तानार	बास्तानार बडेपारा बडेककलुर रोड (आर.डी. 4.9 किमी) से भुदुपारा इरपा	पुलिया	पुलिया एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	भुदुपारा, इरपा	आवागमन चालू है	70.00	
37	चित्रकोट	बास्तानार	बास्तानार नाकटोका रोड से डोगरीपारा	पुलिया	पुलिया एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	डोगरीपारा	आवागमन चालू है	45.00	
38	चित्रकोट	बास्तानार	बास्तानार से सांगवेल	पुलिया	पुलिया एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	सांगवेल	आवागमन चालू है	70.00	नवीनीकरण कार्य स्वीकृत है।
39	चित्रकोट	बास्तानार	बास्तानार डबबापारा बडेककलुर रोड आर.डी. 17.00 किमी. से नवारपारा कापानार	पुलिया	पुलिया एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	कापानार	आवागमन चालू है	80.00	
40	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच.-16 आर.डी. 444.80 किमी से गुडडीपारा कडोली	पुलिया	पुलिया एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	गुडडीपारा	आवागमन चालू है	60.00	
41	चित्रकोट	दरमा	जेके नेगानार रोड आर.डी. 19.50 कि.मी. से कांडकीरास	सड़क व पुलिया	सड़क क्षतिग्रस्त	चितापुर, दोडरोपाल, नेगानार, कांडकीरास	एप्रोच रोड आवागमन चालू है	500.00	
42	चित्रकोट	दरमा	एन.एच.16 जे.के. रोड नेगानार आर.डी. 3.00 किमी. से डेगामपारा	पुलिया	पुलिया एवं एप्रोच क्षतिग्रस्त	डेगामपारा	एप्रोच रोड आवागमन चालू है	50.00	
43	चित्रकोट	तोकापाल	एन.एच. 16 किमी 474.60 से पटेलपारा	सड़क	सड़क एवं सोल्डर क्षतिग्रस्त	बुरुगपाल,पटेलपारा	सुधार कार्य कर लिया गया है	25.00	
44	चित्रकोट	तोकापाल	एन.एच.-16 आर.डी. 472.00 किमी से पटेलपारा	सड़क	सड़क एवं सोल्डर क्षतिग्रस्त	बुरुगपाल,पटेलपारा	आवागमन चालू है	10.00	
45	चित्रकोट	तोकापाल	बारुपाटा मुख्य मार्ग रायकोट सालेपाल मार्ग से कलेपाल	सड़क	सड़क क्षतिग्रस्त	कलेपाल	आवागमन चालू है	20.00	
46	चित्रकोट	तोकापाल	धानागुडीपारा से पटेलपारा (माटकोट)	सड़क	सड़क क्षतिग्रस्त	माटकोट	आवागमन चालू है	12.00	
47	चित्रकोट	तोकापाल	मेटावाडा से राजूर (मुसरीगुडा)	पुलिया	पुलिया एवं सड़क क्षतिग्रस्त	मुसरीगुडा	आवागमन चालू है	68.00	
योग :-								3366.00	

(लोक निर्माण विभाग उत्तर बस्तर संभाग-1) बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्गों की जानकारी					
क्र.	विधानसभा का नाम	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	लोकेशन	अनुमानित लागत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	चित्रकोट	तोकापाल	पाराकोट सोसनपाल मार्ग लंबाई 25.50 कि.मी.	2/6 से 3/2	326.58
2	चित्रकोट	तोकापाल	मिचनार बारुपाटा मार्ग लंबाई 5.60 कि.मी.	2/8	21.80
3	चित्रकोट	तोकापाल	डिमरापाल सरगीपाल मार्ग लंबाई 4.00 कि.मी.	4/4	25.53
4	चित्रकोट	तोकापाल	मण्डवा पहुंच मार्ग लंबाई 4.00 कि.मी.	2/6	10.00
5	चित्रकोट	तोकापाल	रायकोट सालेपाल कुरेंगा मार्ग लंबाई 23.40 कि.मी.	6/7, 7/8	17.34
योग :- 5 कार्य					401.25
1	चित्रकोट	दरभा	नानगुर नेतानार कोलेंग मार्ग लंबाई 25.50 कि.मी.	16/2, 17/10 एवं 24/2	240.6
योग :- 1 कार्य					240.6
महायोग :- 6 कार्य					641.85

(लोक निर्माण विभाग उत्तर बस्तर संभाग-2)					
बाद से क्षतिग्रस्त मार्गों की जानकारी					
क्र.	विधानसभा का नाम	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	लोकेशन कि.मी.	अनुमानित लागत राशि (लाख में)
1	2	3	5	6	7
1	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	एरमुर - कस्तुरपाल मार्ग के कि.मी. 6/2 में मध्यम पुल क्षतिग्रस्त	6/2	77.98
2	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	एरमुर - कस्तुरपाल मार्ग	2/10	10.22
3	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	तोयर से सुरगुड़ा मार्ग के कि.मी. 2/4 में मध्यम पुल क्षतिग्रस्त	2/4	40.90
4	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	तोयर से सुरगुड़ा मार्ग के कि.मी. 5/4 में मध्यम पुल क्षतिग्रस्त	5/4	11.60
5	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	चित्रकोट बारसूर मार्ग	36/4	26.57
6	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	चित्रकोट बारसूर मार्ग	19/2	6.99
7	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	चित्रकोट बारसूर मार्ग	18/8	3.47
8	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बडांजी - आंजेर बास्तानार मार्ग	8/6	27.64
9	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बडांजी - आंजेर बास्तानार मार्ग	17/6	10.26
10	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बाघमारा (पारापुर) से ईरिंकपाल मार्ग	2/10	40.34
11	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	जगदलपुर-चित्रकोट मार्ग	35/8	3.63
12	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	जगदलपुर-चित्रकोट मार्ग	33/8	7.10
13	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	जगदलपुर-चित्रकोट मार्ग	33/4	10.78
14	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	लोहण्डीगुड़ा - गडिया अलनार गड़दा कोडेनार मार्ग	4/6	6.88
15	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	लोहण्डीगुड़ा - गडिया अलनार गड़दा कोडेनार मार्ग	6/10 एवं 7/2	14.76
16	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	लोहण्डीगुड़ा - गडिया अलनार गड़दा कोडेनार मार्ग	12/8	17.68
17	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बंदरंगा से लिमउपदर मार्ग	3/10	16.50
18	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बंदरंगा से लिमउपदर मार्ग	2/2	8.00
19	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बेलर से सिरिसगुड़ा चौक मार्ग	1/10	5.95
20	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बड़ेधाराउर से मॉडल स्कूल लामड़ागुड़ा मार्ग	2/4	7.42
21	चित्रकोट	दरभा	डिलमिली - डोडरेपाल मार्ग के कि.मी. 4/6 (A) में मध्यम पुल क्षतिग्रस्त	4/6 (A)	17.49
22	चित्रकोट	दरभा	डिलमिली - डोडरेपाल मार्ग	4/6	45.96
23	चित्रकोट	दरभा	मण्डवा काकडीपदर पटेलपदर ढोडरेपाल मार्ग	4/4	9.54
24	चित्रकोट	दरभा	ढोडरेपाल चितापुर मार्ग	3/8	11.30
25	चित्रकोट	दरभा	चिंगपाल मावलीपदर मार्ग	1/4	6.53
26	चित्रकोट	दरभा	तिरथगढ़ पहुंच मार्ग	5/4	21.29
27	चित्रकोट	दरभा	दरभा कटेकल्याण मार्ग	14/4	19.66
28	चित्रकोट	दरभा	दरभा कटेकल्याण मार्ग	19/10	6.84
29	चित्रकोट	दरभा	दरभा कटेकल्याण मार्ग	20/6	9.46
30	चित्रकोट	दरभा	दरभा कटेकल्याण मार्ग	22/4	4.49
31	चित्रकोट	दरभा	दरभा कटेकल्याण मार्ग	24/10	16.24

क्र.	विधानसभा का नाम	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	लोकेशन कि.मी.	अनुमानित लागत राशि (लाख में)
1	2	3	5	6	7
32	चित्रकोट	दरभा	दरभा कटेकल्याण मार्ग	19/4	18.94
33	चित्रकोट	दरभा	डिलमिली - पखनार मार्ग	6/10	89.33
34	चित्रकोट	दरभा	डिलमिली - पखनार मार्ग	17/10	5.65
35	चित्रकोट	दरभा	डिलमिली - पखनार मार्ग	19/8	28.28
36	चित्रकोट	दरभा	बुडगीभाटा चितापुर मार्ग	2/8	2.17
37	चित्रकोट	बास्तानार	मुतनपाल-चालानपारा -पुजारीपारा-मुसकोण्टा मार्ग	1/10	68.82
38	चित्रकोट	बास्तानार	मुतनपाल-चालानपारा -पुजारीपारा-मुसकोण्टा मार्ग	4/2	17.86
39	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच.-16 से तुरागुर - लालागुड़ा - मुतनपाल मार्ग के कि.मी. 7/8 में मध्यम पुल क्षतिग्रस्त	7/8	54.65
40	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच.-16 से तुरागुर - लालागुड़ा - मुतनपाल मार्ग	9/10	45.96
41	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच.-16 से तुरागुर-लालागुड़ा - मुतनपाल मार्ग	5/10	14.75
42	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच.-16 से तुरागुर-लालागुड़ा - मुतनपाल मार्ग	7/4	5.92
43	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच.-16 से तुरागुर-लालागुड़ा - मुतनपाल मार्ग	10/10	8.92
44	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच.-16 से पटेलपारा मार्ग	1/4	15.70
45	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच.-16 से पटेलपारा मार्ग	1/8	8.62
46	चित्रकोट	बास्तानार	एन.एच.-16 से पटेलपारा मार्ग	2/10	4.08
47	चित्रकोट	बास्तानार	मुतनपाल - बुरगुम मार्ग	3/10	28.15
48	चित्रकोट	बास्तानार	मुतनपाल - बुरगुम मार्ग	4/4	2.36
49	चित्रकोट	बास्तानार	बोदेनार से कावड़गांव मार्ग	3/2	7.14
योग:- 49					950.77

(लोक निर्माण विभाग सेतु)							
बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलों की जानकारी							
स.क्र.	विधानसभा का नाम	विकासखण्ड का नाम	प्रभावित मार्ग का नाम	प्रभावित पुल का लोकेशन एवं प्रभावित ग्राम का नाम	वर्तमान में आवागमन की स्थिति बाधित / चालू	मरम्मत हेतु अनुमानित आवश्यक राशि (लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	जगदलपुर-चित्रकोट से बारसुर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग)	मांढेर नाला कि.मी. 36/6 ग्राम-रेखा	चालू	35.71	कार्य के मरम्मत हेतु एफ.डी.आर मद में स्वीकृती हेतु राशि रु. 35.71 लाख का प्राक्कलन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2174/तक/2025/जगदलपुर दिनांक 17.10.2025 द्वारा अधिक्षण अभियंता को प्रेषित।
2	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	जगदलपुर-चित्रकोट मार्ग (मुख्य जिला मार्ग)	बहार नाला कि.मी. 35/10 ग्राम-चित्रकोट	चालू	67.43	कार्य के मरम्मत हेतु एफ.डी.आर मद में स्वीकृती हेतु राशि रु. 67.43 लाख का प्राक्कलन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2174/तक/2025/जगदलपुर दिनांक 17.10.2025 द्वारा अधिक्षण अभियंता को प्रेषित।
3	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	लालागुड़ा-आंजेर मार्ग (ग्रामीण मार्ग)	मांढेर नाला कि.मी. 1/2 ग्राम-आंजेर	चालू	115.96	कार्य के मरम्मत हेतु एफ.डी.आर मद में स्वीकृती हेतु राशि रु. 115.96 लाख का प्राक्कलन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2174/तक/2025/जगदलपुर दिनांक 17.10.2025 द्वारा अधिक्षण अभियंता को प्रेषित।
4	चित्रकोट	बारस्तानार	तुरांगुर-पटेलपार I से रामधरपारा (ग्रामीण मार्ग)	कुरुष नाला कि.मी. 1/2 ग्राम-तुरांगुर	चालू	26.40	कार्य के मरम्मत हेतु एफ.डी.आर मद में स्वीकृती हेतु राशि रु. 26.40 लाख का प्राक्कलन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2174/तक/2025/जगदलपुर दिनांक 17.10.2025 द्वारा अधिक्षण अभियंता को प्रेषित।
			योग:- 04 कार्य			245.50	

राष्ट्रीय राजमार्ग(एन.एच.) बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलों की जानकारी							
स.क्र.	विधानसभा का नाम	विकासखण्ड का नाम	प्रभावित मार्ग का नाम	प्रभावित पुल का लोकेशन एवं प्रभावित ग्राम का नाम	वर्तमान में आवागमन की स्थिति बाधित / चालू	मरम्मत हेतु अनुमानित आवश्यक राशि (लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चित्रकोट	बास्तानार	भोपालपटनम - जगदलपुर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 63)	नाला कि.मी. 158. 400 ग्राम-बागमुंडी पनेरा	चालू	77.24	निविदा स्तर पर निविदा आमंत्रण दिनांक 04.02. 2026 निविदा खोलने की तिथि 25.03. 2026

परिशेष - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 1630) की जानकारी

युपल

परिवहन जॉच चौकियों में स्थापित एएनपीआर कैमरा

स.क्र.	जिला का नाम	जॉच चौकी का नाम
1	राजनांदगांव	पाटेकोहरा
2	राजनांदगांव	छोटा मानपुर
3	राजनांदगांव	मानपुर
4	कबीरधाम	चिल्फी
5	महासमुन्द	खम्हारपाली
6	महासमुन्द	बागबाहरा
7	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	केंवची
8	बलरामपुर	धनवार
9	बलरामपुर	रामानुजगंज
10	कोरिया	घुटरीटोला
11	कोरिया	चांटी
12	रायगढ़	रेंगारपाली
13	जशपुर	लावाकेरा
14	जशपुर	शंख
15	सुकमा	कोंटा
16	जगदलपुर	धनपूजी

K

अनुपाग अधिकारी
परिवहन विभाग
संग्रहलय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परिशिष्ट - बारह

परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 61) की जानकारी

प्रपत्र

सिंचाई सुविधा बढ़ाने(जोड़ने) हेतु स्वीकृत योजनाएँ

(राशि लाख में)

स.क्र.	योजना का नाम	विकास खण्ड	प्रशासकीय स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक	लागत	बजट प्रावधान वर्ष 2025-26	रूपांकित क्षेत्र (हे.में)		व्यय 01/2026	कार्य की स्थिति		एजेंसी का नाम	निर्मित सिंचाई (हेक्ट.)	रिमाक	
						खरीफ	रबी		योग	शौर्य कार्य				नहर कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
जिला- दक्षिण बस्तर दत्तोबाड़ा														
1	कटेकल्याण तालाब	कटेकल्याण	छ.ग. शा. ज.सं.वि. मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र क्र. 5756 /32/13/93/ लसी/31/ रायपुर दिनांक - 05.10.2006	211.96	0.00	200	86	286	56.55	11.41%	0%	-	0	कृषकों द्वारा भूमि नहीं देने का विरोध होने के कारण भू-अर्जन प्रकरण नस्तीबंध। कार्य विलोपन प्रस्तावित
2	फूलपाई जलाशय योजना	कुआकोण्डा	छ.ग.शासन रायपुर के पृ. क्र. /2733/एफ-2-89/एस-2/31/2014 नया रायपुर, दि. 01.06.2015	197.02	0.00	82	0	82	33.71	0%	0%	श्री एपीओ निर्माण ए क्लास कांटेक्टर रायपुर	0	कृषकों द्वारा भूमि नहीं देने का विरोध होने के कारण कार्य अपारंभ।
3	उदेली जलाशय योजना	कुआकोण्डा	छ.ग.शासन रायपुर के पृ. क्र. /5031/एफ-2-44/31/एस-2/2015 नया रायपुर, दि. 31.10.2015	589.49	0.00	182	28	210	20.95	0%	0%	.	0	कृषकों द्वारा भूमि नहीं देने का विरोध होने के कारण भू-अर्जन प्रकरण नस्तीबंध। कार्य विलोपन प्रस्तावित
4	समलूर जलाशय	भीदम	छ.ग.शासन रायपुर के पृ. क्र. /5036/एफ-2-182/31/एस-2/31/2012 रायपुर, दि. 01.12.16	952.51	25.00	200	48	248	698.55	70%	50%	मेसर्स माला मोहन बिल्डर्स दुर्ग	0	योजना के अंतर्गत वन प्रभावित क्षेत्र का अंतिम चरण की स्वीकृति विलंब से प्राप्त होने के निर्माण कार्य प्रभावित।
5	गाटम व्यपवर्तन	कटेकल्याण	छ.ग.ज.सं.वि. मंत्रालय कल्याण सिंह रायपुर के पृ. क्र. 6983/एफ-1-186/31/एस-2/06, रायपुर दिनांक ' 22.11.2006	739.49	0.00	1150	350	1500	278.41	100%	0%	-	0	कृषकों द्वारा नगर निर्माण हेतु भूमि नहीं देने का विरोध किया गया है नहर कार्य अपारंभ।
6	झीटकीपारा (बारसूर) व्यपवर्तन योजना	भीदम	छ.ग.शासन ज.सं.वि. मंत्रालय रायपुर के पृ. क्र.913/एफ-2-58/31/एस-2/2014 नया रायपुर, दिनांक 16.02.2015	730.11	0.00	400	-	400	0.00	0%	0%	-	0	क्षेत्र संवेदनशील एवं भू-अर्जन प्रकरण में विलंब के कारण कार्य प्रभावित।
7	बड़े तुमनार एनीकट	भीदम	छ.ग.शासन रायपुर के पत्र क्र. /7494/एफ-2-199/31/एस-2/2012, रायपुर, दिनांक - 02.11.2012	406.59	0.00	225	0	225	317.42	80%	-	मेसर्स तलत कस्ट्रक्शन अंबिकापुर	0	अति वृष्टि के कारण योजना हतियस्त। पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित। स्वीकृति अभावित।

स.क्र.	योजना का नाम	विकास खण्ड	प्रशासकीय स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक	लागत	वजट प्राक्खान वर्ष 2025-28	रूपान्कित क्षेत्र (हे.से.)			व्यय 01/ 2028	कार्य की स्थिति		एजेंसी का नाम	निर्मित सिंचाई (हेक्ट.)	रिमार्क
						खरीफ	रबी	योग		शीर्ष कार्य	नहर कार्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	कौडियापारा एनीकट (ग्राम पंचायत भुसावस) निर्माण कार्य	कटकल्याण	छ.ग. शा. ज.स.वि. मंत्रा महानदी भवन रायपुर का आ.क्र. 817/एफ 2-81/31/एस-2/2023, नवा रायपुर, दिनांक - 26.02.2024	260.46	2.00	70	-	70	43.66	60%	-	मेसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन, वर्ग - "ब" ठेकेदार, कोण्डागाँव	0	कार्य प्रगतिरत। माह - 03/2026 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।
योग :-				4087.63	27.00	2509	512	3021	1449.25				0	

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 02-03-2026
11:06:04

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

परिशेष - तेरह
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 129) की जानकारी

प्रपत्र

स. क्रं.	योजना का नाम	विधानसभा क्षेत्र	विकासखंड	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	बेला जलाशय	रामपुर	कोरबा	
2	बताती जलाशय	रामपुर	कोरबा	
3	केराकछार जलाशय	रामपुर	करतला	
4	सलिहाभाठा जलाशय	रामपुर	करतला	
5	जुनवानी जलाशय	रामपुर	करतला	
6	नवापारा जलाशय	रामपुर	करतला	
7	केहरानाला जलाशय	रामपुर	करतला	
8	बोकरदा जलाशय	रामपुर	करतला	
9	चिताखोल जलाशय	रामपुर	करतला	
	कुल 09			
1	गिराव व्यपवर्तन	रामपुर	करतला	
2	कचण्डी व्यपवर्तन	रामपुर	करतला	
3	सोल्वा व्यपवर्तन	रामपुर	करतला	
4	चुईया व्यपवर्तन	रामपुर	करतला	
5	बोराई नाला व्यपवर्तन	रामपुर	करतला	
6	घिनारा व्यपवर्तन	रामपुर	कोरबा	
	कुल 06			
1	चितापाली एनीकट	रामपुर	कोरबा	
2	करमंदी एनीकट	रामपुर	कोरबा	
3	कुरुडीह एनीकट	रामपुर	कोरबा	
4	कुदुरमाल एनीकट	रामपुर	कोरबा	
5	रुगबहरी एनीकट	रामपुर	कोरबा	
6	मुकुन्दपुर एनीकट	रामपुर	करतला	
7	पुरेना एनीकट	रामपुर	करतला	
	कुल 07			

Digitally signed by
VIDYA BHARTI अवर सचिव
Date: 02-03-2025
16:55:18 मगद शासन
जल संसाधन विभाग,

परिशेष - चौदह
परिवाह अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 314) की जानकारी

प्रपत्र - अ

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में लंबित विद्युत कनेक्शन (घरेलू, कृषि, गैर घरेलू लाईन विस्तार सहित) की वर्षवार जानकारी

क्र.	ग्राम का नाम	प्राप्त कुल आवेदन	निरस्त आवेदन की संख्या	निराकृत आवेदन की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों के निराकरण संभावित कार्य योजना (संक्षिप्त में)
1	2	3	4	5	6	7

वर्ष 2023-24

1	गनियारी (आर)	3	0	2	1	1 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य 25-26 में सम्मिलित है जिसे 31.03.2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
दुर्ग क्षेत्र		3	0	2	1	0

वर्ष 2024-25

1	कोटनी	11	0	6	5	लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
2	चिखली	6	0	5	1	लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
3	महमरा	10	0	7	3	लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
4	थनौद	7	0	4	3	3 नग लंबित में से 2 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य 25-26 में सम्मिलित है जिसे 31.03.2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
5	चंगोरी	1	0	0	1	1 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य 25-26 में सम्मिलित है जिसे 31.03.2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
6	खांडा	2	0	0	2	2 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य 25-26 में सम्मिलित है जिसे 31.03.2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
7	झोला	2	0	0	2	2 नग लंबित में से 1 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य 25-26 में सम्मिलित है जिसे 31.03.2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
8	नगपुरा	12	2	5	5	लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
9	दमोदा	2	0	0	2	लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
10	बोरई	6	0	0	6	लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
11	खुर्सीडीह	4	0	0	4	4 नग लंबित में से 1 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य 25-26 में सम्मिलित है जिसे 31.03.2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
12	खुरसूल	3	0	1	2	2 नग लंबित में से 1 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य 25-26 में सम्मिलित है जिसे 31.03.2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
13	गनियारी (आर)	4	0	2	2	लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
14	कोडिया	5	0	2	3	लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
15	रिसामा	1	0	0	1	लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
16	जंजगिरि	6	0	2	4	लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
17	कोनारी	4	0	3	1	लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर

क्रं.	ग्राम का नाम	प्राप्त कुल आवेदन	निरस्त आवेदन की संख्या	निराकृत आवेदन की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों के निराकरण संभावित कार्य योजना (संक्षिप्त में)
1	2	3	4	5	6	7
18	अछोटी	4	0	1	3	लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
19	अंडा	12	1	8	3	लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
20	विनायकपुर	4	0	3	1	लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
21	आमटी	3	0	0	3	लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
22	आलबरस	3	0	1	2	लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
23	निकुम	10	0	8	2	लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
24	कोकडी	11	0	3	8	8 नग लंबित में से 1 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य 25-26 में सम्मिलित है जिसे 31.03.2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
25	रिसाली नगर निगम	1469	24	1442	3	03 नं कनेक्शन 31.03.2026 तक कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।
दुर्ग क्षेत्र		1602	27	1503	72	

वर्ष 2025-26

1	कोटनी	3	0	0	3	3 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
2	मोहलाई	6	0	5	1	1 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
3	खपरी	5	0	3	2	2 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
4	धनोरा	20	4	11	5	3 नग घरेलू तथा 2 नग गैर घरेलू कनेक्शन 31.03.2026 तक पूर्ण हो जायेंगे
5	अंजोरा	9	0	4	5	3 नग घरेलू तथा 1 नग गैर घरेलू कनेक्शन 31.03.2026 तक पूर्ण हो जायेंगे एवं 1 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
6	बिरेझर	2	0	0	2	1 नग घरेलू कनेक्शन 31.03.2026 तक पूर्ण हो जायेंगे एवं 1 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
7	चंगोरी	3	0	0	3	1 नग घरेलू कनेक्शन 31.03.2026 तक पूर्ण हो जायेंगे एवं 2 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
8	बेलौदी	5	0	0	5	1 नग घरेलू कनेक्शन 31.03.2026 तक पूर्ण हो जायेंगे एवं 4 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
9	नगपुरा	9	1	0	8	2 नग घरेलू तथा 1 नग गैर घरेलू कनेक्शन 31.03.2026 तक पूर्ण हो जायेंगे एवं 5 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
10	मालूद	1	0	0	1	1 नग घरेलू कनेक्शन 31.03.2026 तक पूर्ण हो जायेंगे
11	बोरई	1	0	0	1	1 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
12	खुरसूल	2	0	0	2	2 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
13	गनियारी (आर)	6	0	0	6	6 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
14	कोलिहापुरी	3	0	2	1	1 नग गैर घरेलू कनेक्शन 31.03.2026 तक पूर्ण हो जायेंगे
15	रिसामा	5	0	1	4	4 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
16	भनपुरी	1	0	0	1	1 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
17	कुथरेल	4	0	0	4	4 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
18	जंजगिरि	9	0	2	7	6 नग गैर घरेलू कनेक्शन 31.03.2026 तक पूर्ण हो जायेंगे एवं 1 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
19	चंदखुरी	6	0	4	2	1 नग गैर घरेलू कनेक्शन 31.03.2026 तक पूर्ण हो जायेंगे एवं 1 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
20	भरदा	1	0	0	1	1 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
21	अछोटी	7	0	0	7	7 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
22	चिंगरी	4	0	1	3	1 नग घरेलू कनेक्शन 31.03.2026 तक पूर्ण हो जायेंगे एवं 2 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
23	अंडा	7	0	5	2	1 नग घरेलू कनेक्शन 31.03.2026 तक पूर्ण हो जायेंगे एवं 1 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
24	विनायकपुर	2	0	0	2	1 नग घरेलू कनेक्शन 31.03.2026 तक पूर्ण हो जायेंगे एवं 1 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे
25	आमटी	3	0	0	3	3 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेंगे

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर

क्रं.	ग्राम का नाम	प्राप्त कुल आवेदन	निरस्त आवेदन की संख्या	निराकृत आवेदन की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों के निराकरण संभावित कार्य योजना (संक्षिप्त में)
1	2	3	4	5	6	7
26	आलबरस	3	0	1	2	1 नग घरेलू कनेक्शन 31.03.2026 तक पूर्ण हो जायेगे एवं 1 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेगे
27	निकुम	4	0	2	2	2 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेगे
28	कोकडी	1	0	0	1	1 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेगे
29	रिसाली नगर निगम	1146	33	1111	2	2 नग लंबित पंप कनेक्शन लक्ष्य में शामिल उपरांत ही निराकरण हो पायेगे
दुर्ग क्षेत्र		1278	38	1152	88	

M

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर

वर्ष 2025-26 में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में लंबित वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना की जानकारी

क्रं.	ग्राम का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निराकृत आवेदन की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों के निराकरण की कार्य योजना/संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6
1	कोटनी	1		1	31.03.2026
2	धनोरा	5		5	31.03.2026
3	अंजोरा	4		4	31.03.2026
4	बिरेझर	1		1	31.03.2026
5	चंगोरी	1		1	31.03.2026
6	पीसेगांव	1		1	31.03.2026
7	बेलौदी	2		2	31.03.2026
8	नगपुरा	4		4	31.03.2026
9	जंजगिरि	1		1	31.03.2026
10	चंदखुरी	1		1	31.03.2026
11	अछोटी	1		1	31.03.2026
12	अंडा	1		1	31.03.2026
13	आलबरस	2			31.03.2026
	रिसाली			2	
14	नगर निगम	6	6		
	कुल योग	31	6	25	



उप सचिव

उत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर

of him under regulation 31 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 (hereafter CEA Safety Regulation) in the presence of the applicant or his authorized representative and his Licensed Electrical Contractor. If on inspection, the licensee finds any defect (e.g. consumer's installation not completed, bare ends of conductor/joints not properly covered with insulating tape, wiring of such nature that it is dangerous to life/property, etc.), he shall intimate the same to the applicant preferably on the spot under proper receipt.

26. **New Regulation 4.55 (a) shall be added after Regulation 4.55 of the Principal Code:**

4.55 (a) Supply to Prepaid Smart Meter Consumers

- (i) Prepaid smart meter consumers shall cover all categories of consumers, as approved by the Commission, in the area of supply of the distribution licensee(s) in the State of Chhattisgarh.
- (ii) The distribution licensee, on an application made by a consumer covered under '4.55 a(i)' above shall provide electricity supply through a prepaid smart meter subject to the feasibility of providing a prepaid smart meter in that area in accordance with the relevant provisions of Principal Code and its subsequent amendments.
- (iii) The provisions of Section 56 of the Act which apply to the supply of electricity through a post-payment mechanism shall not be applicable to supply through prepaid smart meters.
- (iv) Migration from post-paid to pre-paid and new connection on pre-paid shall be as per the Standard Operating Procedure (SOP) decided by the licensee. This will include detailed procedures essential to the pre-paid smart meter project covering all the aspects related to removal of old meters, returning back to the stores, issuance of bills, etc.

Licensee will submit the SOP to the Commission within one month of the notification of this codes.

27. **Regulation 4.58 of the Principal code is substituted by the following:**

4.58 Schedule for completion of various activities relating to new connection and increase of load

The licensee shall process and give supply of electricity to various consumers within the time specified in the table below. For the purpose of this code urban area means area of Nagar Nigam, Nagar Palika and Nagar Panchayat and other than urban area means rural area:

Sl. No.	Type of Service	Time Limit for Rendering the Service (excluding payment period)
1 a)	LT connection Normal connections (all category)	Urban areas - 7 days (including class-A cities) Rural areas - 15 days

Sl. No.	Type of Service	Time Limit for Rendering the Service (excluding payment period)
	(where no addition / augmentation / up-gradation of existing distribution mains is required)	
b)	All category (i) Where power supply requires extension of distribution mains, including distribution sub-station	Urban areas & Rural areas – 90 days (including class-A cities)
2	LT Agriculture Connection	
i)	Agricultural connection during season when clear access to fields is available	90 days, after full cost of extension is paid
ii)	Agricultural connection during season when no clear access is available	180 days, after full cost of extension is paid
3	High Tension (HT) Connection	
a)	Informing feasibility after receipt of the application	07 (Seven) days
b)	Issue of demand note of estimated charges	30 (Thirty) days
c)	Completion time for extension of works after payment and finalization of agreement	90 (Ninety) days
d)		
(i)	Issue of three months' notice after completion of extension works by the licensee with installation of meter and metering equipment.	7 (Seven) days
(ii)	Release of load after completion of extension work by licensee and submission of clearance from Electrical Inspector by the applicant.	7 (Seven) days
4.	Extra High Tension (EHT) Connection	
a)	Informing feasibility after receipt of the application form including connectivity consent required if any	30 days
b)	Issue of demand note of estimate charges after issue of notice of feasibility	60 days
c)	Completion time of extension work after payment	180 days
d)	Serving of connection after payment necessary charges and execution of agreement by the applicant subject to receipt of clearance from Chief Electrical Inspector after completion of extension work	30 days

28. New provisos shall be added after Regulation 6.1 of the Principal Code:

Provided that in case of a new connection with a prepaid smart meter, the distribution licensee shall not require any security, in pursuance of clause (a) of sub-section (1) and sub-section (5) of Section 47 of the Electricity Act, 2003. The consumer shall not be required to deposit any Security Deposit (SD) as part of security.

Provided further that for existing consumers shifting to smart prepaid metering arrangement who do not have any arrears included in the last bill, the SD deposited

विद्युत पोल हटाने, बिजली लाईन स्थानांतरित करने से संबंधित जानकारी

प्रपत्र-६

क्रमांक	वर्ष	जिला	उपभोक्ता का नाम	स्कीम कोड	कार्य का विवरण	स्थान	लाईन हटाने		कार्यपूर्णता	रिमार्क
							पोल की संख्या	लाईन (कि.मी.)		
1	2023-24	दुर्ग	सरपंच ग्राम पंचायत विनायकपुर अण्डा वि.के.	35ए	विद्युत पोल हटाने का कार्य	विनायकपुर	5	0.150	कार्यपूर्ण	
2			सरपंच ग्राम पंचायत बोरई नगपुरा वि.के.	35	विद्युत पोल हटाने का कार्य	बोरई	2	0	कार्यपूर्ण	
3			सरपंच ग्राम पंचायत विनायकपुर अण्डा वि.के.	35ए	विद्युत पोल हटाने का कार्य	विनायकपुर	16	0.700	कार्यपूर्ण	
4	2024-25	दुर्ग	सरपंच ग्राम पंचायत विनायकपुर अण्डा वि.के.	35ए	विद्युत पोल हटाने का कार्य	विनायकपुर	3	0.150	कार्यपूर्ण	
5			सरपंच ग्राम पंचायत कुशरेल अण्डा वि.के.	35ए	विद्युत पोल हटाने का कार्य	कुशरेल	2	0.040	कार्यपूर्ण	
6			सरपंच ग्राम पंचायत झोला अण्डा वि.के.	35ए	विद्युत पोल हटाने का कार्य	झोला	1	0.103	कार्यपूर्ण	
7	2025-26	दुर्ग	सुपडा बिल्डकम सरस्वती कुंज, रिसाली	35ए	विद्युत पोल हटाने का कार्य	सरस्वती कुंज, रिसाली	9	0.75	कार्यपूर्ण	
8			सरपंच ग्राम पंचायत धनोरा बधेरा वि.के.	35ए	विद्युत पोल हटाने का कार्य	धनोरा	5	0.050	कार्यपूर्ण	
9			सहायक अभियंता छत्तीसगढ़ हालसिंग बोर्ड दुर्ग	35	विद्युत पोल हटाने का कार्य	तालपुरी, रूआबाधा, रिसाली	6	0.2	अपूर्ण	31.03.2026 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग

भनालय, नवा रायपुर

परिशिष्ट - पन्द्रह
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 404) की जानकारी
"प्रपत्र"

क्र.	पट्टेदार का नाम	खसरा क्रमांक	उत्खनि-पट्टा का रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज का नाम	स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में अनुमानित भू-वैज्ञानिक भण्डार (घनमीटर में)	उत्खनिपट्टा अवधि	पर्यावरण स्वीकृति की अवधि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री दुष्यंत साहू	1338	0.849	गौण खनिज चूनापत्थर	29370	03.12.2004 से 02.12.2034	15.11.2017 से 14.11.2022	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 31.07.2025 के परिपालन में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के आदेश दिनांक 05.08.2025 द्वारा आगामी आदेश तक वैध।
2	श्री धनेश साहू	1340, 1344	0.574	गौण खनिज चूनापत्थर	10348	25.10.1997 से 24.10.2027	14.05.2018 से 13.05.2023	
3	श्री संतोष यादव	1344	1.052	फर्शीपत्थर	95520	01.12.2000 से 30.11.2030	15.11.2017 से 14.11.2022	
4	श्री श्याम सुंदर यादव	1345	1.012	फर्शीपत्थर	49980	13.8.2009 से 12.8.2039	15.11.2017 से 14.11.2022	
5	जय बजरंग औद्योगिक खदान कामगार सहकारी समिति, अध्यक्ष श्री भगवानी राम निषाद	1344, 1345	0.566	फर्शीपत्थर	25893	16.08.1997 से 15.08.2027	15.11.2017 से 14.11.2022	
6	श्री देवानंद साहू	1344	0.809	फर्शीपत्थर	33030	17.11.2004 से 16.11.2034	15.11.2017 से 14.11.2022	
7	श्री लालचंद अग्रवाल	1342	0.882	फर्शीपत्थर	41580	19.05.2006 से 18.05.2036	15.11.2017 से 14.11.2022	

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 02-03-2026
16:50:05

परिशिष्ट - सोलह
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 406) की जानकारी

“प्रपत्र”

क्र.	पंजीकृत लोक न्सास का नाम	उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु दी गई अनापत्ति वर्ष	अनापत्ति दी गई व्यक्ति/ संस्था/ फर्म/ कंपनी	उत्खनिपट्टाधारी का नाम व पता	ग्राम एवं तहसील का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	स्वीकृत उत्खनिपट्टा की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ठाकुर श्रीराम चंद्र जी स्वामी सरवराकर व अन्य (कुल 01 भू स्वामी)	31.08.2023	मेसर्स मां. शारदा मिनरल्स प्रो. श्री आशीष तिवारी	मेसर्स मां. शारदा मिनरल्स प्रो. श्री आशीष तिवारी	मंदिर हसौद/ मंदिर हसौद	699	4.048 हे.	09.06.2021 से 08.12.2027
2	ठाकुर श्रीराम चंद्र जी स्वामी (नागरी दास) मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष/ प्रबंध न्यासी मदन गोपाल अग्रवाल	12.10.2020 एवं 02.01.2024	माही बिल्डर्स एंड डेव्हलपर्स पार्ट. श्री शैलेश तिवारी	माही बिल्डर्स एंड डेव्हलपर्स पार्ट. श्री शैलेश तिवारी	मंदिर हसौद/ मंदिर हसौद	706/2	10.00 एकड़	27.10.2023 से 26.10.2030

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 02-03-2026
17:01:14

प्रपत्र-अ

(प्रश्नांश "क")

मौग खनिज के रॉयल्टी विलयर्स के संबंध में प्राप्त शिकायत का विवरण

क्र.	वर्ष	वन मण्डल का नाम	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत दिनांक	कांकेर वृत्त में शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायत के विषयवस्तु	जांचकर्ता अधिकारी नाम एवं पदनाम	शिकायत की अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	शिकायत पूर्ण होने की संभावित तिथि
1	2023-24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	श्री अमिजीत दत्ता राय, जनकपुर वार्ड कांकेर	12.12.2023	08.05.2024	वन मण्डल पश्चिम भानुप्रतापपुर में वित्तीय वर्ष 2020 से 21 लेकर आज दिनांक तक अमित कन्स्ट्रक्शन द्वारा किये गये मुकम सप्लाय की जांच करने बाबत।	वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम भानुप्रतापपुर	8	9 मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता एवं शिकायत) छ. ग. नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 1334 दिनांक 21.03.2025 द्वारा प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया है।	10 नस्तीबद्ध।
2	2024-25	पूर्व भानुप्रतापपुर	श्री अमिजीत दत्ता राय, जनकपुर वार्ड कांकेर	09.09.2024	20.09.2024	श्री दुलेश्वर प्रसाद साहू, व. म. भानुप्रतापपुर पूर्व में मुकम, रेत एवं गिट्टी सप्लाय में रॉयल्टी के चोरी के संबंध में शिकायत।	वन मण्डलाधिकारी पश्चिम भानुप्रतापपुर	जांच प्रक्रियाधीन है।	शिकायत की जांच हेतु मुख्य वन संरक्षक कांकेर के पत्र दिनांक 07.10.2024, 26.11.2024, 23.01.2025, 25.02.2025, 10.03.2025, 12.06.2025 एवं 23.02.2026 द्वारा वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम भानुप्रतापपुर को लेख किया गया है जो अपेक्षित है।	संभावित तिथि 31 मार्च 2026
3	2024-25	पश्चिम भानुप्रतापपुर	श्री ए.डी. राय, जनकपुर वार्ड कांकेर	16.12.2024	16.12.2024	वनमण्डल पश्चिम भानुप्रतापपुर के बासागर डिपो भानुप्रतापपुर में वर्ष 2022-23 व 2023-24 में नवीन गोदाम निर्माण में 80 लाख रुपये के मुकम सप्लाय की रॉयल्टी चोरी की शिकायत बाबत।	वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर	जांच पूर्ण।	वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार रॉयल्टी जमा नहीं होना पाया गया। इस हेतु मुख्य वन संरक्षक, कांकेर के पत्र दिनांक 28.04.2025, 03.06.2025, 18.07.2025, 12.01.2026 एवं 23.02.2026 द्वारा वन मण्डलाधिकारी पश्चिम भानुप्रतापपुर को अभिनत एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है, जो अपेक्षित है।	जांच पूर्ण। अभिनत अप्राप्त।

प्रधान-मुख्य वन संरक्षक

(विकास योजना/बजट लेखा एवं ऑडिट)

छत्तीसगढ़, अटल नगर

प्रपत्र-ब

वर्ष	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	शिकायत में उल्लेखित वर्ष में देय, जमा एवं शेष रॉयल्टी की राशि				प्रश्नांकित अवधि (वर्ष 22-23, 23-24, 24-25) में देय, जमा एवं शेष रॉयल्टी की राशि		रॉयल्टी वसूली की शेष राशि (लाख में)
				शिकायत में उल्लेखित वर्ष में देय रॉयल्टी की राशि (लाख में)	वसूल की गई रॉयल्टी की राशि (लाख में)	रॉयल्टी वसूली की शेष राशि (लाख में)	प्रश्नांकित अवधि में देय रॉयल्टी की राशि (लाख में)	वसूल की गई रॉयल्टी की राशि (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2019-20	कांकेर	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	11.93	0.00	11.93	-	-	-	
2019-20	कांकेर	कांकेर	पश्चिम भानुप्रतापपुर	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
			योग :-	11.93	0.00	11.93	-	-	-	
2020-21	कांकेर	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	22.67	0.00	22.67	-	-	-	
2020-21	कांकेर	कांकेर	पश्चिम भानुप्रतापपुर	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
			योग :-	22.67	0.00	22.67	-	-	-	
2021-22	कांकेर	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	5.10	0.00	5.10	-	-	-	
2021-22	कांकेर	कांकेर	पश्चिम भानुप्रतापपुर	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
			योग :-	5.10	0.00	5.10	-	-	-	
2022-23	कांकेर	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	15.07	0.00	15.07	15.07	0.00	15.07	
2022-23	कांकेर	कांकेर	पश्चिम भानुप्रतापपुर	23.78	0.00	23.78	23.78	0.00	23.78	
			योग :-	38.85	0.00	38.85	38.85	0.00	38.85	
2023-24	कांकेर	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	14.63	0.00	14.63	14.63	0.00	14.63	
2023-24	कांकेर	कांकेर	पश्चिम भानुप्रतापपुर	15.92	2.55	13.37	15.92	2.55	13.37	
			योग :-	30.55	2.55	28.00	30.55	2.55	28.00	
2024-25	कांकेर	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	3.06	3.06	0.00	3.06	3.06	0.00	
2024-25	कांकेर	कांकेर	पश्चिम भानुप्रतापपुर	0.00	0.00	0.00	3.21	3.21	0.00	
			योग :-	3.06	3.06	0.00	6.27	6.27	0.00	
			कुलयोग :-	112.16	5.61	106.55	75.67	8.82	66.85	

प्रधान मुख्य वन प्रबंधक
(विकास योजना/बजट लेखा एवं ऑडिट)
छत्तीसगढ़, अटल नगर
झरिया

प्रपत्र-स

वर्ष	वनामडल का नाम	टेकदारों का विवरण जिन्हें बिना संवली वकीयरें स के पूर्ण मुगतान किया गया है	मुगतान करने का आधार	जिमें दार अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5
2022-23	पूर्व भानुप्रतापपुर	जय मारुति ट्रेडिंग, भानुप्रतापपुर	49.12	6
2022-23	पूर्व भानुप्रतापपुर	जय मारुति टाईल्स, भानुप्रतापपुर	34.97	विना रायल्टी वकीयरेंस प्रमाण पत्र के टेकदारों को पूर्ण मुगतान करने हेतु संबंधित वनामडलाधिकारी लिम्बदार हैं। टेकदारों को रायल्टी वकीयरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु वनामडलाधिकारियों द्वारा पत्राचार किया जा रहा है। शासन को देय शेष रायल्टी राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
2022-23	पूर्व भानुप्रतापपुर	अमित कन्सल्टेशन भानुप्रतापपुर	9.97	
2022-23	पूर्व भानुप्रतापपुर	मसर्स दुग्गा बद्रस, दुर्गकौदल	33.16	
2022-23	पूर्व भानुप्रतापपुर	मेर सिंग दुग्गा, दुर्गकौदल	1.32	
2022-23	पूर्व भानुप्रतापपुर	आर के इन्टरप्राइजस, दुर्गकौदल	2.08	
		योग (पूर्व भानुप्रतापपुर 2022-23) :-	130.62	
2022-23	पश्चिम भानुप्रतापपुर	अमित कन्सल्टेशन, भानुप्रतापपुर	76.39	विना रायल्टी वकीयरेंस प्रमाण पत्र के टेकदारों को पूर्ण मुगतान करने हेतु संबंधित वनामडलाधिकारी लिम्बदार हैं। टेकदारों को रायल्टी वकीयरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु वनामडलाधिकारियों द्वारा पत्राचार किया जा रहा है। शासन को देय शेष रायल्टी राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
2022-23	पश्चिम भानुप्रतापपुर	जय मारुति टाईल्स एण्ड सेनेटरी, भानुप्रतापपुर	24.30	
2022-23	पश्चिम भानुप्रतापपुर	बालाजी पावर वर्कस, कांकेर	1.95	
2022-23	पश्चिम भानुप्रतापपुर	अजय विल्डकॉन, कांकेर	98.63	
		योग (पश्चिम भानुप्रतापपुर 2022-23) :-	201.27	
		योग (2022-23) :-	331.89	

वर्ष	वनामंडल का नाम	ठेकेदारों का विवरण जिन्हें बिना सौचली क्लीयरेंस के पूर्ण भुगतान किया गया है	भुगतान की गई राशि (लाख में)	भुगतान करने का आधार	जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6
2023-24	पूर्व भानुप्रतापपुर	किसान लोहा गण्डार, भानुप्रतापपुर	5.82	मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर द्वारा किए गए टेण्डर दिनांक 12/09/2022 हेतु जारी पत्र क्र./लेखा/2022/3460 कांकेर दिनांक 28.11.2022 के आधार पर।	श्री. रायल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र के ठेकेदारों को पूर्ण भुगतान करने हेतु संबंधित वनामंडलाधिकारी जिम्मेदार हैं। ठेकेदारों को रायल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु वनामंडलाधिकारियों द्वारा पत्राचार किया जा रहा है। शासन को देय शेष रायल्टी राशि की वसूली को कार्यवाही की जा रही है।
2023-24	पूर्व भानुप्रतापपुर	विपुल विल्डिंग वेक्स, धमतरी	5.92		
2023-24	पूर्व भानुप्रतापपुर	सुकुमन ट्रेडिंग, डोगरागड	0.21		
2023-24	पूर्व भानुप्रतापपुर	दुर्गा बद्रस, दुर्गाकोदल	16.84		
2023-24	पूर्व भानुप्रतापपुर	जय मारुति ट्रेडिंग, भानुप्रतापपुर	17.13		
2023-24	पूर्व भानुप्रतापपुर	जय मारुति टाईल्स, भानुप्रतापपुर	13.75		
2023-24	पूर्व भानुप्रतापपुर	अमित इन्टरप्राइजेस रायपुर	2.75		
2023-24	पूर्व भानुप्रतापपुर	अमित कन्स्ट्रक्शन भानुप्रतापपुर	52.19		
2023-24	पूर्व भानुप्रतापपुर	आर.के.इन्टरप्राइजेस दुर्गाकोदल	4.89		
		योग (पूर्व भानुप्रतापपुर 2023-24) :-	119.49		
2023-24	परिवन भानुप्रतापपुर	अमित कन्स्ट्रक्शन, भानुप्रतापपुर	112.43	मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्र. /लेखा/2021/3849 दिनांक 06/12/2021 एवं पत्र क्र. /लेखा/2022/3460 दिनांक 28/11/2022 के माध्यम से स्वीकृत रेट कास्ट्रेट।	श्री. रायल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र के ठेकेदारों को पूर्ण भुगतान करने हेतु संबंधित वनामंडलाधिकारी जिम्मेदार हैं। ठेकेदारों को रायल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु वनामंडलाधिकारियों द्वारा पत्राचार किया जा रहा है। शासन को देय शेष रायल्टी राशि की वसूली को कार्यवाही की जा रही है।
2023-24	परिवन भानुप्रतापपुर	जय मारुति टाईल्स एण्ड सेन्टरी, भानुप्रतापपुर	0.20	मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्र. /लेखा/2021/3849 दिनांक 06/12/2021 एवं पत्र क्र. /लेखा/2022/3460 दिनांक 28/11/2022 के माध्यम से स्वीकृत रेट कास्ट्रेट।	
		योग (परिवन भानुप्रतापपुर 2023-24) :-	112.63		
		योग (2023-24) :-	232.12		
2024-25		योग (2024-25) :-	0.00		
		कुल योग (2022-23 से 2024-25 तक) :-	564.02		
				निरंक	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(विकास योजना/बजट, लेखा एवं आडिट)

छत्तीसगढ़ अटल नगर

२४/३

जांच प्रतिवेदन एवं भ्रष्टाचार/अनियमितता की स्थिति:

संभाग	अनियमितता की स्थिति	की गई कार्यवाही
बिलासपुर	अनियमितता पाई गई। ग्राम डेका में छोटे भूखंडों में विभाजन कर अधिक मुआवजा बनाने की पुष्टि हुई।	तत्कालीन तहसीलदार एवं हल्का पटवारी के विरुद्ध थाना तोरवा में एफआईआर दर्ज कराई गई। तत्कालीन तहसीलदार श्री डी.एस. उड़के के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुई जिसमें श्री डी.एस. उड़के को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के परिप्रेक्ष्य में श्री उड़के द्वारा प्रस्तुत जवाब के परीक्षण कर अभिमत उपलब्ध कराने हेतु संभागायुक्त, बिलासपुर को लिखा गया है। न्यायालय आयुक्त/आर्बिट्रेटर, बिलासपुर द्वारा पूर्व में पारित अवार्ड राशि 11 करोड़ 69 लाख रुपये को संशोधित कर ₹5 करोड़ 21 लाख रुपये का अवार्ड पारित किया गया है।
रायपुर	जांच प्रक्रियाधीन है।	EOW/ACB में अपराध क्रमांक 30/2025 दर्ज है। तत्कालीन तहसीलदार शशिकांत कुर्रे और नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण जेल में निरुद्ध हैं। अन्य 13 आरोपियों के विरुद्ध विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। शेष तीन आरोपी लोकसेवकों के विरुद्ध विवेचना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
दुर्ग	कोई अनियमितता नहीं पाई गई।	--
बस्तर	कोई अनियमितता नहीं पाई गई।	--



अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, महात्मा भवन, नवा रायपुर
 भटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

जांच प्रतिवेदन अनुसार अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही -


- श्री निर्भय कुमार साहू (तत्कालीन SDO, अभनपुर): सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 03.03.2025 को निलंबित किया गया और आरोप-पत्र जारी किया गया ।
- श्री शशिकांत कुर्रे (तत्कालीन तहसीलदार, अभनपुर): 05.03.2025 को निलंबित किया गया और 19.05.2025 को आरोप-पत्र जारी किया गया । वर्तमान में न्यायिक रिमांड पर केन्द्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध हैं ।
- श्री लखेश्वर प्रसाद किरण (तत्कालीन नायब तहसीलदार): 08.10.2024 को निलंबित किया गया। वर्तमान में न्यायिक रिमांड पर केन्द्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध हैं ।
- राजस्व निरीक्षक - रोशन लाल वर्मा, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक, नायकबांधा - निलंबित।
- पटवारी गण: श्री जितेन्द्र साहू, श्री दिनेश पटेल, श्री लेखराम देवांगन एवं बसंती घृतलहरे को निलंबित किया गया है।
- तत्कालीन तहसीलदार श्री डी.एस. उइके के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुई जिसमें श्री डी.एस. उइके को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के परिप्रेक्ष्य में श्री उइके द्वारा प्रस्तुत जवाब के परीक्षण कर अभिमत उपलब्ध कराने हेतु संभागायुक्त, बिलासपुर को लिखा गया है।

कानूनी कार्यवाही (EOW/ACB एवं FIR)

- रायपुर: राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) में अपराध क्रमांक 30/2025 दर्ज किया गया है । कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
 - अभियोग पत्र: 13 आरोपियों (जिनमें पटवारी दिनेश पटेल, लेखराम देवांगन और बसंती घृतलहरे शामिल हैं) के विरुद्ध विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है ।
- बिलासपुर: तत्कालीन तहसीलदार और हल्का पटवारी के विरुद्ध थाना तोरवा में प्रकरण दर्ज कराया गया है ।


अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
 अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

- वसूली के संबंध में कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है ।


अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - उन्नीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 995) की जानकारी

प्रफ़रन्स
छ.ग.राज्य वन विकास निगम लिमि. नवा रायपुर

वर्ष 2022-23 से जनवरी 2026 तक कार्यों की जानकारी

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्र.	हेक्टर	वर्ष 2022-23					वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25					वर्ष 2025-26 (30 जनवरी 2026 तक)										
				प्राप्त राशि (रु.में)		कार्य		निगम मद (निगम के स्वयं के मद की राशि से)	प्राप्त राशि (रु.में)		कार्य		निगम मद (निगम के स्वयं के मद की राशि से)	प्राप्त राशि (रु.में)		कार्य		निगम मद (निगम के स्वयं के मद की राशि से)	प्राप्त राशि (रु.में)		कार्य		निगम मद (निगम के स्वयं के मद की राशि से)	प्राप्त राशि (रु.में)		कार्य			
				निगम मद (निगम के स्वयं के मद की राशि से)	विदोहन	वृक्षारोपण	विदोहन		वृक्षारोपण	विदोहन	वृक्षारोपण	विदोहन		वृक्षारोपण	विदोहन	वृक्षारोपण	विदोहन		वृक्षारोपण	विदोहन	वृक्षारोपण	विदोहन		वृक्षारोपण	विदोहन	वृक्षारोपण	विदोहन	वृक्षारोपण	विदोहन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1		P-84	275.191	395019	205954	189065	232134	66833	165301	10100	10100	10100	841950	755645	86305														
2		P-85	35.452	663916	555701	128215	279657	145923	133734	10100	10100	10100	0	0	0														
3		P-86	7.493	746	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
4		P-87	92.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178487	0	178487														
5		P-88	168.174	622429	495147	127282	310566	133284	177282	10100	10100	10100	0	0	0														
6		P-89	283.126	0	0	0	365369	255018	110351	399032	193713	205319	687297	473195	214102														
7	भैसाधार	P-90	307.744	505764	276030	229734	479365	175605	303760	1465554	1347410	118144	10428	0	10428														
8	परिक्षेत्र	P-91	295.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
9		P-92	351.440	480419	0	480419	303945	0	303945	0	0	0	76468	0	76468														
10		P-93	273.524	0	0	0	735570	0	735570	1316127	371645	944482	344141	223245	120896														
11		P-94	346.200	99590	0	99590	2932521	1772051	1160470	638654	203346	435308	1002288	590400	411888														
12		P-95	239.800	0	0	0	33990	0	33990	221793	0	221793	1084965	884845	200120														
13		P-96	70.296	0	0	0	0	0	0	213554	0	213554	805966	490890	315076														
14		P-97	16.226	0	0	0	0	0	0	120353	0	120353	682	0	682														
		TOTAL	2762.298	2767883	1513578	1254305	5673117	2548714	3124403	4405367	2116114	2289253	5403735	3418220	1985515														

प्रबंधक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी
छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि.

पुनर्र्णन
छ.ग.राज्य वन विकास निगम लिमि. नवा रायपुर

वर्ष 2022-23 से जनवरी 2026 तक कार्यों की जानकारी

क्रं.	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रं.	हेक्टयर	वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26 (30 जनवरी 2026 तक)	
				प्राप्त राशि (रु.में)	कार्य	प्राप्त राशि (रु.में)	कार्य	प्राप्त राशि (रु.में)	कार्य	प्राप्त राशि (रु.में)	कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		P-90	307.744	-	-	204050	मुनारा निर्माण,	0	-	-	-
2		P-91	295.222	-	-	179620	मुनारा निर्माण,	0	-	-	-
3	भैंसाझार	P-92	351.440	-	-	179620	मुनारा निर्माण,	0	-	-	-
4		P-93	273.524	-	-	-	-	57226	मुनारा निर्माण,	-	-
5		P-94	346.200	-	-	-	-	70281	मुनारा निर्माण,	-	-
TOTAL				1574.130	0	563290	-	127507	-	-	-


 पबंधक (प्रशासन एवं नोडल अधिकारी)
 छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि.

गणना पत्रक
भू-भाटक, प्रीमियम वसूली की जानकारी

1- प्रश्नाधीन भूमि का विवरण -

भूमि ख.नं. 1356/1, 2, 3, 1357, 1358, 1359/1 एवं 1359/2 का संयुक्त भाग
रकबा 4.74 एकड़ अर्थात् 2,06,474व.फु.(संविलियन पश्चात् ख.नं. 15002/2 रकबा 1.9200हे.)

2- सहकारी संस्था का नाम-

संस्था दुर्ग जिला गृह निर्माण सहकारी समिति राजनांदगांव

3- अग्रिम आधिपत्य में दिये जाने का दिनांक - 28/01/1961

4- शासन के आबंटन आदेश दिनांक -

म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 6-329/सात-सा/2-बी/89 भोपाल,
दिनांक 21/2/1990 एवं 15/5/1990

5- निर्धारित प्रीमियम- 83,570.00रु.

6- वार्षिक भू-भाटक - 4,179.00रु.

7- गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जमा राशि का विवरण-

प्रीमियम वर्ष 1989- राशि 9,817.50रु.

प्रीमियम वर्ष 1990- राशि 47,950रु.

प्रीमियम वर्ष 1991- राशि 7374.00रु.

प्रीमियम वर्ष 1992- राशि 10,299.50रु.

प्रीमियम वर्ष 1995- राशि 3465.00रु.

योग प्रीमियम - 78,906.00रु.

8-बकाया प्रीमियम- 4664.00रु. (वसूल किया गया)

9-बकाया प्रीमियम पर 60 वर्षों का 15 प्रतिशत ब्याज की राशि -3,78,703.00रु.
(वसूल किया गया)

10-निर्धारित वार्षिक भू-भाटक-1961-62 से 2020-21 तक

कुल वार्षिक भू-भाटक- 8,77,590.00रु.

11-संस्था द्वारा विभिन्न चालानों के द्वारा जमा की गई भू-भाटक की राशि-

वर्ष 1962 से 1984 तक- 9817.50रु.


वर्ष 1962 से 1990 तक के लिये- 65,623.00रु.

वर्ष 1991 से 1995 तक के लिये- 20,761.00रु.

कुल योग


96,201.50रु.


अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
त्रिालय, नवा रायपुर, अटल नगर



--2--

12- बकाया प्रीमियम की राशि-	4664.00रु.
13- बकाया प्रीमियम पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि-	3,78,703.00रु.
14- बकाया भू-भाटक की राशि-	7,81,388.00रु.
15- बकाया भू-भाटक पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की कुल राशि -	-21,49,527.15रु.
वसूली योग्य कुल राशि -	33,14,282.15रु.
16-वर्ष 2021-22 का वार्षिक भू-भाटक, पर्यावरण उपकर एवं अधोसंरचना विकास कर (वर्ष 2005-06 से) -	2,35,766.00रु
17- पट्टा निष्पादन के समय संस्था द्वारा बकाया एवं चालू वर्ष (2022-23) की कुल जमा राशि-	
1- बकाया भू-भाटक एवं 15 प्रतिशत ब्याज सहित (वर्ष 2021 तक)-	30,81,359.00रु.
2- पूंजीकृत मूल्य (वर्ष 31-3-2051 तक) -	15,04,440.00रु.
3- बकाया प्रीमियम एवं 15 प्रतिशत ब्याज की राशि-	3,83,367.00रु.
4- अधोसंरचना, पर्यावरण एवं अन्य -	1,19,702.00रु.
<hr/>	
योग जमा राशि	50,88,868.00रु.


अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


 अधीक्षक
 नजूल,
 जिला कार्यालय, दुर्ग

पारोक्ष - इक्कीस


परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1083) की जानकारी

(माह अगस्त 2025 से जनवरी 2026 तक फसल क्षति एवं मकान क्षति की जानकारी)

वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	अवधि (माह सितम्बर 2025 से जनवरी 2026)	फसल क्षति की जानकारी				मकान क्षति की जानकारी				कुल मुआवजा मुगतान की राशि (रु.में)	कुल लंबित प्रकरण संख्या	कुल लंबित मुआवजा राशि (रु.में)		
				कृषक की संख्या	फसल क्षति की संख्या	रकबा हे. में	प्रदाय मुआवजा राशि (रु. में)	लंबित मुआवजा राशि (रु.में)	ग्रामीणों की संख्या	मकान क्षति की संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि (रु. में)				लंबित मुआवजा राशि (रु. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
बलौदाबाजार	अर्जुनी	-	अगस्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	-	अगस्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बलौदाबाजार	अर्जुनी	-	सितम्बर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	-	सितम्बर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बलौदाबाजार	अर्जुनी	-	अक्टूबर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	-	अक्टूबर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बलौदाबाजार	अर्जुनी	-	नवम्बर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	बम्हनी	नवम्बर	1	1	0.643	14467	0	0	0	0	0	1	14467	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	खरहा	दिसम्बर	1	1	0.190	4275	0	0	0	0	0	1	4275	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	झालपानी	दिसम्बर	1	1	0.205	4613	0	0	0	0	0	1	4613	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	फुरफंदी	दिसम्बर	1	1	0.814	18315	0	0	0	0	0	1	18315	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	फुरफंदी	दिसम्बर	1	1	0.200	4500	0	0	0	0	0	1	4500	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	फुरफंदी	दिसम्बर	1	1	0.200	4500	0	0	0	0	0	1	4500	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	फुरफंदी	दिसम्बर	1	1	0.800	18000	0	0	0	0	0	1	18000	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	फुरफंदी	दिसम्बर	1	1	0.200	4500	0	0	0	0	0	1	4500	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	फुरफंदी	दिसम्बर	1	1	0.200	4500	0	0	0	0	0	1	4500	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	फुरफंदी	दिसम्बर	1	1	0.200	4500	0	0	0	0	0	1	4500	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	फुरफंदी	दिसम्बर	1	1	0.200	4500	0	0	0	0	0	1	4500	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	फुरफंदी	दिसम्बर	1	1	0.200	4500	0	0	0	0	0	1	4500	0	0

अ. प्र. मु. सं. (विन्यासप्राणी)
रायपुर


वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	अवधि (माह सितम्बर 2025 से जनवरी 2026)	फसल क्षति की जानकारी				मकान क्षति की जानकारी				कुल प्रकरण संख्या	कुल मुआवजा मुगतान की राशि (रु.में)	कुल लंबित प्रकरण संख्या	कुल लंबित मुआवजा राशि (रु.में)	
				कृषक की संख्या	फसल क्षति की संख्या	एक हे. में	प्रदाय मुआवजा राशि (रु. में)	लंबित मुआवजा राशि (रु.में)	ग्रामीणों की संख्या	मकान क्षति की संख्या	प्रदाय मुआवजा राशि (रु. में)					लंबित मुआवजा राशि (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
बलौदाबाजार	सोनाखान	फुरफंदी	दिसम्बर	1	1	0.400	9000	0	0	0	0	0	1	9000	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	फुरफंदी	दिसम्बर	1	1	0.400	9000	0	0	0	0	0	1	9000	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	फुरफंदी	दिसम्बर	1	1	0.400	9000	0	0	0	0	0	1	9000	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	फुरफंदी	दिसम्बर	1	1	0.600	13500	0	0	0	0	0	1	13500	0	0
बलौदाबाजार	अर्जुनी	—	जनवरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बलौदाबाजार	सोनाखान	—	जनवरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग				15	15	5.652	127170	0	0	0	0	0	15	127170	0	0


 अक्षर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.)
 छ.ग., अटल नगर, सिवा रायपुर

परिशेष - बाईस
परिवारित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1151) की जानकारी

i i =

प्रश्नांश ख अनुसार सैनिकों का नाम एवं आबंटित शासकीय भूमि की जानकारी निम्नानुसार है :-								
अनुभाग	क	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नं.	रकबा (ह.म.)	भूत पूर्व सैनिक का नाम	पदस्थ सेवा का नाम	पूर्ण की गई सेवा अवधि का विवरण
बिल्हा	1	तिलसरा	बोदरी	89/7	2.023	उदय बहादुर सिंह पिता सूरजमान सिंह	पेटी ऑफिसर	17 साल
	2	कड़ार	बोदरी	56/1	2.023	रामचरण पिता दादुराम	सोल्जर जी. डी.	15 साल
	3	कड़ार	बोदरी	56/2	2.023	कालीचरण	सोल्जर जी. डी.	15 साल
	4	कड़ार	बोदरी	56/3	2.023	गणेश प्रसाद पिता रामनरोत्त	सोल्जर जी. डी.	15 साल
	5	कड़ार	बोदरी	56/4	2.023	मनोहरलाल पिता रामनरोत्त	सोल्जर जी. डी.	09 साल
	6	कड़ार	बोदरी	56/5	2.023	रामलाल	नायक	13 साल
बिलासपुर	1	रमतला	बिलासपुर	1361/2 1361/3	2.023 2.023	बलदाऊ सिंह पिता ध्रुव सिंह	सोल्जर जी. डी.	15 साल
	2	रमतला	बिलासपुर	1361/4	2.023	विनसेंट पाल टाईटस पिता अलम्बीपाल टाईटस	सोल्जर जी. डी.	7 साल
	3	रमतला	बिलासपुर	1361/9	2.023	आरा सोनी पति राजकुमार	सोल्जर जी. डी.	15 साल
	4	रमतला	बिलासपुर	1362/3	2.023	सुखविंदर सिंह, सर्वजीत सिंह, सुरेन्द्र सिंह, सुखविन्दर कीर पिता दिवास सिंह	सोल्जर जी. डी.	15 साल
	5	रमतला	बिलासपुर	1362/4 1362/4	2.023 2.023	सुनीत कुमार पिता कुनालपाल, सुदीप पाल पिता सजनलाल	सोल्जर जी. डी.	15 साल
	6	रमतला	बिलासपुर	1362/5	2.023	प्रहलाद कुमार गौरहा पिता जगन्नाथ गौरहा	सोल्जर जी. डी.	15 साल
	7	सैंदरी	बिलासपुर	2095/2	1.416	सीताराम पिता जाहन (मिसल में घास भूमि के रूप में दर्ज है, शासकीय पट्टेदार भूतपूर्व सैनिक को प्राप्त वर्ष 2023-24 के बी-1 अनुसार)	सोल्जर जी. डी.	6 साल
तखतपुर	1	बीजा	तखतपुर	272/2 274/2 275/2	1.133 0.867 0.202	रामकुमार पिता ज्वाला पाण्डेय	पेटी ऑफिसर विकांत नेवी	16 साल


अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय नया रायपुर

	2	खम्हरिया	तखतपुर	646/2	2.023	प्यारे सिंह	सोल्जर जी.डी.	9 साल
	3	मुरु	सकरी	36/1	2.023	देवदत्ता उपाध्याय पिता सीताराम	सिपाही सोल्जर जी. डी.	05 वर्ष 03 माह
कोटा	1	घांसीपुर	कोटा	61/10	2.023	किशन लाल राजपूत पिता हीरा	सोल्जर जी. डी.	15 साल 03 माह
मस्तुरी	1	सीपत	सीपत	953/1 /ग	2.023	राजेश्वर सिंह पिता डी0एस0 कौशिक	सोल्जर जी. डी.	15 माह
	2	बिटकुला	सीपत	23/2	1.306	रामेश्वर पिता रामदुलारे	सोल्जर जी. डी.	13 माह
	3	खजरी	सीपत	7/19	2.023	कमलकांत पिता जागेश्वर	सोल्जर जी. डी.	15 माह
	4	पराघाट	मस्तुरी	524/6	2.023	मथुरा प्रसाद पिता बहोरन	सोल्जर जी. डी.	18 साल
	5	लावर म.नं. 1	मस्तुरी	206/1	2.023	ई.एस. पापाचंद पिता इशो योहन्नान	हवलदार	17 साल
	6	लावर म.नं. 1	मस्तुरी	206/2	2.023	एस.के. आरपाल पिता एस.बान पाल	सोल्जर जी. डी.	9 साल
	7	लावर म.नं. 1	मस्तुरी	206/3	2.023	एस.एस. मुढलियार पिता पी.पी.सी. मुढलियार	नायक	16 साल
अनुभाग	क	ग्राम व प. ह.नं.	तहसील	खसरा नं.	रकबा	भूत पूर्व सैनिक का नाम	पदस्थ सेवा का नाम	पूर्ण की गई सेवा अवधि का विवरण
मस्तुरी	8	लावर म.नं. 1	मस्तुरी	206/4	2.023	राजेन्द्र सिंह एवं भुपेन्द्र सिंह दोनों पिता जोगेन्द्र सिंह	सोल्जर जी. डी.	15 साल
	9	लावर म.नं. 1	मस्तुरी	206/5	2.023	बन्शी लाल पिता अमर सिंह	सोल्जर जी. डी.	12 साल
	10	करा	मस्तुरी	15/8	5.550	अविनाश मिंज पिता पुरन मिंज	सोल्जर जी. डी.	15 साल
	11	करा	मस्तुरी	15/27	5.550	पी. पुरुषोत्तम	सोल्जर जी. डी.	15 साल
योग	28				65.293 हेक्टे.			


अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1153) की जानकारी

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	विकासखंड, शहरीय क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र का नाम (वार्डवार)	परिक्षेत्र का नाम	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	वृत्त कार्यवाही की जानकारी	अद्यतन जानकारी
1	2025	राजनांदगांव	विकासखंड - डोंगरगढ़	उत्तर बोरतलाव/दक्षिण बोरतालव एवं डोंगरगढ़	वनमंडल कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 29.05.2025	श्री प्रकाश कुमार अग्रवाल,	छ.ग. प्रदेश के राजनांदगांव जिले के अंतर्गत डोंगरगढ़ उपवनमंडल के अंतर्गत डोंगरगढ़ परिक्षेत्र उत्तर बोरतलाव एवं दक्षिण बोरतलाव परिक्षेत्र में अवैध कब्जा, अवैध उत्खनन के साथ-साथ बिना अनुमति के शासकीय कूपों की कटाई कर अधिकारी द्वारा की जा रही मनमानी की शिकायत बाबत। (PMOPG/E//2025/0065 944 दिनांक 11.05.2025)	9	10 शिकायत पर वनमंडल स्तरीय जांच कार्यवाही में अवैध कटाई एवं अवैध कब्जा नहीं पाये जाने संबंधी जांच प्रतिवेदन वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव से प्राप्त होने के उपरांत वृत्त कार्यालय के पत्र क्रं./नि.स./556 दुर्ग दिनांक 02.09.2025 द्वारा प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता/शिकायत रायपुर के पत्र क्रमांक/157765 दिनांक 05.09.2025 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को नस्तीबद्ध हेतु प्रेषित किया गया है।
2	2025	राजनांदगांव	विकासखंड - डोंगरगढ़, शहरी क्षेत्र वार्ड नं. 01, डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	नवभारत समाचार पत्र में दिनांक 05.05.2025 को प्रकाशित	नवभारत समाचार पत्र में प्रकाशित शिकायत।	डोंगरगढ़ की 10 एकड़ वन भूमि में अवैध प्लाटिंग कर बेचने का मामला उजागर।	-	शिकायत की जांच में करवारी परिसर के सीमा लाईन के बाहर राजस्व क्षेत्र में किसानों द्वारा आने जाने के लिए साफ-सफाई कर रास्ता बनाया गया है। उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार का प्लाटिंग कार्य नहीं हुआ है। वनमंडल राजनांदगांव कार्यालय में नस्तीबद्ध किया गया है।

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	विकासखंड, शहरीय क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र का नाम (वार्डवार)	परिक्षेत्र का नाम	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	वृत्त कार्यवाही की जानकारी	अद्यतन जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2025	राजनांदगांव	विकासखंड - डोंगरगढ़, शहरी क्षेत्र वार्ड नं. 03, डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	ऑनलाईन जनशिकायत पोर्टल में 25.07.2025 को प्राप्त	निर्मल कुमार महोबिया,	केदार बड़ी क्षेत्र में वन भूमि अतिक्रमण एवं अवैध प्लाटिंग की जा रही है भूमि अधिकारियों के द्वारा निजी भूमि की सीमा को बढ़ाया जा रहा है जांच एवं कार्रवाई के संबंध में। (पी.जी.एन. प्रकरण क्रमांक 790925005319)	-	शिकायत की जांच में वन कक्ष क्रमांक आर. एफ. 474 का मौका मुआयना किया गया। विभाग की ओर से सहायक परिक्षेत्र अधिकारी डोंगरगढ़, परिसर स्थापक करवारी तथा राजस्व विभाग की ओर से सम्बंधित राजस्व निरीक्षक डोंगरगढ़ एवं सम्बंधित हल्का पटवारी तथा विभाग में कार्यरत सुरक्षा श्रमिक, शिकायतकर्ता श्री निर्मल कुमार महोबिया एवं श्री सौमित्र सोनी डोंगरगढ़ (कॉलोनीनाईजार डोंगरगढ़) की उपस्थिति में व क्षेत्र से लगे रहवासियों के समक्ष संयुक्त स्थल निरीक्षण कर जांच के दौरान करवारी परिसर के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 474 की सीमा सी.पी.टी. नाली एवं मुनारा से दूर स्थित है। उक्त वन भूमि पर मू-माफियाओं द्वारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण एवं अवैध प्लाटिंग नहीं किया गया है। शिकायत कलेक्टर राजनांदगांव कार्यालय से ऑनलाईन प्राप्त होने के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/नि.स./पी.जी.एन/4939 दिनांक 05.12.2025 के माध्यम से नस्तीबद्ध करने हेतु प्रेषित किया गया है।

क्र.	वर्ष	वनमण्डल का नाम	विकासखंड, शहरीय क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र का नाम (वार्डवार)	परिक्षेत्र का नाम	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	वृत्त कार्यवाही की जानकारी	अद्यतन जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2025	खैरागढ़	ग्रामीण	खैरागढ़	22.12.2025	श्रीमती ममता वर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत सांकरा एवं ग्रामीण	चौकीदार अमृतलाल फारेस्ट विभाग का जमीन मुनारा के अंदर का जमीन अपने निजी खेत में मिला देने बाबत।	शिकायत वनमंडल कार्यालय को सीधे प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच हेतु परिक्षेत्र अधिकारी खैरागढ़ को निर्देशित किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार अतिक्रमक श्री अमृतलाल वर्मा, निवासी ग्राम-सांकरा द्वारा उनकी निजी भूमि से लगी लगभग 02 हेक्टर जमीन वनभूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया जाना पाया गया। संबंधित को आवश्यक समझाईश देकर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। श्री अमृतलाल वर्मा जो सुरक्षा श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा था, उसे कार्य से पृथक किया गया है।	शिकायत नरस्तीबद्ध की गई है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

परिशेष - चोबीस

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1200) की जानकारी

प्रपत्र

बजट वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में शामिल कार्यों की जानकारी

स.क्र.	कार्यों के नाम	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	लाभान्वित ग्राम का नाम		सिंचाई क्षमता		सिंचाई में हो रहे कमी की पूर्ति	प्रकरण की अद्यतन स्थिति	रिपोर्ट	
				ग्राम का नाम	रकबा	खरीफ	रबी				योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बजट वर्ष 2024-25											
1	चौतडिया नाला में परसदा एनीकट का निर्माण कार्य	अकलतरा	अकलतरा	परसदा	60	60	0	60	-	डी.पी.आर. तैयार किया जाना प्रस्तावित है।	-
2	लीलागर नदी में पीपरसल्ली एनीकट का मरम्मत कार्य	अकलतरा	अकलतरा	पीपरसल्ली	240	240	0	240	-	डी.पी.आर. तैयार किया जाना प्रस्तावित है।	-
3	स्थानीय नाला पर कापन स्टंपडैम का निर्माण कार्य	अकलतरा	अकलतरा	कापन	50	50	0	50	-	डी.पी.आर. तैयार किया जाना प्रस्तावित है।	-
4	कंजीनाला पर बरपाली एनीकट का निर्माण कार्य	अकलतरा	अकलतरा	बरपाली	70	70	0	70	-	प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षणधीन है।	-
5	लीलागर नदी में अमोरा एनीकट (नवापारा बस्ती) का निर्माण कार्य	अकलतरा	अकलतरा	अमोरा	130	130	0	130	-	डी.पी.आर. तैयार किया जाना प्रस्तावित है।	-
6	जमुनाही नाला में एनीकट का निर्माण कार्य	अकलतरा	अकलतरा	फरहदा	50	50	0	50	-	डी.पी.आर. तैयार किया जाना प्रस्तावित है।	-
7	कंजीनाला में तागा एनीकट का निर्माण कार्य	अकलतरा	अकलतरा	तागा	65	120	0	120	-	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।	कार्यादेश जारी।
8	लीलागर नदी में चंगोरी स्टंपडैम का निर्माण कार्य	अकलतरा	अकलतरा	धाराशिव	55	150	0	150	-	डी.पी.आर. तैयार किया जाना प्रस्तावित है।	-
9	लीलागर नदी में सोनडीह एनीकट सह रपटा का निर्माण कार्य	अकलतरा	अकलतरा	सोनडीह	120	120	0	120	-	डी.पी.आर. तैयार किया जाना प्रस्तावित है।	-
10	लीलागर नदी में बुडुगहन एनीकट का मरम्मत कार्य	अकलतरा	बलौदा	बुडुगहन	20	20	0	20	-	डी.पी.आर. तैयार किया जाना प्रस्तावित है।	-

स.क्र.	कार्यों के नाम	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	लाभान्वित ग्राम का नाम		सिंचाई क्षमता			सिंचाई में हो रहे कमी की पूर्ति	प्रकरण की अद्यतन स्थिति	सिमांक
				ग्राम का नाम	रकबा	खरीफ	रबी	योग			
1	2 सल्लीगुड़ी एनीकट में हाईड्रो पंपिंग द्वारा सिंचाई	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		अकलतरा	बलौदा	सल्लीगुड़ी गोवाबंध देवरी	40 30 30	100	0	100	-	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।	द्वितीय निविदा आमंत्रित है।
12	आमानारा एनीकट से सिंचाई करने हेतु सौर उर्जा संचालित उद्वहन सिंचाई योजना महुदा का निर्माण कार्य	अकलतरा	बलौदा	आमानारा	80	80	0	80	-	डी.पी.आर. तैयार किया जाना प्रस्तावित है।	-
13	जाजगीर चाम्पा जिले के हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत अकलतरा शाखा नहर के आर.डी. 13000 मी. से 13600 मी., 14800 मी. से 15200 मी., 19200 मी. से 19700 मी. एवं 20590 मी. से 21200 मी. तक दोनों तरफ टो-वॉल निर्माण एवं लाईनिंग नरमत्त कार्य।	अकलतरा	अकलतरा	-	-	-	-	-	-	प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण प्रमुख अभियंता स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	टो-वॉल बनाने से एरिया में वृद्धि नहीं होगी
14	जाजगीर चाम्पा जिले के हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत ग्राम बनाहिल, पकरिया झुलन, नवागांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु बनाहिल शाखा नहर के आर. डी. 0मी. से 300मी., अकलतरा शाखा नहर के आर. डी. 23400 मी. से 26600 मी., तनाप्यारा माईनर के आर.डी. 0 मी. से 900 मी. तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य।	अकलतरा	अकलतरा	-	-	-	-	-	-	विभाग में सड़क निर्माण कार्य प्रतिबंधित है।	सड़क निर्माण करने से एरिया में वृद्धि नहीं होगी।

स.क्र.	कार्यों के नाम	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	लाभान्वित ग्राम का नाम		सिंचाई क्षमता			सिंचाई में हो रहे कमी की पूर्ति	प्रकरण की अद्यतन स्थिति	सिमांक
				ग्राम का नाम	रकबा	खरीफ	रबी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
15	जाजगीर चाम्पा जिले के हसदेव बागो परियोजना अंतर्गत बनाहिल वितरक नहर के आर.डी. 2000 मी. से 8000 मी. एवं कोसा उपशाखा नहर के आर.डी. 0 मी. से 1500 मी. के मध्य क्षतिग्रस्त सी.सी. लाईनिंग का मरम्मत कार्य।	अकलतरा	अकलतरा	बनाहिल	50	0	0	0	159	जून 2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।	
16	जाजगीर चाम्पा जिले के हसदेव बागो परियोजना अंतर्गत अकलतरा शाखा नहर के आर.डी. 5775 मी. पर स्थित क्रास रेगुलेटर का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य तथा अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में लाईनिंग कार्य।	अकलतरा	बलौदा	-	109					तकनीकी साध्यता एवं बजट उपलब्धता के अनुसार प्रकरण पर कार्यवाही की जावेगी।	हेड रेगुलेटर के मरम्मत से एरिया में वृद्धि नहीं होगी
17	जाजगीर चाम्पा जिले के हसदेव बागो परियोजना अंतर्गत नरीयरा, सोनसरी, मुलमुला, ब्यास नगर, नंदेली इत्यादि ग्रामों को राजकीय राजमार्ग से जोड़ने बावत् बनाहिल शाखा नहर के आर.डी. 6400 मी. से 8000 मी. एवं कोसा उप शाखा नहर के 0 मी. से 1700 मी. तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य	अकलतरा	अकलतरा	-						विभाग में सड़क निर्माण कार्य प्रतिबद्धित है।	सड़क निर्माण कराने से एरिया में वृद्धि नहीं होगी
18	जाजगीर चाम्पा जिले के जर्वे कटोल रूम स्थित निरीक्षण भवन के मरम्मत कार्य एवं आवासीय परिसर का बाऊण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	अकलतरा	बलौदा	-						इस कार्यालय का पत्र क्र. 1066 दिनांक 24.02.26 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति के लिये प्रमुख अभियंता, रायपुर को प्रेषित।	भवन मरम्मत से एरिया में वृद्धि नहीं होगी

स.क्र.	कार्यों के नाम	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	लाभान्वित ग्राम का नाम		सिंचाई क्षमता			सिंचाई में हो रहे कमी की पूर्ति	प्रकरण की अद्यतन स्थिति	सिमांक
				ग्राम का नाम	रकबा	खरीफ	रबी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	जाजगीर चाम्पा जिले के हसदेव बागो परियोजना अंतर्गत जर्बे, डिवाडिंग में स्केप ड्रेनल, नाला ट्रीटमेंट, पिचिंग ब्लॉक कोर्स का कार्य।	अकलतरा	बलौदा	-	-	-	-	-	-	तकनीकी साध्यता एवं बजट उपलब्धता के अनुसार प्रकरण पर कार्यवाही की जावेगी।	स्केप ड्रेनल, नाला ट्रीटमेंट, पिचिंग ब्लॉक कोर्स से एरिया में वृद्धि नहीं होगी
20	जाजगीर चाम्पा जिले के मुख्य नहर से ग्राम अकलतरा, खिसौरा, तरोद, किरारी इत्यादि ग्रामों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने बाबत अकलतरा शाखा नहर के आर.डी. 12350 मी. से 19100 मी. तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	अकलतरा	अकलतरा	-	-	-	-	-	-	विभाग में सड़क निर्माण कार्य प्रतिबद्धित है।	सड़क निर्माण कराने से एरिया में वृद्धि नहीं होगी
21	जाजगीर चाम्पा जिले के हसदेव बागो परियोजना अंतर्गत अकलतरा शाखा नहर के आर.डी. 2200 मी. से 2700 मी., 2900 मी. से 3500 मी. एवं 3600 मी. से 4050 मी. तक फीलिंग शैब में क्राफ्ट, टो-वॉल का निर्माण कार्य।	अकलतरा	बलौदा	-	-	-	-	-	-	अनुबन्ध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन जून 2026 तक पूर्ण	टो-वॉल बनाने से एरिया में वृद्धि नहीं होगी

स.क्र.	कार्यों के नाम	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	लाभान्वित ग्राम का नाम		सिंचाई क्षमता			सिंचाई में हो रहे कमी की पूर्ति	प्रकरण की अद्यतन स्थिति	रिमार्क
				ग्राम का नाम	रकबा	खरीफ	रबी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	जांजगीर चाम्पा जिले के बिलासपुर-पामगढ़ मार्ग से कोनार महार जाने हेतु सड़क निर्माण, बनाहिल शाखा नहर के आर.डी. 10, 50 कि.मी. से 12.78 कि.मी. तक एवं कोनार माइनर 1 के आर.डी. 0 मी. से 2400 मी. तक सी.सी. रोड का कार्य।	अकलतरा	अकलतरा	-						विभाग में सड़क निर्माण कार्य प्रतिबन्धित है।	सड़क निर्माण कराने से एरिया में वृद्धि नहीं होगी
23	जांजगीर चाम्पा जिले के अंतर्गत ग्राम चोरभट्टी-खपरी के मध्य स्थित उताईल नाला में एनीकट का निर्माण कार्य।	अकलतरा	अकलतरा	चोरभट्टी	8	0	15	15		तकनीकी साध्यता एवं बजट उपलब्धता के अनुसार प्रकरण पर कार्यवाही की जावेगी।	
24	जांजगीर चाम्पा जिले के अंतर्गत ग्राम घनवा के पास कजीनाला में स्टापडेम कम काजवे निर्माण कार्य।	अकलतरा	अकलतरा	घनवा	65	30	35	65		प्रगतिरत जून 2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।	
25	जांजगीर चाम्पा जिले के अंतर्गत ग्राम कापन के पास सखवा नाला में स्टापडेम सह स्पटा एवं तटबंध निर्माण कार्य।	अकलतरा	अकलतरा	कापन	15	0	15	15		तकनीकी साध्यता एवं बजट उपलब्धता के अनुसार प्रकरण पर कार्यवाही की जावेगी।	
26	जांजगीर चाम्पा जिले के अंतर्गत ग्राम महुवाडीह में कंजीनाला पर स्टापडेम सह स्पटा का निर्माण कार्य।	अकलतरा	अकलतरा	महुवाडीह	15	0	15	15		तकनीकी साध्यता एवं बजट उपलब्धता के अनुसार प्रकरण पर कार्यवाही की जावेगी।	
27	जांजगीर चाम्पा जिले के अंतर्गत ग्राम मुडपार के पास छिरका नाला में स्टापडेम सह काजवे का निर्माण कार्य।	अकलतरा	अकलतरा	मुडपार	10	22	20	42		अनुबंध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन मार्च 2027 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।	
				तिलई	14						

स.क्र.	कार्यों के नाम	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	लाभान्वित ग्राम का नाम		सिंचाई क्षमता			प्रकारण की अद्यतन स्थिति	सिमांक	
				ग्राम का नाम	रकबा	खरीफ	रबी	योग			
1	2 सिंचाई का उन्नयन कार्य।	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				परसदा	18						
बजट वर्ष 2025-26											
1	ठंडगाबहरा जलाशय योजना का जीर्णोद्धार कार्य एवं नहर लाईनिंग का उन्नयन कार्य, पुलिया निर्माण, स्ट्रूस गेट का उन्नयन कार्य।	अकलतरा	बलौदा	ठंडगाबहरा	175.54	262	0	262	65 हे. में हो रही कमी में पूर्ति होगी	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।	कार्यादेश जारी।
				जूनाडीह	37.26						
				बछौद	143.04						
				चारपाया	63.88						
				डोरला	89.64						
				चंदनिया	101.22						
				पिपरदा	89.40						
2	शनिचराडीह जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग उन्नयन कार्य।	अकलतरा	बलौदा	सोनबरसा	3.93	607	0	607	56 हे. में हो रही कमी में पूर्ति होगी	डी.पी.आर. मुख्य अभियंता के पत्र क्र. 92/जां.चा. /डी-5 /2017/दिनांक 03.12.2025 के द्वारा प्रमुखा अभियंता कार्यालय को प्रेषित है।	-
				हरदीविशाल	49.03						
				खिसोरा	16.76						
				कुरमा	86.46						
				बगडबरी	102.16						
				लेवई-नवापाया	5.75						
3	बुडगाहन जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग उन्नयन कार्य।	अकलतरा	बलौदा	जर्व	93.00	364	0	364	50 हे. में हो रही कमी में पूर्ति होगी	डी.पी.आर. मुख्य अभियंता के पत्र क्र. 166/जां.चा. /डी-5 /दिनांक 06.12.2025 के द्वारा प्रमुखा अभियंता कार्यालय को प्रेषित है।	-
				जर्व	93.00						
4	जर्व जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग उन्नयन कार्य।	अकलतरा	बलौदा	जर्व	93.00	93	0	93	27 हे. में हो रही कमी में पूर्ति होगी	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।	द्वितीय निविदा आमंत्रित है।

स.क्र.	कार्यों के नाम	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	लाभान्वित ग्राम का नाम		सिंचाई क्षमता			सिंचाई में हो रहे कमी की पूर्ति	प्रकरण की अद्यतन स्थिति	रिमाक
				ग्राम का नाम	रकबा	खरीफ	रबी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	जांजगीर-चाम्पा जिले के हसदेव बागो परियोजना के अंतर्गत अकलतरा शाखा नहर के कोसा उपवितरक नहर के आर.डी. 1500 मी. से 9000 मी. के मध्य लाईनिंग, स्ट्रक्चर्स एवं बैंक को सुदृढीकरण कार्य।	अकलतरा	अकलतरा	डिघोरा	50	0	0	0	50	प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण प्रमुख अभियंता स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	
6	जांजगीर-चाम्पा जिले के हसदेव बागो परियोजना के अंतर्गत खटोला वितरक नहर के कोटमी उपवितरक नहर 1 आर.डी. 0 मी. से 8400 मी. एवं कोटमी माइनर, कोटमी माइनर 2 तथा कोटमी उपवितरक नहर 2 के आर.डी. 0 मी. 4830 मी. एवं कोटमी माइनर आर.डी. 0 मी. से 1400 मी., अर्जुनी माइनर आर.डी. 0 मी. से 900 मी. में क्षतिग्रस्त लाईनिंग, स्ट्रक्चर का नवीनीकरण एवं बैंको का मजबूतीकरण का कार्य।	अकलतरा	अकलतरा	कोटमी	15				50	प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण प्रमुख अभियंता स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	
				अर्जुनी	10						
				कल्याणपुर	12						
				लटिया	13						
7	जांजगीर-चाम्पा जिले के हसदेव बागो परियोजना अंतर्गत वृहद परियोजना ऑगमेण्टेशन के अंतर्गत परसाही दाबयुक्त उदकन सिंचाई परियोजना कार्य	अकलतरा	अकलतरा	पिपदा	280	280	196	476		प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण प्रमुख अभियंता स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	15500 हेक्टेयर खरीफ एवं 10850 हेक्टेयर रबी कुल 26350 हेक्टेयर
				कटघरी	140	140	98	238			
				खटोला	280	280	196	476			
				बरगाँव	235	235	164	399			
				महमदपुर	155	155	108	263			
				कटमई	160	160	112	272			
				पचरी	150	150	105	255			

स.क्र.	कार्यों के नाम	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	लाभाश्रित ग्राम का नाम		सिंचाई क्षमता			सिंचाई में हो रहे कमी की पूर्ति	प्रकरण की अद्यतन स्थिति	रिमांक
				ग्राम का नाम	रकबा	खरीफ	रबी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				बरपाली	100	100	70	170			
				हरदी	720	720	504	1224			
				सरायपाली	98	98	68	166			
				बरबसपुर	120	120	84	204			
				चंदनिया	198	198	138	336			
				पंडरिया	340	340	238	578			
				कोटगढ	320	320	224	544			
		अकलतरा	अकलतरा	बाना	300	300	210	510			
				बन्हनी	350	350	245	595			
				परसाही	340	340	238	578			
				करहीडीह	240	240	168	408			
				भैसतरा	120	120	84	204			
		अकलतरा	बलौदा	औराईकला	310	310	217	527			
				जर्व	585	585	410	995			
				अवरुई	98	98	69	167			
				खोहा	80	80	56	136			
				उसलापुर	80	80	56	136			
				पोच	70	70	49	119			
				दहकोनी	130	130	91	221			
				रसोटा	510	510	357	867			
				बेलटुकरी	90	90	63	153			
				मधुईपुर	110	110	77	187			
				खिसारा	504	504	353	857			
				हरदी कला	265	265	186	451			
				डौंगरी	600	600	420	1020			

स.क्र.	कार्यों के नाम	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	लाभान्वित ग्राम का नाम		सिवाई क्षमता			सिवाई में हो रहे कमी की पूर्ति	प्रकरण की अद्यतन स्थिति	रिमार्क
				ग्राम का नाम	रकबा	खरीफ	रबी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				जावलपुर	980	980	686	1666			
				झपेली	95	95	67	162			
				बलौदा	1145	1145	802	1947			
				चारपासा	510	510	357	867			
				शनिचराडीह	85	85	60	145			
				ढोरला	315	315	221	536			
				बछौद	320	320	224	544			
				सुल्ताननार	220	220	154	374			
		अकलतरा	बलौदा	नवापासा	230	230	161	391			
				महुदा	250	250	175	425			
				जुनाडीह	260	260	182	442			
				बुङ्गहन	560	560	392	952			
				पनोरा	440	440	308	748			
				कटरा	120	120	84	204			
				लेवई	220	220	154	374			
				नवापासा	240	240	168	408			
				बगडोबरी	230	230	161	391			
				कर्मा	160	160	112	272			
				सोनबरसा	95	95	66	161			
				अचानकपुर	102	102	71	173			
				बिरगहनी	215	215	150	365			
				कोरबी	310	310	217	527			
				भिलाई	320	320	224	544			

स.क्र.	कार्यों के नाम	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	लाभान्वित ग्राम का नाम		सिंचाई क्षमता			सिंचाई में हो रहे कमी की पूर्ति	प्रकरण की अद्यतन स्थिति	रिपोर्ट
				ग्राम का नाम	रकबा	खरीफ	रबी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	जांजगीर-चाम्पा जिले के ग्राम छैडोलिया जलाशय के बाध एवं नहर का नवीनीकरण एवं सी.सी. लाईनिंग का कार्य	अकलतरा	अकलतरा	बोरसी	10	0	0	0	10	प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण प्रमुख अभियंता स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	
9	जांजगीर-चाम्पा जिले के अंतर्गत रसेड़ा जलाशय का उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कार्य	अकलतरा	अकलतरा	रसेड़ा	15	0	0	0	15	तकनीकी साध्यता एवं बजट उपलब्धता के अनुसार प्रकरण पर	
10	जांजगीर-चाम्पा जिले के ग्राम कोटमी सोनार के बंधवा तालाब का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण का कार्य	अकलतरा	अकलतरा	कोटमीसोनार	10	0	0	0	10	तकनीकी साध्यता एवं बजट उपलब्धता के अनुसार प्रकरण पर कार्यवाही की जावेगी।	
11	जांजगीर-चाम्पा जिले के बेमराज सागर टैंक का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य	अकलतरा	अकलतरा	सांकर	10	0	0	0	10	तकनीकी साध्यता एवं बजट उपलब्धता के अनुसार प्रकरण पर कार्यवाही की जावेगी।	
12	जांजगीर-चाम्पा जिले के हंसदेव बागो परियोजना अंतर्गत अकलतरा शाखा नहर के आर.डी. 19 कि.मी. में स्थित स्केप का उन्नयन	अकलतरा	अकलतरा	-		0	0	0		तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन जून 2027 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित	स्केप का उन्नयन एवं नाला ड्रीटमेंट कार्य से एरिया में वृद्धि नहीं होगी।

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 02-03-2026
17:30:49
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

परिशेष - पच्चीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1202) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्राचार्य	343	109	234
2	प्राध्यापक	780	0	780
3	सहायक प्राध्यापक	5415	2903	2512
4	ग्रंथपाल	220	71	149
5	क्रीडा अधिकारी	214	79	135
6	सहायक ग्रेड -1	278	87	191


 अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग
 मंत्रालय अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

परिशेष - छब्बीस

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1214) की जानकारी

प्रपत्र अ

आरडीएसएस योजना के तहत कवर्धा जिले में लॉस रिडक्शन कार्यों की प्रगति

क्रमांक	घटकवार कार्य विवरण	इकाई	कुल कार्य की मात्रा	31.01.2025 की स्थिति में कार्यपूर्णता की स्थिति		लक्षित समय-सीमा 20.07.2025 की स्थिति में कार्यपूर्णता की स्थिति		31.01.2026 की स्थिति में कार्यपूर्णता की स्थिति			शेष कार्य
				कार्यपूर्णता की मात्रा	प्रगति प्रतिशत में	कार्यपूर्णता की मात्रा	प्रगति प्रतिशत में	पुनरीक्षित कुल कार्य की मात्रा	कार्यपूर्णता की मात्रा	प्रगति प्रतिशत में	
1	11 के.व्ही. कृषि पंप फीडरो का पृथकीकरण	नग	119	38	32%	38	32%	103	38	37%	65
2	अतिभारित एवं लंबे 11 के.व्ही. फीडरो का विभाजन	नग	14	4	29%	5	36%	15	5	33%	10
3	निम्नदाब लाईन में एबी केबल लगाने का कार्य (बेयर कंडक्टर से एबी केबल लगाने का कार्य एवं भार कम करने हेतु इंटरलिकिंग कार्य)	कि.मी.	4194.3	2310	55%	2940.78	70%	4041.8	3019.3	75%	1022.5
4	चोरी वाले क्षेत्रों में सर्विस लाईन में आर्मड केबल लगाने का कार्य	कि.मी.	5.69	0	0%	0	0%	5.69	0	0	5.69
5	वितरण ट्रांसफार्मर के वितरण बाक्स को एस.एम.सी. बाक्स में बदलने का कार्य	नग	4665	1136	24%	1416	30%	4665	1416	30%	3249


 सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र ब

कवर्धा जिले में आर.डी.एस.एस. योजनांतर्गत लॉस रिडक्शन कार्यों में वर्षवार भुगतान एवं कटौती की गई पेनाल्टी राशि की जानकारी

राशि रु करोड़ में


क्रमांक	वर्ष	भुगतान राशि			कटौती की गई पेनाल्टी राशि		
		सप्लाइ की राशि	इरेक्शन की राशि	कुल राशि	सप्लाइ देयक से	इरेक्शन देयक से	कुल कटौती की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2022-23	-	-	-	-	-	-
2	2023-24	17.04	0.12	17.16	-	-	-
3	2024-25	74.20	5.74	79.94	-	-	-
4	2025-26	37.29	7.36	44.65	4.44	1.92	6.36
	योग	128.53	13.22	141.75	4.44	1.92	6.36

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर


परिशेष - सत्ताईस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 1268) की जानकारी

प्रपत्र-अ

सं.क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम व पता
1	डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
2	मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
3	कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
4	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
5	आई. टी. एम. विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
6	एमिटी विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
7	ए.ए.एफ.टी विश्वविद्यालय ऑफ मीडिया आर्ट्स, रायपुर (छ.ग.)
8	श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भिलाई, (छ.ग.)
9	आंजनेय विश्वविद्यालय, नरदहा रायपुर (छ.ग.)


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़, मंत्रालय
उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर

स.क्र.	निजीविश्वविद्यालय का नाम व पता
1	ओ.पी.जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)
2	आई. एस. बी. एम. विश्वविद्यालय, गरियाबंद (छ.ग.)
3	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
4	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, बिलासपुर (छ.ग.)
5	के.के. मोदी विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
6	भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
7	श्री दावड़ा विश्वविद्यालय, भेलवाडीह, रायपुर (छ.ग.)
8	रूंगटा इंटरनेशनल स्कील्स यूनिवर्सिटी, दुर्ग (छ.ग.)


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़, मंत्रालय
 उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर

प्रपत्र-‘अ’

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में गबन एवं वित्तीय अनियमितता के संज्ञान में आये शिकायत/मामलों की जानकारी (जनवरी, 2024 से दिनांक 31/01/2026 तक)

(राशि रु. लाखों में)

क्र.	बैंक का नाम	शाखा का नाम	गबन/वित्तीय अनियमितता की राशि	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण
1	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर	खोरपा	17.68	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर की खोरपा शाखा में गबन के संबंध में।
		गंज शाखा	84.39	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर की गंज शाखा में गबन के संबंध में।
		सी.ओ.डी शाखा	419.03	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर सी.ओ.डी. में आर्थिक अनियमितता।
		-	2.28	श्री विजय वर्मा द्वारा खोरपा, गंज एवं सी.ओ.डी. शाखा में की गई आर्थिक अनियमितता।
		खोरपा	5.10	नर्मदा प्रसाद तिवारी द्वारा सिलक में कमी कर गबन।
1	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर	देवमोग / गोहरापदर	16.36	ग्राहक के बचत खाते से फर्जी आहरण, नगदी सिलक में कमी तथा एटीएम में राशि की कमी कर गबन।
		कसडोल	21.72	श्री दुर्गेश यादव भृत्य द्वारा शाखा के खाताधारी श्री रामदीन केवर्त एवं श्री भगत राम पटेल के खाते के नाम से फर्जी चेक जारी कर एवं एटीएम के माध्यम से राशि का आहरण कर गबन।
		-	-	‘दुर्ग एवं रायपुर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में संगठित भ्रष्टाचार, तालपत्री-सुतली खरीदी घोटाला, किसान खातों/सब्सिडी ऋण में हेराफेरी, दोषियों को संरक्षण, जांच को जानबूझकर लंबित रखने तथा रु. 200 करोड़ से अधिक की समेकित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र EOW/ACB/CID जांच एवं एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने बाबत।
2	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग	डौण्डी लोहारा	13.42	इनएक्टिव खातों से कर्मचारी द्वारा गबन।
		नवागढ़	197.98	समिति के नाम से शाखा में फर्जी ऋण वितरण समिति प्रमारी एवं सहायक द्वारा गबन।
3	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव	विस्तार शाखा राजनांदगांव	4.70	कैशियर के चार्ज में रहते हुए नगद कैश का शॉर्टेज किया गया।
		गंडई	6.38	कैशियर के चार्ज में रहते हुए नगद कैश का शॉर्टेज किया गया।
		बसस्टेण्ड	1.44	बी.जी.एल. खाते से राशि आहरण कर अपने सैविंग खाता में जमा किया गया।
		जांजगीर	5.82	नगद सिलक में कमी।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

क्र.	बैंक का नाम	शाखा का नाम	गबन/वित्तीय अनियमितता की राशि	5
1	2	3	4	5
4	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर	अकलतरा चन्द्रपुर - तखतपुर मालखरौदा कोण्डगांव	22.16 4.96 - - 0.95 0.30	खाद, बीज खातों से नगद आहरण। किसानों की ऋण वसूली की राशि किसानों की डी.एम.आर खातों में जमा नहीं करना। तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, के भ्रष्टाचार की शिकायत। मृत व्यक्तियों के नाम पर ऐसे आहरण करने की शिकायत। खाता धारकों के खातों से फर्जी आहरण। शाखा में एक खातेदार के आहरण की राशि अन्य व्यक्ति को भुगतान कर लापरवाही बरतना तथा प्रकरण प्रकाश में आने पर राशि जमा करना।
5	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर	- - -	- - -	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा समिति कर्मचारियों से धान खरीदी में जैसे की मांग, बैंक के व्यय में बढ़ा-चढ़ा कर बिल बनाने की शिकायत। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जगदलपुर में पदस्थ एडिशनल प्रबंधक के द्वारा ट्रांसपोर्ट कंपनी के टेन्डर में मुनाफा कमाने एवं धान खरीदी में राशि की मांग किए जाने संबंधी शिकायत। प्रमारी सी.ई.ओ. जगदलपुर द्वारा पद के दुरुपयोग कमीशन खोरी के संबंध में। समितियों के के.सी.सी. खातों से फर्जी आहरण। समितियों के विभिन्न खातों से फर्जी आहरण।
6	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अंबिकापुर	रामानुजगंज कुसमी/शंकरगढ़ भैयाथान वाइफनगर सीतापुर पेटला प्रेमनगर राजपुर	135.00 2647.00 155.00 - - 17.04 306.98	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा भैयाथान अंतर्गत समिति केवरा में पदस्थ कर्मचारी श्री बालकृष्ण सिंह द्वारा लगभग रू. 1.55 करोड़ के खाद गबन की शिकायत। बैंक शाखा वाइफनगर में बैंक के शाखा प्रबंधक कौशियर एवं ऑपरेटर द्वारा मिलीभगत कर किसानों के जमीन के कागजात लगाकर फर्जी के.सी.सी. ऋण प्रकरण बनाकर राशि गबन की शिकायत। बैंक शाखा सीतापुर पेटला में फर्जी ऋण विगत 3 वर्षों में माफ करायें जाने, खाद, के.सी.सी एवं अन्य खातों से राशि स्थानांतरित करने आदि क संबंध में शिकायत। डी.एम.आर. खातों को डेबिट कर नियम विरुद्ध राशि स्थानांतरण। के.सी.सी ऋण खातों को डेबिट कर फर्टिलाईजर खातों में समायोजन।
7	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर	बरमकेला	1813.30	शाखा के कर्मचारियों द्वारा डी.एम.आर. खातों में नियम विपरीत एवं संदिग्ध ट्रांजेक्शन व नगद आहरण कर एवं समितियों के के.सी.सी. खातों को अनाधिकृत रूप से नामे कर आई.एम.पी.एस. ट्रांजेक्शन कर गबन किया गया है।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में गबन/वित्तीय अनियमितता की राशि एवं दोषी कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही की जानकारी
(जनवरी, 2024 से दिनांक 31/01/2026 तक)

(राशि रु. लाखों में)

क्र.	बैंक का नाम	शाखा का नाम	गबन/वित्तीय अनियमितता की राशि	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	संलिप्त पाये गये दोषी कर्मचारी का नाम एवं पद	की गई कार्यवाही	जमा/वसूल की गई राशि
1	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर	खोरपा	17.68	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर की खोरपा शाखा में गबन के संबंध में।	श्री विजय कुमार वर्मा, कनिष्ठ लिपिक	1. सेवा से पदच्युत, 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत। 3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	9
1	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर	गंज शाखा	84.39	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर की गंज शाखा में गबन के संबंध में।	श्री देवेन्द्र कुमार साहू, कम्यूटर ऑपरेटर	ब्याज राशि की वसूली की गई।	0.012
1	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर	सी.ओ.डी शाखा	419.03	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर सी.ओ.डी. में आर्थिक अनियमितता।	श्री विजय कुमार वर्मा, कनिष्ठ लिपिक	1. सेवा से पदच्युत, 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत। 3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	6.00
					श्री हिमांशु गुप्ता, कम्यूटर ऑपरेटर	1. सेवा से पृथक। 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत।	5.00
					श्री अरुण कुमार बैसवाड़े, सेवानिवृत्त सहायक लेखापाल	1. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध 2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	
					श्री चन्द्रशेखर डगर, कनिष्ठ लिपिक	1. सेवा से पदच्युत, 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध 3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	15.00

क्र.	बैंक का नाम	शाखा का नाम	गबन/ वित्तीय अनियमितता की राशि	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	संलग्न पाये गये दोषी कर्मचारी का नाम एवं पद	की गई कार्यवाही	जमा/ वसूल की गई राशि
1	2	3	5	6	7	8	9
	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर				श्री संजय कुमार शर्मा, सहायक लेखापाल	1. सेवा से पदच्युत, 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध 3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	10.00
					श्री अशोक कुमार पटेल, शाखा प्रबंधक	1. पदावनति का दण्ड 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत। 3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	2.76
					श्री विजय कुमार वर्मा, कनिष्ठ लिपिक	1. सेवा से पदच्युत, 2. अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत। 3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	-
					स्व. आनंद शर्मा, पूर्व कनिष्ठ लिपिक	1. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत। 2. स्व. आनंद शर्मा के पत्नी श्रीमती ज्योति शर्मा से गबन की राशि बैंक में जमा कराई गई।	1.31
					श्री पंकज सराफ, सहायक लेखापाल	1. सेवा से पदच्युत, 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत।	39.17
					श्री घनश्याम देवांगन, कनिष्ठ लिपिक	1. सेवा से पदच्युत, 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत।	54.06
					श्री अश्वनी कुमार दुबे, सेवामुक्त	त्रुटि/ अनियमितता पर कार्यवाही करते हुए संबंधित को दिए गए अतिरिक्त ब्याज की राशि / ब्याज प्रभारित नहीं करने वाले ऋण खातों पर ब्याज वसूल करने हेतु शाखा प्रबंधक को बैंक द्वारा निर्देश जारी किया गया है।	-

क्र.	बैंक का नाम	शाखा का नाम	गबन/ वित्तीय अनियमितता की राशि	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	संलग्न पाये गये दोषी कर्मचारी का नाम एवं पद	7	8	जमा/ वसूल की गई राशि
1	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर		5	6	7	8	9	
					श्रीमती भारती महानंद, सेवಾಯुक्त	त्रुटि/ अनियमितता पर कार्यवाही करते हुए संबंधित को दिए गए अतिरिक्त ब्याज की राशि / ब्याज प्रभारित नहीं करने वाले ऋण खातों पर ब्याज वसूल करने हेतु शाखा प्रबंधक को बैंक द्वारा निर्देश जारी किया गया है।	-	
					श्रीमती भाग्येश्वरी चौहान, कनिष्ठ लिपिक	त्रुटि/ अनियमितता पर कार्यवाही करते हुए संबंधित को दिए गए अतिरिक्त ब्याज की राशि / ब्याज प्रभारित नहीं करने वाले ऋण खातों पर ब्याज वसूल करने हेतु शाखा प्रबंधक को बैंक द्वारा निर्देश जारी किया गया है।	-	
					श्रीमती जमुना तांडी नाग, सेवायुक्त	1. दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड। 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत।	-	
					श्री पवन कुमार, सेवायुक्त	1. एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड। 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत। 3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	-	
					श्री शोख अबास, सेवायुक्त	त्रुटि/ अनियमितता पर कार्यवाही करते हुए संबंधित को दिए गए अतिरिक्त ब्याज की राशि / ब्याज प्रभारित नहीं करने वाले ऋण खातों पर ब्याज वसूल करने हेतु शाखा प्रबंधक को बैंक द्वारा निर्देश जारी किया गया है।	-	
			2.28	श्री विजय वर्मा द्वारा खोरपा, गंज एवं सी.ओ.डी. शाखा में की गई आर्थिक अनियमितता (ब्याज की राशि)।	श्री विजय कुमार वर्मा, कनिष्ठ लिपिक	1. सेवा से पदच्युत, 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत। 3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	-	

क्र.	बैंक का नाम	शाखा का नाम	गबन/ वित्तीय अनियमितता की राशि	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	संलिप्त पाये गये दोषी कर्मचारी का नाम एवं पद	की गई कार्यवाही	जमा/ वसूल की गई राशि
1	2	3	5	6	7	8	9
2	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग	डौण्डी लोहारा	13.42	इनएक्टिव खातों से कर्मचारी द्वारा गबन।	श्री रिखीराम साहू, शाखा प्रबंधक श्री देवनायण साहू, लिपिक श्री शत्रुहन बारला, लिपिक श्री विकास कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर (दैनिक वेतनमोर्गी)	विभागीय जांच प्रक्रियाधीन। विभागीय जांच प्रक्रियाधीन। विभागीय जांच प्रक्रियाधीन। सेवा से पृथक।	13.42
3	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव	नवागढ़	197.98	समिति के नाम से शाखा में फर्जी ऋण वितरण समिति प्रभारी एवं सहायक द्वारा गबन।	श्री व्यासनायण शर्मा, सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर, समिति प्रबंधक संवर्ग	उपादान की राशि रोकी गई एवं पुलिस में अपराध पंजीबद्ध। सेवा से पृथक एवं पुलिस में अपराध पंजीबद्ध।	0.00
3	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव	विस्तार शाखा राजनांदगांव	4.70	कैशियर के चार्ज में रहते हुए नगद कैश का शार्टेज किया गया।	श्री प्रेमसिंह चन्दप्रश्री, सामान्य सहायक (लिपिक)	विभागीय जांच उपरंत संचयी प्रभाव से 03 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के दंड से दंडित किया गया।	4.70
3	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव	गंडई	6.38	कैशियर के चार्ज में रहते हुए नगद कैश का शार्टेज किया गया।	कु. दामिनी यादव, सामान्य सहायक (लिपिक)	विभागीय जांच उपरंत संचयी प्रभाव से 03 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के दंड से दंडित किया गया।	6.38
4	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर	बसस्टेण्ड	1.44	बी.जी.एल. खाते से राशि आहरण कर अपने सैविंग खाता में जमा किया गया।	श्रीमती रुचि पाण्डेय, लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर श्रीमती अनामिका साव, सहायक लेखापाल (प्रभारी शाखा प्रबंधक)	आरोप प्रमाणित, गंभीर दुराचरण अंतर्गत प्रारंभिक वेतनमान का दंड। 02 वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने जाने का दंड।	1.44
4	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर	जांजगीर	5.82	नगद सिलक में कमी।	श्रीमती अनुपमा तिवारी, लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर सुश्री रश्मि गुप्ता, शाखा प्रबंधक श्री राजेश तिवारी, कनिष्ठ लिपिक	02 वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने जाने का दंड। विभागीय जांच प्रक्रियाधीन। विभागीय जांच प्रक्रियाधीन।	5.82

क्र.	बैंक का नाम	शाखा का नाम	गबन/ वित्तीय अनियमितता की राशि	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	संलग्न पाये गये दोषी कर्मचारी का नाम एवं पद	की गई कार्यवाही	जमा/ वसूल की गई राशि
1	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर	3	5	6	7	8	9
		अकलतरा	22.16	खाद, बीज खातों से नगद आहरण।	श्री शरद सिंह, पर्यवेक्षक (प्रमारी शाखा प्रबंधक)	विभागीय जांच प्रक्रियाधीन।	22.16
		चन्द्रपुर	4.96	किसानों की ऋण वसूली की राशि किसानों की डी.एम.आर खातों में जमा नहीं करना।	श्री रूपेश्वर सिंह कश्यप, लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	विभागीय जांच प्रक्रियाधीन।	0.00
		-	-	तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के भ्रष्टाचार की शिकायत।	श्री उमाशंकर तिवारी, सहायक लेखापाल (प्रमारी शाखा प्रबंधक)	निर्लंबित करते हुए थाना चन्द्रपुर में पुलिस में अपराध पंजीबद्ध कराया गया। विभागीय जांच प्रक्रियाधीन।	
		तखतपुर	-	मृत व्यक्तियों के नाम पर पैसे आहरण करने की शिकायत।		जांच पूर्ण, शिकायत अप्रमाणित।	
		मालखरौदा	0.95	खाता धारकों के खाते से फर्जी आहरण।	श्री प्रवीण शर्मा, कनिष्ठ लिपिक	जांच पूर्ण, अनियमितता अप्रमाणित।	राशि वसूली हेतु धारा 64 का वाद दायर किया गया है।
		कोण्डगांव	0.30	शाखा में एक खातेदार के आहरण की राशि अन्य व्यक्ति को मुग्तान कर लापरवाही बरतना तथा प्रकरण प्रकाश में आने पर राशि जमा करना।	श्री वीरेंद्र कुमार अदित्य, संस्था प्रबंधक	सेवा से पृथक।	
5	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर	-	-	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा समिति कर्मचारियों से धान खरीदी में पैसे की मांग, बैंक के व्यय में बढ़ा-चढ़ा कर बिल बनाने की शिकायत।	श्री भाविन्द्र नाग, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह लिपिक	विभागीय जांच प्रक्रियाधीन।	0.30
		-	-	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जगदलपुर में पदस्थ एडिशनल प्रबंधक के द्वारा ट्रांसपोर्ट कंपनी के टेल्डर में मुनाफा कमाने एवं धान खरीदी में राशि की मांग किए जाने संबंधी शिकायत।		जांच पूर्ण, शिकायत अप्रमाणित।	
		-	-	प्रमारी सी.ई.ओ. जगदलपुर द्वारा पद के दुरुपयोग कमीशन खोरी के संबंध में।		जांच प्रक्रियाधीन।	
		-	-			जांच पूर्ण, शिकायत अप्रमाणित।	

क्र.	बैंक का नाम	शाखा का नाम	गबन/वित्तीय अनियमितता की राशि	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	सलियत पाये गये दोषी कर्मचारी का नाम एवं पद	की गई कार्यवाही	जमा/वसूल की गई राशि
1			5	6	7	8	9
		रामानुजगंज	135.00	समितियों के के.सी.सी. खाते से फर्जी आहरण।	1. श्री शंकर राम भगत, सहायक लेखापाल 2. श्री विजय कुमार ऊइके, संस्था प्रबंधक 3. श्री राजेश कुमार पाल, लिपिक	सेवा से पृथक एवं थाने में पुलिस में अपराध पंजीबद्ध।	आर.आर.सी. के तहत प्रकरण दर्ज, वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
6	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अविकापुर	कुसमी/शंकरगढ	2647.00	समितियों के विभिन्न खातों से फर्जी आहरण।	श्री अशोक कुमार सोनी, सहायक मुख्य पर्यवेक्षक (प्रभारी शाखा प्रबंधक) श्री जगदीश प्रसाद, सहायक लेखापाल श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, संस्था प्रबंधक श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, सहायक मुख्य पर्यवेक्षक श्री विजय ऊइके, संस्था प्रबंधक श्री लक्ष्मण देवांगन, संस्था प्रबंधक श्री तवारक अली, प्रभारी लिपिक श्री एतबल सिंह, सेवानिवृत्त सहायक मुख्य पर्यवेक्षक श्री समल साय, सेवानिवृत्त सहायक मुख्य पर्यवेक्षक श्री विकासचन्द पांडवी, सेवानिवृत्त पर्यवेक्षक	पुलिस में अपराध पंजीबद्ध एवं सेवा से पृथक। पुलिस में अपराध पंजीबद्ध, निर्लंबित एवं विभागीय जांच प्रक्रियाधीन। पुलिस में अपराध पंजीबद्ध, निर्लंबित एवं विभागीय जांच प्रक्रियाधीन। पुलिस में अपराध पंजीबद्ध। पुलिस में अपराध पंजीबद्ध। पुलिस में अपराध पंजीबद्ध।	विशेष अंकेक्षण प्रक्रियाधीन एवं वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
		भैयाथान	155.00	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा भैयाथान अंतर्गत समिति केबरा में पदस्थ कर्मचारी श्री बालकृष्ण सिंह द्वारा लगभग रु. 1.55 करोड़ के खाद गबन की शिकायत।		जांच प्रक्रियाधीन।	
		वाइफनगर	-	बैंक शाखा वाइफनगर में बैंक के शाखा प्रबंधक कैशियर एवं ऑपरेटर द्वारा मिलीभागत कर किसानों के जमीन के कागजात लगाकर फर्जी के.सी.सी. ऋण प्रकरण बनाकर राशि गबन की शिकायत।		जांच प्रक्रियाधीन।	

क्र.	बैंक का नाम	शाखा का नाम	गबन/ वित्तीय अनियमितता की राशि	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	संलिप्त पाये गये दोषी कर्मचारी का नाम एवं पद	की गई कार्यवाही	जमा/वसूल की गई राशि
1	2	3	5	6	7	8	9
	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अठिकापुर	सीतापुर पेटला	-	बैंक शाखा सीतापुर पेटला में फर्जी ऋण विगत 3 वर्षों में माफ करायें जाने, खाद, के.सी.सी एवं अन्य खातों से राशि स्थानांतरित करने आदि के संबंध में शिकायत।	श्री राजेश मिश्रा, प्रभारी शाखा प्रबंधक श्री दीपक सोनी, लिपिक श्री एस.एन. जोशी, प्रभारी शाखा प्रबंधक श्री मनोज शर्मा, संस्था प्रबंधक	जांच प्रक्रियाधीन।	
		प्रेमनगर	17.04	डी.एम.आर. खाते को डेबिट कर नियम विरुद्ध राशि स्थानांतरण।	श्री डी.आर. वाघमारे, शाखा प्रबंधक	विभागीय जांच प्रक्रियाधीन।	17.04
		राजपुर	306.98	के.सी.सी ऋण खाते को डेबिट कर फर्टिलाइजर खाते में समायोजन।	श्री मीनाक्षी मांडी, लेखाधिकारी श्री आशीष पटेल, लिपिक	विभागीय जांच प्रक्रियाधीन।	0.00
7	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर	बरमकेला	1813.30	शाखा के कर्मचारियों द्वारा डी.एम.आर. खातों में नियम विपरीत एवं संदिग्ध ट्रांजेक्शन व नगद आहरण कर एवं समितियों के के.सी.सी. खातों को अनाधिकृत रूप से नामे कर आई.एम.पी. एस. ट्रांजेक्शन कर गबन किया गया है।	श्री लिकेश कुमार वैरागी, कम्प्यूटर ऑपरेटर (आऊटसोर्सिंग) श्री रमाकांत श्रीवास, कम्प्यूटर ऑपरेटर (आऊटसोर्सिंग) श्री अरुण चन्द्राकर, डंडा गार्ड (आऊटसोर्सिंग) श्री खीरदास महंत, डंडा गार्ड (आऊटसोर्सिंग) श्री बालकृष्ण कर्ष, डंडा गार्ड (आऊटसोर्सिंग) श्री एस.के. साहू, शाखा प्रबंधक श्री हेमंत चौहान, सहायक लेखापाल	पुलिस में अपराध पंजीबद्ध एवं निलंबित किया जाकर विभागीय जांच प्रक्रियाधीन। पुलिस में अपराध पंजीबद्ध एवं निलंबित किया जाकर विभागीय जांच प्रक्रियाधीन। पुलिस में अपराध पंजीबद्ध एवं निलंबित किया जाकर विभागीय जांच प्रक्रियाधीन। पुलिस में अपराध पंजीबद्ध एवं सेवा से पृथक। पुलिस में अपराध पंजीबद्ध एवं सेवा से पृथक। विभागीय जांच प्रक्रियाधीन। विभागीय जांच प्रक्रियाधीन।	विशेष अंकेक्षण प्रक्रियाधीन।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण

स.क्र.	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक	कार्यग्रहण तिथि	संविदा नियुक्ति समाप्ति तिथि
01	02	03	04	04		04
1	श्री इन्द्रजीत उइके	प्रमुख अभियंता	कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर	07.01.2026	07.01.2026	06.04.2026
2	श्री प्रसून कुमार शर्मा	अधीक्षण अभियंता	कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर	10.09.2025	15.09.2025	14.09.2026
3	श्री कुबेर सिंह गुरूवर	मुख्य अभियंता	कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर	03.09.2025	06.10.2025	05.10.2026
4	श्री एस.व्ही. भागवत	मुख्य अभियंता	कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर	11.08.2025	13.08.2025	12.08.2026
5	श्री जनक राम पटेल	कार्यपालन अभियंता	कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर	05.02.2026	27.02.2025	26.02.2026
6	श्री एल.एल. अहिरवार	कार्यपालन अभियंता	कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर	21.03.2025	24.03.2025	23.03.2026
7	श्री हेम सिंह धुव	कार्यपालन अभियंता (वि./यां.)	राज्य बांध सुरक्षा, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर	30.01.2026	30.01.2026	29.01.2027
8	श्री ज्ञानी राम लिल्लहारे	सहायक अभियंता	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मंत्रालय, वित्त विभाग	25.08.2025	26.08.2025	25.08.2026
9	श्री भागीरथी साहू	मानचित्रकार (सिविल)	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्रमांक-1, रायपुर	13.02.2026	13.02.2026	12.02.2027
10	श्री मो. इदरीश खान	सहायक वर्ग-2	कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर	16.02.2026	20.02.2026	19.02.2027
11	श्री इदरीश खान	सहायक वर्ग-2	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्रमांक-1, रायपुर	28.03.2025	28.03.2025	27.03.2026
12	श्री सुंदर लाल यादव	सहायक वर्ग-2	कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर	10.09.2025	11.09.2025	10.09.2026
13	श्री एजाज हुसैन एजदानी	सहायक वर्ग-2	कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर	17.12.2025	17.12.2025	16.12.2026

स.क्र.	नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक	कार्यग्रहण तिथि	संविदा नियुक्ति समाप्ति तिथि
01	02	03	04	04		04
14	श्री दिनेश कुमार चौधरी	सहायक वर्ग-2	कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बलरामपुर	25.02.2025	25.02.2025	24.02.2026
15	श्री कमलेश सिंह	सहायक वर्ग-2	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर-चांपा	30.01.2026	02.02.2026	01.02.2027
16	श्री अरूण कुमार सिरसाट	सहायक अभियंता	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग क्र.-02, बेमेतरा	09.06.2025	10.06.2025	09.02.2026
17	श्री नरेन्द्र कुमार कुर्मी	सहायक वर्ग-2	वि./यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग, रायपुर	08.01.2026	09.01.2026	08.01.2027

**अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग**

परिशेष - तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 1491) की जानकारी

प्रपत्र

क्र	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक मण्डल	राजस्व सर्वेक्षण हेतु अधिसूचित ग्रामों के नाम	प.ह.नं. एवं मुख्यालय का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व सर्वेक्षण पूर्ण ग्रामों का नाम	राजस्व सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन ग्रामों का नाम	राजस्व सर्वेक्षण हेतु शेष ग्रामों का नाम	राजस्व सर्वेक्षण अधिसूचना की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जगदलपुर	मारकेल	नगरनार	23 नगरनार	नगरनार	—	नगरनार	—	17.10.2016
		कुरदी	कुरदी	17 कुरदी	कुरदी	—	—	कुरदी	01.07.2019
		फ्रेजरपुर	आडावाल	8 पखनागुडा	आडावाल	—	—	आडावाल	01.07.2019
2	नानगुर	—	—	—	—	—	—	—	
3	बस्तर	बस्तर	बागमोहलई	1 पिपलावण्ड	बागमोहलई	—	—	बागमोहलई	01.07.2019
			मुरसुण्डी	14 महुपालबरई	भाटपाल	—	—	मुरसुण्डी	01.07.2019
			भाटपाल	—	—	—	—	भाटपाल	01.07.2019
		लामकेर	झारतरई	11 बोडनपाल	झारतरई	—	—	झारतरई	01.07.2019
4	भानपुरी	मुण्डागांव	गुनपुर	20 घोटिया	गुनपुर	—	—	गुनपुर	01.07.2019
			आलवाही	—	—	—	—	आलवाही	01.07.2019
			पूर्वी टेमरा	23 कुरुषपाल	कुरुषपाल	—	—	पूर्वी टेमरा	01.07.2019
			पश्चिमी टेमरा	22 रतेगा	रतेगा	—	—	पश्चिमी टेमरा	01.07.2019
			रतेगा	—	—	—	—	रतेगा	01.07.2019
5	बकावण्ड	बकावण्ड	कोसमी	9 कोसमी	कोसमी	कोसमी (09/2025)	—	—	01.07.2019
			तुंगापाल	—	—	—	—	—	01.07.2019
		मूली	मटनार	1 मंगनार	मटनार	—	—	मटनार	01.07.2019
			बोरदपर	15 कचनार	बोरदपर	—	—	बोरदपर	01.07.2019
			पण्डानार	13 पण्डानार	पण्डानार	—	—	पण्डानार	01.07.2019
6	करपावण्ड	करपावण्ड	करपावण्ड	8 करपावण्ड	करपावण्ड	—	—	करपावण्ड	01.07.2019
			संघकरमरी	9 संघकरमरी	संघकरमरी	—	—	संघकरमरी	01.07.2019
			दुहटीदेवडा	—	सानदेवडा	—	—	दुहटीदेवडा	01.07.2019
7	तोकापाल	करंजी	धरमाउर	6 करंजी	टेकामेटा	—	धरमाउर	—	17.10.2016
			सिंगनपुर	2 छापारमानपुरी	सिंगनपुर	—	—	सिंगनपुर	01.07.2019
		केशलूर	बड़े मारैगा	9 बड़े मारैगा	बड़े मारैगा	—	—	बड़े मारैगा	01.07.2019
8	लोहण्डीगुडा	—	—	—	—	—	—	—	
9	बास्तानार	बड़े किलेपाल	बड़े किलेपाल	9 बड़े किलेपाल	बड़े किलेपाल	—	—	बड़े किलेपाल	23.05.2022
10	दरमा	—	—	—	—	—	—	—	
योग —		12	24	19	21	2	2	20	

Manu
मानुभाण अधिसूचि
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - इकतीस

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 35 (क्र. 1493) की जानकारी

प्रपत्र-अ

कोसारटेडा जलाशय एवं उद्वहन सिंचाई योजना से सिंचाई व पेयजल व्यवस्था की जानकारी

स.क्र.	योजना का नाम	पूर्णता वर्ष	सिंचाई हेतु ग्रामों की संख्या	रूपांकित सिंचाई क्षमता	वर्षवार सिंचाई				पेयजल हेतु ग्रामों की संख्या
					2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	
1	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई जलाशय परियोजना।	2016	25	7360	4250	5277	5975	4379	30
2	बड़े मारैगा उद्वहन सिंचाई योजना	1995	4	83	0	14	35	0	लागू नहीं।
3	बनियागांव उद्वहन सिंचाई योजना	2003	1	203	95	170	168	108	लागू नहीं।
4	बोदरा उद्वहन सिंचाई योजना	1998	1	248	78	175	140	120	लागू नहीं।
5	नारायणपाल उद्वहन सिंचाई योजना	1998	4	324	75	250	240	117	लागू नहीं।
6	आसना उद्वहन सिंचाई योजना	1977	3	109	10	105	93	86	लागू नहीं।
7	भावगुड़ा उद्वहन सिंचाई योजना	2012	6	1210	50	55	64	400	लागू नहीं।
8	कुम्हरावण्ड उद्वहन सिंचाई योजना	2003	4	475	150	300	270	305	लागू नहीं।
योग :-					4708	6346	6985	5515	30

Digitally signed by

VIDYA BHARTI

अवर सचिव

Date: 02-03-2026

छत्तीसगढ़ शासन

11:34:46

जल संसाधन विभाग

प्रपत्र-ब

कोसास्टेडा जलाशय एवं उद्वहन सिंचाई योजनाओं का अनुक्षण मद में मरम्मत एवं सुधार कार्य हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण

स.क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26		योग	
		स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	कोसास्टेडा मध्यम सिंचाई जलाशय परियोजना।	55.50	55.50	25.00	15.52	33.00	33.00	75.00	34.08	188.50	138.10
		23.95	23.48	13.54	13.27	16.93	16.60	24.67	24.18	79.09	77.53
2	बोदरा उद्वहन सिंचाई योजना		0.00		0.00		4.83		2.47		7.30
		3.98	3.90	5.09	4.99	5.35	5.23	4.33	4.24	18.75	18.36
3	बड़े मारंगा उद्वहन सिंचाई योजना		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4	बनियागांव उद्वहन सिंचाई योजना		0.00		0.00		6.45		0.00		6.45
5	नारायणपाल उद्वहन सिंचाई योजना		0.00		0.00		2.47		4.68		7.15
		0.66	0.00	6.25	0.00	13.75	0.00	10.00	0.00	30.66	0.00
6	आसना उद्वहन सिंचाई योजना		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7	भालगुडा उद्वहन सिंचाई योजना		0.00		2.48		0.00		0.00		2.48
8	कुम्हरावण्ड उद्वहन सिंचाई योजना		0.66		2.42		0.00		0.00		3.08
	योग :-	84.09	83.54	49.88	38.68	69.03	68.58	114.00	69.65	317.00	260.45

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 02-03-2026
11:34:11

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट - बत्तीस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 1514) की जानकारी

प्रपत्र - अ

विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी

अध्यापकों/कर्मचारियों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी-

स. क्र.	पदनाम	पद संख्या		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	प्राध्यापक	3	0	3
2	सहायक प्राध्यापक	24	19	5
3	क्रीडा अधिकारी	1	0	1
4	ग्रंथपाल	1	0	1
5	तृतीय एवं चतुर्थ	28	11	17
	कुल	57	30	27


अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, गवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र ब

संकायों हेतु निर्धारित विषय के पदनाम एवं विषयवार विवरण

सं. क्र.	महाविद्यालय का नाम	संचालित संकाय	संकाय का विषय	विषय हेतु स्वीकृत पद का नाम	पद संख्या			
					स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	अतिथि व्याख्याता
1	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय धरसीवा, जिला-रायपुर	कला	हिन्दी	प्राध्यापक	1	0	1	1
		कला	हिन्दी	सहायक प्राध्यापक	1	1	0	0
		कला	अंग्रेजी	सहायक प्राध्यापक	1	1	0	0
		कला	राजनीति विज्ञान	प्राध्यापक	1	0	1	1
		कला	राजनीति विज्ञान	सहायक प्राध्यापक	1	1	0	0
		कला	इतिहास	सहायक प्राध्यापक	1	0	1	1
		कला	समाजशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	1	1	0	0
		कला	अर्थशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	1	1	0	0
		विज्ञान	गणित	प्राध्यापक	1	0	1	1
		विज्ञान	गणित	सहायक प्राध्यापक	1	1	0	0
		विज्ञान	वनस्पति	सहायक प्राध्यापक	1	1	0	0
		विज्ञान	प्राणी शास्त्र	सहायक प्राध्यापक	1	1	0	0
		विज्ञान	भौतिक शास्त्र	सहायक प्राध्यापक	1	1	0	0
		विज्ञान	रसायन शास्त्र	सहायक प्राध्यापक	1	1	0	0
		वाणिज्य	वाणिज्य	सहायक प्राध्यापक	3	2	1	1
		—	—	क्रीड़ाधिकारी	1	0	1	1
		—	—	गंधपाल	1	0	1	1
2	स्व. राम प्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर	कला	हिन्दी	सहायक प्राध्यापक	1	1	0	0
		कला	अंग्रेजी	सहायक प्राध्यापक	1	1	0	0
		कला	राजनीति विज्ञान	सहायक प्राध्यापक	1	1	0	0
		कला	भूगोल	सहायक प्राध्यापक	1	0	1	1
		कला	अर्थशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	1	0	1	1
		विज्ञान	रसायन शास्त्र	सहायक प्राध्यापक	1	1	0	0
		विज्ञान	भौतिक शास्त्र	सहायक प्राध्यापक	1	1	0	0
		विज्ञान	गणित	सहायक प्राध्यापक	1	1	0	0
		वाणिज्य	वाणिज्य	सहायक प्राध्यापक	2	1	1	1
कुल					29	19	10	10


 अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

"प्रपत्र"

स्टोन क्रशर की जानकारी

क्र.	अनुज्ञप्तिधारी का नाम व पता	खनिज	अवधि
1	2	3	4
	जिला जांजगीर चांपा		
1	मेसर्स सत्यकौशल माईन्स एण्ड मिनरल्स, प्रो० श्री पवन लिखमानिया,	डोलोमाइट	17.12.2021 से 16.12.2031
2	मे० बालाजी एण्ड सन्स प्रो. श्री विजय कुमार अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	18.06.2016 से 17.06.2026
3	मेसर्स कृष्णा मिनरल्स पार्ट० कृष्ण कुमार अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	11.08.2019 से 10.08.2029
4	मेसर्स शबरी मिनरल्स, प्रो० श्री गोविन्द यादव	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	26.02.2020 से 25.02.2030
5	मे० नारायण स्टोन इण्डस्ट्रीज, प्रो० श्री विकास अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	30.04.2020 से 29.04.2030
6	मे० खाटू श्याम मिनरल्स, प्रो० श्रीमती श्वेता मोदी	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	30.04.2020 से 29.04.2030
7	मेसर्स जय हनुमान स्टोन, पार्ट० श्री राजीव दीवान	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	28.09.2020 से 27.09.2030
8	विवेक सराफ	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	06.10.2021 से 05.10.2031
9	मेसर्स गीता मिनरल्स, प्रो० श्री राजेश कुमार अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	06.12.2021 से 05.12.2031
10	श्री सुरेश सिंह	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	17.12.2021 से 16.12.2031
11	मेसर्स श्रीराम मिनरल्स, पार्ट० श्री रमेश चन्द्र राठौर एवं श्री मनोज कुमार साहू	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	18.01.2022 से 17.01.2032
12	मेसर्स श्री श्री मिनरल्स, अधिकृत पार्टनर श्री विकास अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर एवं साधारण पत्थर	18.04.2022 से 17.04.2032
13	मेसर्स नर्मदा रिसोर्स, पार्ट० श्री राजेश अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	07.06.2022 से 06.06.2032
14	श्री राजेन्द्र कुमार राठौर, आ० श्री श्यामलाल राठौर	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	20.06.2022 से 19.06.2032
15	मेसर्स शिवा क्रशर उद्योग पार्ट. श्री अजय अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	28.08.2022 से 27.08.2032
16	श्री चूनामणी चन्द्रा	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	29.09.2022 से 28.09.2032
17	मेसर्स बैजनाथ स्टोन क्रशर पार्ट० श्री आशीष अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	01.05.2023 से 30.05.2033
18	मेसर्स हार्ड रॉक प्रा० लिमि०, डायरेक्टर हरितपाल सिंह होरा	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	01.06.2023 से 31.05.2033
19	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	13.12.2023 से 12.12.2033
20	मे० श्री पवन स्टोन क्रेसिंग इण्डस्ट्री. प्रो० श्री दुखीराम राठौर	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	15.12.2023 से 14.12.2033
21	मे० असीम सिंह	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	21.12.2023 से 20.12.2033
22	मेसर्स विनायक मिनरल्स, प्रो० श्रीमती इन्दु अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	21.12.2023 से 20.12.2033
23	श्री रमेशचन्द्र राठौर	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	25.01.2024 से 24.01.2034
24	मेसर्स लक्ष्मी मिनरल्स, प्रोपाईटर श्री मदन जैन	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	13.03.2024 से 12.03.2034
25	श्री एम०एम० इन्टरप्राइजेस, प्रोपाईटर श्री महेन्द्र कुमार मित्तल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	13.03.2024 से 12.03.2034
26	मेसर्स बालाजी एण्ड संस, पार्टनर श्री विजय कुमार अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	14.03.2024 से 13.03.2034
27	मेसर्स मों दुर्गा मिनरल्स, पार्टनर श्री जुगल किशोर अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	04.07.2024 से 03.07.2034
28	श्री गगन अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	26.09.2024 से 25.09.2034
29	मेसर्स मों शारदा माइन्स एण्ड मिनरल्स, प्रो० श्री सुधीर अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	07.10.2024 से 06.10.2034
30	मेसर्स छपारिया मिनरल्स, पार्टनर श्री संजय छपारिया अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	07.10.2024 से 06.10.2034
31	मेसर्स जय हनुमान इंडस्ट्रीज, पार्टनर श्री धनंजय कुमार सिंह	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	23.10.2024 से 22.10.2034
32	मेसर्स संजय कुमार कंडिया, पार्टनर श्री नितेश कुमार अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	25.10.2024 से 24.10.2034
33	मेसर्स अवध मिनरल्स, पार्टनर श्री भूपेन्द्र सिंह, निवासी बैजलपुर	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	25.10.2024 से 24.10.2034
34	मेसर्स बालाजी इंटरप्राइजेस, पार्टनर श्री दीपक अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	13.11.2024 से 12.11.2034
35	मे० लक्ष्मणेश्वर स्टोन क्रेशर, प्रो० श्री सोनाऊराम गुप्ता	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	16.07.2025 से 15.07.2035
36	मे० लक्ष्मणेश्वर मिनरल्स, प्रो० श्रीमती अर्चना शर्मा	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	16.07.2025 से 15.07.2035
37	मेसर्स प्रशांत चौधारी	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	05.12.2025 से 04.12.2035
38	मेसर्स मों दुर्गा मिनरल्स, पार्टनर श्री जुगल किशोर अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	05.12.2025 से 04.12.2035
39	मेसर्स हसदेव मिनरल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पार्ट० 1 श्री बाबूलाल बिन्नवार, 2. अविनाश मोदी, 3. महेश कुमार मोदी	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	15.12.2025 से 14.12.2035
	जिला सक्ती		
40	मेसर्स डोलोमाइट माइनिंग कार्पो. बाराद्वार	डोलोमाइट	17.06.2022 से 16.06.2032
41	मेसर्स गुरु श्री मिनरल्स प्रा.लि. निदेशक मनमोहन शर्मा	डोलोमाइट	24.05.2022 से 23.05.2032
42	मेसर्स शुभ मिनरल्स प्रा० लि० डायरेक्टर श्री प्रतीश कुमार गोयल	डोलोमाइट	12.02.2021 से 11.02.2031
43	श्री पुष्पेन्द्र कुमार सिंह	डोलोमाइट	31.08.2020 से 30.08.2030
44	मेसर्स श्रीबालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, पार्टनर श्री गिरधारी लाल गुप्ता	डोलोमाइट	29.07.2020 से 28.07.2030
45	मेसर्स गुप्ता स्टोन माईन्स, प्रो० श्री द्वारिका गुप्ता	डोलोमाइट	21.01.2022 से 20.01.2032
46	मेसर्स शिवाय एसोसिएट, पार्टनर श्री विजय चौहान	डोलोमाइट	22.06.2021 से 21.06.2031
47	मेसर्स एम०आर०एस० मिनरल्स, पार्ट० 1. श्री नवीन बंसल, 2. श्री अमित बंसल	डोलोमाइट	12.04.2022 से 11.04.2032

48	मेसर्स रायगढ़ माईनिंग एण्ड बेनीफिकेशन प्रा० लिमि०, प्रा० श्री प्रांजल अग्रवाल	डोलोमाईट	31.03.2022 से 30.03.2032
49	मे० शिवाय मिनरल्स प्रा० लि०, डॉ० पवन प्रसन्ना येरगोलकर	डोलोमाईट	18.10.2024 से 17.10.2034
50	मे. जे.एम. स्टोन क्रशर प्रा० श्री जयप्रकाश अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	18.03.2022 से 17.03.2032
51	आर० के० स्टोन क्रेशर प्रा० जितेन्द्र प्रसाद गबेल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	17.11.2022 से 16.11.2032
52	मेसर्स एस.जे. मिनरल्स पार्ट० श्री गोविंद राम गर्ग	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	04.09.2022 से 03.09.2032
53	श्री राजकुमार अग्रवाल, आ० श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	18.03.2022 से 17.03.2032
54	बाबा परमहंस ग्रामोद्योग प्रा० श्री बजरंग अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	16.01.2024 से 15.01.2034
55	मे० कनिष्कराज स्टोन क्रेशर, प्रा० श्री यशवंत कुमार चन्द्रा	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	22.06.2021 से 21.06.2031
56	मे० उर्मिला खुटे	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	09.03.2023 से 08.03.2033
57	श्री पुष्पराज केशरवानी	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	06.10.2025 से 05.10.2035

कोल भण्डारण की जानकारी

क्र.	अनुज्ञापितधारी का नाम व पता	खनिज	अवधि
1	2	3	4
जिला जांजगीर चांपा			
58	महावीर कोल वाशरीज प्रा.लि. बिलासपुर व्हाईस प्रेसीडेंट श्री डी.एस.राजपूत	कोयला	02.11.2025 से 01.11.2035
59	मेसर्स रेडियेंट कोल बेनिफिकेशन प्रा० लिमि०	कोयला	02.09.2016 से 01.09.2026
60	मेसर्स हिन्द मल्टी सर्विसेस प्रा० लिमि०	कोयला	03.02.2017 से 02.02.2027
61	श्री तिरुपती मिनरल्स, डाय० श्री अंकुर मुरारका	कोयला	06.11.2017 से 05.11.2027
62	महावीर कोल वाशरीज प्रा.लि. बिलासपुर व्हाईस प्रेसीडेंट श्री डी.एस.राजपूत	कोयला	17.07.2018 से 16.07.2028
63	मेसर्स रेडियेंट कोल बेनिफिकेशन प्रा० लिमि०	कोयला	30.10.2019 से 29.10.2029
64	मे० शारदा मॉ लॉजिस्टिक्स प्रा० लिमि०	कोयला	26.02.2020 से 25.02.2030
65	मेसर्स बालाजी कोल इन्टरप्राइजेस, प्रा० श्री विनय अग्रवाल	कोयला	17.12.2021 से 16.12.2031
66	श्री नरसिंहनाथ राजवाडे	कोयला	24.03.2022 से 23.03.2032
67	श्री अजय मोदी, प्रा० आदित्य इंटरप्राइजेस	कोयला	20.04.2022 से 19.04.2032
68	मेसर्स तिरुपति मिनरल्स प्रा० लिमि०, डायरेक्टर श्री अंशुमन मुरारका	कोयला	20.05.2022 से 19.05.2032
69	मेसर्स तिरुपति मिनरल्स प्रा० लिमि०, डायरेक्टर श्री अंशुमन मुरारका	कोयला	20.05.2022 से 19.05.2032
70	मेसर्स तनिष्का मिनरल्स, प्रा० श्री प्रदीप यादव	कोयला	02.08.2022 से 01.08.2032
71	मेसर्स एस.के. कोल एण्ड लॉजिस्टिक्स, प्रा० श्री शैलेन्द्र अग्रवाल	कोयला	01.09.2022 से 31.08.2032
72	मेसर्स ओम एनर्जी, पार्टनर श्री आशीष गोयल एवं मनोज कुमार अग्रवाल	कोयला	15.09.2022 से 14.09.2032
73	मेसर्स श्री गणेश कोल डिपो, प्रा० श्री रामचन्द्र साहू	कोयला	29.09.2022 से 28.09.2032
74	मेसर्स श्रीश्याम कोल डिपो, प्रा० श्री मयंक मित्तल	कोयला	04.10.2022 से 03.10.2032
75	मेसर्स श्रीराम कोल डिपो, प्रा० श्री मोहन अग्रवाल	कोयला	04.10.2022 से 03.10.2032
76	मेसर्स जय मातादी कोल एण्ड लाजिस्टिक्स, प्रा० श्री प्रहलाद सिंग	कोयला	13.12.2022 से 12.12.2032
77	मेसर्स बालाजी कोल इंटरप्राइजेस, प्रा० श्री विनय अग्रवाल	कोयला	20.12.2022 से 19.12.2032
78	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमि०	कोयला	10.01.2023 से 09.01.2033
79	मेसर्स श्रीबाके बिहारी ट्रेडर्स, प्रा० श्रीमती पिकी सोनी	कोयला	03.03.2023 से 02.03.2033
80	मेसर्स श्यामा इन्टरप्राइजेस, पार्टनर 1. श्री शेखर चंदेल, 2. दिव्यांश चंदेल,	कोयला	05.04.2023 से 04.04.2033
81	मेसर्स प्रिमियर मिनरल्स बिलासपुर, पार्टनर श्री राजेश कुमार अग्रवाल	कोयला	17.04.2023 से 16.04.2033
82	मेसर्स महावीर कोल वाशरीज प्रा० लिमि०, डायरेक्टर श्री अरविंद कुमार जैन	कोयला	03.07.2023 से 02.07.2033
83	मेसर्स प्राची इन्टरप्राइजेस, प्रा० श्री अमित अग्रवाल	कोयला	26.07.2023 से 25.07.2033
84	मेसर्स हसेदव कोल रिर्सांस, पार्टनर श्री 1. श्री रनेहदीप सिंह, 2. अकित जैन	कोयला	13.03.2024 से 12.03.2034
85	मेसर्स पावर सिटी कोल प्रा० लिमि०, डायरेक्टर श्री आयुष अग्रवाल	कोयला	23.01.2025 से 22.01.2035
86	मेसर्स टर्टल सर्विसेस, प्रा० श्री शशांक कुमार सिंह	कोयला	26.12.2025 से 25.12.2035
87	मेसर्स श्री श्याम मिनरल्स पार्टनर 1. श्री आकाश अग्रवाल, 2. आयुष अग्रवाल,	कोयला	04.09.2025 से 03.09.2035
जिला-सक्ती			
88	शुभ कोल साल्यूशन प्रा० लि० डायरेक्टर-प्रतीश कुमार गोयल	कोयला	28.02.2024 से 27.02.2034

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 02-03-2026
11:30:49

परिशेष - चौतीस

परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 1532) की जानकारी

प्रपत्र

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1532 के प्रश्नांक 'क' की जानकारी

क्र.	इकाई का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (मेगावाट में)
1	मेसर्स एक्मे रायपुर सोलर पावर प्रा.लि.लिमिटेड	ग्राम-भिखापाली एवं साल्हेभाठा, तहसील- बागबाहरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	30
2	मेसर्स क्लीन मैक्स सूर्या एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	ग्राम-इच्छापुर एवं केना, तहसील- सराईपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	69.52

तारांकित प्रश्न क्रमांक 1532 के प्रश्नांक 'ख' की जानकारी

क्र.	इकाई का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (मेगावाट में)	भूमि का विवरण
1	गोदावरी पावर एण्ड इस्पात प्रा. लिमिटेड	ग्राम-जंगलबेड़ा, तहसील-सराईपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	100	शासकीय भूमि खसरा नम्बर : 248, 391, 314 कुल रकबा : 102.93 (हेक्टेयर)



उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - पेंतीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 1540) की जानकारी
“प्रपत्र”

स. क्र.	अनुज्ञापिधारी का नाम	अनुज्ञापत्र स्थल का पता	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	भण्डारण क्षमता (मेट्रिक टन में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री केदारनाथ चौधरी	ग्राम गढ़उमरिया, तहसील पुसौर	666	0.551	3250
2	श्री राहुल अग्रवाल	ग्राम पामगढ़, तहसील खरसिया	334 / 2	0.364	5000
3	श्री आर्यन अग्रवाल	ग्राम पुसल्दा, तहसील धरमजयगढ़	289 / 5	0.590	10250
4	मेसर्स गुरु इंटरप्राइजेस, प्रो. आलोक अग्रवाल	ग्राम बड़माल, तहसील पुसौर	263 / 1, 264	0.334	5250

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
 Date: 02-03-2026
 17:13:11

परिशेष - छत्तीस

परिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 1546) की जानकारी

"प्रपत्र-अ"

जिला- जांजगीर-चांपा एवं सक्ती मे वर्ष 2022-23 से 11.02.2026 तक स्वीकृत खदानों की जानकारी

खनिज :- डोलोमाईट

क्र.	पट्टेदार का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम	रकबा(हे०)
1	2	3	4	5
	जिला जांजगीर-चांपा			
1	राम केडिया, पिता श्री गजानंद केडिया	अकलतरा	दरी	3.170
2	श्री लालमनी अग्रहरि	पामगढ़	भैसो	4.047
3	श्री शंभु दयाल मिश्रा	पामगढ़	भैसो	4.830
4	श्री संतोष सिंह राजपूत	पामगढ़	भैसो	4.497
5	मेसर्स सत्यकौशल माईन्स एण्ड मिनरल्स, प्रो० श्री पवल लिखमानिया	अकलतरा	अकलतरा	1.000
	सक्ती			
6	मेसर्स डोलोमाईट माइनिंग कार्पो. बाराद्वार	जैजैपुर	भोथिया	20.412
7	श्री पवनजय अग्रवाल, आ० स्व. श्री उमेश प्रसाद अग्रवाल	जैजैपुर	भोथिया	4.664
8	मेसर्स ज्ञानचंद प्रसाद अग्रवाल	जैजैपुर	भोथिया	4.636
9	गुरु श्री मिनरल्स प्रा.लि. निदेशक मनमोहन शर्मा	जैजैपुर	भोथिया	4.990
10	मेसर्स गुरुश्री मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड, डायरेक्टर श्री मुकेश बंसल	जैजैपुर	भोथिया	4.297
11	मेसर्स श्री नारायणी मिनरल्स, पार्टनर श्री अश्वनी शर्मा, श्री संदीप गोयल	जैजैपुर	भोथिया	3.036
12	मेसर्स गुरुश्री मिनरल्स प्रा०लि०-डायरेक्टर श्री मनमोहन शर्मा	जैजैपुर	भोथिया	4.162
13	मेसर्स श्री नारायणी मिनरल्स, पार्टनर श्री अश्वनी शर्मा, श्री संदीप गोयल	जैजैपुर	भोथिया	4.068
14	मे० गुरु मिनरल्स एण्ड डेव्हलपर्स, पार्ट० श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल	जैजैपुर	भोथिया	4.998
15	प्रतीश कुमार गोयल नि० सक्ती, जिला सक्ती, छ०ग०	जैजैपुर	भोथिया	4.107
16	प्रतीश कुमार गोयल	जैजैपुर	भोथिया	4.469
17	बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी श्री गिरधारी लाल गुप्ता	जैजैपुर	भोथिया	4.249
18	श्री बालाजी मेटल्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि	जैजैपुर	डूमरपारा	42.754
19	श्री अरविंद सोनी	जैजैपुर	अकलसरा	4.047
20	श्री पुष्पेन्द्र कुमार सिंह	जैजैपुर	भोथिया	4.168
21	श्री अजय सिंह चन्द्रा	जैजैपुर	भोथिया	4.004
22	श्री द्वारिका गुप्ता	जैजैपुर	भोथिया	4.747
23	मेसर्स वाईट गोल्ड स्टोन प्राईवेट लिमिटेड डॉ दिव्य दिप्त गुप्ता	जैजैपुर	भोथिया	4.007
24	श्री मनीष सिंह बनाफर, पिता श्री रविन्द्र नारायण सिंह	जैजैपुर	भोथिया	4.047
25	श्री मृत्युंजय सिंह सिसोदिया	जैजैपुर	भोथिया	4.708

खनिज :- चूनापत्थर

क.	पट्टेदार का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
	जांजगीर-चांपा			
26	मे० न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमि०	अकलतरा	आरसमेटा गोंदाडीह, अमोरा, घोघराबोड	499.987
27	मे० न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमि०	अकलतरा	किरारी ,चोरमड़ी	167.044
	गौण खनिज चूनापत्थर			
28	श्री सतीष केडिया	अकलतरा	अकलतरा	1.959
29	एस. एस. इंटरप्राइजेस पार्टनर श्री दीपक अग्रवाल,	अकलतरा	अकलतरा	0.809
30	एस. एस. इंटरप्राइजेस पार्टनर श्री दीपक अग्रवाल,	अकलतरा	अकलतरा	0.923
31	एस. एस. इंटरप्राइजेस पार्टनर श्री दीपक अग्रवाल,	अकलतरा	अकलतरा	0.810
32	आनंद अग्रवाल	अकलतरा	तरौद	2.833
33	मे० लक्ष्मी मिनरल्स, प्रो० श्री मदन जैन	अकलतरा	तरौद	1.943
34	श्री निर्विकार चंदेल	अकलतरा	तरौद	0.789
35	श्री प्रशांत चौधरी	अकलतरा	तरौद	0.708
36	श्री प्रशांत चौधरी	अकलतरा	तरौद	0.992
37	दिनेश कुमार मित्तल	अकलतरा	तरौद	0.911
38	श्री विकास तुलस्यान	अकलतरा	तरौद	3.086
39	श्री राजेश कुमार वैष्णव	अकलतरा	तरौद	0.445
40	मे० जय नहरिया बाबा क्रेशर उद्योग, प्रो० श्री सुरेश कुमार अग्रवाल	अकलतरा	तरौद	0.951
41	मे० शिवम मिनरल्स, प्रो० श्री श्याम सुन्दर जाजोदिय	अकलतरा	तरौद	0.647
42	मे० बालाजी मार्निंग, प्रो० श्री सत्यनारायण खण्डेलिया	अकलतरा	फरहदा	1.620
43	मेसर्स त्रिकुटा अर्थमूवर्स पार्टनर 1. श्री राजेश अग्रवाल, 2. श्री हरितपाल सिंह होरा	अकलतरा	फरहदा	2.500
44	मे० श्री बालाजी इन्टरप्राइजेस, प्रो० संतोष शर्मा	अकलतरा	किरारी	1.619
45	मेसर्स बालाजी इन्टरप्राइजेस, पार्टनर 1. दीपक कुमार अग्रवाल, 2. श्री राहुल कुमार गोयल, 3 श्री गौरव गोयल, 4 श्री प्रणव गोयल	अकलतरा	किरारी	1.400
46	मेसर्स मॉ नारायणी क्रेशर उद्योग, पार्ट० 1. श्री संकेत मित्तल, पिता श्री नारायण प्रसाद अग्रवाल, 2. श्री विनोद केडिया, पिता स्व. श्री हनुमान प्रसाद केडिया	अकलतरा	किरारी	1.012
47	मेसर्स अग्निशिखा मिनरल्स, प्रो० श्रीमती ममता अग्रवाल, पति स्व. श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल	अकलतरा	किरारी	0.931
48	श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल	अकलतरा	किरारी	1.012
49	आनंद कुमार डालमिया	अकलतरा	किरारी	1.215
50	मे० मॉ नारायणी क्रेशर उद्योग, पार्ट० श्री विनोद केडिया एवं संकेत मित्तल	अकलतरा	किरारी	1.620
51	श्री रुद्र कुमार सिंह	अकलतरा	किरारी	1.012
52	मेसर्स बालाजी इन्टरप्राइजेस, पार्टनर 1. दीपक कुमार अग्रवाल, 2. श्री राहुल कुमार गोयल, 3 श्री गौरव गोयल, 4 श्री प्रणव गोयल	अकलतरा	किरारी	2.440
53	मेसर्स श्रीराम मिनरल्स, प्रो० श्री शुभम अग्रवाल	अकलतरा	किरारी	0.506
54	मे० मंगल ट्रॉसपोटर्स एण्ड क्रेशर, प्रो० श्री मदनलाल शर्मा	अकलतरा	किरारी	0.971
55	श्री उमैद सिंह कौशिक	अकलतरा	मौहाडीह	2.024
56	मेसर्स अन्नापूर्ण मिनरल्स, प्रो० श्री शशिकान्त अग्रवाल	अकलतरा	अकलतरा	0.810

क्र.	पट्टेदार का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
57	मेसर्स सतगुरु मिनरल्स, पार्टनर श्री दिलबांग सिंह छाबड़ा	अकलतरा	अकलतरा	0.951
58	मेसर्स बालाजी माइनिंग, पार्टनर श्री आशीष खण्डेलिया	अकलतरा	अकलतरा	2.833
59	मेसर्स श्रीमती नीलकमल सिंह	अकलतरा	तरौद	1.311
60	श्री सतीष केडिया	अकलतरा	अकलतरा	0.972
61	श्री जलेश्वर सिंह सेंगर	अकलतरा	अकलतरा	0.364
62	श्री लक्ष्मीकांत पुरोहित	अकलतरा	अकलतरा	2.227
63	आनंद खेमका	अकलतरा	तरौद	1.822
64	आनंद खेमका	अकलतरा	तरौद	2.429
65	में० शिवम मिनरल्स, प्रो० श्री श्याम सुन्दर जाजोदिया	अकलतरा	तरौद	0.971
66	छापरिया मिनरल्स प्रो संजय कुमार छापरिया	अकलतरा	तरौद	3.239
67	मे० मेटल मेन, प्रो० श्री संजय छापरिया	अकलतरा	तरौद	4.000
68	अविनाश अग्रवाल	अकलतरा	तरौद	1.010
69	श्री शिवम् मिनरल, प्रो श्याम सुन्दर जाजोदिया,	अकलतरा	तरौद	1.781
70	मेसर्स श्रीराम मिनरल्स, प्रो० श्री शुभम अग्रवाल, पिता श्री राजेन्द्र अग्रवाल	अकलतरा	तरौद	0.910
71	श्री गजानंद केडिया	अकलतरा	तरौद	0.607
72	श्री आनंद अग्रवाल,	अकलतरा	तरौद	2.429
73	श्री शिवम् मिनरल, प्रो श्याम सुन्दर जाजोदिया	अकलतरा	तरौद	1.097
74	श्री सिद्धार्थ सिंह	अकलतरा	तरौद	0.659
75	श्री विवेक राज सिंह	अकलतरा	तरौद	0.808
76	श्री बाबा गंगाराम मिनरल्स प्रो. विकास केडिया	अकलतरा	तरौद	0.231
77	मे० शिवम् मिनरल, प्रो श्याम सुन्दर जाजोदिया	अकलतरा	तरौद	1.012
78	श्रीमती उषा देवी राठौर	अकलतरा	पकारिया	1.821
79	मे० बालाजी एण्ड सन्स प्रो. श्री विजय कुमार अग्रवाल	अकलतरा	किरारी	2.809
80	मे० बैजनाथ स्टोन क्रेशर, पार्ट० श्री आशीष अग्रवाल	अकलतरा	किरारी	1.721
81	मे० बालाजी एण्ड सन्स प्रो. श्री शंकर लाल अग्रवाल	अकलतरा	किरारी	1.822
82	श्री ललित अग्रवाल	अकलतरा	किरारी	2.672
83	मे० मुक्रीम मिनरल्स, प्रो० श्री लक्ष्मण मुक्रीम,	अकलतरा	किरारी	0.405
84	मेसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, प्रो० श्री रविशंकर अग्रवाल	अकलतरा	किरारी	1.200
85	मे० कृष्णा मिनरल्स, पार्ट० श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल एवं आनंद डालमिया	अकलतरा	किरारी	2.429
86	श्रीमती पुष्पलता पंचायती, नि० बिलासपुर, छ०ग०	अकलतरा	किरारी	2.484
87	नारायण स्टोन इण्ड्र० विकास अग्रवाल	अकलतरा	किरारी	1.004
88	जय प्रकाशधर शर्मा	अकलतरा	किरारी	1.821
89	श्री श्याम मिनरल्स पार्ट० श्री अंकित मोदी	अकलतरा	किरारी	1.417
90	मे० मॉ शारदा माईन्स एण्ड मिनरल्स, प्रो० श्री सुधीर कुमार अग्रवाल	अकलतरा	किरारी	0.951
91	ओम महामाया, प्रो० दीनानाथ सिंह	अकलतरा	किरारी	0.910
92	राजीव दीवान, आ० श्री प्रफुल्लधर दीवान	अकलतरा	किरारी	0.810
93	मे० हसदेव मिनरल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, प्रो० श्री बाबुलाल बिज्ञवार	अकलतरा	किरारी	2.251
94	मे० महावीर मिनरल्स, प्रो० श्री पियूष अग्रवाल,	अकलतरा	किरारी	3.717
95	सिंघानिया मिनरल्स, प्रो० श्री मुकेश कुमार सिंघानिया	अकलतरा	किरारी	1.215

क्र.	पट्टेदार का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
96	मेसर्स बालाजी इन्टरप्राइजेस, पार्टनर 1. दीपक कुमार अग्रवाल, 2. श्री राहुल कुमार गोयल, 3 श्री गौरव गोयल, 4 श्री प्रणव गोयल	अकलतरा	किरारी	2.603
97	श्री मुकेश कुमार जैन	अकलतरा	किरारी	1.538
98	मे० विकास मिनरल्स, प्रो० श्री इन्द्रकुमार प्रजापति	अकलतरा	किरारी	2.016
99	रवितेज प्रोजेक्ट प्रा.लि. प्रबंधक श्री के.गंगाधर	अकलतरा	किरारी	1.045
100	मुकेश कुमार जैन	अकलतरा	किरारी	2.063
101	मेसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, प्रो० श्री रविशंकर अग्रवाल	अकलतरा	किरारी	0.822
102	मेसर्स श्री श्याम मिनरल्स, प्रोपाईटर श्री रितेश कुमार अग्रवाल	अकलतरा	किरारी	0.749
103	श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल	अकलतरा	अकलतरा	3.931
104	मेसर्स कृष्णा मिनरल्स, पार्टनर श्री आनंद डालमिया, श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल	अकलतरा	किरारी	1.620
105	मेसर्स श्रीपारसनाथ मिनरल्स, पार्टनर श्री रूपेश कुमार जैन	अकलतरा	किरारी	2.870
106	मेसर्स मॉ नारायणी क्रेशर उद्योग, पार्टनर श्री संकेत मित्तल एवं विनोद केडिया	अकलतरा	किरारी	3.330
107	श्रीमती पद्मा देवी जैन	नवागढ़	नवागढ़	4.000
108	भदरेश जी शाह	नवागढ़	सलखन	4.000
109	मैत्री कंस्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो० श्री अपूर्व शाह	नवागढ़	सलखन	3.790
110	श्री चिन्ताराम कश्यप	नवागढ़	सलखन	3.036
111	अजय कुमार अग्रवाल	नवागढ़	करमंदी	0.534
112	श्री आनंद तिवारी	नवागढ़	करमंदी	1.024
113	मेसर्स श्रीराम मिनरल्स, पार्टनर 1. श्री रमेश चंद राठौर, 2. श्री मनोज कुमार साहू	नवागढ़	करमंदी	0.797
114	श्री हरप्रसाद बिस्वावर	नवागढ़	करमंदी	0.461
115	में. चाम्पा मिनरल्स प्रो० श्री किशोर राठौर	बलौदा	बिरगहनी	0.781
116	श्री जगराम साहू	बलौदा	बिरगहनी	0.530
117	श्री अजय कुमार अग्रवाल	बलौदा	बिरगहनी	0.741
118	मे० शेखर स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज प्रो० योगेन्द्र राठौर	बलौदा	बिरगहनी	1.360
119	श्री संतोष कुमार साहू	बलौदा	देवरहा	0.448
120	महेश कुमार मोदी	बलौदा	देवरहा	0.457
121	श्री मोहन कुमार अग्रवाल	बलौदा	लच्छनपुर	0.574
122	मेसर्स चांपा मिनरल्स, प्रो० श्री किशोर कुमार राठौर	बलौदा	बिरगहनी	2.336
123	में. बालाजी स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज प्रो० श्री किशन शर्मा	बलौदा	बिरगहनी	1.659
124	श्री रामगोपाल डिक्सेना	बलौदा	बिरगहनी	2.250
125	सौम्या मिनरल्स प्रो० श्री सूर्यकान्त साहू	बलौदा	बिरगहनी	1.392
126	श्री नरेन्द्र कुमार राठौर	बलौदा	बिरगहनी	0.930
127	श्री किशोर कुमार राठौर	बलौदा	बिरगहनी	0.833
128	श्री महेश कुमार अग्रवाल	बलौदा	बिरगहनी	0.474
129	मेसर्स चाम्पा मिनरल्स, प्रोपाईटर श्री किशोर कुमार राठौर	बलौदा	बिरगहनी	1.226
130	श्री मारुति मिनरल्स प्रो० श्री राजेन्द्र कुमार राठौर	बलौदा	बिरगहनी	1.578
131	श्री जगराम साहू	बलौदा	बिरगहनी	0.805
132	श्री प्रकाश कुमार राठौर	बलौदा	बिरगहनी	0.506
133	मे० के० बी० इन्टरप्राइजेस, प्रो० श्री कुंज बिहारी अग्रवाल	बलौदा	देवरहा	0.749
134	मे० हसदेव स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज, प्रो० महेश कुमार मोदी	बलौदा	देवरहा	4.368

क.	पट्टेदार का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
135	कन्हैयालाल यादव	पामगढ़	भुईगांव	1.210
136	श्री विनोद कुमार शर्मा	पामगढ़	सुकुलपारा	0.554
137	श्री सुबोध शुक्ला	पामगढ़	सुकुलपारा	0.809
138	श्री सुबोध शुक्ला	पामगढ़	सुकुलपारा	1.955
139	श्री सोनाऊराम गुप्ता	पामगढ़	सुकुलपारा	0.700
140	मेसर्स ओम माईन्स एण्ड मिनरल्स पार्ट. अकित सलुजा	पामगढ़	चण्डीपारा	3.036
141	नेक्सस प्रोजेक्ट प्रा० लिमि० पार्ट श्री आनंद कमल सिंह	पामगढ़	खपरी	3.036
142	श्री गणेश मिनरल्स प्रो० संजय केडिया	पामगढ़	झुलन	1.214
143	श्री सुभाष मित्तल	पामगढ़	झुलन	0.809
144	श्री मंगतूराम अग्रवाल	पामगढ़	सुकुलपारा	2.023
145	श्री मंगतूराम अग्रवाल	पामगढ़	सुकुलपारा	1.020
146	श्री विजय कुमार शर्मा	पामगढ़	सुकुलपारा	2.428
147	श्रीमती अर्चना शर्मा	पामगढ़	सुकुलपारा	0.748
148	मे० एच०एस० इन्टरप्राइजेस, प्रो० श्री नीरज शर्मा	पामगढ़	चोरभट्टी	3.460
149	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, पिता श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल	पामगढ़	चोरभट्टी	0.809
150	मेसर्स कृष्णा मिनरल्स प्रो० राहुल खण्डेलिया	पामगढ़	जेवरा	4.000
151	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, आ० श्री राधेश्याम अग्रवाल	बलौदा	बैजलपुर	0.514
152	मेसर्स पवन स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज	बलौदा	करमंदा	1.517
153	श्री कपूरचंद अग्रवाल	बलौदा	करमंदा	0.704
154	श्रीमती लता अग्रवाल,	बलौदा	करमंदा	0.497
155	श्री राकेश कुमार बैसवार	बलौदा	करमंदा	0.848
156	श्रीमती इन्दू अग्रवाल,	बलौदा	बैजलपुर	0.890
157	श्रीमती इन्दु अग्रवाल	बलौदा	बैजलपुर	0.510
158	मेसर्स आर० बी० स्टोन क्रॅशर, पार्ट० 1. श्री दीपक कुमार जायसवाल, पिता श्री बाबूलाल जायसवाल, 2. श्री विकास अग्रवाल, पिता श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल,	बलौदा	बैजलपुर	0.591
159	श्रीमती श्वेता मोदी	बलौदा	बैजलपुर	0.607
160	श्री अजय कुमार अग्रवाल	बलौदा	करमंदा	0.842
161	मे० एम. एम. इन्टरप्राइजेस, प्रो० महेन्द्र मित्तल	बलौदा	करमंदा	1.659
162	श्री गोवर्धन शर्मा	बलौदा	मदनपुर	0.805
163	मेसर्स श्री मिनरल्स, प्रो० श्री अशोक कुमार राठौर	बलौदा	औराईकला	1.528
	सक्ती			
164	श्री लोकेश चन्द्रा	मालखरौदा	नगझर	4.587
165	श्री लोकेश चन्द्रा	मालखरौदा	नगझर	1.488
166	श्री लोकेश चन्द्रा	मालखरौदा	नगझर	1.537
167	श्री लोकेश चन्द्रा	मालखरौदा	नगझर	0.809
168	मे० एस०जे० मिनरल्स, पार्ट० श्री गोविंद राम गर्ग, श्री संतोष कुमार अग्रवाल एवं श्री विककी अग्रवाल	सक्ती	बैलाचुआ	1.076
169	श्री धनीराम कंवर	सक्ती	जुगड़ा	0.461
170	श्री बजरंग प्रसाद राठौर	सक्ती	जगदल्ली	0.976
171	श्री जितेन्द्र प्रसाद गबेल	सक्ती	जगदल्ली तह० सक्ती	0.854
172	श्री बजरंग अग्रवाल	डभरा	केकराभाठ	1.417
173	श्री कनिष्कराज स्टोन क्रेशर	डभरा	सिरियागढ़	0.809
174	श्री लोकेश चन्द्रा	डभरा	सिरियागढ़	1.048
175	मे० अक्षरा मिनरल्स प्रो० संदीप अग्रवाल	डभरा	केकराभाठ	0.656

क.	पट्टेदार का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
176	श्री आशीष पण्डा मिनरल्स प्रो दीपक चन्द्रा	डभरा	सुखदा	1.214
177	श्री रासबिहारी गुप्ता, आ. श्री गिरधर गुप्ता	जैजैपुर	खैरसिटी	1.780

M. Kharky

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

"प्रपत्र-ब"

जिला	2022-23	2023-24	2024-25	(राशि लाख में)
				2025-26 (11.02.2026 तक)
जांजगीर-चांपा	5330.39	3591.19	4126.07	2500.47
सक्ती	0	1862.75	1614.22	1432.32

टीप :-जिला सक्ती का गठन दिनांक 09.09.2022 को होने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2022-23 की रायल्टी एवं अन्य उपकरणों की जानकारी जिला जांजगीर-चांपा में संधारित किया गया है।



अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
नया रायपुर छत्तीसगढ़

"प्रपत्र-स"

क्र.	शिकायत कर्ता का नाम	शिकायत दिनांक	शिकायत का विवरण	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
	जांजगीर-चांपा			
1	प्रधान पाठक एवं समस्त शिक्षकगण बिरगहनी	26.02.2024	शाला परिसर से लगे कच्ची रोड से अत्यधिक धूल उड़ने के कारण हो रही समस्या के संबंध में आवेदन पत्र	पट्टेदारों के द्वारा उक्त रास्ते को जीएसबी गिट्टी से समतल कर पानी छिड़काव किया गया है ताकि धूल-डस्ट ना उड़े।
2	समस्त ग्रामवासी बिरगहनी (च) तहसील जांजगीर	22.11.2022	ग्राम पंचायत बिरगहनी (च) तहसील जांजगीर विकासखंड बलौदा जिला जांजगीर चांपा में चल रहे चुना पत्थर खदानों में बोर ब्लास्टिंग से एवं गिट्टी क्रेशरों से धूल डस्ट से गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, जिसे बंद कराने बाबत।	खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा ग्राम बिरगहनी क्षेत्रांतर्गत स्थित 20 खदानों में जाँच किया गया, खदान क्षेत्र में पट्टेदारों के द्वारा किये गये अनियमितता के लिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 51(26) के तहत कार्यवाही की गयी है।
3	श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप ग्राम बैजलपुर, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर चांपा, छ0ग0	15.04.2025	क्रेशर द्वारा आवासिय क्षेत्र में धूल धक्कड़ उड़ाने के संबंध में।	क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मण्डल बिलासपुर द्वारा दिनांक 26.06.2025 को निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में उद्योग उत्पादनरत नहीं होना पाया गया तथा आस-पास के रहवासी द्वारा बताया गया कि उक्त उद्योग लगभग 02 माह से बंद है।
4	श्री लक्ष्मी प्रसाद राय एवं अन्य 03	25.08.2025	ब्लास्टिंग एवं प्रदुषण पर कार्यवाही बाबत	खनि निरीक्षक द्वारा मौका जाँच किया गया, जाँच के दौरान खदान क्षेत्र में पानी का छिड़काव, वृक्षारोपण किया जाना पाया गया।
5	श्री विकास शर्मा समाज सेवक वार्ड नंबर 12 बिरगहनी, चांपा, जिला जांजगीर चांपा, छ0ग0	23.01.2025	ग्राम पंचायत बिरगहनी में संचालित चुनापत्थर खदान संचालकों द्वारा पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जिससे ग्रामीण एवं क्षेत्रवासियों को वायु प्रदूषण की समस्या हो रही है।	क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर द्वारा शिकायत स्थल ग्राम पंचायत बिरगहनी के क्रेशर उद्योगों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।
6	श्रीमती फुलेश्वरी सरपंच, ग्राम पंचायत किरारी, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा, छ0ग0 (क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार)	27.12.2024	मेसर्स स्वास्तिक स्टोन मिनरल्स, ग्राम किरारी द्वारा पर्यावरण के नियमों को पालन नहीं किये जाने के कारण खदान बंद करने बाबत।	खदान का दिनांक 20.08.2025 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायत निराधार पाया गया। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

क्र.	शिकायत कर्ता का नाम	शिकायत दिनांक	शिकायत का विवरण	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
	सक्ती			
7	श्री रथराम एवं अन्य ग्राम डूमरपारा जिला सक्ती	07.12.2022	ग्राम डूमरपारा स्थित केशर उद्योग द्वारा फैलने जा रहे प्रदूषण के संबंध में।	क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जांच दिनांक 23.02.2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई, साथ ही उद्योग के समीप पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता मापन का कार्य भी किया जिसके परिणाम निर्धारित मानकों के भीतर पाया गया।
8	श्री लालन सिंह सिदार, ग्राम-अकलसरा, तहसील-भोथिया, जिला-सक्ती (छ.ग.)	30/06/2025.	ग्राम अकलसरा में आरोपी अरविंद सोनी द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से पर्यावरण हितों के विपरीत ग्रामीणों के जनहित के नुकसान पर किए जा रहे खनन कार्य के संबंध में जांच कर कठोर कार्यवाही करने के संबंध में।	क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर द्वारा दिनांक 21/08/2025 को खदान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान खदान बंद होना पाया गया। सेफ्टी जोन में पर्याप्त वृक्षारोपण किया जाना पाया गया। खदान प्रबंधक द्वारा अप्रोच रोड का मरम्मत कार्य कराया जाना पाया गया। प्रदूषण की स्थिति सामान्य पाई गई।

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 02-03-2026
16:46:40

पंरिशेष्ट - सेंतीस

परिवर्तित अताराकेत प्रश्न संख्या 46 (क्र. 1554) की जानकारी

"प्रपत्र"

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

187वीं मंडिर, पोंगर-२वीं मणरिशिमल मोंगलोगरा, पी.पी.डी.

पोंगर-२1, नगा रायपुर अटल नगर, रायपुर 492-002

website-www.markfed.cg.nic.in Email-idi-mf_strifouni_raipur@gov.in

क्रमांक/विपणन/41161/2025

म.प.अ.न., दिनांक 04.12.2025

प्रति,

प्रबंर संचालक,
छ.ग. राज्य सहकारी मंत्र मर्यादित,
मुख्यालय - रायपुर नगर
प्लॉट-74, पी.-24, म.प.अ.न.

विषय :- खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रासंगिक व्यय की राशि के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/मुख्यालय/अटल नगर/क्र./8084 दिनांक 04.12.2025।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। जिसके माध्यम से खरीफ वर्ष 2025-26 में उपार्जित किये जा रहे धान के लिए मण्डी गतिविधियों के अंतर्गत देय मण्डी लेबर चार्ज की राशि रु. 22.05 प्रति क्विंटल का व्यय किन-किन मर्दों के लिए स्वीकृत है, की जानकारी चाही गई है। इस संबंध में लेख है कि भारत सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया दिनांक 29.08.2024 में मंडी लेबर हेतु निर्धारित गतिविधि, जिसके लिए खरीफ वर्ष 2025-26 के प्रावधिक लागत पत्रक में भारत सरकार द्वारा मण्डी लेबर चार्ज हेतु रु. 22.05 प्रति क्विंटल स्वीकृत किया गया है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य	दर प्रति क्विंटल (राशि रु. में)
1	बोरा भराई	5.00
2	तोल	5.75
3	सिलाई	1.4
4	लेबलिंग	3.15
5	लोडिंग	6.75
	कुल	22.05


अतः आपके पत्र के तारतम्य में उपरोक्तानुसार जानकारी प्रेषित है।

= प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित ::

अपर प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य सह.विप.संघ मर्या,
मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर

(शहरी रोपणी, जोरा, रायपुर वनमंडल के ऑडिट आपित्तियों पर कार्यवाही)

क्र.	रोपणी प्रभारी	पदस्थ अवधि
1	श्री अरूण अवस्थी, वनपाल	दिनांक 09.07.2018 से 31.01.2021 तक
2	श्री मुकेश खुटे, वनरक्षक	दिनांक 01.02.2021 से 07.02.2023 तक
3	श्री सुंदर लाल साहू, वनपाल	दिनांक 07.02.2023 से वर्तमान तक


मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार)
छत्तीसगढ़

परोशेष्ट - उनतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 1582) की जानकारी

प्रपत्र-“अ”

जिला बिलासपुर के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत खनिज कोयला के अस्थायी भण्डारण अनुज्ञापत्र की जानकारी-

क्र.	अनुज्ञापिका का नाम व पूर्ण पता	ग्राम	तहसील	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज मात्रा जिसके लिये अनुज्ञापित स्वीकृत किया गया हो (टन में)	अनुज्ञापित की अवधि	जल/वायु सम्मति जारी दिनांक/अवधि	कार्यशील/ शिथिल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मेसर्स महावीर कोल वासरी प्रा. लिमि. प्रो. श्री विकास जैन,	सकरा, बेलमुण्डी	सकरा	6.361	200000	02.05.2025 से 01.05. 2035	01.01.2026 से 31.12.2028 तक	कार्यशील
2	मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्रा. लि. डाय. श्री प्रदीप चंद्र झा,	घुटकू	सकरा	15.364	250000	06.10.2023 से 05.10.2033	26.7.2025 से 30.6.2026 तक	कार्यशील
3	मेसर्स पारस पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमि. डाय. श्री प्रशांत कुमार जैन आ. श्री प्रवीण कुमार जैन	घुटकू	सकरा	5.819	96000	20.05.2018 से 19.05.2028	01.07.2025 से 30.06.2028 तक	कार्यशील
4	मेसर्स पारस पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमि. डाय. श्री प्रशांत कुमार जैन आ. श्री प्रवीण कुमार जैन,	निरतू एव घुटकू	सकरा	8.000	250000	21.12.2021 से 20.12.2031	01.11.2025 से 31.10.2028 तक	कार्यशील
5	मेसर्स भाटिया एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन प्रा. लिमि. डाय श्री गर्वित अग्रवाल	लोखण्डी	सकरा	4.67	250000	08.07.2025 से 07.07.2035	17.12.2025 से 16.03.2026 तक	कार्यशील
6	मेसर्स एराइज क्लीन कोल प्रायवेट लिमि. डाय. श्री फिरोज आलम	लोखण्डी	सकरा	1.100	35100	28.05.2016 से 27.05.2026	01.09.2024 से 31.08.2026 तक	कार्यशील
7	फिल कोल बेनिफिकेशन प्रा. लिमि. डाय. प्रदीप झा आ. श्री रामनाथ झा	लोखण्डी	सकरा	1.711	200000	05.11.2025 से 04.11.2035	28.3.2023 से 16.3.2033 तक	कार्यशील

क्र.	अनुज्ञापिका का नाम व पूर्ण पता	ग्राम	तहसील	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज मात्रा जिसके लिये अनुज्ञापि स्वीकृत किया गया हो (टन में)	अनुज्ञापि की अवधि	जल/वायु सम्मति जारी दिनांक/अवधि	कार्यशील/ शिथिल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	मेसर्स पारस पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमि. डाय. श्री प्रशांत कुमार जैन आ. श्री प्रवीण कुमार जैन,	घुटकू	सकरी	0.910	50000	27.11.2015 से 26.11.2025	27.11.2025 से 26.11.2030 तक	कार्यशील नवकरण का आवेदन 17.11. 2025 को प्राप्त
9	गोयल कोल साइडिंग प्रा.लि. डाय. 1. श्री दीनदयाल गोयल आ. स्व. श्री मुरारीलाल गोयल, 2. श्री अशोक गोयल, आ. श्री दीनदयाल गोयल, 3. श्री अरूण गोयल, आ.श्री दीनदयाल गोयल,	बोडसरा	सकरी	0.979	10000	21.07.2016 से 20.07.2026	01.10.2021 से 30.09.2031 तक	कार्यशील
10	रायपुर कोल फीडर प्रा.लि. संचालक श्री दुर्गा प्रसाद दास आ. श्री नारायण प्रसाद दास,	बेलमुण्डी	सकरी	0.785	100000	15.07.2025 से 14.07.2035	30.4.2025 से 29.4.2026 तक	कार्यशील
11	मेसर्स छ.ग. पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमि. डाय. श्री बिखर अग्रवाल.)	लोखण्डी	सकरी	0.424	20000	27.09.2017 से 26.09.2027	17.10.2024 से 31.5.2027 तक	कार्यशील
12	मेसर्स संगीता सेल्स प्रा.लि. डाय. श्री प्रदीप बंसल	लोखण्डी	सकरी	1.052	25000	24.02.2017 से 23.02.2027	1.2.2023 से 31.1.2027 तक	कार्यशील
13	मेसर्स ओम साईं लाजिस्टिक प्रो. श्री भरत कोटवानी बिलासपुर	अमसेना	सकरी	1.011	10000	03.09.2016 से 02.09.2026	2.12.2024 से 31.08.2026 तक	कार्यशील
14	मेसर्स अभिषेक ट्रेडर्स प्रो. श्री अभिषेक सन्नाड	लोखण्डी	सकरी	0.967	25000	29.03.2018 से 28.03.2028	19.3.2023 से 18.03.2028 तक	कार्यशील
15	जय कोल ट्रेडर्स, प्रो. श्री दिनेश कुमार मिनोचा, आ. श्री अशोक मिनोचा	अमसेना	सकरी	0.223	4000	11.05.2015 से 10.05.2035	3.6.2025 से 2.6.2026 तक	कार्यशील
16	वामा एनर्जी पार्टनर श्री रोहित अग्रवाल	अमसेना	सकरी	0.445	6000	11.05.2015 से 10.05.2035	4.3.2025 से	कार्यशील

क्र.	अनुज्ञापिधारी का नाम व पूर्ण पता	ग्राम	तहसील	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज मात्रा जिसके लिये अनुज्ञापि स्वीकृत किया गया हो (टन में)	अनुज्ञापि की अवधि	जल/वायु सम्मति जारी दिनांक/अवधि	कार्यशील/ शिथिल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							3.3.2026 तक	
17	जीशान कोल्स प्रा. श्री जाकिर अहमद खान, आ. श्री एस.के. खान	बेलमुण्डी	सकरी	0.809	5000	10.03.2016 से 09.03.2026	1.11.2023 से 31.10.2028 तक	कार्यशील
18	मेसर्स सोनू कोल डिपो प्रो. श्री रामकृष्ण वैष्य	बेलमुण्डी	सकरी	0.810	8700	11.03.2016 से 10.03.2026	02.03.2022 से 10.03.2026 तक	कार्यशील
19	मेसर्स तिरुपति मिनरल्स प्रा.लि. डाय. श्री प्रमोद अग्रवाल	बेलमुण्डी	सकरी	1.392	15000	17.01.2017 से 16.01.2027	1.1.2023 से 31.12.2027 तक	कार्यशील
20	मेसर्स अभिषेक ट्रेडर्स प्रो. श्री अभिषेक सन्नाड आ. श्री सी.पी. सन्नाड	खरकेना	सकरी	0.605	20000	28.07.2017 से 27.07.2027	01.07.2022 से 30.06.2027 तक	कार्यशील
21	श्री संतोष कुमार जसवानी आ. श्री धरम दास जसवानी	खरकेना	सकरी	0.275	2000	15.09.2017 से 14.09.2027	22.7.2025 से 14.6.2029 तक	कार्यशील
22	मेसर्स बालाजी कोल इंटरप्राइजेस प्रो. श्री विनय अग्रवाल	कोपरा	सकरी	0.405	6000	03.10.2018 से 02.10.2028	11.7.2025 से 2.10.2028 तक	कार्यशील
23	मेसर्स श्री बालाजी ट्रेड लिंक्स प्रो. श्री ऋषभ जैन आ. श्री अजय जैन	बेलमुण्डी	सकरी	0.243	15000	09.04.2021 से 08.04.2031	2.12.2025 से 1.12.2030 तक	कार्यशील
24	मेसर्स धर्मा इंटरप्राइजेस प्रो. ईशान पाण्डेय	अमसेना	सकरी	0.388	19000	04.12.2018 से 03.12.2028	6.2.2026 से 10.1.2028 तक	कार्यशील

क्र.	अनुज्ञापिका का नाम व पूर्ण पता	ग्राम	तहसील	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज मात्रा जिसके लिये अनुज्ञापि स्वीकृत किया गया हो (टन में)	अनुज्ञापि की अवधि	जल/वायु सम्मति जारी दिनांक/अवधि	कार्यशील/ शिथिल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	मेसर्स श्री साई ट्रेडिंग कम्पनी, प्रो. संजीव कुमार गुप्ता	बेलमुण्डी	सकरी	0.404	5000	08.05.2017 से 07.05.2027	29.9.2025 से 30.4.2026 तक	कार्यशील
26	मेसर्स ओम कोल डिपो प्रो. श्री समीर शर्मा आ. स्व. श्री शेषमणी शर्मा	उडैला	सकरी	0.202	1000	24.01.2018 से 23.01.2028	31.7.2025 से 30.07.2026 तक	कार्यशील
27	ईश्वरी मिनरल्स प्रा.लि. डाय. श्री प्रियाक तिवारी आ. श्री रामनारायण तिवारी	बुटेना	सकरी	1.220	25000	28.02.2017 से 27.02.2027	26.6.2025 से 18.6.2030 तक	कार्यशील
28	मेसर्स बाबजी कोल एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. संचालक श्री अब्बास वनक एवं श्री अमित जेठानी	खरकेना	सकरी	1.883	25250	31.10.2022 से 30.10.2032	17.08.2023 से 15.08.2028 तक	कार्यशील
29	रायपुर कोल फीडर प्रा.लि. संचालक श्री दुर्गा प्रसाद दास आ. श्री नारायण प्रसाद दास	बेलमुण्डी	सकरी	0.647	20000	20.10.2021 से 19.10.2031	20.7.2022 से 19.7.2027 तक	कार्यशील
30	मेसर्स खाटू कोल सेल्स पार्टनर श्री हिमाशु गोयल आ. श्री महेश चंद गोयल, श्रीमती सरोज देवी गोयल	मुरु	सकरी	0.445	10000	26.05.2022 से 25.05.2032	17.05.2023 से 16.05.2033 तक	कार्यशील
31	मेसर्स बालाजी कोल इंटरफ़ाइज प्रो. श्री विनय अग्रवाल	कोपरा	सकरी	0.932	15000	01.06.2022 से 31.05.2032	11.3.2022 से 10.03.2027 तक	कार्यशील
32	मेसर्स मां शारदा मिनरल्स प्रो. श्री सोहिल अग्रवाल	बेलमुण्डी	सकरी	0.404	6000	29.08.2022 से 28.08.2032	18.2.2026 से 17.2.2031 तक	कार्यशील

क्र.	अनुज्ञापिधारी का नाम व पूर्ण पता	ग्राम	तहसील	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज मात्रा जिसके लिये अनुज्ञापि स्वीकृत किया गया हो (टन में)	अनुज्ञापि की अवधि	जल/वायु सम्मति जारी दिनांक/अवधि	कार्यशील/ शिथिल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	मेसर्स शक्ति कोल साईजिंग प्रा. लि. डाय. श्री वैभव तिवारी आ. श्री जे.डी. तिवारी	अमसेना	सकरी	1.695	20000	27.03.2023 से 26.03.2033	01.04.2024 से 20.02.2029 तक	कार्यशील
34	मेसर्स ग्लोबल मिनरल्स प्रो. श्री सागर सिंह, निवासी अज्ञेय नगर, बिलासपुर	अमसेना	सकरी	3.063	60000	24.04.2023 से 23.04.2033	5.3.2024 से 6.3.2029 तक	कार्यशील
35	मेसर्स श्री ग्रुप ऑफ कंपनी पा. 1. श्री संजीव कुमार राय, 2. श्री नागेन्द्र सिंह वर्मा,	बेलमुण्डी	सकरी	0.753	10000	24.06.2022 से 23.06.2032	27.10.2023 से 9.6.2029 तक	कार्यशील
36	मेसर्स लक्ष्मी एसोसिएट्स प्रो. श्री बजरंग अग्रवाल	बेलमुण्डी	सकरी	0.804	10000	05.10.2023 से 04.10.2033	18.08.2025 से 28.09.2030 तक	कार्यशील
37	मेसर्स यूनिवर्सल, पा. श्री भास्कर सिंह ठाकुर	लोखण्डी	सकरी	0.506	10000	05.10.2023 से 04.10.2033	4.9.2025 से 28.8.2030	कार्यशील
38	मेसर्स शान कोल एण्ड लॉजिस्टिक प्रा.लि. डाय. श्री अजय सिंह	बेलमुण्डी	सकरी	1.084	20000	11.03.2024 से 10.03.2034	29.11.2024 से 28.11.2029 तक	कार्यशील
39	मेसर्स एस.पी.आर.एन मिनरल्स प्रा. लिमि. डाय. श्री ऋषभ गोयल	जोंकी	सकरी	2.023	50000	16.04.2025 से 15.04.2035	25.7.2025 से 30.4.2026 तक	कार्यशील
40	मेसर्स महादेव ट्रेडिंग, प्रो. श्री प्रणव कुमार राय	बेलमुण्डी	सकरी	0.413	5000	25.04.2025 से 24.04.2035	4.2.2026 से	कार्यशील

क्र.	अनुज्ञापिका का नाम व पूर्ण पता	ग्राम	तहसील	रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज मात्रा जिसके लिये अनुज्ञापि स्वीकृत किया गया हो (टन में)	अनुज्ञापि की अवधि	जल/वायु सम्मति जारी दिनांक/अवधि	कार्यशील/ शिथिल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							9.1.2031 तक	
41	मेसर्स चन्द्रेश्वरी इंटरप्राइजेस प्रो. श्री सुदीप चौरसिया	मुरु	सकरी	1.592	10000	08.07.2025 से 07.07.2035	21.7.2025 से 1.7.2030 तक	कार्यशील
42	मे.आर.के.सेल्स प्रो. श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल	हरदी	बोदरी	0.757	15000	10.07.2025 से 09.07.2035	30.10.2025 से 29.10.2026 तक	कार्यशील
43	मेसर्स ए.एस. ग्लोबल पा. श्रीमति अनु अग्रवाल एवं श्री आनंद अग्रवाल	सकरा	सकरी	1.025	20000	08.07.2025 से 07.07.2035	29.08.2025 से 28.08.2026 तक	कार्यशील
44	महाकाल कोल साइजिंग प्रो. अरविन्द अग्रवाल, पिता स्व. श्री घनष्याम अग्रवाल	मेड़पार	सकरी	1.291	20000	28.10.2025 से 27.10.2035	25.9.2025 से 24.9.2026 तक	कार्यशील

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 01-03-2026
16:34:11

प्रपत्र-“ब”

जिला बिलासपुर के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खनिज कोयला के अस्थायी भण्डारण का वर्ष 2025-26 में किये गये निरीक्षण की जानकारी :-

क्र.	अनुज्ञापिधारी का नाम व पूर्ण पता	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण में पायी गई अनियमितता की स्थिति	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5
1.	मेसर्स महावीर कोल वासरी प्रा.लिमि. प्रो. श्री विकास जैन	9.4.2025	कार्यालयीन अभिलेख अनुसार मासिक पत्रक विलम्ब से प्रस्तुत करने पर नियमानुसार दिनांक 09.04.2025 को विलंब शुल्क की राशि रु. 26500 आरोपित किया गया।	विलंब शुल्क की राशि रु. 26500 जमा किया गया है।
2.	जय कोल ट्रेडर्स, प्रो. श्री दिनेश कुमार मिनोचा, आ. श्री अशोक मिनोचा	09.04.2025	कार्यालयीन अभिलेख अनुसार मासिक पत्रक विलम्ब से प्रस्तुत करने पर नियमानुसार दिनांक 09.04.2025 को विलंब शुल्क की राशि रु. 30500 आरोपित किया गया।	मासिक पत्रक विलम्ब से प्रस्तुत करने पर विलंब शुल्क की राशि रु. 30500 जमा किया गया है।
3.	रायपुर कोल फीडर प्रा.लि. संचालक श्री दुर्गा प्रसाद दास आ. श्री नारायण प्रसाद दास	9.4.2025	कार्यालयीन अभिलेख अनुसार छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के नियम 14(ख) का उल्लंघन किये जाने पर दिनांक 09.04.2025 को विलम्ब शुल्क की राशि रु. 175500 आरोपित किया गया।	मासिक पत्रक विलम्ब से प्रस्तुत करने पर विलंब शुल्क राशि रु 175500 जमा किया गया है।
4.	जीशान कोल्स प्रा. श्री जाकिर अहमद खान, आ. श्री एस.के. खान,	16.4.2025	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
5.	मेसर्स खाटू कोल सेल्स पार्टनर श्री हिमाशु गोयल आ. श्री महेश चंद गोयल, श्रीमती सरोज देवी गोयल,	23.4.2025	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
6.	मेसर्स एराइज क्लीन कोल प्रायवेट लिमि. डाय. श्री फिरोज आलम, आ. श्री अब्दुल समद	3.6.2025	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
7.	फिल कोल बेनिफिकेशन प्रा.लिमि. डाय. प्रदीप झा आ. श्री रामनाथ झा	3.6.2025	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
8.	गोयल कोल साइडिंग प्रा.लि. डाय. 1. श्री दीनदयाल गोयल आ. स्व. श्री मुरारीलाल गोयल, 2. श्री अशोक गोयल, आ. श्री दीनदयाल गोयल, 3. श्री अरुण गोयल, आ. श्री दीनदयाल गोयल	10.7.2025	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
9.	मेसर्स पारस पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमि. डाय. श्री प्रशांत कुमार जैन आ. श्री प्रवीण कुमार जैन,	18.7.2025	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
10.	मेसर्स पारस पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमि. डाय. श्री प्रशांत कुमार जैन आ. श्री प्रवीण कुमार जैन,	18.7.2025	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।

क्र.	अनुज्ञापिका का नाम व पूर्ण पता	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण में पायी गई अनियमितता की स्थिति	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5
11.	मेसर्स भाटिया एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन प्रा. लिमि. डाय श्री गर्वित अग्रवाल	3.9.2025	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
12.	रायपुर कोल फीडर प्रा.लि. संचालक श्री दुर्गा प्रसाद दास आ. श्री नारायण प्रसाद दास	16.9.2025	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
13.	मेसर्स छ.ग. पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमि. डाय. श्री शिखर अग्रवाल	3.10.2025	छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के नियम 15 तथा (यथासंशोधित) नियम 14 (ग्यारह) में दिये गये प्रावधानों के उल्लंघन।	कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर अभिवहन पार पत्र बंद दिनांक 25.11.2025 से
14.	मेसर्स संगीता सेल्स प्रा.लि. डाय. श्री प्रदीप बंसल	3.10.2025	मासिक पत्रक विलम्ब से प्रस्तुत करने पर	मासिक पत्रक विलम्ब से प्रस्तुत करने पर अर्धदण्ड की राशि रु. 24000 जमा किया गया है।
15.	मेसर्स ओम साईं लाजिस्टिक प्रो. श्री भरत कोटवानी बिलासपुर	10.10.2025	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
16.	वामा एनर्जी पार्टनर श्री रोहित अग्रवाल	30.10.2025	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
17.	मेसर्स ग्लोबल मिनरल्स प्रो. श्री सागर सिंह	30.10.2025	जांच के दौरान अनियमितता नहीं पायी गई।	कार्यवाही निरंक है।
18.	मे.आर.के.सेल्स प्रो. श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल	8.1.2026	छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के नियम 4(1), 14(3) का उल्लंघन करने पर दिनांक 15.01.2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	प्रतिभूति निक्षेप की राशि रु. 1,00,000 /- (एक लाख रुपये मात्र) समपहत किया जाकर 03 वाहनों में अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रु. 5,70,200 खनिज मद में जमा कराया गया है।
19.	मेसर्स सोनू कोल डिपो प्रो. श्री रामकृष्ण वैश्य	12.02.2026	जांच के दौरान लगभग 160 टन खनिज कोयला एवं अन्य खनिज गिट्टी रखा जाना पाये जाने के कारण नोटिस जारी किया गया।	अनुज्ञापिका से जवाब अप्राप्त।
20.	मेसर्स धर्मा इंटरप्राइजेस प्रो. ईशान पाण्डेय	12.02.2026	भण्डारण स्थल में बाउण्ड्रीवाल पूर्ण रूप से निर्मित नहीं होना पाये जाने के कारण नोटिस जारी किया गया।	अनुज्ञापिका से जवाब अप्राप्त।

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 01-03-2026
16:33:05

प्रपत्र-“स”

निरीक्षण दौरान अनियमितता पाये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी:-

क्र.	अनुज्ञप्तिधारी का नाम व पता	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	मेसर्स जय कोल ट्रेडर्स (कोल डिपो), ग्राम-अमसेना छतौना रोड, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर	03/06/2025	निरीक्षण समय स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः की गई कार्यवाही निरंक है।
2.	मेसर्स सोनू कोल डिपो, ग्राम-बेलमुंडी, कोपरा रोड, तह.-तखतपुर, जिला-बिलासपुर	04/02/2026	निरीक्षण समय स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः की गई कार्यवाही निरंक है।
3.	मेसर्स श्री साईं ट्रेडिंग कंपनी ग्राम-बेलमुण्डी, तह. तखतपुर, जिला-बिलासपुर	29/09/2025	निरीक्षण समय स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः की गई कार्यवाही निरंक है।
4.	मेसर्स संतोष कुमार जैसवानी, (कोल भण्डारण) निवासी ग्राम-चकरभाटा, खरकेना, जिला-बिलासपुर	22/08/2025	निरीक्षण समय स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः की गई कार्यवाही निरंक है।
5.	मेसर्स धर्मा इंटरप्राईजेस, ग्राम-अमसेना, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	08/09/2025	फ्युजिटिव डस्ट, विण्ड ब्रेकिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाउसकीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	निरीक्षण दिवस में पाई गई कमियों के संबंध में इस कार्यालय के द्वारा पत्र क्रमांक 2329 दिनांक 08/09/2025 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया।
6.	मेसर्स बालाजी ट्रेडलिक ग्राम-बेलमुंडी तहसील-तखतपुर जिला- बिलासपुर	28/09/2025	निरीक्षण में सुधारात्मक कार्य किया जाना पाया गया।	अतः कार्यवाही निरंक है।
7.	मेसर्स श्री बालाजी ट्रेडलिक, ग्राम-बेलमुंडी, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर	06/01/2026	निरीक्षण समय स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः की गई कार्यवाही निरंक है।
8.	मेसर्स मां शारदा मिनरल्स (कोलडिपो), ग्राम-बेलमुंडी, तहसील-सकरी, जिला-बिलासपुर	12/02/2026	निरीक्षण समय स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः की गई कार्यवाही निरंक है।
9.	मेसर्स ओम कोल डिपो, ग्राम-उड़ेला, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	31/07/2025	निरीक्षण समय स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः की गई कार्यवाही निरंक है।
10.	मेसर्स ग्लोबल मिनरल्स, ग्राम-अमसेना, तहसील-सकरी, प.ह.नं. 38, खसरा नं. 303,304/1,2,3, 305/1,2,3, 309/1, 310, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	01/09/2025	विण्ड ब्रेकिंग, गारलैण्ड ड्रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाउसकीपिंग व्यवस्था उपयुक्त नहीं पाई।	निरीक्षण दिवस में पाई गई कमियों के संबंध में इस कार्यालय के द्वारा पत्र क्रमांक 2330 दिनांक 08/09/2025 को पत्र जारी किया गया।
11.	मेसर्स लक्ष्मी एसोसिएट, ग्राम-बेलमुंडी तहसील-सकरी, जिला-बिलासपुर	28/09/2025	उद्दोग द्वारा सुधारात्मक कार्य किया जाना पाया गया।	अतः कार्यवाही निरंक है।
12.	मेसर्स यूनियर्सल, ग्राम-तोखण्डी, तहसील-सकरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	04/09/2025	निरीक्षण समय स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः की गई कार्यवाही निरंक है।

क्र.	अनुज्ञापिका का नाम व पता	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
13.	मेसर्स लक्ष्मी एसोसिएट, ग्राम-बेलमुंडी, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	18/08/2025	निरीक्षण समय स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः की गई कार्यवाही निरंक है।
14.	मेसर्स महादेव ट्रेडिंग, ग्राम-बेलमुंडी, तहसील-सकरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	04/01/2026	निरीक्षण समय स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः की गई कार्यवाही निरंक है।
15.	मेसर्स वामा एनर्जी, ग्राम-अमसेना, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर(छ.ग.)	01/09/2025	जल छिड़काव, विण्ड ब्रेकिंग, पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, हाउसकीपिंग व्यवस्था संतोषजनक, परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानिट्रिंग रिपोर्ट के परिणाम मानक के भीतर नहीं पाया गया।	रूपये राशि 5,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पूर्ति अधिरोपित की गई।
16.	मेसर्स रायपुर कोल फीडर प्रा.लि., ग्राम-बेलमुंडी, तहसील-सकरी, जिला-बिलासपुर(छ.ग.)	30/04/2025	निरीक्षण समय स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः की गई कार्यवाही निरंक है।
17.	मेसर्स महाकाल कोल साइजिंग, ग्राम-मेडपार, तहसील-सकरी, जिला-बिलासपुर(छ.ग.)	30/04/2025	निरीक्षण समय स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः की गई कार्यवाही निरंक है।

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 01-03-2026
16:33:39

परिशेष - चालीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 1583) की जानकारी

प्रपत्र

सूची-

नेमीचंद जैन मथुरावाले चैरेटी ट्रस्ट एण्ड रिसर्च सेंटर बिलासपुर

ग्राम- पेन्डारी

शासन द्वारा आवंटित भूमि

खसरा नं.	रकबा	
1212	0.0810 हे.	0.20 एकड़
1209/5 में से (नवीन खसरा नं. 1209/7)	5.1280 हे.	13.02 एकड़

उनकी निजी भूमि

खसरा नं.	रकबा	
1211/1	0.3970 हे.	0.981 एकड़
1211/2	0.3890 हे.	0.961 एकड़
1211/3	0.3840 हे.	0.949 एकड़
539	0.0610	0.151 एकड़

विनिमय से प्राप्त भूमि

निजी भूमि	रकबा		शासकीय भूमि	रकबा	
1278/5	0.283 हे.	0.70 एकड़	1209/5 में से (नवीन खसरा नं. 1209/6)	0.607 हे.	1.50 एकड़
1278/3	0.405 हे.	1.00 एकड़			

अनुमति अधिकारी
जस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
नालय, नवा रायपुर, अटल नगर


मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने हेतु किये गये कार्य

1. बहुउद्देशीय गजराज वाहन के उपयोग से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पहुंचकर सहायता पहुंचायी जाती है एवं आवश्यकतानुसार हाथियों की ट्रेकिंग की जाती है ।
2. हाथी प्रभावित क्षेत्रों में गठित हाथी मित्र दलों द्वारा हाथियों के आगमन के संबंध में वन कर्मचारियों को जानकारी दी जाती है एवं वन कर्मचारियों के पहुंचने तक स्थिति नियंत्रण में रखने का प्रयास किया जाता है ।
3. ग्रामीणों को हाथी विचरण की पूर्ण जानकारी देने हेतु आकाशवाणी कार्यक्रम के माध्यम से हाथियों के आगमन एवं संभावित विचरण के बारे में प्रसारण "हमर हाथी हमर गोठ" कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 5.05 बजे अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ आकाशवाणी केन्द्रों से किया जा रहा है ।
4. परिसर स्तर पर सरपंच, सचिव एवं ग्रामीणों को लेकर व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है । इसके माध्यम से ग्रामों के आस-पास हाथियों के विचरण की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई जाती है तथा उन्हें सुरक्षा हेतु सजग किया जाता है ।
5. वन्यप्राणी संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वन्यप्राणी रहवास क्षेत्रों में जल स्रोतों का निर्माण, चारागाह विकास कार्य, अखाद्य खरपतवार का उन्मूलन, अग्नि सुरक्षा आदि कार्य संपादित किए जाते हैं ताकि हाथियों को पर्याप्त भोजन एवं पानी उपलब्ध हो सके जिससे हाथी वन क्षेत्रों में ही रहें ।
6. छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रेकिंग एण्ड अलर्ट एप "गज संकेत" बनाया गया है ।
7. वन क्षेत्रों में फंदो (स्नेयर) और बिजली के तारों की जांच करने स्नेयर वॉक टीम का गठन किया गया है ।
8. वन्यप्राणियों का शिकार होने पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।
9. अपराध की रोकथाम हेतु स्नीफर डॉग स्कवॉड की स्थापना की गयी है ।
10. मुखबिर तंत्र विकसित किया गया है तथा पारितोषिक दिये जाने का प्रावधान किया गया है ।
11. राज्य विद्युत वितरण कंपनी के साथ समन्वय औपचारिक रूप से किया जाता है ताकि बिजली के स्पर्शाघात से वन्यप्राणियों की मृत्यु न हो सके ।
12. वन्यप्राणियों की सुरक्षा हेतु रैपिड रिस्पांस टीम एवं टायगर ट्रेकर्स की सेवायें ली जाती हैं ।

अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

“ विगत 03 वर्षों में मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने हेतु प्रावधानित / व्यय राशि का विवरण”
(राशि लाख में)

क्रमांक	योजना / कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		कुलयोग	
		प्रावधान	व्यय राशि	प्रावधान	व्यय राशि	प्रावधान	व्यय राशि	प्रावधान	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	(8912) - वन्यप्राणी बचाव पुर्नवास एवं हेल्थकेयर प्रबंधन	165.00	159.29	174.00	169.57	174.00	134.51	513.00	463.37
2	(3943) - वनजीवों को संरक्षण एवं विकास	1000.00	994.95	1080.00	1029.49	1080.00	960.67	3160.00	2985.11
3	(7887) - हाथी प्रभावित क्षेत्रों में चलित हाथी सुरक्षा दस्ता का गठन	109.20	82.26	109.30	89.83	94.80	59.40	313.30	231.49
4	(6991) - हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास	1478.50	1443.64	1478.50	1442.69	1450.00	1080.15	4407.00	3966.48
5	(7459) - वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतवाश का समन्वित विकास	290.00	283.48	355.00	346.14	355.00	302.33	1000.00	931.95
6	कैम्पा योजना	2394.06	2394.06	1707.58	1707.58	2554.67	2554.67	6656.31	6656.31
	योग	5436.76	5357.68	4904.38	4785.30	5708.47	5091.73	16049.61	15234.71


अपर प्रधुन मुख् वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)
नवा रायपुर, अटल नगर, छ0ग0

बस्तर संभाग के अंतर्गत बाउंड्री डिमार्केशन किए गए वेटलैण्ड की जिलेवार सूची

क.	जिला	वेटलैण्ड संख्या
1	बस्तर	125
2	दंतेवाड़ा	51
3	सुकमा	161
4	बीजापुर	302
5	कांकेर	292
6	कोंडागांव	78
7	नारायणपुर	18
	योग	1027

अपर प्रधान मुख्य, वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)
नवा रायपुर, अटल नगर, छ0ग0

परिशेष - बयालीस

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 56 (क्र. 1598) की जानकारी

प्रपत्र

वनरक्षक के पद पर चयन हेतु 1484 पदों पर वनमंडलवार/ कार्यालयवार विवरण निम्नानुसार :-

क्र.	कार्यालय का नाम	पद संख्या
1	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) वनमण्डल रायपुर	1
2	वन प्रबंधन सूचना प्रणाली, वनमण्डल, रायपुर	1
3	अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल, रायपुर	14
4	बलौदाबाजार वनमण्डल	47
5	धमतरी वनमण्डल	49
6	महासमुंद वनमण्डल	39
7	गरियाबंद वनमण्डल	25
8	उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व, गरियाबंद	23
9	दुर्ग वनमण्डल	7
10	बालोद वनमण्डल	13
11	राजनांदगांव वनमण्डल	48
12	खैरागढ़ वनमण्डल	59
13	कवर्धा वनमण्डल	65
14	अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल, बिलासपुर	12
15	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) वनमण्डल, बिलासपुर	4
16	बिलासपुर वनमण्डल	38
17	मुगेली वनमण्डल	21
18	अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी	57
19	कोरबा वनमण्डल	46
20	कटघोरा वनमण्डल	47
21	रायगढ़ वनमण्डल	55
22	धरमजयगढ़ वनमण्डल	34
23	जाजगीर चापा वनमण्डल	14
24	मरवाही वनमण्डल	27
25	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) वनमण्डल सरगुजा	2
26	हाथी रिजर्व, तमोर पिंगला अभ्यारण्य (जिला सूरजपुर)	18
27	हाथी रिजर्व, सेमरसोत अभ्यारण्य (जिला बलरामपुर)	17
28	हाथी रिजर्व, बादलखोल अभ्यारण्य (जिला जशपुर)	7
29	सरगुजा वनमण्डल	29

07

क्र.	कार्यालय का नाम	पद संख्या
30	जशपुर वनमण्डल	42
31	बलरामपुर वनमण्डल	49
32	सूरजपुर वनमण्डल	33
33	कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर	35
34	मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल	37
35	गु.घा.रा.उ. बैकुण्ठपुर	26
36	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) वनमण्डल, कांकेर	6
37	कांकेर वनमण्डल	42
38	पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल	50
39	पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल	36
40	केशकाल वनमण्डल	19
41	दक्षिण कोण्डागांव वनमण्डल	26
42	नारायणपुर वनमण्डल	29
43	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) वनमण्डल, जगदलपुर	1
44	बस्तर वनमण्डल	55
45	सामाजिक वानिकी वनमण्डल, बस्तर	20
46	वन विद्यालय, जगदलपुर	1
47	कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर	11
48	दंतेवाड़ा वनमण्डल	41
49	सुकमा वनमण्डल	36
50	बीजापुर वनमण्डल	10
51	इन्द्रावती टाईगर रिजर्व बीजापुर	60
कुल योग		1484

(प्र.मु.व.सं. एवं वनबल प्रमुख, छ.ग. द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा/अराज.)
छत्तीसगढ़, नया रायपुर,

परिशेष - तिरालीस

परिवाहित अतारोकेत प्रश्न संख्या 57 (क्र. 1599) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष -2023-2024)						
कं.	स्वीकृत कार्य का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम/ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि लाख में	पूर्ण/प्रगतिरत / अपूर्ण / अप्रारम्भ	अपूर्ण / प्रगतिरत कार्य को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा
1	2	3	4	5	6	7
1	शा. हा. से. स्कूल सरवानी में अति० कक्ष निर्माण 5 नग.	बिल्हा	सरवानी	25.00	पूर्ण	कार्य पूर्ण दिनांक 15.09.2025
2	शा. उन्नत शिक्षा संस्थान तारबहार बिलासपुर के गर्ल्स एवं वॉयस हास्टल के मरम्मत हेतु	बिल्हा	तारबहार	15.00	पूर्ण	कार्य पूर्ण दिनांक 11.02.2026
			योग	40.00		


 अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल न

(वर्ष 2024-25)

1. जिला का नाम - बिलासपुर, जनपद पंचायत तखतपुर

कं.	स्वीकृत कार्य का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि लाख में	पूर्ण/प्रगतिरत / अपूर्ण / अप्रारंभ	अपूर्ण / प्रगतिरत कार्यो को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा
1	2	3	4	5	6	7
1	सी सी रोड निर्माण पानी टंकी से शिव मंदिर होते हुए गोरे लाल साहू के घर तक	तखतपुर	जरौधा	5.00	समतलीकरण पूर्ण सामाग्री एकत्रीकरण	15.03.2026
2	सांस्कृतिक मंच निर्माण (स्कूल परिसर)	तखतपुर	सिलतरा	5.00	पूर्ण सी सी जारी	
3	सांस्कृतिक मंच निर्माण	तखतपुर	लिनरी	5.00	छत स्तर	15.03.2026
4	सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य	तखतपुर	भरारी	5.00	नींव कार्य	30.04.2026
5	सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य (मूलचंद गोड़ के घर के पास) संशोधित स्थल (कुमारी नेताम के घर के पास)	तखतपुर	अमने / देवतरा	5.00	नींव कार्य	30.05.2026
6	सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य (ठाकुरदेव मंदिर के पास)	तखतपुर	सफरीमांठा	5.00	पेंट पुताई शेष	15.03.2026
7	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (साहू समाज)	तखतपुर	सागर	6.00	अप्रारंभ नोटीस जारी	
8	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	तखतपुर	पोंगरिहा	5.00	डोर लेबल	30.04.2026
9	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	तखतपुर	मोढ़े	7.00	छत पूर्ण , प्लास्टर पूर्ण	15.03.2026
10	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	तखतपुर	बोड़सरा	7.00	पूर्ण फिनिशिंग शेष	15.03.2026
11	02 नग पचरी निर्माण कार्य	तखतपुर	पचबहरा	5.00	पूर्ण सी सी जारी	

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
बिलासपुर, नवा रायपुर, अटला नगर

12	पचरी निर्माण कार्य (जुनी तालाब)	तखतपुर	देवरीखुर्द	5.00	पूर्ण सी सी जारी	
13	मुक्तिधाम निर्माण कार्य	तखतपुर	मोढ़े	5.00	डोर लेबल	30.03.2026
14	सी सी रोड निर्माण कार्य 100 मी.	तखतपुर	विध्यासर	3.00	पूर्ण	
15	सी सी रोड निर्माण कार्य कन्हैया पटेल के घर से कृष्णा यादव के घर तक 200 मीटर	तखतपुर	सकरी	5.00	पूर्ण सी सी जारी	
16	सी सी रोड निर्माण कार्य ओमप्रकाश के घर से मेनरोड तक 200 मी.	तखतपुर	बीजा	5.00	पूर्ण सी सी जारी	
17	सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य (खमरहा मंदिर के पास) सिंघनपुरी	तखतपुर	सिंघनपुरी	5.00	छत पूर्ण	15.03.2026
18	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (पटेल समाज) भकुरानवापारा	तखतपुर	भकुरानवापारा	10.00	कॉलम कार्य	30.05.2026
19	सी सी रोड निर्माण कार्य संशोधित स्थल गुजेन्द्र यादव के घर से मेन रोड तक (रमेश पाठक के घर से मेनरोड तक 200 मी.) बीजा	तखतपुर	बीजा	6.00	मुरुम कार्य प्रगति पर	30.03.2026
			योग -	104.00		

कार्यालय नगर निगम बिलासपुर

वर्ष 2024-25

क्र.	कार्य का नाम एवं स्थान	विकासखण्ड का नाम	जोन क्र.	स्वीकृत राशि लाख में	पूर्ण/प्रगतिरत / अपूर्ण / अप्रारम्भ	अपूर्ण / प्रगतिरत कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा
1	2	3	4	5	6	7
1	वार्ड क्र. 16 चंदनी चौक से मिलन चौक तक बायीं ओर आर.सी.सी. नाली निर्माण	बिल्हा	3	19.82	पूर्ण	
2	वार्ड क्र. 16 सर्किट हाउस से गायत्री मन्दिर चौक होते हुए शिव चौक बायीं ओर नाली निर्माण	बिल्हा	3	13.91	पूर्ण	

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
नगरपालिका, नवा रायपुर, अटल नगर

3	वार्ड क्र. 17 गीतांजली विहार फेस 2 में खिलावन प्रसाद जांगडे गली में नाली निर्माण	बिल्हा	3	6.98	पूर्ण	
4	वार्ड क्र. 17 अमलतास कॉलोनी गेट से सनपत्तावर अपार्टमेंट गेट तक नाली निर्माण	बिल्हा	3	4.65		अप्रारंभ (स्थल विवाद)
5	वार्ड क्र. 17 गीतांजली विहार फेस 2 में खिलावन प्रसाद जांगडे गली में सीसी सड़क नवीनीकरण	बिल्हा	3	5.34	पूर्ण	
6	वार्ड क्र. 19 डॉ. नरेन्द्र पटेल से जतिया तालाब फूड कोर्ट तक सीसी सड़क नवीनीकरण	बिल्हा	3	5.89	पूर्ण	
7	वार्ड क्र. 17 कल्पना विहार कॉलोनी में गार्डन उन्नयन कार्य	बिल्हा	3	5.3	पूर्ण	
8	वार्ड क्र. 18 विवेकानंद उद्यान में स्टोर रूम निर्माण वा उन्नयन कार्य	बिल्हा	3	8.१०	पूर्ण	
9	वार्ड क्र. 23 रूममणी बिहार में नाली निर्माण	बिल्हा	4	13.25	पूर्ण	
10	वार्ड क्र. 27 के.एल.पांडेय के घर के सामने नाली	बिल्हा	4	3.18	पूर्ण	
11	वार्ड क्र. 25 संजय अपार्टमेंट में डामरी करण नवीनीकरण	बिल्हा	4	13.28	30.03.2026	अप्रारंभ निर्माण कार्य 30.03.2026 तक पूर्ण करा लिया जावेगा
12	वार्ड क्र. 44 मेन रोड अस्पताल के सामने सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	बिल्हा	6	20.४०	पूर्ण	
13	वार्ड क्र. 68 मुख्य मार्ग से नदी तक नाली निर्माण कार्य	बिल्हा	8	10.६०	पूर्ण	
योग-				129.6		02 अप्रारंभ


योग-

02 अप्रारंभ

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

रायपुर से व्हाया बलौदाबाजार जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ तक प्रस्तावित फोर लेन सड़क हेतु भू-अर्जन।

स. क्र.	भार्ग का नाम	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	नगर पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत/ग्राम का नाम	टीप
1	2	3	4	5	6	7
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 130बी के कि.मी. 0.000 (धनेली-रायपुर) से कि.मी. 51.900 (ग्राम भैंसा) तक	रायपुर	धरसीवा		निमोरा-1	
2				धनेली-1		
3				रांवाभावा		
4				सिलतरा		
5				गिरौद		
6				टेकारी		
7				परसुलीडीह		
8				ब्ररौडा		
9				आगासिवनी		
10				सेगरिया-2		
11				नरदहा		
12				दोंदेखुर्द		
13				दोदेकला		
14				गटिया		
15				जरींवा		
16				निलजा		
17				सांरांगांव		


अनुदान अधिकारी

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महात्मा जयप्रकाश नारायण भवन, नया रायपुर
अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.प्र.)

स. क्र.	मार्ग का नाम	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	नगर पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत/ग्राम का नाम	टीप	
1	2	3	4	5	6	7	
18	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 130बी के कि.मी. 0.000 (बनेली-रायपुर) से कि.मी. 51.900 (ग्राम भैंसा) तक	रायपुर	तिल्दा		बरोडा		
19					कुरा		
20					बंगोली		
21					मुरा		
22					नारवा		
23					माठ		
24					खरोरा	खरोरा	
25						बुडेरा	
26						केवराडीह	
27						केसला	
28						सिरी	
29						कनकी	
30						पाड़ाभाट	
31					आरंग		खपरीडीहखुर्द
32						भैंसा	
33						भठिया	
34						खोरसी	
35						खैरा	

स. क्र.	मार्ग का नाम	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	नगर पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत/ग्राम का नाम	टीप
1	2	3	4	5	6	7
36	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 130बी के कि.मी. 51.900 (ग्राम भैंसा) से कि.मी. 139.400 (ग्राम कुम्हारी) तक	बलौदाबाजार-भाटापारा	पलारी		खरतौरा	
37					मुड़पार	
38					संडी	
39					कोदवा	
40				पलारी	पलारी	
41					गोड़ा	
42					गिर्रा	
43					कुसमी	
44					घोटिया	
45					कुकदा	
46				प्रहदा		
47				बिनौरी		
48				रसौटा		
49				अमेरा		
50				लवन	सकरी	
51					लिमाही	
52					मगरयबा	
53					पनगांव	
54					विटकुली	
55					लवनबंद	

स. क्र.	मार्ग का नाम	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	नगर पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत/ग्राम का नाम	टीप
1	2	3	4	5	6	7
56	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 130वी के कि.मी. 51.900 (ग्राम भैंसा) से कि.मी. 139.400 (ग्राम कुम्हारी) तक	बलोदाबाजार-भाटापारा	लवन		डोटोपार	
57					लाहोद	
58					गिंदोला	
59					खम्हारडीह	
60					मुंडा	
61					चिरपोटा	
62					कोलिहा	
63					ढनढनी	
64					लवन	लवन
65						कोरदा
66						जोगसा
67						परसपाली
68						जोगरीडीह
69						चाटीपाली
70					दर्रा	
71				कसडोल	कसडोल	
72					छरछेद	
73					छाँछी	
74					पिसिद	
75					सेल	
76			चंडीडीह			

सं. क्रं.	मार्ग का नाम	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	नगर पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत/ग्राम का नाम	टीप
1	2	3	4	5	6	7
77	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 130बी के कि.मी. 51.900 (ग्राम भैंसा) से कि.मी. 139.400 (ग्राम कुम्हारी) तक	बलोदाबाजार-माटापारा	कसडोल		कटगी	
78					अमोदी	
79					धमलपुर	
80					नवापारा	
81					हसुवा	
82					बलोदा	
83					बरपाली	
84					सेगरा	
85					गिचौरी	
86					घटमड़वा	
87					कुम्हारी	
88					खपरीडीह	
89					अम्लीडीह	
90	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 130बी के कि.मी. 139.400 (ग्राम कुम्हारी) से कि.मी. 186.750 (सारंगढ़) तक	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़		दुण्डरी	
91					पचरी	
92					छिरा	
93					बरमाठा	
94					पवनी	
95					दुम्हानी	
96					बिसनपुर	

स. क्र.	मार्ग का नाम	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	नगर पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत/ग्राम का नाम	टीप	
1	2	3	4	5	6	7	
97	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 130बी के कि.मी. 139.400 (ग्राम कुन्हारी) से कि.मी. 186.750 (सारंगढ़) तक	सारंगढ़-बिलाईगढ़	बिलाईगढ़		पथरिया		
98					बेलटिकरी		
99					घुरेला		
100					जमगहन		
101					गिरसा		
102					घोबनीडीह		
103					रोहिना		
104					भटगांव	भटगांव	
105						झुमरपाली	
106						टेढ़ीमदरा	
107						सेन्दुरसा	
108						खम्हरियाई	
109						गोपालपुर	
110						पिपरडुला	
111						सरसीया	सरसीया
112							कोदवा
113							तिलाईमाली
114							तेन्दुभाठा
115				सेमरिया			
116				मिनादी			
117				मिनोदा			
118				धारासीव			

क्र. क्र.	मार्ग का नाम	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	नगर पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत/ग्राम का नाम	टीप
1	2	3	4	5	6	7
119	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 130बी के कि.मी. 139.400 (ग्राम कुम्हारी) से कि.मी. 186.750 (सारंगढ़) तक	सारंगढ़-विलाईगढ़	सारंगढ़		परसदा बड़े	
120				टांडीपार		
121				पिकरी		
122				लिमगांव		
123				अप्लीपाली-अ		
124				कलमी		
125				बरमाठा-अ		
126				परसापाली		
127				छिंद		
128				अचानकपाली		
129				कुधरी		
130				गोड़िहारी		
131				हरिहरपाली		
132				दुर्गापाली		
133				चंदाई		
134				कुटेला		
135				भोजपुर		
136				खम्हारडीह		
137				सारंगढ़	सारंगढ़	नगर पालिका
138				पचपेड़ी		

स. क्रं.	सार्थ का नाम	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	नगर पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत/ग्राम का नाम	टीप
1	2	3	4	5	6	7
139	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 130बी के कि.मी. 139.400 (ग्राम कुम्हारी) से कि.मी. 186.750 (सारंगढ़) तक	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़		उधरा	
140					कोतरी	
141					रेड़ा	
142					दरगावा	
143					हरदी	
144					महकपुर	
145					नंदपुर	
146					सुआताल	
147					हिरा	
148					गोड़म	

मुख्य अभियंता (प्रशा.)
कार्या. प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

परिशेष - पेंतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 67 (क्र. 1642) की जानकारी

प्रपत्र-

(राशि रु. में)

स.क्र.	भुगतान माह	प्रयोजन	विभागीय मद	कैम्पा मद	योग राशि
1	2	3	4	5	6
1	नवम्बर 2019	पौधा प्रदाय	1211350	0	1211350
2	फरवरी 2020	पौधा प्रदाय	3356430	0	3356430
3	मार्च 2020	पौधा प्रदाय	286300	0	286300
4	जनवरी 2021	पौधा प्रदाय	346200	0	346200
5	फरवरी 2021	पौधा प्रदाय	449820	0	449820
6	मार्च 2021	पौधा प्रदाय	453800	0	453800
7	अक्टूबर 2021	पौधा प्रदाय	632804	0	632804
8	नवम्बर 2022	गोबर खाद प्रदाय	0	176000	176000
9	जनवरी 2023	पौधा प्रदाय	700762	0	700762
10	फरवरी 2023	पौधा प्रदाय	281030	0	281030
11	फरवरी 2023	गोबर खाद प्रदाय	0	176000	176000
12	फरवरी 2023	वर्मी कम्पोस्ट प्रदाय	0	110000	110000
13	मार्च 2023	बीज प्रदाय	2777000	0	2777000
14	मार्च 2023	पौधा प्रदाय	358160	0	358160
15	जुलाई 2023	वर्मी कम्पोस्ट प्रदाय	865750	0	865750
16	अगस्त 2023	पौधा प्रदाय	2361038	0	2361038
17	अगस्त 2023	वर्मी कम्पोस्ट प्रदाय	40000	0	40000
18	अक्टूबर 2023	वर्मी कम्पोस्ट प्रदाय	198000	0	198000
19	दिसम्बर 2023	पौधा प्रदाय	947851	0	947851
20	जनवरी 2024	पौधा प्रदाय	63700	0	63700
21	फरवरी 2025	पौधा प्रदाय	0	136054	136054
योग :-			15329995	598054	15928049

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(संयुक्त वन प्रबंधन)

नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र

- 1 . माननीय व्यवहार न्यायालय डभरा के व्यवहार वाद क्रमांक 22अ/2008 पक्षकार जगदीश प्रसाद वगैरह बनाम रोहित कुमार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 12.04.2019 के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 (1.घसनिग वगैरह, 2.चुड़ामणि, 3.ताराचंद एवं 4.चेतन) के द्वारा प्रतिवादी क्र. 5 (डी.बी.पावर) के पक्ष में किया गया कुल 09 पंजीकृत विक्रय बैनामा दिनांक 19.06.2008 को अवैध एवं शून्य घोषित किया गया।
- 2 . माननीय व्यवहार न्यायालय डभरा के व्यवहार वाद क्रमांक 22अ/2008 आदेश दिनांक 12.04.2019 में घोषित निर्णय व आज्ञा से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी प्रबंधक डी.बी.पावर लिमिटेड ग्राम बाड़ादरहा तहसील डभरा के द्वारा द्वितीय जिला न्यायाधीश सक्ती में सिविल अपील क्रमांक 55ए/2019 दायर किया गया।
- 3 . माननीय द्वितीय जिला न्यायाधीश जिला सक्ती के सिविल अपील क्रमांक 55ए/2019 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2024 के अनुसार प्रतिवादी क्र. 1 से 4 (1.घसनिग वगैरह, 2.चुड़ामणि, 3.ताराचंद एवं 4.चेतन) के द्वारा प्रतिवादी क्र.5 (डी.बी.पावर) को विक्रय की गई भूमि के संबंध में 1/3 हिस्सा के बटवारा हेतु प्रतिवादी क्र.5 पृथक से वाद दायर कर सकता है, शेष भूमि के संबंध में पंजीकृत विक्रय पत्र (प्र.पी.5, प्र.पी.7, प्र.पी.10 को छोड़कर) अवैध एवं शून्य घोषित किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 (1.घसनिग वगैरह, 2.चुड़ामणि, 3.ताराचंद एवं 4.चेतन) के द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र बैनामा दिनांक 19.06.2008 (प्र.पी.5, प्र.पी.7, प्र.पी.10) के माध्यम से विक्रय की गई भूमि का प्रतिवादी क्र.5 (डी.बी.पावर) स्वत्वधारी एवं आधिपत्यधारी है।
- 4 . माननीय द्वितीय जिला न्यायाधीश जिला सक्ती के सिविल अपील क्रमांक 55ए/2019 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2024 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. में अपीलार्थी डी. बी. पावर के द्वारा द्वितीय अपील दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. के द्वारा द्वितीय अपील S.A. No. 590/2024 में पारित आदेश दिनांक 04.02.2026 के अनुसार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (सिविल अपील क्रमांक 55ए/2019 आदेश दिनांक 31.07.2024) न्यायसंगत और उचित है तथा कोई अवैधता या खामी नहीं है।
5. वादभूमि पर वर्तमान में डी.बी.पावर ग्राम-बाड़ादरहा काबिज है।
6. भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत कार्यवाही हेतु विभागीय प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।


अनुभाग अधिकारी

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

परिशेष - सैतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 72 (क्र. 1984) की जानकारी

प्रपत्र

नदी, नाला, तालाब एवं कुआं के संरक्षण, संवर्धन, पुनरोद्धार एवं जीर्णोद्धार के लिए शासन द्वारा किए गए कार्य

स.क्र.	योजना का नाम	योजना में प्रावधानित कार्य का विवरण
1	2	3
1	जिला बालोद विकासखण्ड डौण्डीलोहारा के लोकल नाला में बड़े जुर्गेरा में तट प्रोटेक्शन कार्य	तट संरक्षण कार्य
2	खारून नदी पर किकिरमेटा में बैंक प्रोटेक्शन कार्य	तट संरक्षण कार्य
3	खारून नदी पर ग्राम बोरंदा में बाढ़ सुरक्षा कार्य	तट संरक्षण कार्य
4	खारून नदी पर ग्राम कौही में बाढ़ सुरक्षा कार्य	तट संरक्षण कार्य
5	खारून नदी पर तरीघाट में बाढ़ सुरक्षा कार्य	तट संरक्षण कार्य
6	खारून नदी पर ठाकुराईनटोला में बाढ़ सुरक्षा कार्य	तट संरक्षण कार्य
7	खारून नदी पर घुघवा में बाढ़ सुरक्षा कार्य	तट संरक्षण कार्य
8	खारून नदी पर जामराव पार्ट-2 में बाढ़ सुरक्षा कार्य	तट संरक्षण कार्य
9	खारून नदी पर खुड़मुड़ा पार्ट-2 में बाढ़ सुरक्षा कार्य	तट संरक्षण कार्य
10	खारून नदी पर खुड़मुड़ी में बाढ़ सुरक्षा कार्य	तट संरक्षण कार्य
11	कसही नाले पर बैंक सुरक्षा हेतु पिचिंग कार्य	तट संरक्षण कार्य
12	शिवनाथ नदी में बाबा कुटी के पास बैंक प्रोटेक्शन एवं पुलिया निर्माण	तट संरक्षण कार्य
13	सुरही नदी पर भोजेपारा बैंक प्रोटेक्शन कार्य	तट संरक्षण कार्य
14	सकरी नदी पर दाढ़ी बैंक प्रोटेक्शन एवं पचरी निर्माण कार्य	तट संरक्षण कार्य
15	सकरी नदी पर रेंगाखार के आश्रित ग्राम कोडार में बैंक प्रोटेक्शन कार्य	तट संरक्षण कार्य
16	हाफ नदी पर ग्राम मंथानीखुर्द रिटर्निंग वॉल का निर्माण	रिटर्निंग वॉल का निर्माण
17	बरगांव एनीकट प्रोटेक्शन कार्य	तट संरक्षण कार्य
18	पैरी नदी पर मुढ़ेनी भेण्डी बाढ़ नियंत्रण कार्य	तट संरक्षण कार्य
19	महानदी पर ग्राम मेघा के शेष भाग पर बाढ़ सुरक्षा कार्य	तट संरक्षण कार्य
20	बालका नदी से कर्णेश्वर संगम मंदिर तक बाढ़ सुरक्षा एवं तटबंध कार्य	तट संरक्षण कार्य
21	महानदी पर बड़ी करेली से चंदना तक बाढ़ सुरक्षा कार्य	तट संरक्षण कार्य
22	जड़जड़ा बाढ़ सुरक्षा कार्य	तट संरक्षण कार्य
23	बेंदकुरा के दाहिने ओर बुटेका एनीकट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य	तट संरक्षण कार्य
24	महादेव घाट से श्मशान घाट (छुरा) बाढ़ सुरक्षा कार्य	तट संरक्षण कार्य
25	बनचरौदा बाढ़ सुरक्षा/ बैंक प्रोटेक्शन कार्य	तट संरक्षण कार्य
26	महानदी पर ग्राम बेनीडीह में बैंक प्रोटेक्शन कार्य	तट संरक्षण कार्य
27	बरतनारा बैंक प्रोटेक्शन कार्य	तट संरक्षण कार्य
28	लखना बाढ़ सुरक्षा कार्य	तट संरक्षण कार्य
29	मुनरेठी बैंक प्रोटेक्शन कार्य	तट संरक्षण कार्य
30	परसतराई बैंक प्रोटेक्शन कार्य	तट संरक्षण कार्य
31	खारून नदी के दांयी तट पर परसतराई बैंक प्रोटेक्शन कार्य	तट संरक्षण कार्य

स.क्र.	योजना का नाम	योजना में प्रावधानित कार्य का विवरण
1	2	3
32	गोबरा नवापारा के बांये तटबंध की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण आर.डी. 0 मी. से 1700 तक एवं आर.डी. 1700 मी. से 1850 मी. तक तट का विस्तार	तटबंध की मरम्मत, सौंदर्यीकरण एवं विस्तार कार्य
33	बैंक प्रोटेक्शन वर्क ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ नारंगी रिवर नियर विलेज बड़ेआमाबाल	तट संरक्षण कार्य—कांक्रिट ब्लॉक
34	बैंक प्रोटेक्शन वर्क ऑन राईट बैंक ऑफ मारकंडी रिवर नियर शिव टैपल चपका विलेज	तट संरक्षण कार्य—कांक्रिट ब्लॉक
35	गुनपुर के समीप नारंगी नदी पर दांयी ओर तटरक्षण कार्य	तट संरक्षण कार्य—कांक्रिट ब्लॉक
36	ग्राम बालेंगा के समीप मारकण्डी नदी के दांये तट पर तटरक्षण कार्य	तट संरक्षण कार्य—कांक्रिट ब्लॉक
37	ग्राम झारतरई के समीप इन्द्रावती नदी के दांये तट पर तटरक्षण कार्य	तट संरक्षण कार्य—कांक्रिट ब्लॉक
38	भैसगांव के पास नारंगी नदी पर तटरक्षण कार्य	तट संरक्षण कार्य—कांक्रिट ब्लॉक
39	साल्हेटोला महानदी पुल के उपर रिटेनिंगवॉल का निर्माण कार्य	तट संरक्षण कार्य—कांक्रिट ब्लॉक
40	कानागांव चिनार नदी पर रिटेनिंगवाल का निर्माण कार्य	रिटेनिंगवाल का निर्माण कार्य—कांक्रिट ब्लॉक
41	बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत दुधनदी में रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य (RA)	रिटेनिंगवाल का निर्माण कार्य—कांक्रिट ब्लॉक / पिचिंग
42	पैरीनाला धनेसरा मुड़पार महानदी पुल तक 1.50 किमी दांयी भाग पिचिंग कार्य	तट का कांक्रिट ब्लॉक—पिचिंग कार्य
43	बेहबेड़ा तटरक्षण कार्य (कुकुर नदी पर)	तट संरक्षण कार्य—कांक्रिट ब्लॉक
44	गढ़बेंगाल तटरक्षण कार्य (कुकुर नदी पर)	तट संरक्षण कार्य—कांक्रिट ब्लॉक
45	खोरमा में बांकी नदी पर बाढ़ नियंत्रण कार्य	सीमेंट कांक्रिट का फ्लड प्रोटेक्शनवाल का निर्माण
46	ग्राम जूर में गोबरी नदी के बांये एवं दांये तट पर तटबंध निर्माण कार्य	सीमेंट कांक्रिट का फ्लड प्रोटेक्शनवाल का लेफ्ट एण्ड राईट बन्ड निर्माण
47	मांड नदी का सौंदर्यीकरण एवं घाट निर्माण तथा किलकिला एनीकट तक तटबंध निर्माण	सीमेंट कांक्रिट का प्रोटेक्शनवाल का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण एवं घाट निर्माण
48	कोरबा जिले के लेपरा से पोड़ी उपरोड़ा तक तान नदी के दांयी तट का कटाव रोकने हेतु बैंक प्रोटेक्शन का कार्य।	टो वाल कांक्रिट, ब्लॉक का निर्माण कर प्रोटेक्शन कार्य।
49	अरपा उद्गम स्थल का विकास एवं जल कुण्ड का निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)	कांक्रिट कार्य, पिचिंग, कांक्रिट ब्लाक से तट की सुरक्षा
50	खर्वाघाट एनीकट / बैराज एवं तटबंध निर्माण कार्य	कांक्रिट कार्य, पिचिंग, कांक्रिट ब्लाक से तट की सुरक्षा
51	रायपुर जिले के विकासखण्ड अभनपुर के ग्राम पितईबंद से ग्राम लखना तक 1200 मी. महानदी के बाएं तट पर तटबंध निर्माण कार्य	तट संरक्षण कार्य

स.क्र.	योजना का नाम	योजना में प्रावधानित कार्य का विवरण
1	2	3
53	रायपुर जिले के विकासखण्ड अभनपुर के ग्राम चंपारण के पास 1350 मी . महानदी के बाएं तट पर तटबंध निर्माण कार्य	तट संरक्षण कार्य
54	रायपुर जिले के विकासखण्ड के अभनपुर के मुंडरा एनीकट के डाउनस्ट्रीम में बैंक प्रोटेक्शन कार्य	तट संरक्षण कार्य
55	रायपुर जिले के विकासखण्ड धरसीवा की खारुन नदी पर दतरंगा के पास घाट निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य	तट संरक्षण कार्य
56	धमतरी जिले के विकासखण्ड धमतरी में महानदी पर मुड़पार तटबंध निर्माण कार्य।	तटबंध निर्माण कार्य
57	रायपुर जिले के विकासखण्ड आरंग की शीवा बँधवा तालाब का जीर्णोद्धार कार्य	तालाब का जीर्णोद्धार कार्य
58	रायपुर जिले के विकासखण्ड धरसीवा के महादेवघाट एनीकट परिक्षेत्र का सुरक्षा विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	परिक्षेत्र का सुरक्षा विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।

Digitally signed by

VIDYA BHARTI

Date: 02-03-2026

17:51:16

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारिशेष्य - अड़तालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 20) की जानकारी

ii =

धारा 28

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960

73

Provincial Insolvency Act, 1920 (No. 5 of 1920), nor any such person or authority under any corresponding law for the time being in force shall be entitled to, or have any claim on such share or interest or deposit.]

28. Rights of members to see books, etc.—(1) Every society shall keep open to inspection for its members free of any charge, at all reasonable times at the registered address of the society—

- (a) a copy of this Act;
- (b) a copy of the rules;
- (c) a copy of the bye-laws of the society;
- (d) a register of members.
- ¹[(e) the last audited annual balance sheet, the profit and loss account; and
- (f) the minutes of the general meetings.]

(2) All registers and record of a society except books and other documents relating to accounts other than one's own shall be open to inspection in the office of the society by any member of such society on payment of such fee as may be specified in the bye-laws.

(3) Subject to such conditions and on payment of such fees as may be specified in the bye-laws, the society shall, on an application made by any member thereof grant him a certified copy of such records or registers or extracts thereof.

कुर्को या विक्रय के दायित्वाधीन नहीं होगा और तदनुसार प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (क्रमांक 5 सन् 1920) के अधीन कोई प्रापक या तत्समय प्रवृत्त किसी तत्सम विधि के अधीन कोई ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसे अंश या हित या निक्षेप का हकदार नहीं होगा या ऐसे अंश या हित या निक्षेप के संबंध में कोई दावा नहीं रखेगा।]

28. पुस्तकें आदि देखने के सदस्यों के अधिकार—(1) प्रत्येक सोसाइटी—

- (क) इस अधिनियम की प्रति;
- (ख) नियमों की प्रति;
- (ग) सोसाइटी की उपविधियों की प्रति;

(घ) सदस्यों का रजिस्टर;

¹[(ङ) अंतिम संपरीक्षित वार्षिक तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता; और

(च) साधारण सम्मेलनों की कार्यवाही;]

अपने सदस्यों के निःशुल्क निरीक्षण के लिये सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत पते पर समस्त युक्तियुक्त समयों पर उपलब्ध रखेगी।

(2) किसी सोसाइटी के समस्त रजिस्टर तथा अभिलेख, उन पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों को छोड़कर, जो किसी सदस्य के स्वयं के लेखाओं से भिन्न लेखाओं से संबंधित हों, ऐसी फीस का, जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय किया जाने पर ऐसी सोसाइटी के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिये उस सोसाइटी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे।

(3) ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए तथा ऐसी फीस का संदाय कर दिए जाने पर जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए, सोसाइटी, अपने किसी सदस्य द्वारा आवेदन किया जाने पर, उसे ऐसे अभिलेखों या रजिस्ट्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि या उनके उद्धरण प्रदान करेगी।

1. अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा जोड़ा गया (दिनांक 8-5-1994 से प्रभावी)।

268

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960

नियम 20

transferred. Such member may, from time to time, revoke or vary such nomination.

(2) A nomination made by a member shall not be valid and shall not, in the event of the death of the member, have effect unless—

- (a) it is made in writing and is signed by the member in the presence of two witnesses attesting the same; and
- (b) it is recorded in the books of the society kept for the purpose.

20. Procedure for ascertaining the value of share or interest of a member—Where the member of a society ceases to be a member thereof, the sum representing the value of his share, or interest in the capital of the society to be paid to him or his nominee, heir, or legal representative, as the case may be, shall be ascertaining in the following manner, namely—

- (i) in the case of a society with unlimited liability, it shall be the actual amount received by the society in respect of such share or interest;
- (ii) in the case of a society with limited liability, it shall be the amount arrived at by a valuation based on the financial position of the society as shown in the last audited balance sheet preceding the cessation of membership :

Provided that the amount so ascertained shall not exceed the actual amount received by the society in respect of such share or interest.

¹[21. Inspection of documents in the office of the Registrar—A

उसका हिस्सा अथवा हित अन्तरित किया जाएगा। ऐसा सदस्य समय-समय पर ऐसे नामांकन निरस्त अथवा परिवर्तित कर सकेगा।

(2) सदस्य द्वारा किया गया कोई भी नामांकन वैध न होगा तथा सदस्य की मृत्यु की दशा में प्रभावशील न होगा जब तक कि—

- (क) वह लिखित में न किया गया हो तथा सदस्य ने दो गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके उस पर उनकी गवाह न करवाई हो; तथा
- (ख) इस आशय के लिए संस्था में रखी गई पुस्तक में उसे लेखबद्ध न किया जाए।

20. सदस्य के हिस्से या हित का मूल्य निर्धारित करने की विधि—जहाँ संस्था के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाए तो संस्था की पूँजी में उसके हिस्से या हित के मूल्य की धनराशि उसे या उसके नामांकित व्यक्ति उत्तराधिकारी या वैध प्रतिनिधि को जैसी भी दशा हो, देने के लिए निम्न रीति से निश्चित की जाएगी अर्थात् :—

- (i) असीमित दायित्व की संस्था होने की दशा में यह (रकम) संस्था द्वारा ऐसे हिस्से या हित के संबंध में प्राप्त की गई वास्तविक रकम होगी;
- (ii) सीमित दायित्व की संस्था होने की दशा में यह रकम सदस्यता समाप्ति से पूर्ववर्ती अंतिम आडिट की हुई बैलेंसशीट में बताई गई संस्था की आर्थिक स्थिति के आधार पर निकाली जाएगी :

परन्तु यह कि इस प्रकार निश्चित की गई रकम संस्था द्वारा ऐसे हिस्से या हित के संबंध में प्राप्त वास्तविक रकम से अधिक न होगी।

¹[21. रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण—किसी सोसाइटी का कोई भी सदस्य

1. अधिसूचना क्र. 5-7-94-पन्द्रह-1, दिनांक 21-7-1995 द्वारा प्रतिस्थापित।

नियम 22

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962

269

member of a society may inspect the following documents in the office of the Registrar free of charge and may obtain certified copies thereof on payment of the following fees —

रजिस्ट्रार कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों का निःशुल्क निरीक्षण कर सकेगा तथा निम्नलिखित फीस का संदाय करने पर उनकी प्रमाणित प्रतियाँ अभिप्राप्त कर सकेगा—

(a) Application for registration of society	Rs. 5.00 each
(क) सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन	रूपये 5.00 प्रत्येक
(b) Certificate of registration	Rs. 5.00 each
(ख) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र	रूपये 5.00 प्रत्येक
(c) Bye-laws of a society	Rs. 15.00 each
(ग) सोसाइटी की उपविधियाँ	रूपये 15.00 प्रत्येक
(d) Amendment of bye-laws of a society	Rs. 1.00 per folio
(घ) सोसाइटी की उपविधियाँ का संशोधन	रूपये 1.00 प्रति फोलियो
(e) Order of cancellation of the registration of a society	Rs. 1.00 per folio
(ङ) किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के रद्द किये जाने का आदेश	रूपये 1.00 प्रति फोलियो
(f) Annual balance sheet	Rs. 1.00 per folio
(च) वार्षिक स्थिति विवरण पत्रक	रूपये 1.00 प्रति फोलियो
(g) Order of supersession of a committee under Section 53	Rs. 1.00 per folio
(छ) धारा 53 के अधीन किसी समिति के अधिक्रमण का आदेश	रूपये 1.00 प्रति फोलियो
(h) Order referring a dispute to arbitration under Section 64	Rs. 1.00 per folio
(ज) धारा 64 के अधीन कोई विवाद माध्यस्थम को निर्दिष्ट करने वाला आदेश	रूपये 1.00 प्रति फोलियो
(i) Any other order against which an appeal is provided	Rs. 1.00 per folio :
(झ) कोई अन्य आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जा सकती हो	रूपये 1.00 प्रति फोलियो :

Provided that the copies of documents specified in clause (g) can be obtained only by a member of the committee, in clause (h) only by the parties to the dispute, and in clause (i) by the person having a right of appeal.]

परन्तु खंड (छ) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियाँ केवल समिति के सदस्य द्वारा खण्ड (ज) में केवल विवाद के पक्षकारों द्वारा तथा खण्ड (झ) में केवल उस व्यक्ति द्वारा जिसे अपील करने का अधिकार हो अभिप्राप्त की जा सकती है।]

Chapter IV

Duties, Privileges, Property and Funds of Societies

22. Address of societies—(1) Every society shall communicate in writing to the Registrar its postal address

अध्याय 4

संस्थाओं के कर्तव्य, विशेषाधिकार, संपत्ति तथा निधियाँ

22. संस्थाओं का पता—(1) प्रत्येक संस्था अधिनियम के अधीन पंजीकृत उपविधियों में दर्शाए अनुसार अपना डाक का पता लिखित रूप

द्वितीय संशोधन राज्य सूचना आयोग, रायपुर
 द्वितीय संशोधन राज्य सूचना आयोग अपील क्रमांक 5/2014 का संदर्भ में
 पारित आदेश दिनांक 13/02/2014 की सत्यप्रतिष्ठा

द्वितीय संशोधन प्रकरण क्रमांक 4/00/2014

श्री विक्रमलाल साहू,
 अभिवेक भवन, गेवर हावरा रोड नं. 603,
 महामाया विहार, बिलासपुर,
 जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

श्री एस०पी० चंद्राकर,
 जनसूचना अधिकारी,
 कार्यालय- जिला सहाकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित,
 मुख्यालय जीई रोड रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

(आदेश पारित दिनांक : 13/02/2014)


प्रकरण नो०सी० में प्रस्तुत। अपीलार्थी श्री विक्रमलाल साहू विद्विगो
 काफेसिंग कक्ष बिलासपुर में उपस्थित। उत्तरवादी श्री एस०पी० चंद्राकर
 जनसूचना अधिकारी, जिला सहाकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, मुख्यालय
 रायपुर, आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

इस प्रकरण में उत्तरवादी एक सहकारी संस्था है। मान० उच्च
 न्यायालय छ०ग० के द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 5817/2008
 जिला कोन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित विरुद्ध राज्य सूचना आयोग रायपुर
 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2011 का पैरा 21
 निम्नानुसार है :-

" The aforesaid statutory scheme of control by state and its
 functionaries in the matter of registration, framing and enactment of
 bye-laws and function of co-operative societies including a co-operative
 bank goes to show that the nature of control exercisable by the state
 and its functionaries in respect of the co-operative societies is regulatory
 in nature. Therefore, such regulatory nature of control in the absence of
 there being any other attributes, of deep and pervasive control in
 administrative financial spheres, leads to the conclusion that the co-
 operative societies in general and co-operative bank like the
 petitioner do not come within the control of such degree as is
 intended under (i) of clause 2(h) of the Act of 2005 defining "public
 authority."

इस प्रकार मान० उच्च न्यायालय के अनुसार प्रदेश की सहकारी
 समितियां तथा सहकारी बैंक अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकार नहीं
 हैं एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 उन पर लागू नहीं होता।
 इस प्रकरण में भी उत्तरवादी एक सहकारी संस्था है। अधिनियम
 उन पर लागू न होने के कारण यह अपील ग्राह्य नहीं की जा सकती है।
 अतः अपील ग्राह्य एवं अस्वीकार की जाती है।

आदेश तदनुसार। प्रकरण समाप्त कर नस्तीपद्ध किया जाता है।



(सचिव श्री चंद्राकर)
 राज्य सूचना आयोग

2. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "समुचित सरकार" से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो—

(i) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्त-पोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त-पोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय सूचना आयोग" से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी" से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

(घ) "मुख्य सूचना आयुक्त" और "सूचना आयुक्त" से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है—

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति;

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक;

(च) "सूचना" से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है;

(छ) "विहित" से, यथास्थिति समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "लोक प्राधिकारी" से,—

धारा 2

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

3.

- (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;
 (ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;
 (ग) राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;
 (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है,

और इसके अंतर्गत—

- (i) कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;
 (ii) कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;
- (इ) "अभिलेख" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—
- (क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल;
 (ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिसें या प्रतिकृति प्रति;
 (ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में समाविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरुत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो); और
 (घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री;
- (ज) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुँच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है—
- (i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
 (ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;
 (iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;
 (iv) डिस्कट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहाँ ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित की जाती है, अभिप्राप्त करना;
- (ट) "राज्य सूचना आयोग" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है;
- (ठ) "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त" और "राज्य सूचना आयुक्त" से धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

प्रश्नांश ख का उत्तर

कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल जिला-कोरबा, छ.ग. के पत्र क्रमांक 2279/क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2025 कोरबा, दिनांक 04.11.2025 के संदर्भ में मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, जिला-कोरबा, छ. ग. के द्वारा ग्राम-ढोंगदरहा, प.ह.नं.-05, तहसील- भैसमा में स्थित शासकीय भूमि ख0नं0-637/1/क/1 रकबा 79.6280 हे0 में से 3.20 हे. में फलाई ऐश भराव कर समतलीकरण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित स्थल पर फलाई ऐश भराव हेतु केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा अगस्त 2019 में जारी गाईड लाईन के संबंध में जाँच प्रतिवेदन अभिमत सहित उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राप्त होने पर तहसीलदार भैसमा से जाँच प्रतिवेदन लिया गया। तहसीलदार भैसमा के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 10.11.2025 अनुसार ग्राम- ढोंगदरहा स्थित शासकीय भूमि ख0नं0- 637/1/क/1 राजस्व अभिलेखों में बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है। उक्त भूमि लगभग 5-10 फीट की गहराई वाली 3.20 हे0 भूमि है, जो आबादी से 1.52-2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा डोंगाआमा पहुंच मार्ग से लगा हुआ है। आवेदित भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा राखड़ डम्पिंग कर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रस्तावित किया जाना प्रतिवेदित किया गया। जिसे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा अगस्त 2019 में जारी गाईड लाईन एवं शासन के नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा की ओर प्रतिवेदन दिनांक 12.11.2025 को प्रेषित किया गया। तत्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा ने अपने पत्र दिनांक 24.11.2025 के माध्यम से शासकीय भूमि खसरा नंबर 637/1/क/1 (भाग), ग्राम ढोंगदरहा तहसील भैसमा जिला कोरबा (छ.ग.), रकबा 3.2 हेक्टेयर में भू-भराव हेतु हसदेव ताप विद्युत गृह मेसर्स छ.ग.राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड कोरबा (पश्चिम) जिला कोरबा छ.ग. को अनुमति दी गई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।


 अनुभाग अधिकारी
 परिवहन विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर



**REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
NEAR TEHSIL OFFICE, RAMPUR, KORBA, DIST.- KORBA (C.G.)**

Email-roccecbkorba@gmail.com, Phone-07759-299165

No. 2552/RO/TS/CECB/2025

Korba, Dtd. 24/11/2025

To,

Executive Engineer (Civil),
Division-11, AU & PC,
Hasdeo Thermal Power Plant,
M/s Chhattisgarh State Power Generation Co.Ltd,
Korba (West), District-Korba (C.G.)

Subject: - Permission for reclamation and filling of low lying area with fly/pond ash..

- Ref. :-
1. CPCB Guidelines for disposal/utilization of fly ash for reclamation of Low Lying Areas and in stowing of Abandoned mines/Quarries.
 2. MoEF & CC GOI Gazeted Notification Dated. 31/12/2021.
 3. Head Office Nawa Raipur Atal Nagar Raipur Letter No.9551, Dtd: 25/03/2022.
 4. Head Office Nawa Raipur Atal Nagar Raipur Letter No.8141, Dtd: 11/12/2024.
 5. Head Office Nawa Raipur Atal Nagar Raipur Office Order (IWMMS) No. 11645, Dtd: 07/03/2025.
 6. Your application no. NOC-75984306897401 received in IWMMS portal dated 03/11/2025 and subsequent correspondence dated 24/11/2025.
 7. SDM, Korba, Letter No. 2876, Korba dated: 11/11/2025.
 8. This office inspection dated 19/11/2025.

-000-

With reference to the above, Regional Office, Korba has examined the proposal for pond/fly ash filling in low lying area at Village-Dhongdarha, Tehsil-Bhaisma, Dist-Korba (C.G.) khasra no.- 637/1/5/1 (Part). area of 3.200 hectare out of total area 79.6280 hectare from Hasdeo Thermal Power Plant, M/s Chhattisgarh State Power Generation Co.Ltd, Korba (West), Dist-Korba (C.G.). After careful examination of facts, records and necessary approvals, permission for filling with ash having quantity of approx 4,40,000 metric tonne in above mentioned low lying area (bearing khasra no. 637/1/5/1) in area of 3.200 hectare out of total area 79.6280 hectare hereby granted subject to following terms and conditions:-

Terms & Conditions:-

1. Hasdeo Thermal Power Plant, M/s Chhattisgarh State Power Generation Co.Ltd, Korba (West), Dist-Korba (C.G.) shall have to abide by the CPCB Guidelines for disposal/utilization of fly ash for reclamation of low lying areas and in stowing of abandoned mines/quarries. Industry shall ensure compliance of MoEF&CC, GOI Gazette Notification dated 31/12/2021.

2. The Power Plant shall ensure that fly ash/bottom ash shall be filled only at khasra no. 637/1/7/1 (Part), area of 3,200 hectare out of total area 79,6280 hectare at Village-Dhongdaria, Tehsil-Dhalama, Dist-Korba (C.G.).
3. This permission shall be valid for Six months from the date of issue of this letter. Industry shall ensure that the work should be completed within the stipulated time period.
4. Industry shall comply with the Head Office Order letter mentioned in reference no. 5. Industry shall ensure that entire work shall be carried out as per CPCB guideline for disposal/utilization of fly ash for reclamation of low lying area and stowing of abandoned mines/quarries. Reclamation shall be done as per above guideline as regarding soil cover on top of ash filling, preparation of filling area, excavation of pond ash, filling with pond ash etc.
5. Adequate water sprinkling activities shall be regularly carried out on haul road used for dumping of fly ash in the aforesaid areas for mitigation of air pollution.
6. Toe wall/retaining wall/bund shall be constructed before filling of ash to avoid the possibility of discharge/spillage of ash in the nearby areas.
7. The proponent shall ensure that there should not any situation of water inundation or water pollution in the nearby areas. The removed water should be used for other necessary purposes as far as possible.
8. The transportation of fly ash/pond ash to the concerned low lying area shall be done through fully covered vehicle or by properly tarpaulin covered vehicles only. Moreover the vehicles should be equipped with AIS 140 compliant GPS devices and the transportation should be carried out in full synchronization with the IWMMS system.
9. Industry shall provide display board at the site with details of permitted quantity, permission date and name of transporting agency. Adequate signage and fencing shall be provided around the site to restrict unauthorized access.
10. Record of ash movement at disposal site shall be maintained and produced during inspection.
11. Before filling the fly ash, the lower surface should be leveled and a layer of soil of about 300-500 mm should be laid. Thereafter, if the total height of the fly ash to be filled (compacted) is more than 5 meters, then the fly ash should be put in alternate layers/stages, the height of each layer/stage should not exceed 5.0 meters. Thereafter, a layer of soil should be laid over the above alternate layers, whose height (compacted) should not exceed 300 mm. Thus, when the filling of fly ash is completed up to the upper surface, a layer of soil of 500 mm height (compacted) should be laid over it.
12. After completion of fly ash filling work in low lying area, industry shall submit work completion certificate along with photographs to the board.
13. The transporter/power plant shall be liable for any environmental degradation or pollution arising out of this activity and shall take corrective actions at its own cost.
14. The issuance of this permission does not convey any property rights in either real or personal property, or any exclusive privileges, nor does it authorize any injury to private property or any invasion of personal rights, nor any infringement of central / state laws or regulations.
15. The above permission shall be revoked with immediate effect if any conditions found being violated by Hasdeo Thermal Power Plant, M/s Chhattisgarh State Power Generation Co.Ltd, Korba (West), Dist-Korba (C.G.) or transporter engaged by the industry.

1/311

This permission is being issued only for the purpose of ash filling in Low Lying Area bearing khasra nos. mentioned above and this shall not be treated as consent under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 for operation of thermal power plant.


Regional Officer

C.G. Environment Conservation Board
Korba (C.G.)

Korba, Dt. 24/11/2025

Endt. No 2553/RO/TS/CECB/2025

Copy to :-

1. The Member Secretary, C.G. Environment Conservation Board, Raipur for information please.
2. The Collector Korba, Dist-Korba (C.G.) for information please.
3. The SDM, Korba, Dist-Korba (C.G.) for information please.
4. Executive Director (Generation), CSPGCL, HTPS, Korba (West), Dist-Korba (C.G.) for information and complainece.
5. M/s. Ayush and Company, Naman Vihar, Sharda Vihar Road, Korba, Dist-Korba (C.G.) for information and complainece.


Regional Officer

C.G. Environment Conservation Board
Korba (C.G.)

अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परिशेष - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 397) की जानकारी

"प्रपत्र"

(राशि लाख रुपये में) 1

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	वित्तीय वर्ष		
		2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
1	धरसीवा	556.36	135.72	129.77
2	बलौदाबाजार	117.60	124.96	44.68
3	अभनपुर	209.84	77.37	134.51
4	आरंग	263.72	87.98	157.79
5	रायपुर ग्रामीण	358.65	104.14	76.35
6	रायपुर उत्तर	232.52	65.18	83.69
7	रायपुर दक्षिण	94.35	90.93	57.34
8	रायपुर पश्चिम	364.72	59.01	91.84
9	समस्त विधानसभा क्षेत्र	1114.99	482.00	397.71

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 01-03-2026
16:40:58

परीशेष्ट - इन्क्यावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 641) की जानकारी

प्रपत्र- "अ"

क्र.	पट्टेदार का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील	रकबा (हे. में)	पर्यावरण स्वीकृति अनुसार स्वीकृत खनन मात्रा (घन मी. में)	पर्यावरणीय स्वीकृति अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सरपंच, ग्राम पंचायत चुईया	चुईया	कोरबा	0.950	5710	03.01.2024 से 02.01.2030 तक
2	सरपंच, ग्राम पंचायत धनरास	धनरास	दर्री	4.900	44100	13.03.2024 से 12.03.2030 तक
3	सरपंच, ग्राम पंचायत दुल्लापुर	दुल्लापुर	पसान	4.040	36360	18.01.2024 से 18.01.2029 तक
4	सरपंच, ग्राम पंचायत कुदुरमाल	कुदुरमाल	कोरबा	4.000	36000	08.01.2024 से 07.01.2029 तक
5	सरपंच, ग्राम पंचायत धवईपुर	धवईपुर	कटघोरा	4.500	27000	18.01.2024 से 17.01.2030 तक
6	सरपंच, ग्राम पंचायत तरदा	तरदा	बरपाली	4.000	24000	20.02.2024 से 20.02.2030 तक
7	आयुक्त, नगर निगम कोरबा	मिलाईखुर्द	कोरबा	4.000	36000	27.02.2024 से 26.02.2030 तक
8	सरपंच, ग्राम पंचायत जोगीपाली	जोगीपाली	बरपाली	4.250	38250	15.03.2024 से 14.03.2030 तक
9	सरपंच, ग्राम पंचायत सिरी	सिरी	पसान	3.030	18210	02.02.2024 से 01.02.2030 तक
10	सरपंच, ग्राम पंचायत भैसामुडा	भैसामुडा	बरपाली	4.460	40185	23.02.2024 से 22.02.2030 तक
11	सरपंच, ग्राम पंचायत कुदमुरा	कुदमुरा	भैसमा	4.800	28800	29.05.2024 से 28.05.2030 तक
12	सरपंच, ग्राम पंचायत महोरा	महोरा	बरपाली	5.000	30000	17.10.2024 से 16.10.2030 तक
13	आयुक्त नगर निगम कोरबा	चारपारा	दर्री	4.500	40500	03.12.2024 से 02.12.2030 तक
14	सरपंच, ग्राम पंचायत देवलापाठ	देवलापाठ	बरपाली	4.900	37674	20.11.2024 से 19.11.2029 तक
15	सरपंच, ग्राम पंचायत बैरा	बैरा	पसान	4.500	24450	15.01.2025 से 14.01.2031 तक
16	सरपंच, ग्राम पंचायत चिचोली	चिचोली	बरपाली	4.900	35280	10.01.2025 से 09.01.2031 तक
17	सरपंच, ग्राम पंचायत कछार	कछार	अजगरबहार	5.000	45000	20.01.2025 से 19.01.2031 तक
18	सरपंच, ग्राम पंचायत कटबितला	कटबितला	बरपाली	4.000	36000	14.01.2025 से 13.01.2031 तक

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 01-03-2026
16:43:21

प्रपत्र- "ब"

क्र.	अनुज्ञापिधारी का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील	रकबा (हे. में)	भण्डारण क्षमता टन में (एक समय में)	स्वीकृत अवधि	जल एवं वायु सम्मति अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	श्री रामलाल कंवर	बरबसपुर	कोरबा	2.140	5050	05.06.2021 से 04.06.2026 तक	26.03.2025 से 06.03.2026 तक
2	श्री राणा अमन सिंह	धनगांव	अजगरबहार	0.153	5000	09.06.2021 से 08.06.2026 तक	09.06.2025 से 08.06.2026 तक
3	श्री एस. अहमद खान,	चुईया	कोरबा	0.215	250	20.12.2024 से 19.12.2029 तक	01.08.2025 से 31.07.2026 तक
4	श्री श्याम मिनरल्स प्रो० श्री दविन्दर सिंह	कनबेरी	दीपका	0.202	5000	07.01.2025 से 06.01.2030 तक	29.04.2025 से 28.04.2026 तक
5	श्री सुधीर कान्त जैन,	कनबेरी	दीपका	0.130	250	07.01.2025 से 06.01.2030 तक	06.05.2025 से 05.05.2026 तक
6	श्री राजपाल सिंह	कुदमुरा	भैसमा	0.490	1724	07.05.2025 से 06.05.2035 तक	10.06.2025 से 09.06.2026 तक
7	मेसर्स कसरंगा सेण्ड क्वॉरी प्रो. श्री जितेन्द्र शर्मा	कसरंगा	कटघोरा	0.380	1800	03.06.2025 से 02.06.2035 तक	21.07.2025 से 20.07.2026 तक
8	श्री विकास जायसवाल	भैसामुड़ा	बरपाली	0.834	250	05.06.2025 से 04.06.2026 तक	08.07.2025 से 04.06.2026 तक

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 01-03-2026
16:27:29

परीशेष - बावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 740) की जानकारी

“प्रपत्र”

क्रमांक	आवेदक का नाम व पता	ग्राम	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	रकबा (हे.)
वित्तीय वर्ष 2023-24					
1	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	हथबंद	हथबंद	मगरलोड	1.79
2	दिलीप बिल्डकॉन	आमदी	आमदी	नगरी	0.26, 0.808, 1.36
3	मालिक राम नेताम	भोभलाबाहरा	भोभलाबाहरा	मगरलोड	3.81
4	मोतीलाल वाधवनी	मोहलाई	सियादेही	कुकरेल	0.35
5	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	मोहदी	मोहदी	मगरलोड	1.31
6	दिलीप बिल्डकॉन	सारंगपुरी	सारंगपुरी	नगरी	3.50
7	दिलीप बिल्डकॉन	बागरूमनाला	बागरूमनाला	कुकरेल	1.60
8	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	बेलोरा	बेलोरा	मगरलोड	0.57, 0.10, 0.48, 0.11
9	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	कुसुमखुटा	कुसुमखुटा	मगरलोड	1.26, 1.01
10	दिलीप बिल्डकॉन	बागरूमनाला	बागरूमनाला	कुकरेल	6.32
11	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	राजपुर	राजपुर	मगरलोड	0.20
12	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	कुसुमखुटा	कुसुमखुटा	मगरलोड	1.52
13	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	जामली	जामली	मगरलोड	0.44
14	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	जामली	जामली	मगरलोड	0.59
15	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	कुसुमखुटा	कुसुमखुटा	मगरलोड	0.10
16	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	सरगी	सरगी	मगरलोड	0.54
17	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	मोहदी	मोहदी	मगरलोड	0.07
18	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	मोहदी	मोहदी	मगरलोड	0.301
19	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	सोनेवारा	सोनेवारा	मगरलोड	2.29
20	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	मोहदी	मोहदी	मगरलोड	0.21
21	दिलीप बिल्डकॉन	कोटरवाही	कोटरवाही	कुकरेल	2.56
22	दिलीप बिल्डकॉन	कोटरवाही	कोटरवाही	कुकरेल	0.68
23	दिलीप बिल्डकॉन	करैहा	करैहा	बेलरगांव	0.51
24	दिलीप बिल्डकॉन	बगरूमनाला	बगरूमनाला	नगरी	2.01
25	दिलीप बिल्डकॉन	कोटरवाही	कोटरवाही	कुकरेल	0.54
26	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	सलोनी	सलोनी	कुकरेल	13.82
27	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	पेण्ड्रा	पेण्ड्रा	मगरलोड	1.61
28	दिलीप बिल्डकॉन	मगौद	मगौद	बेलरगांव	0.51
29	मेसस दिलीप बिल्डकॉन	कोटरवाही	कोटरवाही	कुकरेल	0.97
30	दिलीप बिल्डकॉन	करैहा	करैहा	नगरी	1.00

क्रमांक	आवेदक का नाम व पता	ग्राम	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	रकबा (हे.)
31	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	मोहदी	मोहदी	मगरलोड	0.51
32	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	संलोनी	संलोनी	मगरलोड	1.20
33	दिलीप बिल्डकॉन	झुरातराई	झुरातराई	कुकरेल	0.69
34	दिलीप बिल्डकॉन	करैहा	करैहा	बेलरगांव	1.83
35	दिलीप बिल्डकॉन	करैहा	करैहा	बेलरगांव	3.04
36	दिलीप बिल्डकॉन	चिवरी	चिवरी	नगरी	0.99
37	दिलीप बिल्डकॉन	बिरझुली	बिरझुली	मगरलोड	0.95
38	दिलीप बिल्डकॉन	कोटरवाही	कोटरवाही	कुकरेल	1.31
39	दिलीप बिल्डकॉन	करैहा	करैहा	बेलरगांव	0.85
40	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	मोहदी	मोहदी	मगरलोड	14.74
वित्तीय वर्ष 2024-25					
41	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	पेण्ड्रा	पेण्ड्रा	मगरलोड	1.59
42	दिलीप बिल्डकॉन	चिवरी	चिवरी	नगरी	2.03
43	मालिक राम नेताम	भोभलाबाहरा	भोभलाबाहरा	मगरलोड	3.81
44	दिलीप बिल्डकॉन	मगौद	मगौद	कुकरेल	2.02
45	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन	मोहंदी	मोहंदी	मगरलोड	0.92
46	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन	चिवरी	चिवरी	नगरी	0.45
47	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन	कोटरवाही	कोटरवाही	कुकरेल	1.31
48	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	सलोनी	सलोनी	मगरलोड	1.78
49	सिंघानिया इंटरप्राइजेस	सलोनी	सलोनी	नगरी	0.11, 0.05, 0.03
50	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन	धनोरा	धनोरा	मगरलोड	1.77
51	दिलीप बिल्डकॉन	धनौरा	धनौरा	मगरलोड	2.00
52	मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन	धनोरा	धनोरा	मगरलोड	1.00
53	दिलीप बिल्डकॉन	खैरभरी	खैरभरी	नगरी	1.10
54	मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राइजेस	भालुचुवा	झाझरकेरा	मगरलोड	2.27
55	मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राइजेस	भालुचुवा	झाझरकेरा	मगरलोड	3.00
56	मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राइजेस	भालुचुवा	झाझरकेरा	मगरलोड	1.27
वित्तीय वर्ष 2025-26 (31 जनवरी 2026 तक)					
57	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	बेलरदोना	बेलरदोना	मगरलोड	5.19
58	भूपेश जैन	सियादेही	सियादेही	कुकरेल	0.89
59	शॉलीमार कार्पोरेट लि.	मोहदी	मोहदी	मगरलोड	0.65

क्रमांक	आवेदक का नाम व पता	ग्राम	ग्रामपंचायत का नाम	तहसील	रकबा (हे.)
60	शॉलीमारकार्पोरेटलि.	राजपुर	राजपुर	मगरलोड	0.15
61	शॉलीमारकार्पोरेटलि.	राजपुर	राजपुर	मगरलोड	0.42

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 02-03-2026
11:38:59

पारोशेष - तिरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 741) की जानकारी

प्रपत्र

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 554]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2021 — कार्तिक 4, शक 1943

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5/आठ-परि./2021.— मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर 966/आठ-परि./2014, दिनांक 21 नवम्बर 2014 एवं अधिसूचना क्रमांक 644/966/ आठ-परि./2014, दिनांक 09 मई, 2016 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, नीचे दी गई सूची में वर्णित सभी लोक सेवकों को, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर कारित तथा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों का प्रशमन, उक्त अनुसूची के तत्स्थानी कॉलम (3) एवं (4) में वर्णित की गई राशि से करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

1. परिवहन आयुक्त
2. अपर परिवहन आयुक्त
3. समस्त जिला दण्डाधिकारी
4. समस्त पुलिस अधीक्षक
5. संयुक्त परिवहन आयुक्त
6. समस्त अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
7. समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
8. उप परिवहन आयुक्त
9. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी
10. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक
11. समस्त सहायक परिवहन आयुक्त
12. वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
13. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
14. समस्त अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी


अनुभाष अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

15. समस्त सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
16. समस्त जिला परिवहन अधिकारी
17. समस्त परिवहन निरीक्षक
18. समस्त परिवहन उप-निरीक्षक
19. समस्त सहायक परिवहन उप-निरीक्षक
20. समस्त पुलिस थाना प्रभारी
21. समस्त पुलिस निरीक्षक, यातायात शाखा
22. समस्त पुलिस उप-निरीक्षक, यातायात शाखा
23. समस्त पुलिस सहायक उप-निरीक्षक, यातायात शाखा
24. परिवहन विभाग के समस्त प्रधान आरक्षक

अनुसूची

सं. क्र.	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं	प्रशमन की राशि रू. में	
		प्रथम अपराध के लिए	द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती अपराध के लिए, जहां लागू हो
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धारा 177 - अपराधों के दण्ड के लिये साधारण उपबंध - मोटरयान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के समस्त अपराध, परन्तु इसमें इसके पश्चात् इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है।	300	900
2.	धारा 178(1) - मंजिली गाड़ी आदि में, बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर दण्ड।	500	500
	धारा 178(2)- मंजिली गाड़ी आदि में कंडक्टर द्वारा कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर	500	500
	धारा 178(3) - सविदा वाहन चलाने से इंकार करने पर	100	100
	(क) दो पहिया या तीन पहिया मोटरयान		
	(ख) अन्य किसी मामलों में	500	500
3.	धारा 179(1) - आदेशों की अवज्ञा करना, बाधा डालना एवं जानकारी देने से इंकार करना।	500	500
	धारा 179(2) - जानकारी देने से इंकार करना या मिथ्या जानकारी देना।	500	500
4.	धारा 180 - अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना।	1000	1000
5.	धारा 181 - धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना (चालक अनुज्ञप्ति आदि हेतु आवश्यक)	1000	1000
6.	धारा 182(1) - चालक अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध।	1000	1000
	धारा 182(2) - परिचालक अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध।	1000	1000
	धारा 182क(1)- मोटरयानों और उनके संघटकों के संनिर्माण, रख रखाव, विक्रय और परिवर्तन संबंधी अपराध हेतु दण्ड।	100000	100000

	धारा 182क(3)- किसी मोटरयान के ऐसे संघटक का विक्रय करना या विक्रय करने का प्रस्ताव देना या विक्रय करने की अनुमति देना, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा विकट (नाजुक) सुरक्षा संघटक के रूप में अधिसूचित किया गया है और जो अध्याय सात या नियम और विनियम का पालन नहीं करते हैं।	100000	100000
	धारा 182क(4)- मोटरयान के स्वामी द्वारा किसी मोटरयान, जिसके अंतर्गत मोटरयान के पुर्जों का पश्च-फिटिंग करने के माध्यम भी शामिल हैं, का किसी ऐसी रीति में, परिवर्तन करता है, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन अनुज्ञात नहीं है।	ऐसे प्रति परिवर्तन पर 5000	ऐसे प्रति परिवर्तन पर 5000
	धारा 182ख - धारा 62क के उल्लंघन के लिए दण्ड।	5000	10000
7.	धारा 183(1)(एक) - तेज गति से (हल्का मोटरयान का चलन) आदि	1000	2000
	धारा 183(1)(दो) - तेज गति से (मध्यम मालयान अथवा मध्यम यात्री यान एवं भारी माल यान या भारी यात्री यान) का चलन आदि।	2000	3000
8.	धारा 184- खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना।	2000	5000
9.	धारा 186 - जब मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए यान चलाया जाता हो।	500	1000
10.	धारा 189 - दौड़ और गति मुकाबला	5000	10000
11.	धारा 190(2) - सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन (क) दो पहिया यान	300	600
	(ख) तीन पहिया, आटोरिक्षा एवं टेम्पो	500	800
	(ग) हल्का मोटरयान	800	1500
	(घ) मध्यम एवं भारी मोटरयान	2000	3000
12.	धारा 192(1) - बिना रजिस्ट्रेशन के यानों का उपयोग करना (क) दो एवं तीन पहिया यान	1000	2000
	(ख) हल्का मोटरयान	2000	3000
	(ग) मध्यम एवं भारी मोटरयान	3000	5000
	धारा 192क(1)- परमिट के बिना, यान का उपयोग।	5000	10000
13.	धारा 194 (1)- अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान का चलन	10000 + 2000 अतिरिक्त प्रत्येक टन अधिक भार के लिए लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित	10000 + 2000 अतिरिक्त प्रत्येक टन अधिक भार के लिए लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित
	धारा 194(1)(क)- ऐसे मोटरयान को चलाना, जो ऐसी रीति में लदा हुआ है कि भार या उसका कोई भाग या उसका कोई चीज शरीर की साईड से परे या अनुज्ञेय सीमा से परे सामने या पीछे की ओर या ऊंचाई में पार्श्विक रूप से बाहर निकल जाती है।	20000	20000
	धारा 194(2) - चालक द्वारा रुकने से और यान का भार कराने से इंकार करना	20000	20000
	धारा 194(क)- अधिक यात्रियों का वहन।	100 रु. प्रति अधिक यात्री	100 रु. प्रति अधिक यात्री
	धारा 194(ख)(1)- सुरक्षा बेल्ट के बिना वाहन चलाना या ऐसे यात्रियों को ले जाना, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना हो।	500	1000

1108 (2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2021

	धारा 194(ख)(2)- ऐसे मोटरयान को चलाना या चलवाना या चलवाने के लिए अनुज्ञात करना, जिसमें कोई ऐसा बालक हो, जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और जो सुरक्षा बेल्ट या बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है।	500	1000
	धारा 194(ग)- मोटर साइकिल चालकों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन हेतु दण्ड।	500	500
	धारा 194(घ)- सिर के सुरक्षा पहनावे को नहीं पहनने वालों के लिए दण्ड।	500	500
	धारा 194(ड)- आपातकालीन यान के आ जाने पर सड़क की एक ओर ले जाने में असफल होने पर।	5000	5000
	धारा 194(च)- अनावश्यक रूप से या निरंतर या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता से अधिक हार्न बजाना या हार्न के प्रयोग का प्रतिषेध करने वाले यातायात चिन्ह वाले क्षेत्र में हार्न बजाना या ऐसा मोटरयान चलाना, जो ऐसे कट-आउट का प्रयोग करता है, जिसके द्वारा निःशेष गैसों को अवमंदक से भिन्न किसी माध्यम से छोड़ा जाता है।	1000	2000
14.	धारा 196 - बीमा न किये गये यान को चलाना	2000	4000
15.	धारा 198 - यान में अनाधिकृत हस्तक्षेप	1000	1000

2. यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 25th October 2021

NOTIFICATION

No. F 5-5/VIII-Trans/2021.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 200 the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and in supersession of this Department's Notification No. R-966/viii-Trans/2014, dated 21st November, 2014 and Notification No. 644/966/viii-Trans./2014, dated 09th May, 2016, the State Government, hereby, authorizes all Public Servants mentioned in list below to compound offences committed within their respective jurisdiction and punishable under Section mentioned in column (2) of the Schedule below for the amount mentioned in the corresponding column (3) and (4) of the said Schedule, namely :-

1. Transport Commissioner
2. Additional Transport Commissioner
3. All District Magistrates
4. All Superintendents of Police
5. Joint Transport Commissioner
6. All Additional District Magistrates
7. All Additional Superintendents of Police
8. Deputy Transport Commissioner
9. All Sub-Divisional Magistrates
10. All Deputy Superintendents of Police, Sub-Divisional officers police and City Superintendents of Police
11. All Assistant Transport Commissioner
12. All Senior Regional Transport Officers


 अनुभाग अधिकारी
 परिवहन विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परीशेष्ट - चोवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 975) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि रुपये में	कार्य की स्थिति
1	मायना	पहुंच मार्ग निर्माण कार्य मेन रोड से शांतिकुंज उद्यान तक	2024-25	1995000 / -	पूर्ण
2	खैरवाही	पहुंच मार्ग निर्माण कार्य खैरवाही से मायना जलाशय तक	2024-25	1995000 / -	पूर्ण
3	कहाड़गोंदी	पहुंच मार्ग निर्माण कार्य कहाड़गोंदी से मरकाटोली सरहद तक	2024-25	1995000 / -	अप्रारंभ / अपूर्ण
4	तिरकादण्ड	पहुंच मार्ग निर्माण कार्य कहाड़गोंदी से मरकाटोली सरहद तक	2024-25	1995000 / -	पूर्ण
5	भोथा	पहुंच मार्ग निर्माण कार्य मेन रोड से नरसिंग सरहद तक	2024-25	1995000 / -	पूर्ण
6	मरकाटोला	पहुंच मार्ग निर्माण कार्य जंगलपारा से लिलेझर सरहद तक	2024-25	1995000 / -	पूर्ण
7	रामपुर	पहुंच मार्ग निर्माण कार्य मेन रोड से बांसपारा तक	2024-25	1995000 / -	पूर्ण
8	काटागांव	ग्राम जंवरतरा में पहुंच मार्ग निर्माण कार्य मेन रोड से खरवाही तक	2024-25	1995000 / -	पूर्ण
9	बड़ेगौरी	पहुंच मार्ग निर्माण कार्य मेन रोड से चिहरीपारा तक	2024-25	1995000 / -	पूर्ण
10	बड़ेगौरी	खेल मैदान समतलीकरण कार्य प्राथ. शालापारा मैदान में	2024-25	1995000 / -	पूर्ण
रूपये एक करोड़, निन्याबे, लाख, पच्चास हजार मात्र				19950000 / -	


 अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 राय, नवा रामपुर, अटल नगर

पारिशेष्य - पंचपत्र

अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1045) की जानकारी

प्रपत्र

राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि एवं राज्य आपदा मोचन निधि का उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान	कार्यों की संख्या	जारी की गई राशि	शेष राशि	व्यय नहीं करने का कारण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	2023-24	127.00	0	0.00	127.00	कार्य स्वीकृत नहीं होने के कारण व्यय संभव नहीं हो सका है।	
	2024-25	133.40	0	0.00	133.40		
	2025-26	140.00	1504	140.00	0.00		
योग		400.40	1504	140.00	260.40		

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान	कार्यों की संख्या	व्यय राशि	शेष राशि	व्यय नहीं करने का कारण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य आपदा मोचन निधि	2023-24	508.00	—	214.81	293.19	प्राकृतिक आपदा से क्षति होने पर जिलों से प्राप्त मांग पत्र के आधार पर आबंटन उपलब्ध कराया गया है।	राज्य आपदा मोचन निधि से प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त अवसंरचना की मरम्मत एवं पुनरुद्धार करने तथा पीड़ित व्यक्ति/परिवारों को आर्थिक अनुदान सहायता देने का प्रावधान है।
	2024-25	533.60	—	321.46	212.14		
	2025-26	560.00	—	313.64	246.36		
योग		1601.60	—	849.91	751.69		

परिशेष - छप्पन

अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1110) की जानकारी

प्रपत्र-अ


विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के अंतर्गत कुल 06 शासकीय महाविद्यालय निम्नानुसार संचालित हैं :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	संचालन की स्थिति
1	डॉ. ज्वाला प्रसाद मिश्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय मुंगेली	स्वयं के भवन में
2	शासकीय नवीन महाविद्यालय फास्टरपुर-सेतगंगा	स्वयं के भवन में
3	शासकीय एस.एन.जी. महाविद्यालय मुंगेली	स्वयं के भवन में
4	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मुंगेली	भवनविहीन
5	शासकीय नवीन महाविद्यालय अमोरा	भवनविहीन
6	नवीन शासकीय महाविद्यालय जरहागांव	भवनविहीन


 अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी


स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6
1	डॉ. ज्वाला प्रसाद मिश्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय मुंगेली जिला मुंगेली (छ.ग.)	प्राचार्य	1	1	-
		प्राध्यापक	4	0	4
		सहायक प्राध्यापक	11	5	6
		ग्रंथपाल	1	1	-
		क्रीड़ाधिकारी	1	-	1
		छात्रावास अधीक्षक	1	1	-
		सहायक ग्रेड-01	1	-	1
		सहायक ग्रेड-02	1	1	-
		सहायक ग्रेड-03	1	-	1
		सहायक ग्रेड-03 (संविदा)	1	-	1
		प्रयोगशाला तकनीशियन	7	6	1
		प्रयोगशाला परिचारक	7	1	6
		बुक लिफ्टर	1	1	-
		भूत्य	2	-	2
		चौकीदार	1	-	1
स्वीपर	1	-	1		
स्वच्छक	1	-	1		
2	शासकीय नवीन महाविद्यालय फास्टरपुर-सेतगंगा] जिला मुंगेली (छ.ग.)	प्राचार्य	1	-	1
		प्राध्यापक	2	0	2
		सहायक प्राध्यापक	10	7	3
		सहायक ग्रेड-01	1	-	1
		सहायक ग्रेड-02	1	1	-
		सहायक ग्रेड-03	1	-	1
		प्रयोगशाला तकनीशियन	3	3	-
		प्रयोगशाला परिचारक	2	-	2
		भूत्य	2	1	1
		स्वीपर/स्वच्छक अंशकालीन (कलेक्टर दर)	2	0	2
		चौकीदार (आ.निधि)	1	0	1
		चौकीदार	1	-	1


अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6
3	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मुंगेली, जिला- मुंगेली (छ.ग.)	प्राचार्य	1	1	0
		सहायक प्राध्यापक	12	5	7
		ग्रंथपाल	1	0	1
		क्रीडाधिकारी	1	0	1
		सहायक ग्रेड 01	1	1	0
		सहायक ग्रेड 02	1	1	0
		सहायक ग्रेड 03	1	0	1
		प्रयोगशाला तकनीशियन	5	2	3
		प्रयोगशाला परिचारक	5	0	5
		भृत्य	2	0	2
		बुक लिफ्टर	1	0	1
		स्वच्छक	1	0	1
		चौकीदार	1	0	1
4	नवीन शासकीय महाविद्यालय जरहागांव, जिला-मुंगेली (छ.ग.)	प्राचार्य	1	1	-
		सहायक प्राध्यापक	12	1	11
		ग्रंथपाल	1	-	1
		क्रीडाधिकारी	1	-	1
		सहायक ग्रेड-01	1	1	-
		सहायक ग्रेड-02	1	1	-
		सहायक ग्रेड-03	1	1	-
		प्रयोगशाला तकनीशियन	5	3	2
		प्रयोगशाला परिचारक	5	-	5
		भृत्य	2	1	1
		बुक लिफ्टर	1	-	1
		स्वच्छक	1	-	1
		चौकीदार	1	-	1


 अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6
5	शासकीय एस.एन.जी. महाविद्यालय मुंगेली जिला-मुंगेली (छ.ग.)	प्राचार्य	1	-	1
		सहायक प्राध्यापक	5	5	0
		ग्रंथपाल	1	1	-
		क्रिडाधिकारी	1	1	-
		सहायक गेड-02	1	1	-
		सहायक ग्रेड-3	2	2	0
		बुक लिफ्टर	1	-	1
		प्रयोगशाला परिचारक	1	-	1
		भृत्य	3	1	2
		फर्नास	2	1	1
		चौकीदार	1	-	1
6	शासकीय नवीन महाविद्यालय अमोरा जिला मुंगेली (छ.ग.)	प्राचार्य	1	0	1
		सहायक प्राध्यापक	10	8	2
		सहायक ग्रेड-1	1	1	0
		सहायक ग्रेड-2	1	1	0
		सहायक ग्रेड-3	1	0	1
		प्रयोगशाला तकनीशियन	3	0	3
		भृत्य	2	0	2
		चौकीदार	1	0	1
		स्वच्छक (कलेक्टर दर पर)	1	0	1


 अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

अधोसंरचना पर्यावरण उपकर निधि से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त प्रस्ताव

स.क्रमांक	कार्य का नाम	राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1	सी.सी.रोड निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से बगीचा तक ग्रामपंचायत-सेतगंगा	6.00
2	सी.सी.रोड निर्माण कार्य झम्मन के घर से हीरा के घर तक भुमियापारा ग्रामपंचायत-बीजातराई	6.00
3	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य गौठान के पास ग्रामपंचायत-फतेली	10.00
4	सी.सी.रोड निर्माण कार्य सेवकराम के घर से मंशाराम साहू के घर तक ग्रामपंचायत-सिपाही	6.00
5	सी.सी.रोड निर्माण कार्य मेनरोड से सम्मत साहू के घर तक ग्रामपंचायत-सुरीघाट	6.00
6	सी.सी.रोड निर्माण कार्य गोरे सोनवानी के घर से विजय सोनवानी के घर तक ग्रामपंचायत-दाबो	6.00
7	सी.सी.रोड निर्माण कार्य शत्रुहन साहू के घर से हीरा दिवाकर के घर तक ग्रामपंचायत-छअल	6.00
8	सी.सी.रोड निर्माण कार्य जाम बाई चतुर्गोष्ठी के घर से भरत यादव के घर तक ग्रामपंचायत-करही	6.00
9	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-घुण्डुकापा	6.00
10	सी.सी.रोड निर्माण कार्य मेनरोड से महामाई की ओर ग्रामपंचायत-टेढाधौरा	6.00
11	सी.सी.रोड निर्माण कार्य भरत के घर से आंगनबाड़ी तक ग्रामपंचायत-बोदा	6.00
12	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य गोठान के पास ग्रामपंचायत-चलान	8.00
13	सी.सी.रोड निर्माण कार्य जनीराम निषाद के घर तक ग्रामपंचायत-लेकडुम	6.00
14	सी.सी.रोड निर्माण कार्य किरीतराम के घर से धन्नू प्रसाद के घर तक ग्रामपंचायत-भरुवागुडा	6.00
15	सी.सी.रोड निर्माण कार्य दैहान बांधा से अश्वनी पटेल के घर तक ग्रामपंचायत-सेमरचुवा	6.00
16	सी.सी.रोड निर्माण कार्य महामाया प्रांगण ग्रामपंचायत-फुलवारी	6.00
17	सी.सी.रोड निर्माण कार्य राकेश धिडोरे के घर से तारबांधा तक ग्रामपंचायत-बिरगहनी	6.00
18	सी.सी.रोड निर्माण कार्य केशव कश्यप के घर से मेनरोड तक एवं पंचायत भवन से प्यारे के घर तक ग्रामपंचायत-कोसमा	6.00
19	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-कोदूकापा	6.00
20	सी.सी.रोड निर्माण कार्य हाई स्कूल परिसर एवं ग्राम के विभिन्न स्थल ग्रामपंचायत-सेमरचुवा	6.00

स.क्रमांक	कार्य का नाम	राशि (लाख रुपये में)
21	सी.सी.रोड निर्माण कार्य लक्ष्मण यादव के घर से नाराया बेलदार के घर तक ग्रामपंचायत-देवरी क	6.00
22	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-खुजहा	6.00
23	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-कोदवावानी	6.00
24	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-सोढ़ार	6.00
25	सी.सी.रोड निर्माण कार्य मेनरोड से राधा के घर तक ग्रामपंचायत-दशरंगपुर	6.00
26	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-डोमनपुर	6.00
27	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-रेहुटा	6.00
28	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-बोदा	6.00
29	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-सुरीघाट	6.00
30	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-किरना	6.00
31	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-पुरान	6.00
32	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-बीजातराई	6.00
33	सी.सी.रोड निर्माण कार्य शंकर मंदिर से चितावर तालाब तक ग्रामपंचायत-ठकुरीकापा	6.00
34	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-सेमरचुवा	6.00
35	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-संगवाकापा	6.00
36	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-सिंगारपुर	6.00
37	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-रेहुटा	6.00
38	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-हेड़सपुर	6.00
39	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-कोहड़िया	6.00
40	सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्रामपंचायत-संबलपुर	6.00
41	सी.सी.रोड निर्माण कार्य पथरिया ग्रामपंचायत-ढोढ़मा	6.00
42	सी.सी.रोड निर्माण कार्य पथरिया ग्रामपंचायत-हथनीकला	6.00
43	सी.सी.रोड निर्माण कार्य पथरिया ग्रामपंचायत-खेढ़ा	6.00
44	सी.सी.रोड निर्माण कार्य पथरिया ग्रामपंचायत-टोनहीचुवा	6.00
45	सी.सी.रोड निर्माण कार्य पथरिया ग्रामपंचायत-बछेरा	6.00
46	सी.सी.रोड निर्माण कार्य पथरिया ग्रामपंचायत-मोतिमपुर अमोरा	6.00
47	सी.सी.रोड निर्माण कार्य पथरिया ग्रामपंचायत-अमलीकापा	6.00
48	सी.सी.रोड निर्माण कार्य पथरिया ग्रामपंचायत-पुछेली	6.00
49	सी.सी.रोड निर्माण कार्य पथरिया ग्रामपंचायत-लोदा	6.00
योग		300.00

राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से निर्माण कार्य हेतु प्रप्त प्रस्ताव		
स. क.	कार्य का नाम	राशि (लाख रु. में)
1.	प्रस्तावित कार्य – ग्राम चारभाठा में नाला में स्टापडेम निर्माण कार्य । ग्राम पंचायत – चारभाठा	20.00
2.	प्रस्तावित कार्य – ग्राम फरहदा के हाथी नाला में स्टापडेम निर्माण कार्य । ग्राम पंचायत – फरहदा	20.00
3.	प्रस्तावित कार्य – ग्राम गिधा के टेसुआ नाला के उपर राहत शिविर भवन निर्माण । ग्राम पंचायत– गीधा	10.00
4.	प्रस्तावित कार्य – ग्राम खुर्शी के नाला के उपर राहत शिविर भवन निर्माण। ग्राम पंचायत खुर्शी	10.00
5.	प्रस्तावित कार्य – ग्राम पंडरभट्टा के नाला के उपर राहत शिविर भवन निर्माण ।ग्राम पंचायत पंडरभट्टा	10.00
6.	प्रस्तावित कार्य – ग्राम दावो के नाला के उपर राहत शिविर भवन निर्माण । ग्राम पंचायत दावो	10.00
7.	प्रस्तावित ग्राम – ग्राम खम्हरिया के नाला के उपर राहत भवन शिविर निर्माण। ग्राम पंचायत खम्हरिया	10.00
8.	प्रस्तावित कार्य – ग्राम वीरगांव के नाला के उपर राहत शिविर भवन निर्माण। ग्राम पंचायत विरगांव	10.00
9.	प्रस्तावित कार्य – ग्राम उमरिया के मोहपार नाला में पुलिया निर्माण। ग्राम पंचायत उमरिया।	15.00
10.	प्रस्तावित कार्य – ग्राम पदमपुर के गाहन नाला में स्टापडेम निर्माण कार्य। ग्राम पंचायत पदमपुर	25.00
11.	प्रस्तावित कार्य – ग्राम किरना के टेसया नाला में स्टापडेम निर्माण कार्य। ग्राम पंचायत – किरना	25.00
12.	प्रस्तावित कार्य – ग्राम ढोढमा के हाथी नाला के उपर राहत शिविर भवन निर्माण । ग्राम पंचायत – ढोढमा	10.00
13.	प्रस्तावित कार्य – ग्राम रौनाकापा के रहन नाला में स्टापडेम निर्माण कार्य । ग्राम पंचायत – रौनाकापा	25.00
	योग –	200.00

प्रपत्र - ब					
अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि से आबंटन					
क्र मां क	कार्य का नाम	कार्य स्थल का नाम	तहसील का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	कार्य की स्थिति
1	सीसी रोड निर्माण कार्य मेन रोड से रवि टंडन के घर तक	ग्राम व ग्राम पंचायत बिरगहनी	मुंगेली	6.00	पूर्ण
2	सीसी रोड निर्माण कार्य, शिव मंदिर से नवधा चौक तक	ग्राम व ग्राम पंचायत बीजातराई	मुंगेली	6.00	पूर्ण
3	सीसी रोड निर्माण कार्य, महामाया से नवधा चौक तक	ग्राम व ग्राम पंचायत बीजातराई	मुंगेली	6.00	पूर्ण
4	सीसी रोड निर्माण कार्य, पंचराम के घर से तालाब तक	ग्राम व ग्राम पंचायत छटन	मुंगेली	6.00	पूर्ण
5	सीसी रोड निर्माण कार्य, बाजार गली एवं उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर	ग्राम व ग्राम पंचायत सेतगंगा	मुंगेली	6.00	पूर्ण
6	सीसी रोड निर्माण कार्य, मेनरोड से महामाया तक	ग्राम व ग्राम पंचायत बोदा	मुंगेली	6.00	पूर्ण
7	सीसी रोड निर्माण कार्य, गुलाबु के घर से समेलाल साहू के घर तक	ग्राम व ग्राम पंचायत सोदर	मुंगेली	6.00	पूर्ण
8	सीसी रोड निर्माण कार्य, गुडडू निषाद के घर से होलीराम यादव के घर की ओर	ग्राम व ग्राम पंचायत डोमनपुर	मुंगेली	6.00	पूर्ण
9	सीसी रोड निर्माण कार्य	ग्राम व ग्राम पंचायत किरना	मुंगेली	6.00	पूर्ण
10	सीसी रोड निर्माण कार्य	ग्राम व ग्राम पंचायत करही	मुंगेली	6.00	पूर्ण
11	सीसी रोड निर्माण कार्य	ग्राम व ग्राम पंचायत भरुवागुडा	मुंगेली	6.00	पूर्ण
12	सीसी रोड निर्माण कार्य	ग्राम व ग्राम पंचायत पुरान	मुंगेली	6.00	पूर्ण
13	सीसी रोड निर्माण कार्य	ग्राम व ग्राम पंचायत कोहडिया	मुंगेली	6.00	अपूर्ण
14	सीसी रोड निर्माण कार्य, विभिन्न गलियों में	ग्राम व ग्राम पंचायत सुरीघाट	मुंगेली	6.00	पूर्ण
15	सीसी रोड निर्माण कार्य, स्कूल ग्राउंड में	ग्राम व ग्राम पंचायत खुजहा	मुंगेली	6.00	पूर्ण
16	सीसी रोड निर्माण कार्य, हिमांशु पटेल के घर से सतीश साहू के घर तक	ग्राम व ग्राम पंचायत सुरीघाट	मुंगेली	6.00	पूर्ण
		योग		96.00	

राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से आबंटन					
स. क्र.	ग्राम पंचायत	विकासखण्ड	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्य की स्थिति
1	चारभाठा	मुंगेली	ग्राम चारभाठा के नाला में स्टॉपडेम निर्माण कार्य	20.00	अपूर्ण
2	फरहदा	मुंगेली	ग्राम फरहदा के हाथी नाला में स्टॉपडेम निर्माण कार्य	20.00	अपूर्ण
3	गीधा	मुंगेली	ग्राम गीधा के टेसुआ नाला के ऊपर राहत शिविर भवन निर्माण	10.00	अपूर्ण
4	खुर्शी	मुंगेली	ग्राम खुर्शी के नाला के ऊपर राहत शिविर भवन निर्माण	10.00	अपूर्ण
5	पंडरभठा	मुंगेली	ग्राम पंडरभठा के नाला के ऊपर राहत शिविर भवन निर्माण	10.00	अपूर्ण
6	दाबो	मुंगेली	ग्राम दाबो के नाला के ऊपर राहत शिविर भवन निर्माण	10.00	अपूर्ण
7	खम्हरिया	मुंगेली	ग्राम खम्हरिया के नाला के ऊपर राहत शिविर भवन निर्माण	10.00	अपूर्ण
8	विरगांव	मुंगेली	ग्राम विरगांव के नाला के ऊपर राहत शिविर भवन निर्माण	10.00	अपूर्ण
9	उमरिया	मुंगेली	ग्राम उमरिया के मोहपार नाला में पुलिया निर्माण	15.00	अपूर्ण
10	पदमपुर	मुंगेली	ग्राम पदमपुर के रहन नाला में स्टॉपडेम निर्माण कार्य	25.00	अपूर्ण
11	ढोढमा	मुंगेली	ग्राम ढोढमा के हाथी नाला के ऊपर राहत शिविर भवन निर्माण	10.00	अपूर्ण
योग				150.00	

परोक्ष - अनठावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1152) की जानकारी


प्रपत्र

वर्ष जनवरी 2022 से जनवरी 2026 तक
ओवरलोड वाहनों पर की गई कार्यवाही का विवरण

क	वर्ष (जनवरी से दिसंबर)	वाहन चालान संख्या	वसूल राजस्व
1	2022	1402	50874000
2	2023	1013	37397000
3	2024	960	36196400
4	2025	962	37327200
5	2026(जनवरी)	82	2951000
	कुल	4419	164745600



अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर



(15)

प्रश्न संख्या 'ख' की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	लामान्वित हितग्राही की संख्या (ग्रामीण एवं वनाश्रित)	आर्थिक व्यय (राशि रु. में)	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	2023	बसना	तेन्दूपत्ता संग्रहण	20760	6,72,99,520.00	
			प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस)	20406	2,25,68,039.00	
			अन्य लघुवृत्त संग्रहण (एस.पी. एवं एफ.एस.पी.)	213	13,18,700.00	
			चरणपादुका वितरण	0	0	
			संघ संचालित सामूहिक सुरक्षा योजना	0	0	
			राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता संग्रहण सुरक्षा योजना	64	1,01,70,000.00	
			प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना	105	20,45,000.00	
			मेधावी छात्रवृत्ति योजना	74	2,02,500.00	
			गैर व्यवसायिक कोर्स छात्रवृत्ति योजना	27	1,32,000.00	
			व्यवसायिक कोर्स	2	15,000.00	
2	योग :- 2023			41651	103750759.00	
	2024	बसना	तेन्दूपत्ता संग्रहण	21786	10,04,68,692.50	
			प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस)	21514	4,69,17,280.00	तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2022 का बोनस वितरण
			अन्य लघुवृत्त संग्रहण (एस.पी. एवं एफ.एस.पी.)	15	2,87,900.00	
			चरणपादुका वितरण	0	0	
			तेन्दूपत्ता संग्रहण	28	3,36,000.00	
			राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता संग्रहण सुरक्षा योजना	40	56,65,000.00	
			प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना	145	27,45,000.00	
			मेधावी छात्रवृत्ति योजना	25	67,000.00	
			गैर व्यवसायिक कोर्स छात्रवृत्ति योजना	20	98,000.00	
			व्यवसायिक कोर्स	0	0	
	योग :- 2024			43573	156584872.50	

क्रमांक	वर्ष	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	लामान्वित हितग्राही की संख्या (ग्रामीण एवं वनाश्रित)	आर्थिक लाभ (राशि रु. में)	रिमा. ₹
1	2	3	4	5	6	7
3	2025	बसना	तेन्दूपत्ता संग्रहण	21251	11,77,632.00	
			प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस)	0	0	
			अन्य लघुवनीपज संग्रहण (एस.पी. एवं एफ.एस.पी.)	0	0	
			चरणपादुका वितरण	22498	-	तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2023 एवं 2024 के संग्रहक परिवार के एक महिला सदस्य को एक जोड़ी चरण पादुका का वितरण
			संघ संचालित सामूहिक सुरक्षा योजना	2	24,000.00	
			राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता संग्रहक सुरक्षा योजना	2	4,00,000.00	
			प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना	130	23,30,000.00	
			मेधावी छात्रवृत्ति योजना	19	51,500.00	
			गैर व्यवसायिक कोर्स छात्रवृत्ति योजना	16	73,000.00	
			व्यवसायिक कोर्स	0	-	
	योग :- 2025			43918	4056132.00	
	कुलयोग :-			129142	264391763.50	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(विकास/योजना, बजट, ऑडिट एवं लेखा)
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 1203) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

स. क.	परिशिष्ट -01								
	जांजगीर चांपा जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी								
	न्यायालय/तहसील का नाम	नामांतरण	व्यपवर्तन	सीमांकन	खाता बंटवारा	फौती नामांतरण	त्रुटि सुधार प्रकरण	नवीन किसान पुस्तिका	अन्य राजस्व संबंधित प्रकरण
1	न्यायालय कलेक्टर	1	4	0	0	0	0	0	80
2	न्यायालय अपर कलेक्टर	0	0	0	0	0	2	0	3
3	न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर	3	1	6	3	0	1	0	13
4	अनुविभागीय अधि.(रा.) अकलतरा	0	10	0	0	0	0	0	158
5	अनुविभागीय अधि.(रा.)जांजगीर	0	3	0	0	0	7	0	0
6	अनुविभागीय अधि.(रा.) पामगढ़	0	1	0	0	0	9	0	8
7	अनुविभागीय अधि.(रा.) चांपा	0	5	0	0	0	0	0	0
8	तहसील अकलतरा	178	0	39	76	0	31	18	184
9	तहसील जांजगीर	32	0	23	58	24	46	0	183
10	तहसील नवागढ़	14	0	53	19	6	32	9	324
11	तहसील बलौदा	142	0	6	48	0	9	0	0
12	तहसील पामगढ़	16	0	32	32	2	23	9	556
13	तहसील चांपा	17	0	1	11	4	15	3	33
14	तहसील शिवरीनारायण	46	0	65	12	40	22	31	0
15	तहसील बम्हनीडीह	15	0	9	5	12	6	13	205
16	तहसील सारागॉव	2	0	9	18	4	5	0	16
	योग	466	24	243	282	92	208	83	1763

परिशिष्ट 02 सुशासन तिहार 2025

जिला: जांजगीर-चाम्पा

श्रेणी का नाम	कुल आवेदन	कुल निराकृत	कुल लंबित
सीमांकन / नामांतरण, बंटवारा	501	501	0
अतिक्रमण	362	362	0
भूमि सुधार	134	134	0
ऋण पुस्तिका	119	119	0
जाति / आय / निवास प्रमाण पत्र	31	31	0
भूमि की मांग	1233	1233	0
कुल योग	2380	2380	0

प्रपत्र "ब"

पटवारी/राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन अप्राप्त हाने के कारण
लंबित प्रकरण

क्र.	तहसील का नाम	लंबित प्रकरणों की संख्या
1	अकलतरा	66
2	जांजगीर	94
3	नवागढ़	63
4	बलौदा	42
5	पामगढ़	30
6	चांपा	6
7	शिवरीनारायण	130
8	बम्हनीडीह	5
9	सारागाँव	0

पारिशेष्ट - इकसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 1213) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1213 की जानकारी

स.क्र.	जिला का नाम	वर्ष	बैराज/स्वीकृत कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		मद	संरचना का नाम		कराये गये नहर लाईनिंग की लंबाई	एजेंसी का नाम	व्यय राशि	रिमांक
				दिनांक	राशि		नहर लाईनिंग कार्य	अन्य कार्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राजनांदगांव	2023-24	तेन्दुभावा जलाशय नहर जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	06.10.2023	261.51	45-4702/3803 (लघु)	नहर लाईनिंग कार्य	4 व्ही.आर.बी. एवं 1 एक्वाइवट	3.50 कि.मी.	रितेश कुमार अग्रवाल अ वर्ग ठेकेदार जाजगीर चांपा	187.13	कार्य प्रगतिरत
2	राजनांदगांव	2023-24	सौर जलाशय नहर लाईनिंग कार्य	10.08.2023	50.97	45-4702/3803 (लघु)	नहर लाईनिंग कार्य	3 व्ही.आर.बी.	2.10 कि.मी.	ओम कन्स्ट्रक्शन डी वर्ग ठेकेदार रायपुर	36.56	कार्य पूर्ण
3	राजनांदगांव	2023-24	अवर्धा जलाशय नहर लाईनिंग कार्य	05.10.2023	167.30	45-4702/3803 (लघु)	नहर लाईनिंग कार्य	3 व्ही.आर.बी.	1.35 कि.मी.	मेसर्स श्री बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर अ वर्ग ठेकेदार दुर्ग	24.95	कार्य प्रगतिरत
4	राजनांदगांव	2023-24	बोटेपार जलाशय नहर लाईनिंग कार्य	06.10.2023	195.68	45-4702/3803 (लघु)	नहर लाईनिंग कार्य	3 व्ही.आर.बी.	5.01 कि.मी.	मेसर्स श्री बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर अ वर्ग ठेकेदार दुर्ग	157.69	कार्य प्रगतिरत
5	मोहला-मानपुर-अ-चौकी	2023-24	गोदानाला जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	10.08.2023	176.54	45-4702/3803 (लघु)	नहर लाईनिंग कार्य	02 नग व्ही.आर.बी. 01 नग डी.सी.	2.1 कि.मी.	एफ़ीक खॉन ब&वर्ग ठेकेदार दुर्ग	41.25	कार्य प्रगतिरत
6	मोहला-मानपुर-अ-चौकी	2023-24	गुण्डरदेही जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	10.08.2023	171.88	41-4702/3828 (लघु)	नहर लाईनिंग कार्य	02 नग व्ही.आर.बी. 01 नग डी.सी.	2.96 कि.मी.	एफ़ीक खॉन ब&वर्ग ठेकेदार दुर्ग	86.49	कार्य प्रगतिरत
7	मोहला-मानपुर-अ-चौकी	2023-24	बोगटोला जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	04.10.2023	168.11	41-4702/3828 (लघु)	नहर लाईनिंग कार्य	01 नग व्ही.आर.बी. 01 नग फॉल, 01 नग माइन्स हेड	2.52 कि.मी.	शिव कृपा बिल्डकॉन ब-वर्ग ठेकेदार रायपुर	122.77	कार्य प्रगतिरत
8	मोहला-मानपुर-अ-चौकी	2023-24	देवसूर जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	04.10.2023	172.04	41-4702/3828 (लघु)	नहर लाईनिंग कार्य	-	-	एफ़ीक खॉन ब-वर्ग ठेकेदार दुर्ग	-	कार्य प्रगतिरत
9	राजनांदगांव	2023-24	खातूला बैराज के बांधी तट मुख्य नहर के सी.सी. लाईनिंग कार्य	06.10.2023	963.78	75-4702 (लघु)	नहर लाईनिंग कार्य	04 नग व्ही.आर.बी.	15.210 कि.मी.	रामशिरोमणि तिवारी अ-वर्ग ठेकेदार राजनांदगांव	923.15	कार्य पूर्ण
योग (वर्ष 2023-24) :- 09 कार्य											2327.81	1579.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	राजनांदगांव	2024-25	कलकसा जलाशय नहर लाईनिंग कार्य	23.08.2024	165.62	45-4702/ 3803 (लघु)	नहर लाईनिंग कार्य	4 व्ही.आर.बी. एवं 1 फाल	4.21 कि.मी.	आर.आर.गहू अ वर्ग ठेकेदार दुर्ग	112.64	कार्य प्रगतिरत्
11	राजनांदगांव	2024-25	शिवनाथ चस्पवर्तन मुख्य नहर शाखा नहर लाईनिंग कार्य	28.03.2025	11463.35	23-2701/ 2898	नहर लाईनिंग कार्य	व्ही.आर.बी. 27 व्ही.आर.बी. क्रम साईफन 13 फॉल 29 माईनर हेड 18 एवं नॉन कन्ट्रोलिंग वियर 5	4.5 कि.मी.	1 श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल अ वर्ग ठेकेदार बिलासपुर 2 श्री रामशिरोमणी तिवारी अ वर्ग ठेकेदार अ वर्ग ठेकेदार राजनांदगांव	0.00	उक्त कार्य को 4 भागों में निविदा किया गया है जिसमें 02 भाग में एजेंसी निर्धारित हो कर कार्य प्रगति पर है एवं शेष दो भागों का निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है
12	मोहला-मानपुर-अ-चौकी	2024-25	नवागाव जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य।	26.03.2025	78.16	45-4702/ 3803 (लघु)	नहर लाईनिंग कार्य	-	0.25 कि.मी.	डी.एन. इंटरपाइजस द-जर्ग ठेकेदार बिलासपुर	-	कार्य प्रगतिरत्
	योग (वर्ष 2024-25) :- 03 कार्य				11707.13						112.64	
13	राजनांदगांव	2025-26	सुरहीनाला बांध मरम्मत एवं नहर लाईनिंग कार्य	13.08.2025	344.17	45-4702/ 3803 (लघु)	नहर लाईनिंग कार्य	-	-	रितेश कुमार अग्रवाल अ वर्ग ठेकेदार जाजगीर चांपा	-	
14	राजनांदगांव	2025-26	मडियान जलाशय की ऊंचाई बढ़ाने एवं नहर लाईनिंग कार्य	31.10.2025	2073.60	45-4702/ 3803 (लघु)	नहर लाईनिंग कार्य	-	-	-	-	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
15	मोहला-मानपुर-अ-चौकी	2025-26	रंगाकटेरा जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य।	22.01.2026	207.82	41-4702/ 3828 (लघु)	नहर लाईनिंग कार्य	-	-	-	-	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
	योग (वर्ष 2025-26) :- 03 कार्य				2625.59						0.00	
	महायोग :- वर्ष 2023-24 से 2025-26 में 31.01.2026 तक कुल 15 कार्य				16660.53						1692.63	

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 02-03-2026
11:20:16

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

पारिशेष - बैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 1246) की जानकारी

प्रपत्र

जिला उत्तर बस्तर कांकेर में सर्पदंश/प्राकृतिक आपदाओं से मृत व्यक्तियों के परिजनों को आर्थिक अनुदान सहायता के संबंध में

कं	वर्ष	विकासखंड का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या	प्रदाय की गई (राशि रुपये में)
1	2	3	4	5
1	2023	कांकेर	10	4000000
		चारामा	9	3600000
		नरहरपुर	18	7200000
		भानुप्रतापपुर	9	3600000
		अंतागढ	8	3200000
		दुर्गुकोदल	6	2400000
		पखांजूर	37	14800000
		योग	97	38800000
2	2024	कांकेर	10	4000000
		चारामा	6	2400000
		नरहरपुर	17	6800000
		भानुप्रतापपुर	4	1600000
		अंतागढ	11	4400000
		दुर्गुकोदल	6	2400000
		पखांजूर	38	15200000
		योग	92	36800000
3	2025 से दिनांक 31.01.2026 तक	कांकेर	4	1600000
		चारामा	1	400000
		नरहरपुर	13	5200000
		भानुप्रतापपुर	7	2800000
		अंतागढ	21	8400000
		दुर्गुकोदल	3	1200000
		पखांजूर	35	14000000
		योग	84	33600000
महायोग			273	109200000

पारिशद - तिरसठ

अतारोकेत प्रश्न संख्या 30 (क्र. 1250) की जानकारी

प्रपत्र-

वर्ष	वनमंडल का नाम	जन प्रतिनिधियों का विवरण		कार्य की स्थिति (स्वीकृत/अस्वीकृत/लंबित)	कार्यालयन एजेंसी का नाम	प्राप्त राशि लाख में	कार्य की प्रगति		रिमांक
		जन प्रतिनिधियों का नाम	उनके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/पत्र का दिनांक				प्रस्तावित विकास कार्य का नाम	कार्य की स्थिति होने की स्थिति में	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2024-25	बिलासपुर	माननीय श्री दिलीप लहरिया विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी	320 दिनांक 25.11.2024	स्वीकृति -01 नग	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	5.00	01 नग	0	उक्त प्रस्ताव में से 01 नग देवगुड़ी निर्माण की स्वीकृति मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय बिलासपुर वृत्त बिलासपुर के प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक 134 दिनांक 27.11.2025 के माध्यम से प्राप्त हुई है, कार्य प्रगति पर है। शेष 21 स्थलों के संबंध में प्रतिवेदन है कि शेष ग्राम पंचायतों के अंतर्गत दर्शित स्थल वनक्षेत्र से बाहर/राजस्व भूमि होने के कारण सीएएफ रुल्स 2018 के अंतर्गत कैम्पा मद से कार्य कराया जाना संभव नहीं है। इसलिए, शेष 21 स्थल वनक्षेत्र से बाहर राजस्व भूमि में होने के कारण विभागीय मद अंतर्गत कार्य करने हेतु वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्राथमिकता में नहीं है।
2024-25	बिलासपुर	माननीय श्री दिलीप लहरिया विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी	322 दिनांक 25.11.24	लंबित	-	-	-	-	अधिनस्थ वन परिक्षेत्र अधिकारी बिलासपुर को आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने हेतु वनमंडलधिकारी, बिलासपुर के पत्र क्रमांक/858/दिनांक 13.02.2026 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।
2025-26	बिलासपुर	माननीय श्री दिलीप लहरिया विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी	491 दिनांक 21.05.25	अस्वीकृत	-	-	-	-	मस्तूरी से जौधरा मार्ग पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31 कि.मी लंबाई क्षेत्र में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य किया गया था, इस कारण पुनः उक्त मार्ग पर वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित नहीं किये जाने की सूचना मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर के कार्यलयीन पत्र क्रमांक/609 दिनांक 20.02.2026 के माध्यम से निज सहायक माननीय विधायक श्री दिलीप लहरिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक -32 मस्तूरी ग्राम धनगबा, पो-ओखर, तह-मस्तूरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को दिया गया है।
2025-26	बिलासपुर	माननीय श्री दिलीप लहरिया विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी	571 दिनांक 31.07.2025	उक्त कार्य में से स्पटा निर्माण के कार्य राज्य कैम्पा मद के एपीओ वर्ष 2026-27 में सम्मिलित किया गया है। शेष कार्य अस्वीकृत है।	-	-	-	-	राज्य कैम्पा मद के एपीओ वर्ष 2026-27 में स्पटा निर्माण व डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण कार्य के प्रस्ताव कार्यलयीन पत्र क्र. /व्यय/2024 दिनांक 05.12.2025 एवं 1985 दिनांक 03.12.2025 के माध्यम से प्रेषित किया गया है। जिसमें से स्पटा निर्माण कार्य को राज्य कैम्पा मद के एपी.ओ. वर्ष 2026-27 में सम्मिलित किया गया है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(विकास योजना/बजट लेखा एवं ऑडिट)
छत्तीसगढ़ अटल नगर

परीशेष - चॉसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 1275) की जानकारी

प्रपत्र- अ

अवैध प्लाटिंग/अवैध कॉलोनी की जानकारी

क.	वर्ष	अवैध प्लाटिंग/अवैध कॉलोनी को निर्मित करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध शिकायत की			रिमार्क
		शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायत कर्ता का नाम	बिल्डर/अवैध प्लाटिंगकर्ता का नाम	
1	2	3	4	5	6
1	2024	10-08-2024	अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर का ज्ञापन द्वारा ख.नं. 844, 844/1 के संबंध में जानकारी प्राप्त।	01. श्री नरेन्द्र 02. श्री जयप्रकाश 03. श्री अजय 04. रमा 05. ललिता 06. अनिता 07. सविता 08. पिसरान स्व. मोहनलाल नित्यानंद 09. श्री महेश कुमार 10. श्री रविप्रकाश 11. श्री भीमा उर्फ सोहनलाल 12. रामदुलारे 13. ईश्वर कुमार पिसरान गंगाराम सोनकर	प्रकरण पर एफ.आई.आर. की कार्यवाही की गयी है।
2	2024	10-08-2024	अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर का ज्ञापन द्वारा 813/2, 813/4, 815/23, 813/24, 815/1, 815/2 के संबंध में जानकारी प्राप्त।	01. संतोषी बाई 02. शिवकुमार 03. महेन्द्र 04. शिवबाई 05. भाया बाई पति मल्लू 06. महेन्द्र पिता मल्लू	
3	2024	10-08-2024	अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर का ज्ञापन द्वारा ख.नं. 384/1, 425/1, 426/1, 401/7, 384/57, 421/6, 424/2, 307/2, 307/1 के संबंध में जानकारी प्राप्त।	01. मो. हुसैन अली 02. नारायणदास खटवानी मानसिंग 03. अशोक खटवानी 04. हेमंत, जमुना, मुरी बाई 05. अमरनाथ सिंह पिता सीताराम 06. गंगाराम पिता स्व. रामेश्वर 07. संजय पिता श्याम सुंदर, दुर्गा खटवानी 08. अजय पारख व मांगीलाल	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4	2024	28-05-2024	स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ख. नं. 212/13, 215/1, 215/4, 215/5, 212/65, 215/7, 212/66, 215/8, 212/67, 215/9, 212/68, 215/10, 212/69, 215/11, 212/73, 215/13, 215/14, 215/28, 215/19 अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है।	श्री नीरज चोपड़ा, श्री नेमीचंद जैन, श्री संदीप गुप्ता, पिकी जिंदल, श्री गोपाल कृष्ण खेतान, श्री अनिल जिंदल, श्री नरेंद्रसिंह सिंह राजपूत, श्री संजय तरकरे, अर्द्धा बोरीकर	दिनांक 28.05.2024 को स्थल पर मुरुम युक्त कच्चा रास्ता का निर्माण को हटाने की कार्यवाही किया गया। अवैध प्लाटिंगकर्ता के खिलाफ एफ. आई.आर. दर्ज करने न.पा.नि. द्वारा पत्र दिनांक 12.06.2024 07.07.2025, पत्र प्रेषित किया गया। उप पंजीयक रायपुर को भूखंडों का पंजीयन में रोक लगाने हेतु दिनांक 19.06.2024 को लिखा गया है।


अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आनंदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, लखनऊ (उ.प्र.)

क.	वर्ष	अवैध प्लॉटिंग/अवैध कालोनी को निर्मित करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध शिकायत की			रिमार्क
		शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायत कर्ता का नाम	बिल्डर/अवैध प्लॉटिंगकर्ता का नाम	
1	2	3	4	5	6
5	2024	05-01-2024	स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा है।	श्री गोपाल जैस पिता श्री सत्यनारायण जैस एवं श्री अमित शर्मा पिता श्री रूपनारायण शर्मा, श्री सतीश अग्रवाल पिता श्री ओमप्रकाश अग्रवाल	दिनांक 28.05.2024 को स्थल पर कच्चा रास्ता का निर्माण को हटाया गया। अवैध प्लॉटिंगकर्ता के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने न.पा.नि. द्वारा दिनांक 05.01.2024 तथा थाना प्रमारी कबीर नगर थाना को स्मरण पत्र दिनांक 07.07.2025 प्रेषित किया गया है। उप पंजीयक रायपुर को अवैध प्लॉटिंग में भूखंडों का पंजीयन में रोक लगाने हेतु दिनांक 08.01.2024 लिखा गया है।
6	2024	14-06-2024	स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ख. नं. 44/6, 44/10, 44/11, 44/16, 44/17, 44/18 अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा है।	श्री बिन्दू शुक्ला पिता श्री गैदलाल शुक्ला	दिनांक 28.05.2024 को स्थल पर मुरुम युक्त कच्चा रास्ता का निर्माण को हटाने की कार्यवाही किया गया। अवैध प्लॉटिंगकर्ता के खिलाफ एफ. आई.आर. दर्ज करने हेतु न.पा.नि. रायपुर के पत्र दिनांक 14.06.2024 एवं स्मरण दिनांक 21.03.2025 को पत्र प्रेषित किया गया है। उप पंजीयक रायपुर को अवैध प्लॉटिंग में भूखंडों के पंजीयन में रोक लगाने संबंध में पत्र दिनांक 14.06.2024, 08.07.2025 को पत्र प्रेषित किया गया है।
7	2024	25.11.2024	स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ख. नं. 2/24-39-45-46-66-74, 4/3, 5/2, 6/4, 10/2-3-4, 12/1-3, 15/6-11, 16/2 में अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा है।	मेसर्स सी.के. डेव्हलपर्स द्वारा भागीदार श्री स्वप्निल अग्रवाल पिता श्री चन्द्रकुमार अग्रवाल	दिनांक 22.11.2024 को स्थल पर पक्की सी.सी. रोड का निर्माण को काटने की कार्यवाही किया गया, अवैध प्लॉटिंग हटाने की कार्यवाही किया गया, तथा अवैध प्लॉटिंगकर्ता के खिलाफ एफ. आई.आर. दर्ज करने बाबत न.पा.नि. रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 25.11.2024 पत्र प्रेषित किया गया। पंजीयक रायपुर को अवैध प्लॉटिंग में भूखंडों के पंजीयन में रोक लगाने संबंध में पत्र दिनांक 25.11.2024 प्रेषित किया गया है।
8	2024	27.11.2024	स्वतः संज्ञान एवं श्री राजकुमार कुशवाहा द्वारा ख.नं. 369/1, 369/2, 371/1, 368 के संबंध में शिकायत प्राप्त।	श्री शंकर साहू, श्री शैलेन्द्र साहू एवं श्री शिवा साहू रायपुर छ.ग.	भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं दावा आपत्ति आमंत्रण हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई है।
9	2024	13.12.2024	स्वतः संज्ञान एवं श्री प्रदीप साहू द्वारा ख.नं. 346, 346/18, 346/19, 346/20, 346/21, 346/22, 346/23, 346/24 उके संबंध में शिकायत प्राप्त।	श्री योगेश वर्मा पिता श्री शिव कुमार वर्मा, रायपुर छ.ग.	भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं दावा आपत्ति आमंत्रण हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई है।
10	2024	29-05-2024	स्वतः संज्ञान। 6.07 हे. भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की गई है।	स्वतः संज्ञान	भूमि स्वामित्व के संबंध में जानकारी प्रदाय करने हेतु तहसीलदार रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है।
11	2024	29-05-2024	स्वतः संज्ञान। 2.02 हे. भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की गई है।	स्वतः संज्ञान	भूमि स्वामित्व के संबंध में जानकारी प्रदाय करने हेतु तहसीलदार रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है।
12	2024	29-05-2024	स्वतः संज्ञान। 2.02 हे. भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की गई है।	स्वतः संज्ञान	भूमि स्वामित्व के संबंध में जानकारी प्रदाय करने हेतु तहसीलदार रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है।
13	2024	29-05-2024	स्वतः संज्ञान। 1.21 हे. भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की गई है।	स्वतः संज्ञान	भूमि स्वामित्व के संबंध में जानकारी प्रदाय करने हेतु तहसीलदार रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है।
14	2024	29-05-2024	स्वतः संज्ञान। 1.61 हे. भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की गई है।	स्वतः संज्ञान	भूमि स्वामित्व के संबंध में जानकारी प्रदाय करने हेतु तहसीलदार रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है।



अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

क्र.	वर्ष	अवैध प्लानिंग/अवैध कालोनी को निर्मित करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध शिकायत की			रिमार्क
		शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायत कर्ता का नाम	बिल्डर/अवैध प्लानिंगकर्ता का नाम	
1	2	3	4	5	6
15	2024	10.12.2024	स्वतः संज्ञान। ख.नं. 269/1, 271/1 के संबंध में।	1. तुलसिया बाई पति श्री संतोष साहू 2. लता साहू पिता श्री संतोष साहू 3. श्री कमल पार्वती, प्रभा पी. रामखिलावन, कुंवर, फुलकुंवर, शिवकुमार पी. झडी राम	खसरा ब्लॉक हेतु उप पंजीयक जिला रायपुर को पत्र क्र. 657/दिनांक 10/12/2024 को प्रेषित किया गया एवं भूमिस्वामित्व एवं भूखण्ड विभाजन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदाय करने हेतु अपर कलेक्टर, रायपुर को पत्र क्र. 1241 दिनांक 05/02/2026 प्रेषित किया गया है।
16	2024	10.12.2024	स्वतः संज्ञान। ख.नं. 56/2, 57/12, 57/13, 56/1, 56/3 के संबंध में।	1. श्री रामसजीवन मौर्य पिता श्री सरजू प्रसाद मौर्य 2. श्रीमती आशादेवी पति श्री रामसजीवन मौर्य 3. श्री प्रणय मौर्य पति श्री रामसजीवन मौर्य	खसरा ब्लॉक हेतु उप पंजीयक जिला रायपुर को पत्र क्र. 655 दिनांक 10/12/2024 को प्रेषित किया गया एवं भूमिस्वामित्व एवं भूखण्ड विभाजन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदाय करने हेतु अपर कलेक्टर, रायपुर को पत्र क्र. 1245 दिनांक 05/02/2026 प्रेषित किया गया है।
17	2025	03-04-2025	स्वतः संज्ञान। खसरा नंबर 76/1, 80/2, 80/5, 77/7, 82/8 के संबंध में।	1. श्री लालजी भाई पटेल पिता श्री सवजी भाई पटेल 2. श्री प्रभुभाई पटेल पिता मावली भाई पटेल 3. श्री सुरेश भाई पटेल पिता लिंबा भाई पटेल 4. प्रवीण भाई पटेल पिता रामजी भाई पटेल	खसरा ब्लॉक हेतु उप पंजीयक जिला रायपुर को पत्र क्र. 12 दिनांक 03/04/2025 को प्रेषित किया गया एवं भूमिस्वामित्व एवं भूखण्ड विभाजन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदाय करने हेतु अपर कलेक्टर, रायपुर को पत्र दिनांक 05/02/2026 प्रेषित किया गया है।
18	2025	13-02-2025	स्वतः संज्ञान। खसरा नंबर 65 के संबंध में।	श्री गिरधर अडवानी पिता श्री विशनदास अडवानी	अपर कलेक्टर, रायपुर द्वारा दिनांक 21.01.2026 को जांच समिति गठित की गई है।
19	2025	21-08-2025	स्वतः संज्ञान ख.नं. 153-159, 181-186 के संबंध में	अज्ञात	अपर कलेक्टर, रायपुर द्वारा दिनांक 21.01.2026 को जांच समिति गठित की गई है।
20	2025	23-05-2025	ज्ञान्यु कुमार डायरेक्टर एण्ड सी.ई.ओ.आई एम यंग मिडिया	अज्ञात	न.पा.नि. रायपुर द्वारा भूमि स्वामी की जानकारी प्राप्त करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर को पत्र दिनांक 24.06.2025 प्रेषित किया गया है।
21	2025	05.05.2025	स्वतः संज्ञान। खसरा नंबर 58/40, 58/14 के संबंध में।	एफीसिएण्ट ग्रुप द्वारा भागीदार श्री योगेश वर्मा पिता श्री शिव कुमार वर्मा एवं डॉ. मेघराज एच.यु. एफ. कर्ता डॉ. मेघराज पिता खिल्लूरमल रामनानी निवासी जवाहर नगर रायपुर	न.पा.नि. रायपुर द्वारा भूमि स्वामित्व के संबंध में जानकारी प्रदाय करने हेतु नायब तहसीलदार रायपुर को पत्र दिनांक 24.03.2025 प्रेषित किया गया है एवं भूमिस्वामित्व एवं भूखण्ड विभाजन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदाय करने हेतु अपर कलेक्टर, रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है।
22	2025	24-03-2025	स्वतः संज्ञान। 1.5 एकड़ में अवैध प्लानिंग की जानकारी।	अज्ञात	न.पा.नि. रायपुर द्वारा भूमि स्वामि के संबंध में जानकारी प्रदाय करने हेतु नायब तहसीलदार रायपुर को पत्र क्र. 859 दिनांक 24.03.2025 प्रेषित किया गया है एवं भूमिस्वामित्व एवं भूखण्ड विभाजन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदाय करने हेतु अपर कलेक्टर, रायपुर को पत्र क्र. 1237 दिनांक 05/02/2026 प्रेषित किया गया है।
23	2025	24-03-2025	स्वतः संज्ञान। 05 एकड़ में अवैध प्लानिंग की जानकारी।	अज्ञात	भूमि स्वामि के संबंध में जानकारी प्रदाय करने हेतु न.पा.नि. रायपुर द्वारा नायब तहसीलदार रायपुर को दिनांक 24.03.2025 प्रेषित किया गया है एवं भूमिस्वामित्व एवं भूखण्ड विभाजन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदाय करने हेतु अपर कलेक्टर, रायपुर को पत्र दिनांक 05.02.2026 प्रेषित किया गया है।


अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 भूजालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

क.	वर्ष	अवैध प्लानिंग/अवैध कालोनी को निर्मित करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध शिकायत की			रिमार्क
		शिकायत प्राप्त दिनांक	शिकायत कर्ता का नाम	बिल्डर/अवैध प्लानिंगकर्ता का नाम	
1	2	3	4	5	6
24	2025	22-05-2025	स्वतः संज्ञान। ख.नं. 320/1 के संबंध में।	श्रीमती शकुन बाई साहू पति स्व. श्री रेखराम साहू, हेमकुमारी साहू, पार्वती पिसरान हीरालाल साहू निवासी- सदर बाजार रायपुर	न.पा.नि. रायपुर द्वारा खसरा ब्लॉक हेतु पंजीयक जिला रायपुर को पत्र दिनांक 22.05.2025 को प्रेषित किया गया एवं भूमिस्वामित्व एवं भूखण्ड विभाजन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदाय करने हेतु अपर कलेक्टर, रायपुर को दिनांक 05.02.2026 प्रेषित किया गया है।
नगर पालिक निगम बीरगांव					
25	वर्ष-20 24	5/16/2024	स्वतः संज्ञान	जोगीराम पिता गोविंद साहू, निवासी, उरकुरा	कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव के पत्र क्रमांक 355/न.पा0.नि./भव./शाखा 2025-26 बीरगांव दिनांक 17.04.2025 के द्वारा खसरा में विक्रय/रजिस्ट्री में प्रतिबंध लगाई गई है।
26	वर्ष-20 24	5/16/2024	स्वतः संज्ञान	हेमबाई पति जोगीराम साहू, निवासी उरकुरा	
27	वर्ष-20 24	5/16/2024	स्वतः संज्ञान	ईश्वर कुमार सेन, पिता पवन सेन, निवासी उरकुरा	
28	वर्ष-20 24	5/16/2024	स्वतः संज्ञान	सावित्री पति स्व. तेजराम जयंत, यजुर्वेद, शरद पिता तेजराम साहू, उरकुरा	
29	वर्ष-20 24	5/16/2024	स्वतः संज्ञान	रोजाददी पिता मो. सलीम, गाजी नगर, बीरगांव	
30	वर्ष-20 24	5/16/2024	स्वतः संज्ञान	जुगुतराम पिता पुराणिक वर्मा, उरकुरा	
31	वर्ष-20 24	5/16/2024	स्वतः संज्ञान	भीलचंद निर्मलकर पिता घासीराम निर्मलकर, उरकुरा	
32	वर्ष-20 24	5/16/2024	स्वतः संज्ञान	धरमीन बाई जौजे प्रकाश साहू, अजय, शिरिष पिसरा, प्रकाश साहू, उरकुरा	
33	वर्ष-20 25	17.04.2025	स्वतः संज्ञान	रोजादीन पिता मो. सलीम, गाजी नगर, बीरगांव	
34	वर्ष-20 25	17.04.2025	स्वतः संज्ञान	मगवान दास पिता नारायण दास, उरकुरा	
35	वर्ष-20 25	17.04.2025	स्वतः संज्ञान	अबु जैद शेख पिता अकील अहमद शेख, गोकुल नगर, भनपुरी	
36	वर्ष-20 25	17.04.2025	स्वतः संज्ञान	अमजद अली पिता स्व. मो. अली, राजातालाब, रायपुर	
37	वर्ष-20 25	17.04.2025	स्वतः संज्ञान	मो. हाशिम शेख पिता शकील अहमद, गाजी नगर, बीरगांव	
38	वर्ष-20 25	17.04.2025	स्वतः संज्ञान	कोमल वर्मा पिता मोवर्धन लाल वर्मा, शक्ति पारा, उरकुरा	
39	वर्ष-20 25	17.04.2025	स्वतः संज्ञान	समयलाल पिता कन्हैया एवं गौरीशंकर पिता झुमुक लाल, उरकुरा	


संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर रायपुर


अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

कैलेण्डर वर्ष 2024 तथा 2025 में बिल्डर एवं
कालोनाईजर द्वारा आवासीय भूमि परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों एवं निराकरण की
जानकारी

अनुविभाग - रायपुर

स. क्र.	ग्राम का नाम	पक्षकार/आवेदक का नाम	आवासीय परिवर्तन भूमि का विवरण	रकबा	कैलेण्डर वर्ष
1.	धरमपुरा	अलायम इन्फ्रावेचर प्रा. लि. द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरपाल सिंह पिता सेवक सिंह अरोरा	खसरा नं०- 15000/3, खसरा नं०- 15002/1,	34.730	2024
2.	तेलीबाधा	आयन प्रमोटर्स एण्ड बिल्डर्स द्वारा भागीदार अशोक अग्रवाल पिता पुरशोत्तम दास अग्रवाल	खसरा नं०- 416/4	0.0780	2024
3.	कचना	वर्धमान डेव्हलपर्स पता सी-73 शैलेन्द्र नगर रायपुर द्वारा भागीदार अभिशेक सुधीर कुमार बच्छावत पिता सुधीर कुमार बच्छावत	खसरा नं०- 15055/1	4.4157	2024
4.	अमलीडीह	श्री राहुल सिंह इंदुरिया पिता प्रकाश सिंह	खसरा नं०- 227/1, खसरा नं०- 227/8, खसरा नं०- 227/18, खसरा नं०- 227/19	0.4541	2024
5.	भुरकोनी	मेसर्स अग्रवाल बिल्डकान द्वारा मनीश अग्रवाल पिता स्व. संतोष अग्रवाल, निहित कुमार भाह पिता स्व. ओम प्रकाश अग्रवाल	खसरा नं०- 15001/2, खसरा नं०- 15002,	3.6925	2024
6.	कचना	ओम रियल इस्टेट द्वारा पार्टनर संजय कुमार अग्रवाल पिता महावीर प्रसाद अग्रवाल, श्रीमती अर्चना अग्रवाल पति अरुण कुमार अग्रवाल, आयुश बंसल पिता जगदीश बंसल	खसरा नं०- 15056/2,	5.1593	2024
7.	भाठागांव	आस्क डेवल्लिंगकॉन प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर अनुराग नत्थानी पिता कृष्ण कुमार नत्थानी	खसरा नं०- 15017/2	0.8704	2024
8.	परसुलीडीह	मेसर्स मोश्वर्या इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा तरुण वैद पिता धीसुलाल, स्वाती लड्डा पति रवि लड्डा	खसरा नं०- 15005/1	5.6332	2024
9.	दतरंगा	कृष्णा इन्फ्रावेचर्स द्वारा भागीदार आदित्य सिंघानिया पिता अरुण सिंघानिया, प्रकाश लोहाना पिता अशोक लोहाना	खसरा नं०- 15027/2	6.2379	2024
10.	लामाडी	ओम इस्पॉल इंडिया प्रा लि द्वारा निर्देशक रमेश अग्रवाल पिता स्व. ताराचंद अग्रवाल	खसरा नं०- 374/4 (375/4), खसरा नं०- 374/32	1.4467	2024
11.	सेजबहार	अविनाश बिल्डर्स द्वारा पार्टनर मुकेश सिंघानिया पिता नरेश सिंघानिया आनंद सिंघानिया पिता संतोष सिंघानिया	खसरा नं०- 107/1, खसरा नं०- 107/16, खसरा नं०- 15042/2, खसरा नं०- 15043/2,	1.779	2024
12.	रायपुरा	सिंघानिया बिल्डकॉन प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर सुबोध सिंघानिया पिता भयामलाल सिंघानिया	खसरा नं०- 15007	1.7860	2024
13.	कचना	श्रीमती अंजु मारवाह पति मनोज कुमार मारवाह	खसरा नं०- 497/8 (503/4)	0.1230	2024
14.	फुडहर	श्री सौरभ बरडिया पिता भातिलाल बरडिया, चांदनी बरडीया पति सौरभ बरडीया	खसरा नं०- 15003/2	0.2350	2024
15.	फुडहर	श्री सिद्धार्थ बरडिया पिता भातिलाल बरडिया	खसरा नं०- 54/135 (55/66)	0.1410	2024
16.	पुरैना	श्री विमल कुमार अग्रवाल एच.यू.एफ. कर्ता राजीव अग्रवाल पिता विमल कुमार अग्रवाल	खसरा नं०- 465, खसरा नं०- 466/8, खसरा नं०- 466/14, खसरा नं०- 476/8	0.5855	2024
17.	अमलीडीह	श्रीमती रश्मि अग्रवाल पति दिनेश अग्रवाल	खसरा नं०- 282/9,	0.4640	2024
18.	बोरियाकला	श्री कृष्ण कुमार जैन पिता रघुवीर प्रसाद जैन	खसरा नं०- 1195/3 (1196/2),	0.1900	2024
19.	सोनडोंगरी	आर.के. इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा भागीदार मनोज सरावगी पिता स्व. सत्यनारायण सरावगी, मनोज सरावगी एण्ड संस एच.यू.एफ द्वारा कर्ता मनोज सरावगी, राके I सरावगी पिता स्व. सत्यनारायण सरावगी, बबीता सरावगी पति राकेश सरावगी, सिद्धांत सरावगी पिता राकेश सरावगी	खसरा नं०- 15001/2	10.5000	2024
20.	मठपुरैना	श्री मनजीत सिंह पिता स्व. जसवंत सिंह सलूजा, इशविंदर सिंह पिता जसवीर सिंह, हरचरण, जगमीत सिंह पिता इंदरजीत सिंह, गुरुप्रीत सिंह, अमनप्रीत पिता मनजीत सिंह	खसरा नं०- 15004/2	2.1350	2024
21.	कचना	आन्या बिल्डटक प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर संजय रहेजा पिता प्रकाशचंद रहेजा	खसरा नं०- 825/2, खसरा नं०- 15051/92, खसरा नं०- 15057/2,	7.9171	2024


 अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

22.	परसुलीडीह	श्री राकेश कुमार पाण्डेय पिता आर सी पाण्डेय	खसरा नं०- 15007/2	1.9871	2024
23.	सकरी	मेसर्स विनस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा भागीदार उमेश ब्राह्मणकर पिता पी.बी. ब्राह्मणकर	खसरा नं०- 15010/2	4.2940	2024
24.	लामाडी	आशियाना विल्डर्स एण्ड कालोनाइजर द्वारा भागीदार सरबजीत सिंह होरा पिता दिलेर सिंह होरा	खसरा नं०- 15031	0.9590	2024
25.	पुरैना	बजाज टाउनशिप प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर मुकेश बजाज पिता विजय बजाज	खसरा नं०- 134/1, खसरा नं०- 134/2,	0.3740	2024
26.	धनेली-2	मेसर्स डायमंड इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा भागीदार भूमम गोयल पिता जितेन्द्र गोयल	खसरा नं०- 274/2, खसरा नं०- 276/5, खसरा नं०- 15000/2	2.3037	2024
27.	पिरदा	नसीब कंस्ट्रक्शन द्वारा पार्टनर गुरमेल सिंह सैनी पिता स्व. गुरुचरण सिंह सैनी, जसपाल सिंह सैनी, गुरप्रीत सिंह सैनी पिता सरदार गुरमेल सिंह सैनी	खसरा नं०- 15005/2, खसरा नं०- 15009/3	4.2528	2024
28.	मेवा	मेसर्स अजीत डेव्हलपर्स द्वारा भागीदार दिलेर सिंह होरा पिता जीत सिंह होरा	खसरा नं०- 15012/2	1.3720	2024
29.	भांकरनगर	रामा रियल इस्टेट प्रा. लि. द्वारा संचालक राजेश अग्रवाल पिता स्व. रामचंद्र अग्रवाल	खसरा नं०- 15021/3	1.1237	2024
30.	कचना	रामा रियल इस्टेट प्रा.लि. द्वारा संचालक राजेश अग्रवाल पिता स्व. रामचंद्र अग्रवाल	खसरा नं०- 112/2, खसरा नं०- 113/10,	0.0867	2024
31.	सडडू	रामा रियल इस्टेट प्रा.लि. द्वारा संचालक राजेश अग्रवाल पिता स्व. रामचंद्र अग्रवाल	खसरा नं०- 546/46	1.1163	2024
32.	मोवा	रामा रियल इस्टेट प्रा. लि. द्वारा संचालक राजेश अग्रवाल पिता स्व. रामचंद्र अग्रवाल	खसरा नं०- 15010/3	12.1186	2024
33.	कचना	श्री अभय अग्रवाल पिता स्व. ताराचंद अग्रवाल, सरिता अग्रवाल पति अभय अग्रवाल, अपित अग्रवाल यो अंकित अग्रवाल पिता अभय अग्रवाल,	खसरा नं०- 1102/4	0.1210	2024
34.	सेजबहार	महादेव वेंचर्स भागीदार संस्थान जगजीत सिंह भाटिया पिता स्व. आर. पी. एस. भाटिया, सुरेन्द्र राठी पिता लालचंद राठी, संतोश लोहाना पिता अ" गोक लोहाना	खसरा नं०- 15040/2, खसरा नं०- 15041/2	6.7574	2024
35.	सडडू	आस्क इन्फ्रास्ट्रेट इंडिया प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर अनुराग नत्थानी पिता कृष्ण कुमार, नत्थानी	खसरा नं०- 15054	1.1340	2024
36.	अमलीडीह	रामा विल्डकॉन भागीदार राजीव अग्रवाल पिता रामचंद्र अग्रवाल	खसरा नं०- 15058/2	7.6206	2024
37.	फुडहर	रामा विल्डकॉन द्वारा भागीदार राजीव अग्रवाल पिता स्व. रामचंद्र अग्रवाल	खसरा नं०- 15009/2	6.4431	2024
38.	लामाडी	श्री गंगाधर अग्रवाल पिता रामचन्द्र अग्रवाल	खसरा नं०- 213/3, खसरा नं०- 213/5, खसरा नं०- 213/7, खसरा नं०- 213/8, खसरा नं०- 213/10, खसरा नं०- 213/11, खसरा नं०- 215/1, खसरा नं०- 215/2, खसरा नं०- 215/3, खसरा नं०- 216/1, खसरा नं०- 216/2, खसरा नं०- 216/4, खसरा नं०- 223/8, खसरा नं०- 223/15, खसरा नं०- 223/20, खसरा नं०- 223/21, खसरा नं०- 223/33, खसरा नं०- 223/34, खसरा नं०- 223/35, खसरा नं०- 223/36, खसरा नं०- 223/37, खसरा नं०- 223/43, खसरा नं०- 223/51, खसरा नं०- 223/58, खसरा नं०- 223/64, खसरा नं०- 223/72, खसरा नं०- 223/73,	3.1170	2024
39.	पिरदा	पिरदा स्टेट संस्थान द्वारा भागीदार सजय रहेजा पिता प्रकाश चंद रहेजा, अमित अग्रवाल पिता स्व. बिमल कुमार अग्रवाल	खसरा नं०- 15017/1	21.1089	2024
40.	भांकरनगर	संसार विल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर सतेन्द्र अग्रवाल पिता स्व. बी.पी. अग्रवाल	खसरा नं०- 1203/3, खसरा नं०- 1203/4	0.40846	2024
41.	भांकरनगर	अजीत डेव्हलपर्स द्वारा भागीदार दिलेर सिंह होरा पिता जीत सिंह होरा	खसरा नं०- 1252/9	0.0930	2024
42.	बरोदा	मेट्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर्स द्वारा भागीदार रंजन कुमार नत्थानी पिता गोंविंद राम नत्थानी	खसरा नं०- 307/7	0.2090	2024
43.	डूण्डा	आरती इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड विल्डकॉन लि. द्वारा डायरेक्टर राजीव मुंदडा पिता कैला" नाथ मुंदडा	खसरा नं०- 394/1	0.2753	2024
44.	डूण्डा	आरती कालोनाइजर कंपनी द्वारा भागीदार राजेश अटलानी पिता स्व. गोलाराम अटलानी	खसरा नं०- 386/3, खसरा नं०- 386/10,	0.4590	2024
45.	डूण्डा	आरती कालोनाइजर कंपनी द्वारा भागीदार राजेश अटलानी पिता स्व. गोलाराम अटलानी	खसरा नं०- 15006	11.6610	2024


अनुपमा अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

46.	भांकरनगर	सुमीत इन्फार्कॉन प्रा.लि. द्वारा सुमीत ज्वेलर्स तृतीय माला ताहिर प्लाजा मालवीय रोड रायपुर द्वारा जाय. नमीत कांकरिया पिता सुरेश कांकरिया	खसरा नं०- 15001/5	0.1567	2024
47.	डूण्डा	आरती कालोनाईजर कंपनी पंडरी द्वारा भागीदार ऋभुराज अग्रवाल पिता राजीव अग्रवाल	खसरा नं०- 393/3, खसरा नं०- 388, खसरा नं०- 394/2	1.2210	2024
48.	रायपुरखास	मेसर्स फेण्ड कंस्ट्रक्सन द्वारा प्रोपाईटर नीलेश अग्रवाल पिता कपिल नारायण अग्रवाल	खसरा नं०-1902/19, खसरा नं०-1902/20, खसरा नं०-1902/76, खसरा नं०- 1902/77	0.3540	2024
49.	अमलीडीह	मेसर्स के.आर. क्रियेशन्स भागीदारी ; संस्था द्वारा भागीदारान पदम कुमार नागवानी पिता पदम कुमार नागवानी , नवीन कुमार नागवानी पिता हरजसराय नागवानी	खसरा नं०- 15070	0.4740	2024
50.	फुडहर	श्रीमती नीतू अग्रवाल पति अजय अग्रवाल	खसरा नं०- 26/4, खसरा नं०- 27/21, खसरा नं०- 27/22	0.2525	2024
51.	फुडहर	श्रीमती समता अग्रवाल पति संजय अग्रवाल	खसरा नं०- 26/3, खसरा नं०- 27/13, खसरा नं०- 27/17,	0.2525	2024
52.	सडडू	मेसर्स अपराजिता प्लान्टेड प्रा लि द्वारा डायरेक्टर भूमिका पिता डॉ जे के उपाध्याय	खसरा नं०- 7/221	0.2537	2024
53.	भाठागांव	मेसर्स यूनिफ टाउनशिप प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर राजू मिश्रा पिता एस. पी. मिश्रा	खसरा नं०- 674/6	0.1241	2024
54.	फुडहर	आख्या रियल एस्टेट प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर बी. चन्द्रशेखर अय्यर पिता जे. बालारमन, विवेक कुमार सिंघल पिता नागरमल सिंघल	खसरा नं०- 140/29, खसरा नं०- 140/33, खसरा नं०- 140/49, खसरा नं०- 140/55,	0.3043	2024
55.	अमलीडीह	रामा बिल्डकॉन द्वारा भागीदार राजेश अग्रवाल पिता रामचन्द्र अग्रवाल	खसरा नं०- 210/12, खसरा नं०- 250/71, खसरा नं०- 250/72	1.0612	2024
56.	कचना	एम्बियेंस इन्फा भागीदार उमेश अग्रवाल पिता दुर्गा प्रसाद अग्रवाल	खसरा नं०- 465/3	0.1470	2024
57.	भाठागांव	मेसर्स स्टार वैली बिल्डर्स इंडिया प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर बने सिंग यादव पिता भालगराम यादव	खसरा नं०- 15027/1	1.8680	2024
58.	लाभांडी	श्री गंगाधर अग्रवाल पिता रामचन्द्र अग्रवाल	खसरा नं०-305/2, खसरा नं०-305/3, खसरा नं०-305/4	0.5640	2024
59.	फुडहर	श्रीमती विनीता सराफ पति आशीष सराफ	खसरा नं०-4/45, खसरा नं०-27/23, खसरा नं०-27/24	0.4927	2024
60.	वेरियाकला	ताराचंद बिल्डटेक प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर	खसरा नं०- 21/5	0.3040	2025
61.	कोटा	श्री योगेन्द्र जैन पिता नरेन्द्र कुमार जैन, श्रीमती श्रद्धा जैन पति योगेन्द्र जैन	खसरा नं०-150/45	0.2572	2025
62.	लाभांडी	श्री सिध्दांत सरावगी पिता राकेश सरावगी	खसरा नं०- 48/11, खसरा नं०- 48/12, खसरा नं०- 48/13, खसरा नं०- 48/14	1.1340	2025
63.	मोवा	मेसर्स अजीत डेव्हलपर्स द्वारा भागीदार विपीन अग्रवाल पिता राम कुमार अग्रवाल , विकास पारख पिता लुनकरण पारख, भाा वत अग्रवाल पिता मुकेश कुमार अग्रवाल , मयंक डोलकिया पिता मुकेश कुमार डोलकिया	खसरा नं०- 15012/3 , खसरा नं०- 884/2 .	0.2158	2025
64.	लाभांडी	श्रीमती रानी सरावगी पति राजेश सरावगी	खसरा नं०- 15026/2	1.2334	2025
65.	भांकरनगर	ट्राइडेंट रियल्टी द्वारा भागीदार राघव अग्रवाल पिता विकास अग्रवाल	खसरा नं०- 15019	0.5310	2025
66.	जोरा	महेन्द्र स्ट्रीप्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर मनीश भट्टाचार्य पिता प्रशांत भट्टाचार्य	खसरा नं०- 289/4, खसरा नं०- 289/5	0.3140	2025
67.	दलदलसिवनी	पटेल डेव्लपर्स द्वारा भागीदार तुलसीदास पटेल पिता जयंती लाल पटेल, देवराम पटेल पिता मावजी भाई पटेल, कमला बेन पटेल पति हिम्मत लाल पटेल, मंजुला बेन पटेल पति पुरुशोत्तम पटेल, जगदीश पटेल पिता जयंती लाल पटेल, कुणाल पटेल पिता मनीलाल पटेल, मनीलाल पटेल पिता रामजी भाई पटेल, हिम्मत लाल पटेल पिता मावजी भाई पटेल, वासुदेव पटेल पिता खीमजी भाई पटेल मनीलाल पटेल पिता कानजी भाई पटेल, राघव पटेल पिता जगदीश पटेल, अशोक पटेल पिता देवसी भाई पटेल	खसरा नं०- 15015/2	1.3494	2025
68.	तुलसी	श्री अभिजीत अग्रवाल पिता विनय कुमार अग्रवाल	खसरा नं०- 469/11, खसरा नं०- 469/12	0.3887	2025
69.	वेरियाकला	लक्ष्मी फायनेंस एंड डेव्हलपर्स द्वारा भागीदार दीपिन मिरघानी पिता खेमचंद मिरघानी	खसरा नं०- 15016/3	5.4396	2025
70.	फुडहर	श्रीमती निशा अग्रवाल पति गोपाल प्रसाद अग्रवाल	खसरा नं०- 4/5, खसरा नं०- 4/44	0.5233	2025


 अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

71.	जोरा	श्रीमती सीमा अग्रवाल पति राजेश अग्रवाल	खसरा नं०- 137/13, खसरा नं०- 15005	0.4460	2025
72.	जोरा	श्रीमती चंदा चौरडिया पति मुकेश चौरडिया	खसरा नं०- 137/14, खसरा नं०- 15006	0.3890	2025
73.	सडडू	ए.आई.एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेव्हलपर्स द्वारा पार्टनर आनंद सिंघानिया पिता संतोश सिंघानिया	खसरा नं०- 15058/2	0.4347	2025
74.	पुरेना	श्रीमती कैलाश कुंवर चौहान पति विरेन्द्र सिंह चौहान	खसरा नं०- 362/44	0.2230	2025
75.	कचना	मेसर्स रामा लैण्ड डेव्हलपर्स भागीदार डॉ अशोक कुमार खेमका पिता स्व. हरिकिशन खेमका, तेज प्रकाश अग्रवाल पिता रूपनारायण अग्रवाल, संजय रहेजा पिता प्रकाशचंद रहेजा	खसरा नं०- 15064/2	7.9548	2025
76.	सडडू	स्वर्णम डेव्हलपर्स द्वारा भागीदार बृजेश साहू पिता मुटान राम साहू, सुनील साहू पिता स्व. भयामलाल साहू	खसरा नं०- 15059/2	1.9557	2025
77.	लामाडी	एम.एस. एम्बियेंस इन्फ्रा द्वारा भागीदार उमेश अग्रवाल पिता दुर्गा प्रसाद अग्रवाल	खसरा नं०- 15039/2	0.5586	2025
78.	कचना	श्री संजय अग्रवाल, राजीव अग्रवाल पिता स्व. रामचन्द्र अग्रवाल	खसरा नं०-15067	3.1340	2025
79.	टेमरी	श्रीमती उमा गोयल पति श्री संजय गोयल	खसरा नं०-375/5 (375/15)	0.6540	2025
80.	चिरहुलडीह	रामायणा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालक जगजीत सिंग दत्ता पिता स्व. हरभजन सिंग दत्ता	खसरा नं०-15000/2, खसरा नं०-798/3	1.6135	2025
81.	मोवा	फाचून इन्फ्रा सर्विसेस प्रा.लिमि. द्वारा डायरेक्टर पवन कुमार अग्रवाल पिता एस आर अग्रवाल	खसरा नं० 912/4	0.2970	2025
82.	भांकरनगर	मेसर्स संसार बिल्डकॉन प्रा.लि. डायरेक्टर सतेन्द्र अग्रवाल पिता स्व. बी.पी. अग्रवाल	खसरा नं०-15024/1	0.2770	2025
83.	फुडहर	ग्लोबल इन्फ्रा भागीदारी संस्थान द्वारा भागीदार बलदेव सिंह भाटीया पिता सुरजीत सिंह, भाटीया, प्रभतेज सिंह भाटीया पिता बलदेव सिंह भाटीया	खसरा नं०-157/2, खसरा नं०-15017/2	7.9833	2025
84.	अमलीडीह	मेसर्स शिवा होम्स प्रोपराईटर श्री मुरलीधर केवलानी पिता स्व. दीपचंद केवलानी	खसरा नं०-15049/2	0.3000	2025
85.	रायपुरा	ग्रीन वल्ड इन्फ्रा द्वारा अधिकृत भागीदार मंजू देवी पति रामबालक सिंह अन्य-2	खसरा नं०-15009	2.2030	2025
86.	कचना	मेसर्स महालक्ष्मी वेंचर्स द्वारा पार्टनर सतपाल सिंग भाटीया पिता गुलबीर सिंह भाटीया	खसरा नं० 15071	3.3050	2025
87.	कचना	फॉचून इन्फ्रा सर्विसेस प्रा लि द्वारा डाय पवन अग्रवाल पिता स्व. एस आर अग्रवाल	खसरा नं० 15070	0.8770	2025

अनुविभाग आरंग


01	बकतरा	मेसर्स प्रेसिडेंसी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिव्यांग गुप्ता पिता मनीश	खसरा नं० 15005 खसरा नं० 15007	0.373 9.07	2024
02	धनसुली	मेसर्स वेनुधर ट्रेडकॉम प्रा.लि. द्वारा संचालक सौरभ पिता भागितिलाल बरडिया	खसरा नं० 2/3 खसरा नं० 7 खसरा नं० 143/2 खसरा नं० 141/1	0.27 0.11 0.09 0.19	2024
03	बकतरा	मेसर्स प्रेसिडेंसी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिव्यांग गुप्ता पिता मनीश	खसरा नं० 15009	5.98	2025

अनुविभाग तिल्दा नेवरा

01	ससाहोली	डायरेक्टर शशांक अग्रवाल पिता सतीश अग्रवाल निवासी विला नं. 01 व्ही. आई. पी. स्टेट एलाइट विलास गोल्डन होम खम्हारडीह	खसरा नं० 15003	2.6131	2024
----	---------	---	----------------	--------	------

अनुविभाग अमनपुर

1	खिलोरा	मेसर्स गुलमोहर बाग भागीदार श्री रवि.आहूजा पता-निवासी - आनंद नगर रायपुर तहसील - रायपुर जिला - रायपुर	15001	5.745	2024
2	उरला	उरान इन्फार्मेटिक्स द्वारा पार्टनर उमेशचंद राठी पता-निवासी शांति नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर छोगा,	836/31	0.1116	2024
3	आमनेर	मेसर्स महागणपति डेव्हलपर्स वर्तमान भागीदार श्री अभित गोयल एवं अन्य पता-निवासी - जल विहार कालोनी रायपुर तहसील - रायपुर, जिला - रायपुर	948/1; 948/2 948/5; 948/6 949, 950, 951, 952; 953, 954/1; 954/2 954/5; 910 911/1, 934/1 934/2, 934/5, 935/1 935/2, 936 937, 938 939 941	4.408	2024


 अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

4	सिंगारभाठा	मेसर्स रामपुरिया बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्देशक श्री दिनेश रामपुरिया पता-निवासी - 11 रामपुरिया मेशन जी.ई. रोड नीयर अनुपम गार्डन दुगाजी कालोनी रायपुर तहसील - रायपुर, जिला - रायपुर	1515, 1558/2	0.220	2024
5	टेकारी	मेसर्स आर.बी.एस. रियल्टीज द्वारा भागीदार श्री राघवेंद्र चन्द्राकर निवासी रायपुर छोगा	618/1, 320/2, 732/1, 735/6, 736,747,749/1, 735/2, 735/3, 749/2, 749/3, 749/4, 749/6, 749/7, 749/8, 749/9	6.222	2024
6	सलौनी	ओम डेव्हलपर्स द्वारा पार्टनर श्री संतोष लोहाना पता-निवासी पवन विहार अमलीडीह रायपुर तहसील व जिला रायपुर छोगा,	255/42,253/4 253/5, 252/6, 255/14, 252/9, 252/10, 252/15, 252/1, 252/5, 252/20, 252/27, 252/30, 252/31, 252/37, 305/3, 252/12, 256/1, 253/2, 255/15, 249/1, 252/36, 252/11, 252/14, 252/16, 252/17, 252/18, 252/19, 252/21, 252/26, 252/35, 253/1, 256/2, 257, 299/2, 299/6, 304, 305/1, 305/4, 252/8, 253/21, 253/22, 255/41,	10.39	2025
7	छछानपैरी	शुभ ड्रीम होम्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा निर्देशक श्री संतोष लोहाना पता-निवासी पवन विहार अमलीडीह रायपुर तहसील व जिला रायपुर छोगा,	667/1, 667/2, 667/5, 667/6, 667/3, 698/2, 667/7, 667/8, 667/13, 669/8, 694/2, 694/4, 694/5, 694/7, 694/8, 694/9, 695/1, 697/3, 697/4, 700/5, 703/2, 697/1, 697/2, 692/4, 702/3, 702/4, 700/3, 669/7, 684/1, 700/2, 701/6, 704/1, 667/11, 697/5, 697/6, 697/7, 694/1,	7.866	2025
8	खिलोरा	एक्टेलान रियल स्टेट एल0एल0पी0 द्वारा भागीदार श्री दीपक रहेजा पता-निवासी बगडिया मेशन ग्राउंड फ्लोर जवाहर नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर छोगा,	510/1 का भाग	0.120	2025
9	खिलोरा	एक्टेलान रियल स्टेट एल0एल0पी0 द्वारा भागीदार श्री दीपक रहेजा पता-निवासी बगडिया मेशन ग्राउंड फ्लोर जवाहर नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर छोगा,	510/3 का भाग	0.100	2025
10	खिलोरा	एक्टेलान रियल स्टेट एल0एल0पी0 द्वारा भागीदार श्री दीपक रहेजा पता-निवासी बगडिया मेशन ग्राउंड फ्लोर जवाहर नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर छोगा,	509/2	0.100	2025
11	खिलोरा	एक्टेलान रियल स्टेट एल0एल0पी0 द्वारा भागीदार श्री दीपक रहेजा पता-निवासी बगडिया मेशन ग्राउंड फ्लोर जवाहर नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर छोगा,	510/4 का भाग	0.100	2025
12	खिलोरा	एक्टेलान रियल स्टेट एल0एल0पी0 द्वारा भागीदार श्री दीपक रहेजा पता-निवासी बगडिया मेशन ग्राउंड फ्लोर जवाहर नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर छोगा,	510/3	0.100	2025
13	खिलोरा	एक्टेलान रियल स्टेट एल0एल0पी0 द्वारा भागीदार श्री दीपक रहेजा पता-निवासी बगडिया मेशन ग्राउंड फ्लोर जवाहर नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर छोगा,	509/2	0.030	2025
14	खिलोरा	एक्टेलान रियल स्टेट एल0एल0पी0 द्वारा भागीदार श्री दीपक रहेजा पता-निवासी बगडिया मेशन ग्राउंड फ्लोर जवाहर नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर छोगा,	510/1 का भाग	0.120	2025
15	खिलोरा	एक्टेलान रियल स्टेट एल0एल0पी0 द्वारा भागीदार श्री दीपक रहेजा पता-निवासी बगडिया मेशन ग्राउंड फ्लोर जवाहर नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर छोगा,	510/4	0.030	2025

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर रायपुर

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पारिशेष - पेंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 1283) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जल संसाधन विभाग में प्रथम/द्वितीय श्रेणी के स्वीकृत, भरे व रिक्त पद की जानकारी

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत्	रिक्त	अभियुक्ति
01	02	03	04	05	06
	प्रथम श्रेणी				
1	प्रमुख अभियंता	01	00	01	
2	मुख्य अभियंता	08	00	08	
3	वित्त नियंत्रक	01	01	00	
4	अधीक्षण अभियंता (नाग.)	30	27	03	प्रतिनियुक्ति रक्षित पद जोड़कर
5	अधीक्षण अभियंता (वि./यां.)	03	03	00	
6	कार्य.अभि./उप संचालक (नाग.)	111	92	19	प्रतिनियुक्ति रक्षित पद जोड़कर
7	कार्य.अभि. (वि./यां.)	13	11	02	प्रतिनियुक्ति रक्षित पद जोड़कर
8	उपसंचालक (वित्त)	01	02	+01	
9	वरिष्ठ लेखाधिकारी	07	07	00	
10	अनुसंधान अधिकारी	05	05	00	
11	यांत्रिकीय प्रशासकीय अधिकारी	06	06	00	
12	वरिष्ठ भू-जल विद्/वरिष्ठ भू-विद्/भू-गर्भ शास्त्री	04	02	02	
13	वरिष्ठ भू-भौतिक विद्	01	00	01	
14	वरिष्ठ भू-रसायन विद्	01	00	01	
15	कार्य.अभि./उपसंचालक/ भू-विज्ञानी (प्रतिनियुक्ति)	03	00	03	
	द्वितीय श्रेणी				
1	सहा. अभि (नाग.)	540	444	96	प्रतिनियुक्ति रक्षित पद जोड़कर
2	सहा. अभि (वि./यां.)	59	52	07	प्रतिनियुक्ति रक्षित पद जोड़कर
3	प्रोग्रामर	01	00	01	
4	सांख्यिकीय अधिकारी	01	00	01	
5	नहर प्रतिसमाहर्ता	04	01	03	
6	सहायक अनुसंधान अधिकारी	16	10	06	
7	भू-अर्जन अधिकारी	08	00	08	
8	सहा. भू-जल विद्/सहा. भू-विद्	11	06	05	
9	सहा. भू-भौतिकी	02	01	01	
10	सहा. भू-रसायन विद्	02	00	02	
11	सहा. रसायनद	02	00	02	

Digitally signed by
VIDYA BHARTIDate: 02-03-2026 अवर सचिव
18:19:25छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग

संविदा पर नियुक्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों का विवरण

स.क्र.	नाम	पदनाम	संविदा नियुक्ति तिथि	संविदा नियुक्ति कार्यग्रहण तिथि	संविदा नियुक्ति समाप्ति तिथि
01	02	03	04		05
1	श्री इन्द्रजीत उइके	प्रमुख अभियंता	07-01-2026	07-01-2026	06-04-2026
2	श्री प्रसून कुमार शर्मा	अधीक्षण अभियंता	10-09-2025	15-09-2025	14-09-2026
3	श्री कुबेर सिंह गुरूवर	मुख्य अभियंता	03-09-2025	06-10-2025	05-10-2026
4	श्री एस.व्ही. भागवत	मुख्य अभियंता	11-08-2025	13-08-2025	12-08-2026
5	श्री जनक राम पटेल	कार्यपालन अभियंता	05-02-2026	28-02-2026	27-02-2027
6	श्री एल.एल. अहिरवार	कार्यपालन अभियंता	21-03-2025	24-03-2025	23-03-2026
7	श्री हेम सिंह ध्रुव	कार्यपालन अभियंता (वि./यां.)	30.01.2026	30-01-2026	29.01.2027
8	श्री ज्ञानी सिंह लिल्हारे	सहायक अभियंता	25-08-2025	26-08-2025	25-08-2026

Digitally signed by

VIDYA BHARTI

Date: 02-03-2026

18:20:26 सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग

पारिशेष - छेसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 1329) की जानकारी

प्रपत्र

राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से
दिनांक 31.01.2026 तक आबंटित बजट के विरुद्ध व्यय एवं समर्पण राशि की जानकारी
(राशि रूपये में)

क्र.	बजट मद	वित्तीय वर्ष	बजट आबंटन	वर्षान्त में व्यय की स्थिति	समर्पण राशि	रिमार्क
1	(1859) - राज्य वन अनुसंधान की स्थापना	2021-22	30150000	28018812	2131188	वर्षान्त तक व्यय नहीं होने के कारण
2	(5089) राज्य में वानिकी अनुसंधान योजनांतर्गत विभिन्न वानिकी एवं अनुसंधान कार्य		770000	661672	108328	
3	(6218) भवनों का मरम्मत		100000	88650	11350	
योग :-			31020000	28769134	2250866	
1	10-2406 (1859) - राज्य वन अनुसंधान की स्थापना	2022-23	40237000	33830559	6406441	वर्षान्त तक व्यय नहीं होने के कारण
2	10-4406 (1859) राज्य वन अनुसंधान की स्थापना अंतर्गत पूंजीगत व्यय		3000000	0	3000000	
3	10-2406 (3877) क्षेत्रीय वनमण्डल		300000	5000	295000	
4	10-2406 (5089) राज्य में वानिकी अनुसंधान योजनांतर्गत विभिन्न वानिकी एवं अनुसंधान कार्य		3063000	583610	2479390	
योग :-			46600000	34419169	12180831	
1	(1859) - राज्य वन अनुसंधान की स्थापना	2023-24	46234000	31809754	14424246	वर्षान्त तक व्यय नहीं होने के कारण
2	10-4406 (1859) राज्य वन अनुसंधान की स्थापना अंतर्गत पूंजीगत व्यय		3750000	0	3750000	
3	10-2406 (3877) क्षेत्रीय वनमण्डल		4738000	2602561	2135439	
4	10-2406 (5089) राज्य में वानिकी अनुसंधान योजनांतर्गत विभिन्न वानिकी एवं अनुसंधान कार्य		3622000	523263	3098737	
योग :-			58344000	34935578	23408422	
1	(1859) - राज्य वन अनुसंधान की स्थापना	2024-25	48560000	40896415	7663585	वर्षान्त तक व्यय नहीं होने के कारण
2	10-4406 (1859) राज्य वन अनुसंधान की स्थापना अंतर्गत पूंजीगत व्यय		3001000	853649	2147351	
3	10-2406 (3877) क्षेत्रीय वनमण्डल		1900000	1685392	214608	
4	10-2406 (5089) राज्य में वानिकी अनुसंधान योजनांतर्गत विभिन्न वानिकी एवं अनुसंधान कार्य		3146000	1188905	1957095	
5	13-2401 (7947) एन.एम.एस.ए. अंतर्गत पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन		3348000	0	3348000	
6	41-2401 (7947) एन.एम.एस.ए.		1632000	0	1632000	

क्र.	बजट मद	वित्तीय वर्ष	बजट आबंटन	वर्षान्त में व्यय की स्थिति	समर्पण राशि	रिमार्क
	अंतर्गत पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन					
7	64-2401 (7947) एन.एम.एस.ए. अंतर्गत पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन		1020000	0	1020000	
योग :-			62607000	44624361	17982639	
1	(1859) - राज्य वन अनुसंधान की स्थापना	2025-26 (31.01.26 तक)	49944000	35445261	0	वर्ष 2025-26 अभी समाप्त नहीं हुआ है ।
2	10-4406 (1859) राज्य वन अनुसंधान की स्थापना अंतर्गत पूंजीगत व्यय		3000000	512000	0	
3	10-2406 (3877) क्षेत्रीय वनमण्डल		2200000	939231	0	
4	10-2406 (2900) अभ्यारण्य क्षेत्र		360000	349973	0	
5	10-2406 (5089) राज्य में वानिकी अनुसंधान योजनांतर्गत विभिन्न वानिकी एवं अनुसंधान कार्य		6495000	1859326	0	
6	10-4406 (5089) राज्य में वानिकी अनुसंधान योजनांतर्गत विभिन्न वानिकी एवं अनुसंधान कार्य		100000	42516	0	
7	13-2401 (7947) एन.एम.एस.ए. अंतर्गत पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन		1328520	0	0	
8	41-2401 (7947) एन.एम.एस.ए. अंतर्गत पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन		820880	0	0	
9	64-2401 (7947) एन.एम.एस.ए. अंतर्गत पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन		583000	0	0	
योग :-			64831400	39148307		
महायोग :-			263402400	181896549	55822758	



 अनुभाग आधिकारी
 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, जटल नगर

प्रपत्र "अ"

कार्यालय कलेक्टर, जिला मोहला-मानपुर-अं. चौकी (छ.ग.)

जिला मोहला-मानपुर-अं. चौकी अंतर्गत तहसील कार्यालयों में स्वीकृत पदों की जानकारी

क्र.	पद का विवरण	तहसील कार्यालय मोहला		तहसील कार्यालय मानपुर		तहसील कार्यालय अं. चौकी		तहसील कार्यालय औधी		तहसील कार्यालय खडगांव		महायोग	
		स्वीकृत पद	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7
1	तहसीलदार	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
2	नायब तहसीलदार	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8
3	सहायक प्रेड-2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	21
4	सहायक प्रेड-3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	27
5	स्टेनो टायपिस्ट	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
6	वाहन चालक	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
7	जमादार माल	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
8	चौकीदार	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
9	पृत्य	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14
10	फर्शा	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
11	प्रोसेस सर्वर	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
12	स्वीपर अशकालीन	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
कुल योग :-		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	103



अनुभाग अधिकारी
रजिस्ट्रार एवं आस्था प्रबंधन विभाग
मोहला, नया शानपुर, जिला मुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव (छ.ग.)

जिला राजनांदगांव अंतर्गत तहसील कार्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	पद का विवरण	राजनांदगांव		तहसील कार्यालय डोंगरगांव		तहसील कार्यालय डोंगरगांव		तहसील कार्यालय धुरिया		तहसील कार्यालय लाल बहादुर नगर		तहसील कार्यालय कुमरदा		तहसील कार्यालय घुमका		उप तहसील कार्यालय घुमका			महायोग			अन्य विवरण									
		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	तहसीलदार	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1 तहसीलदार तहसील कुमरदा में कार्यरत है, जिनका जैन पुनर्दान तहसील धुरिया से किया जा रहा है।	
2	अतिरिक्त तहसीलदार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 नायब तहसीलदार तहसील कुमरदा में कार्यरत है, जिनका जैन पुनर्दान तहसील धुरिया से किया जा रहा है।	
3	नायब तहसीलदार	4	4	0	2	3	-1	2	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	12	13	-1	1 नायब तहसीलदार तहसील कुमरदा में कार्यरत है, जिनका जैन पुनर्दान तहसील धुरिया से किया जा रहा है।		
4	सहायक ग्रेड-2	6	6	0	5	5	0	5	5	0	3	3	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	23	22	1	1 सहायक ग्रेड-3 तहसील कुमरदा में कार्यरत है, जिनका जैन पुनर्दान तहसील धुरिया से किया जा रहा है।	
5	सहायक ग्रेड-3	14	6	8	5	3	2	5	3	2	6	3	3	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	38	20	18	1 सहायक ग्रेड-3 तहसील कुमरदा में कार्यरत है, जिनका जैन पुनर्दान तहसील धुरिया से किया जा रहा है।	
6	स्टेनो टायपिस्ट	3	1	2	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	4		
7	वाहन चालक	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4		
8	माल जमादार	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2		
9	भृत्य	6	6	0	4	4	0	4	3	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	18	16	2		
10	फरॉश	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1		
11	प्रोसेस सर्वर	3	0	3	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	चीकीदार	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
14	स्वीपर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
15	स्वीपर (अशकालीन)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3		
	योग :-	43	24	19	25	19	6	25	16	9	13	10	3	14	5	9	0	0	0	0	0	0	0	11	9	2	131	86	45		

टीप :-1. राजनांदगांव जिले के लिए तहसीलदार का 01 एवं नायब तहसीलदार का 03 नवीन पद सृजित किया गया है।

2. तहसील कुमरदा एवं घुमका का पद सेट-अप स्वीकृत नहीं हुआ है।

3. श्री अमीय श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर प्रमारी तहसीलदार, लाल बहादुर नगर के पद पर कार्यरत है।

(Handwritten Signature)

अनुमान अधिकारी

राज्य एवं आंध्र प्रदेशन भिजा
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र "ब"

कार्यालय कलेक्टर, जिला मोहला-गानपुर-अं. चौकी (छ.ग.)

जिला मोहला-गानपुर-अं. चौकी अंतर्गत तहसील कार्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	पद का विवरण	तहसील कार्यालय मोहला			तहसील कार्यालय गानपुर			तहसील कार्यालय अं. चौकी			तहसील कार्यालय खडगांव			महायोग			अन्य विवरण			
		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	तहसीलदार	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	5	4	1	01 निलंबित 01 मातुल अवकाश पर है।
2	नायब तहसीलदार	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	0	1	1	1	1	8	4	4	
3	सहायक ग्रेड-2	5	1	4	5	4	1	5	4	1	3	1	2	3	0	3	21	10	11	
4	सहायक ग्रेड-3	5	3	2	5	3	2	5	1	4	6	0	6	6	0	6	27	7	20	
5	स्टेनो टाइपिस्ट	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	5	2	3	
6	वाहन चालक	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	5	0	5	
7	जमादार माल	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	
8	चीकीदार	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
9	भृत्य	4	3	1	4	3	1	4	3	1	1	0	1	1	0	1	14	9	5	
10	फर्शा	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
11	प्रोसेस सर्वर	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	6	
12	स्वीपर अंशकालीन	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
	कुल योग :-	25	9	16	25	12	13	25	12	13	14	2	12	14	2	12	103	37	66	

27/3

सुभाष ललितानी

सहाय एवं अध्यापक प्रबंधन विभाग
मोहला, गानपुर, अं. चौकी, अटल नगर (छ.ग.)

पारिशेष्य - अड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 1341) की जानकारी

"प्रपत्र"

स. क्र.	पट्टेदार का नाम/संस्था का नाम/फर्म का नाम एवं पता	ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम	खनिज का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	स्वीकृति दिनांक	अवधि	अनुमोदित खनन योजना अनुसार गहराई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जिला राजनांदगांव								
1.	लैण्डमार्क रॉयल इजी. (इंडिया) प्रा. लि. डायरेक्टर श्री वरुण जैन पता मकान नं. 78 रिद्धी सिद्धी कालोनी, राजनांदगांव	चिरचारीकला	छुरिया	साधारण पत्थर	1033 में से, 1031/1 में से, 1031/2, 1036/7, 1036/5 में से, 1036/1, 1036/3 में से, 1036/9	1.121	03.11.2022	19.12.2022 से 18.12.2052 तक	18 मीटर
2.	श्री हितेन्द्र सिंह बग्गा आ. श्री जसबीर सिंह बग्गा पता 22/42 सिनेमा लाईन, मानव मंदिर चौक, राजनांदगांव	डुमरडीह कला	डोंगरगाढ़	चूना पत्थर	117 का भाग	2.773	20.01.2023	31.01.2023 से 30.01.2053 तक	39 मीटर
3.	महानिधि माईन्स एण्ड मिनरल्स प्रा. लि. डायरेक्टर श्री गौरव सिंह ठाकुर व श्री शिविदास पता वंसुधरा नगर भिलाई 03, जिला दुर्ग	विचारपुरनवा गाव	डोंगरगांव	साधारण पत्थर	235/3 का भाग	1.214	06.02.2023	27.02.2023 से 26.02.2053 तक	21 मीटर
4.	श्री राजेश चंद्राकर आ. स्व. चमनलाल चंद्राकर पता एम. आई. जी 312, पदमनाभपुर दुर्ग	मुढीपार	राजनांदगांव	चूना पत्थर	311 का भाग, 312 का भाग	1.064	31.01.2023	24.03.2023 से 23.03.2053	30 मीटर
5.	मेसर्स भारत बिल्डर्स प्रो. श्रीमती शांती देवी निवासी सदर लाईन, डोंगरगांव	परना	डोंगरगांव	चूना पत्थर	33/6 का भाग, 33/7 का भाग, 36/4 का भाग, 36/3 का भाग, 33/2	1.266	21.04.2023	22.05.2023 से 21.05.2053 तक	27 मीटर

स. क्र.	पट्टेदार का नाम/संस्था का नाम/फर्म का नाम एवं पता	ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम	खनिज का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	स्वीकृति दिनांक	अवधि	अनुमोदित खनन योजना अनुसार गहराई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	मेसर्स आर.डी. मिनरल्स प्रो. राहुल गोलछा पता बालगोविंद चौक राजनांदगांव	बनहरदी	डोंगरगांव	चूना पत्थर	328/2, 328/3, 328/4, 328/5, 329/1	1.041	25.05.2023	29.05.2023 से 28.05.2053 तक	27 मीटर
7.	श्री वैभव सलुज आ. श्री बी आर सलुजा निवासी रायपुर	धामनसरा	राजनांदगांव	साधारण रेत	79 का भाग	2.100	06.03.2024	07.03.2024 से 06.03.2029	2 मीटर
8.	मेसर्स सुजाता मिनरल्स प्रो. श्रीमती सुजाता डाकलिया ध.प. रमेश डाकलिया निवासी सहदेव नगर राजनांदगांव	रामपुर	डोंगरगांव	चूना पत्थर	78/9, 78/10, 78/11, 79 का भाग, 439/2 का भाग, 439/9	1.207	01.01.2025	20.01.2025 सं 19.01.2055 तक	6 मीटर
9.	श्री भीषम कुमार चक्रधारी आ. श्री मोहन लाल चक्रधारी पता गंजपारा दुर्ग	मोखली	डोंगरगांव	चूना पत्थर	106/1, 4, 107/1, 2, 3, 116/3, 4	2.106	01.09.2025	08.09.2025 से 07.09.2055 तक	27 मीटर
जिला मोहला—मानपुर—अं.चौकी									
1	मेसर्स महावीर इंडिया प्राइवेट लिमि. श्री सुनील पता शाप नं. 02 नगर निगम कॉम्प्लेक्स गंज चौक राजनांदगांव	नीचेकोहडा	अं. चौकी	साधारण पत्थर	490/1,490/ 2,490/3,491 /1,491/2,4 92,493,495 व 453/3	2.750	03.10.2023	06.10.2023 से 05.10.2053 तक	15 मी.
2	खेतहाराम आ श्री दशरथ राम पता ग्राम दनिया तहसील छुईखदान जिला राजनांदगांव	जबकसा	मानपुर	साधारण पत्थर	139, 140/2, 140/4, 140/5, 141/1	3.779	03.10.2023	06.10.2023 से 05.10.2053 तक	15 मी.

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 01-03-2026
16:31:24



ii =

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

RPCD.No.RF.BC.71/07.38.01/98-99

February 25, 1999

All State and Central Co-operative Banks

Dear Sir,

Operation of Bank Accounts by Old/Sick/Incapacitated Customers

The question of extending a suitable facility to old/sick/incapacitated bank customers for operation of their bank accounts etc. has been engaging our attention for some time. It has been decided to extend certain facilities to account holders who are sick/old/incapacitated and who are not willing to open and operate joint accounts (by which the problem could be solved).

2. The cases of sick/old/incapacitated account holders fall into the following categories:

a) An account holder who is too ill to sign a cheque/cannot be physically present in the bank to withdraw money from his bank account but can put his/her thumb impression on the cheque/withdrawal form and

b) An account holder who is not only unable to be physically present in the bank but is also not even able to put his/her thumb impression on the cheque/withdrawal form due to certain physical defect/ incapacity.

3. With a view to enabling the old/sick/incapacitated account holders to operate their bank accounts, banks may follow the procedure as under:-

a) Wherever thumb or toe impression of the sick/old/incapacitated account holder is obtained, it should be identified by two independent witnesses known to the bank, one of whom should be a responsible bank official

b) Where the customer cannot even put his/her thumb impression and also would not be able to be physically present in the bank, a mark can be obtained on the cheque/withdrawal form which should be identified by two independent witnesses, one of who should be a responsible bank official.

4. The customer may asked to indicate to the bank as to who would withdraw the amount from the bank on the basis of cheque/withdrawal form as obtained above and that person should be identified by two independent witnesses. The person who would be actually drawing the money from the bank should be asked to furnish his signature to the bank.

5. In this context, the opinion obtained by the Indian Bank's Association from their consultant on the question of opening of a bank account of a person who had lost both his hands and could not sign the cheque/withdrawal form is given in the Annexure.

6. Please acknowledge receipt to the concerned Regional Office.

Yours faithfully,

Sd/-
(R.M. JOSHI)
General Manager

परिशेष - सत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 1346) की जानकारी

प्रपत्र

क्रमांक	वर्ष	जिला का नाम	जांच कार्यवाही	चालानी/ दण्डात्मक कार्यवाही राजस्व वसूली (वसूल शमन शुल्क)
1	2023	सरगूजा	6318	10746400
		जशपुर	3468	6558500
		रायगढ़	18024	61009009
2	2024	सरगूजा	6135	11322900
		जशपुर	3224	5595100
		रायगढ़	15029	53690192
3	2025	सरगूजा	8407	14305400
		जशपुर	3314	6173200
		रायगढ़	18002	61524119

कुल 81921 वाहनो पर चालानी/दण्डात्मक कार्यवाही की जाकर रू. 230924820 की शासकीय राजस्व की वसूली की गई।

अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

अविवादित नामांतरण प्रकरण


क्रमांक	न्यायालय का नाम	कुल दर्ज	लंबित	समयसीमा के अंदर	समयसीमा के बाहर (राजस्व न्यायालय में)
1	जशपुर	554	82	62	20
2	बगीचा	885	216	174	42
3	मनोरा	180	43	37	06
4	सन्ना	243	60	33	27
	कुल:-	1862	401	306	95

विवादित नामांतरण प्रकरण

क्रमांक	तहसील का नाम	कुल दर्ज	लंबित	समयसीमा के अंदर	समयसीमा के बाहर
1	जशपुर	117	47	25	22
2	बगीचा	60	13	07	06
3	मनोरा	71	27	14	13
4	सन्ना	38	18	15	03
	कुल:-	286	105	61	44

सीमांकन प्रकरण

क्रमांक	तहसील का नाम	कुल दर्ज	लंबित	समयसीमा के अंदर	समयसीमा के बाहर
1	जशपुर	151	88	33	55
2	बगीचा	110	63	19	44
3	मनोरा	37	28	17	11
4	सन्ना	16	15	15	0
	कुल:-	314	194	84	110


 अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - बहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 1492) की जानकारी

"प्रपत्र"

बस्तर संभागांतर्गत जिले का नाम	अवैध उत्खनन (दर्ज प्रकरणों की संख्या)		अवैध स्टॉकिंग/ भण्डारण (दर्ज प्रकरणों की संख्या)		अवैध परिवहन (दर्ज प्रकरणों की संख्या)		वसूल की गई राशि		रिमार्क
	2024-25	2025-26 (31.01.2026 स्थिति में)	2024-25	2025-26 (31.01.2026 स्थिति में)	2024-25	2025-26 (31.01.2026 स्थिति में)	2024-25	2025-26 (31.01.2026 स्थिति में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बस्तर	26	27	6	9	172	126	7701623	8828439	
नारायणपुर	0	3	0	0	13	24	178286	526192	
कांकेर	6	5	2	11	134	97	3457178	4935844	
कोण्डागांव	1	2	3	1	26	30	1118784	641008	वर्ष 2025-26 में अवैध उत्खनन के 02 प्रकरण न्यायालय कलेक्टर कोण्डागांव में प्रक्रियाधीन हैं।
दंतेवाड़ा	8	2	7	3	48	32	4301070	1000084	वर्ष 2025-26 में अवैध उत्खनन के 01 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं।
सुकमा	1	0	3	3	22	11	1981482	4599585	
बीजापुर	2	1	9	0	13	14	1360814	418240	

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 01-03-2026
15:23:41

परीशिष्ट - तिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 1494) की जानकारी				प्रपत्र
जिला बस्तर में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति / परिवार की जानकारी जिन्हें आर्थिक अनुदान सहायता देना शेष है, की जानकारी				
स० क्र०	तहसील का नाम	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	पीड़ित व्यक्ति / परिवारों की संख्या जिन्हें सहायता दिया जाना शेष है
1	2	3	4	5
1	तोकापाल	सालेपाल	सालेपाल	1
		छापरभानपुरी	छापरभानपुरी	1
2	जगदलपुर	पण्डरीपानी	पण्डरीपानी	1
		आसना	आसना	1
		नगर पालिका निगम जगदलपुर	धरमपुरा	1
		नगर पालिका निगम जगदलपुर	धरमपुरा	1
		नगर पालिका निगम जगदलपुर	अटल बिहारी बाजपेयी	1
		कालीपुर	कालीपुर	1
		कालीपुर	कालीपुर	1
		नगर पालिका निगम जगदलपुर	अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड क्र. 38	1
		कुम्हारावण्ड	कुम्हारावण्ड	1
		नगर पालिका निगम जगदलपुर	पथरागुड़ापारा	1
		नगर पालिका निगम जगदलपुर	पनारापारा प्रवीण वार्ड नारायण मंदिर के पास जगदलपुर	1
		मगडूकचोरा	मगडूकचोरा	1
		धुरगुड़ा	धुरगुड़ा	1
3	करपावण्ड	डिमरापाल	डिमरापाल	1
		डिमरापाल	डिमरापाल	1
		छिन्दगाव	छिन्दगाव	1
4	बस्तर	लामकेर	लामकेर	1
		बस्तर	बस्तर	1
		भोण्ड	भोण्ड	1
		रोतमा	रोतमा	1
		भोण्ड	भोण्ड	1
5	भानपुरी	नारायणपाल	नारायणपाल	1
6	बारतानार	कोड़ेनार	कोड़ेनार	1
		छोटेकिलेपाल	आदवाल	1
योग :-				26

परीशेष - चोहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 1504) की जानकारी

प्रश्न-प्रश्न-क, 'ख' एवं 'ग' की जानकारी

वर्ष	जिला का नाम	वनमण्डल/ कार्यालय का नाम	परिक्षेत्र का नाम	योजना / मद का कर्मांक एवं नाम	रोपण का रकबा (हे.मै)	वृक्षारोपण (कि.मी. मै)	रोपित पौधों की संख्या	स्वीकृत राशि (रु. मै)	व्यय राशि (रु. मै)	रोपित पौधों में से वर्तमान में जीवित पौधों की संख्या	जीवित पौधों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021-22	बीजापुर	बीजापुर	भैरमगढ़	कैम्पा	74.480	0	9194	4390500	4255525	6583	71.60
2021-22	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर	मनरेगा योजना	20.000	0	1000	771500	214000	610	61.00
2021-22	बीजापुर	इ.टा.रि., बीजापुर	मददेड़ बफर	कैम्पा योजना (मद 1-सी.ए. प्लानटेशन 1.6-006) एलिगेण्डा खसरा नं. 7/10.7/11, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	1.945	0	2150	83400	83380	1505	70.00
2021-22	बीजापुर	इ.टा.रि., बीजापुर	मददेड़ बफर	कैम्पा योजना (मद 1-सी.ए. प्लानटेशन 1.6-006) कक्षा क. 808 उल्लूर, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	4.000	0	4400	154600	154500	3124	71.00
2021-22	बीजापुर	इ.टा.रि., बीजापुर	मददेड़ बफर	कैम्पा योजना (मद 1-सी.ए. प्लानटेशन 1.6-006) कक्षा क. 794 सकनापल्ली, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	3.000	0	3300	206100	206100	2343	71.00
2021-22	बीजापुर	इ.टा.रि., बीजापुर	मददेड़ बफर	कैम्पा योजना (मद 2-2. 11-001) मोदकपाल/698, फलदार वृक्षारोपण	10.000	0	4000	380000	380000	2840	71.00
2021-22	बीजापुर	इ.टा.रि., बीजापुर	मददेड़ बफर	कैम्पा योजना (मद 2-2. 11-001) सोमनपल्ली/870, फलदार वृक्षारोपण	10.000	0	4000	380000	379860	2801	70.03
2021-22	बीजापुर	इ.टा.रि., बीजापुर	मददेड़ बफर	कैम्पा योजना (मद 2-2. 11-001) रुद्रारम/821, फलदार वृक्षारोपण	10.000	0	4000	380000	379943	2809	70.23
2021-22	बीजापुर	इ.टा.रि., बीजापुर	मददेड़ बफर	कैम्पा योजना (मद 2-2. 11-001) रुद्रारम/824, फलदार वृक्षारोपण	10.000	0	4000	380000	379990	2850	71.25
2021-22	बीजापुर	इ.टा.रि., बीजापुर	मददेड़ बफर	कैम्पा योजना (मद 2-2. 11-001) मोपालपटनम/804, फलदार वृक्षारोपण	10.000	0	4000	380000	379843	2800	70.00

वर्ष	जिला का नाम	वनमण्डल/ कार्यालय का नाम	परिक्षेत्र का नाम	योजना / मद का क्रमांक एवं नाम	रोपण का रकबा (हे.मी)	वृक्षारोपण (कि.मी. मी)	रोपित पौधों की संख्या	स्वीकृत राशि (रु. मी)	व्यय राशि (रु. मी)	रोपित पौधों में से वर्तमान में जीवित पौधों की संख्या	जीवित पौधों का प्रतिशत
1	बीजापुर	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021-22	बीजापुर	इ.टा.रि., बीजापुर	मददेड़ बफर	कैम्पा योजना (मद 2-2, 11-001) भोपालपट्टनम्/805, फलदार वृक्षारोपण	10.000	0	4000	380000	379730	2805	70.13
2021-22	बीजापुर	इ.टा.रि., बीजापुर	बीजापुर बफर	कैम्पा योजना (मद 2-2, 11-001) ओ.ए. 1126, फलदार वृक्षारोपण	10.000	0	4000	380000	380000	3217	80.43
2021-22	बीजापुर	इ.टा.रि., बीजापुर	बीजापुर बफर	कैम्पा योजना (मद 2-2, 11-001) ओ.ए. 1131, फलदार वृक्षारोपण	10.000	0	4000	380000	380000	3218	80.45
2022-23	बीजापुर	बीजापुर	मददेड़	योग 2021-22 :- कैम्पा	183.425	0	52044	8646100	7952871	37505	72.06
2022-23	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर	कैम्पा	20.000	0	8000	1281800	1275482	5638	70.48
2022-23	बीजापुर	बीजापुर	भोपालपट्टनम्	कैम्पा	20.000	0	8000	1281800	1280236	6405	80.06
2022-23	बीजापुर	बीजापुर	भोपालपट्टनम्	कैम्पा	40.000	0	16000	2564600	2564266	11520	72.00
2022-23	बीजापुर	बीजापुर	भोपालपट्टनम्	कैम्पा	10.000	0	4000	3902000	3892039	3440	86.00
2022-23	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर	कैम्पा	10.000	0	4000	1688000	1633890	3216	80.40
2022-23	बीजापुर	बीजापुर	आवापल्ली	मनरेगा योजना	0.000	20	4000	3440000	2335000	2812	70.30
2022-23	बीजापुर	बीजापुर	मददेड़	मनरेगा योजना	0.000	30	6000	5661000	1025000	4206	70.10
2022-23	बीजापुर	बीजापुर	भोपालपट्टनम्	मनरेगा योजना	0.000	22	4400	3703000	2362000	3093	70.30
2022-23	बीजापुर	बीजापुर	भोपालपट्टनम्	मनरेगा योजना	0.000	8	1600	1467000	647000	1121	70.06
2022-23	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर	जिला खनिज न्यास निधि योजना	0.800	0	500	3534000	3137480	486	97.20
2022-23	बीजापुर	बीजापुर	भैरमगढ़	जिला खनिज न्यास निधि योजना	0.400	0	245	2067000	1773112	196	80.00
2022-23	बीजापुर	बीजापुर	भैरमगढ़	योग 2022-23 :-	101.200	80	56745	30590200	21925505	42133	74.25

वर्ष	जिला का नाम	वनमण्डल / कार्यालय का नाम	परिक्षेत्र का नाम	योजना / मद का कमांक एवं नाम	रोपण का रकबा (हे.मी)	वृक्षारोपण (कि.मी. मी)	रोपित पौधों की संख्या	स्वीकृत राशि (रु. मी)	व्यय राशि (रु. मी)	रोपित पौधों में से वर्तमान में जीवित पौधों की संख्या	जीवित पौधों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023-24	बीजापुर	बीजापुर	भैरसाढ़	कैम्पा	1.000	0	200	400000	400000	170	85.00
2023-24	बीजापुर	बीजापुर	भैरसाढ़	कैम्पा	1.000	0	200	400000	400000	165	82.50
				योग 2023-24 :-	2.000	0	400	800000	800000	335	83.75
2024-25	बीजापुर	बीजापुर	भैरसाढ़	कैम्पा	1.000	0	200	400000	390406	190	95.00
				योग 2024-25 :-	1.000	0	200	400000	390406	190	95.00
				कुल योग (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25):-	287.625	80	109389	40436300	31068782	80163	73.28

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(विकास / योजना, बजट, ऑडिट एवं लेखा)

कुल्लीसाढ़, रायपुर

28/3/26

दिनांक 01 जनवरी 2025 से दिनांक 11.02.2026 तक नामांतरण, सीमांकन एवं फौती नामांतरण के प्रकरणों का तहसीलवार विवरण

जिला	तहसील	नामांतरण		सीमांकन		फौती नामांतरण	
		लंबित	कारण	लंबित	कारण	लंबित	कारण
रायपुर	तिल्दा	32	29 प्रकरण समयसीमा	7	1 समयसीमा के बाहर अवलोकन हेतु नियत	0	0
			1 प्रकरण आदेशार्थ				
			1 आवेदक साक्ष्य				
			1 तर्क हेतु नियम				
	गोबरा नवापारा	59	45 प्रकरण समयसीमा	18	सभी प्रकरण समय-सीमा में है	0	0
			5 प्रकरण शीर्ष न्यायालय में अपील के कारण स्थगित				
			5 प्रकरण उभयपक्ष के दस्तावेज				
			2 प्रकरण आदेशार्थ				
	खरोरा	27	सभी प्रकरण समय-सीमा में है	5	सभी प्रकरण समय-सीमा में है	5	सभी प्रकरण समय-सीमा में है
	अभनपुर	50	सभी प्रकरण समय-सीमा में है	34	33 प्रकरण समयसीमा के अंदर है	0	0
1 प्रकरण आवेदक साक्ष्य तथा अनावेदक साक्ष्य हेतु लंबित है।							
		सभी प्रकरण समय-		सभी प्रकरण			

	आरंग	58	सीमा में है	10	समय-सीमा में है	0	0
	मंदिर हसौद	47	सभी प्रकरण समय-सीमा में है	18	सभी प्रकरण समय-सीमा में है	1	समय सीमा में है
	धरसीवा	40	36 प्रकरण समय सीमा के अंदर 4 प्रकरण पुनर्विलोकन हेतु लंबित	8	समय सीमा के अंदर है	0	0
	रायपुर	587	सभी प्रकरण समय-सीमा में है	53	समय सीमा के अंदर है	256	समय सीमा के अंदर है
	योग	900	-	153	-	262	-
बलौदा बाजार	बलौदा बाजार	60	सभी प्रकरण समय-सीमा में है	20	सभी प्रकरण समय-सीमा में है	77	सभी प्रकरण समय-सीमा में है
	कसडोल	08		10		66	
	सिमगा	14		08		19	
	सुहेला	12		17		09	
	सोनाखान	05		09		08	
	पलारी	19		08		31	
	भाटापारा	144		08		60	
	लवन	142		24		110	
	टुण्डरा	11		03		54	
	योग	415		-		107	


अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्य - छिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 1529) की जानकारी

प्रपत्र

छत्तीसगढ़ राज्य का जिलेवार धान खरीफ का क्षेत्राच्छादन (हेक्टर में), एवं उत्पादन (मीट्रिक टन में)

क्रमांक	जिला	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
		क्षेत्राच्छादन	उत्पादन										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कबीरधाम	139998.0513	576293.6733	135579.5121	593287.5422	137295.8005	572321.1930	136971.3410	684888.5753	143077.2561	787288.7352	146667.3005	762047.5729
2	ककरी	162601.7405	361706.0802	170714.6461	356192.4372	176221.4965	527363.0147	181746.7740	513648.3693	183841.0040	634660.5651	193225.2914	673867.2752
3	कौडगांव	103332.2061	275649.6781	110017.5949	264495.3161	116352.9539	355553.6146	120735.4490	361393.6897	121967.4523	445776.7370	122735.4022	410902.2387
4	कोरबा	111956.7785	257536.6132	116539.9637	335413.8267	118080.8333	336843.7566	121358.5770	380668.7902	119902.2396	424009.0651	118856.1685	433996.8365
5	कोरिया	73146.8497	212901.8078	73990.1791	222526.3618	41040.9899	123721.0609	41650.9090	170612.9579	42099.9411	184838.4365	46492.7708	205251.7051
6	खैरागढ़-खुईखदान-गण्डई	-	-	-	-	87958.1485	298947.6270	90983.8450	461524.7302	92609.5481	464372.3537	98212.6514	363552.0232
7	गिरियाबंद	117705.8090	369560.4296	121629.1465	341446.3534	124346.8012	405118.2464	126229.5930	440790.3939	126796.9925	555624.0639	130716.0963	552753.0142
8	गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही	59409.2262	134136.6598	56676.7937	139061.5820	57373.1981	155532.1146	58113.1610	173705.1149	57567.3227	189605.7238	62532.9346	215301.2046
9	जशपुर	162156.1620	463065.7909	163068.4871	475850.4181	161542.1460	490370.7059	164003.7620	513604.3477	167794.1851	546051.9216	168541.8126	484332.4853
10	जंजगीर-चांपा	291934.1539	1309018.8060	275406.1932	1277820.5070	152037.9507	775954.5787	150206.0150	808865.0825	148573.2818	805655.1730	160147.0532	892060.7775
11	दन्तवाड़ा	66254.2152	88745.6419	69501.9279	66824.2181	69664.1407	116429.0600	72824.6560	77467.9561	72284.1462	102809.3197	71418.2707	93295.8818
12	दुर्ग	133257.0576	500075.5716	134710.7755	441541.6272	135172.8326	570950.5956	134836.7670	617477.2793	135634.5514	646955.4563	135717.4064	648566.4530
13	धमतरी	129521.5629	463429.7916	130138.4473	482491.9265	130300.4435	553755.6372	132511.6480	678360.6187	132504.0558	692143.5017	143676.3581	561557.2089
14	नारायणपुर	20279.6406	50945.0981	22501.4920	32359.3562	23263.1266	52416.4769	23198.1600	39360.5269	22804.6570	53209.4823	24876.5536	54963.2738
15	बलरामपुर-रामानुजगंज	88073.9125	364356.9246	94425.2771	346157.4416	87254.2861	311641.4679	97345.5110	393599.6675	94436.9532	441081.5793	117347.1020	458914.4730
16	बलोदाबाजार-भाटापारा	258992.9028	911884.8150	239016.0557	792746.7616	198005.8934	775744.7620	198276.9510	877479.7212	197097.4351	933336.1851	209415.1894	1000849.1959
17	बस्तर	120653.9902	321112.4765	124513.4700	303815.3777	125519.5524	393364.9256	126535.0690	390853.4710	125697.8907	419364.4891	123347.7838	428206.8282
18	बालोद	174969.3460	549665.7472	176003.9114	514611.3644	175681.3589	703930.4880	177899.2700	790261.2133	178468.2499	859365.8663	182385.0873	841397.2865
19	बिलासपुर	175752.8731	656322.9206	175583.6444	648831.4219	177521.5817	715562.7847	175721.4390	681757.3936	173016.6625	687832.3177	171894.8926	717828.6600
20	बीजापुर	70634.3125	154206.3923	79382.6700	162400.6585	83731.2304	193004.3693	83379.2160	192586.7990	85313.6409	242301.2229	84605.5015	240938.8376
21	बैतल	187989.7703	667820.4418	194872.1602	708404.7484	199584.0065	842700.3077	203544.2840	976317.7588	207197.7355	1062928.6476	214660.4667	1087141.8490
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	-	-	-	-	33984.3837	102017.1605	34411.5470	109682.7072	34670.2848	112071.2953	42614.6352	143048.4888
23	महासमुंद्र	243759.9748	658849.7010	247491.6268	460731.0798	248872.7489	812000.4202	251112.4730	1004347.7473	250898.2622	980076.3758	257400.6922	1004023.7367
24	मुंगेली	122437.1842	487235.7208	124855.0369	512610.6112	124695.0066	512119.9651	125151.3540	548656.8388	125146.6732	608980.4326	128731.3426	589467.2506
25	मोहला-मानपुर-अं-चौकी	-	-	-	-	80115.1575	248745.9149	82257.9240	230604.0884	82721.1747	240372.8541	85170.1629	192364.2001
26	राजनांदगाँव	326531.6288	671107.1384	333540.5670	707591.2552	174341.3454	572840.3309	176702.7130	685441.4252	177569.9488	731617.0517	173980.2856	604000.5321
27	रायगढ़	235304.9390	838303.3828	232149.1326	780109.3638	165052.4902	643706.9046	166750.9490	713673.8479	167113.1855	797383.0231	174432.8276	830047.3480
28	रायपुर	161232.6081	713385.9742	161209.6214	689535.3912	160339.8430	740759.5339	159118.2350	828365.0504	159096.3792	808076.5979	176475.2328	918859.9515
29	सक्ती	-	-	-	-	117738.9520	555748.6658	116576.0010	570659.5092	115628.6995	625190.9052	111010.4001	585033.2834
30	सरगुजा	111653.7903	397166.9443	116817.0697	415845.0370	114008.6179	406724.4920	114121.4710	460557.4959	115700.1136	508755.6495	123740.3754	497945.5449
31	सारंगढ़-बिलाईगढ़	-	-	-	-	110347.6498	441065.1399	111274.6290	518547.6759	109645.5371	589977.8491	109285.2834	591198.3004
32	सुकमा	79107.1914	132286.9034	83883.3236	97361.1745	84481.0300	142070.7414	86197.3850	126392.5232	85554.2780	175899.1536	80719.4243	159545.9324
33	सुरजपुर	110828.5470	376230.4480	117145.8877	426984.2400	116180.7530	406848.6008	117808.7830	428711.5288	120320.7877	443032.9448	131336.6008	486259.1406
योग राज्य		4039476.4245	12963001.5729	4081364.6136	12597047.3993	4108106.7494	14855874.6574	4159555.8610	16450864.8951	4172750.5258	17800644.9758	4322369.3563	17729518.7904


टीप :- 1. वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित है।

2. वर्ष 2025-26 की जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा DCS पर आधारित है।

क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या
1	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ (छ.ग.)	18
2	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)	159
3	कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)	13
4	शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर (छ.ग.)	53
5	संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.)	88
6	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)	128
7	हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)	157
8	शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़	137
9	पं. सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)	निरंक


 अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग
 मंत्रालय अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्र.	निजी विश्वविद्यालय
1	डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)
2	मैट्स विश्वविद्यालय, ग्राम-गुल्लू, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)
3	कलिंगा विश्वविद्यालय, ग्राम-कोटनी, आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)
4	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, भिलाई रोड, पी.कुम्हारी, जिला-दुर्ग
5	आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, उपरवारा, अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
6	एमिटी विश्वविद्यालय, माठ, खरोरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
7	ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)
8	आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, छुरा जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
9	ए.एफ.टी. यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, ग्राम माठ, तहसील तिल्दा जिला-रायपुर (छ.ग.)
10	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
11	महर्षि विश्वविद्यालय ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मंगला, बिलासपुर (छ.ग.)
12	के.के. मोदी विश्वविद्यालय, ग्राम-महसरा, जलवांधा रोड जिला-दुर्ग (छ.ग.)
13	देव संस्कृति विश्वविद्यालय, कुम्हारी जिला-दुर्ग (छ.ग.) – विलोपित
14	श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, जुनवानी भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
15	भारती विश्वविद्यालय, ग्राम-चंदखुरी जिला-दुर्ग (छ.ग.)
16	आंजनय विश्वविद्यालय, ग्राम-नरदहा, तहसील-मंदिर हसौद जिला-रायपुर (छ.ग.)
17	श्री दावड़ा विश्वविद्यालय, ग्राम-भेलवाडीह तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
18	रुंगटा इंटरनेशनल स्किल्स विश्वविद्यालय, भिलाई जिला-दुर्ग
19	जगरानी देवी विश्वविद्यालय, बाराद्वार जिला-सक्ती (छ.ग.)
20	कृष्णा विकास ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रायपुर (छ.ग.)
21	कोलंबिया प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, रायपुर (छ.ग.)


 अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग
 मंत्रालय अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

प्रश्न

बिलासपुर वृत्त

क्र.	वर्ष	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	पी.ओ.आर. प्रकरण क्रमांक व दिनांक	विद्युत करंट से मृत हाथियों की संख्या	लिंग	उम्र	घटना स्थल का विवरण	आरोपियों का नाम व पता	दोषी आरोपियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	2024	बिलासपुर	तखतपुर	13151/05 दिनांक 01.11.2024	1	नर	7 वर्ष	वन परिक्षेत्र तखतपुर के पाली परिसर के ग्राम टिगीपुर	10 1. श्री कमल सिंह वल्लभ बुल्लू राम जाति-गोड़, उम्र-66 वर्ष साकिन- राउत टिगीपुर एवं 2. श्री मनोज वल्लभ कमल सिंह, जाति-गोड़, उम्र-35 वर्ष साकिन-टिगीपुर, ग्राम पंचायत गमजू थाना व तहसील-तखतपुर, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)	11 उक्त अपराध में संलग्न आरोपियों को जेल दाखिल किया गया एवं प्रकरण माननीय जिला न्यायालय में विचाराधीन है।
2	2024	कोरवा	कुदमुरा	11965/25 दिनांक 28.12.2024	1	नर	9 वर्ष	कुदमुरा परिक्षेत्र अंतर्गत गितकुवारी ब कक्ष क्रमांक पी. 1121 वन क्षेत्र समरकना बांध के पास	श्री गौतम कुमार आम्टे, चिरस सबस्टेशन, विद्युत विभाग	वन अपराध प्रकरण क्रमांक 11965/25 दिनांक 28.12.2024 दर्ज कर प्रकरण पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय करतला के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
3	2024	रायगढ़	तमनार	4950/01 दिनांक 26.10.2024	3	02 मादा 01 मकना	(1) 2.5 वर्ष (2) 55 वर्ष (3) 65 वर्ष	कक्ष क्रमांक 856 पी.एफ. प. स. वृत्त सामारुमा परिसर कचकोबा (चुहकीमार नर्सरी के पीछे)	चुहकीमार नर्सरी के पास तमनार परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 856 पी. एफ. में 03 हाथियों का दल विचरण कर रहा था। बांस की पत्ती खाने के लिए हाथी सूंड उठाया होगा तभी बांस की पत्ती के साथ ही लटकी हुई बिजली की तार हाथी की सूंड में आग गई, जिससे हाथी झुलस गई और शेष दो हाथियों का उसके संपर्क में आने से मृत्यु हो गई।	कर्मचारियों के विरुद्ध शासकीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण परिक्षेत्र सहायक सामारुमा एवं परिसर रक्षक कचकोबा को छ. ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन करने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

अ. प्र. मुख्त. (वि.प्र.प्र.गो.)
छ.ग., रायपुर

सरगुजा वृत्त

1	2024	सूरजपुर	घुई	17070 / 25 दिनांक 28.01.2024	I	मादा	15 से 20 वर्ष	ग्राम धुरिया पी-244	1. नरेंद्र सिंह आ. रामशरण 2. जनकू राम आ. स्व.ननकूराम 3. रामचंद्र आ.स्व.शिवलाल 4. गंगाराम आ.रामऔतार 5. लाल मोहन आ.रामखेलावन 6. बैजनाथ आ. वेदराम 7. प्राणबीभी आ.बुधराम 8. माधव आ.रायसिंह 9. रामचन्द्र आ. रामेश्वर 10. रामकिशुन आ.अमरजीत समस्त आरोपी ग्राम-धुरिया, जिला-सूरजपुर (छ0ग0)	वन अपराध प्रकरण क्रमांक 17070 / 25 दिनांक 28.01.2024 दर्ज कर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही कर जेल दाखिल किया गया था। वर्तमान में जमानत पर बाहर है। प्रकरण न्यायालय में प्रतापपुर विचाराधीन है।
2	2024	सूरजपुर	सूरजपुर	12097 / 14 दिनांक 04.06.2024	I	नर	50 से 55 वर्ष	अखोरकला बीट कल्याणपुर पी - 2572	-	11 के.व्ही. विद्युत तार के सम्पर्क में आने से हाथी की मृत्यु हुई है।
3	2024	बलरामपुर	वाड़फनगर	20122 / 05 दिनांक 10.03.2024	I	मादा	25 से 30 वर्ष	मेढारी बड़का किरका खसरा नं. 1292	श्री जय सिंह उर्फ खिरू वट्ट चमरू जाति गोड़ उम्र 35 वर्ष ग्राम मेढारी थाना बसंतपुर तहसील वाड़फनगर, जिला-बलरामपुर (छ0ग0)	वन अपराध प्रकरण क्र. 20122 / 05 दिनांक 10 / 03 / 2024 दर्ज कर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही कर जेल दाखिल किया गया था। वर्तमान में जमानत पर रिहा है। प्रकरण न्यायालय वाड़फनगर में विचाराधीन है।
4	2024	बलरामपुर	वाड़फनगर	18926 / 23 दिनांक 11.11.2024	I	नर	10 से 11 वर्ष	राजसव ग्राम मुरका तईलयापारा (छ0ग0)	श्री रामबकस आ. बाबूलाल गोड़ ग्राम मुरका बलरामपुर, जिला-बलरामपुर (छ0ग0)	वन अपराध प्रकरण क्र. 18926 / 23 दिनांक 11 / 11 / 2024 दर्ज कर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही किया गया है। वर्तमान में अपराधी जमानत पर रिहा है। प्रकरण न्यायालय रामानुजगंज में विचाराधीन है।
5	2024	बलरामपुर	रामानुजगंज	21962 / 01 दिनांक 19.12.2024	I	नर	18 से 20 वर्ष	पी 3472	1. श्री हरि सिंह आ. बुझावन सिंह उम्र 35 वर्ष 2. श्री परमेश्वर सिंह आ. रामबदन सिंह 3. श्री गोवर्धन उर्फ राकेश कोरवा पिता रामलखन जाति कोरवा 4. श्री बलदेव सिंह पिता दशरथ सिंह जाति खैरवार समस्त आरोपी ग्राम इन्द्रपुर, जिला-बलरामपुर (छ0ग0)	पी.ओ.आर क्रमांक 21962 / 01 दिनांक 19 / 12 / 2024 दर्ज कर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही किया गया है। वर्तमान में अपराधी जमानत पर रिहा है। प्रकरण न्यायालय रामानुजगंज में विचाराधीन है।
योग :-					10					

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

परिशेष - उन्‍यासी
अतारांकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 1542) की जानकारी

निराकरण का प्रतिशत

ii =

क्र.	कुल आवेदन	निराकृत	शेषित	निराकरण का प्रतिशत
V.C. द्वारा	127	125	2	98.00
Web द्वारा	24777	20160	4617	81.00
Post / Mail द्वारा	21402	9516	11886	44.00
कुल आवेदन	46322	29808	16514	64.00


Chamra

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षण नियंत्रण विभाग
महालय, नया रायपुर, अटल नगर

जिलेवार आवेदनों की संक्षिप्त स्थिति

"पृष्ठ"

सं क्र०	जिले का नाम	आवेदन सं० (संघारित)	आवेदन सं० (संघारित)	कुल सं० (संघारित)
1	बिलासपुर	338	1617	1955
2	बलौदाबजार भाटापारा	96	970	1066
3	सारंगढ़-बिलाईगढ़	65	1753	1818
4	नारायणपुर	29	237	262
5	राजनांदगांव	113	852	965
6	महासमुंद	216	877	1093
7	रायगढ़	71	2170	2241
8	बालोद	111	664	775
9	गौरेला-पेड़ा-मरवाही	68	432	500
10	बेमतरा	595	251	846
11	सूरजपुर	81	556	637
12	दन्तेवाड़ा	23	194	217
13	बलरामपुर	77	399	476
14	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	53	307	360
15	कांकेर	60	617	677
16	गरियाबंद	40	528	568
17	रायपुर	12926	5683	18609
18	जाजगीर-चाम्पा	142	1979	2121
19	मुंगेली	33	827	860
20	धमतरी	126	723	849
21	जशपुर	57	399	456
22	बस्तर (जगदलपुर)	68	500	568
23	कोरबा	157	1473	1630
24	दुर्ग	279	2239	2518
25	कोण्डागाँव	35	229	264
26	कबीरधाम	134	415	549


 जय संघिय
 छत्तीसगढ़ शासन
 शिकायत निवारण विभाग
 नवा रायपुर, अठल नगर

27	सरगुजा	244	590	834
28	सुकमा	11	51	62
29	मनेंद्रगढ़-धिरमिरी-भरतपुर	58	308	366
30	कोरिया	19	306	325
31	बीजापुर	24	131	155
32	सक्ती	139	1448	1587
33	मोहला-मानपुर-चौकी	30	83	113
Total		16514	29808	46322

Omme
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 जन शिकायत निवारण विभाग
 भंडालय, नया रायपुर, अटल नगर

परोशेष्ट - अस्सी

अतारांकित प्रश्न संख्या 56 (क्र. 1543) की जानकारी

प्रपत्र

प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जिलेवार एवं संस्थावार जानकारी

स.क्र.	जिला	शासकीय महाविद्यालय का नाम	प्राध्यापक		सहायक प्राध्यापक	
			स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	11	11	75	18
2	रायपुर	शासकीय दूधाधारी श्री वैष्णव स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर	3	3	18	7
3	रायपुर	शासकीय दूधाधारी बजरंग स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रायपुर	14	14	70	24
4	रायपुर	शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	19	19	84	18
5	रायपुर	शासकीय डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर	7	7	25	7
6	रायपुर	शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेन्द्र नगर रायपुर	5	5	34	8
7	रायपुर	बद्री प्रसाद लोधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आरंग	6	6	15	4
8	रायपुर	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय धरसीवा	3	3	14	2
9	रायपुर	शासकीय स्व. सत्यनारायण अग्रवाल महाविद्यालय, तिल्दा-नेवरा कोहका	4	4	21	10
10	रायपुर	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अमनपुर	4	4	22	7
11	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गोबरा नवापारा	4	4	22	6
12	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बीरगांव	1	1	14	1
13	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, खरोरा	0	0	10	3
14	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय भाठागांव	0	0	11	1
15	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय गुड़ियारी	0	0	11	0
16	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय समोदा	0	0	10	2
17	रायपुर	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय गोबरा नवापारा	0	0	12	0
18	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागांव सेक्टर-28 अटल नगर, रायपुर	0	0	12	1
19	रायपुर	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय रायपुर	0	0	15	6
20	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय अमलीडीह	0	0	12	7
21	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय माना कैम्प	0	0	12	11
22	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय तामासिवनी			12	11
	योग		81	81	531	154
23	बलौदाबाजार	शासकीय दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार	10	10	38	11
24	बलौदाबाजार	शासकीय गजानन्द अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा	8	8	30	11
25	बलौदाबाजार	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय, सिमगा	3	3	15	8
26	बलौदाबाजार	शासकीय वृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी	1	1	13	8
27	बलौदाबाजार	शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार	2	2	16	8
28	बलौदाबाजार	शासकीय स्व. दौलतराम महाविद्यालय, कसडोल	5	5	15	7
29	बलौदाबाजार	शासकीय नवीन महाविद्यालय, लवन	3	3	14	4
30	बलौदाबाजार	नवीन विधि शासकीय महाविद्यालय, भाटापारा	0	0	13	7
31	बलौदाबाजार	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सोनाखान	0	0	10	7
32	बलौदाबाजार	स्व. रामनाथ वर्मा शासकीय महाविद्यालय मोपका निपनिया	0	0	13	6
33	बलौदाबाजार	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बटगन	0	0	10	7
	योग		32	32	187	84
34	गरियाबंद	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	6	6	21	9
35	गरियाबंद	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम	4	4	23	10
36	गरियाबंद	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा	1	1	12	6
37	गरियाबंद	शासकीय महाविद्यालय, देवमोग	2	2	12	8
38	गरियाबंद	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर	0	0	12	8
39	गरियाबंद	नवीन शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर	2	2	12	5

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
दिल्ली नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)


स.क्र.	जिला	शासकीय महाविद्यालय का नाम	प्राध्यापक		सहायक प्राध्यापक	
			स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7
40	गरियाबंद	नवीन शासकीय महाविद्यालय, गोहरापदर	0	0	10	7
41	गरियाबंद	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, गरियाबंद	0	0	12	11
	योग		15	15	114	64
42	महासमुन्द	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द	8	8	32	10
43	महासमुन्द	शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद महाविद्यालय, बागबाहरा	7	7	15	7
44	महासमुन्द	शासकीय स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह महाविद्यालय, सरायपाली	5	5	15	3
45	महासमुन्द	शासकीय स्व. श्री जयदेव सतपथी महाविद्यालय, बसना	0	0	12	4
46	महासमुन्द	शासकीय चन्द्रपाल महाविद्यालय, पिथौरा	1	1	14	5
47	महासमुन्द	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द	2	2	16	4
48	महासमुन्द	शासकीय महाविद्यालय, बलौदा	0	0	10	3
49	महासमुन्द	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पिरदा	0	0	10	1
50	महासमुन्द	बुढान शाहजी शासकीय नवीन महाविद्यालय, तेन्दुकोना, महासमुन्द	0	0	10	4
51	महासमुन्द	शासकीय नवीन महाविद्यालय, घिरको	0	0	10	5
52	महासमुन्द	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, लोहारकोट	0	0	12	12
53	महासमुन्द	स्वामी आत्मानंद शास. अंग्रेजी माध्यम आदर्श महा., महासमुन्द	0	0	12	12
54	महासमुन्द	शासकीय नवीन महाविद्यालय भंवरपुर, तह.-बसना,	0	0	12	11
55	महासमुन्द	शासकीय नवीन महाविद्यालय कोमाखान, तह.-बसना,	0	0	12	11
	योग		23	23	192	92
56	धमतरी	शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	10	10	49	16
57	धमतरी	शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी	1	1	17	5
58	धमतरी	संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद	12	12	33	14
59	धमतरी	नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय, कुरुद	0	0	13	13
60	धमतरी	शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी-सिहावा	4	4	16	4
61	धमतरी	महर्षि वेद व्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भखारा	8	8	14	3
62	धमतरी	यशवंत राव मेघावाले शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड	0	0	14	8
63	धमतरी	बाबू पंडरी राव कृदत्त शासकीय महाविद्यालय, सिलौटी	1	1	13	7
64	धमतरी	शासकीय नवीन महाविद्यालय, आमदी	0	0	10	6
65	धमतरी	शासकीय नवीन महाविद्यालय कंडेल	0	0	12	5
66	धमतरी	शास. नवीन महा., सिर्री,	0	0	12	12
	योग		36	36	203	93
67	दुर्ग	शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर पी.जी. कला-विज्ञान महा., दुर्ग	13	13	127	62
68	दुर्ग	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या पी.जी. महाविद्यालय, दुर्ग	11	11	36	14
69	दुर्ग	शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उत्तई	4	4	30	16
70	दुर्ग	शासकीय स्व. चन्द्रूलाल चन्द्राकर महाविद्यालय, पाटन	7	7	29	13
71	दुर्ग	शासकीय डॉ. खूबचंद बघेल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई-3	7	7	19	4
72	दुर्ग	शासकीय इन्दिरा गांधी महाविद्यालय, वैशालीनगर	3	3	23	2
73	दुर्ग	चन्द्रूलाल चन्द्राकर शासकीय कला व वाणिज्य महाविद्यालय धमधा	6	6	21	8
74	दुर्ग	शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय, जामगांव (आर)	0	0	12	4
75	दुर्ग	शासकीय महाविद्यालय, बोरी	5	5	14	2
76	दुर्ग	मोहनलाल जैन (मोहन भैया) शासकीय महाविद्यालय खुर्सीपार भिलाई	6	6	15	5
77	दुर्ग	शासकीय नागरिक कन्या महाविद्यालय, नंदिनी नगर (अहिवासा)	0	0	13	4
78	दुर्ग	डॉ. मनराखन लाल साहू शासकीय महाविद्यालय जामुल	0	0	12	4
79	दुर्ग	दाऊ उत्तम साव शासकीय नवीन महाविद्यालय मचांदुर	0	0	10	4
80	दुर्ग	स्व. बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय कुम्हारी	0	0	12	1
81	दुर्ग	स्व. पुकेश्वर सिंह भारदीय शासकीय महाविद्यालय निकुम	0	0	12	4
82	दुर्ग	स्व. दाऊ रामचन्द्र साहू शासकीय महाविद्यालय रानीतराई	0	0	12	5
83	दुर्ग	शासकीय नवीन महाविद्यालय रिसाली	0	0	12	1

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स.क्र.	जिला	शासकीय महाविद्यालय का नाम	प्राध्यापक		सहायक प्राध्यापक	
			स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7
84	दुर्ग	शासकीय नवीन महाविद्यालय पेण्ड्रावन	0	0	12	7
85	दुर्ग	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय दुर्ग	0	0	12	3
86	दुर्ग	शासकीय नवीन संगीत महाविद्यालय दुर्ग	0	0	5	5
87	दुर्ग	शासकीय नवीन महाविद्यालय नगपुरा	0	0	12	10
	योग		62	62	450	178
88	बेमेतरा	शासकीय पं. जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेमेतरा	8	8	22	12
89	बेमेतरा	शासकीय स्व. देवीप्रसाद चौबे महाविद्यालय, साजा	6	6	15	5
90	बेमेतरा	शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय, नवागढ़	0	0	12	7
91	बेमेतरा	ठाकुर महाराज सिंह शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया	2	2	13	11
92	बेमेतरा	शासकीय महाविद्यालय, बेरला	2	2	13	5
93	बेमेतरा	लक्ष्मण प्रसाद बैद्य शासकीय कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा	2	2	14	7
94	बेमेतरा	रानी अवंती बाई लोधी शासकीय महाविद्यालय परपोडी	0	0	10	6
95	बेमेतरा	शासकीय नवीन महाविद्यालय, नांदघाट	0	0	12	12
96	बेमेतरा	शासकीय नवीन महाविद्यालय, दाढ़ी	0	0	12	12
97	बेमेतरा	शासकीय नवीन महाविद्यालय, देवरबीजा	0	0	12	12
98	बेमेतरा	शासकीय नवीन महाविद्यालय, भिमौरी, तह.-बेरला,	0	0	12	12
99	बेमेतरा	शासकीय नवीन महाविद्यालय, ठेलका, तह.-साजा,	0	0	12	12
100	बेमेतरा	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बोरतरा, तह.-साजा,	0	0	12	12
	योग		20	20	171	125
101	बालोद	शासकीय धनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद	8	8	41	25
102	बालोद	शासकीय एन.सी.जैन महाविद्यालय, दल्लीराजहरा	3	3	17	7
103	बालोद	शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा	6	6	18	9
104	बालोद	शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय, गुण्डरदेही	3	3	15	8
105	बालोद	शासकीय कंगला माझी महाविद्यालय डौंडी	0	0	17	11
106	बालोद	शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौंडीलोहारा	2	2	15	7
107	बालोद	स्व. डारन बाई तारम शासकीय महाविद्यालय गुरुर	0	0	18	8
108	बालोद	शासकीय महाविद्यालय, खेरथा	0	0	13	9
109	बालोद	मदन लाल साहू शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला	1	1	15	11
110	बालोद	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मंगचुआ	0	0	10	6
111	बालोद	नवीन शासकीय महाविद्यालय, बेलोदी	4	4	13	10
112	बालोद	शासकीय नवीन महाविद्यालय, माहुद(बी)	0	0	10	8
113	बालोद	भक्त माता कर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय बालोद	0	0	10	4
114	बालोद	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बासीन	0	0	12	11
115	बालोद	शासकीय नवीन महाविद्यालय, घोटिया	0	0	12	11
116	बालोद	शासकीय नवीन महाविद्यालय, जेवरतला	0	0	12	11
	योग		27	27	248	156
117	राजनांदगांव	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	13	13	81	30
118	राजनांदगांव	शासकीय कमलादेवी कन्या महाविद्यालय, राजनांदगांव	5	5	27	10
119	राजनांदगांव	शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़	12	12	20	8
120	राजनांदगांव	शासकीय डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव	6	6	16	5
121	राजनांदगांव	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव	2	2	14	4
122	राजनांदगांव	शासकीय रानी अवन्तीबाई महाविद्यालय, घुमका	0	0	12	8
123	राजनांदगांव	शासकीय कुंजबिहारी चौबे महाविद्यालय, लालबहादुरनगर	0	0	11	5
124	राजनांदगांव	वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रामाटोला	0	0	6	3
125	राजनांदगांव	शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया	1	1	14	6
126	राजनांदगांव	स्वामी आत्मानंद शास. अंग्रेजी माध्यम आदर्श महा., सोमनी	0	0	12	7


अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स.क्र.	जिला	शासकीय महाविद्यालय का नाम	प्राध्यापक		सहायक प्राध्यापक	
			स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7
127	राजनांदगांव	शासकीय नवीन महाविद्यालय, अर्जुनी, डोंगरगांव	0	0	12	12
	योग		39	39	225	98
128	मोहला-मानपुर-अ.चौकी	शासकीय एल.सी.एस. महाविद्यालय, अम्बागढ़ चौकी	8	8	25	14
129	मोहला-मानपुर-अ.चौकी	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर	3	3	13	9
130	मोहला-मानपुर-अ.चौकी	शासकीय स्व. लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मोहला	2	2	13	8
131	मोहला-मानपुर-अ.चौकी	शासकीय नवीन महाविद्यालय, औंधी	0	0	10	10
132	मोहला-मानपुर-अ.चौकी	शासकीय नवीन महाविद्यालय, चिल्हाटी	0	0	12	12
133	मोहला-मानपुर-अ.चौकी	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी	0	0	12	12
	योग		13	13	85	65
134	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	शासकीय रानी रश्मि देवी महाविद्यालय, खैरागढ़	0	0	15	6
135	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	शासकीय वीरांगना अयन्ती बाई महाविद्यालय, छुईखदान	2	2	14	8
136	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	शासकीय स्व. देवीप्रसाद चौबे महाविद्यालय, गंडई	0	0	17	12
137	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	नवीन शासकीय महाविद्यालय, साल्हेवारा	1	1	12	10
138	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	शासकीय नवीन महाविद्यालय, ठेलकाडीह	0	0	10	1
139	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	0	0	12	12
140	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बाजार अतरिया	0	0	12	12
141	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	शासकीय नवीन महाविद्यालय, जालबांधा	0	0	12	12
	योग		3	3	104	73
142	कबीरधाम	शासकीय आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय, कवर्धा	12	12	27	10
143	कबीरधाम	शासकीय गजानंद माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय, सहसपुर लोहारा	0	0	14	11
144	कबीरधाम	शासकीय इन्दिरा गांधी महाविद्यालय पंडरिया	3	3	16	9
145	कबीरधाम	शासकीय राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय, कबीरधाम (कवर्धा)	1	1	15	5
146	कबीरधाम	शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बोडला	3	3	10	5
147	कबीरधाम	अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय, पाण्डतराई	3	3	10	6
148	कबीरधाम	महंत श्री रामजानकी शरण दास वैष्णव शासकीय महाविद्यालय, पिपरिया	4	4	12	9
149	कबीरधाम	पं. दीनदयाल उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय झलमला	0	0	10	8
150	कबीरधाम	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुई-कुकर	0	0	10	8
151	कबीरधाम	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुण्डा, पण्डरिया	0	0	12	12
	योग		26	26	136	83
152	कांकेर	शासकीय भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	13	13	48	23
153	कांकेर	शासकीय इंदरू केवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर	2	2	11	4
154	कांकेर	शासकीय महर्षि वाल्मीकी महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर	3	3	14	7
155	कांकेर	शासकीय वीर गैद सिंह महाविद्यालय, पखांजूर	1	1	14	9
156	कांकेर	शासकीय शहीद गैद सिंह महाविद्यालय, चारामा	2	2	16	3
157	कांकेर	शासकीय लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय, अंतागढ़	0	0	10	3
158	कांकेर	नवीन शासकीय महाविद्यालय, सरोना	0	0	12	2
159	कांकेर	कंगलू कुम्हार शासकीय महाविद्यालय, दुर्गकोन्दल	0	0	10	5
160	कांकेर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, नरहरपुर	0	0	10	2
161	कांकेर	स्वामी आत्मानंद शासकीय अग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय कांकेर	0	0	12	7
	योग		21	21	157	65
162	बस्तार	शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	16	16	67	32
163	बस्तार	शासकीय दन्तेश्वरी महिला महाविद्यालय, जगदलपुर	5	5	17	8
164	बस्तार	शासकीय महाविद्यालय, भानपुरी	2	2	10	8
165	बस्तार	वीर योद्धा जकरकन भतरा शासकीय महाविद्यालय, बकावण्ड	0	0	10	3
166	बस्तार	शहीद हरचंद नाईक शासकीय महाविद्यालय तोकापाल	0	0	13	6


अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स.क्र.	जिला	शासकीय महाविद्यालय का नाम	प्राध्यापक		सहायक प्राध्यापक	
			स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7
167	बस्तर	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय जगदलपुर	0	0	12	8
168	बस्तर	मां गंगादेई शासकीय महाविद्यालय बस्तर	0	0	12	9
169	बस्तर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, लोहण्डीगुड़ा	0	0	12	11
170	बस्तर	शासकीय नवीन संगीत महाविद्यालय जगदलपुर	0	0	5	5
171	बस्तर	नवीन शासकीय महाविद्यालय, नगरनार,	0	0	12	12
172	बस्तर	नवीन शासकीय महाविद्यालय, किलेपाल,	0	0	12	12
	योग		23	23	182	114
173	कोण्डागांव	शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय, कोण्डागांव	14	14	26	12
174	कोण्डागांव	महेश बघेल जी केशकाल दण्डकारण्य शासकीय महाविद्यालय, केशकाल	1	1	12	3
175	कोण्डागांव	चैयतूगायता (आलोर) शासकीय महाविद्यालय फरसगांव	0	0	10	4
176	कोण्डागांव	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, कोंडागांव	0	0	12	3
177	कोण्डागांव	शासकीय नवीन महाविद्यालय, विश्रामपुरी	0	0	12	10
178	कोण्डागांव	शासकीय नवीन महाविद्यालय, माकड़ी	0	0	12	10
179	कोण्डागांव	शासकीय नवीन महाविद्यालय, धनौरा	0	0	12	12
180	कोण्डागांव	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मर्दापाल	0	0	12	12
	योग		15	15	108	66
181	नारायणपुर	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर	11	11	21	12
182	नारायणपुर	वीरांगना रमोतीन माडिया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर	0	0	12	8
183	नारायणपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय छोटे डोंगर नारायणपुर	0	0	12	12
	योग		11	11	45	32
184	दन्तेवाड़ा	शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	6	6	24	10
185	दन्तेवाड़ा	शासकीय अरविन्द महाविद्यालय, किरन्दुल	2	2	12	5
186	दन्तेवाड़ा	शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	3	3	10	4
187	दन्तेवाड़ा	शासकीय आदर्श आवासीय महाविद्यालय जावंगा	0	0	10	7
188	दन्तेवाड़ा	हिडमा मांडी शासकीय महाविद्यालय कटेकल्याण	0	0	10	9
189	दन्तेवाड़ा	शहीद कवासी रोडडा पेददा शासकीय महाविद्यालय कुआकोण्डा	0	0	12	8
	योग		11	11	78	43
190	सुकमा	शासकीय शहीद बापूराव महाविद्यालय, सुकमा	9	9	14	8
191	सुकमा	शासकीय महाविद्यालय, कोंटा	0	0	10	6
192	सुकमा	शहीद डेबरीधुर शासकीय महाविद्यालय तोंगपाल	0	0	12	9
193	सुकमा	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, सुकमा	0	0	12	9
	योग		9	9	48	32
194	बीजापुर	शासकीय शहीद वकेंट राव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीजापुर	4	4	10	3
195	बीजापुर	शासकीय इंद्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्टनम	1	1	13	9
196	बीजापुर	धुर्वाराव माडिया शासकीय महाविद्यालय भैरमगढ़	0	0	14	7
197	बीजापुर	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बीजापुर	0	0	12	9
198	बीजापुर	वीर नांगुल दोरला शासकीय महाविद्यालय, आवापल्ली	0	0	12	9
199	बीजापुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय कुटूरु	0	0	12	12
	योग		5	5	73	49
200	बिलासपुर	शासकीय जे.पी. वर्मा पी.जी. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर	8	8	27	0
201	बिलासपुर	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर	6	6	34	8
202	बिलासपुर	शासकीय माताशबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर	5	5	16	0
203	बिलासपुर	शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर	15	15	65	13
204	बिलासपुर	शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर	6	6	14	2
205	बिलासपुर	शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय, बिल्हा	4	4	19	4


अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स.क्र.	जिला	शासकीय महाविद्यालय का नाम	प्राध्यापक		सहायक प्राध्यापक	
			स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7
206	बिलासपुर	शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय, कोटा	5	5	15	1
207	बिलासपुर	शासकीय मदनलाल शुक्ला महाविद्यालय, सीपत	5	5	16	5
208	बिलासपुर	शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तुरी	1	1	15	3
209	बिलासपुर	शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर	3	3	14	1
210	बिलासपुर	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय तखतपुर	0	0	12	1
211	बिलासपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय सकरी	0	0	12	0
212	बिलासपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय अकलतरी	0	0	12	10
213	बिलासपुर	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय बिलासपुर	0	0	12	6
214	बिलासपुर	शासकीय नवीन संगीत महाविद्यालय बिलासपुर	0	0	5	5
215	बिलासपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पचपेड़ी, वि.ख.-मस्तुरी,			12	11
216	बिलासपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बेलतरा, वि.ख.-बिल्हा,			12	9
	योग		58	58	312	79
217	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	शासकीय डॉ. भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय, पेण्ड्रा	12	12	23	13
218	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	शासकीय पं. माधवराव सप्रे कन्या महाविद्यालय, पेण्ड्रारोड	2	2	11	2
219	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय, मरवाही	5	5	16	9
220	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	0	0	12	9
	योग		19	19	62	33
221	मुंगेली	शासकीय राजीवगांधी कला/वाणिज्य महाविद्यालय, लोरमी	3	3	14	3
222	मुंगेली	शासकीय डॉ. ज्वाला प्रसाद सिंह महाविद्यालय, मुंगेली	4	4	11	6
223	मुंगेली	शासकीय वीरांगना अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, पथरिया	0	0	12	1
224	मुंगेली	संत शिरोमणी गुरु रविदास शासकीय महाविद्यालय, सरगांव	0	0	13	6
225	मुंगेली	सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय, कोतरी	0	0	13	6
226	मुंगेली	शासकीय महाविद्यालय, फास्टरपुर (सेतगंगा)	2	2	10	3
227	मुंगेली	शासकीय नवीन महाविद्यालय, अमोरा	0	0	10	2
228	मुंगेली	शासकीय एस.एन.जी. महाविद्यालय, मुंगेली	0	0	5	0
229	मुंगेली	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, मुंगेली	0	0	12	7
230	मुंगेली	शासकीय नवीन महाविद्यालय, जरहागांव			12	11
	योग		9	9	112	45
231	जांजगीर चांपा	शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर	7	7	44	15
232	जांजगीर चांपा	शासकीय डॉ. इन्द्रजीत सिंह महाविद्यालय, अकलतरा	5	5	13	4
233	जांजगीर चांपा	शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय, खरौद	6	6	16	2
234	जांजगीर चांपा	शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा	8	8	21	6
235	जांजगीर चांपा	शासकीय जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय, जांजगीर	4	4	14	2
236	जांजगीर चांपा	शासकीय महाविद्यालय, बलौदा	0	0	11	2
237	जांजगीर चांपा	डॉ. भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय, पामगढ़	2	2	12	4
238	जांजगीर चांपा	शासकीय महाविद्यालय, नवागढ़	1	1	10	2
239	जांजगीर चांपा	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बिरा	0	0	10	4
240	जांजगीर चांपा	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सारागांव	0	0	12	2
241	जांजगीर चांपा	शासकीय नवीन महाविद्यालय, केरा, नवागढ़	0	0	12	12
	योग		33	33	175	55
242	सक्ती	शासकीय क्रांति कुमार भारतीय महाविद्यालय, सक्ती	7	7	15	6
243	सक्ती	शासकीय महाविद्यालय, उमरा	4	4	16	7
244	सक्ती	शासकीय वेदराम महाविद्यालय, मालखरौदा	3	3	13	5
245	सक्ती	शासकीय महाविद्यालय, जैपुर	3	3	11	3
246	सक्ती	शासकीय नवीन महाविद्यालय, हसौद	4	4	15	6
247	सक्ती	स्व. श्री दिलीप सिंह जूदेव शासकीय नवीन महाविद्यालय, चन्द्रपुर	1	1	12	5


अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स.क्र.	जिला	शासकीय महाविद्यालय का नाम	प्राध्यापक		सहायक प्राध्यापक	
			स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7
248	सक्ती	अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय, नगरदा	0	0	10	6
249	सक्ती	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, सक्ती	0	0	12	11
	योग		22	22	104	49
250	कोरबा	शासकीय इंजीनियर विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा	10	10	36	9
251	कोरबा	शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय, कोरबा	5	5	17	2
252	कोरबा	शासकीय मुकुटधर पाण्डेय महाविद्यालय, कटघोरा	2	2	13	3
253	कोरबा	स्व. प्यारेलाल कंवर शासकीय महाविद्यालय, बैसमा	2	2	12	0
254	कोरबा	शासकीय महाविद्यालय, करतला	0	0	12	4
255	कोरबा	शासकीय महाविद्यालय, दीपका	0	0	11	5
256	कोरबा	शासकीय महाविद्यालय, बरपाली	1	1	13	4
257	कोरबा	नवीन शासकीय महाविद्यालय, पाली	3	3	12	2
258	कोरबा	शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय, हरदीबाजार	6	6	35	26
259	कोरबा	शासकीय नवीन महाविद्यालय, जटगा	0	0	10	4
260	कोरबा	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बॉकी मोंगरा	0	0	12	4
261	कोरबा	शास. आदर्श महा., बंजारी	0	0	12	11
262	कोरबा	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय कोरबा	0	0	12	11
263	कोरबा	शासकीय नवीन महाविद्यालय, रामपुर			12	12
264	कोरबा	शासकीय नवीन महाविद्यालय, उमरेली,			12	9
	योग		29	29	231	106
265	रायगढ़	शासकीय पालुराम धनानिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़	3	3	20	10
266	रायगढ़	शासकीय किशोरी मोहन त्रिपाठी महिला महाविद्यालय, रायगढ़	5	5	21	9
267	रायगढ़	शासकीय किरोड़ीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़	14	14	50	14
268	रायगढ़	शासकीय महात्मा गांधी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, खरसिया	7	7	21	6
269	रायगढ़	शासकीय संत गहिरा गुरु रामेश्वर महाविद्यालय, लैलूंगा	2	2	13	3
270	रायगढ़	शासकीय महाविद्यालय, धरमजयगढ़	0	0	13	3
271	रायगढ़	शासकीय महाविद्यालय, तमनार	7	7	12	3
272	रायगढ़	शासकीय महाविद्यालय, घरघोड़ा	0	0	11	0
273	रायगढ़	हीद वीर नारायण सिंह शासकीय महाविद्यालय जोबी	0	0	10	4
274	रायगढ़	विष्णुचरण गुप्ता शासकीय नवीन महाविद्यालय, पुसौर	0	0	12	2
275	रायगढ़	शासकीय नवीन महाविद्यालय चपले	0	0	12	0
276	रायगढ़	शासकीय नवीन महाविद्यालय कुसमुरा	0	0	12	4
277	रायगढ़	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय रायगढ़	0	0	12	12
278	रायगढ़	नवीन शासकीय शारीरिक स्नातक महाविद्यालय, रायगढ़	0	0	5	5
279	रायगढ़	नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय, रायगढ़	0	0	5	5
	योग		38	38	229	80
280	सारंगढ़-बिलाईगढ़	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़	9	9	21	7
281	सारंगढ़-बिलाईगढ़	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, सारंगढ़-बिलाईगढ़	0	0	12	11
282	सारंगढ़-बिलाईगढ़	डॉ. शक्राजीत नायक शासकीय महाविद्यालय, बरमकैला	2	2	14	3
283	सारंगढ़-बिलाईगढ़	शशीधर पंडा शासकीय नवीन महाविद्यालय, सरिया	0	0	12	4
284	सारंगढ़-बिलाईगढ़	शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगांव	0	0	9	4
285	सारंगढ़-बिलाईगढ़	शासकीय शहीद वीर नारायण महाविद्यालय, बिलाईगढ़	0	0	12	7
	योग		11	11	80	36
286	जशपुर	शासकीय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर	8	8	31	9
287	जशपुर	शासकीय विजयभूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय, जशपुरनगर	4	4	14	4
288	जशपुर	शासकीय ठाकुर शोभासिंह महाविद्यालय, पत्थलगांव	2	2	13	3
289	जशपुर	शासकीय बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय, कुनकुरी	1	1	14	3
290	जशपुर	शासकीय संत रामेश्वर गहिरा गुरुजी महाविद्यालय, बागीचा	0	0	10	4


 अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स.क्र.	जिला	शासकीय महाविद्यालय का नाम	प्राध्यापक		सहायक प्राध्यापक	
			स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7
291	जशपुर	लिखन साय शासकीय महाविद्यालय, तपकरा	0	0	11	1
292	जशपुर	शासकीय महाविद्यालय, दुलदुला	0	0	10	4
293	जशपुर	नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय, आरा	2	2	11	4
294	जशपुर	शासकीय महाविद्यालय, कांसाबेल	0	0	10	4
295	जशपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मनोरा	0	0	10	5
296	जशपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बागबहार	0	0	10	4
297	जशपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सन्ना	0	0	12	5
298	जशपुर	नवीन शासकीय महाविद्यालय, फरसाबहार			12	12
299	जशपुर	नवीन शासकीय महाविद्यालय, करडेगा			12	12
	योग		17	17	180	74
300	सरगुजा	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर	13	13	67	14
301	सरगुजा	शासकीय राजमोहनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर	5	5	31	12
302	सरगुजा	शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सीतापुर	2	2	14	2
303	सरगुजा	शासकीय राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय, उदयपुर	0	0	10	2
304	सरगुजा	नवीन शासकीय महाविद्यालय, बतौली	0	0	10	3
305	सरगुजा	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर	2	2	10	2
306	सरगुजा	शासकीय नवीन महाविद्यालय लखनपुर	0	0	10	4
307	सरगुजा	शासकीय नवीन महाविद्यालय कमलेश्वरपुर	0	0	10	1
308	सरगुजा	शासकीय नवीन महाविद्यालय धौरपुर	0	0	12	12
309	सरगुजा	शासकीय नवीन संगीत महाविद्यालय अंबिकापुर	0	0	5	5
	योग		22	22	179	57
310	सूरजपुर	शासकीय रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय, सूरजपुर	7	7	14	0
311	सूरजपुर	शासकीय कालीदास महाविद्यालय, प्रतापपुर	0	0	11	3
312	सूरजपुर	शासकीय महाविद्यालय, विश्रामपुर	0	0	13	6
313	सूरजपुर	शासकीय महाविद्यालय, रामानुजनगर	0	0	12	7
314	सूरजपुर	शासकीय महाविद्यालय, प्रेमनगर	0	0	10	6
315	सूरजपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सिलफिली	0	0	10	4
316	सूरजपुर	पं. रविशंकर त्रिपाठी शासकीय महाविद्यालय भैयाथान	2	2	12	6
317	सूरजपुर	शासकीय महाविद्यालय, ओडगी	0	0	10	6
318	सूरजपुर	नवीन शासकीय महाविद्यालय, डुमरिया (जरही)	0	0	10	6
319	सूरजपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, चांदनी बिहारपुर	0	0	10	8
320	सूरजपुर	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, सूरजपुर	0	0	12	4
	योग		9	9	124	56
321	बलरामपुर	शासकीय स्व. श्री महली भगत महाविद्यालय, कुसमी	1	1	9	3
322	बलरामपुर	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, वाड्डफनगर	0	0	15	9
323	बलरामपुर	शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय, रामानुजगंज	8	8	13	8
324	बलरामपुर	शासकीय महाविद्यालय, बलरामपुर	2	2	13	7
325	बलरामपुर	शासकीय महाविद्यालय, राजपुर	0	0	10	3
326	बलरामपुर	शासकीय महाविद्यालय, सनावल	0	0	10	5
327	बलरामपुर	अरुण प्रताप सिंहदेव शासकीय महाविद्यालय, शंकरगढ़	0	0	10	4
328	बलरामपुर	नवीन शासकीय महाविद्यालय, रामचन्द्रपुर	0	0	10	5
329	बलरामपुर	शासकीय कन्या महाविद्यालय, बलरामपुर	0	0	12	7
330	बलरामपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, रघुनाथनगर	0	0	12	12
331	बलरामपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, रनहत	0	0	12	12
	योग		11	11	126	75
332	कोरिया	शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर	9	9	19	10


अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स.क्र.	जिला	शासकीय महाविद्यालय का नाम	प्राध्यापक		सहायक प्राध्यापक	
			स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7
333	कोरिया	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर	6	6	10	5
334	कोरिया	पं. ज्वालाप्रसाद उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय, पटना	2	2	13	10
335	कोरिया	नवीन शासकीय महाविद्यालय, सोनहत	0	0	10	8
336	कोरिया	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पोड़ी बचरा	0	0	12	12
	योग		17	17	64	45
337	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़	4	4	20	6
338	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय, चिरमिरी	7	7	24	14
339	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	शासकीय महाविद्यालय, जनकपुर	1	1	12	5
340	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	शासकीय मां महामाया महाविद्यालय, खड़गवां	1	1	10	8
341	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, केलहारी	0	0	10	8
342	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, नागपुर	0	0	12	6
343	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	0	0	12	9
	योग		13	13	100	56
	महायोग		780	780	5415	2512


 अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

(राशि रु.लाखों में)

क	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	रिमार्क
1	सी.सी.रोड निर्माण कार्य मिनीमाता चौक से मेनरोड तक पिटौरा	10.00	
2	नदी किनारे गांव सहगांव क्षतिग्रस्त गलियों में सी.सी.रोड निर्माण	20.00	
3	क्षतिग्रस्त पुल नवीनीकरण कार्य पथरिया(सह.)	1.80	
4	रोहित निषाद खेत के पास, पुल नवीनीकरण कार्य मेड़ेसरा	20.00	
5	शमशान घाट नाला के पास क्षतिग्रस्त पुलिया नवीनीकरण नंदिनी खुंदिनी	18.00	
6	नाली व सी.सी.रोड निर्माण(नरेन्द्र धीवर घर से सोनू घर तक नारधा)	10.00	
7	वार्ड क्र.01 महादेव मंदिर से छटवा तालाब तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	10.00	
8	वार्ड क्र. 4 नहर पुल से यादव पारा तक विद्युत प्रकाश व्यवस्था	10.00	

विधानसभा क्षेत्र-साजा

1	यात्री प्रतिकालय, ग्राम पंचायत बिरनपुर	10.00	
2	यात्री प्रतिकालय, ग्राम पंचायत बिरनपुर	10.00	
3	यात्री प्रतिकालय, ग्राम पंचायत पिपरिया	10.00	
4	यात्री प्रतिकालय, ग्राम पंचायत गाड़ाडीह	10.00	
5	यात्री प्रतिकालय, ग्राम पंचायत गोड़मर्वा	10.00	
6	यात्री प्रतिकालय, ग्राम पंचायत मुसवाडीह	10.00	
7	यात्री प्रतिकालय, ग्राम पंचायत परसबोड़	10.00	
8	यात्री प्रतिकालय, ग्राम पंचायत पतौरा	10.00	
9	यात्री प्रतिकालय, ग्राम पंचायत तेन्दुभाठा	10.00	
10	यात्री प्रतिकालय, ग्राम पंचायत डोंगीतराई	10.00	

अनुभाग अधिकारी

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, नवा रायपुर

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अरुणचल नगर

पारिशेष्य - बयासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्र. 1559) की जानकारी

सक्ती जिला अंतर्गत वन विभाग द्वारा अप्रैल, 2024 से 02 फरवरी, 2026 तक वृक्षारोपण हेतु दी गई स्वीकृति का वर्षवार, परिक्षेत्रवार, स्थलवार, व्यय राशि, पौधों की वर्तमान स्थिति, वृक्षारोपण हेतु निर्धारित एजेंसी एवं देखरेख हेतु प्रावधान/मापदण्ड का विवरण

प्रपत्र-01

वर्ष	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण स्थल का नाम	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	जीवित पौधों प्रतिशत	स्वीकृत राशि (रु. में)	व्यय राशि (रु. में)	वृक्षारोपण हेतु निर्धारित एजेंसी का नाम	रखरखाव हेतु प्रावधान / मापदण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2024-25	जांजगीर-चांपा-सक्ती	सक्ती	पथ वृक्षारोपण जुड़गा से सुंदरेली	4000	4000	100%	4537000	4421314	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	
2024-25	जांजगीर-चांपा-सक्ती	सक्ती	आर.एफ. 44 लोहराकोट	35200	33440	95%	7705700	7103832	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	
2024-25	जांजगीर-चांपा-सक्ती	सक्ती	आर.एफ. 22 मोहगांव	22000	18700	85%	5478200	5423022	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	वृक्षारोपण के पश्चात तीन वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जाता है। वृक्षारोपण क्षेत्र का सी.पी.टी., बारबैंड वायर, चैनेलिंग फंसिंग कार्य किया जाता है। श्रमिकों एवं स्थानीय वन प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा सुरक्षा की जाती है।
2025-26 (02-02-26)	जांजगीर-चांपा-सक्ती	सक्ती	योग 2024-25 आर.एफ. 44 लोहराकोट	61200 27500	56140 27500	92% 100%	17720900 10972675	16948168 10972371		
			योग 2025-26(02.02.26 तक)	27500	27500	100%	10972675	10972371		
			कुलयोग (वर्ष 24-25 एवं 25-26)	88700	83640	94%	28693575	27920539		

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(विकास योजना / बजट लेखा एवं ऑडिट)
छत्तीसगढ़, अटल नगर

पारोक्ष - तिरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 62 (क्र. 1560) की जानकारी

“प्रपत्र”

प्रश्नाधीन अवधि में वित्तीय अनियमितताओं की संज्ञान में आयी शिकायतों पर कार्यवाही की जानकारी

क्र.	शिकायत का विषय	की गई कार्यवाही
1	2	3
1	सहकारी बैंक शाखा डभरा एवं चन्द्रपुर के सेवा सहकारी समितियों में फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्यवाही करने के संबंध में।	सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सक्ती द्वारा जांच दल का गठन किया गया है। जांच प्रक्रियाधीन है।
2	पूर्व सुपरवाइजर श्री जी.पी. राव ने दिखाया अपना कमाल, दिनांक 28/02/2024 को समिति आहरण के संबंध में।	शिकायत की जांच सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सक्ती के द्वारा जांच दल का गठन किया जाकर जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में श्री जी.पी. राव, सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायत प्रमाणित पाई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर द्वारा श्री जी.पी. राव, सुपरवाइजर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 53 बी के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	फर्जी ऋण के संबंध में।	सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सक्ती द्वारा जांच दल का गठन किया गया है। जांच प्रक्रियाधीन है।
4	धान खरीदी में नगद राशि आहरण के संबंध में।	शिकायत की जांच कराई गई, जांच प्रतिवेदन के आधार पर सेवा सहकारी समिति के दोषी पाये गये तत्कालीन संस्था प्रबंधक श्री मनोज कुमार पटेल को निलंबित किया गया है तथा उनके विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही संस्था को हुई आर्थिक क्षति के संबंध में सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला-सक्ती द्वारा विशेष अंकेक्षण हेतु टीम का गठन किया गया है। विशेष अंकेक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

5	संस्था प्रबंधक सेवा सहकारी समिति सौंठी-34 द्वारा फर्जी ऋण वितरण के संबंध में।	सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सक्ती द्वारा गठित जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के द्वारा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
6	पूर्व विक्रेता संजय बंजारे प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, कटेकोनी 1065 में अनियमितता के संबंध में।	सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सक्ती द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच प्रक्रियाधीन है।
7	जिला सक्ती अंतर्गत सेवा सहकारी समितियों में फर्जी के.सी.सी. लोन वितरण करने वाले प्रभारी संस्था प्रबंधक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, शाखा प्रबंधक, सुपरवाइजर, तत्कालीन प्राधिकारी अध्यक्ष एवं शिकायत होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं करने की जांच एवं दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करने बाबत।	सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सक्ती द्वारा जांच दल का गठन किया गया है। जांच प्रक्रियाधीन है।
8	श्री अश्वनी पाण्डेय, तत्कालीन शाखा प्रबंधक, डभरा और वर्तमान नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जिला जांजगीर और जिला सक्ती (छ.ग) के द्वारा फर्जी ऋण राशि का भ्रष्टाचार करने के संबंध में शिकायत बाबत।	संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच प्रक्रियाधीन है।
9	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर की शाखा सक्ती के शाखा प्रबंधक श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा धान खरीदी वर्ष 2024-2025 के हमाली राशि 22 रुपये में से 4 रुपये की राशि अवैध रूप से मांग करने के विरुद्ध शिकायत बाबत।	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर नोडल अधिकारी सक्ती द्वारा शिकायत की जांच की गई। जांच प्रतिवेदन में शिकायत प्रमाणित नहीं पाई गई।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

पारिशेष्य - चौरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्र. 1563) की जानकारी

प्रपत्र-अ

विभागीय मद से प्रश्नांकित अवधि में ई-कुबेर के अंतर्गत मजदूरी भुगतान हेतु निर्धारित के अनुसार मजदूरों को उनके बैंक खाते में ऑनलाईन मजदूरी भुगतान किया जा रहा है।

मनरेगा योजना अंतर्गत वेबसाइट से मजदूरी भुगतान हेतु ईएफएमएस/एफ.टी.ओ. प्रणाली का उपयोग किया जाता है जिसमें मजदूरी भुगतान हेतु कार्योपरांत एम.आई.एस. में वेजलिस्ट तैयार किया जाता है। जिसमें मजदूर का नाम बैंक खाता, आई.एफ.एस.सी. कोड, जॉब कार्ड नंबर एवं राशि की संपूर्ण जानकारी दर्ज होती है, जिसका सत्यापन परिक्षेत्र अधिकारी एवं उपवनमंडलाधिकारी द्वारा आनलाईन (ईएमबी वेरीफिकेशन) किया जाता है। तत्पश्चात वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर (डीएससी) कर एफ.टी.ओ. जारी किया जाता है एवं राशि सीधे पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से मजदूरों के बैंक खाते में अंतरित हो जाती है।

एन.ए.एफ.सी.सी. योजना अंतर्गत पी.एफ.एम.एस. प्रणाली द्वारा मजदूरी सूची तैयार कर बैंक को भेजा जाता है। बैंक द्वारा मजदूरी राशि संबंधित के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाती है।

कैम्पा योजना अंतर्गत मजदूरी भुगतान हेतु मजदूरी सूची तैयार किया जाकर बैंक के माध्यम से एफ.डी.एम.एस. (फंड डिसबर्समेंट मैनेजमेंट सिस्टम) प्रणाली के माध्यम से सीधे मजदूरों के बैंक खाते में मजदूरी राशि अंतरित की जाती है।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(विकास योजना/बजट लेखा एवं ऑडिट)
छत्तीसगढ़ अटल नगर

प्रपत्र-ब

वर्ष	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	योजना का नाम	मजदूरी मद अंतर्गत व्यय राशि (रु.में)
1	2	3	4	5
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कांकेर	कांकेर	विभागीय	23016403
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कांकेर	कांकेर	जिला खनिज संस्थान न्साय निधि (डी. एम.एफ.)	177863
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कांकेर	कांकेर	कैम्पा	6810798
			योग (कांकेर परिक्षेत्र) :-	30005064
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कांकेर	सरोना	विभागीय	6880762
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कांकेर	सरोना	सिविल जमा	105117
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कांकेर	सरोना	कैम्पा	4034459
			योग (सरोना परिक्षेत्र) :-	11020338
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कांकेर	नरहरपुर	विभागीय	17366346
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कांकेर	नरहरपुर	कैम्पा	5329659
			योग (नरहरपुर परिक्षेत्र) :-	22696005
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कांकेर	चारामा	विभागीय	22279971
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कांकेर	चारामा	ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम	2754265
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कांकेर	चारामा	सिविल जमा	205099
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कांकेर	चारामा	कैम्पा	7841168
			योग (चारामा परिक्षेत्र) :-	33080503
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कांकेर	कोरर	विभागीय	26214286
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कांकेर	कोरर	कैम्पा	6493535
			योग (कोरर परिक्षेत्र) :-	32707821
			कुल योग (कांकेर वनमंडल) :-	129509731
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोंडागांव	कोंडागांव	विभागीय	30918946
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोंडागांव	कोंडागांव	सिविल जमा मद	311305
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोंडागांव	कोंडागांव	कैम्पा	10193369
			योग (कोण्डागांव परिक्षेत्र) :-	41423620
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोण्डागांव	मर्दापाल	विभागीय	12782308
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोण्डागांव	मर्दापाल	सिविल जमा मद	154741
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोण्डागांव	मर्दापाल	कैम्पा	2338499
			योग (मर्दापाल परिक्षेत्र) :-	15275548
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोण्डागांव	नारंगी	विभागीय	13968205
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोण्डागांव	नारंगी	सिविल जमा मद	198547
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोण्डागांव	नारंगी	कैम्पा	12756837
			योग (नारंगी परिक्षेत्र) :-	26923589
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025	कोण्डागांव	काष्ठागार कोण्डागांव	विभागीय	16830495
			योग (काष्ठागार कोण्डागांव) :-	16830495
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोंडागांव	मुलमुला	विभागीय	18755056

वर्ष	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	योजना का नाम	मजदूरी मद अंतर्गत व्यय राशि (रु.में)
1	2	3	4	5
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोंडागांव	मुलमुला	कैम्पा	2020656
			योग (मुलमुला परिक्षेत्र) :-	20775712
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोंडागांव	दहीकोंगा	विभागीय	20191783
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोंडागांव	दहीकोंगा	सिविल जमा मद	184653
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोंडागांव	दहीकोंगा	कैम्पा	3539895
			योग (दहीकोंगा परिक्षेत्र) :-	23916331
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोण्डागांव	अमरावती	विभागीय	38509662
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोण्डागांव	अमरावती	कैम्पा	5735140
			योग (अमरावती परिक्षेत्र) :-	44244802
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोंडागांव	माकड़ी	विभागीय	18085591
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोंडागांव	माकड़ी	कैम्पा	5537911
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोंडागांव	माकड़ी	ग्रीन इंडिया मिशन	6856747
			योग (माकड़ी परिक्षेत्र) :-	30480249
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोण्डागांव	अमरावती (उत्पा.)	विभागीय	30109864
			योग (अमरावती (उत्पा.) परिक्षेत्र) :-	30109864
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोण्डागांव	कोंडागांव (उत्पा.)	विभागीय	12612712
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	कोण्डागांव	कोंडागांव (उत्पा.)	सिविल जमा मद	967761
			योग (कोण्डागांव (उत्पा.) परिक्षेत्र) :-	13580473
			कुलयोग (कोण्डागांव वनमंडल) :-	263560683
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	धमतरी	विभागीय	34637986
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	धमतरी	अन्य विभाग (सिविल डिपॉजिट)	2812239
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	धमतरी	मनरेगा	337248
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	धमतरी	कैम्पा	705086
			योग (धमतरी परिक्षेत्र) :-	38492559
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	करेगांव	विभागीय	53122176
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	करेगांव	अन्य विभाग (सिविल डिपॉजिट)	12049
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	करेगांव	पर्यटन विभाग (सिविल डिपॉजिट)	175905
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	करेगांव	मनरेगा	1611603
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	करेगांव	कैम्पा	10794817
			योग (करेगांव परिक्षेत्र) :-	65716550
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	उत्तर सिंगपुर	विभागीय	42338656
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	उत्तर सिंगपुर	अन्य विभाग (सिविल डिपॉजिट)	120692
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	उत्तर सिंगपुर	मनरेगा	227007
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	उत्तर सिंगपुर	कैम्पा	11363772
			योग (उत्तर सिंगपुर परिक्षेत्र) :-	54050127
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	दक्षिण सिंगपुर	विभागीय	30983431
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	दक्षिण सिंगपुर	मनरेगा	247167
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	दक्षिण सिंगपुर	कैम्पा	5741908
			योग (दक्षिण सिंगपुर परिक्षेत्र) :-	36972506

वर्ष	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	योजना का नाम	मजदूरी मद अंतर्गत व्यय राशि (रु.में)
1	2	3	4	5
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	दुगली	विभागीय	46857675
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	दुगली	एन.ए.एफ.सी.सी.	4329678
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	दुगली	कैम्पा	1823929
			योग (दुगली परिक्षेत्र) :-	53011282
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	नगरी	विभागीय	48858707
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	नगरी	अन्य विभाग (सिविल डिपॉजिट)	33072
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	नगरी	कैम्पा	2886482
			योग (नगरी परिक्षेत्र) :-	51778261
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	सांकरा	विभागीय	17523485
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	सांकरा	कैम्पा	7059516
			योग (सांकरा परिक्षेत्र) :-	24583001
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	बिरगुडी	विभागीय	35289262
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	बिरगुडी	अन्य विभाग (सिविल डिपॉजिट)	2862752
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	बिरगुडी	मनरेगा	1228605
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	बिरगुडी	कैम्पा	6791531
			योग (बिरगुडी परिक्षेत्र) :-	46172150
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	सिंगपुर उत्पादन	विभागीय	6051553
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	नगरी उत्पादन	विभागीय	6312238
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	बिरगुडी उत्पादन	विभागीय	27806473
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	काष्ठागार धमतरी	विभागीय	4601885
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	काष्ठागार धमतरी	अन्य विभाग (सिविल डिपॉजिट)	39769
			योग (काष्ठागार धमतरी परिक्षेत्र) :-	4641654
जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक	धमतरी	काष्ठागार नगरी	विभागीय	7079942
			कुलयोग (धमतरी वनमंडल) :-	422668296
			महायोग (कांकर, कोण्डागांव एवं धमतरी वनमंडल):-	815738710


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 (विकास योजना/बजट लेखा एवं ऑडिट)
 छत्तीसगढ़, अटल नगर
 २०२५

प्रपत्र-स

वर्ष	मजदूरी भुगतान में अनियमितता एवं राशि दुरुपयोग संबंधित शिकायत का विवरण		शिकायत दिनांक	शिकायत का विवरण	शिकायत पर की गई जांच का विवरण	दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों का नाम एवं पदनाम तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही
	शिकायतकर्ता का नाम	2				
01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर, 2025	श्री नलिन पाण्डेय पत्रकार, शिखर वार्ता कोण्डागांव	27-5-2025	कांकर वनमंडल अंतर्गत चारामा रेंज के डिप्टी रेंजर श्री युगल किशोर सोनबोइर, तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी श्री रहमान खान एवं अन्य के विरुद्ध की गई गंभीर शिकायत के संबंध में जांच कराकर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बाबत।	छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्र. ESTB-1024(2)/562/2025-FOREST दिनांक 12.08.2025 एवं मुख्य वन संरक्षक (सतकर्ता शिकायत) के पत्र क्र./सत.शिका/शा./139489 दिनांक 19.08.2025 तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर बस्तर कांकर के पत्र क्र./वरि.पु.अ./कांकर/शिकायत/ एल-347/2024 दिनांक 22.11.2024 के माध्यम से उक्त शिकायत प्राप्त हुई है। प्रकरण की जांच हेतु मुख्य वन संरक्षक कांकर के आदेश पत्र क्र./74 दिनांक 21.04.2025 द्वारा उप वनमंडलाधिकारी कांकर की अध्यक्षता में 02 सदस्यीय समिति गठित किया गया है। जांच प्रतिवेदन पस्तुत करने हेतु मुख्य वन संरक्षक कांकर के पत्र क्र./5730 दिनांक 18.08.2025 एवं 6082 दिनांक 04.09.2025 द्वारा समिति को निर्देशित किया गया है, जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।		
01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर, 2025	श्री टेकेश्वर जैन, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़	— (प्र.मु.व.सं. छ.ग. रायपुर के पत्र क्र. /342 दिनांक 26.12.2025 द्वारा प्राप्त)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में पर्यावरण वानिकी योजना अंतर्गत स्वीकृत ईको पर्यटन नेचर पार्क चारामा वनमंडल कांकर जिला कांकर को स्वीकृत राशि रु. 49.55 लाख से निर्मित नेचर पार्क में कार्य की गुणवत्ता एवं फर्जी मस्टररोल राशि रु. 29.73 लाख के माध्यम से संबंधित चारामा वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा भुगतान कर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है।	शिकायत की जांच हेतु मुख्य वन संरक्षक, कांकर के पत्र क्र./शिका.सा./95 दिनांक 07.01.2026 द्वारा वनमंडलाधिकारी कांकर को निर्देशित किया गया है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।		
01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर, 2025	समस्त ग्रामवासी, नगरी, जिला-धमतरी	18-8-2025	(1) धमतरी वनमंडल अंतर्गत नगरी परिक्षेत्र में किए गए कार्यों की मजदूरी भुगतान कराने एवं भ्रष्टाचार में लिप्त रेंजर को यहाँ से हटाने बाबत।	वनमंडलाधिकारी, धमतरी के पत्र क्रमांक/69534 दिनांक 09.01.2026 द्वारा जांच प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक रायपुर को प्रेषित किया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार किसी भी श्रमिक का मजदूरी भुगतान लंबित नहीं पाया गया तथा पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में संबंधित रेंजर से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है। वनमंडलाधिकारी धमतरी द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त के पत्र क्र./245674 दिनांक 13.01.2026 द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सत./शिका.) को प्रेषित किया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सत./शिका.) के पत्र क्र./336936 दिनांक 28.01.2026 के द्वारा शिकायत को नस्तीबद्ध किए जाने हेतु छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को लेख किया गया है।		

वर्ष	मजदूरी भुगतान में अनियमितता एवं राशि दुरुपयोग संबंधित शिकायत का विवरण		शिकायत दिनांक	शिकायत का विवरण	शिकायत पर की गई जांच का विवरण	दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों का नाम एवं पदनाम तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही
	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत दिनांक				
1	2	3	4	5	6	
01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर, 2025	श्री धर्मराज सिंह, ग्राम राजपुर, धमतरी	20-8-2025	(2) धमतरी वनमंडल अंतर्गत नगरी परिक्षेत्र में किए गए कार्यों की मजदूरी भुगतान कराने एवं भ्रष्टाचार में लिप्त रेंजर को यहाँ से हटाने बाबत ।	वनमंडलाधिकारी धमतरी के पत्र क्र. 64733 दिनांक 06.01.2026 द्वारा जांच प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त को प्रेषित किया गया जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायतकर्ता श्री धर्मराज सिंह नामक व्यक्ति ग्राम राजपुर, जिला-धमतरी का निवासी नहीं है तथा समस्त कार्यों का मजदूरी भुगतान संबंधित श्रमिकों को प्राप्त होना पाया गया है तथा राजपुर के निवासियों/श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत पंचनामा में स्पष्ट उल्लेख किया है कि समस्त कार्यों का मजदूरी भुगतान संबंधित श्रमिकों को प्राप्त हो चुका है, किसी भी श्रमिक का मजदूरी भुगतान लंबित नहीं है। मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त के पत्र क्रमांक/245645 दिनांक 13.01.2026 के द्वारा शिकायत नस्तीबद्ध किये जाने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सत./शिका.) को प्रेषित किया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सत./शिका.) के पत्र क्र./336936 दिनांक 28.01.2026 के द्वारा शिकायत को नस्तीबद्ध किए जाने हेतु छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को लेख किया गया है।		
01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर, 2025	श्री अब्दुल शेख करीम, कसारीडीह दुर्ग	8-5-2025	(3) मार्च एकाउंट 2025 के तहत बजट लैप्स न होने देने के लिए विभागीय कार्य को पूरा कराए फर्जी क्वाउचर के माध्यम से राशि का आहरण किये जाने की जांच हेतु तत्काल जांच टीम भेजने बाबत था। आपके अधीनस्थ वनमंडलों में वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत पर कठोर कार्रवाई हेतु अनुरोध। (शिकायत धमतरी/रायपुर/बलौदाबाजार/ गरियाबंद महासमुंद वनमण्डल से संबंधित है।)	वनमंडलाधिकारी, धमतरी के पत्र क्रमांक/2208 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा मुख्य वन संरक्षक रायपुर को प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार धमतरी वनमंडल के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयोजनेत्तर एवं आयोजना मद अंतर्गत प्राप्त बजट पर नियमानुसार कार्य उपरांत भुगतान की कार्यवाही नवीन पद्धति ई-कूबेर प्रणाली से किया गया है। भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार कार्यों के तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत ही बजट शीर्ष में प्राप्त बजट आबंटन के नियमानुसार की गई है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत निराधार एवं असत्य है। मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त के पत्र क्रमांक/6982 दिनांक 08.05.2025 द्वारा शिकायत की जांच करायी जाकर जांच प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। रायपुर/बलौदाबाजार/गरियाबंद/महासमुंद वनमंडल से प्रतिवेदन अप्राप्त है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।		

वर्ष	मजदूरी भुगतान में अनियमितता एवं राशि दुरुपयोग संबंधित शिकायत का विवरण		शिकायत दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	शिकायत पर की गई जांच का विवरण	दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों का नाम एवं पदनाम तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही
	1	2					
01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर, 2025	अब्दुल शेख करीम, कसारीडीह, दुर्ग	18-11-2025			(4) धमतरी वनमंडल में राज्य कैम्पा मद अंतर्गत कराये गये शासकीय कार्यों में भारी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच किये जाने बाबत । (राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो का शिकायत क्रमांक 372/2022)	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त के पत्र क्र./188450 दिनांक 25.11.2025 द्वारा शिकायत की जांच कराया जाकर जांच प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के वनमंडलाधिकारी धमतरी को निर्देश दिये गये हैं। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।	-
01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर, 2025	अब्दुल शेख करीम, कसारीडीह, दुर्ग	24-4-2025			(5) छत्तीसगढ़ वन विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में शिकायत एवं निष्पक्ष जांच की मांग।	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त के पत्र क्र./8782 दिनांक 13.06.2025 द्वारा शिकायत की जांच कराया जाकर जांच प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने हेतु वनमंडलाधिकारी धमतरी को निर्देश दिये गये हैं। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।	-
01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर, 2025	सुश्री मीरा अग्रोहा कॉलोनी रायपुर	24-11-2025			(6) श्री जाधव वनमंडलाधिकारी धमतरी, उपवनमंडलाधिकारी धमतरी, उपवनमंडलाधिकारी, बिरगुडी, वन परिक्षेत्र अधिकारी करेगांव, परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर सिंगपुर, परिक्षेत्र अधिकारी दुगली, परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी, परिक्षेत्र अधिकारी सांकरा, परिक्षेत्र अधिकारी बिरगुडी, परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण सिंगपुर, परिक्षेत्र सहायक, वनरक्षक के द्वारा माह फरवरी 2025 कैम्पा मद के प्रमाणकों में अलग-अलग सूची बनाकर परिवार वालों, रिश्तेदारों, पहचान वालों के नाम डलाकर परिक्षेत्र अधिकारी करेगांव 30,36,726/-, परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर सिंगपुर 12,40,262/- परिक्षेत्र अधिकारी सांकरा 15,29,442/- परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण सिंगपुर 76,212/-, परिक्षेत्र अधिकारी बिरगुडी 3,19,724/- कुल शासकीय भुगतान दर्शाकर शासकीय राशि रूपये 62,02,366/- गबन करने बाबत ।	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त के पत्र क्र./201971 दिनांक 05.12.2025 द्वारा वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल को शिकायत की जांच कराया जाकर जांच प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।	-

A

वर्ष	मजदूरी भुगतान में अनियमितता एवं राशि दुरुपयोग संबंधित शिकायत का विवरण		शिकायत पर की गई जांच का विवरण	दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों का नाम एवं पदनाम तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही
	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत दिनांक		
1	2	3	4	5
01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर, 2025	सुश्री मीरा, अग्रोहा कौलोनी रायपुर	17-11-2025	(7) श्री जाधव वनमंडलाधिकारी धमतरी, उपवनमंडलाधिकारी धमतरी, उपवनमंडलाधिकारी, बिरगुड़ी, वन परिक्षेत्र अधिकारी करेगांव, परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर सिंगपुर, परिक्षेत्र अधिकारी दुगली, परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी, परिक्षेत्र अधिकारी सांकरा, परिक्षेत्र अधिकारी बिरगुड़ी, परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण सिंगपुर, परिक्षेत्र सहायक, वनरक्षक के द्वारा माह अक्टूबर 2024, नवम्बर 2024, दिसम्बर 2024, जनवरी 2025 कैम्पा मद के प्रमाणकों में अलग-अलग सूची बनाकर परिवार वालों, रिश्तेदारों, पहचान वालों के नाम डालकर माह अक्टूबर 2024 में 6,92,793/- माह जनवरी 2024 में 66,19,806/- कुल शासकीय भुगतान दर्शाकर शासकीय राशि रुपये 1,06,91,051/- गबन करने बाबत ।	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त के पत्र क्र./199198 दिनांक 11.12.2025 द्वारा वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल को शिकायत की जांच कराया जाकर जांच प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।
01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर, 2025	सुश्री मीरा, अग्रोहा कौलोनी रायपुर	4-12-2025	(8) श्री जाधव वनमंडलाधिकारी धमतरी, उपवनमंडलाधिकारी धमतरी, उपवनमंडलाधिकारी, बिरगुड़ी, वन परिक्षेत्र अधिकारी करेगांव, उत्तर सिंगपुर, सांकरा, बिरगुड़ी, दक्षिण सिंगपुर, परिक्षेत्र सहायक, वनरक्षक के द्वारा माह फरवरी 2025 कैम्पा मद के प्रमाणकों में अलग-अलग सूची बनाकर पत्नी के नाम, परिवार के बच्चों के नाम, रिश्तेदारों के नाम पहचान वालों के नाम डालकर परिक्षेत्र करेगांव 27,62,797/- परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर सिंगपुर 33,26,156/- परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण सिंगपुर 11,08,816/- परिक्षेत्र नगरी 17,89,136/-, परिक्षेत्र अधिकारी दुगली 7,71,620/- परिक्षेत्र अधिकारी बिरगुड़ी 38,86,640/- कुल शासकीय भुगतान दर्शाकर शासकीय राशि रुपये 1,71,46,539/- गबन करने बाबत ।	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त के पत्र क्र./225420 दिनांक 29.12.2025 द्वारा वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल को शिकायत की जांच कराया जाकर जांच प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।

(प्रधान मुख्य वन संरक्षक
विकास योजना / बजट लेखा एवं ऑडिट)

छत्तीसगढ़, अटल नगर

24/12

पारोशेष्ट - पच्चासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 (क्र. 1564) की जानकारी

प्रपत्र-

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में विभिन्न वनमण्डलों में पदस्थ वायरलेस ऑपरेटर की जानकारी

क्र.	वनमण्डल /कार्यालय का नाम	वर्तमान में पदस्थ वायरलेस ऑपरेटर की संख्या
1	पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल	1
2	पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल	1
3	कोण्डागांव वनमण्डल	3
4	बस्तर वनमण्डल	6
5	कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर	2
6	दन्तेवाड़ा वनमण्डल	5
7	सुकमा वनमण्डल	2
8	सरगुजा वनमण्डल	4
9	सूरजपुर वनमण्डल	2
10	बलरामपुर वनमण्डल	1
11	कोरिया वनमण्डल	2
12	जशपुर वनमण्डल	5
13	गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सरगुजा	1
14	राजनांदगांव वनमण्डल	4
15	बालोद वनमण्डल	2
16	खैरागढ़ वनमण्डल	1
17	कवर्धा वनमण्डल	1
18	रायपुर वनमण्डल	10
19	गरियाबंद वनमण्डल	4
20	महासमुंद वनमण्डल	5
21	धमतरी वनमण्डल	4
22	बलौदाबाजार वनमण्डल	2
23	बिलासपुर वनमण्डल	3
24	मुंगेली वनमण्डल	1
25	अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी	2
26	मरवाही वनमण्डल	2
27	जांजगीर-चांपा वनमण्डल	1
28	कटघोरा वनमण्डल	1
29	रायगढ़ वनमण्डल	2
30	धरमजयगढ़ वनमण्डल	4
31	सारंगढ़-बिलाईगढ़ वनमण्डल	1
	योग	85

टीप:- छ.ग. शासन, वन विभाग के पत्र दिनांक 24.03.2008 द्वारा 161 वायरलेस ऑपरेटर के सांख्येत्तर पद के सृजन की सहमति दी गई है तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार विभिन्न वनमण्डलों/ कार्यालयों में दैनिक वेतन भोगी से नियमितीकरण कर, पदस्थ किया गया है। सांख्येत्तर पद पर कार्यरत शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति/मृत्यु या अन्य कारण से रिक्त होने पर पद स्वमेव समाप्त हो जाते हैं।



अनुभाग अधिकारी विभाग
वन एवं जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नवी दिल्ली
मंत्रालय, नवी दिल्ली

परिशेष - छियासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 65 (क्र. 1566) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र महासमुन्द में विद्युत सब स्टेशन/ ट्रांसफार्मर एवं विद्युत खंभों की मांग की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम	प्राप्त मांग			स्वीकृत कार्य			कार्य पूर्ण			अपूर्ण कार्य			अपूर्ण कार्य करने की संभावित तिथि	
			33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	11/4 के.व्ही. उपकेन्द्र	पोल	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	11/4 के.व्ही. उपकेन्द्र	पोल	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	11/4 के.व्ही. उपकेन्द्र	पोल	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	11/4 के.व्ही. उपकेन्द्र	पोल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	महासमुन्द	जामली	0	63 के.व्ही.ए	0	0	63 के.व्ही.ए	0	0	63 के.व्ही.ए	0	0	0	0	0	
2	महासमुन्द	वर्धमान नगर महासमुन्द	0	100 के.व्ही.ए	3	0	100 के.व्ही.ए	3	0	100 के.व्ही.ए	3	0	0	0	0	
3	महासमुन्द	नयापारा महासमुन्द	0	100 के.व्ही.ए	2	0	100 के.व्ही.ए	2	0	100 के.व्ही.ए	2	0	0	0	0	
4	महासमुन्द	सुभाष नगर महासमुन्द	0	100 के.व्ही.ए	2	0	100 के.व्ही.ए	2	0	100 के.व्ही.ए	2	0	0	0	0	
5	महासमुन्द	बी.टी.आई. रोड महासमुन्द	0	100 के.व्ही.ए	2	0	100 के.व्ही.ए	2	0	100 के.व्ही.ए	2	0	0	0	0	
6	महासमुन्द	श्रीराम कालोनी महासमुन्द	0	100 के.व्ही.ए	2	0	100 के.व्ही.ए	2	0	100 के.व्ही.ए	2	0	0	0	0	
7	महासमुन्द	नयापारा महासमुन्द	0	100 के.व्ही.ए	2	0	100 के.व्ही.ए	2	0	100 के.व्ही.ए	2	0	0	0	0	
8	महासमुन्द	बिरकोनी	0	63 के.व्ही.ए	0	0	63 के.व्ही.ए	0	0	63 के.व्ही.ए	0	0	0	0	0	
9	महासमुन्द	अयोध्यानगर महासमुन्द	0	100 के.व्ही.ए	5	0	100 के.व्ही.ए	5	0	100 के.व्ही.ए	5	0	0	0	0	
10	महासमुन्द	परसाडीह	0	63 के.व्ही.ए	5	0	63 के.व्ही.ए	5	0	63 के.व्ही.ए	5	0	0	0	0	
11	महासमुन्द	लभराखुर्द	0	63 के.व्ही.ए	17	0	63 के.व्ही.ए	17	0	63 के.व्ही.ए	17	0	0	0	0	
12	महासमुन्द	बेमवा	0	63 के.व्ही.ए	0	0	63 के.व्ही.ए	0	0	63 के.व्ही.ए	0	0	0	0	0	
13	महासमुन्द	परसदा (ब)	0	63 के.व्ही.ए	13	0	63 के.व्ही.ए	13	0	63 के.व्ही.ए	13	0	0	0	0	
14	महासमुन्द	खैरा	0	63 के.व्ही.ए	13	0	63 के.व्ही.ए	13	0	63 के.व्ही.ए	13	0	0	0	0	
15	महासमुन्द	कलेक्टर कॉलोनी महासमुन्द	0	100 के.व्ही.ए	5	0	100 के.व्ही.ए	5	0	100 के.व्ही.ए	5	0	0	0	0	
16	महासमुन्द	घोड़ा	0	63 के.व्ही.ए	4	0	63 के.व्ही.ए	4	0	63 के.व्ही.ए	4	0	0	0	0	
17	महासमुन्द	सातबहनिया मंदिर महासमुन्द	0	100 के.व्ही.ए	3	0	100 के.व्ही.ए	3	0	100 के.व्ही.ए	3	0	0	0	0	

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम	प्राप्त मांग			स्वीकृत कार्य			कार्य पूर्ण			अपूर्ण कार्य			अपूर्ण कार्य करने की संभावित तिथि
			33/11 के.सी. उपकेन्द्र	11/4 के.सी. उपकेन्द्र	पोल	33/11 के.सी. उपकेन्द्र	11/4 के.सी. उपकेन्द्र	पोल	33/11 के.सी. उपकेन्द्र	11/4 के.सी. उपकेन्द्र	पोल	33/11 के.सी. उपकेन्द्र	11/4 के.सी. उपकेन्द्र	पोल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	महासमुन्द	दलदली रोड नयापारा महासमुन्द	0	100 के.सी.ए.	2	0	100 के.सी.ए.	2	0	0	0	0	100 के.सी.ए.	2	जून 2026
19	महासमुन्द	पिटियाझर महासमुन्द	0	100 के.सी.ए.	3	0	100 के.सी.ए.	3	0	100 के.सी.ए.	3	0	0	0	
20	महासमुन्द	दरौ तलाब के पास पुराना रावण भाटा महासमुन्द	0	100 के.सी.ए.	7	0	100 के.सी.ए.	7	0	0	0	0	100 के.सी.ए.	7	जून 2026
21	महासमुन्द	महिलाग गली महासमुन्द	0	100 के.सी.ए.	5	0	100 के.सी.ए.	5	0	100 के.सी.ए.	5	0	0	0	
22	महासमुन्द	रायपुर रोड महासमुन्द	0	100 के.सी.ए.	3	0	100 के.सी.ए.	3	0	100 के.सी.ए.	3	0	0	0	
23	महासमुन्द	रमनटोला मयेवा	0	63 के.सी.ए.	13	0	63 के.सी.ए.	13	0	63 के.सी.ए.	13	0	0	0	
24	महासमुन्द	परसट्टी	0	63 के.सी.ए.	7	0	63 के.सी.ए.	7	0	63 के.सी.ए.	7	0	0	0	
25	महासमुन्द	तुमगांव	0	63 के.सी.ए.	5	0	63 के.सी.ए.	5	0	63 के.सी.ए.	5	0	0	0	
26	महासमुन्द	बरबसपुर	0	63 के.सी.ए.	3	0	63 के.सी.ए.	3	0	63 के.सी.ए.	3	0	0	0	
27	महासमुन्द	वार्ड नं. 10 तुमगांव	0	63 के.सी.ए.	8	0	63 के.सी.ए.	8	0	63 के.सी.ए.	8	0	0	0	
28	महासमुन्द	भोरिंग	0	63 के.सी.ए.	9	0	63 के.सी.ए.	9	0	63 के.सी.ए.	9	0	0	0	
29	महासमुन्द	मुस्की	0	63 के.सी.ए.	1	0	63 के.सी.ए.	1	0	63 के.सी.ए.	1	0	0	0	
30	महासमुन्द	लाफिनखुर्द	0	63 के.सी.ए.	33	0	63 के.सी.ए.	33	0	63 के.सी.ए.	33	0	0	0	
31	महासमुन्द	मीना बाजार तुमगांव	0	63 के.सी.ए.	3	0	63 के.सी.ए.	3	0	63 के.सी.ए.	3	0	0	0	
32	महासमुन्द	मेला ग्राउण्ड शिरपुर	0	200 के.सी.ए.	0	0	200 के.सी.ए.	0	0	200 के.सी.ए.	0	0	0	0	
33	महासमुन्द	शुभाष नगर महासमुन्द	0	100 के.सी.ए.	0	0	100 के.सी.ए.	0	0	100 के.सी.ए.	0	0	0	0	
34	महासमुन्द	उमरदा	0	63 के.सी.ए.	22	0	63 के.सी.ए.	22	0	63 के.सी.ए.	22	0	0	0	
35	महासमुन्द	मुढ़ेना	0	63 के.सी.ए.	7	0	63 के.सी.ए.	7	0	0	0	0	63 के.सी.ए.	7	जून 2026
36	महासमुन्द	बिरकोनी	0	63 के.सी.ए.	6	0	63 के.सी.ए.	6	0	0	0	0	63 के.सी.ए.	6	जून 2026
37	महासमुन्द	इमलीभाटा महासमुन्द	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम	प्राप्त मांग		स्वीकृत कार्य		कार्य पूर्ण		अपूर्ण कार्य			अपूर्ण कार्य करने की संभावित तिथि				
			33/11 के.सी. उपकेन्द्र	11/4 के.सी. उपकेन्द्र	पोल											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
38	महासमुन्द	मौहारीभाठा महासमुन्द	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	
39	महासमुन्द	मुस्लीम जमात कबरीस्तान गंजपारा महासमुन्द	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	
40	महासमुन्द	मौहारीभाठा महासमुन्द	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	
41	महासमुन्द	कलेक्टर कालोनी महासमुन्द	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	
42	महासमुन्द	लाल दाड़ी पारा महासमुन्द	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	
43	महासमुन्द	मौहारीभाठा महासमुन्द	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	
44	महासमुन्द	गंजपारा महासमुन्द	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	
45	महासमुन्द	शिवानंद कौलोनी महासमुन्द	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	
46	महासमुन्द	पचरी	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
47	महासमुन्द	पचरी	0	63 के.सी.ए	4	0	63 के.सी.ए	4	0	0	4	0	0	0	0	
48	महासमुन्द	छिलपावन	0	63 के.सी.ए	3	0	63 के.सी.ए	3	0	0	3	0	0	0	0	
कुल योग			1	38	252	1	38	252	1	34	230	0	4	22		

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मन्नालय, नवा रायपुर अटल नगर

पारोशेष्ट - सत्तासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 66 (क्र. 1567) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

स.क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	लागत राशि (लाख में)
1	2023-24	जिला कार्यालय महासमुंद के प्रथम तल के विस्तार हेतु	महासमुंद	370.55
2	--	सरायपाली के तहसील, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं उप कोषालय कार्यालय के जिर्णोद्धार/उन्नयन हेतु	सरायपाली	143.37
3	--	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बसना के कार्यालय भवन निर्माण हेतु	बसना	48.03
4	--	सरायपाली में अपर कलेक्टर कार्यालय भवन निर्माण हेतु।	सरायपाली	81.00
5	--	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय महासमुंद में पार्किंग शेड निर्माण कार्य हेतु।	महासमुंद	6.34
6	--	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय महासमुंद में आंतरिक बी.टी.मार्ग एवं इंटरलाकिंग ब्लॉक कार्य।	महासमुंद	11.75
7	--	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय महासमुंद में भवन की पुताई एवं खिड़कियों में एल्युमिनियम कार्य, बैठक कक्ष में फर्नीशिंग आदि कार्य हेतु।	महासमुंद	20.02
8	--	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय पिथौरा में भवन मरम्मत तथा सुधार कार्य हेतु।	पिथौरा	35.99
9	--	तहसील कार्यालय पिथौरा में भवन मरम्मत तथा सुधार कार्य हेतु।	पिथौरा	14.87
10	--	तहसील कार्यालय भवन बागबाहरा में रिकार्ड रूम के मरम्मत कार्य हेतु।	बागबाहरा	5.95
11	--	तहसील कार्यालय भवन बागबाहरा का मरम्मत कार्य हेतु।	बागबाहरा	5.43
12	2024-25	लघु सिंचाई कार्य हेतु डूमेर तालाब गहरीकरण (ग्राम चिवराकुटा)	सरायपाली	5.00
13	--	लघु सिंचाई कार्य तालाब गहरीकरण कार्य हेतु (गंगा तालाब) (ग्राम दर्राभाठा बी)	सरायपाली	6.00
14	--	हाई मास्क-लाईट-प्रकाश व्यवस्था (ग्राम चिवराकुटा)	सरायपाली	6.00
15	--	हाई मास्क-लाईट-प्रकाश व्यवस्था (ग्राम गनियारीपाली/चिवराकुटा)	सरायपाली	6.00
16	--	हाई मास्क लाईट (ग्राम नवापाली/बोंदानवापाली)	सरायपाली	6.00
17	--	हाई मास्क लाईट (ग्राम बोंदा/बोंदानवापाली)	सरायपाली	6.00
18	--	रंगमंच निर्माण नूनपानी खाल्हेपारा (ग्राम नूनपानी)	सरायपाली	3.00
19	--	सी.सी.रोड निर्माण (जगन्नाथ मंदिर से समलाई मंदिर) (ग्राम जम्हारी)	सरायपाली	5.00
20	--	सी.सी.रोड निर्माण (सुरेन्द्र घर से मधुमगल घर की ओर) (ग्राम दर्राभाठा बी)	सरायपाली	6.00

21	--	सी.सी.रोड निर्माण (हेमसागर घर से बीच गली की ओर) (ग्राम पलसापाली / रिसेकेला)	सरायपाली	6.00
22	--	सी.सी.रोड निर्माण कार्य पाटसेंद्री (बडखाडीपा ताला से सामुदायिक भवन की ओर) (ग्राम पाटसेंद्री)	सरायपाली	6.00
23	--	सी.सी. रोड निर्माण -(रोहित घर से रामू घर की ओर) (ग्राम पलसापाली, ग्राम पंचायत पलसापाली (अ)।	बसना	10.00
24	--	चिमरकेल में सी.सी. रोड निर्माण सरदार घर से सुबेदास घर तक (ग्राम पंचायत चिमरकेल)	बसना	10.00
25	--	चिराचुंवा में सी.सी. रोड निर्माण साधु घर से रविशंकर के बाडी तक (ग्राम पंचायत चिराचुंवा)	बसना	5.00
26	--	नौगड़ी में सी.सी. रोड निर्माण उसत घर से भुवनेश्वर घर तक (ग्राम पंचायत नौगड़ी)	बसना	5.00
27	--	सराईपाली में सी.सी. रोड निर्माण शोभाराम घर से जगताराम घर तक (ग्राम सराईपाली / ग्राम पंचायत जोगीपाली)	बसना	5.00
28	--	गोहेदादर में सी.सी. रोड निर्माण हनुमान घर से प्रफुल्ल घर तक (ग्राम पंचायत कोलिहादेवरी)	बसना	5.00
29	--	कोलिहादेवरी में सी.सी. रोड निर्माण खगेश्वर घर से गणेशराम घर तक (ग्राम पंचायत कोलिहादेवरी)	बसना	5.00
30	--	गदहाभाठा में सी.सी. रोड निर्माण कुमार घर से पदमलाल घर तक (ग्राम-गदहाभाठा / ग्राम पंचायत-बरगांव)	बसना	5.00
31	--	बरगांव में सी.सी. रोड निर्माण किर्तन मंडली से डिग्री घर तक (ग्राम / ग्राम पंचायत बरगांव)	बसना	5.00
32	--	पौसरा में सी.सी. रोड निर्माण कपि घर से पोसन साहू के घर तक (ग्राम पंचायत पौसरा)	बसना	5.00
33	--	पौसरा में सी.सी. रोड निर्माण सदानंद साहू के घर से सुधर्मी के घर तक (ग्राम पंचायत पौसरा)	बसना	5.00
34	--	पौसरा सी.सी. रोड निर्माण संतगिरी के घर से दाउ सेठ के घर तक (ग्राम पंचायत पौसरा)	बसना	5.00
35	--	छोटे टेमरी में सी.सी.रोड निर्माण उप स्वा. केन्द्र से छोटे टेमरी के बस्ती तक (ग्राम छोटे टेमरी / ग्राम पंचायत बड़े टेमरी)	बसना	10.00
36	--	छोटे टेमरी में सी.सी. रोड निर्माण बलीदास घर से सुरेश के घर तक (ग्राम छोटे टेमरी / ग्राम पंचायत बड़े टेमरी)	बसना	10.00
37	--	सी.सी. रोड निर्माण (वार्ड नं. 3 सोना पटेल के घर से गजेन्द्र साहू के घर की ओर 400 मीटर) (ग्राम पंचायत अचानकपुर)	महासमुंद	10.40
38	--	सी.सी. रोड निर्माण (जगन घर से बेद कुमार घर की ओर 350 मीटर) (ग्राम पंचायत बंदोरा)	महासमुंद	9.10
39	--	सी.सी. रोड निर्माण (बाड़ा से हलधर घर की ओर 350 मीटर) (ग्राम पंचायत लहंगर)	महासमुंद	9.10
40	--	सी.सी. रोड निर्माण (मेन गली से महामाई की ओर 300 मीटर) (ग्राम पंचायत लहंगर)	महासमुंद	7.80

41	--	सी.सी. रोड निर्माण (वार्ड नं. 14 में बुधराम घर से हीराराम घर की ओर 350 मीटर) (ग्राम पंचायत लोहारडीह)	महासमुंद	9.10
42	--	सी.सी. रोड निर्माण (वार्ड नं. 1 में सरकारी कुआ से मेनरोड तक 350 मीटर) (ग्राम पंचायत परसाडीह)	महासमुंद	9.10
43	--	सी.सी. रोड निर्माण (बस्ती से धसकुड रास्ता की ओर 350 मीटर) (ग्राम पंचायत चुहरी)	महासमुंद	9.10
44	--	सी.सी. रोड निर्माण (दुकालु घर से तुलसी खैरवार घर की ओर 350 मीटर) (ग्राम पंचायत सुकुलबाय)	महासमुंद	9.10
45	--	सी.सी. रोड निर्माण (स्थराम घर से डेरहा घर की ओर 350 मीटर) (ग्राम पंचायत बांसकुड़ा)	महासमुंद	9.10
46	--	सी.सी. रोड निर्माण (ढेलुराम के घर से तालाब पहुंच मार्ग, 400 मीटर) (ग्राम परसापाली ग्राम पंचायत सोरम)	महासमुंद	10.40
47	--	सी.सी. रोड निर्माण (गणेशु घर से साजा नाला योगेश्वर घर तक 200 मीटर) (ग्राम/ग्राम पंचायत पथरी)	महासमुंद	5.20
48	--	सामुदायिक भवन निर्माण (बुद्धादेव देवालय के पास) (ग्राम/ग्राम पंचायत घुंचापाली कला)	बागबाहरा	18.00
49	--	सामुदायिक भवन निर्माण (पुजारीपाली नर्सरी के पास) (ग्राम पुजारीपाली, ग्राम पंचायत छिबरी)	सरायपाली	18.00
50	--	सामुदायिक भवन निर्माण (ग्राम हरटार, ग्राम पंचायत परसदा)	सरायपाली	18.00
51	--	सामुदायिक भवन निर्माण (हल्बा समाज) (ग्राम/ग्राम पंचायत अर्जुणडा)	सरायपाली	5.00
51 कार्य -महायोग				1,050.80


 अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

स.क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	विकासखंड का नाम	लागत राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति	कार्य पूर्णता की संभावित तिथि
1.	2023-24	जिला कार्यालय महासमुंद के प्रथम तल के विस्तार हेतु	महासमुंद	370.55	ट्रस कार्य पूर्ण एवं टाईल्स का कार्य प्रगतिरत्	14.03.2026
2.	--	सरायपाली के तहसील, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं उप कोषालय कार्यालय के जिर्णोद्धार/उन्नयन हेतु	सरायपाली	143.37	ग्रेनाईट एवं टाईल्स का कार्य प्रगति पर	15.04.2026
3.	--	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बसना के कार्यालय भवन निर्माण हेतु	बसना	48.03	प्रगति पर	30.04.2026
4.	--	सरायपाली में अपर कलेक्टर कार्यालय भवन निर्माण हेतु।	सरायपाली	81.00	कार्य पूर्ण	--
5.	--	अनुविभागीय अधिकारी (रा) कार्यालय महासमुंद में पार्किंग शेड निर्माण कार्य हेतु।	महासमुंद	6.34	कार्य पूर्ण	--
6.	--	अनुविभागीय अधिकारी (रा) कार्यालय महासमुंद में आंतरिक बी.टी.मार्ग एवं इंटरलाकिंग ब्लॉक कार्य।	महासमुंद	11.75	कार्य पूर्ण	--
7.	--	अनुविभागीय अधिकारी (रा) कार्यालय महासमुंद में भवन की पुताई एवं खिड़कियों में एल्युमिनियम कार्य, बैठक कक्ष में फर्नीशिंग आदि कार्य हेतु।	महासमुंद	20.02	कार्य पूर्ण	--
8.	--	अनुविभागीय अधिकारी (रा) कार्यालय पिथौरा में भवन मरम्मत तथा सुधार कार्य हेतु।	पिथौरा	35.99	कार्य पूर्ण	--
9.	--	तहसील कार्यालय पिथौरा में भवन मरम्मत तथा सुधार कार्य हेतु।	पिथौरा	14.87	कार्य पूर्ण	--
10.	--	तहसील कार्यालय भवन बागबाहरा में रिकार्ड रूम के मरम्मत कार्य हेतु।	बागबाहरा	5.95	कार्य पूर्ण	--
11.	--	तहसील कार्यालय भवन बागबाहरा का मरम्मत कार्य हेतु।	बागबाहरा	5.43	कार्य पूर्ण	--
12.	2024-25	लघु सिंचाई कार्य हेतु डूमेर तालाब गहरीकरण (ग्राम चिवराकुटा)	सरायपाली	5.00	कार्य पूर्ण	--
13.	--	लघु सिंचाई कार्य तालाब गहरीकरण कार्य हेतु (गंगा तालाब) (ग्राम दर्राभाठा बी)	सरायपाली	6.00	कार्य पूर्ण	--
14.	--	हाई मास्क-लाईट-प्रकाश व्यवस्था (ग्राम चिवराकुटा)	सरायपाली	6.00	कार्य पूर्ण	--
15.	--	हाई मास्क-लाईट-प्रकाश व्यवस्था (ग्राम गनियारीपाली/चिवराकुटा)	सरायपाली	6.00	कार्य पूर्ण	--

16.	--	हाई मास्क लाईट (ग्राम नवापाली/बोंदानवापाली)	सरायपाली	6.00	कार्य पूर्ण	-
17.	--	हाई मास्क लाईट (ग्राम बोंदा/बोंदानवापाली)	सरायपाली	6.00	कार्य पूर्ण	-
18.	--	रंगमंच निर्माण नूनपानी खाल्हेपारा (ग्राम नूनपानी)	सरायपाली	3.00	कार्य पूर्ण	-
19.	--	सी.सी.रोड निर्माण (जगन्नाथ मंदिर से समलाई मंदिर) (ग्राम जम्हारी)	सरायपाली	5.00	कार्य पूर्ण	-
20.	--	सी.सी.रोड निर्माण (सुरेन्द्र घर से मधुमगल घर की ओर) (ग्राम दर्राभाठा बी)	सरायपाली	6.00	कार्य पूर्ण	-
21.	--	सी.सी.रोड निर्माण (हेमसागर घर से बीच गली की ओर) (ग्राम पलसापाली/रिसेकेला)	सरायपाली	6.00	कार्य पूर्ण	-
22.	--	सी.सी.रोड निर्माण कार्य पाटसेंद्री (बड़खाडीपा ताला से सामुदायिक भवन की ओर) (ग्राम पाटसेंद्री)	सरायपाली	6.00	प्रगति पर	30.03.2026
23.	--	सी.सी. रोड निर्माण -(रोहित घर से रामू घर की ओर) (ग्राम पलसापाली, ग्राम पंचायत पलसापाली (अ)।	बसना	10.00	कार्य पूर्ण	-
24.	--	चिमरकेल में सी.सी. रोड निर्माण सरदार घर से सुबेदास घर तक (ग्राम पंचायत चिमरकेल)	बसना	10.00	कार्य पूर्ण	-
25.	--	चिराचुंवा में सी.सी. रोड निर्माण साधु घर से रविशंकर के बाडी तक (ग्राम पंचायत चिराचुंवा)	बसना	5.00	कार्य पूर्ण	-
26.	--	नौगडी में सी.सी. रोड निर्माण उसत घर से भुवनेश्वर घर तक (ग्राम पंचायत नौगडी)	बसना	5.00	कार्य पूर्ण	-
27.	--	सराईपाली में सी.सी. रोड निर्माण शोभाराम घर से जगताराम घर तक (ग्राम सराईपाली/ग्राम पंचायत जोगीपाली)	बसना	5.00	कार्य पूर्ण	-
28.	--	गोहेदादर में सी.सी. रोड निर्माण हनुमान घर से प्रफुल्ल घर तक (ग्राम पंचायत कोलिहादेवरी)	बसना	5.00	कार्य पूर्ण	-
29.	--	कोलिहादेवरी में सी.सी. रोड निर्माण खगेश्वर घर से गणेशराम घर तक (ग्राम पंचायत कोलिहादेवरी)	बसना	5.00	कार्य पूर्ण	-
30.	--	गदहाभाठा में सी.सी. रोड निर्माण कुमार घर से पदमलाल घर तक (ग्राम-गदहाभाठा/ग्राम पंचायत-बरगांव)	बसना	5.00	कार्य पूर्ण	-
31.	--	बरगांव में सी.सी. रोड निर्माण किर्तन मंडली से डिग्री घर तक (ग्राम/ग्राम पंचायत बरगांव)	बसना	5.00	कार्य पूर्ण	-
32.	--	पौसरा में सी.सी. रोड निर्माण कपि घर से पोसन साहू के घर तक (ग्राम पंचायत पौसरा)	बसना	5.00	कार्य पूर्ण	-
33.	--	पौसरा में सी.सी. रोड निर्माण सदानंद साहू के घर से सुधर्मी के घर तक (ग्राम पंचायत पौसरा)	बसना	5.00	कार्य पूर्ण	-

34.	--	पौसरा सी.सी. रोड निर्माण संतगिरी के घर से दाउ सेठ के घर तक (ग्राम पंचायत पौसरा)	बसना	5.00	कार्य पूर्ण	--
35.	--	छोटे टेमरी में सी.सी.रोड निर्माण उप स्वा. केन्द्र से छोटे टेमरी के बस्ती तक (ग्राम छोटे टेमरी/ग्राम पंचायत बड़े टेमरी)	बसना	10.00	कार्य पूर्ण	--
36.	--	छोटे टेमरी में सी.सी. रोड निर्माण बलीदास घर से सुरेश के घर तक (ग्राम छोटे टेमरी/ग्राम पंचायत बड़े टेमरी)	बसना	10.00	पूर्णता पर	28.02.2026
37.	--	सी.सी. रोड निर्माण (वार्ड नं. 3 सोना पटेल के घर से गजेन्द्र साहू के घर की ओर 400 मीटर) (ग्राम पंचायत अचानकपुर)	महासमुंद	10.40	कार्य पूर्ण	--
38.	--	सी.सी. रोड निर्माण (जगन घर से बेद कुमार घर की ओर 350 मीटर) (ग्राम पंचायत बंदोरा)	महासमुंद	9.10	कार्य पूर्ण	--
39.	--	सी.सी. रोड निर्माण (बाड़ा से हलधर घर की ओर 350 मीटर) (ग्राम पंचायत लहंगर)	महासमुंद	9.10	कार्य पूर्ण	--
40.	--	सी.सी. रोड निर्माण (मेन गली से महामाई की ओर 300 मीटर) (ग्राम पंचायत लहंगर)	महासमुंद	7.80	कार्य पूर्ण	--
41.	--	सी.सी. रोड निर्माण (वार्ड नं. 14 में बुधराम घर से हीराराम घर की ओर 350 मीटर) (ग्राम पंचायत लोहारडीह)	महासमुंद	9.10	अप्रारंभ	वन भूमि पर होने के कारण DFO MSD से प्रतिवेदन लेने के उपरांत AS जारी किया जावेगा।
42.	--	सी.सी. रोड निर्माण (वार्ड नं. 1 में सरकारी कुआ से मेनरोड तक 350 मीटर) (ग्राम पंचायत परसाडीह)	महासमुंद	9.10	कार्य पूर्ण	--
43.	--	सी.सी. रोड निर्माण (बस्ती से धसकुड रास्ता की ओर 350 मीटर) (ग्राम पंचायत चुहरी)	महासमुंद	9.10	90 मीटर पूर्ण कार्य प्रगतिरत	10 मार्च तक पूर्ण
44.	--	सी.सी. रोड निर्माण (दुकालु घर से तुलसी खैरवार घर की ओर 350 मीटर) (ग्राम पंचायत सुकुलबाय)	महासमुंद	9.10	कार्य पूर्ण	--
45.	--	सी.सी. रोड निर्माण (रथराम घर से डेरहा घर की ओर 350 मीटर) (ग्राम पंचायत बांसकुड़ा)	महासमुंद	9.10	कार्य पूर्ण	--
46.	--	सी.सी. रोड निर्माण (ढेलुराम के घर से तालाब पहुंच मार्ग, 400 मीटर) (ग्राम परसापाली ग्राम पंचायत सोरम)	महासमुंद	10.40	कार्य पूर्ण	--
47.	--	सी.सी. रोड निर्माण (गणेशु घर से साजा नाला योगेश्वर घर तक 200 मीटर) (ग्राम/ग्राम पंचायत पथरी)	महासमुंद	5.20	कार्य पूर्ण	--
48.	--	सामुदायिक भवन निर्माण (बुढ़ादेव देवालय के पास) (ग्राम/ग्राम पंचायत घुंचापाली कला)	बागबाहरा	18.00	प्लास्टर कार्य पूर्ण, टाईल्स व बिजली फिटिंग एवं पोताई कार्य प्रगतिरत	मार्च, 2026

49.	--	सामुदायिक भवन निर्माण (पुजारीपाली नर्सरी के पास) (ग्राम पुजारीपाली, ग्राम पंचायत छिबरी)	सरायपाली	18.00	सामग्री एकत्रीकरण	30.05.2027
50.	--	सामुदायिक भवन निर्माण (ग्राम हर्राटार, ग्राम पंचायत परसदा)	सरायपाली	18.00	प्लीथ लेवल	30.04.2026
51.	--	सामुदायिक भवन निर्माण (हल्बा समाज) (ग्राम/ग्राम पंचायत अर्जुणडा)	सरायपाली	5.00	सामग्री एकत्रीकरण	30.05.2026
		योग :-		1,050.80		


 अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारोशेष्ट - अट्टासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 67 (क्र. 1571) की जानकारी

प्रपत्र

क.	विधानसभा	शिकायत का विवरण	विभाग द्वारा की गई कार्यावाही
1.	कवर्धा	श्री तुलकदास कुर्रे, कवर्धा जयश्री ट्रेवल्स द्वारा कवर्धा से रायपुर संचालित आदरणीय बस सर्विस का वाहन 15 मिनट पूर्व कवर्धा से रवाना करने के संबंध में।	आदरणीय बस सर्विस के स्वामी को नोटिस जारी कर समय सारणी के अनुसार एवं परमिट शर्तों के अनुरूप यात्री बस का संचालन करने हेतु निर्देश दिया गया तथा शिकायतकर्ता को सूचित किया गया है तत्पश्चात दिनांक 29.01.2026 को आकषिक निरीक्षण किया गया जिसमें समय सारणी के अनुरूप पाया गया।
2	पंडरिया	निरंक	निरंक



अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

पारोक्ष - नवासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 69 (क्र. 1574) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों रजिस्ट्रार के महाविद्यालयवार एवं जिलेवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	1	0	1
2	रायपुर	शासकीय दूधाधारी बजरंग स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रायपुर	1	1	0
3	रायपुर	शासकीय जे. योगानंदम् छ.ग. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	1	1	0
4	बलौदाबाजार-भाटापारा	शासकीय दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार	1	0	1
5	धमतरी	शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	1	1	0
6	दुर्ग	शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर पी.जी. कला-विज्ञान महा., दुर्ग	1	1	0
7	राजनादगांव	शास. दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनादगांव	1	1	0
8	कांकेर	शास. भानुप्रतापदेव पी.जी. महा., कांकेर	1	0	1
9	बस्तर	शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	1	1	0
10	बिलासपुर	शासकीय जे.पी. वर्मा पी.जी. कला/वाणिज्य महा., बिलासपुर	1	0	1
11	बिलासपुर	शास. बिलासा कन्या पी.जी. महा., बिलासपुर	1	1	0
12	जांजगीर-चांपा	शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर	1	1	0
13	कोरबा	शासकीय इंजीनियर विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा	1	1	0
14	रायगढ़	शासकीय किरोडीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़	1	1	0
15	जशपुर	शासकीय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर	1	1	0
16	सरगुजा	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महा., अम्बिकापुर	1	1	0
17	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़	1	1	0
18	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय, चिरमिरी	1	1	0
	योग		18	14	4


अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग
 मंत्रालय अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

1000 से अधिक छात्र-छात्रा संख्या वाले शासकीय महाविद्यालयों में रजिस्ट्रार के पद स्वीकृति की जानकारी

क्र.	जिला	महाविद्यालय का नाम	कुल दर्ज संख्या	रजिस्ट्रार के स्वीकृत पद संख्या
1	2	3	4	5
1	रायपुर	सत गोबिंदराम शदाणी शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवेन्द्र नगर रायपुर	1084	0
2		शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय बीरगांव	1163	0
3		डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	1353	0
4		शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा, रायपुर	1373	0
5		श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय, नवापारा गोबरा	1502	0
6		शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर	1593	0
7		बद्री प्रसाद लोधी स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय, आरंग	2426	0
8		शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	2623	1
9		शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	3565	1
10		शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	3676	1
11	बलौदाबाजार	स्व. दौलतराम शर्मा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कसडोल	1096	0
12		शासकीय वृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी	1203	0
13		राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय, सिमगा	1224	0
14		शासकीय दाऊ कल्याण सिंह कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार	2375	1
15		शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा	2972	0
16	गरियाबंद	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गरियाबंद	1636	0
17		शासकीय राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजिम	1895	0
18	महासमुन्द	स्व. राजा विरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली	1397	0
19		स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय, बसना	1431	0
20		शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, बागबाहरा	1498	0
21		चन्द्रपाल डडसेना शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा	1731	0
22		शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द	3240	0
23	धमतरी	शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी	1218	0
24		महर्षि वेद व्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भखारा	1309	0
25		संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद	2590	0
26		बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	3532	1
27	दुर्ग	शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तई	1233	0
28		डॉ. खूबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई -3	1555	0
29		शासकीय स्व. चन्द्रलाल चन्द्राकर कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पाटन	1660	0
30		चन्द्रलाल चन्द्राकर शासकीय कला व वाणिज्य महाविद्यालय धमधा	1770	0
31		इंदिरा गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वैशालीनगर	1936	0
32		शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग	2366	0
33		शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर कला/विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग	6305	1

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्र.	जिला	महाविद्यालय का नाम	कुल दर्ज संख्या	रजिस्ट्रार के स्वीकृत पद संख्या
1	2	3	4	5
34	बेमेतरा	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बेरला	1153	0
35		शासकीय कौदूराम दलित महाविद्यालय, नवागढ़	1363	0
36		शासकीय पं.जवाहर लाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेमेतरा	2952	0
37	बालोद	शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा	1404	0
38		शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद	2099	0
39	राजनादगांव	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनादगांव	1440	0
40		शासकीय कमलादेवी शर्मा महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनादगांव	1804	0
41		शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़	2063	0
42		शासकीय डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगांव	2085	0
43		शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनादगांव	4170	1
44	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	वीरागना अवंती बाई शासकीय महाविद्यालय, छुईखदान	1042	0
45		रानी रश्मिदेवी सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खैरागढ़	1631	0
46	मोहला मानपुर अबागढ़चौकी	शासकीय लाल चकधर शाह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बागढ़चौकी	1553	0
47	कबीरधाम	शासकीय राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय, कबीरधाम	1235	0
48		शासकीय गजानंद माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय, सहसपुर लोहारा	1239	0
49		महत श्री रामजानकी शरण दास वैष्णव शासकीय स्नातक महाविद्यालय, पिपरिया	1460	0
50		शासकीय आचार्य पत श्री गधमुनि नाम साहब स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा	3203	0
51	कांकेर	शासकीय शहीद गैद सिंह महाविद्यालय, चारामा	1052	0
52		शासकीय महर्षि वाल्मीकि स्नातकोत्तर महाविद्यालय भानुप्रतापपुर,	1298	0
53		भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	3017	1
54	बस्तर	शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	2545	1
55	कोण्डागांव	शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागांव	1386	0
56	दन्तेवाड़ा	शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	1224	0
57	बिलासपुर	शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी	1171	0
58		शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय, बिल्हा	1351	0
59		शासकीय माता शबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर	1355	0
60		शासकीय मदन लाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीपत	1555	0
61		शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर	1584	0
62		शासकीय जे.एम.पी.महाविद्यालय, तखतपुर	1593	0
63		शासकीय ई. राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महावि. बिलासपुर	2459	0
64		शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर	2698	1
65		शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर	4247	1
66	गो.पे.मरवाही	वीरागना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय, मरवाही	1021	0
67		डॉ. भवर सिंह पोर्ते शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पेंड्रा	1698	0
68	मुंगेली	राजीव गांधी शासकीय कला/वाणिज्य महाविद्यालय, लोरमी	1135	0
69		शासकीय एस.एन.जी महाविद्यालय मुंगेली	1195	0
70		वीरागना अवंतीबाई लोधी शासकीय महाविद्यालय, पथरिया	1379	0

क्र.	जिला	महाविद्यालय का नाम	कुल दर्ज संख्या	रजिस्ट्रार के स्वीकृत पद संख्या
1	2	3	4	5
71	जाजगीर	शासकीय लक्ष्मणेश्वर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरीद	1065	0
72		शासकीय डॉ. इन्द्रजीत सिंह महाविद्यालय, अकलतरा	1289	0
73		शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जाजगीर	2588	1
74		शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चापा	2792	0
75	सवती	शासकीय महाविद्यालय, जैजपुर	1056	0
76		शासकीय स्नातक महाविद्यालय, डभरा	1128	0
77		शासकीय वेदराम महाविद्यालय, मालखरीदा	1226	0
78		शासकीय नवीन महाविद्यालय, हसीद	1380	0
79	कोरबा	शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय, कोरबा	1478	0
80		शासकीय मुकुटधर पाण्डे महाविद्यालय, कटघोरा	1594	0
81		शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदीबाजार जिला -कोरबा	1716	0
82		शासकीय इ. विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा	3028	1
83	रायगढ़	शासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़	1197	0
84		शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरसिया	1486	0
85		किशोरी मोहन त्रिपाठी शासकीय महिला महाविद्यालय, रायगढ़	1569	0
86		शासकीय किरोड़ीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़	3860	1
87	सारंगढ़ बिलाईगढ़	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डे स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सारंगढ़	2239	0
88	जशपुर	शासकीय विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय, जशपुर	1173	0
89		ठाकुर शोभा सिंह शासकीय महाविद्यालय, पथलागाव	1346	0
90		शासकीय रा.भ.रा.एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर	1886	1
91	सरगुजा	शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सीतापुर	1200	0
92		शासकीय राजमोहनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अबिकापुर	2653	0
93		शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अबिकापुर	4573	1
94	सूरजपुर	शासकीय कालीदास महाविद्यालय, प्रतापपुर	1599	0
95		शासकीय रेवतीरमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सूरजपुर	2006	0
96	बलरामपुर	शासकीय महाविद्यालय, बलरामपुर	1022	0
97		शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, बाडफनगर	1414	0
98		शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामानुजगज	1480	0
99	कोरिया	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर	1314	0
100		शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर	1801	0
101	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़	3406	1

टीप: शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय, चिरमिरी, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में रजिस्ट्रार का 01 पद स्वीकृत है परन्तु छात्र संख्या 1000 से कम है।


अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग
 मंत्रालय अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

परींशेष्ट - नब्बे

अतारांकित प्रश्न संख्या 70 (क्र. 1576) की जानकारी

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



प्रपत्र

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 554]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2021 — कार्तिक 4, शक 1943

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5/आठ-परि./2021.— मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर 966/आठ-परि./2014, दिनांक 21 नवम्बर 2014 एवं अधिसूचना क्रमांक 644/966/ आठ-परि./2014, दिनांक 09 मई, 2016 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, नीचे दी गई सूची में वर्णित सभी लोक सेवकों को, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर कारित तथा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों का प्रशमन, उक्त अनुसूची के तत्स्थानी कॉलम (3) एवं (4) में वर्णित की गई राशि से करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

1. परिवहन आयुक्त
2. अपर परिवहन आयुक्त
3. समस्त जिला दण्डाधिकारी
4. समस्त पुलिस अधीक्षक
5. संयुक्त परिवहन आयुक्त
6. समस्त अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
7. समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
8. उप परिवहन आयुक्त
9. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी
10. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक
11. समस्त सहायक परिवहन आयुक्त
12. वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
13. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
14. समस्त अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी


अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

15. समस्त सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
16. समस्त जिला परिवहन अधिकारी
17. समस्त परिवहन निरीक्षक
18. समस्त परिवहन उप-निरीक्षक
19. समस्त सहायक परिवहन उप-निरीक्षक
20. समस्त पुलिस थाना प्रभारी
21. समस्त पुलिस निरीक्षक, यातायात शाखा
22. समस्त पुलिस उप-निरीक्षक, यातायात शाखा
23. समस्त पुलिस सहायक उप-निरीक्षक, यातायात शाखा
24. परिवहन विभाग के समस्त प्रधान आरक्षक

अनुसूची

सं. क्र.	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं	प्रशमन की राशि रु. में	
		प्रथम अपराध के लिए	द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती अपराध के लिए, जहां लागू हो
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धारा 177 - अपराधों के दण्ड के लिये साधारण उपबंध - मोटरयान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के समस्त अपराध, परन्तु इसमें इसके पश्चात् इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है।	300	900
2.	धारा 178(1) - मंजिली गाड़ी आदि में, बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर दण्ड।	500	500
	धारा 178(2)- मंजिली गाड़ी आदि में कंडक्टर द्वारा कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर	500	500
	धारा 178(3) - सविदा वाहन चलाने से इंकार करने पर	100	100
	(क) दो पहिया या तीन पहिया मोटरयान		
	(ख) अन्य किसी मामलों में	500	500
3.	धारा 179(1) - आदेशों की अवज्ञा करना, बाधा डालना एवं जानकारी देने से इंकार करना।	500	500
	धारा 179(2) - जानकारी देने से इंकार करना या मिथ्या जानकारी देना।	500	500
4.	धारा 180 - अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना।	1000	1000
5.	धारा 181 - धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना (चालक अनुज्ञप्ति आदि हेतु आवश्यक)	1000	1000
6.	धारा 182(1) - चालक अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध।	1000	1000
	धारा 182(2) - परिचालक अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध।	1000	1000
	धारा 182क(1)- मोटरयानों और उनके संघटकों के संनिर्माण, रख रखाव, विक्रय और परिवर्तन संबंधी अपराध हेतु दण्ड।	100000	100000

	धारा 182क(3)- किसी मोटरयान के ऐसे संघटक का विक्रय करना या विक्रय करने का प्रस्ताव देना या विक्रय करने की अनुमति देना, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा विकट (नाजुक) सुरक्षा संघटक के रूप में अधिसूचित किया गया है और जो अध्याय सात या नियम और विनियम का पालन नहीं करते हैं।	100000	100000
	धारा 182क(4)- मोटरयान के स्वामी द्वारा किसी मोटरयान, जिसके अंतर्गत मोटरयान के पुर्जों का पश्च-फिटिंग करने के माध्यम भी शामिल हैं, का किसी ऐसी रीति में, परिवर्तन करता है, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन अनुज्ञात नहीं है।	ऐसे प्रति परिवर्तन पर 5000	ऐसे प्रति परिवर्तन पर 5000
	धारा 182ख - धारा 62क के उल्लंघन के लिए दण्ड।	5000	10000
7.	धारा 183(1)(एक) - तेज गति से (हल्का मोटरयान का चलन) आदि	1000	2000
	धारा 183(1)(दो) - तेज गति से (मध्यम मालयान अथवा मध्यम यात्री यान एवं भारी माल यान या भारी यात्री यान) का चलन आदि।	2000	3000
8.	धारा 184- खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना।	2000	5000
9.	धारा 186 - जब मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए यान चलाया जाता हो।	500	1000
10.	धारा 189 - दौड़ और गति मुकाबला	5000	10000
11.	धारा 190(2) - सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन (क) दो पहिया यान	300	600
	(ख) तीन पहिया, आटोरिक्षा एवं टेम्पो	500	800
	(ग) हल्का मोटरयान	800	1500
	(घ) मध्यम एवं भारी मोटरयान	2000	3000
12.	धारा 192(1) - बिना रजिस्ट्रेशन के यानों का उपयोग करना (क) दो एवं तीन पहिया यान	1000	2000
	(ख) हल्का मोटरयान	2000	3000
	(ग) मध्यम एवं भारी मोटरयान	3000	5000
	धारा 192क(1)- परमिट के बिना, यान का उपयोग।	5000	10000
13.	धारा 194 (1)- अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान का चलन	10000 + 2000 अतिरिक्त प्रत्येक टन अधिक भार के लिए लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित	10000 + 2000 अतिरिक्त प्रत्येक टन अधिक भार के लिए लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित
	धारा 194(1)(क)- ऐसे मोटरयान को चलाना, जो ऐसी रीति में लदा हुआ है कि भार या उसका कोई भाग या उसका कोई चीज शरीर की साईड से परे या अनुज्ञेय सीमा से परे सामने या पीछे की ओर या ऊंचाई में पार्श्विक रूप से बाहर निकल जाती है।	20000	20000
	धारा 194(2) - चालक द्वारा रुकने से और यान का भार कराने से इंकार करना	20000	20000
	धारा 194(क)- अधिक यात्रियों का वहन।	100 रु. प्रति अधिक यात्री	100 रु. प्रति अधिक यात्री
	धारा 194(ख)(1)- सुरक्षा बेल्ट के बिना वाहन चलाना या ऐसे यात्रियों को ले जाना, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना हो।	500	1000

1108 (2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2021

	धारा 194(ख)(2)- ऐसे मोटरयान को चलाना या चलवाना या चलवाने के लिए अनुज्ञात करना, जिसमें कोई ऐसा बालक हो, जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और जो सुरक्षा बेल्ट या बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है।	500	1000
	धारा 194(ग)- मोटर साइकिल चालकों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन हेतु दण्ड।	500	500
	धारा 194(घ)- सिर के सुरक्षा पहनावे को नहीं पहनने वालों के लिए दण्ड।	500	500
	धारा 194(ड)- आपातकालीन यान के आ जाने पर सड़क की एक ओर ले जाने में असफल होने पर।	5000	5000
	धारा 194(च)- अनावश्यक रूप से या निरंतर या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता से अधिक हार्न बजाना या हार्न के प्रयोग का प्रतिषेध करने वाले यातायात चिन्ह वाले क्षेत्र में हार्न बजाना या ऐसा मोटरयान चलाना, जो ऐसे कट-आउट का प्रयोग करता है, जिसके द्वारा निःशेष गैसों को अवमंदक से भिन्न किसी माध्यम से छोड़ा जाता है।	1000	2000
14.	धारा 196 - बीमा न किये गये यान को चलाना	2000	4000
15.	धारा 198 - यान में अनाधिकृत हस्तक्षेप	1000	1000

2. यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 25th October 2021

NOTIFICATION

No. F 5-5/VIII-Trans/2021.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 200 the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and in supersession of this Department's Notification No. R-966/viii-Trans/2014, dated 21st November, 2014 and Notification No. 644/966/viii-Trans./2014, dated 09th May, 2016, the State Government, hereby, authorizes all Public Servants mentioned in list below to compound offences committed within their respective jurisdiction and punishable under Section mentioned in column (2) of the Schedule below for the amount mentioned in the corresponding column (3) and (4) of the said Schedule, namely :-

1. Transport Commissioner
2. Additional Transport Commissioner
3. All District Magistrates
4. All Superintendents of Police
5. Joint Transport Commissioner
6. All Additional District Magistrates
7. All Additional Superintendents of Police
8. Deputy Transport Commissioner
9. All Sub-Divisional Magistrates
10. All Deputy Superintendents of Police, Sub-Divisional officers police and City Superintendents of Police
11. All Assistant Transport Commissioner
12. All Senior Regional Transport Officers


अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परोशिष्ट - इनकमानवे

अतारांकित प्रश्न संख्या 74 (क्र. 1589) की जानकारी

कोंडागांव जिले में प्रस्तावित उपकेन्द्र की जानकारी

क्र.	प्रस्तावित नवीन उपकेन्द्र का नाम	क्षमता	अद्यतन स्थिति
1	132 / 33 के.व्ही., जामगांव केशकाल	80 एम0व्ही0ए0	कार्य प्रगति पर है।
2	33 / 11 के.व्ही., भानपुरी	05 एम0व्ही0ए0	मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना में स्वीकृत, कार्य प्रगतिरत है।
3	33 / 11 के.व्ही., शामपुर	05 एम0व्ही0ए0	मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त, प्राक्कलन स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
4	33 / 11 के.व्ही. लोहरापाड़ा, (खुंटजोबरा)	05 एम0व्ही0ए0	मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त, भूमि आंबटन प्रक्रियाधीन है।
5	33 / 11 के.व्ही., पिपरा	05 एम0व्ही0ए0	मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त, भूमि आंबटन प्रक्रियाधीन है।

प्रपत्र

उप सचिव
उत्तरीसंगर शासन, उत्तर विभाग
संगर, नया संगर अटल नगर

पारिशेष - बयानब

अतारांकित प्रश्न संख्या 75 (क्र. 1590) की जानकारी

“प्रपत्र”

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2024-25 से 11/02/2026 तक बिना अभिवहन पारपत्र के वाहनों एवं परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोडिंग वाहनों पर की जांच एवं कार्यवाही की वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी :-

बिना अभिवहन पारपत्र के वाहनों पर की गई कार्यवाही

स.क्र.	कार्यवाही दिनांक	विकासखण्ड का नाम	अवैध परिवहनकर्ता का नाम	वसूल की गई समझौता राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5
वर्ष 2024-25				
1	05.05.2024	गुण्डरदेही	राजेश यदु	10525
2	15.05.2024	गुण्डरदेही	मेसर्स मां गायत्री हार्डवेयर एण्ड कृषि केन्द्र	26750
3	21.05.2024	गुण्डरदेही	शब्बीर रिजवी	10700
4	28.05.2024	गुण्डरदेही	अनिल कुमार चावडा	26750
5	29.05.2024	गुण्डरदेही	अनिल कुमार चावडा	26750
6	29.05.2024	गुण्डरदेही	बालाजी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर	26750
7	08.06.2024	गुण्डरदेही	विजय कुमार चक्रधारी	26750
8	14.06.2024	गुण्डरदेही	भाउराम चक्रधारी	26050
9	19.06.2024	गुण्डरदेही	हेमेन्द्र कुमार साहू	26750
10	27.06.2024	गुण्डरदेही	डोमन लाल	26750
11	12.07.2024	गुण्डरदेही	उत्तम कुमार साहू	10700
12	20.09.2024	गुण्डरदेही	श्रीमती वर्षा गोदवानी	26750
13	14.10.2024	गुण्डरदेही	गोपी लाल साहू	26750
14	18.10.2024	गुण्डरदेही	ज्ञानचंद साहू	26750
15	18.10.2024	गुण्डरदेही	थानसिंह तारम	11260

स.क्र.	कार्यवाही दिनांक	विकासखण्ड का नाम	अवैध परिवहनकर्ता का नाम	वसूल की गई समझौता राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5
16	19.10.2024	गुण्डरदेही	रॉय ट्रेडर्स	27100
17	24.10.2024	गुण्डरदेही	आकाश सिंह	26750
18	24.10.2024	गुण्डरदेही	भागीरथी	26750
19	16.11.2024	गुण्डरदेही	मनीष कुमार सिंह	26750
20	29.01.2025	गुण्डरदेही	दिलीप ट्रांसपोर्ट एण्ड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर	29200
21	31.01.2025	गुण्डरदेही	लवेश कुमार चंद्राकर	26750
22	05.03.2025	गुण्डरदेही	आकाश अग्रवाल	31720
23	22.03.2025	गुण्डरदेही	मेसर्स मयंक ट्रेडिंग	26750
24	22.03.2025	गुण्डरदेही	मोक्ष अर्थमूवर एण्ड ट्रांसपोर्टेशन	26750
25	24.03.2025	गुण्डरदेही	रवि मानिकपुरी	27100
26	25.03.2025	गुण्डरदेही	गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स	27100
वर्ष 2025-26 (11.02.2026 तक)				
27	28.04.2025	गुण्डरदेही	राजेन्द्र रजक	27100
28	28.04.2025	गुण्डरदेही	हरिशंकर	25400
29	28.04.2025	गुण्डरदेही	छन्नू लाल देशमुख	25400
30	28.04.2025	गुण्डरदेही	महासिंह गायकवाड़	25400
41	28.04.2025	गुण्डरदेही	लिखमी प्रसाद	25400
42	29.04.2025	गुण्डरदेही	मेसर्स दर्श अर्थ मुवर्स	27100
43	08.05.2025	गुण्डरदेही	तुलेश्वर वर्मा	27100
44	08.05.2025	गुण्डरदेही	सुरज यादव	27100
45	08.05.2025	गुण्डरदेही	हितेश साहू	27100

स.क्र.	कार्यवाही दिनांक	विकासखण्ड का नाम	अवैध परिवहनकर्ता का नाम	वसूल की गई समझौता राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5
46	08.05.2025	गुण्डरदेही	पुष्पेन्द्र साहू	29200
47	21.05.2025	गुण्डरदेही	बालाजी बिल्डिंग सप्लायर	27100
48	21.05.2025	गुण्डरदेही	ओमप्रकाश	27100
49	21.05.2025	गुण्डरदेही	दिनेश वर्मा	27100
50	06.08.2025	गुण्डरदेही	गौरी ट्रेडर्स	27100
51	13.08.2025	गुण्डरदेही	विमल कुमार पंवार	26750
52	13.08.2025	गुण्डरदेही	विमल कुमार पंवार	26750
53	19.09.2025	डौण्डीलोहारा (जेवरतला)	जितेन्द्र कुमार बैरागी	27100
54	19.09.2025	डौण्डीलोहारा (जेवरतला)	जितेन्द्र कुमार बैरागी	27100
55	26.11.2025	गुण्डरदेही	विकाश केशरवानी	26750
56	20.01.2026	गुण्डरदेही	शत्रुघन लाल वर्मा	27100
57	20.01.2026	गुण्डरदेही	राजू लाडे	27100
58	13.02.2026	गुण्डरदेही	केशव सिंह राजपूत	27100
59	13.02.2026	गुण्डरदेही	पुष्पेन्द्र कुमार	27100

क्र.	कार्यवाही दिनांक	विकासखण्ड का नाम	ओवरलोड परिवहनकर्ता का नाम	वसूल की गई समझौता राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5
वर्ष 2024-25				
1	21.05.2024	गुण्डरदेही	श्री छगन	46000
2	16.06.2024	गुण्डरदेही	श्री मनीमा चन्द्राकर	70000
3	10.07.2024	गुण्डरदेही	श्री मनीमा चन्द्राकर	48000
4	07.09.2024	गुण्डरदेही	श्री शशीभूषण दुबे	39500
5	13.10.2024	गुण्डरदेही	श्री तेजराम साहू	49000
6	24.10.2024	गुण्डरदेही	श्री टिकेश्वर कुमार साहू	50000
7	15.11.2024	गुण्डरदेही	श्री सोहन भुआर्य	80000
8	10.12.2024	गुण्डरदेही	श्री ठाकुर राम चन्द्राकर	45000
9	06.12.2024	गुण्डरदेही	श्री सुरेश जैन	36000
10	10.01.2025	गुण्डरदेही	श्री अशोक जैन	50000
11	18.01.2025	गुण्डरदेही	श्री नीलमकल ताम्रकार	48000
12	12.02.2025	गुण्डरदेही	श्री परमेश्वर यादव	20000
13	19.02.2025	गुण्डरदेही	श्री सोबहित मांडवी	36000
14	11.03.2025	गुण्डरदेही	श्री ज्ञामेन्द्रा धुर्वे	50000
15	21.03.2025	गुण्डरदेही	श्री देवजीत मण्डल	15000
वर्ष 2025-26 (11.02.2026 तक)				
1	04.04.2025	गुण्डरदेही	आशीमा कुमार चंदेल	60000
2	17.05.2025	गुण्डरदेही	रूपेश कुमार	45000
3	17.05.2025	गुण्डरदेही	मनोज कुमार देशमुख	24000
4	23.06.2025	गुण्डरदेही	लोकेश्वर कुमार	66000

क्र.	कार्यवाही दिनांक	विकासखण्ड का नाम	ओवरलोड परिवहनकर्ता का नाम	वसूल की गई समझौता राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5
5	07.08.2025	गुण्डरदेही	आशीमा कुमार चंदेल	24000
6	11.10.2025	गुण्डरदेही	रूपेश कुमार	42000
7	10.12.2025	गुण्डरदेही	रोशन कुमार साहू	36000
8	07.01.2026	गुण्डरदेही	चन्द्रहास चपिरा	24000
9	15.01.2026	गुण्डरदेही	जलेन्द्र कुमार	50000

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 02-03-2026
17:05:06

पारिशेष्ट - तैरानबे
अतारांकित प्रश्न संख्या 76 (क्र. 1600) की जानकारी

प्रपत्र

ऑनलाईन नामांतरण की विकासखण्डवार जानकारी 2024-25 से 11/02/2026 तक की स्थिति में

क्रमांक	विकासखण्ड कानाम	कुल दर्ज	निराकृत	लंबित	खारिज प्रकरण की संख्या
1	2	3	4	5	7
1	बिल्हा	35677	34314	1363	4743
2	मस्तूरी	8729	8089	640	650
3	तखतपुर	17065	16319	746	2188
4	कोटा	2300	2030	270	399
कुल		63771	60752	3019	7980

कुल लंबित 3019 प्रकरणों में से 2726 प्रकरण समय-सीमा के भीतर स्थित है। प्रकरणों के लंबित होने के कारण निम्नानुसार है -

1. रजिस्ट्री पोर्टल के एन.जी.डी.आर.एस. में ऑटोम्यूटेसन के कारण लंबित होने से।
2. वर्तमान खसरे का रकबा मिसल रकबा से बढ़े होने के कारण।
3. विधिवत अभिन्यास स्वीकृति ना होने/अवैध प्लाटिंग कय-विकय की स्थिति में।
4. उच्च/सक्षम न्यायालय (हाईकोर्ट/राजस्व मंडल /आयुक्त कार्यालय) से स्थगन आदेश के कारण एवं विचाराधीन होने कारण लंबित।
5. सी.टी सिरीज से प्राप्त आवश्यक दस्तावेज जैसे शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बंधक है तो बैंक एनओसी।
6. आवेदक द्वारा दी गयी अनुपयुक्त जानकारी।
7. ड्रूपलीकेट आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में।
8. प्रकरण में पक्षकारों की उपस्थिति/तर्क हेतु।
9. पटवारी प्रतिवेदन हेतु।
10. प्रकरण में आदेशार्थ हेतु।
11. प्रकरण में आपत्ति के जवाब एवं आवेदक साक्ष्य हेतु।

[Signature]
अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

[Signature]
अतिरिक्त कलेक्टर
बिलासपुर (छ0ग0)

परोक्ष - चोरानबे

अतारांकित प्रश्न संख्या 78 (क्र. 1608) की जानकारी

प्रपत्र

विद्युत करेंट से दुर्घटना घटित होने पर विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले
आर्थिक सहायता राशि का विवरण

क्र	विषय	आर्थिक सहायता राशि (रु)
1	2	3
1	बाहरी व्यक्ति की मृत्यु होने पर	4 लाख
2	कंपनी में बाह्य स्रोत से कार्यरत ठेका कर्मियों की मृत्यु होने पर	4 लाख
3	कंपनी में बाह्य स्रोत से कार्यरत ठेकाकर्मियों शारीरिक अपगता (40से 60 प्रतिशत)	60 हजार
4	कंपनी में बाह्य स्रोत से कार्यरत ठेकाकर्मियों शारीरिक अपगता (60 प्रतिशत से अधिक)	2 लाख
5	भैंस	32,800
6	गाय	32,800
7	ऊटनी	32,800
8	याक	32,800
9	भेड़	3,300
10	बकरी	3,300
11	ऊंट	30,000
12	घोड़ा	30,000
13	बैल	30,000
14	भैंसा	30,000
15	बछड़ा	20,000
16	गधा	20,000
17	सुअर	20,000
18	खच्चर/टट्टू	20,000
19	घरेलू पोल्ट्री में पल रहे पक्षी	80 प्रति पक्षी, प्रति हितग्राही को रुपये 800 से अधिक नहीं

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

पारिशेष्य - पंचानव

अतारांकित प्रश्न संख्या 79 (क्र. 1609) की जानकारी

प्रपत्र

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना एवं प्राकृतिक आपदा से हुई जनहानि हेतु आर्थिक सहायता

वर्ष	मद	जनहानि की संख्या	दी गई आर्थिक सहायता (राशि रूपये में)
2023-24	सड़क दुर्घटना	5	1,25,000.00
	नदी में डूबने	3	12,00,000.00
	तालाब में डूबने	8	32,00,000.00
	नहर नाला में डूबने	2	8,00,000.00
	सर्पदंश	1	4,00,000.00
	आग में जलने	3	12,00,000.00
	आकाशीय बिजली से	1	4,00,000.00
योग		23	73,25,000.00

वर्ष	मद	जनहानि की संख्या	दी गई आर्थिक सहायता (राशि रूपये में)
2025-26 (दिनांक 31.01.2026 तक)	सड़क दुर्घटना	4	1,00,000.00
	नदी में डूबने	7	28,00,000.00
	तालाब में डूबने	2	8,00,000.00
	नहर नाला में डूबने	1	4,00,000.00
	सर्पदंश	1	4,00,000.00
	आग में जलने	5	20,00,000.00
	आकाशीय बिजली से	1	4,00,000.00
योग		21	69,00,000.00

परिशेष - छियानवे

अतारांकित प्रश्न संख्या 80 (क्र. 1613) की जानकारी

प्रपत्र-'अ'

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अम्बिकापुर अंतर्गत खाता धारकों की शाखावार जानकारी (दिनांक 31/01/2026 की स्थिति में)

क्र.	शाखा का नाम	खाता धारकों की संख्या
1	2	3
1	अम्बिकापुर	23526
2	सीतापुर	28979
3	लखनपुर	23820
4	धीरपुर	17486
5	कमलेश्वरपुर	6989
6	बतौली	17637
7	उदयपुर	8389
8	पेटला	6997
9	लुण्ड्रा	6251
10	सूरजपुर	11880
11	बिश्रामपुर	18950
12	प्रतापपुर	17864
13	रामानुजनगर	17059
14	भैयाथान	12734
15	प्रेमनगर	13713
16	ओड़गी	6405
17	लटोरी	6950
18	रामानुजगंज	17603
19	कुसमी	11791
20	राजपुर	15366
21	वाङ्गफनगर	22073
22	बलरामपुर	9482
23	शंकरगढ़	4414
24	रामचन्द्रपुर	6608
25	चलगली	4937
26	बैकुंठपुर	19503
27	चरचा	8954
28	मनेन्द्रगढ़	11830
29	चिरमिरी	8804
30	जनकपुर	13036
31	खड़गवा	8647
योग		408677

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

प्रपत्र - 'ब'



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

Azadi Ka
Amrit Mahotsav

भारत
आरंभ करो

RBI/2022-23/106
DOR.REG.No.63/19.51.052/2022-23

August 11, 2022

All District Central Co-operative Banks

Madam/Sir,

Section 23 of the Banking Regulation Act, 1949 (As Applicable to Co-operative Societies) – Opening of new place of business by District Central Co-operative Banks (DCCBs)

Pursuant to the amendment to the Banking Regulation Act (No.39 of 2020) dated September 29, 2020, District Central Co-operative Banks (DCCBs) are permitted to open new place of business/install ATMs or shift the location of such offices only after obtaining prior approval of the Reserve Bank of India (RBI). Accordingly, it has been decided to issue guidelines with details of the criteria and procedure for submission of application by DCCBs for opening new place of business/installation of ATMs.

2. The criteria for opening of branches/extension counters/specialized branches/regional offices/zonal offices/administrative offices/shifting of branches/upgradation of extension counters into full-fledged branches by a DCCB are as follows:

- a. A licensed DCCB should have completed at least three years of operation
- b. CRAR not being less than 9 per cent
- c. No default in maintenance of CRR/SLR during the preceding financial year
- d. Net NPA being less than 5 per cent
- e. The bank should have made a net profit during the preceding two financial years

विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं/13वीं मंजिल, शाहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ड, मुंबई - 400001

टेलीफोन/Tel No: 22661602, 22601000 फैक्स/Fax No: 022-2270 5691

Department of Regulation, Central Office, Central Office Building, 12th/13th Floor, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort
Mumbai - 400001

हिंदी भाषान में, दस्तावेज सत्यापन

- f. The bank should have a good track record of regulatory compliance and no monetary penalty should have been imposed on the bank for violation of Reserve Bank of India directives/guidelines during last two financial years
- g. The bank should not have been placed under any specific direction issued by Reserve Bank of India during the preceding two financial years

The above parameters will be considered as they appear in the latest inspection report of NABARD.

3. In order to expedite the regulatory approvals under Section 23 of the Banking Regulation Act 1949 (AACS), it has been decided that DCCBs satisfying the criteria as mentioned at para 2 above, may submit their application in the format prescribed in the Banking Regulation (Co-operative Societies) Rules, 1966 to concerned Regional Office (RO) of the Reserve Bank of India for prior approval for opening of branches/extension counters/specialized branches/regional offices/zonal offices/administrative offices/shifting of branches/upgradation of extension counters into full-fledged branches. The banks shall also forward a copy of the application to NABARD which, in turn, shall forward their recommendation in the matter to concerned RO of the Reserve Bank of India.

4. DCCBs shall be allowed to install on-site ATMs without seeking prior approval of the Reserve Bank of India. They may also install off-site/mobile ATMs as per their need and potential in their area of operation without prior permission from the Reserve Bank of India subject to satisfying the criteria as mentioned at para 2 above. Further, DCCBs shall ensure that the proposal for installation of off-site/mobile ATMs is duly approved by their Board of Directors. The conditions subject to which off-site/mobile ATMs can be operationalized by DCCBs are furnished in Annex I. The formats for reporting on-site/off-site/mobile ATMs by DCCBs are furnished in Annex II and Annex III. The reporting requirements are listed in Annex IV.

5. DCCBs shall report to concerned Regional Office of the Reserve Bank under whose jurisdiction the Head Office of the DCCB is functioning, immediately after operationalization of the off-site/mobile ATMs and in any case not later than 15 days, as per the format enclosed in Annex II and Annex III and obtain authorization under Section



23 of the Banking Regulation Act, 1949 (AAGS) from the concerned Regional Office of the Reserve Bank.

6. DCCBs are advised to adhere to the guidelines relating to the security measures at ATMs issued by RBI vide circulars DCM(Plg.)No.3641/10.25.007/2017-18 dated April 12, 2018 and DCM(Plg.)No.2968/10.25.007/2018-19 dated June 14, 2019 and any subsequent instructions issued by RBI relating to security aspects at ATMs.

7. These guidelines will come into effect from the date of issue of the circular.

Yours faithfully,

(Prakash Ballarsingh)
Chief General Manager

Encl: as above



Annex I

Conditions subject to which off-site/mobile ATMs can be operationalized by DCCB.

- i. The DCCB should be CBS compliant and satisfy eligibility criteria based on latest inspection Report.
- ii. The business transacted at the off-site ATMs shall be recorded in the books of the respective branch/base branch/Centralised Data Centre.
- iii. Mobile ATMs will have to be linked to a branch and shall be operated strictly within the area of operation of the bank.
- iv. No person other than the security guard shall be posted at such off-Site ATM centre.
- v. The DCCB shall make adequate stand-by arrangements for meeting the cash requirements of the ATM.
- vi. The DCCB shall ensure that only properly sorted and examined notes are put into circulation through the ATM.
- vii. ATMs may be provided with ramps so that wheel-chair users/persons with disabilities can easily access them and also make arrangements in such a way that the height of the ATM does not create an impediment in its use by a wheelchair user.
- viii. At least one third of new ATMs installed shall be talking ATMs with Braille keypads and placed strategically in consultation with other banks to ensure that at least one talking ATM with Braille keypad is generally available in each locality for catering to needs of visually impaired persons. Banks may also bring the locations of such talking ATMs to the notice of their visually impaired customers.
- ix. Third party advertisement on the ATM screens/Network, such as display of products of other manufacturers/dealers/vendors is not permitted. However, there is no objection to banks utilizing the ATM screens for displaying their own products.
- x. The off-site/mobile ATMs may be installed at centres/places identified by them within its existing area of operation, with the approval of their Board of Directors. This would, however, be subject to any direction which the Reserve Bank may issue, including for closure/shifting of any such off-site/mobile ATMs, wherever so considered necessary by the Reserve Bank.

Facilities provided at on-site/off-site ATMs/mobile ATMs

DCCBs are free to offer all their products and services through the ATM channel provided the technology permits the same and adequate checks are put in place to prevent the channel from being misused.

Annex II

Name of the DCCB:

1. Number of ATMs installed (Please furnish branch-wise details)
 - (a) On-site
 - (b) Off-site
 - (c) Mobile ATMs
2. Mode of acquisition of ATMs
3. Cost of ATMs
4. Cost of infrastructure for installation of ATMs.
5. Average number of ATM transactions per day.
 - (a) Cash dispensing
 - (b) Cash acceptance
 - (c) Others
6. Average cost per ATM transaction.
7. Whether the bank is sharing the ATM facility with any other bank. If so,
 - (a) Name of the bank(s)
 - (b) Formal agreement, if any
 - (c) Average number of daily ATM transactions on behalf of the other banks
8. Whether the bank is making use of ATM facility installed at any other bank. If so,
 - (a) The name of the bank/s
 - (b) Formal agreement, if any.
 - (c) Average number of daily ATM transactions at each of the other bank's ATMs.
9. Indicate briefly benefits actually derived/expected to accrue by way of installation of ATMs.



Annex III

A. Statement of operationalisation of off-site ATM by the bank to be submitted as and when effected.

Name of the DCCB:

S.No	Complete Address of ATM installed	Population group wise classification of center	Details of base branch	Date of opening of ATM

B. Statement of operationalisation of Mobile ATMs by the bank to be submitted as and when effected.

Name of the DCCB:

S.No	Centre District	Details of Base Branch	Population group wise classification of center	Centers/paces to be visited by mobile ATM	Day of visit	Date of operationalisation of mobile ATM

2)

dh

Reporting requirements

Annex IV

- i. DCCBs shall submit the details under the Central Information System for Banking Infrastructure as laid down in circular DCBR.BPD(PCB/RCB).Cir.No. 04/07.01.000/2019-20 dated October 11, 2019.
 - ii. Similarly, details of shifting/closure etc., of off-site/mobile ATMs shall be reported to the concerned Regional Office of the Reserve Bank immediately after such shifting/closure and in any case not later than 15 days.
- 
- 

पारोशेष्ट - सन्तानवे

अतारांकित प्रश्न संख्या 81 (क्र. 1616) की जानकारी

प्रपत्र-अ

यूनिट स्लैब एवं प्रति यूनिट बिजली दर की वर्षवार जानकारी

क्र.	वित्तीय वर्ष	श्रेणी	निर्धारित स्लैब	स्थायी प्रभार (रुपये प्रति किलोवाट)	ऊर्जा प्रभार (रुपये प्रति किलोवाट घंटा)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	6
1	2022-23	घरेलू	0-100 यूनिट	5 किलोवाट तक के स्वीकृत लोड के लिए 20 रुपये प्रति किलोवाट/माह	3.7	इसके अतिरिक्त प्रतिमाह फ्यूल एंड पॉवर परचेस एडजेस्टमेंट भी नियमानुसार देय।
			101 से 200 यूनिट		3.9	
			201 से 400 यूनिट		5.3	
			401 से 600 यूनिट		6.3	
			601 और अधिक यूनिट		7.9	
		गैर घरेलू सिंगल फेस 5 कि. वाट तक	0-100 यूनिट	50 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह	5.85	
			101 से 400 यूनिट		6.85	
			401 और अधिक यूनिट		8.25	
		गैर घरेलू थ्री फेस				
		(अ) 15 कि.वाट तक	0-400 यूनिट	मांग प्रभार रु. 120/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	6.85	
			401 और अधिक यूनिट		8.25	
		(ब) 15 कि.वाट से अधिक	सभी यूनिटों पर	मांग प्रभार रु. 200/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	7.55	

क्र.	वित्तीय वर्ष	श्रेणी	निर्धारित स्लैब	स्थायी प्रभार (रुपये प्रति किलोवाट)	ऊर्जा प्रभार (रुपये प्रति किलोवाट घंटा)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	6
2	2023-24	घरेलू	0-100 यूनिट	5 किलोवाट तक के स्वीकृत लोड के लिए 20 रुपये प्रति किलोवाट/माह	3.7	इसके अतिरिक्त प्रतिमाह फ्यूल एंड पॉवर परचेस एडजेस्टमेंट भी नियमानुसार देय।
			101 से 200 यूनिट		3.9	
			201 से 400 यूनिट		5.3	
			401 से 600 यूनिट		6.3	
			601 और अधिक यूनिट		7.9	
		गैर घरेलू सिंगल फेस 5 कि. वाट तक	0-100 यूनिट	50 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह	5.85	
			101 से 400 यूनिट		6.85	
			401 और अधिक यूनिट		8.25	
		गैर घरेलू थ्री फेस				
		(अ) 15 कि.वाट तक	0-400 यूनिट	मांग प्रभार रु. 120/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	6.85	
			401 और अधिक यूनिट		8.25	
		(ब) 15 कि.वाट से अधिक	सभी यूनिटों पर	मांग प्रभार रु. 200/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	7.55	


 उप सचिव
 ऊर्जा विभाग
 संजयपुर, नया संजयपुर अटल नगर

क्र.	वित्तीय वर्ष	श्रेणी	निर्धारित स्लैब	स्थायी प्रभार (रूपये प्रति किलोवाट)	ऊर्जा प्रभार (रूपये प्रति किलोवाट घंटा)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	6
3	2024-25	घरेलू	0-100 यूनिट	5 किलोवाट तक के स्वीकृत लोड के लिए 20 रूपये प्रति किलोवाट/माह	3.9	इसके अतिरिक्त प्रतिमाह फ्यूल एंड पॉवर परचेस एडजेस्टमेंट भी नियमानुसार देय।
			101 से 200 यूनिट		4.1	
			201 से 400 यूनिट		5.5	
			401 से 600 यूनिट		6.5	
			601 और अधिक यूनिट		8.1	
		गैर घरेलू सिंगल फेस 5 कि. वाट तक	0-100 यूनिट	50 रूपये प्रति किलोवाट प्रति माह	6.05	
			101 से 400 यूनिट		7.05	
			401 और अधिक यूनिट		8.45	
		गैर घरेलू थ्री फेस				
		(अ) 15 कि.वाट तक	0-400 यूनिट	बिजली की खपत पर शुल्क-बिलिंग के आधार पर 120 रूपये प्रति किलोवाट प्रति माह	7.05	
			401 और अधिक यूनिट		8.45	
		(ब) 15 कि.वाट से अधिक	सभी यूनिटों पर	बिजली की खपत पर शुल्क-बिलिंग के आधार पर 200 रूपये प्रति किलोवाट प्रति माह	7.75	

क्र.	वित्तीय वर्ष	श्रेणी	निर्धारित स्लैब	स्थायी प्रभार (रूपये प्रति किलोवाट)	ऊर्जा प्रभार (रूपये प्रति किलोवाट घंटा)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	6
4	2025-26	घरेलू	0-100 यूनिट	5 किलोवाट तक के स्वीकृत लोड के लिए 20 रूपये प्रति किलोवाट/माह	4.1	इसके अतिरिक्त प्रतिमाह फ्यूल एंड पॉवर परचेस एडजेस्टमेंट भी नियमानुसार देय।
			101 से 200 यूनिट		4.2	
			201 से 400 यूनिट		5.6	
			401 से 600 यूनिट		6.6	
			601 और अधिक यूनिट		8.3	
		गैर घरेलू सिंगल फेस 5 कि. वाट तक	0-100 यूनिट	50 रूपये प्रति किलोवाट प्रति माह	6.3	
			101 से 400 यूनिट		7.3	
			401 और अधिक यूनिट		8.7	
		गैर घरेलू थ्री फेस				
		(अ) 15 कि.वाट तक	0-400 यूनिट	मांग प्रभार रु. 120/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	7.3	
			401 और अधिक यूनिट		8.7	
		(ब) 15 कि.वाट से अधिक	सभी यूनिटों पर	मांग प्रभार रु. 200/कि.वा./माह बिलिंग डिमांड पर	8	
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन	सभी यूनिटों पर	निरंक	7.02			


 उप सांचय
 कच्छीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
 संचालन, नवा रायपुर अटल नगर

दिनांक 10 जनवरी, 2026 तक प्रदेश के घरेलू एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु लगाये गये स्मार्ट मीटरों के संबंध में प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र.	विवरण	श्रेणी	प्राप्त शिकायत की संख्या	निराकृत शिकायत की संख्या
1	2	3	4	5
1	सही कार्य न करने (बंद/खराब)	घरेलू	1943	1943
		गैर घरेलू	159	159
2	अधिक खपत	घरेलू	940	940
		गैर घरेलू	155	155
3	अन्य शिकायत	घरेलू	1317	1317
		गैर घरेलू	156	156
कुल		घरेलू	4200	4200
		गैर घरेलू	470	470
		योग	4670	4670


 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर

पारोशेष्ट - अन्ठानवे
अतारांकित प्रश्न संख्या 84 (क्र. 1620) की जानकारी

प्रपत्र-“अ”

जिला बालोद अंतर्गत डौण्डीलोहरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित खदानों से वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 (विगत 03 वर्ष) तक प्राप्त राशि की जानकारी

राशि लाख रुपये में

क्र.	वित्तीय वर्ष	विकासखण्ड	प्राप्त रायल्टी	डीएमएफ अंशदान
1	2022-23	डौण्डी	630 करोड़ 1 लाख 32 हजार	147 करोड़ 17 लाख 78 हजार
2	2023-24		487 करोड़ 21 लाख 59 हजार	159 करोड़ 5 लाख 48 हजार
3	2024-25		558 करोड़ 44 लाख 8 हजार	153 करोड़ 45 लाख 55 हजार
1	2022-23	डौण्डीलोहरा	5 लाख 70 हजार	1 लाख 59 हजार
2	2023-24		1 लाख 70 हजार	31 हजार
3	2024-25		2 लाख 58 हजार	80 हजार

जिला खनिज संस्थान न्यास में प्राप्त राशि से विधानसभा क्षेत्र में व्यय तथा व्यय का प्रतिशत की विकासखंडवार जानकारी

वित्तीय वर्ष	न्यास में प्राप्त राशि (लाख रुपये में)	विकासखंड	व्यय राशि (लाख रुपये में)	न्यास में प्राप्त राशि से व्यय का प्रतिशत
2022-23	7298.61	डौण्डी	1466.70	20.10
		डौण्डीलोहरा	1356.75	18.59
2023-24	6092.44	डौण्डी	1209.33	19.85
		डौण्डीलोहरा	1150.75	18.89
2024-25	6339.45	डौण्डी	827.19	13.05
		डौण्डीलोहरा	788.12	12.43

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 02-03-2026
17:15:51

प्रपत्र-“ब”

जिला बालोद अंतर्गत डौण्डीलोहरा विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि में दर्ज खनिज ओवरलोड प्रकरणों पर परिवहन विभाग के संभागीय उड़दस्ता द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी

(राशि रूपये में)

क्र.	वर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या	समझौता शुल्क/आरोपित अर्थदण्ड की राशि
1	2022-23	07	2 लाख 22 हजार
2	2023-24	04	79 हजार
3	2024-25	28	12 लाख 75 हजार

Digitally signed by
MADHU KANT CHOUBEY
Date: 02-03-2026
17:15:14

परोशेष्ट - निन्यानवे

अतारांकित प्रश्न संख्या 85 (क्र. 1626) की जानकारी

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, अर्जुनी, वनमंडल बलौदाबाजार

E-Mail ID- ro_arjuni@rediffmail.com

दिनांक- 30/01/2026

क्रमांक / अ / 164

प्रति,

सहायक अभियंता
विद्युत विभाग
विलाईगढ

विषय :- विद्युत प्रवाह मंद करने कायदा ।

----- 000 -----


उपरोक्त विषय में लेख है, कि वन परिक्षेत्र अर्जुनी अंतर्गत हाथी एवं TIGER MOVEMENT की सूचना प्राप्त हुई है। जिसे गंभीरता पूर्वक ध्यान में रखते हुए आपके अन्तर्गत आने वाले सब स्टेशनों से विद्युत प्रवाहित होने वाले ग्रान - 1. सराईपाली 2. राजरडीह 3. तिरभाल 4. विलाडी 5. अर्जुनी 6. करगल में हाथी एवं TIGER की उपस्थिति तक रात 07:00 से सुबह 05:00 बजे तक विद्युत अवरोध करने का कष्ट करें। ताकि अग्रिम घटना घटित न हो सकें।



वन परिक्षेत्र अधिकारी
अर्जुनी परिक्षेत्र

दिनांक- 30/01/2026

क्रमांक / अ / 165

प्रतिलिपि :- (1) कनिष्ठ यंत्री विद्युत विभाग चादन, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
अर्जुनी परिक्षेत्र


अ.प्र. सु. (संयोजक)
छग., रायपुर

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, अर्जुनी, वनमंडल बलौदाबाजार

E-Mail ID- ro_arjuni@rediffmail.com

क्रमांक/अ/173

दिनांक- 01/02/2026


प्रति,

सहायक अभियंता
बिलासगढ़
विद्युत विभाग

विषय :- विद्युत प्रवाह बंद करने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी अर्जुनी से आपको लिखा गया पत्र क्रमांक/अ/164


उपरोक्त विषय में लेख है, कि वन परिक्षेत्र अर्जुनी अंतर्गत हाथी एवं TIGER MOVEMENT की सूचना प्राप्त हुई है। जिसे गंभीरता पूर्वक ध्यान में रखते हुए आपके अन्तर्गत आने वाले सब स्टेशनों से विद्युत प्रवाहित होने वाले, 1. नगोडा 2. गनीयारी 3. सराईपाली पम्प फीडरो को रात्रि 11:00 से सुबह 05:00 बजे तक विद्युत अवरोध करने का कष्ट करें। आज दिनांक 01/02/2026 को उपकेन्द्र नगोडा में प्रातः विद्युत विभाग, वन विभाग तथा बिलारी, गनीयारी, नगोडा, सराईपाली, गांजरडीह, करमेल, बानीखार, नगोडी, देवरुग, राजादेवरी आदि ग्राम के प्रतिनिधियों के मध्य संयुक्त बैठक हुई, ग्रामवासियों ने आश्वासन पत्र दिया जिसमें उन्होंने हूकिंग रोकने में सहयोग का आश्वासन दिया। जिसके आधार पर 6 घंटे कि विद्युत कटौती हेतु सहमति बनी ताकि अप्रिय घटना घटित न हो सके।



वन परिक्षेत्र अधिकारी
अर्जुनी परिक्षेत्र

क्रमांक/अ/174

दिनांक- 01/02/2026

प्रतिलिपि :- (1) वनमंडलाधिकारी, वनमंडल बलौदाबाजार की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित है।
(2) उप वनमंडलाधिकारी, कसडोल की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित है।
(3) कनिष्ठ यंत्री विद्युत विभाग चादन, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
अर्जुनी परिक्षेत्र


अप्रभुवर्मा (बन्धुप्राणी)
रु.ग., रायपुर

परिशेष - सी

अतारांकित प्रश्न संख्या 86 (क्र. 1631) की जानकारी

उपल

वर्ष	ओवर लोडिंग		बिना परमिट (परमिट शर्तों का उल्लंघन)		कर अपवंचन	
	संख्या	वसूल शमन शुल्क	संख्या	वसूल शमन शुल्क	संख्या	वसूल शमन शुल्क
2023-24	617	1,35,71,600	4172	1,24,73,600	निरंक	निरंक
2024-25	504	1,40,72,500	1270	41,81,200	निरंक	निरंक
2025-26	447	1,22,23,400	250	14,72,400	निरंक	निरंक

K

अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर



सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सहायक ग्रंथपाल, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं भृत्य/चपरासी के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सीतापुर	सहायक प्राध्यापक	14	12	2
		सहायक ग्रंथपाल	0	0	0
		प्रयोगशाला तकनीशियन	4	4	0
		भृत्य	2	2	0
2.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बतौली	सहायक प्राध्यापक	10	7	3
		सहायक ग्रंथपाल	0	0	0
		प्रयोगशाला तकनीशियन	3	2	1
		भृत्य	2	2	0
3.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कमलेश्वरपुर, मैनापाट	सहायक प्राध्यापक	10	9	1
		सहायक ग्रंथपाल	0	0	0
		प्रयोगशाला तकनीशियन	3	0	3
		भृत्य	2	0	2
योग			50	38	12


अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

परोशिष्ट - एक सौ दो

अतारोंकेत प्रश्न संख्या 88 (क्र. 1643) की जानकारी

1

(क) क्या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार 2025-26 के अंतर्गत जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? विभागवार प्राप्त आवेदनों की संख्या एवं आवेदन की प्रकृति सहित विवरण प्रदान करें।

आफिस	मांग आवेदन	शिकायत आवेदन	कुल आवेदन	कुल निराकृत	कुल-लवित	आवेदन की प्रकृति सहित विवरण प्रदान करें।
सहायक आयुक्त जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग जिला-के.सी.जी.	24	2	26	26	0	जनजातीय वर्ग हेतु पृथक धर्म कोड, नौकरी की मांग करते हुए आवेदन, छात्रवृत्ति की मांग, OBC 27% आरक्षण मांग, वन अधिकार पट्टा के सम्बन्ध में आवेदन
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़	2	0	2	2	0	अतिथि व्याख्याताओं को एकमुश्त वेतन प्रदान करने बाबत, डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए आवेदन पत्र इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़
प्राचार्य, रानी राश्मि देवी महाविद्यालय खैरागढ़	7	0	7	7	0	ग्राम मंडी पर में नवीन महाविद्यालय खोलने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ था जिसे सम्बंधित विभाग आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रेषित कर दिया गया है
सहायक संचालक उद्यानिकी जिला-के.सी.जी.	46	0	46	46	0	मूलतः आवेदन फेंसिंग निर्माण, ड्रिप एवं पैक हाउस निर्माण की मांग के प्राप्त हुये है।
क्रेडा विभाग जिला-के.सी.जी.	223	4	227	227	0	कुल 223 मांगों में सोलर ज्यूल पंप के 91, सोलर हाई मास्ट के 58, सोलर पॉवर प्लांट के 03 तथा सोलर स्ट्रीट लाइट के 71 आवेदन एवं कुल 04 शिकायत प्राप्त हुए जिसका निराकरण किया गया।
कार्यपालन अभियंता, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी खैरागढ़	1759	67	1826	1826	0	नए विद्युत कनेक्शन की मांग हेतु आवेदन, सौर कनेक्शन की मांग, खराब ट्रांसफार्मर बदलने की मांग, तार खंभा सीधा करने की मांग, विद्युत पोल शिफ्टिंग करने, दुर्घटना/अन्य क्षतिपूर्ति की राशि की मांग।
उपसंचालक - कृषि विभाग जिला-के.सी.जी.	1059	31	1090	1090	0	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, सौर सुजला, किसान समृद्धि योजना कृषि यंत्र एवम अन्य कृषि सम्बंधी आवेदन प्राप्त हुए।
खनिज अधिकारी, जिला-के.सी.जी.	1	4	5	5	0	अवैध मुरम खनन एवं अवैध ईट निर्माण पर रोक लगाने के संबंध में
खाद्य अधिकारी, जिला-के.सी.जी.	10517	53	10570	10570	0	उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन की मांग, नया राशन कार्ड की मांग, राशन कार्ड में नाम काटने एवम जोड़ने, राशन दुकान (पीडीएस भवन) की मांग
कार्यालय जिला खेल अधिकारी जिला-के.सी.जी.						ग्राम पंचायत रेंगाकठेरा में सर्व सुलभ खेल मैदान निर्माण, ग्राम पीपला कछार में खेल मैदान की मांग की गयी है, ग्राम कोपरो विकासखंड छुईखदान में कबड्डी हेतु मैट की मांग की गई है, ग्राम परसबोड देहान विकासखंड खैरागढ़ द्वारा खेल मैदान और व्यायाम शाला की मांग की गई, ग्राम चारभाटा विकासखंड खैरागढ़ द्वारा खेल मैदान की मांग की गई, ग्राम केसला विकासखंड खैरागढ़ द्वारा खेल मैदान की मांग की गई, ग्राम राहुद विकासखंड खैरागढ़ द्वारा खेल मैदान में बाउंड्री वाल की मांग की गई, ग्राम शेरगढ़ विकासखंड खैरागढ़ द्वारा खेल मैदान में मिनी स्टेडियम बनाने की मांग की गई, ग्राम कुहरवाडा विकासखंड छुईखदान खेल मैदान बनाने की मांग की गई, ग्राम बंदरीडीह विकासखंड खैरागढ़ खेल मैदान में अतिक्रमण हटाने की मांग की गई
कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला-के.सी.जी.	27	18	45	45	0	गाती गलोज, मारपीट, अवैध शराब, गंजा बिक्री, जमीन संबंधी विवाद, सामाजिक बहिष्कार शिकायतें तथा नवीन थाना, यातायात व्यवस्थित करने मांगे एवम अन्य आवेदन प्राप्त हुए हैं
जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला-के.सी.जी.	1	0	1	1	0	सभी न्यून संस्थानों के आईडी कार्ड, शिक्षा संबंधित दस्तावेज जमा कराकर उनका जांच कराकर पात्र पत्रकारों को ही प्रकाशित करने का अधिकार देने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया
कार्यालय जल संसाधन विभाग जिला-के.सी.जी.	510	24	534	534	0	नहर मरम्मत, नहर लाईनिंग, नहर विस्तार/निर्माण, बांध निर्माण, एनीकट निर्माण, स्टापडेम निर्माण, एनीकट/स्टापडेम मरम्मत, जलाशय व्यपवदन एवं एनीकट गेट मरम्मत, निस्तारी हेतु पानी की मांग, भू-अर्जन मुआवजा की मांग, बाढ़ नियंत्रण दीवाल निर्माण से सम्बंधित आवेदन प्राप्त हुए हैं
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, न.पं. छुईखदान	267	27	294	294	0	नाली सफाई, रोड मरम्मत, नवीन सी.सी.रोड निर्माण, नवीन आर.सी.सी.नाली निर्माण, राशन कार्ड, प्रधानव मंत्री आवास योजना, श्रम सम्मान राशि की मांग, ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग, पीएम विश्वकर्मा योजना, पंडरिया तालाब पर बोटिंग सुविधा एवं चौपाटी निर्माण, पेशन योजना से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए हैं।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, न.पं. गण्डई	151	13	164	164	0	नाली सफाई, रोड मरम्मत, नवीन सी.सी.रोड निर्माण, नवीन आर.सी.सी.नाली निर्माण, मेन चौक से गंगई मंदिर तक डिवाइडर निर्माण, राशन कार्ड, प्रधानव मंत्री आवास योजना, श्रम सम्मान राशि की मांग, ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग, पीएम विश्वकर्मा योजना, पंडरिया तालाब पर बोटिंग सुविधा एवं चौपाटी निर्माण, पेशन योजना से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए हैं।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सुशासन एवं अभिसरण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर

(क) क्या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार 2025-26 के अंतर्गत जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? विभागवार प्राप्त आवेदनों की संख्या एवं आवेदन की प्रकृति सहित विवरण प्रदान करें।

मांग आवेदन	शिकायत आवेदन	कुल आवेदन	कुल निराकृत	कुल-लंबित	आवेदन की प्रकृति सहित विवरण प्रदान करें।
ऑफिस					
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद खैरागढ़	357	396	396	0	नाली सफाई रोड मरम्मत, नवीन सी.सी.रोड निर्माण, नवीन आर.सी.सी. नाली निर्माण, राशन कार्ड, पेशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए हैं।
जिला पंचायत-के.सी.जी.	6	6	6	0	रोजगार दिए जाने हेतु, मिनी माता मूर्ति देने बाबत, आरागण बेन्को डोलक हेतु, वाद्ययंत्र की मांग, आवास मित्र नियुक्ति हेतु, कलेक्टर दर पर कर्मचारी रखने हेतु
जनपद पंचायत-छुईखदान	27332	27393	27393	0	PM आवास, पेशन, नवीन राशन कार्ड, नाली निर्माण, सी.सी.रोड, पशु शेड निर्माण, डबरी निर्माण, नवीन पंचायत भवन, नवीन शौचालय निर्माण, नया तालाब, मुक्तिधाम, SWM, खाद भवन, आंगनबाड़ी भवन, आहाला निर्माण, अन्य उपरोक्त आवेदन प्राप्त हुआ है।
जनपद पंचायत-खैरागढ़	39195	39303	39303	0	PM आवास, पेशन, नवीन राशन कार्ड, नाली निर्माण, सी.सी.रोड, पशु शेड निर्माण, डबरी निर्माण, नवीन पंचायत भवन, नवीन शौचालय निर्माण, नया तालाब, मुक्तिधाम, SWM, खाद भवन, आंगनबाड़ी भवन, आहाला निर्माण, अन्य उपरोक्त आवेदन प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना-के.सी.जी.	98	99	99	0	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-के.सी.जी.	109	113	113	0	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है।
सहायक संचालक, पशु चिकित्सा विभाग, जिला-के.सी.जी.	598	602	602	0	विभागीय योजनाओं के अंतर्गत नर बकर, सुकर पालन, मादा वत्स पालन एवं उन्नत नस्ल का सांड हेतु मांग और पशु औषधालय में रिक्त पशु चिकित्सक हेतु आवेदन किया गया था।
सहायक संचालक, मत्स्य जिला-के.सी.जी.	89	90	90	0	मत्स्य पालन संस्थान में तालाब निर्माण / डबरी निर्माण मत्स्य बाँध प्रदाय जाल प्रदाय के आवेदन एवं बकत सह रहत अनुदान राशी नहीं मिलने बाबत एक शिकायत प्राप्त हुई।
कार्यालय, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग जिला-के.सी.जी.	1	2	2	0	1. जनगणना में नाम जोड़ने की मांग की गई है आगामी जनगणना २०२७ में नाम जोड़ा जायेगा। 2. मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम सुधारने हेतु शिकायत - मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम सुधार संभव नहीं है अधिनियम में प्रावधान होने पर नाम सुधार की कार्यवाही की जाएगी।
कार्यालय कलेक्टर, (प्रतिलिपि शाखा) जिला-के.सी.जी.	1	1	1	0	प्रतिलिपि शाखा के द्वारा आवेदक से मोबाइल से कॉल के माध्यम से संपर्क किया गया तत्पश्चात उनके द्वारा चाही गयी रिकार्ड की जानकारी लेने के पश्चात आवेदक को प्रतिलिपि आवेदन जमा करके उनके द्वारा मांगी गई प्रतिलिपि रिकार्ड प्राप्त करने को कहा गया था। किन्तु उक्त आवेदक का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।
कार्या. अनुविभागीय अधिकारी(रा.) गण्डई-छुईखदान	146	153	153	0	सुशासन तिहार 2025 में प्राप्त वन अधिकार पट्टों के आवेदन का अनुमोदन हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति में प्रस्तुतीकरण किये जाने के उपरान्त सामूहिक रूप से काबिज भूमि का निरक्षण वन विभाग एवं समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया निरीक्षण उपरान्त ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों से कराया गया। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अपात्र घोषित कर पात्र हितग्राहियों को काबिज वन पट्टा प्रदाय किये जाने हेतु प्रस्ताव सर्व सम्मति किया गया।
कार्या. अनुविभागीय अधिकारी(रा.) खैरागढ़	43	49	49	0	स्थायी जाति प्रमाण पत्र, नगरी क्षेत्र आबादी पट्टा, अवैध कब्जा हटाने, भूमि व्यापवर्तन, वृक्ष कटाई हेतु अनुमति व अन्य
कार्या. तहसीलदार छुईखदान	1387	1429	1429	0	सीमांकन, नामांतरण, बटवारा, मकान पट्टा, आबादी पट्टा, राजस्व पट्टा, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, आय, जाति, निवास, नक्शा बटांकन, अन्य
कार्या. तहसीलदार गण्डई	2757	2795	2795	0	सीमांकन, नामांतरण, बटवारा, मकान पट्टा, आबादी पट्टा, राजस्व पट्टा, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, आय, जाति, निवास, नक्शा बटांकन, अन्य
कार्या. तहसीलदार साल्हेवारा	526	538	538	0	राजस्व विभाग अंतर्गत तहसील साल्हेवारा में शुसान तिहार में कुल 538 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उक्त आवेदनों की प्रकृति सीमांकन, नामांतरण, बटवारा, मकान पट्टा, आबादी पट्टा, राजस्व पट्टा, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, आय, जाति, निवास, नक्शा बटांकन, अन्य

(क) क्या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार 2025-26 के अंतर्गत जिला खैरागढ़-छुईखदान-गडई में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? विभागवार प्राप्त आवेदनों की संख्या एवं आवेदन की प्रकृति सहित विवरण प्रदान करें।

ऑफिस	मांग आवेदन	शिकायत आवेदन	कुल आवेदन	कुल निराकृत	कुल-लंबित	आवेदन की प्रकृति सहित विवरण प्रदान करें।
कार्या. तहसीलदार-खैरागढ़	2017	133	2150	2150	0	राजस्व विभाग अंतर्गत तहसील खैरागढ़ में सुशासन तिहार में कुल 2150 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उक्त आवेदनों की प्रकृति अभिलेख त्रुटि सुधार, सीमांकन, अतिक्रमण, नामांतरण, खाता विभाजन, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना अंतर्गत पट्टा हेतु आवेदन हैं।
कार्या. लोक निर्माण विभाग, जिला-के.सी.जी.	244	9	253	253	0	लोक निर्माण विभाग संभाग खैरागढ़ अंतर्गत कुल 253 आवेदनों में से 09 शिकायत का निराकरण कार्यवाही पूर्ण, अनियमितता से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, 244 मांग को बजट में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सभी 253 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है।
कार्यालयन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जिला-के.सी.जी.	1327	137	1464	1464	0	बसाहट में नलकूप खनन कार्य कर हेंडपंप स्थापना कार्य, हेंडपंप मरमत, हेंडपंप में पाइप बदोने, घरेलू नल कनेक्शन कार्य, पाइप विस्तार कार्य एवं टंकी निर्माण कार्य करने का आवेदन प्राप्त हुए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-के.सी.जी.	146	13	159	159	0	चिकित्सक की कमी, आर्थिक सहायता हेतु, आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु, उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण हेतु, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण हेतु, एम्बुलेंस / 1099 की मांग, भवन निर्माण/बाउन्ड्रीवाल के संबंध में, मितानि संबंधित, सोनोग्राफी मशीन / डिजिटल एक्स-रे की मांग, मोडिकल बोर्ड की मांग, चिकित्सकीय ईलाज, दवाई उपलब्ध कराने हेतु, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने हेतु, नर्स/एनएम/स्वा. कार्यकर्ता की मांग, मच्छरदाजी का मांग, रोजगार हेतु, चिकित्सक एवं कर्मियों की अनुपलब्धता, गंदे नाले व मलरिया बीमारी की शिकायत, स्वास्थ्य केंद्र नियमित संचालन सम्बन्ध में, उपस्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी नहीं पर शिकायत, आपातकाल सेवा 102 व 108 रात्रि 8 बजे में सेवा नहीं देने पर असुविधा पर शिकायत बाबत, मितानी संबंधित, उपस्वास्थ्य केंद्र में प्रसव नहीं करवाने हेतु, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी जिला अस्पताल गडई में लाने हेतु निवेदन, सभी के लिए पास पड़ेगा। सभी को सुविधा मिलेगा धन्यवाद, आयुष्मान कार्ड संबंधित, दवाई की अनुपलब्धता, अन्य
जिला आयुष कार्यालय जिला-के.सी.जी.	3	0	3	3	0	03 आवेदन स्वास्थ्य खराब होने के कारण जांच एवं परामर्श दिलाने हेतु। सम्बंधित आवेदन कर्ता को नजदीकी शासकीय आयुर्वेद औषधालय में उपस्थित होकर निशुल्क जांच परामर्श एवं औषधि प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित कर आवेदन का निराकरण किया गया है।
वनमण्डलाधिकारी, जिला-के.सी.जी.	2468	22	2490	2490	0	मुख्यतः वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदाय किये जाने के संबंध में एवं भूमि का सीमांकन, वनों की अंश कटाई एवं पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण/पौधा रोपण, निस्तारी वनोपज प्रदाय, सामुदायिक भवन निर्माण, सड़क निर्माण, पुल-मुलिया निर्माण, तालाब निर्माण, कुआ निर्माण, गैबियन निर्माण, शासकीय नौकरी दिलाने, क्षतिपूर्ति मुआवजा भुगतान, तैन्दूपत्ता बीमा व बीनस राशि प्रदाय, मजदूरी भुगतान, बंद भंगाना, पेड़ों की कटाई/छंटाई, वनरक्षक निवास भवन तोड़ने, मंदिर में मूर्ति स्थापना, एवं अरा मशीन से संबंधित आवेदन प्राप्त हुये, जिनका नियमानुसार निराकरण किया गया है एवं कार्य की मांग से संबंधित उपयुक्त आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में बजट की मांग वरिष्ठ कार्यालय से की गई है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जिला-के.सी.जी.	169	3	172	172	0	विभागीय योजनाओं के अंतर्गत व्यवसाय / सेवा/विनिर्माण हेतु ऋण प्रदान करने बाबत आवेदन थे।
जिला आबकारी अधिकारी जिला-के.सी.जी.	59	45	104	104	0	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार 2025-26 के अंतर्गत आबकारी विभाग जिला खैरागढ़-छुईखदान-गडई में कुल 104 आवेदन प्राप्त हुए। सुशासन तिहार में आबकारी विभाग को 59 मांग एवं 45 शिकायत कुल 104 आवेदन प्राप्त हुए। (शिकायतों में अंश शराब विक्रय संबंधी आवेदन प्राप्त हुए तथा नवीन मंदिरा दुकान खोलने संबंधी मांग प्राप्त हुए।)

(क) क्या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित सूशासन तिहार 2025-26 के अंतर्गत जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? विभागवार प्राप्त आवेदनों की संख्या एवं आवेदन की प्रकृति सहित विवरण प्रदान करें।

ऑफिस	मांग आवेदन	शिकायत आवेदन	कुल आवेदन	कुल निराकृत	कुल-लंबित	आवेदन की प्रकृति सहित विवरण प्रदान करें।
उप संचालक समाज कल्याण विभाग, जिला-के.सी.जी.	1053	4	1057	1057	0	सूशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है मूलतः सभी आवेदन पेशन संबंधित थे एवं अन्य आवेदन में ग्राम कुम्हारवाड़ा जनपद पंचायत छुईखदान के ग्रामीणों द्वारा सूशासन तिहार में दुर्गा मंदिर के लिए लाउडस्पीकर प्रदाय करने के सम्बंध में पत्र प्राप्त हुआ है समाज कल्याण विभाग के द्वारा उक्त सामग्री के क्रम नहीं किया जाता है न ही प्रदाय किया जाता है, इस प्रकार का प्रावधान समाज कल्याण विभाग में नहीं है।
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला-के.सी.जी.						जिला कार्यालय को दो-दो आवेदन जिले के थान उपार्जन केन्द्र बेहाटोला, आमदानी, के खरीफ वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक वर्षवार समिति में बारदाना प्रदाय खाली उपयोग बारदाना की संख्या सहित बचत बारदाना की कुल कीमत सहित वर्षवार धान खरीदी परिधान कुल कमी धान की कीमत एवं कमी की जानकारी मांगी थी जिसे कार्यालय द्वारा उक्त जानकारी सूचना के अधिकार के तहत होने के कारण लिखते हुये आवेदन पत्र निराकरण किया गया।
नोडल कार्यालय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जिला-के.सी.जी.	6	0	6	6	0	दो आवेदन सूखत की राशि की मांग की गई है जिसका निराकरण राशि शासन से प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा की जानकारी के साथ आवेदन निराकरण किया गया।
सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला-के.सी.जी.	39	2	41	41	0	A. T. M. की सुविधा हेतु। खाद की कमी को पूरा करने हेतु, KCC, अहता निर्माण हेतु, कर्ज माफ मांग करने हेतु, खाद गोदाम निर्माण हेतु, केन्द्रीय बैंक शाखा खोलने हेतु। धान खरीदी केंद्र हेतु, बार दाना की राशि प्रदान करने, बोनस की मांग।
कार्या. अनुविभागीय अधिकारी(रा.)-छुईखदान	29	10	39	39	0	सहकारिता विभाग अंतर्गत तहसील खैरागढ़/छुईखदान में सूशासन तिहार के अंतर्गत कुल 39 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 29 मांग एवं 10 शिकायत आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें सभी 39 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। उपरोक्त आवेदनों में नवीन समितियों का गठन, धान मंडी की घेरा, समितियों में स्थानांतरित कर्मचारियों की आदेश व कार्यवाही, प्राप्त समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी, समितियों में ऑडिट/अंकेक्षण एवं सुझाव की प्रति समिति में धान खरीदी हेतु कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर नियमितिकरण की जानकारी, समितियों की कार्यक्षेत्र को पृथक करने, कार्यरत समितियों के कार्यक्षेत्र को पृथक नहीं करने एवं समितियों में फसल बीमा (धान, सोयाबीन) का प्रीमियम दावा राशि की जांच कार्यवाही की जानकारी आदि।
कलेक्टर जिला-के.सी.जी.	87	0	87	87	0	सूशासन तिहार 2025 में प्राप्त वन अधिकार पट्टा के आवेदन का अनुमोदन हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति में प्रस्तुतिकरण किये जाने के उपरान्त सामूहिक रूप से काबिज भूमि का निरक्षण वन विभाग एवं समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया निरीक्षण उपरान्त ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों से कराया गया। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अपात्र घोषित कर पात्र हितग्राहियों को काबिज वन पट्टा प्रदाय किये जाने हेतु प्रस्ताव सर्व सम्मति किया गया।
कार्या. लीड बैंक मैनेजर, जिला-के.सी.जी.	8	0	8	8	0	बोर खनन, ग्रामीण डाक विभाग में नौकरी दिलाने हेतु आवेदन। विधायक के टिकट देने हेतु जिला स्तरीय कार्यालय खोले जाने
भारत संचार निगम लि. खैरागढ़	45	7	52	52	0	रोजगार उपलब्ध करने की मांग, व्यवसाय हेतु ऋण, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन हेतु, होम लोन स्वीकृत करने के लिए बैंक की आवश्यकता, ATM खोलने, BC शाखा खोलनेबैंक से होल्ड हटाने, KYC अपडेट, लोन नहीं देने, दुसरे भवन में स्थानांतरित करने इत्यादि प्रकार के आवेदन प्राप्त हुए थे.
कार्यालय चिप्प, केसीजी	31	0	31	31	0	BSNL टावर को 4G कन्वर्शन करवाने, JIO टावर लगवाने हेतु, जंगलपुर घाट में नेटवर्क का टावर लगवाने बाबत, टावर खंभा हेतु, मोबाइल नेटवर्क समस्या हेतु
	30	4	34	34	0	आधार से संबंधित नाम सुधारने तथा नया आधार कार्ड बनाने के सम्बन्ध में मांगआई थी

(क) क्या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार 2025-26 के अंतर्गत जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? विभागवार प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है? कृपया विभाग का नाम, आवेदन की संख्या एवं आवेदन की प्रकृति सहित विवरण प्रदान करें।

ऑफिस	मांग आवेदन	शिकायत आवेदन	कुल आवेदन	कुल निराकृत	कुल लंबित	आवेदन की प्रकृति सहित विवरण प्रदान करें।
कार्या. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खैरागढ़	214	8	222	222	0	शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति, शाला भवन मरम्मत, शौचालय व किचन शेड निर्माण छात्रवृत्ति एवं शाला उन्नयन रशोइया एवं स्त्रीपर नियमितिकरण से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए थे
कार्या. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, छुईखदान	281	15	296	296	0	शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति, शाला भवन मरम्मत, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शौचालय व किचन शेड निर्माण से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए थे
कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला.के.सी.जी.	93	13	106	106	0	स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत वि.खं.-खैरागढ़/छुईखदान सुशासन तिहार के कुल-106 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें मांग-93 एवं शिकायत-13 के आवेदन प्राप्त हुए हैं। समस्त आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। ों के आवेदन में शिक्षक शाला में अहाता भवन निर्माण तथा अतिरिक्त कक्ष का मांग शामिल है। शिकायत के आवेदन शिक्षक संलग्निकरण शिक्षक का अनियमितता स्कूल आना प्रमुख रूप से शामिल था।
कुलयोग:-	95590	992	96582	96582	0	

अवर-सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सुशासन एवं अभिसरण विभाग
मंत्रालय, नवा रामपुर, अटल नगर

(ख) प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन शिकायत/अनियमितता से संबंधित थे? कितने आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है एवं कितने लंबित हैं तथा क्यों? विकासखण्डवार (खैरागढ़, छुईखदान, गंडई) पृथक-पृथक जानकारी दें।

ऑफिस	प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन शिकायत/अनियमितता से संबंधित थे			शिकायत/अनियमितता से संबंधित निराकृत आवेदनों की संख्या विकासखंडवार			शिकायत/अनियमितता से संबंधित आवेदनों की संख्या विकासखंडवार			प्रपत्र-ख
	कुल शिकायत	वि.खं. खैरागढ़	वि.खं. छुईखदान	कुल शिकायत	वि.खं. खैरागढ़	वि.खं. छुईखदान	कुल शिकायत	वि.खं. खैरागढ़	वि.खं. छुईखदान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सहायक आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग जिला-के.सी.जी.	2	2	0	2	2	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश उद्भुत नहीं होता।
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश उद्भुत नहीं होता।
प्राचार्य, रानी राश्मि देवी महाविद्यालय खैरागढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश उद्भुत नहीं होता।
सहायक संचालक उद्यानिकी जिला-के.सी.जी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लांबत शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश उद्भुत नहीं होता।
क्रेडा विभाग जिला-के.सी.जी.	4	2	2	4	2	2	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश उद्भुत नहीं होता।
कार्यपालन अभियंता, छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी खैरागढ़	67	37	30	67	37	30	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश उद्भुत नहीं होता।
उपसंचालक - कृषि विभाग जिला-के.सी.जी.	31	14	17	31	14	17	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश उद्भुत नहीं होता।
खनिज अधिकारी, जिला-के.सी.जी.	4	3	1	4	3	1	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश उद्भुत नहीं होता।
खाद्य अधिकारी, जिला-के.सी.जी.	53	33	20	53	33	20	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश उद्भुत नहीं होता।
कार्यालय जिला खेल अधिकारी जिला-के.सी.जी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लांबत शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश उद्भुत नहीं होता।
कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला-के.सी.जी.	18	11	7	18	11	7	0	0	0	लांबत शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश उद्भुत नहीं होता।
जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला-के.सी.जी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लांबत शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश उद्भुत नहीं होता।

कार्यालय जल संसाधन विभाग जिला-के.सी.जी.	24	22	2	24	22	2	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, न.पं. छुईखदान	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, न.पं. गण्डई	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद खैरागढ़	39	39	0	39	39	0	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
जिला पंचायत-के.सी.जी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
जनपद पंचायत-छुईखदान	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
जनपद पंचायत-खैरागढ़	108	108	0	108	108	0	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जिला-के.सी.जी.	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिला-के.सी.जी.	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
सहायक संचालक, पशु चिकित्सा विभाग, जिला-के.सी.जी.	4	3	1	4	3	1	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
सहायक संचालक, मत्स्य जिला-के.सी.जी.	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
कार्यालय, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग जिला-के.सी.जी.	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
कार्यालय कलेक्टर, (प्रतिलिपि शाखा) जिला के.सी.जी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
कार्या. अनुविभागीय अधिकारी(रा.) गण्डई-छुईखदान	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
कार्या. अनुविभागीय अधिकारी(रा.) खैरागढ़	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
कार्या. तहसीलदार छुईखदान	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
कार्या. तहसीलदार गण्डई	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
कार्या. तहसीलदार साल्लेवारा	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
कार्या. तहसीलदार खैरागढ़	133	133	0	133	133	0	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।

कार्या. लोक निर्माण विभाग, जिला-के.सी.जी.	9	6	3	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0	लांबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश्र उद्भुत नहीं होता।
कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जिला-के.सी.जी.	137	73	64	137	73	64	0	0	0	0	0	0	0	लांबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश्र उद्भुत नहीं होता।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-के.सी.जी.	13	7	6	13	7	6	0	0	0	0	0	0	0	लांबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश्र उद्भुत नहीं होता।
जिला आयुष कार्यालय जिला-के.सी.जी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लांबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश्र उद्भुत नहीं होता।
वनमण्डलाधिकारी, जिला-के.सी.जी.	22	7	15	22	7	15	0	0	0	0	0	0	0	लांबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश्र उद्भुत नहीं होता।
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जिला-के.सी.जी.	3	1	2	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	लांबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश्र उद्भुत नहीं होता।
जिला आबकारी अधिकारी जिला-के.सी.जी.	45	7	38	45	7	38	0	0	0	0	0	0	0	लांबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश्र उद्भुत नहीं होता।
उप संचालक समाज कल्याण विभाग, जिला-के.सी.जी.	4	3	1	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	लांबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश्र उद्भुत नहीं होता।
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला-के.सी.जी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लांबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश्र उद्भुत नहीं होता।
नोडल कार्यालय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जिला-के.सी.जी.	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	लांबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश्र उद्भुत नहीं होता।
सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला-के.सी.जी.	10	6	4	10	6	4	0	0	0	0	0	0	0	लांबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश्र उद्भुत नहीं होता।
कार्या. अनुविभागीय अधिकारी(रा.)-छुईखदान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लांबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश्र उद्भुत नहीं होता।
कलेक्टर जिला-के.सी.जी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लांबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश्र उद्भुत नहीं होता।
कार्या. लीड बैंक मैनेजर, जिला-के.सी.जी.	7	5	2	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	लांबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश्र उद्भुत नहीं होता।
भारत संचार निगम लि. खैरागढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लांबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश्र उद्भुत नहीं होता।
कार्यालय चिप्स, केसीजी	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	लांबित शिकायत निरंक होने के कारण शोभाश्र उद्भुत नहीं होता।

कार्या. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खैरागढ़	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
कार्या. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, छुईखदान	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-के.सी.जी.	13	9	4	13	9	4	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।
कुलयोग:-	992	547	445	992	547	445	0	0	0	0	लंबित शिकायत निरंक होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सुशासन एवं अभिसरण विभाग
नं. 10, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - एक सो तीन

अतारांकित प्रश्न संख्या 89 (क्र. 1644) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में पूर्णतः विद्युत विहीन ग्रामों की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	जनसंख्या कोड (वर्ष 2011 की स्थिति में)	पूर्णतः विद्युत विहीन ग्राम	अविद्युतीकृत घरों की संख्या
1	2	3	4	5
1	खैरागढ़	440525	घाघरा	8
2	खैरागढ़	440527	कटेमा	24
3	छुईखदान	440088	झिलमिली	31
4	छुईखदान	440233	लमरा	22
5	छुईखदान	440223	संजारी टाटीघाट	63
6	छुईखदान	440224	निजामडीह	90
7	छुईखदान	440232	लछना झिरिया	51
8	छुईखदान	440235	केकराझोला	1
9	छुईखदान	440075	कल्लेपानी	14
कुल				304

जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में आंशिक विद्युत विहीन ग्रामों की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	जनसंख्या कोड (वर्ष 2011 की स्थिति में)	आंशिक रूप से विद्युतीकृत ग्राम	कुल घरों की संख्या	कॉलम 4 में से विद्युतीकृत घरों की संख्या	कॉलम 4 में से अविद्युतीकृत घरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	छुईखदान	440063	बारकोकना (गोलारडीह)	85	65	20
2	छुईखदान	440213	टिंगीपुर (देवरचा)	64	60	4
3	छुईखदान	440208	बैगापारा (लावतरा)	16	12	4
4	छुईखदान	440096	बलरामपुर (भटली)	144	140	4
कुल				309	277	32


 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में वर्ष 2022 से 31.01.2026 तक पहली बार ग्रिड आधारित विद्युत आपूर्ति वाले ग्रामों की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	पहली बार ग्रिड से विद्युतीकृत ग्राम का नाम	घरों में प्रदत्त बिजली कनेक्शनों की संख्या		विद्युतीकरण योजना का नाम	ग्रिड से विद्युतीकरण का दिनांक
			बी.पी.एल.	घरेलू		
1	2	3	4	5	6	7
1	छुईखदान	तिरीनखपरी	15	5	सामान्य विकास योजना	10.03.2025
2	छुईखदान	परसाही	15	0	पीएमजनमन-पीवीटीजी	15.06.2025
योग			30	5		

10/3/2025
 जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई विकास
 विभाग, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

परिशिष्ट - एक सो चार
अतारांकित पत्र संख्या 95 (क्र. 1951) की जानकारी

प्रपत्र

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 01/01/2025 से दिनांक 17/02/2026 तक की अवधि में की गई जाँच एवं कार्यवाही के संबंध में जानकारी

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम/ माध्यम	शिकायत दिनांक (छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में प्राप्त दिनांक)	शिकायत का विषय/ विवरण	उद्योग का नाम एवं पता	शिकायत की जांच दिनांक	पाई गई स्थिति का विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
1.	श्री राजीव खन्ना, प्रोपराईटर एस.के. पोल्ट्री फार्म, श्री सुनील कुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष, विधानसभा मण्डल एवं ग्राम सेरीखेड़ी	30/06/2025	सेरीखेड़ी जलाशय में आसपास स्थित प्लांटो द्वारा प्रदूषण फैलाने विषयक	(1) मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ग्राम- सेरीखेड़ी, जिला- रायपुर (2) मेसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम- सेरीखेड़ी, मंदिर, हसौद, जिला- रायपुर (3) मेसर्स यशस्वी भवा इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- सेरीखेड़ी, तहसील व जिला-रायपुर	03/07/2025	निरीक्षण के दौरान तीनों रेडी मिक्स कान्क्रीट प्लांट संचालित पाये गये। उक्त प्लांटों में पर्याप्त हुनेज की व्यवस्था नहीं पाई गई जिससे परिसर में अत्यधिक मात्रा में सीमेंट युक्त जल का जमाव होना पाया गया। उद्योगों द्वारा परिसर के सामने तालाब बंद पर ठोस अपशिष्टों का भण्डारण किया जाना पाया गया, ठोस अपशिष्टों का अपवहन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है। उद्योगों में हाउसकीपिंग व्यवस्था संतोष जनक नहीं पाई गई।	उक्त के परिपेक्ष्य में तीनों रेडी मिक्स कान्क्रीट प्लांट को मण्डल के पत्र क्रमांक क्रमशः 2763, 2756, एवं 2765 दिनांक 04/07/2025 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
					11/07/2025	उद्योग द्वारा जारी नोटिस के	प्रत्येक उद्योगों को पत्र

Addl. Chief Engineer
C.G. Environment Conservation B-
Atal Nagar, Raipur (C.G.)

						परिपेक्ष में सुधारत्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	क्रमांक क्रमशः 2908, 2910 एवं 2912 दिनांक 11/07/2023 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 40,000/- अधिरोपित की गई है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि उद्योग प्रबंधन द्वारा मंडल में जमा की गई है।
--	--	--	--	--	--	--	---


 Addl. Chief Engineer
 C.G. Environment Conservation P
 Atal Nagar, Raipur (C.G.)